



6.2

मैक्समूलर लिखित

हम भारत से क्या सीखें ?

INDIA

WHAT CAN IT TEACH US ?

By

Max Muller

अनुवादक

श्री कमलाकर तिवारी

एवं

श्री रमेश तिवारी

प्रकाशक

आदर्श हिन्दी पुस्तकालय

४६२, मालवीय नगर

इलाहाबाद-३

करण]

सितम्बर १९६७

[मूल्य १० रुपये

प्रकाशकः—

गिरिवर शुक्ल

आदर्श हिन्दी पुस्तकालय

४६२, गालवीय नगर

इलाहाबाद-३



मुद्रकः—

अजय प्रेस

कल्याणी देवी

इलाहाबाद-३

मैक्समूलर का जीवन चरित्र

फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म देसाउ में सन् १८२३ ई० की छठवीं दिसम्बर को हुआ था। वह विख्यात कवि विलहेम मूलर का एकलौता पुत्र था। उसके जन्म के चार वर्ष पश्चात् सन् १८२७ ई० में ही मैक्समूलर के पिता की मृत्यु हो गई। शुरू में मैक्समूलर ने संगीत में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की, परन्तु युवावस्था में प्रवेश करते करते उस पर मेन्डेलसन का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसे संगीत को अपना व्यवसाय बनाने के निश्चय से विरत होना पड़ा। अपने अध्ययन काल में उसके हृदय में प्राचीन भाषाओं के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। सन् १८४१ ई० में उसने लिपाजग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारम्भ किया। पहली सितम्बर सन् १८४३ ई० को उसने पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त कर ली, और १८४४ में विख्यात संस्कृत नीति-कथा-संग्रह 'हितोपदेश' का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया। तत्पश्चात् वह बर्लिन चला गया जहाँ उसने नियमित रूप से वॉप एवं शेलिंग के भाषण सुने। इसी समय से भाषा विज्ञान एवम् दर्शनशास्त्र उसके प्रिय विषय बने जिसके अध्ययन में वह आजीवन रुचि लेता रहा। सन् १८४५ में वह बर्लिन से पेरिस चला गया जहाँ उसे यूजीन वरनाफ ने अत्यधिक प्रभावित किया। उसी के परामर्श से मैक्समूलर ने ऋग्वेद की आदि-प्रतिलिपि को प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने के ध्येय से आवश्यक सामग्रियों के संग्रह का कार्य आरम्भ किया। जिस समय वह इस महान एवं दुष्कर कार्य में व्यस्त था, उसे अपनी आजीविका का भी प्रबन्ध करना पड़ता था। वह पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपियाँ तैयार कर के जो कुछ अर्जित कर लेता था, उसी से काम चलाना पड़ता। सन् १८४६ में वह शेज़र्लैंड गया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने सायण के भाष्य सहित ऋग्वेद की पाण्डुलिपि को पूर्ण रूप में प्राप्त करके ले आने के लिये कम्पनी के धन्य से ही उसे भारत भेज दिया गया। पाण्डुलिपियों को एकत्रित करने के लिये मैक्समूलर सन् १८४८ ई० में पुनः पेरिस गया, परन्तु इसी समय फ्रांस में क्रांति हो गई, और अपनी पाण्डुलिपियों की सुरक्षा के प्रति चिन्तित होकर वह धुरन्त लन्दन को लौट गया।

प्रकाशकः—

गिरिधर शुक्ल

मादशं हिन्दी पुस्तकालय

४६२, तालवीय नगर

इलाहाबाद-३



मुद्रकः—

अजय प्रेस

कल्याणी देवी

इलाहाबाद-३

मैक्समूलर का जीवन चरित्र

फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म देसाउ में सन् १८२३ ई० की छठवीं दिसम्बर को हुआ था। वह विख्यात कवि विलहेम मूलर का एकलौता पुत्र था। उसके जन्म के चार वर्ष पश्चात् सन् १८२७ ई० में ही मैक्समूलर के पिता की मृत्यु हो गई। शुरू में मैक्समूलर ने संगीत में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की, परन्तु युवावस्था में प्रवेश करते करते उस पर मेन्डेलसन का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसे संगीत को अपना व्यवसाय बनाने के निश्चय से विरत होना पड़ा। अपने अध्ययन काल में उसके हृदय में प्राचीन भाषाओं के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। सन् १८४१ ई० में उसने लिपाजिग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारम्भ किया। पहलो सितम्बर सन् १८४३ ई० को उसने पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त कर ली, और १८४४ में विख्यात संस्कृत नीति-कथा-संग्रह 'हितोपदेश' का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया। तत्पश्चात् वह बर्लिन चला गया जहाँ उसने नियमित रूप से वाॅप एवं शेलिंग के भाषण सुने। इसी समय से भाषा विज्ञान एवम् दर्शनशास्त्र उसके प्रिय विषय बने जिसके अध्ययन में वह आजीवन रुचि लेता रहा। सन् १८४५ में वह बर्लिन से पेरिस चला गया जहाँ उसे यूजीन बरनाफ ने अत्यधिक प्रभावित किया। उसी के परामर्श से मैक्समूलर ने ऋग्वेद की आदि-प्रतिलिपि को प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने के ध्येय से आवश्यक सामग्रियों के संग्रह का कार्य आरम्भ किया। जिस समय वह इस महान एवं दुष्कर कार्य में व्यस्त था, उसे अपनी आजीविका का भी प्रबन्ध करना पड़ता था। वह पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपियाँ तैयार कर के जो कुछ अर्जित कर लेता था, उसी से काम चलाना पड़ता। सन् १८४६ में वह इङ्ग्लैंड गया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने सायण के भाष्य सहित ऋग्वेद की पाण्डुलिपि को पूर्ण रूप में प्राप्त करके ले आने के लिये कम्पनी के धन्य से ही उसे भारत भेज दिया गया। पाण्डुलिपियों को एकत्रित करने के लिये मैक्समूलर सन् १८४८ ई० में पुनः पेरिस गया, परन्तु इसी समय फ्रांस में क्रांति हो गई, और अपनी पाण्डुलिपियों की सुरक्षा के प्रति चिन्तित होकर वह तुरन्त लन्दन को शौट गया।

उसके लन्दन लौटते ही आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस ने मैक्समूलर की पाण्डुलिपियों के प्रथम अंक का प्रकाशन आरम्भ कर दिया। अतः मैक्समूलर ने अब स्थायी रूप से आक्सफोर्ड में ही रहना आवश्यक समझा और इसके बाद उसका शेष जीवन आक्सफोर्ड में ही व्यतीत हुआ। सन् १८५० ई० में उसे आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का 'डिप्टी टेलोरियन प्रोफेसर' नियुक्त कर दिया गया। सन् १८५४ में उसकी पदोन्नति हो गई और वह प्रोफेसर हो गया। सन् १८५६ में उसकी 'हिष्ट्री आफ एनशियन्ट लिटरेचर' प्रकाशित हुई। इस ग्रंथ के संस्कृत साहित्य के कालानुक्रम के सम्बन्ध में प्राप्त की गई अमूल्य एवं महत्वपूर्ण खोजों का विवरण दिया गया है। ये खोजें उन अनेक संस्कृत ग्रंथों के गहन अध्ययन पर आधारित हैं जो उस समय पाण्डुलिपियों के रूप में ही उपलब्ध थे।

आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर एच० एच० विल्सन की मई सन् १८६० ई० में मृत्यु हो गई। उसकी योग्यता तथा प्रकाशित ग्रंथों के कारण उक्त रिक्त स्थान पर सब से अधिक एवं उचित अधिकार मैक्समूलर का हो था, और उसे अपनी नियुक्ति की आशा भी थी, परन्तु वह एक विदेशी था और धार्मिक प्रश्नों के प्रति उसके विस्तृत दृष्टिकोण से सभी लोग परिचित थे। इस पद के चुनाव का उत्तरदायित्व धर्माधिकारियों के उपर छोड़ दिया गया था। आक्सफोर्ड क्षेत्र के पादरी ने मैक्समूलर के विपक्ष में मत दिया। मैक्समूलर ने इसे अपनी योग्यता का अपमान समझा और उक्त निर्णय से उसे अत्यन्त मर्म वेदना हुई।

अब आक्सफोर्ड के पक्षपातपूर्ण वातावरण से हतोत्साहित हो कर मैक्समूलर अपनी सारी योग्यता एवम पूर्ण परिश्रम के साथ किसी अन्य संस्था में नियुक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न में लग गया। सन् १८६१ ई० और सन् १८६३ में उसने रायल इन्स्टिट्यूशन में 'साइन्स आफ लैंग्वेज' (भाषागत विज्ञान) पर कुछ भाषण दिये, जिनके कारण इङ्ग्लैंड में उसके अधिकारिक ज्ञान की काफी धाक जम गई, तथा वह अपनी आश्चर्यजनक रूप से सरल परन्तु स्पष्ट अभिव्यक्ति तथा शुष्क विषयों को भी आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने के गुणों के कारण काफी प्रसिद्ध हो गया। सन् १८६७ ई० में उसने 'साइन्स आफ थिंक्ट' (विचार विज्ञान) पर भी भाषण दिये, जिनका विषय भाषा विज्ञान की श्रेणी का ही था। सन् १८६८ ई० में उसने टेलोरियन प्रोफेसर के पद से मुक्ति प्राप्त कर ली और उसी वर्ष से तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रोफेसर हो गया। अब वह तुलनात्मक भाषाशास्त्र के विषयों पर भी विस्तृत एवम गम्भीर लेख लिखने लगा। यद्यपि समय के प्रभाव के आगे उक्त विषय पर लिखी गई उसकी रचनाएँ स्वयं को स्थिर रख सकने में समर्थ नहीं हो सकीं; फिर भी उनके रचना काल में उनको पढ़ कर लोगों के हृदय में इस विषय पर भी अध्ययन करने के

[५]

उत्कंठा जाग्रत हुई, यही बात क्या कम महत्व रखती है ? तुलनात्मक क्षेत्र में भी नेतृत्व ग्रहण करने का सम्मान उसी को प्राप्त हुआ क्योंकि वह उक्त विषय का प्रथम हिब्वर्ट लेक्चरर था। इसी पद पर रह कर उसने सन् १८७८ ई० में 'ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ रिलीजन' (धर्म की उत्पत्ति एवं प्रगति) पर अनेक वक्तव्य दिये, और सन् १८८८ से १८९२ ई० तक के लिये हिब्वर्ट के लेक्चरर के रूप में उसे पुनः चुन लिया गया। सन् १८७५ ई० में कम्परेटिव फिलोलाजी (तुलनात्मक भाषा विज्ञान) के पद का त्याग कर देने के पश्चात् उसने सम्भवतः अपने जीवन के महानतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य में हाथ लगाया, और वह था 'सैक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट' जैसे विशाल ग्रंथ का आयोजन एवम् सम्पादन। इस ग्रंथ में कुल इक्यावन अंक हैं जिनमें से तीन सम्पूर्ण तथा दो अंकों के कुछ अंशों का कार्य मैक्स-मूलर ने स्वयं किया था।

इस महान ग्रंथ के प्रकाशन के पश्चात् भी वह संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन में डूटा रहा। ऋग्वेद सन् १८७३ में समाप्त हो चुका था। सन् १८९२ ई० में उसका द्वितीय संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया। एनेबडोटा आक्सोनियोशिया के प्रन्तर्गत उसने आर्यन सिरीज का प्रकाशन आरम्भ किया, जिनमें से चार का प्रकाशन उसने स्वयं किया था, तथा अन्य तीन अंकों की आयोजना में सक्रिय प्रयोग दिया था। इस सिरीज के सभी अंक सन् १९०० ई० के पूर्व ही प्रकाशित हो चुके थे। कैम्ब्रिज में सन् १८८२ ई० में उसने 'इण्डिया, ह्वाट कैन इट टीच अस' पर जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें सन् १८८३ ई० में पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया गया। संस्कृत के अध्ययन के लिये आक्सफोर्ड में आये हुए विद्यार्थियों की वह प्रत्येक सम्भव सहायता करता था, और उन्हें अध्ययन के तरीकों के सम्बन्ध में उचित परामर्श देता था।

एक व्यस्त पाठक एवम् अनेक विस्तृत ग्रन्थों का लेखक तथा सम्पादक होने के साथ साथ मैक्समूलर में व्यावहारिकता का अभाव नहीं था। तत्कालीन यूरोप के लगभग समस्त प्रसिद्ध व्यक्तियों से उसका प्रगाढ़ परिचय था जिनमें अनेक कुटुम्बारी भी थे। उसके सामाजिक गुणों के कारण प्रायः उससे सभाओं एवम् रिषदों का अध्यक्ष पद ग्रहण करने का अनुरोध किया जाता था। प्रायः सभी रोपीय देशों ने उसे तरह-तरह की डिग्रियों एवम् उपाधियों से सम्मानित किया था।

उसकी मृत्यु आक्सफोर्ड में सन् १९०० ई० की २८ वीं अक्टूबर को हुई।

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत

कॉर्पस काइस्ट कालेज के फेलों

तथा संस्कृत के प्रोफेसर

श्री ई० बी० कावेल

एम० ए० एल० एल० डी०

को

सादर समर्पित

प्रिय कावेल

यदि आप द्वारा मुझे प्रोत्साहन न मिला होता तो न तो मुझे इस प्रकार भाषण करने का ही सौभाग्य मिला होता और न ये भाषण लिखे ही गये होते। इसलिये आप मुझे अवश्य ही इस बात की अनुमति प्रदान करेंगे कि इन भाषणों का मुद्रित रूप मैं आपको ही समर्पित करूँ। इस समर्पण का कारण केवल यही नहीं है कि आप प्राच्य विद्याओं के उद्भट विद्वान हैं, वरन इसका कारण यह भी है कि अपने तथा आपके बीच पिछले तीस वर्षों से निर्वाध चली आती रहने वाली मित्रता जो इस समर्पण द्वारा और भी बल देने का इच्छुक है। हमारी यह मित्रता दिना-दिन सुदृढ़ से सुदृढ़तर होती चली आ रही है कितनी ही वाधाओं का सफल सामना करने के पश्चात् हमें ऐसी आशा है कि हम दोनों में थोड़ा-स्थानीय व्यवधान होते ये भी हमारा सौहार्द सुदृढ़तर ही होता जायगा।

इन भाषणों को जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप उसका यह अर्थ वापि न लगावें कि इन भाषणों से उत्पन्न किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व मैं आपके कर्णों पर डाल रहा हूँ। नहीं, इन भाषणों में प्रस्तुत दृष्टिकोण एवम् उसके विहित विषय मेरे ही हैं, तथा मैं ही उनके लिये अन्तिम रूप से उत्तरदायी रहूँगा। मैं जानता हूँ कि प्राचीन भारत के धर्म और साहित्य पर मेरा जो दृष्टिकोण है, उससे आप सहमत नहीं हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि प्राचीन भारतीय साहित्य को जितना प्राचीन मैंने बताया है, उसे उतना प्राचीन मानने को कोई भी तैयार नहीं है। इस समय मैं केवल मैं ही अपना समर्थक हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि साहित्य एवम् विज्ञान का भी कोई न्यायालय होता तो, उस न्यायालय में आप द्वारा प्रस्तुत अपने भाषणों की तथा अपने दृष्टिकोण की कटुतम् सभालोचनाओं का अपनी दोनों की मित्रता का प्रमाण ही मानता। मुझे यह भी कहना चाहिये कि यदि आप मेरे मित्र हैं (और मैं अपनी मित्रता में सुदृढ़तम् आस्था रखता हूँ) अवश्य ही आप उन मान्यताओं की आलोचना करेंगे। मैं अपने समूचे जीवन भर ही विश्वास के साथ काम करता चला आ रहा हूँ कि चरित्रवान् तथा निर्णयसक्षम दानों (स्मरण रखें कि केवल विद्वान ही नहीं) द्वारा की गयी मेरे कार्यों की आलोचनाएँ ही मेरे लिये गौरव का कारण है। आलोचनाएँ कटुतम् हों तो और

भी अच्छा है, यदि वे खोज पूर्ण भी हों। अपने पूरे जीवन में मैंने इसी दृष्टिकोण को अपनाने का यथासाध्य प्रयत्न किया है कि हर मूल्य पर मैं तथ्यों का स निरूपण कर सकूँ, भले ही वे स्वयम् मेरे ही विपरीत क्यों न पड़ते हों। प्रशंसा एवम् अकारण आलोचना को मैंने कभी भी ध्यान देने योग्य नहीं समझा है जो भी विद्वान् अपने कार्यों में स्वस्थ दृष्टिकोण एवम् पक्षपात हीनता में त होता है, वह प्रशंसा एवम् निन्दा से परे हो जाता है। अपना दृष्टिकोण ही उस लिये उस अभेद्य कवच का काम देता है, जो हर प्रकार की प्रशंसा एवम् निन्दा लिए तो अभेद्य है परन्तु प्रकाश की एक क्षीणतम किरण भी उसे अति सरलता भेद जाती है, चाहे वह प्रकाश किरण जिस किसी भी भाग अथवा दिशा से आवे विद्वान् का तो लक्ष्य है, और अधिक प्रकाश, पूर्ण सत्य, और भी अधिक तथ्यों प्रकाशन तथा उन तथ्यों का क्रमपूर्ण पूर्वापर सम्बन्ध। बहुत से पूर्ववर्ती विद्वान् अपनी लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो चुके हैं आगे के विद्वानों के लिये भी असफल की सम्भावनायें हैं, परन्तु यदि वह असफल भी हो जाय तो वह जानता है प्रारम्भ की असफलतायें ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस क्षेत्र का यह एक सर्व मान्य नियम है और प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता इस बात को जानता-मानता है कि प्रायः जिसे दुनिया पराजित घोषित कर देती है, वही वास्तविक विजेता होता है। अनेकानेक साधकों, विचारकों एवम् दार्शनिकों के उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्हें उनके समकालीन संसार ने मृत्यु दण्ड तक दे डाला, परन्तु आने वाली पीढ़ी ने उन्हें महान् कह कर सर व आँखों पर बिठाया।

आज संस्कृतानुरागियों की जो स्थिति है उसे आपसे अधिक कोई भी जानता। आप यह भी जानते हैं कि आज भी और निकट भविष्य में भी संस्कृत अध्ययन करने का तात्पर्य होगा संस्कृत में अनुसन्धान करना तथा प्राप्त तथ्यों का क्रमपूर्ण निरूपण करना। स्वयम् आप की ही प्रत्येक कृति आपको प्रगति पथ में बढ़ाएगी और ले जाती है और आपका उठने वाला प्रत्येक पग सर्वथा भूमि पर ही पड़ता है और जिस किसी भी भूमि पर आपके चरण पड़े हैं, केवल आपके लिये वरन् अनेकों के लिये सुपरिचिता सी हो उठी है। फिर भी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य के विशाल भंडार के एक कोने से भी हम लोग तक पूर्ण परिचित नहीं हो सके हैं। हमें यह देख कर आश्चर्य होता है कि इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अभी तक अनुसन्धान प्रेमियों की प्रतीक्षा में आँखें बिल्लाये हुए है। इसमें सन्देह नहीं कि इस क्षेत्र का अनुसन्धान असुविधा पूर्ण है, कष्टपूर्ण भी नहीं है, निराशाओं का भी सामना प्रायः करना पड़ सकता है, परन्तु

[४]

प्रनुसन्धान प्रेमी युवक को डा० बर्नेल के उन शब्दों में निहित सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये, जो भारतीय सिविल सर्विस के एक प्रख्यात नामा सदस्य के रूप में उन्होंने कहा है, "ऐसा कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता, जिससे दूसरों का कष्ट दूर होता हो।" (हमें डा० बर्नेल की मृत्यु का अत्यधिक दुःख है) हमको आवश्यकता है ऐसे युवकों की जो कठिन श्रम कर सकें भले ही उनके श्रम के व्यर्थ बले जाने की अत्यधिक सम्भवनायें हों। हमें ऐसे साहसी युवकों की आवश्यकता है जो न तो तूफानों से डरें और न यान के भग्न होकर डूब जाने के भय से अतर्कित हो। हमें ध्यान रखना होगा कि जहाज के साथ डूब जाने वाला प्रत्येक नाविक अयोग्य ही नहीं होता। वास्तविक अयोग्य तो वह है जो जहाज डूब जाने की आशंका से संतुष्ट हो कर किनारे पर हो बैठा रहता है और सागर के जल से अपने पैरों को भी बचाता रहता है।

आज सर विलियम जोन्स के श्रमसाध्य कार्यों की आलोचना करना सरल गया है। हम कोलब्रुक, तथा होरेसहेमैन विल्सन के कार्यों पर भी टीका टिप्पणी कर सकते हैं और यदा कदा करते भी रहते हैं, परन्तु जरा सोचिये कि जिस क्षेत्र में रखते हुये आज के नवयुवक भी अतर्कित हो उठते हैं, उस संस्कृत साहित्य के प्रति हमारे ज्ञान की स्थिति क्या होती, यदि उपरोक्त महाशयों ने अपने निरन्तर व्यवसाय से इस दुर्गम मार्ग को सुगम न बना दिया होता? यदि हमारी ज्ञान मात्रा केवल इन विद्वानों द्वारा प्रकाशित क्षेत्र तक ही मर्यादित रह जाय तो संस्कृत साहित्य में निहित अक्षय ज्ञान कोष का ही हमारे लिये क्या उपयोग रह जायगा? आप जानते हैं कि नल एवम् शकुन्तला के उपाख्यानों के अतिरिक्त भी संस्कृत साहित्य में अभी न जाने कितना ज्ञातव्य कोष है। हमारे देश के उन नवयुवकों में अज्ञेयता का भी अभाव नहीं है, जो प्रतिवर्ष एक लम्बे समय के लिये भारत जाया करते हैं। तब हमारी कार्य प्रणाली ऐसी क्यों हो जाय कि संसार के लोग यह कहने में अवसर पायें कि इङ्ग्लैंड में साहसी एवम् अध्यवसायी अनुसन्धान कर्ताओं की कमी ही समाप्त हो गयी है। हमें स्मरण रखना होगा कि भारतीय नागरिक गवर्नमेन्ट (इण्डियन सिविल सर्विस) के अधिकारियों की ख्याति समूचे संसार में है। लोग संसार को यह कह सकने की स्थिति में नहीं होने देना चाहिये कि जिस इङ्ग्लैंड में इस भारत की प्राचीन भाषाओं, साहित्य एवम् इतिहास में खोज करने की न केवल आकांक्षा एवम् स्फूर्ति ही दो वरन् इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक अवसर एवम् भीषण भी प्रदान की, वही देश अब संस्कृत साहित्य के विद्वानों की अगली पंक्ति में नहीं रह गया है।

फा० न०—२

यदि हमारा भाषण सुनने वाले भारतीय नागरिक प्रशासन के इन छात्रों से कुछ के भी मन में इस प्रकार का निश्चय हो गया कि वे इस प्रकार के अपवा को अवश्य ही धो डालेंगे, यदि वे सर विलियम जोन्स के पद चिह्नों पर चलने का निश्चय करें और वे संसार को यह दिखा देने को कटिबद्ध हो जायें कि जिस इङ्ग्लैंड ने अपने निरन्तर किये गये प्रयत्नों द्वारा भारत पर भौतिक विजय प्राप्त की है, वह भारत पर बौद्धिक विजय का सेहरा किसी अन्य देश के सिर पर नहीं रख देगा, तो मुझे वास्तविक आनन्द प्राप्त होगा और मैं यह समझूंगा कि जिस देश हमें पोषण दिया है तथा जिस देश के कितने ही महान् राजनीतिज्ञों एवम् कर्मचारियों ने मुझ को आगे बढ़ने का अलम्भ्य अवसर प्रदान किया है, उनका ऋण मैंने बहु अंशों में चुका दिया। इस देश ने जितना कुछ मेरे लिये किया है, वह अन्यत्र सम्भव नहीं था। यहीं आकर मेरे जीवन के अनेक स्वप्न पूरे हुये हैं। यदि इस देश ने मुझे सहारा न दिया होता तो न तो ऋग्वेद ही प्रकाशित हो सकता जो आर्यन भाषा की सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है और न मेरे द्वारा किया गया उसका भाष्य ही। पूर्व पवित्र ग्रंथों का अनुवाद तो अन्यत्र सम्भव ही नहीं था।

मैंने इन भाषणों का आकार प्रकार उसी रूप में रहने दिया है, जिस रूप में वे कैम्ब्रिज में दिये गये थे। मुझे उपदेशात्मक निबन्धों का भाषण रूप ही विशेष प्रिय है। जिस प्रकार प्राचीन काल के यूनान में वार्तालाप द्वारा अभिव्यंजना जनता के बौद्धिक जीवन की अभिव्यंजना थी और जिस प्रकार मध्यकाल में मठाधीनता द्वारा दी गयी लम्बी वक्तृतार्यें ही विद्या का मूल हुआ करती थीं, उसी प्रकार वर्तमान काल में दिये गये व्याख्यान ही लेखक को इस स्थिति में रखने योग्य होते हैं कि वह अपनी बात अपने साथियों के समक्ष स्पष्टता पूर्वक रख सके।

अन्त में मैं यह भी स्वीकार कर लेना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं उतना अधिक नहीं कह पाया जितना मैं कहना चाहता था। विशेष कर अपने द्वारा कही गयी कितनी ही बातों का प्रमाण भी मैं प्रस्तुत करना चाहता था और इसीलिये इस पुस्तक में मुझे स्थान स्थान पर टिप्पणियों का सहारा लेने की आवश्यकता प्रसू हुई है, जो देखने में तो यद्यपि क्रमहीन प्रतीत होती है परन्तु पाठकों के मस्तिष्क के लिये वे अवश्य ही प्रेरक एवम् उत्साह दायिनी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

माक्सफोर्ड

दिसम्बर, १६; १८८२

आपका स्नेह भाज
एफ० मैक्समूलर

अनुवादक की भूमिका

हम भारतीय हैं, हमारी सभ्यता प्राचीन है, अति प्राचीन। हमारा प्राचीन प्रति उज्ज्वल था और हम आज भी उससे अनेक दिशाओं में प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आश्चर्य का विषय है कि हमारी अपनी उज्ज्वलता का ज्ञान हमें पाश्चात्यों के अध्ययन से मिल रहा है। इस विषय में हम चिरऋणी हैं और रहेंगे उन पाश्चात्य विद्वानों के जिन्होंने हमें ऐसी दृष्टि दी, जिसके बल पर हम अपने ही अतीत को देखने में समर्थ हो रहे हैं। पिछले दो सौ वर्षों के भीतर पाश्चात्य विद्वानों ने आर्य साहित्य से जिन बातों का पता लगाया है वे मानव ज्ञान के विकास के इतिहास पर आश्चर्यजनक प्रकाश डालती हैं।

यह बात प्रायः अठारहवीं शती के अन्तिम दशकों की है जब सर विलियम जोन्स ने कालिदास के शकुन्तला का अनुवाद करके पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान संस्कृत भाषा एवं उसके लालित्य की ओर आकर्षित किया। उन्होंने मनुस्मृति को अनुवादित किया परन्तु उनका ध्यान महात्मा बुद्ध के परवर्ती साहित्य में ही लगा हुआ गया और फलस्वरूप वे पूर्ववर्ती साहित्य का अवगाहन न कर सके, जिसमें इतिहास की अमूल्य निधि संचित थी।

क्रोलवुड साहब का ढंग भी जोन्स जैसा ही रहा और यद्यपि उन्होंने सन् १८०५ ई० में योरप के विद्वानों का साधारण परिचय आर्य जाति के सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद से कराया, किन्तु वे स्वयम् भी न जान सके कि उनकी उपलब्ध उक्ततनी मूल्यवान् थी। इसके बाद नम्बर आता है डाक्टर एच० एच० विल्सन का, जिन्होंने यद्यपि ऋग्वेद संहिता को अंगरेजी में अनुवादित किया किन्तु वे अधिकांश पूर्ववर्ती साहित्य में ही रुचि लेते रहे।

इसी समय में फ्रांस के बर्नाफ साहब ने जिन्द भाषा और वैदिक संस्कृत के स्पर्शिक सम्बन्धों का पता लगाया और एक तारतम्यात्मक व्याकरण की रचना की। उनके इस कार्य ने योरप में लगभग पचीस वर्षों के लिये (१८२६ से १८५२) बड़े बौद्धिक आन्दोलन को जन्म दिया। उनके दो शिष्यों अर्थात् राय साहब जेम्समूलर ने उनके कार्य को चालू रखा। जर्मनी के रोजन साहब ने ऋग्वेद पहले अष्टक को लैटिन भाषा में सानुवाद प्रकाशित किया।

प्रोफेसर मैक्समूलर ने सन् १८५६ ई० में समस्त प्राचीन संस्कृत साहित्य को तिथि क्रम से ठीक किया। इसके बाद ही उन्होंने ऋग्वेद संहिता का संस्करण किया जो सायण की टिप्पणियों के संग प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का भारत में बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वागत हुआ। यह बृहद् एवम् प्राचीन ग्रन्थ तब तक जनसाधारण के लिये सात तालों में बन्द था। इस ग्रन्थ के सुलभ होने से अनेक छात्रों के मन में अपना प्राचीन इतिहास एवम् धर्म जानने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। यह कार्य कठिन भी नहीं रह गया था।

इस समय तक भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना सुदृढ़ हो चुकी थी। भारतीय नागरिक प्रशासन के कर्मचारी सब अंगरेज ही होते थे। जब वे वहाँ से भारत प्रवास के लिये चलते थे तो उन्हें यही लगता था कि उनका वनवास रहा है। भारतीयों को अज्ञानी, बेईमान, झूठा, जंगली और अविश्वसनीय माना जाता था। वे भारत के लिये प्रस्थान करते थे। मैक्समूलर ने उन्हीं छात्रों के सामने साक्ष्य प्रमाण दिये थे। इन भाषणों में उन अनेक मान्यताओं को निर्मूल करने का सफल प्रयास किया गया है जो अंगरेजों के मन में भारत एवम् भारतीयों के विषय में फैली चुकी थीं। पुस्तक की उपादेयता समझ कर ही श्री गिरिधर शुक्ल जी ने इस पुस्तक के अनुवाद का कार्य मेरे हाथों में दिया। फलस्वरूप मैक्समूलर को इस अनुपम कार्य का अनुवाद जैसा भी बन सका है, आपके हाथों में है।

इस कार्य में जहाँ-जहाँ उलझा हूँ, उन स्थानों का थोड़ा सा स्पष्टीकरण शायद पाठकों के लिये भी आवश्यक हो, यही समझ कर अपनी सामर्थ्यानुसार शब्दों का स्पष्टीकरण दे देना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। अस्तु !

वेद हमारा ही है, फिर भी न जाने किन चक्करों में फँस कर हम लोग एवम् वैदिक साहित्य से बहुत दूर जा पड़े हैं—इतनी दूर कि पीछे लौट कर आना ही वस्तु को देख सुन लेना असम्भव सा हो चला है। यदि ऐसा न होता तो पंक्तियों की आवश्यकता ही क्या थी ?

अनूदित पुस्तक में अनेक स्थलों पर कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द आये हैं जिनका अर्थ समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। वेद एक ऐसा ही शब्द इतिहासों में पढ़ पढ़ कर हमने वैदिक सभ्यता की बातें जान ली हैं, पर स्वयं क्या है, इनके बारे में जन सामान्य की जानकारी नहीं के बराबर है। वास्तव में ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम साहित्य है। इस समय ग्रन्थालय में उसका जो भाग प्राप्त है, उसमें १०२८ सूक्त हैं। एक एक सूक्त में प्रायः दस-दस अक्षर हैं, कुछ कम भी हैं और कहीं अधिक भी। ये सूक्त १० मण्डलों में बँटे हैं। प्रथम और

मण्डलों में क्रमशः १६१ तथा १६११ सूक्त हैं; जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि ये विभिन्न ऋषियों द्वारा रचे गये हैं। शेष आठ में से हर एक को एक-एक ऋषि ने रचा है। दूसरे मंडल को गृत्समदने, तीसरे को विश्वामित्र ने, चौथे को कामदेव ने, पाँचवें को अत्रि ने, छठें को भारद्वाज ने, सातवें को वशिष्ठ ने, आठवें को कण्व ने और नवें को अंगिरा ने बनाया है, ऐसी मान्यता है। ऋग्वेद में कुल १०४०२ ऋचाएँ (कुछ लोगों की राय में १०६२२) हैं। शब्दों की संख्या एक लाख तिरपन सहस्र आठ सौ छब्बीस हैं तथा इसमें कुल ४ लाख बत्तीस हजार अक्षर हैं।

इस पुस्तक में ब्राह्मण, 'सूत्र ग्रन्थों' एवम् 'उपनिषदों' की भी चर्चा यत्र तत्र आयी है। अतः इनका भी परिचय दे देना अप्रासंगिक न होगा।

ब्राह्मणः—वेद के मूल को समझाने के लिये जो व्याख्या कृष्ण यजुर्वेद में दी गयी है, उसे ब्राह्मण कहते थे, अतः उन सभी को ब्राह्मण ग्रन्थ कहने लगे जिनमें व्याख्याओं का संग्रह होता था। इस प्रकार ऋग्वेद में दो ब्राह्मण हैं अर्थात् ऐतरेय ब्राह्मण और कौशीतकि ब्राह्मण। इन ग्रन्थों को देखने से प्रतीत होता है कि ये दोनों एक ही ग्रन्थ की दो विभिन्न प्रतियाँ हैं, जिन्हें क्रम से ऐतरेय और कौशीतकि लोग उपभोग में लाते थे। ऐतरेय के अन्तिम १० अध्याय कौशीतकि में नहीं हैं। सामवेद के पंचविश ब्राह्मण और सुप्रसिद्ध छान्दोग्य हैं।

श्याम यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है और शुक्ल यजुर्वेद या बाजसनेयी संहिता का एक बड़ा भारी ब्राह्मण है, जिसे सत्पथ ब्राह्मण कहते हैं।

अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है जो बहुत थोड़े समय का बना हुआ प्रतीत होता है।

आरण्यक—ऋग्वेद के कौशीतकि और ऐतरेय आरण्यक हैं। श्याम यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यक है। सत्पथ ब्राह्मण के अन्तिम अध्याय को बाजसनेयी संहिता आरण्यक कहते हैं। सामवेद और अथर्ववेद के आरण्यक नहीं हैं। सायण के अनुसार आरण्यकों का उपयोग वनों में होता था और ब्राह्मणों का उपयोग यज्ञों में होता था। आरण्यकों की महत्ता इसलिये है कि वे उन धार्मिक विचारों के विशेष सन्दर्भ हैं जो उपनिषद कहलाते हैं।

उपनिषद—ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशीतकि उपनिषद हैं। सामवेद के छान्दोग्य और केन उपनिषद हैं। शुक्ल यजुर्वेद के ईश, और बृहदारण्यक हैं। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर और अथर्ववेद के मुण्डक, प्रश्न और मान्डूक्य उपनिषद हैं। ये बारह प्राचीन उपनिषद हैं। इन्हीं की उपयोगिता पर लिखते हुए

प्रसिद्ध जर्मन लेखक दार्शनिक शापन हावर ने लिखा है कि 'प्रत्येक पद' से गहरे और नवीन विचार उत्पन्न होते हैं। सब में उत्कृष्ट, पवित्र और सच्चे भाव वर्तमान हैं। भारतीय वायुमंडल हमें चारों ओर से घेरे रहता है। संसार में किसी विषय का अध्ययन इतना लाभ-जनक और हृदय को उच्च विचारों की ओर प्रेरित करने वाला नहीं है जैसा कि उपनिषदों का। उपनिषद ही मेरे जीवन को शान्ति देते हैं और मृत्यु के समय भी वे ही मुझे शान्ति देंगे।

सूत्रग्रन्थ—इस प्रकार की शाखाओं प्रशाखाओं के होते रहने से वैदिक साहित्य अत्यधिक विशाल हो गया है। कालान्तर में इन समस्त साहित्यों का अध्ययन असम्भव जान पड़ने लगा। अब इस बात की आवश्यकता प्रतीत हो गयी कि इस विशाल साहित्य को संक्षिप्त किया जाय। फलतः सूत्रग्रन्थ रचे गये और बड़े बड़े ग्रन्थों को सूत्रों में कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि कठस्थ करने में सुविधा होने लगी। वेद, ब्राम्हण और उपनिषद् ईश्वर कृत माने जाते हैं परन्तु सूत्रग्रन्थों को पौरुषेय माना गया है। जिन सूत्रों में वैदिक बलिदानों के सम्बन्ध की रीतियाँ वर्णित हैं, उन्हें श्रौत सूत्र कहते हैं। इनमें ऋग्वेद के दो सूत्र अर्थात् आस्वलायन और सांख्यायन, सामवेद के तीन अर्थात् मासक, लात्यायन और दाह्यायन, कृष्ण यजुर्वेद के चार अर्थात् बौद्धायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब और हिरण्यकेशिन और शुक्ल यजुर्वेद के पूरे पूरे सूत्र प्राप्त हैं।

इनके अतिरिक्त धर्म सूत्र भी हैं। श्रौत सूत्रों में हम अपने को बलिदान करने हुए देखते हैं और धर्म सूत्रों में नागरिकों की भाँति रहते हुए। इन्हीं धर्मसूत्रों को आगे चल कर पद्यमय स्मृतियों में रूपान्तरित कर किया गया। मनु के सूत्र का अब पता ही नहीं चलता किन्तु डाक्टर ब्रुहलर ने ऋग्वेद के वाशिष्ठ सूत्र, सामवेद के गौतम सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद के बौद्धायन और आपस्तम्ब सूत्रों का अनुवाद प्रकाशित कराया है। गृह्यसूत्र इन दोनों से अलग हैं जिनमें घरेलू कार्यों सम्बन्धी एवम् यज्ञ का विधान बताया गया है। इन सब ग्रन्थों के नाम मात्र से पता चलता है कि समाज के प्रत्येक जनके हृदय पर उनके धार्मिक, सामाजिक एवम् स्मृति युक्त धर्म को अंकुरित करने के लिये हिन्दुओं ने जैसा उद्योग किया था उससे बढ़ कर उद्योग संसार की किसी अन्य जाति ने नहीं किया है।

प्रातिशाख्य—शिक्षा शास्त्र अर्थात् उच्चारण करने का शास्त्र। इस शास्त्र के नियम पहले आरण्यकों में और ब्राह्मण ग्रन्थों में भी पाये जाते हैं। कालान्तर इस शास्त्र पर और भी अच्छे ग्रन्थ बने, जिन्हें प्रातिशाख्य कहते हैं। अपने को प्रत्येक शाखा के सम्बन्ध में उनके उच्चारण के नियम हैं। ऋग्वेद का प्रातिशाख्य दार्शनिक ऋषि का बनाया हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य कात्यायन

बनाया हुआ कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद के भी एक-एक प्रातिशाख्य थे, परन्तु अब उनके ग्रन्थकारों का नाम नहीं मिलता। सामवेद के भी किसी प्रातिशाख्य का पता नहीं चलता।

वेदान्त—हिन्दुओं के मत ने दर्शन शास्त्र और व्याकरण में तो अपनी बहुज्ञता का परिचय दिया ही है, उन्होंने भौतिक पदार्थ और जीव, सृष्टि की उत्पत्ति और पुनर्जन्म के गूढ़ से गूढ़ विषयों का वर्णन सांख्य दर्शन में उपनिषदों की भाँति अनुमान के रूप में नहीं वरन् अविकल शास्त्रीय नियमों और तर्कशास्त्र के अकाट्य सिद्धान्तों के साथ दिया है। अन्य लोग भी सांख्य दर्शन का अनुकरण करके जीव और मन, सृष्टि एवम् सर्जक के भेदों को जानने की दिशा में प्रयत्न करने लगे। किन्तु कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो इन विचारों के प्रचार से संतुष्ट होकर इसकी विरुद्ध दिशा में प्रयास करने लगे। उनके प्रयासों का फल उस वेदान्त के रूप में प्राप्त हुआ जो उपनिषदों के मत का पुनरुल्लेख करता है और जो वर्तमान समय में हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों का मूल है। वेदान्त की शिक्षा का सार यह है “सचेतन ब्रह्म ज्ञान मय जीव ही सृष्टि का कारण है, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मान् से है, सृष्टि का फल भी ब्रह्मान् ही है, आत्मा कर्म करने वाला है, आत्मा उस परमात्मा का अंश है। (२, ३, १५) आत्मा एक सूक्ष्म शरीर से घिरा रहकर एक रूप से दूसरे रूप में जन्म लेता है, पाप करने वाले सात नकों में फल भोगते हैं, परमात्मा अगम्य है और वह बिना भेद के एक ही है” वेदान्त के अनुसार ‘इश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। वही सृष्टि के अस्तित्व, नित्यत्व और प्रलय का मूल कारण है, सृष्टि की रचना उसकी इच्छा मात्र से होती है, सब वस्तुएँ अपनी सम्पूर्णता पर उसी में मिल जाती हैं। सम्पूर्ण परमात्मा एक ही, एक मात्र अस्तित्व वाला, सम्पूर्ण, अखण्ड, अनन्त, अपरिमित अचल, सब का स्वामी, सत्य, बुद्धि, ज्ञान और सुख है।’

प्रस्तुत पुस्तक का महत्त्व एक और कारण से है। भारत में अंगरेजों ने दो सौ वर्ष तक शासन किया। इस अवधि में उन्होंने ने भी शकों, हूणों तथा मुसलमानों के समान भारतीय संस्कृति को ठेस पहुँचाने का प्रयास किया। अपने इस प्रयास में वे आंशिक रूप से सफल भी हुये तथा मैकाले जैसे अल्पज्ञानी तथा दम्भी अंगरेजों ने भारतवर्ष में एक ऐसी जाति को जन्म दिया जो खून से तो भारतीय थी परन्तु आदतों तथा विचार से अंगरेज। मैकाले के समान अंगरेजों तथा उनमें प्रभावित भारतीयों ने भारतीय संस्कृति को आधारहीन तथा अतिशयोक्तिपूर्ण माना, उसे अव्यावहारिक कहा और उसको उखाड़ फेंकने का सशक्त प्रयास किया। इस वर्ग के पाइल पैसा था, शक्ति थी तथा था दम्भ करने के लिये चमक दमक पूर्ण पश्चिमी भौतिकता का सस्ता ज्ञान। परन्तु क्या वे अपने प्रयास में सफल हुये? ... क्यों नहीं हुये इसका

प्रमुख कारण यह था कि भारतीय धर्म तथा संस्कृति का मूल भारतीयों के दिमाग में नहीं उनकी नसों में है, उनके संस्कारों में है। पश्चिमी दर्शन के समान भारतीय दर्शन एक पक्षीय नहीं है। भारतीय संस्कृति की विचारधारा तथा आचारधारा में साम्य है। हम जो सोचते हैं वही करते हैं। अथवा कम से कम वैसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण स्वरूप सिद्धान्त में यह सभी कहते हैं कि युद्ध मानवोचित व्यवहार को स्थान मिलना चाहिये, परन्तु इसे आचार रूप में अपना केवल भारत ने। भारतीयों ने इसे माना ही नहीं व्यवहार की कसौटी पर कसा है।

एक यूनानी लेखक के शब्दों में, “हिन्दू-धर्म का आचार-निर्माणकार प्रभाव इतना विशाल था कि केवल उच्च वर्ग के ही नहीं, नीची से नीची जाति के लोग भी शास्त्रोचित युद्ध की सूक्ष्म परम्पराओं का पालन करते थे। रात को युद्ध करना या छिपकर बार करना वे जानते ही न थे। हिन्दू वास्तविक वीर थे तरल तो वे शत्रु के प्रति भी बैर भाव नहीं मानते थे।”

इतने विकट प्रहारी के सम्मुख-पहाड़ सी खड़ी भारतीय संस्कृति की अजरतक अमरता का दूसरा कारण है उसकी आध्यात्मिकता। इस प्रसंग में हम कुछ विशेष न कह कर स्वामी विवेकानन्द के विचार को ही पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं :—

“यदि मनुष्य के पास संसार की प्रत्येक वस्तु है; पर आध्यात्मिकता नहीं है तो उससे क्या लाभ। + + + वे (हिन्दू लोग) जानते हैं कि इस भौतिक सृष्टि के मूल में वह सत्य तथा दिव्य आत्मतत्त्व निहित है, जिसे कोई पाप कलुषित नहीं कर सकता, कोई दुराचार भ्रष्ट नहीं कर सकता, और कोई दुर्वासना गर्व नहीं कर सकती। जिसे आग जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता जिसे गर्मी मुखा नहीं सकती और मृत्यु मार नहीं सकती। उनकी दृष्टि में मनुष्य की यह प्रकृति-आत्मा उतना ही सत्य है जितना कि एक पाश्चात्य व्यक्ति के इन्द्रिय तोड़ के लिये कोई भौतिक पदार्थ। इसी विचार धारा में वह शक्ति निहित है जिसने उनको शताब्दियों के उत्पीड़न, वैदेशिक आक्रमण तथा अत्याचारों के बीच अजेय रक्खा है। अर्ज भी हिन्दू राष्ट्र जीवित है और उसमें भयंकर से भयंकर विपत्ति के दिनों में भी आध्यात्मिक महापुरुषों का जन्म होता ही रहता है। सैकड़ों वर्षों तक लहरों पर लहरें—प्रत्येक वस्तु को तोड़ती-फोड़ती हुई देश को आप्लावित करती रही है, तैलवारें चली हैं और अल्लाहो अकबर के गगन भेदी नारे लगे हैं किन्तु वे बाढ़ें चली गई और राष्ट्रीय आदर्शों में परिवर्तन न कर सकीं। हजार वर्षों के असंख्य कष्ट और संघर्षों में यह हिन्दू जाति मर क्यों न गई ? यदि हमारे आचार

विचार इतने अधिक खराब हैं तो क्यों कर हम लोग अब तक पृथ्वीतल से मिट नहीं गये ? क्या भिन्न-भिन्न वैदेशिक विजेताओं ने हमें कुचल डालने में किसी बात की कमी रक्खी ? तब क्यों न हिन्दू बहुत से अन्य देशों की भाँति समूल नष्ट हो गये ? भारतीय राष्ट्र मर नहीं सकता । अमर हैं और उस समय तक रहेगा जब तक यह विचारधारा पृष्ठ भूमि के रूप में रहेगी, जब तक उसके लोग आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ेंगे ।”

यह आध्यात्मिकता भारतीयों को कुछ यों ही नहीं मिली थी । उसको प्राप्त करने के लिये भारतीय ऋषियों ने अपने समस्त सम्भव साधनों का उपयोग किया । यह अम किसी एक व्यक्ति का नहीं समूचे देश का था । ईसाई मत जो भी है यूसा के प्रयास से है । इस्लाम भी एक मुहम्मद साहब की शिक्षा पर आधारित है—तरन्तु हिन्दुत्व का पोषण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं हुआ है । यदि संकुचित ष्टकोण न रक्खा जाय तो विश्व का कोई भी मनीषी इससे इन्कार नहीं कर सकता कि भारत भूमि ही ऐसी है जिसमें ज्ञानसूर्य का प्रकाश सर्व प्रथम आलोकित होया, जहाँ ज्ञान, तप, त्याग तथा वैराग्य का भारतीयों ने मनसा, वचसा, कर्मणा का पालन किया, जहाँ पूर्वैतिहासिक काल से ही लोग ज्ञान, कर्म, भक्ति की त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं ।

भारत ही वह देश हैं जिसने समस्त प्रकार की ज्ञाननिधि को गागर में भर दिया है; जिसने विश्व की अट्टारह विद्या तथा चौंसठ कलाओं का प्रकाश प्रदान किया है, जिसने ईश्वर और जीव सम्बन्धी समस्त समस्याओं को सुलझाया है; जिसने अपने लोगों को हमेशा यही सिखाया है कि दुख सहना देवत्व है और दुख ना आसुरी प्रवृत्ति है, जिसने कभी भी अपनी दया को धर्म के नियन्त्रण में नहीं रक्खा है जो अच्छे कार्य में विश्वास रखता है अच्छी जाति में नहीं । इस धर्म में लोगों की पूरी लाइन है जो आकर भारतीय संस्कृति के उत्थान में अपना योग दान करते रहे हैं ।

हिन्दू राष्ट्र ने एक हजार वर्ष की अग्नि परीक्षा द्वारा अपनी योग्यता प्रमाणित की है । शक, हूण, यवन, सब आये और अपनी तलवार तोड़ गये परन्तु भारतीयता उससे अप्रभावित हो रही—भले ही उनका देश उन विदेशियों से हारान्त हुआ । इसका कारण है हमारी पूर्व चर्चित वही आध्यात्मिकता जिसने हमारा आत्मा की रक्षा करने की शिक्षा दी है शरीर की नहीं । हिन्दू लोग शरीर

को महत्व ही नहीं देते उनके लिए शरीर बदलना ही मृत्यु है—देहान्त शब्द स्पष्ट यही भासित होता है। हम तो यह विश्वास करते हैं कि जब हमारा शरीर हमारे आत्मा के अयोग्य हो जाता है—आत्मा उसे बदल देता है, जैसे हम गन्त वस्त्रों को बदल लेते हैं।

अपने आत्मा की अमरता का विश्वास ही भारतीय संस्कृति का पोषक हिन्दू जानता है कि इस दृश्यमान जगत् के मूल में, उसकी जड़ में, इसके अणु-वर्ण में एक अद्वितीय, पूर्ण, अपरिच्छिन्न-अनादि और अनन्त-नित्य अविनाशी आत्मा और वही मैं हूँ—

‘यो ऽ सावसो पुरुषः सो ऽ हमस्मि’ (यजुर्वेद ४०।१६)

उसका विश्वास है कि उसे हवा सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, काल उसकी सत्ता समाप्त नहीं कर सकता और आग उसे जला नहीं सकती। यह है कि भारतीय संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति कभी भी आपतियों से घबराता नहीं, सुख और दुःख को समान रूप से स्वीकार करता है और बिना फल की आशा कर्मों में रत रहता है।

हिन्दू संस्कृति का स्वरूप आशावादी है। आशापूर्ण आस्तिकता उसका बपीती है—शून्यवादी नास्तिकता से वह अप्रभावित है—वह ‘अस्ति-अस्ति’ [है, है] में विश्वास रखता है। कुछ ऐसी हवा सी चल पड़ी है कि लोग भारतीय संस्कृति को काल्पनिक प्रभावों से पूर्ण मानने लगे हैं। अधिकांश अपनी संस्कृति से अनादी भारतीय तथा भारतीयों को समझ पाने में असमर्थ विदेशी यह कहते नहीं कि भारतीय दार्शनिक स्वप्नद्रष्टा थे। मैं यदि उनको ऐसे भारतीय दार्शनिकों की उदाहरण देने लगूँ तो शायद एक पृथक ग्रन्थ की रचना करनी पड़ जाय जितना सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया है कि ‘एक आत्मा ही है और सब जगत् मिथ्या है’ [ब्रह्म सत्यम् जगत् मिथ्या] उन्होंने समृद्ध रहने को ठुकराया है, अपने पास सामान्य व्यक्तियों के अनुरूप वस्त्र भोजन भी नहीं रखता, पत्तियाँ चबा कर अपनी ज्ञान पिपासा की पूर्ति की और अपने प्रयासों से अधिकांश भारतीयों को वह उच्च मानसिक स्तर प्रदान किया कि वे ‘आत्मदर्शन’ से कम किसी वस्तु से सन्तुष्ट ही नहीं होते। अपने उच्च आदर्शों एवम् ज्ञान उन्होंने भारतीयों को वह गुण प्रदान किये हैं जिनसे युक्त एक साधारण, हिन्दू भी किसी पूर्ण प्रशिक्षित विदेशी को अपने सामने नतमस्तक करने में असमर्थ है।

भारतीय संस्कृति एक और मामले में अन्य संस्कृतियों की तुलना में विशिष्ट है। इस संस्कृति में धर्म और जीवन का पारस्परिक सम्बन्ध इतना अधिक है कि दोनों को अलग करना प्रायः असम्भव है। भारत में अनेक विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ परन्तु इस सत्य को पहचानने वाले सर्व प्रथम अंग्रेज लोग ही थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की जड़ को देखा और समझा तथा मुसलमानों के समान तलवार का सहारा न लेकर कूटनीति का सहारा लिया। वे हिन्दू संस्कृति से सशंक क्योंकि यह पहले ही अनेकों संस्कृतियों को आत्मसात कर चुकी थी। वे यह मानते थे कि युद्ध में पराजित हिन्दू सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अब भी अपने को अंग्रेजों से उत्कृष्ट मानते हैं। अतः उन्होंने अपने चालाक दिमाग से एक ऐसा प्रणाली जाल रचा, जिससे स्वयं हिन्दू संस्कृति के अन्दर से ही उसका विरोध होने लगा। उसने देश भर में अंग्रेजी शिक्षा का जाल बिछाया। इस जाल में आने वालों को बड़े-बड़े प्रलोभन दिये गये। इस प्रलोभन से लोगों का प्रवाह इस ओर आ और हिन्दू संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले अज्ञानी हिन्दू प्रशिक्षित किये जाने लगे। उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया जाने लगा कि उनको संस्कृति पश्चात्त्य संस्कृति से हीन है। परिणामतः दास को अपनी दासता में ही परमानन्द अनुभव होने लगा, और विजेता की विजय हो गई। उनकी शिक्षा का सर यह हुआ कि अंग्रेजी प्रणाली से पढ़ने वाले संस्कृति के विद्वानों ने भी भारतीय ति-नीति के अनुरूप संस्कृति साहित्य का निर्माण नहीं किया। उनके साहित्य में भी पश्चात्त्य प्रभाव है। पश्चात्त्य विद्वानों तथा उनके पालित भारतीय विद्वानों ने वेद तथा उपनिषद् पर ऐसे उलझे मतों का निरूपण किया कि भारतीय नवयुवकों में मस्तिष्क फिर गये। उनके मन में धर्म-ग्रन्थों के प्रति सम्मान की होनता प्रकट होने लगी। स्कूलों में सिखाया गया कि 'भारत में आर्य भी विदेशी हैं—इसलिये उनको यह अभिमान न हो सके कि यह सुजला, सुफला, शस्य श्यामला भारत में उनकी जन्मस्थली है। नवशिक्षितों को प्रमाद-सा हो गया कि भारत भूमि पर सब विदेशी हैं। इसी भांति उनको विश्वास दिलाया गया कि भारतीयों का कोई इतिहास नहीं है; धर्म लड़ाई की जड़ है, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। अतः होने का तात्पर्य यह कि उन्होंने हिन्दू संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रत्येक उपाय किया परन्तु उसकी आधारशिला आज भी पहाड़-सी अड़ी हुई है। इसी प्रसंग में स्वामी विवेकानन्द का यह कथन स्थिति को स्पष्ट कर देता है—

“वर्तमान (उन्नीसवीं) शताब्दी के प्रारम्भ में, जब कि पश्चात्त्य प्रभाव भारत में आने लग पड़ा था, जबकि पश्चात्त्य विजेता हाथ में तलवार ले ऋषियों सन्तानों को यह दिखलाने आये थे कि वे असभ्य हैं, थोड़े स्वप्न देखने वाले

लोगों की एक जाति है, उनका धर्म कोरी दन्त कथा है; आत्मा, परमात्मा प्रत्येक वस्तु जिसके लिए वे प्रयास करते आये हैं, निरे-निरर्थक शब्द हैं, साधना अनन्त त्याग के हजारों वर्ष व्यर्थ रहे हैं, तब विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले नवयुवकों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या इस समय तक का राष्ट्रीय जीवन असफल रहा है; क्या उनको पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार पुनः श्री गणेश करना होगा अपनी प्राचीन पुस्तकों को फाड़ डालना होगा, दर्शन शास्त्रों को जला डालना होगा धर्मोपदेशकों को भगा देना पड़ेगा और मन्दिरों को तोड़ डालना होगा ?' काश्मीर पाश्चात्य जिन्होंने तलवारों एवं बन्दूकों द्वारा अपने धर्म का प्रदर्शन ही नहीं किया था वरन् यह भी कहा था—'तमाम पुरानी बातें निरी रुढ़िवाद और मूर्ति पूजा हैं।' पाश्चात्य शिक्षण पद्धति द्वारा शिक्षा प्राप्त बालकों में ये विचार बचपन से सामने लगे। फिर सन्देहों के उत्पन्न होने में आश्चर्य ही क्या था ? फलतः रुढ़िवाद को सत्य की कसौटी पर, कसने के स्थान पर सत्य की कसौटी ही यह हो गई। [इस विषय में] 'पश्चिम क्या कहता है।' ब्रह्मण विदा हों, वेद जला दिये जायें क्योंकि पश्चिम ने वही कहा है।"

जब किर्पलिंग ने यह कहा था कि 'पूर्व-पूर्व ही है और पश्चिम, पश्चिम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता' तो उसके सत्य को वह जानता था। दोनों ही मान्यताओं में, विचारों में, सत्तों में जमीन आसमान का अन्तर है। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार सर्वोच्च व्यक्ति वह है जिसके पास अधिक से अधिक भौतिक सम्पत्ति है भारतीय दर्शन सर्वोच्च उसे मानता है जिसने नित्य सत्त्व की उपलब्धि के लिये अनित्य वस्तुओं का मनसा त्याग कर दिया हो। जहाँ पाश्चात्य धारा की समाप्ति होती है, वहाँ से हमारी धारा शुरू होती है। पाश्चात्य-जन हिन्दुओं को कल्याणशील मानते हैं क्योंकि वह हिमाग से परे की बातों को सोचता तथा करता है। भारतीय मत के अनुसार वे बालक हैं जो अपनी नासमझों के कारण नित्य आस को त्याग अनित्य भोगों की ओर प्रवृत्त हैं।

संक्षेप में हिन्दू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर सिद्ध है। इसी लिये सब सङ्कटों को पार कर वह सदा अविचल रहती आयी है और तक हमारी यह आधारशिला कायम रहेगी, उसकी अमरताओं को आँच आ सकती।

कोई भी संस्कृति अमर क्यों होती है ? वह काल द्वारा प्रसिद्ध होने से कैसे जाती है ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिये कि

हिन्दू संस्कृति की अमरता का कारण समझे—क्योंकि यही एक ऐसी संस्कृति है जिसे समय ने प्रभावित नहीं किया है या बहुत ही कम किया है। अमरता और स्वाधीनता तराजू के दो पहलू हैं। यही संस्कृति अमर है जो अपने जनों को विशुद्ध स्वाधीनता प्रदान करती है, और भारतीय संस्कृति इस गुण से युक्त है।

हिन्दू संस्कृति ने किस प्रकार हिन्दुओं को स्वाधीनता का पाठ दिया इसे समझने के लिये सर्व प्रथम हमें जान लेना चाहिये कि स्वाधीनता क्या है। बिना यह कहिये कि आखिर यह स्वाधीनता है क्या, हम लोग इस विषय पर वार्तालाप आरम्भ नहीं करते हैं यह उचित नहीं है। मैजिनी ने कहा था 'स्वाधीनता शब्द के वास्तविक अर्थ का विचार न करके स्वाधीनता की रट लगाना, पीड़ित-श्रूत-दास की मनोवृत्ति सिवा कुछ नहीं है।'।

परन्तु जब हम स्वाधीनता का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तो परेशान हो जाना पड़ता है। वास्तव में जैसा कि एडमण्ड बर्क भेहोदय ने कहा था कि स्वाधीनता शब्द एक भावात्मक शब्द है। दूसरे भावों के समान यह भी प्रत्यक्ष नहीं है। स्वाधीनता का ज्ञान बहुत कुछ अनुभव सिद्ध विषयों के साथ जुड़ा होता है तथा प्रत्येक जाति अपने कतिपय प्रिय वस्तुओं की धारणा को लेकर स्वाधीनता के रूप में गठित करती है, जिसकी पूर्णता के ऊपर सुख के मानदंड की रूपना की जाती है।"

वास्तव में स्वाधीनता का कोई सर्वमान्य स्वरूप नहीं है। यह देश तथा माल के अनुसार स्थिर होता है। अंग्रेज अपने ऊपर कर लगाने के अधिकार को ही स्वाधीनता मानते हैं। परन्तु स्वाधीनता के बारे में हिन्दू दृष्टिकोण इससे विपरीत है। हिन्दू स्वाधीनता तथा अपनी संस्कृति की रक्षा को समानार्थी मानते हैं। प्राचीन शब्दों में स्वाधीनता शब्द को राष्ट्र, संस्कृति, पार्थिव वस्तुओं, मनोराज्य की स्तुयें, भोग्य तथा भोक्ता एक साथ मिलकर प्रभावित करते हैं। हम राष्ट्र की रक्षा में संस्कृति को बड़ा मानते हैं जो राष्ट्र का ही दूसरा रूप है। हम पार्थिव राज्य से मनोराज्य को तथा भोग्य से भोक्ता को श्रेष्ठ मानते हैं। आधुनिक पाश्चात्य प्रभावित विचारधारा राष्ट्र को संस्कृति से श्रेष्ठ मानती है, परन्तु यदि तर्क द्वारा उसके मत की जाँच की जाय तो उनकी भूल स्पष्ट हो जायगी। हिन्दू संस्कृति की इसी दूरदर्शिता के कारण देश के पराधीन होने पर भी हम अन्दर से स्वाधीन रहें। हमारी आन्तरिक स्वाधीनता इतनी शक्तिमयी थी कि सन् १८५८ में रानी काक्टोरिया को अपने घोषणा पत्र में कहना पड़ा कि ब्रिटिश सरकार हिन्दू संस्कृति

को किसी भी प्रकार क्षति नहीं पहुंचायेगी। हमारी इसी अजेय आन्तरिक स्वाधीनता की भावना ने हमारी बाह्य स्वाधीनता को प्राप्त करने के मार्ग को पुनः प्रस्फुरित किया। यदि हमने अपनी संस्कृति को जीवित न बनाये रखा होता तो हमारी स्वाधीनता कभी न आ पाती।

आज का इस्लाम जगत संस्कृति के इस प्रभाव को समझ चुका है। इसीलिए उसने 'पाकिस्तान' को धार्मिक आधार प्रदान किया है। आश्चर्य तो है कि इस्लाम और इसाई धर्मों के पास संसार को देने योग्य सामग्री का अभाव है परन्तु फिर भी वे सारे विश्व में अपनी श्रेष्ठता का नगाड़ा पीटते रहते हैं और समस्त विश्व को अपनी ज्ञान किरण से प्रकाशित करने वाली हिन्दू संस्कृति के स्वयं अपने समर्थकों को आन्ति का निवारण भी नहीं कर पा रही हैं। आज हिन्दू स्वाधीनता के नाम पर पराधीनता की ओर बढ़ रहा है। हमारी संस्कृति का आधार था हमारा वर्णाश्रम-धर्म। आश्रम धर्म में वैयक्तिक स्वतन्त्रता, वर्ण में सामाजिक स्वतन्त्रता तथा वर्णाश्रम धर्म में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का मूल है। आश्रम धर्म हमारी अपनी विशिष्टता है। इसकी उपयोगिता सिर्फ हिन्दू संस्कृति ने समझी। स्वाधीनता के इस स्वरूप का चिन्तन और इसका व्यावहारिक प्रयोग सिर्फ हिन्दुओं ने किया है। जो मायामोह के अधीन है, शुभाशुभ कर्मों के अधीन है, काम क्रोधादि सरीखे सबल शत्रुओं के अधीन है, विलास-वासना के अधीन है, वे स्वाधीन कैसे हो सकते हैं। वास्तविक आश्रम धर्म के पालन के लिये व्यक्ति वेशभूषा की आवश्यकता, भोजन की वाध्यता नहीं—इसकी अपेक्षा स्वाधीनता श्रेष्ठ आदर्श और क्या हो सकता है। जो सब प्रकार बन्धनों से मुक्त है—स्वतन्त्र है। ब्रह्मचर्य धर्म हमारी शरीरिक और मानसिक पुष्टता की पूर्ति करता है। गृहस्थाश्रम हमको कर्तव्य और परम्परा की रक्षा करने का उपदेश देता है। व्यक्ति से समाज बनता है। अतः ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थाश्रम की श्रेणी से होकर आने वाले स्वस्थ और सबल मनुष्यों से निर्मित समाज स्वस्थ और शक्तिशाली होता है और यह सर्वमान्य नियम है कि शक्तिशाली ही स्वाधीन हो सकता है।

हिन्दू संस्कृति कभी भी स्वेच्छाचरिता को स्वाधीनता नहीं मानती। आश्रम के नियम हैं। सर्व बन्धन मुक्त सन्यासी भी स्वेच्छाचारी नहीं होता। गृहस्थों के समान वे नियमों के अधीन नहीं होते—वरन नियम ही उनके आचरण पर आधारित होते हैं।

हिन्दू होने के नाते हमें अपनी इस प्रति प्राचीन संस्कृति पर गर्व

[२३]

चाहिये और इस बात का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिये कि यह इसी भाँति प्रयत्न अजर अमर रहे ।

अन्त में, कृतज्ञ हैं हम मैक्समूलर महोदय के, जिन्होंने हमें (कुछ अंशों ही सही) स्वयं हमारी वस्तु को देखने योग्य दृष्टि प्रदान की । यह हमारा ही हार्ग्य है कि हम स्वयं अपनी ही वस्तु को दूसरों की आँखों से देख रहे हैं ।

इस अनुवाद को मूल विषय के अनुकूल ही करने का भरसक प्रयत्न किया फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिये सहृदय पाठकों के समस्त क्षमा यों हूँ । यदि हिन्दी संसार ने इसे अपनाया तो मेरा श्रम साधक है ।

इलाहाबाद

२१-५-६४

कमलाकर तिवारी

विषय-सूची

विषय

मैक्समूलर का जीवन चरित्र	—	—
समर्पण	—	—
अनुवादक की भूमिका	—	—
प्रथम भाषण — हम भारत से क्या सीखें ?	—	—
द्वितीय भाषण — हिन्दुओं का जीवन चरित्र	—	—
तृतीय भाषण — संस्कृत साहित्य का मानव पक्ष	—	—
चतुर्थ भाषण — क्या वैदिक संस्कृति निषेधात्मक थी ?	—	—
पाँचवाँ भाषण — वैदिक धर्म	—	—
छठा भाषण — वैदिक देवता	—	—
सातवाँ भाषण — वेद और वेदान्त	—	—
टिप्पणियाँ	—	—

हम भारत से क्या सीखें ?

प्रथम भाषण

जिस समय मुझे कैम्ब्रिज के बोर्ड आफ हिस्टारिकल-स्टडीज की ओर से रतीय नागरिक प्रशासन (इण्डियन सिविल सर्विस) के छात्रों के समक्ष उनके लिए योगी विषय पर भाषण देने का निमंत्रण मिला तो मुझे यह समझ कर कुछ हिच-चाहट अवश्य हुई कि थोड़े से भाषणों में मैं उन छात्रों को ऐसा कुछ बता भी दूँगा या नहीं, जो उन्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। अकल के विश्वविद्यालयों का यदि एक मात्र नहीं तो प्रमुखतम लक्ष्य यही हो गया कि वे अपने छात्रों को परीक्षा पास करने में समर्थ बना दें और मेरी राय में परीक्षा करने का और अच्छी तरह पास करने का महत्व जितना भारतीय प्रशासन के छात्रों के लिए है, उतना शायद किसी भी अन्य छात्र को नहीं।

यद्यपि मैं यह सोचकर थोड़ा संकुचित अवश्य हो रहा था कि थोड़े से भाषणों में जो कुछ कह पाऊँगा, क्या वह किसी भी प्रकार उन छात्रों के लिए भी उपयोगी होगा जो लन्दन की इन परीक्षाओं को पास करने की तैयारी पहले से ही नहीं पाये हैं, फिर भी मैं इस तथ्य की ओर से भी आँखें नहीं मूँद ले सकता था कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि वे परीक्षाओं के लिये मात्र ज्ञान का काम देते रहें, बल्कि उनका उद्देश्य यह भी है कि कुछ ऐसी भी बातें हैं, उनकी शिक्षा इन विश्वविद्यालयों में दी जा सकती है, दी जानी चाहिये, बल्कि इससे आगे बढ़ कर मैं कहूँगा कि मुझे विश्वास है कि इन्हीं बातों को पढ़ाने के ही विश्वविद्यालयों को स्थापना की जानी चाहिए। इनके स्नातकों को केवल एक प्रकार का न होना चाहिए कि वे बाजार में अच्छे मूल्य पर बिकें बल्कि उन्हें भी होना चाहिये कि छात्र जीवन में प्राप्त ज्ञान उनके छात्रोत्तर जीवन के लिए उपयोगी हो सके और यही उपयोगिता ही हमारे दैनन्दिन कार्यों में बस उत्पन्न करती इसी से अपने को सौंपे गये कार्यों के प्रति हम में प्रेमभावना का संचार होता है; इससे आगे बढ़कर आनन्द एवम् आह्लाद की सृष्टि करता है। यदि किसी

विश्वविद्यालय ने, अपने स्नातकों को वह ज्ञान उपयोगी ढङ्ग से दिया है, यदि अपने छात्रों के मन में इस प्रकार के ज्ञान की तनिक भी प्रेरणा दे दी है, यदि विश्वविद्यालय के छात्रों में यह योग्यता आ गयी है कि वे अपने शेष जीवन में कौन-कौन-सी बातों पर यदि विजय न भी प्राप्त कर सकें तो कम से कम हँसते हुये साहसपूर्वक उनका सामना तो कर सकें और इस प्रकार जीवन की अनेक उलझनों को सुलझाने के लिये प्रयत्नशील हो सकें तो मेरा विश्वास है कि उस विश्वविद्यालय ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। उसने अपने छात्रों को ऐसा ज्ञान दे दिया है जो उन्हें सफल जीवन में निरन्तर सुख, शान्ति एवम् शौर्य प्रदान करके उन्हें समाज एवम् संसार के प्रथम वर्गीय महापुरुषों में स्थान दिला देने में समर्थ है, भले ही वे वर्तमान काल के विश्वविद्यालयों की प्रचलित परीक्षा-व्यवस्था में सफलता न प्राप्त कर सकें।

यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि जिस कार्य-पद्धति के सहारे हमारे छात्र परीक्षा में पास होते हैं, एक के बाद दूसरी परीक्षा को कूदते-फाँदते चले जाते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की रटन्त पद्धति से वे नाना प्रकार की बातों को अपने मस्तिष्क में ठूसवाते हैं और जिस ढङ्ग का ज्ञानार्जन आज हमारे समाज में पूर्ण मान्यता प्राप्त कर चुका है, वह सब एक साथ मिलकर हमारे मन में कर्म के प्रति प्रेम तथा रुचि नहीं बल्कि उदासीनता एवम् घृणा की ही सृष्टि करते हैं। उनका उद्देश्य अवश्य ही कुछ होता था, परन्तु उनका परिणाम सम्भावना के एकदम विपरीत होने लगा है। इन छात्रों के मन में कर्म की भूख के स्थान पर कर्म के प्रति उदासीनता तथा मानसिक आलस्य उत्पन्न होने लगी है। ये लक्षण अवश्य ही शुभ नहीं हैं।

उपरोक्त ढङ्ग का आशा के विरुद्ध प्रभाव का परिणाम किसी अन्य के लिए उतना भयावह नहीं है, जितना भारतीय नागरिक प्रशासन के छात्रों के लिए है। भारतीय-नागरिक प्रशासन परीक्षा के योग्य सिद्ध करने वाली परीक्षा के पास होने के पश्चात् अर्थात् यह प्रमाणित कर चुकने के पश्चात् कि हमारे पब्लिक विद्यालयों में जो विषय इतिहास, गणित तथा विज्ञान इत्यादि पढ़ाये जाते हैं तथा वहाँ विभिन्न प्रकार के उदारता पूर्ण वातावरण में शिक्षा दी जाती है, उन सब का पूरा लाभ उठा चुके हैं तथा तत्सम्बन्धी समूची सामान्य सूचनायें वे प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके जीवन में वे विशेष व्यावसायिक अध्ययन की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सब अपने प्राचीन मित्रों, विषयों एवम् परिचित ज्ञान क्षेत्रों से अलग हो जाना पड़ता है जो उनके लिए न केवल विदेशी एवम् विचित्र ही होते हैं, वरन् वे अरुचिकर भी बन सकते हैं। विचित्र वर्णमालायें सीखनी पड़ती हैं, विचित्र भाषाओं का ज्ञान प्रदर्शना होता है, नये-नये तथा नये-नये ढंग के नाम सामने आते हैं, अपरिचित कानि

हम भारत से क्या सीखें ?

२७

सामना करना पड़ता है, सर्वथा नवीन साहित्यों का अध्ययन करनी पड़ता है और से अरुचिकर बात यह होता है कि यह सब उन्हें स्वयम् का रुचि के कारण नहीं, बाध्यता के कारण पढ़ना पड़ता है। चूँकि भारत में जान पर उन्हें इन विषयों को आवश्यकता पड़ती है अतः उनके लिए इन विषयों का पढ़ना उनका आवश्यकता पर निर्भर है, न कि उनका रुचि पर। उनके लिये पूरे दो वर्षों का कोर्स चत कर दिया जाता है, पुस्तकों का चयन हो जाता है, विषय निर्धारित कर दिये हैं, सिलसिलेवार परीक्षाएँ ली जाती हैं और यदि कोई विद्यार्थी किसी भी सावश कोर्स के बाहर जाकर कुछ पढ़ना भी चाहे तो उस अपने सुनिश्चित पथ पर बाँये जाने को कौन कहे देखने का भी अवसर नहीं मिलता। यदि उसने अपनी ओर कम ध्यान देकर किसी अन्य बात पर मन लगाया तो उसके असफल होने का भय उसे हर दम संश्रस्त किये रहता है।

मैं जानता हूँ कि परीक्षाओं के इस जाल से बाहर निकलने का कोई भी नहीं है। सामान्य परीक्षा व्यवस्था के विरुद्ध भी कुछ बहने की मेरी इच्छा नहीं है तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि इन परीक्षाओं का संचालन बुद्धिमत्ता पूर्वक जाय। मैं स्वयम् भी कभी परीक्षक रह चुका हूँ और उस अवधि में प्राप्त अनुभव पर मैं विश्वास पूर्वक कहने को तैयार हूँ कि परीक्षार्थियों का ज्ञानाधिक्य होता है, परन्तु परीक्षा की कापियों में जो तारोखों का सिलसिला, राजकीय एवम् नामों की विस्तृत सूचियाँ, विभिन्न युद्धों के कारण तथा परिणाम, कितने व्या-कलाप, परिगणनों के कितने ही आंकड़े तथा और भी कितनी ही बातें लिखी आश्रयण रख देते हैं, उनमें उनका हृदय कहाँ रहता है। केवल परीक्षा के दृष्टि-से पढ़ी हुई बातें उनमें लिखी होती हैं, उनमें न तो स्वतंत्र चिन्तन होता है और न ही अध्ययन। अधिकांश उत्तर पुस्तिकाओं के देखने से पता चलता है कि इन में जो कुछ है पुस्तकों का ही है तथा छात्रों का अपना कुछ भी नहीं है। इन परीक्षाओं के परिणाम भी कम उत्साहवर्द्धक नहीं होते। प्रति वर्ष एक बड़ी संख्या आश्रयण इन परीक्षाओं को पास कर नाना प्रकार के कार्यों में लगते रहते हैं, फिर भी वे ज्ञान की दृष्टि से इन छात्रों द्वारा किये गये उत्तरों में कुछ भी नहीं होता। उत्तरों में जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनसे उनको अज्ञानता का ही परिचय मिलता है उनकी प्रतिभा का। आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति-भा की श्रुतियाँ भी प्रतिभापूर्ण होती हैं। यह सारा कार्य बाध्यता के कारण प्रेरणा प्रतीत होता है या यों भी कह सकते हैं। कि वे शुद्ध उद्देश्य पूर्ति के रूप में किये होते हैं न कि अध्ययन के प्रति उनकी रुचि के रूप में। अपने कार्यों के प्रति

प्रेम का दर्शन तो शायद ही किसी छात्र की उत्तर-पुस्तिका में होता हो। अध्ययन प्रति हार्दिक भावना का भी उनमें स्पष्ट अभाव रहता है।

प्रश्न होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि ग्रीक एवम् लैटिन भाषाओं एवम् साहित्यों का अध्ययन, काव्य, उनके जीवन दर्शन; कानून तथा उनकी कला सभी कुछ हमें सहघर्मों से होते हैं, वे हमें अपने से ज्ञात होते हैं, वे हममें एक प्रकार के उत्साह की सृष्टि हैं, हम उनको आदरणीय भी मानते हैं, परन्तु जब हम संस्कृत साहित्य के आ की बात करते हैं या भारत के काव्य, जीवन दर्शन, कानून तथा कला के अध्ययन प्रेरणा देते हैं तो हमारी बात लोगों को कुछ विचित्र सी जान पड़ती है, अर्थात् लोग भारत विषयक अध्ययन को कुतूहल जनक समझते हैं, या बेकार समझते हैं अर्थहीन समझने वाले लोगों की भी कमी नहीं है।

कितनी विचित्र बात है कि उपरोक्त प्रकार की भावना का दर्शन इंग्लैण्ड में होता है, उतना अन्य किसी भी देश में नहीं। मजे की बात यह है कि भारत के साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध इंग्लैंड का है, उतना किसी भी अन्य देश में नहीं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यहाँ तक कि डेन्मार्क, स्वीडन तथा रूस में भी तो मन में भारत नाम के ही प्रति एक अजीब प्रकार का मोह है; एक अभूतपूर्व आ है। जर्मन भाषा की सर्वाधिक सुन्दर कविताओं में 'ब्राह्मेनन' का भी स्थान है। स्कर्ट नामक प्रख्यात कवि ने भारत के ब्राह्मणों की विद्वत्ता पर लिखी है। मे में स्कर्ट की इस कविता में विचार-गम्भीरता, सौष्ठव तथा अर्थगौरव जितनी को पहुँच सका है, गोथे के 'वेस्ट आयस्लिशर डिवान' में भी उस पूर्णता के दर्शन होते। जर्मनी में जो विद्वान् व्यक्ति संस्कृत साहित्य का अध्ययन करता है वह प्र की ज्ञानगरिमा एवम् उनके रहस्य ज्ञान का अधिकारी समझा जाता है। लोग सामने श्रद्धा से सर झुकाते हैं तथा विद्वानों की श्रेणी में उसका विशेष आदर जाता है। लोग समझते हैं कि उसने अनेक अज्ञात रहस्यों का भेदन कर लिया जिस व्यक्ति ने भारत भ्रमण कर लिया है या केवल बम्बई, मद्रास और को देख लिया है, उसकी बातों को लोग इस प्रकार रुचि लेकर सुनते हैं, माक्रोपोलो का भ्रमण वृत्तान्त सुन रहे हों। इसके विपरीत इंग्लैण्ड में सं अध्ययन करने वालों को लोग बकवादो समझते हैं, यदि कोई भारतीय प्रशासन का कर्मचारी एलिफैंटा की गुफाओं की शोभा का वर्णन करे या भव्य मन्दिरों की चर्चा करे, तो उसे तिरस्कृत होने का भय बना रहता है।

यह सत्य है कि प्राच्य विषयों के जानकार कुछ थोड़े से विद्वान् हमें में हैं और उन्होंने इंग्लैण्ड में थोड़ा यश भी अर्जित कर लिया है, परन्तु हमें

हम भारत से क्या सीखें ?

२६

जाना चाहिये कि उनका यह यश स्वयम् उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण है न कि प्राच्य विद्याओं के जानकार होने के रूप में। मुझे विश्वास है कि मैं इस प्रकार की असाधारण प्रतिभा थी कि वे यदि किसी दूसरे क्षेत्र में गये होते तो उनका यश कई गुना अधिक होता। भारतीय साहित्य के अध्ययन ने उन्हें जितना दिया उससे उनकी प्रतिभा की तुलना नहीं करना चाहिये। आपको एक बात भी बता दूँ कि भारतीय विद्याओं को सीखने से, भारतीय साहित्य के अनुशीलन व्यक्ति के मन में जो तद्विषयक प्रशंसा एवम् आत्मबोध की भावना का उदय होता है, वह उसे यश-कामना से परे कर देता है। उसके चित्त से यश की कामना मिट जाती है, और उसके अध्ययन का एक मात्र लक्ष्य रह जाता है ज्ञान की प्राप्ति एवम् ज्ञान की साधना। आप सब समझ गये होंगे कि मैं सर विलियम जोन्स की बात कह रहा हूँ जिनको डा० जान्सन ने “मानवपुत्रों में सर्वाधिक विस्तृत दृष्टि-योग वाला मानव” कहा है। थामस कोलब्रुक भी इसी प्रकार के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन काल का एक विशिष्ट भाग केवल प्राच्य विद्याओं के अध्ययन लगा दिया। इनके अतिरिक्त बैलेन्टाइन, बुचनन, कैरो क्राफर्ड, डेविस, इलिफ्ट, जेम्स, हांटन, लोडेन, मेकेन्जी, मार्सडेन, मूर, प्रिसेप, रनेल, टर्नर, यूफेम, वालश, जॉन, विल्किंस, विल्सन इत्यादि विद्वानों ने भी इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रशंसनीय कार्य किया है, परन्तु प्राच्य विद्यानुरागी जनों के अतिरिक्त वे किसी भी अन्य मंडली में प्रयत्न नहीं हो सके, और आजकल के जो पुस्तकालय पाश्चात्य विद्याओं एवम् ज्ञान के भंडार समझे जाते हैं, उनमें उपरोक्त लेखकों की शायद ही कोई कृति पाई पड़े। यह इंग्लैंड का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है ?

न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने आजकल के नवयुवकों को पढ़ा कर भारतीय नागरिक प्रशासन के छात्रों को सर्वप्रथम एवम् सर्व प्रमुख रूपा से संस्कृत पढ़ने का आग्रह किया है तो मुझसे कहा गया है कि ‘हमारे संस्कृत पढ़ने से को क्या लाभ हो सकता है ? हमारे स्वयम् के साहित्य में शकुन्तला एवम् मनु-संस्कृत के अनुवाद प्राप्य है। हितोपदेश का अनुवाद भी हम पा लेते हैं। तब इसके अतिरिक्त संस्कृत में है ही क्या, जिसे जानने के लिये हम संस्कृत पढ़ने का कष्ट करें ? कालिदास के काव्य उत्तम हो सकते हैं, मनु के विधान कुतूहलजनक होते हैं और हितोपदेश की कहानियाँ भी सुन्दर तथा उपदेश पूर्ण हो सकती हैं, परन्तु तब भी आप संस्कृत साहित्य की तुलना ग्रीक साहित्य से नहीं कर सकते। यह नहीं कह सकते कि हम व्यर्थ में संस्कृत पढ़ कर ऐसे संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करके उनका सम्पादन करें, जो हमें किसी भी प्रकार

मे ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते, जिसे हम पहले से ही न जानते हों। यदि वे कुछ सक्ते हैं तो वह ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने की हमें तनिक भी न तो इच्छा है न परवाह।

इस प्रकार के विश्वास से मुझे अतीव दुःख होता है और मेरे व्याख्यात मुख्य उद्देश्य यही होगा कि आप लोगों के मन में जमे हुये उपरोक्त प्रकार के विचारों को मैं दूर कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि संस्कृत साहित्य के विषय में जो एक प्रकार का भ्रान्ति सभी लोगों में घर किये हुए है उसे हटा दूँ और यदि मैं उस भ्रान्ति को अनावृत करने में असमर्थ हो जाऊँ तो भी कम से कम उस भावना में कुछ तो कर ही दूँ। मैं यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करूँगा कि संस्कृत साहित्य ही अच्छा है; जितना ग्रीक साहित्य। हमें यह पता नहीं चलता कि किसी भी या साहित्य के गुण निर्धारण में हम हमेशा तुलना ही क्यों करते हैं। ग्रीक साहित्य के अध्ययन का अपना उद्देश्य है और संस्कृत साहित्य के अध्ययन का अपना उद्देश्य है; परन्तु जिसका मुझे विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे विश्वास सहभागी बनें, वह यह है कि यदि समुचित भावना के साथ संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया जाय तो हमें पता चलेगा कि वह सब प्रकार की रस-सामग्रियों से है, उसमें मानव की परिमार्जित रुचियों की सर्व सुन्दर अभिव्यंजना है तथा हमें ऐसी शिक्षाएँ मिल सकती हैं, जो ग्रीक साहित्य में खोजे से भी नहीं मिल सकती। यह एक ऐसा साहित्य है जो हमें हमारे अवकाश के क्षणों का पूर्ण मूल्य देता है। विशेषकर भारतीय नागरिक प्रशासन के छात्रों के लिए तो वह आवश्यकता का पूर्ण भंडार ही है। यदि इस साहित्य का समुचित अध्ययन आप लोग करेंगे तो आप उन पचास वर्षों में अनेकों को भी भारत में एक विदेशी रूप में नहीं देखेंगे जिसमें आपको भारत में एक विशिष्ट अधिकारी के रूप में रहना है। आप का भारत जाते ही और जितने दिनों भारत में रहते हैं उतने दिनों आपको ऐसा दिखता रहता है जैसे आप विदेशियों के बीच में एक विदेशी हैं। यदि आप संस्कृत साहित्य का अध्ययन करके भारत में जाएँ तो आपको विदेशीपन की भावना के ही सतावेगी उस दशा में आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वदेश में ही स्वदेशी ही बीच रह रहें हों, न कि विदेश में विदेशियों के बीच। ऐसे व्यक्ति के लिए हमें ऐसे कार्यों की कमी न होगी जो लाभदायक तो होंगे ही, मनोरंजक एवम् अनुकूल भी प्रमाणित होंगे, हाँ केवल कार्य करने का इच्छा और लगन आवश्यक है। मैं आप सबका विश्वास दिलाता हूँ कि भारत जैसा कमक्षेत्र न तो यूनान ही है न इटली ही, न तो मिथ के पिरामिड ही इतने ज्ञानदायक हैं और न वेबिग राजप्रासाद ही।

हम भारत से क्या सीखें ?

३३

अब शायद आप लोग समझ गये होंगे कि मैंने इन भाषणों का शीर्षक "हम भारत से क्या सीखें" क्यों रखा है। यह सत्य है कि हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा जिसे भारत को हम से सीखना पड़ेगा और आज भी पड़ रहा है; परन्तु यह भी है कि बहुत सी बातें ऐसी भी हैं और वे बातें महत्वपूर्ण हैं, जिनमें भारत हमारा हो सकता है। यदि हम सच्चे सत्यान्वेषी हैं, यदि हम में ज्ञान प्राप्ति की भावना और यदि हम ज्ञान का सच्चा मूल्यांकन करना जानते हैं, तो हमें इस तथ्य को नज़र ही पड़ेगा कि सहस्राब्दियों से पीड़ित प्रताड़ित एवम् जंजीरों में जकड़े हुए भारत में भी हमारा गुरु बनने की पूर्ण क्षमता है। आवश्यकता है केवल सच्चे हृदय उस क्षमता को पहचानने की।

यदि हमें इस समस्त जगती-तल में किसी ऐसे देश को खोज करनी हो; जहाँ सति ने धन, शक्ति और सौन्दर्य का दान मुक्तहस्ता होकर किया हो या दूसरे देशों में जिसे प्रकृति ने बनाया ही इसलिये हो कि उसे देख कर स्वर्ग की कल्पना स्कार की जा सके, तो मैं बिना किसी के संशय या हिचकिचाहट के भारत का नाम दूँगा। यदि मुझसे पूछा जाय कि किस देश के मानव मास्तिष्क ने अपने कुछ सर्वोत्तम योगदानों को सर्वाधिक विकसित स्वरूप प्रदान करने में सफलता प्राप्त किया है जहाँ के नागरिकों ने जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों एवम् समस्याओं का सर्वाधिक गम्भीर समाधान खोज निकाला है तथा इसी कारण वह इस योग्य हो गया है कि प्लेटो और प्लाटो के अध्ययन में पूर्णता को पहुँचे हुये व्यक्ति को भी आकर्षित करने में सक्षम रखता है, तो मैं बिना किसी विशेष सोंच विचार के भारत की ओर उंगली कर दूँगा। यदि मैं स्वयम् अपने से हो यह पूछना आवश्यक समझूँ कि जिन लोगों को समूचा पालन-पोषण (शारीरिक एवम् मानसिक) यूनानियों एवम् रोमनों की परंपरा के अनुसार हुआ तथा अब भी हो रहा है तथा जिन्होंने सेमेटिक जातीय धर्मों से भी बहुत कुछ सीखा है, ऐसे यूरोपीय जनों को यदि अन्तरिक जीवन को स्वरूप में मानव जीवन बनाने वाली तथा ब्रह्मांड बन्धुत्व (ध्यान रखिये कि मैं यहाँ विश्वबन्धुत्व की बात नहीं कह रहा हूँ) की भावना को साकार बना सकने में सफलता की खोज करनी हो तो किस देश के साहित्य का सहारा लेना चाहिए—एक क्षण फिर मैं भारत की ही ओर इंगित करूँगा, जिसने न केवल इस जीवन में ही सच्चा मानवीय जीवन बनाने का सूत्र खोज निकाला है वरन् परवर्ती जीवन में ही शाश्वत जीवन को ही सुखमय बनाने का सूत्र पा लेने में सफल हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरा इस उक्ति को सुन कर आश्चर्य कर रहे हैं। यह भी जानता हूँ कि हमारे जिन लोगों ने भारत में एक लम्बा समय बिताया है,

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास शहरों में निवास किया है, जो वहाँ के लोगों से सं स्थापित करके भारतीय जीवन का जानकारी होने का दावा भी करते हैं, कि अपने को भारत के ग्रामीण जीवन एवं ग्राम्यव्यवस्था का पूर्ण जानकारी म लिया है तथा जिन्होंने यह कह कर तथा भारतीयों के प्रति छी-छी का भाव दशी आत्मसन्तोष प्राप्त कर लिया है कि भारत में अब कुछ भी देखने, सुनने जानने व बाकी नहीं रह गया है, वे मेरी यह बात सुन कर आश्चर्य से विजडित हुये कि रह सकेंगे कि जिनको वे लोग नेटिव कहकर अपनी घृणा प्रदर्शित करते रहे हैं। भी इतनी शक्ति है कि वे यूरोपियनों के गुरु हो सकते हैं। उनको आश्चर्याभिमान जाना पड़ेगा जब वे यह सुनेंगे कि जिन देहाती भारतीयों को वे बाजारों तथा न्य लयों में नित्य प्रति देखा करते थे, उनके भी जीवन से हमारे यूरोपीय बन्धु बहुत सीख सकते हैं।

अच्छा यही होगा कि जिन अंगरेज बन्धुओं ने अपना कुछ समय भारतीय नागरिक प्रशासन के अधिकारी के रूप में, या अन्य प्रकार की सेनाओं के कर्म के रूप में, धर्म प्रचारकों के रूप में, व्यापारियों के रूप में बिताया है और भाइयों को भारत के विषय में ऐसे लोगों से अधिक जानकारी होनी चाहिए कि आर्यावर्त की भूमि को स्पर्श भी नहीं किया है, ऐसे लोगों को मैं पहले ही बता चाहता हूँ कि जिस भारत से उनका परिचय है मैं उससे सर्वथा भिन्न भारत की कर रहा हूँ। मैं भारत की उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जैसा वह आज दो वर्ष पूर्व या यों कहें कि तीन हजार वर्ष पूर्व था। हमारे अधिकांश बन्धु भारत वर्तमान स्थिति से परिचित है जो कलकत्ता, बम्बई या मद्रास में रहता है अथ (भारत की उसी जनसंख्या से परिचित है जो शहरों में रहती है और जिन्होंने के अधिकांश विषयों में अंगरेजों का अनुकरण कर लिया है) मैं जिस भा बात कर रहा हूँ वह देहातों में रहता है और वही वास्तविक भारत है। न भारत में भारतीयता समाप्त हो गयी है, उसमें न जाने कितना सम्मिश्रण हो न जाने कितने अनुकरणों के कारण उसमें विकृति आ गयी है, परन्तु देहातों में, जनता में तथा उस जनता में जो विदेशी सम्पर्कों से सर्वथा अलग पड़ी हुई है, तीयता अब भी अपने सर्वांश शुद्ध रूप से जीवित है। भारत गाँवों का देश वह गाँवों में ही रहता है, न कि शहरों में।

जो कुछ मैं आप लोगों को, विशेषतया भारतीय नागरिक प्रशासन के को बताना चाहता हूँ, वह यह है कि चाहे एक हजार या दो हजार या तीन वर्ष भी प्राचीन काल के भारत की बात करेगा या आज के ही भारत की

हम भारत से क्या सीखें ?

३३

किस देश की भूमि, वहाँ के लोग या यों कहें कि वह समूचा देश ही ऐसी समस्याओं से भरा पुरा है, जिनके समाधान से हमारा भी स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। उनके समाधान पा लेने से हमारे आज के अर्थात् उन्नीसवीं शताब्दी के उन्नतिशील योरप का शो भला हो सकता है, परन्तु कठिनाई है, इन समस्याओं को जानने की, उन्हें खोज निकालने की। समाधान निकालने के लिए समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए और समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम जानें कि किस प्रकार हीरो कहाँ उन समस्याओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

यदि इस देश (इंग्लैंड) में रहते हुये किसी विशेष दिशा में आपकी रुझान हो चली है, तो उस रुझान को पूर्ण करने के लिये सन्तोषजनक सामग्री आपको भारत में प्राप्त कर सकती है और आजकल की उन सर्वप्रमुख समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में जो लोग अपना समय लगाना चाहते हैं, जो आजकल के प्रमुख विद्वानों एवम् आचार्यों को उलझाये हुये हैं, ऐसे लोगों को भी भारत में कार्य करने का पर्याप्त क्षेत्र और अवसर मिलेगा। उनको यह सोचकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में जाकर उनकी दशा देश निकाला व्यक्ति को-सी हो जायगी। ऐसे लोगों को यह सोचने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होगी कि वे एक ऐसे देश में जा पड़े हैं, जहाँ उनकी रुझान तथा उनका ज्ञान व्यर्थ हो गये हैं।

यदि आपकी रुचि भूगर्भ शास्त्र में है तो हिमालय से लेकर लंका तक के विस्तृत भूभाग में अध्ययन व खोज करने की सामग्री आपको आवश्यकता से अधिक मिलेगी। यदि आपकी रुचि वनस्पति विज्ञान में है तो अंसख्य हुकर्स* की जिज्ञासा शान्त कर देने योग्य सामग्री भारत में प्राप्य है।

यदि आप प्राणि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर जाना चाहते हैं तो जरा महाशय हैकेल† का विचार कीजिये जो इस समय भी भारत के जंगलों में तथा भारतीय समुद्रतटों पर खोज करते फिर रहे हैं और जिनके लिये भारत का प्रवास मानों उनके जीवन के स्वर्णिम स्वप्नों का प्रत्यक्षीकरण ही है, जैसे उनके जीवन के सभी स्वप्न

* विलियम जेक्सन हुकर्स (१७८५-१८६५) इंग्लैंड के प्रमुख वनस्पति विशेषज्ञ। वनस्पति उद्यान, क्यू, लन्दन के डायरेक्टर।

† हैकेल—अर्नेस्ट हेनरिक हैकेल (१८३४-१९१६) जर्मनी निवासी था तथा अपने समय का प्रसिद्ध जीवविज्ञानवेत्ता था, जिसने अपने तत्सम्बन्धी भारत भ्रमण का विस्तृत वृत्तान्त सन् १८८२ में प्रकाशित किया। उसी ने विभिन्न पशुओं की खोजों में सामंजस्य स्थापित करने की सर्वप्रथम चेष्टा की।

भारत में जाकर सीकार हो उठे हैं। भारत को अपना अध्ययन क्षेत्र बनाकर उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है। इसी प्रकार मानव जाति शास्त्रालवचि रखने वालों के लिये तो भारत जैसे तत्सम्बन्धी सामग्रियों का अजायब खाना हो है।

यदि कोई व्यक्ति भवननिर्माण कला* में अनुराग रखता है, यदि आप किसी ने रद्दी के एक कूड़े में से वस्तुनिर्माण कला पर प्रकाश डाल सकने में किसी छुरी या अन्य सामग्री पा जाने के हर्ष का अनुभव किया है तो आप जनरल कनिंघम का “भारतीय वास्तु कला का सर्वेक्षण” की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ कर देखिए और मुझे विश्वास है कि आप आज ही फावड़ा लेकर इस बात के लिये प्रस्तुत जायेंगे कि बौद्ध सम्राटों द्वारा बनवाये गये विहारों एवम् विद्यालयों का उत्खनन करके उनकी वास्तु कला पर प्रकाश डालें।

यदि आपने केवल मनोरंजन के लिये भी सिक्कों को इकट्ठा किया है तो आप पायेंगे कि भारत में जितने प्रकार के प्राचीन सिक्के प्राप्त हैं, उतने अन्य किसी भी देश में नहीं। वहाँ पर आपको पर्शियन, कैटियन, प्रशियन, पार्थियन, यूनान, मेसिडोनियन, सिथियन, रोमन, मुसलमानी, ये सभी प्रकार के सिक्के बहुतायत में मिलेंगे, हाँ आवश्यकता होगी केवल उनको खोजने वाली दृष्टि की। जिस समय वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे बनारस जिले में किसी नदी के किनारे एक मिट्टी का पात्र मिला था, जिसमें सोने के एक सौ बहत्तर डैरिक्स† थे। इन सिक्कों को वारेन हेस्टिंग्स ने इतना महत्वपूर्ण माना कि उन्हें उपहार-स्वरूप ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोर्ड ऑफ़ डिरैक्टर्स के पास भेजा था और इसके लिये उसी

* उस विषय में हम डा० फ्रयुंसेन को उद्धृत किये बिना नहीं कर सकते जिन्होंने दक्षिण भारत के एक मन्दिर की चर्चा करते हुये लिखा है “यदि सम्भव होता कि हम इस मन्दिर को शब्दों में बाँध पाते तथा उसकी एक-एक रचना का शब्द चित्र तैयार कर पाते तो पाठकों की समझ में यह बात सरलता से आ जाती कि भारत के इस मन्दिर का तुलना एथेंस के पार्थेनन से करना कहां तक उचित है। यह बात नहीं है कि इन दोनों रचनाओं में साम्य है, इसके विपरीत यह है कि इन दोनों में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का अंतर है। इनमें से यदि प्रथम अक्षर है तो दूसरा अन्तिम। दोनों कृतियाँ दो छोर पर हैं और इन्हीं के बीच सम्पूर्ण संसार को भवननिर्माण कला समायी हुई है।” (देखिये आर० सी० दत्त का प्राचीन भारत की सभ्यता का इतिहास पृष्ठ ५४६)

† डैरिक्स-फ़ारस के सिक्के जो सोने के थे, जिन पर दारा की मूर्ति अंकित थी।

हम भारत से क्या सोखें ?

३५

अपने को दानवीर-सा समझा था। दुःख है कि कर्मचारियों ने उन सिक्कों को गला डाला। संक्षेप में उन सिक्कों का भाव यह रहा कि जब वारेन हेस्टिंग्स लौट कर इंग्लैंड आया तो वे सिक्के गायब हो चुके थे। अब यह आप लोगों का कार्य है कि प्रत्येक प्रकार की कार्यवाहियों को रोकें।

भारत की प्राचीन वैदिक गाथाओं ने भारत की पौराणिक कथाओं पर जो प्रकाश डाला है उसके कारण भारत की पौराणिक कथाओं ने एक सर्वथा नवीन रूप धारण कर लिया है*। वर्तमान काल में पौराणिक कथाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता यद्यपि पड़ चुकी है फिर भी उसमें अभी बहुत कुछ जोड़ना शेष है और जोड़ने का यह कार्य जितनी अच्छी तरह भारत में किया जा सकता है, उतनी अच्छी तरह अन्य किसी भी देश में नहीं हो सकता।

यदि हम अपने देश में प्रचलित बाल कथाओं के मूल स्थान की खोज करने का प्रयत्न करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश के वच्चे जिन कथाओं के माध्यम

* इस विषय में श्री रमेश चन्द्र दत्त का मत भी जानने योग्य है। अपने पुस्तक "प्राचीन भारत की सभ्यता का इतिहास" में कथा साहित्य के अन्तर्गत उन्होंने लिखा कि "अभी विदेशी लोग सभ्यता के पथ पर केवल प्रथम चरण रखने को प्रस्तुत नहीं हो पाये थे कि ईसा से शताब्दियों पूर्व जातक कथाओं द्वारा आर्यों का कथा साहित्य अपनी ज्योत्सना द्वारा भारतीय हृदयों को प्रकाशित करने लगा था। पञ्चतन्त्र की कहानियाँ सदियों तक कहे सुने जाने के बाद लिखित रूप में सामने आयीं। यूरोपियों (५३१-१५७२ ई०) के समय में इनका अनुवाद फ़ारसी में किया गया। फ़ारसी भाषा से ये कहानियाँ अरबी में और अरबी से सीमियन नामक यूनानी विद्वान द्वारा ग्रीक भाषा में ले जायी गयीं। यह घटना सन् १०८० ई० की है। लातिनी भाषा में विद्वान पासिनस ने इन कहानियों को ग्रीक भाषा से लैटिन भाषा में लिया। सन् १२५० ई० में हिब्रू भाषा के प्रख्यात विद्वान रबीजोल ने इन्हें अपनी भाषा में अनूदित किया। सन् १२५१ ई० में ये कहानियाँ अरबी भाषा से स्पेनिश भाषा में गयीं। जर्मन भाषा में इन कहानियों का प्रथम प्रकाशन पन्द्रहवीं शताब्दी की बात है और अब से योरोप की सभी भाषाओं में इन के अनुवाद वइल्ले से प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार एक हिन्दू द्वारा संग्रहित पशुओं की लोक कथायें कितनी ही शताब्दियों से संसार के बाल परिवार को अपने साधारण परन्तु सारगर्भित प्रसङ्गों से मनोरञ्जन के माध्यम द्वारा ज्ञान प्रदान करती चली आ रही हैं।"

इसी से मिलता जुलता मत डॉ० राइस डेविड्स का भी है।

से शताब्दियों से मनोरंजन एवम् प्रारम्भिक नीतिज्ञान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। कहानियाँ सर्वप्रथम भारत से ही केवल हमारे देश में नहीं वरन् संसार के सभी भागों में गयी हैं। अधिकांश इतिहास शोधकों का मत है कि इन कहानियों ने पूर्व से पश्चिम की यात्रा की है। आज जिन बाल कथाओं का हमारे घर-घर में प्रचलन है उन सब का आदिश्रोत सर्वमान्य रूप से बौद्ध कथाएँ ही हैं। आपको यह ज्ञान आश्चर्य होगा कि इस क्षेत्र में जितना शोध हो चुका है उससे कई गुना अधिक शोध करने की आवश्यकता है। अब भी इस सम्बन्ध को न जाने कितनी समस्याएँ आई हैं समाधान पाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। प्लाटो ने अपने क्रेटिलस* में एक कथा है जिसमें एक गर्दभ शेर की खाल ओढ़ कर सभी को डराता फिरता है। क्या यह मान लें कि यह कथा भी पूर्व से ही उबार ली गयी है। आप प्रेम को देवोत्तम वह कथानक पढ़ें जिसमें उन्होंने एक चुहिया को सर्वाङ्ग सुन्दरी युवती बना दिया और सर्वाधिक शक्तिशाली पति पाने की कामना से अभिभूत उसने एक मूषक को सर्वाधिक सशक्त पाकर उसी से व्याह करने की इच्छा प्रकट की और विवश होकर देवी को उसे फिर से चुहिया ही बना देना पड़ा। क्या यह कथा संस्कृत की ही है। अवश्य है, परन्तु आश्चर्य का विषय तो यह है कि ईसा से चार सौ वर्षों की ग्रीक भाषा में लिखित स्टैटिस के एक सुखान्त नाटक में इस कथा का समावेश सम्भव हो सका। इस प्रकार को उलझनों को सुलझाने के लिये भी अभी बहुत कार्य करने को पड़ा है।

इतिहास के सूत्र को पकड़ कर यदि हम थोड़ा और प्राचीन काल में प्रवेश करें तो हमें विचित्र समकालीनताओं के दर्शन होते हैं। भारत की प्राचीन गाथाओं में तथा पश्चिम कथाओं में इतना साम्य मिलता है कि यह निर्णय करना कठिन जाता है कि इन कहानियों ने पूर्व से पश्चिम की यात्रा की है या पश्चिम से पूर्व की।

*क्रेटिलस—प्लाटो का क्रेटिलस ४११ ए 'जून' कि अब भी मैंने शेर की खाल ओढ़ रखी हूँ, इसलिए मुझे हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है'। हो सकता है कि उपरोक्त वर्णन हरक्यूलीज की ओर संकेत करता हो और शेर की खाल ओढ़ने वाले गंधे की भारतीय कथा से उनका कोई तात्पर्य न हो। हितोपदेश की एक कथा इस प्रकार की है कि "एक बूढ़े गंधे ने शेर की खाल ओढ़ कर चारों ओर घूमना शुरू किया। उसे शेर समझ कर कोई उसे हाँकने का साहस नहीं कर सकता था। एक चौकीदार भूरे रङ्ग का कोट पहन कर उसे मारने की दृष्टि में बैठा था। कोट के रंग से अभिमत होकर गंधे ने उसे गंधी समझ कर रेंकना शुरू किया और उत्सर्ग मार डाला गया।"

हम भारत से क्या सीखें ?

३७

शालोमन के समय में भारत, सीरिया और फिलस्तीन के बीच व्यापारिक आवा-
गमन सुविधा पूर्ण रूप से खुला हुआ था । यह बात इस प्रकार प्रमाणित होती है
कि अत्र इस तथ्य को विद्वानों को मान्यता भी मिल चुकी है कि बाईबिल में ओकीर
से आने वाले कुछ सामानों के नाम संस्कृत भाषा के शब्दों में लिखे गए हैं । इन
सामानों में हाथीदांत, वन्दर, मयूर तथा चन्दन हैं जिन्हें भारत के अतिरिक्त अन्य
किसी देश से आया हुआ माना ही नहीं जा सकता । इस बात को मानने का भी
कई स्पष्ट कारण नहीं दिखाई पड़ता कि भारत, फारस की खाड़ी, लाल सागर
तथा भूमध्य सागर के रास्ते होने वाला अन्तर्देशीय व्यापार कभी एकदम से बन्द हो
या रहा हो । जिस समय “बुक ऑफ किंगज” नामक ग्रंथ लिखा जाता रहा होगा उस
समय भी इस व्यापारिक आदान-प्रदान के पूर्णतया बन्द होने का कोई संकेत नहीं
मिलता ।

आप लोग शाह सालोमन के विवेक पूर्ण न्याय की बात सुन चुके हैं, आपको
होद भी होगा । यहूदियों ने सालोमन द्वारा किए गये निर्णयों को अति विवेक पूर्ण
ही कह कर उन्हें वैधानिकता के प्रमाण रूप में ग्रहण किया है । मैं यह स्वीकार करता
हूँ कि मैं न तो विधिज्ञ ही हूँ और न मेरा मस्तिष्क ही वैधानिकता पूर्ण है । जब-जब
शालोमन के उस निर्णय की बात पढ़ता हूँ तो काँपे बगैर नहीं रह पाता, जिसमें
शालोमन ने एक बच्चे को दो टुकड़ों में काट कर वादिनी एवम् प्रतिवादिनी माताओं
बीच बाँट देने की व्यवस्था दी थी ।

आइये हम आपको इसी प्रकार की एक अन्य कथा* सुनावें जिसमें बौद्धधर्मा-
भाषी जन प्रायः आपस में कहा सुना करते हैं, जिनकी साहित्य-निधि में इस प्रकार
अनेक कथाएँ ब कहावतें भरी पड़ी हैं । बौद्धों के त्रिपिटकों का अनुवाद तिब्बती
भाषा में ‘कन्जूर’ के नाम से हुआ है, जिसमें दो ऐसे स्त्रियों की कथा दी हुई है, जो

*बौद्ध धर्म के समूचे उपदेश तथा विचार प्रणाली की गौतमोत्तर कालीन
संस्कृत के विद्वान शिष्यों ने जिन ग्रन्थों में संग्रहीत किया है वे पिटक (पिटारी)
कहाते हैं । पिटक तीन हैं :—(१) सुत्तपिटक में जो उपदेश हैं वे स्वयम् गौतम बुद्ध
की ओर से कहे हुए माने जाते हैं, (२) विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए
आचरण के लिए सूक्ष्म नियम दिए गए हैं, (३) अब्धिम्म पिटक में भिन्न-भिन्न
विषयों पर शास्त्रार्थ दिए गए हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न लोकों में जीवन की अवस्थाओं
की, शारीरिक गुणों पर, तत्वों पर, अस्तित्व के कारणों इत्यादि पर विचार किया
जाया है । संख्या में तीन होने के कारण इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है ।

एक ही बालक को अपना-अपना कहती थीं। न्यायकर्त्ता राजा ने दोनों स्त्रियों को बातों को देर तक ध्यान से सुना और पर्याप्त देर तक विचार करने के पश्चात् इसका निर्णय न कर सके कि वास्तव में बच्चा किस स्त्री का था। उनको निराशा जनक मुद्रा देखकर विशाल आगे आया और उसने राजा से कहा कि 'आप निर्णय के लिए क्यों चिन्तित होते हैं। आप इन स्त्रियों से कह दें कि वे स्वयम् हाथ प्रश्न का निर्णय कर लें। राजा ने तत्क्षण वैसी ही आज्ञा दे दी। वस, आज्ञा की देर थी। दोनों स्त्रियों ने भयानक रूप से लड़ना और छीनाझपटी करना कर दिया, जिससे ध्वरा कर बच्चा उच्च स्वर से रोने लगा। वास्तविक बच्चे का यह क्रन्दन न सहा गया और उसने छीनाझपटी से हाथ खींच लिया। इसी हाथ खींचने के कारण ही वाद का निर्णय हो गया। बच्चा हाथ खींच वाली स्त्री को दे दिया गया और दूसरी स्त्री को कोड़े मार कर निकाल दिया गया।

मेरा स्वयम् अपना विचार है कि कहानी का भारतीय रूप ही अधिक स्वाभाविक है, जिसमें मानव वृत्ति के पूर्ण ज्ञान का उपयोग किया गया है और इस कथा सालोमन द्वारा किए गए निर्णय की कथा से अधिक बुद्धिमत्ता है।

आप में से बहुतों ने भाषायें पढ़ी हैं इतना ही नहीं भाषाविज्ञान भी आ पढ़ा है। क्या इस संसार में अन्य कोई ऐसा देश है जिसमें भाषा विज्ञान के सर्वाधिक महती समस्याओं का अध्ययन करने की उत्तम सामग्री मिलती है, जितनी भारत में यदि केवल लोक भाषाओं के विकास एवम् उनकी क्षीणता को ही लिया जाय, भाषाओं के सम्भावित मिश्रण पर ही विचार किया जाय (स्मरण रहे कि मैं केवल शब्दों के मिश्रण की बात नहीं कर रहा हूँ, वरन् उस मिश्रण की बात कर रहा हूँ जिसमें व्याकरण के नियम भी सम्मिश्रित हो जाते हैं) तो क्या कोई भाषा भाषा, द्राविड़ भाषा या मुंडा लोगों की भाषा का मुकाबला कर सकती है। भाषाओं की इस प्रकार की प्रवृत्ति का पता तब चलता है जब इनके बोलने वालों सम्पर्क विभिन्न आक्रामक जातियों से होता है। आप जानते हैं कि भारत ने अनेक अनेक आक्रामकों को देखा है। इस देश के वासियों ने ग्रीकों को देखा, यूची जाति आक्रमण देखा, अरबों का बार भी इन्होंने सहा, फारसी आक्रामकों ने भी इन अपना बल आजमाया। मुसलमानों और सब से अन्त में अंगरेजों ने भारत को विजित किया इन सभी जातियों की भाषाओं से भारत की लोक भाषाओं का सम्पर्क हुआ परन्तु उनकी सम्मिश्रण प्रवृत्ति अक्षुण्ण ही रही।

यदि आपका अनुराग न्यायशास्त्र में है तो फारम में कानून का इतिहास खोजा जा सकता है और मजे की बात यह है कि भास्करवर्ष के कानून का यह इतिहास

हम भारत से क्या सीखें ?

३६

यूनान के कानून के इतिहास से सर्वथा भिन्न होगा। यदि इसकी तुलना रोम के इतिहास तथा जर्मनी के कानून के इतिहास से की जाय तो भी यह भिन्नता जायगी नहीं। इस प्रकार की विभिन्नता के बावजूद भी इनमें कुछ समानतायें भी होंगी। न्याय-शास्त्र के तुलनात्मक अध्ययन के अनुरागियों के लिए ये विभिन्नतायें भी रुचि पूर्ण होंगी तथा ये समानतायें भी। आजकल प्रति वर्ष नयी सामग्रियाँ प्रकाश में आती जा रही हैं। उदाहरण के लिए हम धर्म या समाज-चरित्रिक सूत्रों का नाम ले सकते हैं, जिनके आधार पर छन्दोवद्ध विधि ग्रंथ प्रस्तुत किये गए हैं। इस प्रकार की विधि पुस्तकों में मनु की विधियों को उदाहरण स्वरूप रखा जा सकता है। एक बार जिसे इतिहासकार लोग मनु द्वारा प्रतिपादित विधियों को संहिता कहते थे और जिसका समय यदि ईसा पूर्व बाहरवीं नहीं तो पांचवीं शताब्दी अवश्य आंका जाता था आज हमारी को लोग ईसा की चौथी शताब्दी का ग्रन्थ मानने लगे हैं। आजकल के लोग इसको न तो संहिता ही मानते हैं, न विधि संहिता ही, यहाँ तक कि अब लोग न इसको मनु के विधियों की संहिता कहने से भी बचने लगे हैं।

यदि आपने विधिनिर्माण की पूर्व स्थितियों में किये गये अनुसंधानों में अपनी रुचि लगायी है तथा उन कार्यों के प्रति आपके हृदय में प्रशंसा के भाव विद्यमान हैं, यदि उन पूर्व स्थितियों के अति सामान्य रूपों अर्थात् अति सामान्य राजनीतिक गणों प्रारम्भ एवम् उनके विकास पर विचार किया है (जिसकी पूरी सुविधा आपको इस अम्बिज विद्यालय में प्राप्त है) या विचार करना पसन्द करते हैं तो उन्हें आज भी भारत की ग्राम्य रियासतों (ग्राम पंचायतों) में आप देख सकते हैं और मुझे विश्वास कि इस दिशा में आप चाहे जितना भी श्रम व कष्ट उठावें, वह अपुरस्कृत नहीं होगा।

अन्त में हम उस विषय को लेते हैं, जिसका महत्व हम मानें या न मानें हमारे जीवन में सबसे अधिक है, इस जीवन में सबसे अधिक स्थान हम जिसका रखते हैं, जिसको इन्कार करने वाले लोग स्वयम् उसे स्विकार करने वालों से अधिक महत्ता प्रदान करते हैं; तथा जो हमारे जीवन के सार कामों की प्रेरणा देता है, उसे व्यवस्थित एवम् नियंत्रित करता रहता है, जिसके बिना न तो कोई गण ही स्थापित सकता है और न बृहद् साम्राज्य ही, जिसके बिना न परम्परायें बन सकती हैं, और न विधि निर्माण ही सम्भव है; न तो हमें स्तुति का विवेक हो सकता है और असत् को पहचान ही हो सकती है, जो भाषा के बाद सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में जो मानव एवम् पशु के बीच एक अभेद्य दीवार के रूप में खड़ा है, जो हमारे पशु-जैविक जीवन को सम्भव तथा सह्य बनाता है, जो इस जीवन का अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक श्रेष्ठ श्रोत है, तथा जो हर प्रकार के राष्ट्रीय जीवन की सुदृढ़ आधार

भित्ति है, जो इतिहासों में सर्वप्रमुख इतिहास होते हुये भी रहस्यों में सर्वाधिक रहस्य पूर्ण है, हम यदि उस "धर्म" पर ही विचार करना चाहें तो भारत अतिरिक्त इसके उद्भव स्वाभाविक विकास एवम् क्षय के अध्ययन का क्षेत्र और को सा देश हो सकता है। भारत ब्राह्मणवादियों का देश है, बौद्ध धर्म का जन्म भूमि है, तथा पारसियों का शरणस्थल है, आज भी जहाँ नवोन विश्वासों का जन्म हो रहा है। भविष्य में भी यह अवनति प्राप्त देश संसार का उज्ज्वलतम देश हो सकता है यदि उन्नोस शक्तियों की गर्द उसके शरीर पर से झाड़ी जा सके।

आप लोग जब भारत में होंगे तो अपने को अतिप्राचीन भूतकाल एवम् अविशाल तथा उज्ज्वल भविष्य के बीच पावेंगे। आपको उस देश में विभिन्न विषयों पर अध्ययन करने के जो अवसर प्राप्त होंगे वे संसार के किसी भी देश में नहीं मिल सकते। वर्तमान काल की जिन समस्याओं ने विचारकों को उलझा रखा है, उन्हें आप विचार करना चाहें जैसे सामान्य शिक्षा, उच्चशिक्षा, वैधानिक प्रतिनिधित्व की भावना, विधियों का एकत्रोत्तरण, अर्थ, परदेश निवास, दीन संरक्षण विधि इत्यादि या इसी प्रकार की अन्य बातें जो आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, स्वयम् परीक्षा करना चाहते हैं या आप निरीक्षण द्वारा सीखना चाहते हैं तो भारत जैसा देश आपको संसार में नहीं मिल सकता। इन सभी विषयों के अध्ययन के लिये भारत एक विशाल प्रयोगशाला के सामान है। जिस संस्कृत के अध्ययन को आप लोग आज इतना सारहीन समझ रहे हैं, उसका अध्ययन कष्टप्रद चाहे जितना हो परन्तु जिस गति से आपने यहाँ कैम्ब्रिज विद्यालय में शुरू किया है, उसी गति से यह अध्ययन यदि चालू रहा, ता एक दिन आपके सामने ऐसा साहित्य पड़ा होगा जिसमें आज तक किसी ने भी खोज करने का श्रम नहीं उठाया है। आजका अपने सतत् अध्ययन के फलस्वरूप ऐसे विचार गाम्भीर्य के दर्शन होंगे जैसा न आपने आज तक देखा है या न सुना है। उस साहित्य में आपको ऐसी प्रेरणायें तथा शिक्षायें मिलेंगी जो मानव हृदय के सहानुभूतिपूर्ण अंग को उद्वेलित किए बिना नहीं रहेगी।

आप लोग मेरी बात पर विश्वास रखें कि यदि आप लोग अपने अग्रुप समय में से थोड़ा भी अवकाशरूप में निकाल कर उपराक्त कार्यों में से कुछ भी करेंगे तो आपको कभी निराश न होना पड़ेगा।

प्रायः आप लोग सोचते होंगे कि भारत एक सुदूरस्थ, विचित्र तथा कुतूहलपूर्ण दृश्यों से भरा हुआ देश है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। भारत का भविष्य और से ही सम्बन्धित है। हमारा जो इन्डो-यूरोपियन संसार है, भारत भी उसका एक सम्माननीय सदस्य है। स्वयम् हमारे देश के इतिहास में भारत का अपना महत्त्वपूर्ण

हमें भारत से क्या सीखें ?

४१

स्थान है। हमारे देश के इतिहास से भी बढ़कर है मानवीय मस्तिष्क का इतिहास, और हमें यह कहने में बड़ी प्रसन्नता होती है कि इतिहास में भी भारत का स्थान महत्वपूर्ण है।

आप लोग जानते हैं कि बाह्य संसार या भौतिक संसार के विकास के साधनों को जुटाने में आज के विश्व की कितनी ही महान प्रतिभार्थ काम में लगी हैं। यदि ठीक-ठीक कहें तो हम कह सकते हैं कि आज के संसार की समूची प्रतिभा केवल एक ही कार्य में लगी हुई है और वह कार्य है भौतिक संसार को पूर्ण विकास तक ले जाना तथा इसीलिये इस संसार की छोटी से छोटी बातों की जानकारी प्राप्त करना। आज ग्रहम पृथ्वी का आविर्भाव, उस पर सर्व प्रथम जीवाणुओं का उद्भव, उनका संयुक्ती एवम् विभक्तीकरण, जिनके सहारे आगे चल कर इन्द्रिय युक्त शरीर सम्भव हो सका तथा जिन विकास क्रमों से होते हुये हम आज अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुँचे हैं, इन सब बातों के विवेचन में लगे हुये हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या ठीक इसी प्रकार का और इतना ही महत्वपूर्ण हमारा आन्तरिक संसार नहीं है, क्या बौद्धिक संसार जैसी कोई चीज ही नहीं है, जिसकी विकास शृङ्खलाओं का अध्ययन करना हमारे लिये आवश्यक हो ? क्या हमें आन्तरिक संसार या बौद्धिक संसार के विकास के इतिहास का अध्ययन नहीं हो करना चाहिये ? किस प्रकार सर्वप्रथम विधायक तथा निर्देशक आधारों का आविर्भाव हुआ, किस प्रकार उनमें संयुक्ती एवम् विभक्तीकरण हुआ, फिर किस प्रकार तर्क संगत विचारों का उदय हुआ तथा किस प्रकार हम निम्नतम बौद्धिक-स्तर से ऊँचे उठकर वर्तमानस्तर तक पहुँच सके हैं, क्या इसका अध्ययन आवश्यक नहीं है। यदि मानव मस्तिष्क के अध्ययन का विचार किया जाय जो स्वयम् अपना ही अध्ययन है या यों कहें कि अपने सच्चे रूप का ही अध्ययन है, तो भारत इस क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं है। आप अपने विशेष अध्ययन के लिए मानव मस्तिष्क की चाहे जो भी शाखा अपनावें, चाहे वह भाषा हो, धर्म हो, पौराणिकता हो, दर्शन, कानून, परम्परायें, प्रारम्भिक कला हो या प्रारम्भिक विज्ञान, हर विषय का अध्ययन करने के लिये भारत ही सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। आप पसन्द करें या न करें परन्तु वास्तविकता यही है कि मानव के इतिहास की बहुमूल्य एवम् निर्देशक सामग्री भारतभूमि में संचित है, केवल भारतभूमि में।

जिन लोगों का भाग्य उन्हें भारत में ले जाने वाला है या जिन लोगों के जीवन का एक सम्बा समय भारत में बीतने वाला है मैं उन लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि संसार में भारत की वास्तविक स्थिति क्या है या क्या होनी चाहिये। मुझे आशा है कि इसके साथ इस विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों एवम् सदस्यों के हृदय में मैं इस प्रकार की सहानुभूतिपूर्ण भावना उत्पन्न कर देना चाहता हूँ कि संसार

या यों कहें कि सृष्टि के इतिहास का हमारा ज्ञान कितना अपूर्ण है और बौद्धिक विकास के ज्ञान में हमारा प्रवेश कितना कम है और वह सदैव ही ऐसा रह जायगा यदि हमने अपने ज्ञान के अधूरेपन का अनुभव न किया तो। यदि हमने अपने ज्ञान क्षेत्र को ग्रीक अथवा नारमन इतिहास तक ही संकुचित कर लिया या केवल सैक्स तथा केल्स को ही संसार का सब कुछ समझ कर सन्तोष करके बैठ गये या हम अध्ययन की पृष्ठ-भूमि में केवल मिश्र, फिलिस्तीन तथा बेबीलोनिया को ही रखकर काम चलाना स्वीकार कर लिया और अपने सर्वाधिक समीपस्थ बौद्धिक सम्बन्धियों को दृष्टि से परे कर दिया और भारत के आर्यों के प्रति हमने अपने उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण को न बदला तो हमारा ज्ञान सीमित ही रह जायेगा। हमें स्मरण रखना चाहिये कि भारत के आर्यों ने संसार में सर्वाधिक आश्चर्यजनक भाषा को जन्म दिया है। हमारी मौलिक भावनाओं की संरचना में भारत के आर्य हमारे सहकर्मी हैं। उन्होंने सर्वाधिक स्पष्ट पौराणिक गाथाओं को जन्म दिया है। संसार के सर्वोत्तम दार्शनिक सिद्धान्त को जिन्होंने खोज निकाला है तथा जिन्होंने सर्वाधिक स्पष्ट विधि को निर्मित किया है, वे भी भारत के आर्य ही हैं।

हमारी उदार-शिक्षा योजना के अन्तर्गत हमारे स्कूलों एवम् विश्वविद्यालयों में जो इतिहास के अध्याय के बाद अध्याय पढ़ाये जाते हैं, उनकी अपूर्णता हम पर प्रगट हो जायगी यदि हम उस इतिहास के भारत सम्बन्धी अध्याय को समुचित रूप से पढ़ने का प्रयत्न करें तथा स्वतन्त्र रूप से उनकी व्याख्या करने का कष्ट उठायें।

आज के इतिहासकार जिस प्रकार इतिहास के एक-एक अंग पर खोज करते हैं तथा इस प्रकार की इतिहास सामग्री को एकत्रित करके जिस विशाल ऐतिहासिक भंडार की निरन्तर वृद्धिगत सृष्टि करते जा रहे हैं, उसके कारण हमारा इतिहास अध्ययन असम्भव की सीमा पर पहुँचता दिखाई देने लगा है। इसलिये आजकल इतिहासकारों का दायित्व अत्यधिक बढ़ गया है। इतिहास को इस अति विशाल निधि में विविध सामग्रियों के आपसी अनुपात को समझ कर कलात्मक चित्रांकन मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार इस प्रकार व्यवस्थित कर दें और अनावश्यक सामग्री को छाँट कर अलग कर दें, यह दायित्व है आजकल के इतिहासकारों का। उनको यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के चयन तथा छँटाई की क्रिया में इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे समक्ष वे सभी सामग्रियाँ अवश्य आ जायें जो हमें संसार के ऐतिहासिक स्तर का पूर्ण ज्ञान देने में सहायक सिद्ध हो सकें। इस प्रकार की व्यवस्था शक्ति के कारण ही इतिहासकार तथा वृत्तान्त लेखक का भेद उत्पन्न हो रहा है। इतिहासकार को विभिन्न वृत्तों के अनुपात का ध्यान रखकर उन्हें पाठकों के समक्ष रखना पड़ता है, इस व्यवस्था में उसे कितनी ही बातें गौण समझकर छोड़

हम भारत से क्या सीखें ?

४३

देनी पड़ती है, जब कि वृत्त लेखक के लिये हर बात महत्वपूर्ण होती है और यदि वृत्त लेखक ने स्वयम् किसी बात का पता लगाया है तो वह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा विचार है कि यह बात फ्रेडरिक महात्मा से हो सम्बन्धित है कि एक बार उसने दुःखित होकर कहा था कि जिन लोगों ने प्रशा का इतिहास लिखा है, उन लोगों ने उसकी बर्तों के बटनों का भी वर्णन करना नहीं छोड़ा। शायद उसी प्रकार के इतिहास ग्रन्थों को ध्यान में रखकर कार्लाइल को भी कहना पड़ा था कि उसने इतिहास की प्रायः सारी पुस्तकें देख डाली परन्तु उनमें से एक भी ऐसी न निकली जिनका तथा जिनके लेखकों का नाम आने वाली पीढ़ी को बताया जा सके। आश्चर्य का विषय तो यह है कि इस प्रकार की बातें लिखने वाले कार्लाइल की ऐतिहासिक कृतियों में भी अधिकांश बातें ऐसी ही हैं जिन्हें विस्मृत कर देने से किसी हानि की सम्भावना नहीं है।

मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ कि आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं ? क्या कारण है कि इतिहास हमारी शिक्षा का एक मुख्य अंग बना हुआ है ? इसी लिये न, कि हममें से प्रत्येक के लिये यह जानना आवश्यक है कि जिस स्थिति में हम आज दिन हैं, उसके पहुँच पाने के लिये हमें किन-किन मंजिलों से गुजरना पड़ा है। अर्थात् इतिहास ही तो एक ऐसा विषय है जो हमें यह बताता है कि हम कहाँ से चले हैं और किन-किन स्थितियों से होते हुये हम आज अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुँचे हैं। आप कहेंगे कि यदि हमारा अपनी वर्तमान स्थिति का ज्ञान पूर्ण है तो हमें यह जानने की क्या आवश्यकता है कि हमने पीछे क्या छोड़ा है। मंजिल पर पहुँचे हुये व्यक्ति को खत्म किये हुए रास्ते की जानकारी यदि न भी रहे तो कोई हानि नहीं हो सकती, परन्तु मैं कहता हूँ कि उस रास्ते की जानकारी अत्यावश्यक है, और यह आवश्यकता केवल उसी के लिये नहीं है वरन् सारे समाज या यों कहें कि आने वाली पीढ़ी के लिये भी है। क्योंकि इस जानकारी के अभाव में प्रत्येक जिज्ञासु व्यक्ति को फिर उसी रास्ते से चलना पड़ेगा। अपने पूर्वजों या यों कहें कि पूर्ववर्ती जनों के अनुभव का लाभ यदि हमें न मिले तो उन्हीं अनुभवों को प्राप्त करने के लिये हमें फिर से नया प्रयत्न प्रारम्भ करना पड़ेगा। इतिहास ही हमें अपने पूर्ववर्ती लोगों के अनुभवों, उनकी सुविधाओं एवम् कठिनाइयों का ज्ञान कराता है और इसी ज्ञान के सहारे हम उनकी सुविधाओं को ग्रहण करते हुये तथा उनकी कठिनाइयों से बचते हुये अपने जीवन मार्ग को अधिक सुविधापूर्ण तथा सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। केवल इतिहास ही हमें इस प्रकार की प्रेरणा दे सकता है कि हम अपने पूर्वजों से भी आगे और ऊँचे पहुँच सकें। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता से यह पूछ सकता है और उसका यह पूछना एकदम स्वाभाविक है कि जिस

भवन में वह सुरक्षा एवम् शान्तिपूर्वक रह रहा है, वह किसका बनवाया हुआ है जिस प्रकार वह यह पूछ सकता है कि जिन खेतों से उत्पन्न अन्न से हम पोषण कर रहे हैं, उन खेतों को ऊबड़-खाबड़ एवम् वनस्पतिमय भूमि को साफ ए समतल करके खेतों का रूप किसने दिया है, उसी प्रकार हम भी अपने इतिहासका से पूछ सकते हैं कि हम यहां तक कहां से तथा किन-किन मार्गों एवम् मंजिलों होते हुये पहुंचे हैं तथा आज जिसे हम अपना कहने में किसी प्रकार के संकोच अनुभव नहीं करते वह हमें कहां से और कैसे मिला है ? आगे चल कर इतिहास हमें कितनी ही बेकार बातें भी बताता रहता है, परन्तु उसका सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य यही होता है कि वह हमें अपनी पूर्व स्थितियों से अवगत कराता है, हमें अपने पूर्व के विषय में बताता है तथा आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी संकेत करता है ।

जहां तक हमारे बौद्धिक पूर्वजों का प्रश्न है, हम लोग यहूदी हैं, ग्रीक तथा रोमन्स है यहां तक कि सेक्सस भी । हम जानते हैं कि जिस यूरोपियन को यह ज्ञान नहीं है कि उस पर ग्रीस, रोम अथवा जर्मनी का कितना ऋण है, उसे तो हम सुसंस्कृत ही कहेंगे और न शिक्षित ही, क्योंकि इस ऋण के न जानने का तात्पर्य है अपने इतिहास का अज्ञान । इस बात को न मानने से हमारा समूचा पिछला इतिहास ही तमसावृत्त हो जाता है; ऐसा तमसावृत्त कि हमारी दृष्टि के भेद पाने में असमर्थ-सी हो जाती है । उसे यह तो पता ही नहीं लग सकता कि उसके पूर्ववर्ती लोगों ने उसके लिये क्या किया है और इस अज्ञान का तात्पर्य यह होगा कि उसके लिये न केवल अपना ही इतिहास अज्ञात है, वरन् समूचे संसार का इतिहास भी । इतिहास को न जानने वाला व्यक्ति अपने एवम् अपने समाज या राष्ट्र के ऊपर पूर्वजों का जो ऋण है, उसे स्वीकार ही नहीं कर सकता अतः उसने ऐसी आशा करना व्यर्थ है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिये कुछ कर जायगा । वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जो उसकी सन्तानों को सुविधा प्रदान करे । उसके लिये जीवन एक बालू की शृंखला के समान होगी, जो कमजोर पड़ेगी ही, विच्छिन्न भी होगी, उसमें संयोजिका शक्ति का पूर्ण अभाव होगा । इस विपरीत हमारा जीवन उस विद्युत् शृंखला के समान होना चाहिये जो न केवल हमें अपने पर पूर्वजों के ऋण का स्मरण दिला कर ही अनुप्राणित करती है वरन् भविष्य के लिये सुघर आशायें दिलाकर हमें सन्तोष भी प्रदान करती रहे एवम् इस प्रकार हमारे भूत को वर्तमान और वर्तमान को भविष्य से जोड़ती रहे ।

आइये, हम अपने धर्म (रिलीजन) से ही प्रारम्भ करें । कोई भी व्यक्ति तब तक ईसाई धर्म की सम्भावनाओं को पूर्णतया हृदयंगम नहीं कर पावेगा, जब तक कि वह यहूदी जाति के विषय की कुछ जानकारी प्राप्त न कर ले । यहूदी जाति

हम भारत से क्या सीखें ?

४५

विषयक ज्ञान प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि ओल्ड टेस्टामेंट के पृष्ठों को पलटा जाय। यहूदियों का प्राचीन संसार की अन्य जातियों से क्या और किस प्रकार का सम्बन्ध था, यहूदियों के अपने सिद्धान्त क्या थे तथा उनके कौन-कौन से सिद्धान्त समूचे सेमेटिक वर्गीय लोगों की सम्पत्ति थे या प्राचीन राष्ट्रों के जनों से ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापित करके यहूदियों ने किन नैतिक एवम् धार्मिक भावनाओं की प्रेरणा प्राप्त की थी, इन सब बातों का सुस्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें बेबीलोन, फारस तथा फोनीशिया के इतिहास की ओर ध्यान देना होगा। यह हो सकता है कि आज वे जातियाँ विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गयी हों और बहुतांशों को यह कहने की इच्छा (और वह इच्छा स्वाभाविक है,) होगी कि जो मर गये हैं, उनकी कब्रों को कौन खोदे, या कि हमें उन ममीज के क्या लेना है ? परन्तु इतिहास की कक्षा सदा ही अजस्र रही है। भूत से वर्तमान का जो तारतम्य बँधा हुआ है, उसके कारण आप लोगों को अपनी ही सभ्यता व संस्कृति में कितनी ही ऐसी बातें मिलेंगी जिनके लिये हम बेबीलोन, फारस, मिश्र एवम् फोनीशिया के ऋणी हैं।

हममें से अधिकांश के पास घड़ी है। हम अपनी-अपनी घड़ियों में नित्य मूकमय देखा करते हैं, परन्तु हममें से कितनों को पता है कि घंटे को साठ मिनट में संवत्सर करने का प्रारम्भ कब से और किनके द्वारा प्रारम्भ किया गया। हमको ज्ञानान् चाहिये कि साठ मिनटों की यह योजना बेबीलोन निवासियों की है। हो सकता है कि यह योजना त्रुटिपूर्ण हो, फिर भी यह जैसी कुछ है, वह हमें यूनानियों एवम् रोम निवासियों से मिली है और उन लोगों ने इसे बेबीलोन से ही ग्रहण किया था। ईसा से एक सौ पचास वर्ष पूर्व हिप्पारकस ने इसे बेबीलोन से प्राप्त किया। उससे थोड़ा एक सौ पचास ईसवी में टालोमी ने इसे प्रचारित किया। जिस समय फ्रांस के विद्वानों ने हर पैमाने की दशमलव पद्धति के अनुसार बनाया तो भी उन्होंने साठ मिनट एवम् सेकेंडों की योजना को ज्यों की त्यों रहने दिया। ऐसा दो ही कारणों से हो सकता था। या तो उन्हें यह योजना ही सर्वाधिक उत्तम जान पड़ी होगी वे इस योजना का दायमिक रूप प्रस्तुत ही न कर सकें। आपकी जानना चाहिये कि प्रत्येक पैमाना केवल मानव के क्रिया-कलापों से ही सम्बन्धित है, जब कि घन्टा, मिनट एवम् सेकेंड की योजना सृष्टि के गणित से सम्बन्धित है। जो कुछ भी हो, आज तक किसी देश के किसी भी विद्वान ने इस योजना को परिवर्तित करने का कौन सा उपाय देखा, इसमें सुधार करने का भी नाम नहीं लिया। बेबीलोन के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत घन्टा, मिनट, सेकेंड की विभाजन क्रिया को समूचे संसार ने मान्य कर रखा है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति पत्र लिखता है और उस पत्र लेखन में हम अपनी गिनतियों का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं या यों कहें कि हमें जानना चाहिये कि

इस वर्णमाला के लिये हम रोमनों एवम् यूनानियों के आभारी हैं, यूनानी लोग वर्णमाला के लिये फोनीशियनों के ऋणी हैं और फोनीशिया के लोगों ने इसे फिनिज से सीखा। यह वर्णमाला अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण हो सकती है और जैसा कि ध्वनिशास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि यह त्रुटिपूर्ण है, परन्तु वह जो कुछ भी है, वह वैसी कुछ है, हमें उसके लिये मिश्र तथा फोनीशिया का ही आभार मानना पड़ेगा। इस प्रकार हम जो कुछ भी लिखते पढ़ते हैं, उसके एक-एक अक्षर में मिश्राय गूढ़ाक्षरों की छाया स्पष्ट रहती है।

हमने फारस से क्या लिया है ? उनकी देन कुछ अधिक नहीं है, क्योंकि उनकी जाति में अनुसन्धान एवम् अविष्कार की प्रवृत्ति नहीं रही, या यदि रही हो तो अत्यल्प, जिसे आगे बढ़ने की न तो प्रेरणा ही मिली न उत्साह। इसलिये उन पास जो कुछ था भी वह उनका निजी नहीं था, प्रत्युत उन्होंने अपने पड़ोसियों से लिखा था। ये पड़ोसी थे बेबिलोनिया तथा असीरिया के निवासी। फिर भी उनका कुछ कुछ ऋण तो हम पर है ही। उनका सर्वाधिक प्रमुख एवम् सबसे बड़ा ऋण हम पर यही है कि उन्होंने यूनानियों के मुकाबले में अपने को पराजित हो जाने दिया। आप लोग मेरी इस बात को सुन कर मन ही मन हँसे नहीं वरन् यह सोचें कि यदि फारस देश वाले यूनानियों के समक्ष हार न गये होते तो आज संसार की स्थिति में होता। यदि मराथों के युद्ध में यूनानी पराजित हो गये होते तो बात में जिन यूनानियों का आभार मानने की परम्परा-सी चल गयी है, उस यूनानी जाति एवम् उनकी सभ्यता का क्या हुआ होता ? ऐसी दशा में आवश्यक था कि फारस वालों ने यूनानियों को न केवल दास ही बना लिया होता, वरन् उनकी सभ्यता, संस्कृति तथा विद्या भी विनाश के गर्त में जा पड़ी होती। यूनान की विनाश के अन्त होने का एक परिणाम यह भी हो सकता था कि हममें आज भी अविज्ञान एवम् मूर्खता का ही आधिक्य होता। इस ढंग की विचार-प्रणाली द्वारा प्रतीत होगा कि फारस देश की उपरोक्त पराजय भी मानवता की प्रगति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सहायिका बनी। मैंने इस विचार प्रणाली को इस स्थल पर केवल इसलिये प्रस्तुत किया है कि आप लोग इस बात को अलग तरह समझ जायें कि इस प्रकार की सम्भावनायें केवल यूनानियों एवम् रोमनों ही सभ्यता एवम् विद्या के सम्बन्ध में ही नहीं उपस्थित हुईं, बल्कि किसी समय में सैक्सन तथा आंग्ल सैक्सन जाति भी इसी प्रकार अग्नि-पूजकों का दास बनते बची और उनकी सभ्यता को पल्लवित एवम् पुष्पित होने का अवसर मिल नहीं तो आज उनका नाम भी जीवित रह पाता या नहीं, इसे सर्वान्वर्यानी-अतिरिक्त और कौन जान सकता है।

हमें भारत से क्या सीखें ?

४७

यह सब तो हुआ फारस की अप्रत्यक्ष देन के सम्बन्ध में। अब एक प्रत्यक्ष देन की भी बात सुनिये। कम से कम एक विषय में हमें फारस की प्रत्यक्ष ऋणा शीवीकर ही करना पड़ेगा। हमारी मुद्रा-प्रणाली में चांदी का सोने के साथ जो निर्विघ्न सम्बन्ध चला आ रहा है, उस सम्बन्ध को सर्वप्रथम स्थापित करने का श्रेय पारसी लोगों को ही है। निस्सन्देह उस अनुपात का सर्वप्रथम निश्चय वेविलोन में ही किया गया था, परन्तु फारसी साम्राज्य ने ही इसे एक प्रणाली का रूप देकर इसे प्रचलित किया और वहीं से उसे ऐतिहासिक महत्व मिला। पारसी साम्राज्य से ही यह प्रणाली यूनान-अधिकृत एशियाई देशों में फैली और उन देशों से यूरोप के देशों में प्रचलित हुई और यत्र-तत्र थोड़ी सी विभिन्नताओं के साथ यह प्रणाली आज भी सर्वसम्मत प्रणाली है।

एक टेलेन्ट विभाजित किया गया था साठ भागों में, जिनमें से प्रत्येक को एक मिना कहते थे। एक मिना को साठ भागों में बांट कर प्रत्येक को शेकेल कहते हैं। आप देखेंगे कि यह विभाजन ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार घन्टा मिनटों तथा मिनट सेकेंडों में बांटे गये थे। ऊपर हमने कहा है कि यह विभाजन वेविलोन का है। मेरा विचार है कि साठ भागों में यह विभाजन इसीलिये स्वीकार किया गया कि सो से नीचे की संख्याओं में साठ ऐसी संख्या है जिसके सर्वाधिक गुणन खंड होते हैं या जो सर्वाधिक संख्याओं से विभाज्य है। इसीलिये उसे स्वीकार भी किया गया और इसीलिये इसे लोगों ने मान्यता भी अधिक दी। शेकेल का अनुवाद यूनानी भाषा में 'स्टेटर' किया गया और एथेन्स का सोने की स्टेटर मुद्रा पारसी शेकेल नाम की मुद्रा के समान ही कोषस द्वारा तथा अलेग्जेंडर के समय तक सोने के मिना के आठवें अंश के बराबर ही होता रहा और इस प्रकार के पैमाने में वह हमारी सावरेन नामक मुद्रा के बहुत ही समीप है। चांदी का सोने के साथ एक व. तेरह या $1\frac{1}{4}$ रक्खा गया था। इस प्रकार यदि एक चांदी के शेकेल का वजुन तेरह व. दस के अनुपात में रक्खा गया रहा हो तो वह सिक्का बहुत कुछ उसी ढंग या आनुपातिक मूल्य का रहा होगा, जैसा कि आजकल का हमारा फ्लोरिन है। चांदी के शेकेल के आधे भाग को ड्रैक्मा कहते थे और इसीलिये एक ड्रैक्मा हमारे शिलिंग का अंशविक पूर्वज है।

आप एक बार फिर कह सकते हैं कि सोने व चांदी का आपेक्षिक मूल्य स्थापित करना खुद अपने में ही एक महान भूल थी और वह आज तक चली आ रही है। इस प्रकार का मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण है या नहीं, इस पर नहीं विचार करना है। मैंने तो सत्य को आपके सामने इसलिये प्रस्तुत किया है कि आप इस बात को स्पष्टतया समझ जायें कि यह संसार किस प्रकार संयोजित है, किस प्रकार इसके एक देश का

इतिहास दूसरे से बँधा हुआ है तथा किस प्रकार हम न केवल अपने ही कष्ट और श्रम का वरन् अपने पूर्ववर्ती जनों के भी कष्ट और श्रम के सुफलों को भी भोग रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य इस समय केवल इतना ही है कि आप इस बात को इसकी महत्ता को भली भाँति हृदयंगम कर लें कि जिस दुनियाँ में हम और आप पूर्वक रह रहे हैं, उसे हमने या आपने ही इतनी सुविधा पूर्ण नहीं बनाया है कि इसे बनाने में कितने ही ऐसे लोगों के भी हाथ लगे हैं, जिनकी आज स्मृति भी नहीं रह गयी है। हमारे कितने पूर्ववर्तियों ने हमारे संसार को वर्तमान रूप देने लिए न जाने कितना श्रम किया है, ठीक ही उनके शरीरों में कोई अन्य रक्त प्रवाह होता रहा हो, या उनको कपालास्थियाँ चाहे जिस प्रकार की रही हों।

यदि धर्म के विषय में यह सत्य है कि उसे सर्वांगीण रूप में समझने के लिये हमें न केवल उसके उद्भव-स्थल, जन्म समय तथा विकास क्रम को ही समझना चाहिये वरन् जिन परिस्थितियों में उस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसे भी जानना चाहिये, यदि धार्मिक अनुसन्धान सम्बन्धी विषयों में यह सत्य है कि हमारे धर्म अध्ययन करने के लिए हमें मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों, मिश्र के गुदाक्षरों लिखित पुरोहितों के लेख तथा फोनोशिया एवम् फारस देश के ऐतिहासिक स्मारकों का अध्ययन आवश्यक है, तो यह भी सत्य है कि अपने बौद्धिक जीवन को उसी समग्र रूप में तथा उसमें संयोजित उसके विभिन्न अंगों का अलग-अलग ज्ञान प्रदान करने के लिये हमें कितने ही लोगों का एवम् उनके ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम धार्मिक रूप से सेमेटिक या यहूदी हैं, तो दार्शनिक रूप से यूनानी हैं, रोमन नीति में हम रोमन हैं, और इन विभिन्न अंगों के विभिन्न देशीय होने का मतलब यह हुआ कि यदि हम अपना शिक्षा को उदार शिक्षा बनाना चाहते हैं, विवेक प्रदान करना चाहते हैं और उसको ऐतिहासिकता को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें केवल ग्रीक, रोमन तथा सैक्सन इतिहास का ही अध्ययन करने की व्यवस्था करना होगी वरन् हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की बनानी होगी कि हमारे छात्र भी समझ सकें कि हमारी सभ्यता का प्रवाह किस प्रकार यूनान से इटली पहुँचा कि किस प्रकार जर्मनी से होता हुआ हमारे द्वीपों में पहुँचा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के अभाव में हमारे बौद्धिक विकास का ज्ञान अधूरा ही रह जायगा।

आप कह सकते हैं और ऐसा कहने की आपकी इच्छा भी हो रही होगी—यहाँ तक तो ठीक है कि हम अपने ज्ञान को सम्पूर्णता देने के लिए उपरोक्त देशों को अध्ययन का औचित्य एवम् उसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं—उनका अध्ययन करने में हम आगापीछा भी नहीं करेंगे; आप कहेंगे कि जो हमारे

हमें भारत से क्या सीखें ?

४६

द्विक पूर्वज हैं और जो संसार के ऐतिहासिक साम्राज्यों में अपना विशिष्ट स्थान खते हैं, उन बेविलोनिया, फोनीशिया, मिश्र, यूनान तथा रोम के निवासियों का भार हम स्वीकार करते हैं, परन्तु हमारी इस सूची में भारत को क्यों लिया जाय ? शिक्षित कहलाने के लिये पूर्व निश्चित जिन बोझों का वहन करना हम सब के लिये आवश्यक बना दिया गया है उन्होंने हमारे मस्तिष्कों को पहले से भी दबा रक्खा है, और क्या आवश्यकता है कि हम भारत के अध्ययन का बोझ भी व्यर्थ ही अपने सों रख लें ? जो स्मरण शक्ति पहले से ही भाराक्रान्त हो रही हो, उस पर और भी बोझ रखने से क्या लाभ, जब कि उस अतिरिक्त बोझ से हमें कुछ भी मिलने की आशा नहीं है ? आप पूछना चाह रहे होंगे कि भला हमने सिधु तथा गङ्गा तौर के न काले निवासियों से क्या पाया है कि हम उनका आभार स्वीकार करें और व्यर्थ उनका, उनके धर्म का, उनकी सम्यता एवम् संस्कृति का तथा उनकी भाषा एवम् उनके साहित्य का अध्ययन करने जाकर अपने पहले से ही दबे मस्तिष्क पर और भी ढाब डालें । हमारे मस्तिष्क में अध्ययन करने योग्य पूर्व निर्धारित सामग्री ही क्या है जो हम उसमें भारतीय सम्राटों के नाम भारतीय इतिहास की घटनायें, उनकी धारियाँ, उनके कार्य तथा उन कार्यों के कारण तथा परिणामों की शृंखला को भी उसी में और लें ?

आपके इस प्रश्न में कुछ औचित्य है, इसे मैं मानता हूँ । मैं यह भी मानता हूँ कि प्राचीन काल के भारतीय हमारे पूर्वज उस प्रकार के नहीं हैं, जिस प्रकार के पूर्वज यहूदी, रोमन, यूनानी या सेक्सन हैं; उनसे हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध वैसा नहीं है जैसा इन लोगों से है, फिर भी भारतीय लोग उस शाखा के समानोदक हैं, जिससे हमारी भाषा का सम्बन्ध है अर्थात् जिससे हमारा विचारों का सम्बन्ध है । एक बात हमें भारतीयों का ऐतिहासिक साहित्य * सर्वाधिक विशाल है, उतना विशाल ऐति-

* "हिस्ट्री ऑफ ऐनशियेंट संस्कृत लिटरेचर" पृष्ठ ३१ पर मैक्समूलर ने लिखा था कि "हिन्दू दार्शनिकों की जाति थी । उनका संघर्ष विचारों का संघर्ष था... उनका अतीत सृष्टि की समस्या थी... उनका भविष्य अस्तित्व का प्रश्न था... इस लिए यह कहना न्यायोचित है कि 'विश्व के राजनैतिक इतिहास में भारत का कोई स्थान नहीं है' ।

ऐसा लगता है कि उपरोक्त वाक्यों के लेखकों के समय तक मैक्समूलर को महाभारत पढ़ने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था अन्यथा महाभारत के अन्य राजस्थान सम्बन्धी स्थलों के साथ वे शान्तिपर्व का यह श्लोकांग कैसे भूल जाते "सर्वस्य ह्यवलोकस्य, राजधर्मः परायणम् ।"

—अनुवाद शान्तिपर्व ५६।३

हासिक साहित्य अन्य किसी भी जाति का नहीं है। इस साहित्य की विशेषता यह है कि वह इस प्रकार के सुपाठ्य एवम् सम्पूर्ण रूप में हमारे लिये सुरक्षित है कि हम कुछ और जितना कुछ इस से सीख सकते हैं, वह अन्यत्र सम्भव नहीं है। इस साहित्य के सहारे हम अपनी बौद्धिक पूर्वापर शृंखला की उन कड़ियों को आसानी से पा सकते हैं जिन्हें हम आज तक खोई हुई समझे बैठे थे। उससे भी महत्वपूर्ण एक विषय जिसे हम किसी भी प्रकार छोड़ नहीं सकते और वह विषय है मानव तथा बन्तों के बीच की संयोजिका कड़ी, जिसका पता भी हमें भारतीय साहित्य भंडार से ही मिल सकता है, संसार के किसी भी जाति के साहित्य से नहीं।

आप लोगों को यह बात समझ लेनी चाहिये कि अभी मैं भारत के साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आज हमें सुलभ है, हम बात कर रहे हैं भारत की भाषा के सम्बन्ध में अर्थात् संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में। अब इस बात को कोई नहीं मानता कि ग्रीक, लैटिन तथा आंग्ल सैक्सन भाषाएँ संस्कृत भाषा की ही निःसृत हैं। कुछ दिनों पूर्व ऐसा माना जाता था, परन्तु अब यह प्रमाणित हो गया है कि संस्कृत उसी वृक्ष की एक समानोदक शाखा है, जिससे ग्रीक, लैटिन तथा आंग्ल सैक्सन भाषाएँ निकली हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी प्रमाणित हो जा चुका है और लोग यह मानने भी लगे हैं कि केवल उपरोक्त भाषाएँ ही नहीं बल्कि थ्यूटनिक परिवार, केल्टिक परिवार, स्लैवनिक परिवार की सभी भाषाएँ, बल्कि इससे भी आगे बढ़ कर फारस तथा अर्मीनिया की भाषाएँ भी उसी भाषा वृक्ष की शाखाएँ हैं, जिससे संस्कृत निकली है।

आप पूछेंगे या पूछना चाहेंगे कि फिर ऐसी कौन सी विशेषता संस्कृत भाषा में है, जिसके कारण हमें उस पर विशेष ध्यान देना चाहिये या आप यह जानना चाहेंगे कि इतिहासकारों की दृष्टि में इस भाषा का इतना अधिक महत्व क्यों है।

आपके प्रश्न के उत्तर में प्रथम बात आती है इस भाषा की प्राचीनता। संस्कृत का समय ग्रीक भाषा के समय का पूर्ववर्ती है, परन्तु इस सामायिक प्राचीनता से भी अधिक महत्वपूर्ण है इस भाषा को सुरक्षित रखने की वह अनोखी स्थिति जिसमें आर्यों की यह भाषा हम लोगों को मिली है। संसार ग्रीक एवम् लैटिन भाषाओं को सदियों से जान रहा था और लोग यह अनुभव कर रहे थे कि इन दोनों में किसी न किसी प्रकार का साम्य अवश्य है, परन्तु लोगों को यह नहीं सूझ रहा था कि साम्य को समझाया कैसे जाय। कभी तो ऐसा होता था कि ग्रीक भाषा के किसी शब्द की व्युत्पत्ति का रहस्य लैटिन भाषा में दिखाई पड़ जाता था, और कभी लैटिन भाषा के किसी शब्द का मूलरूप ग्रीक भाषा में झलक जाता था। कालान्तरे जब प्राचीन थ्यूटनिक भाषाओं, जैसे गोथिक तथा आंग्ल सैक्सन भाषाओं के अन्वेषण

हम भारत से क्या सीखें ?

५१

की परम्परा चली, साथ ही विद्वानों ने केल्टिक तथा स्लाविक भाषाओं का भी अध्ययन प्रारम्भ किया तो यह बात धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगी कि इन सभी भाषाओं में वैसी ही एक रूपता है, जैसी एक रूपता एक ही परिवार के विभिन्न देशवासी व्यक्तियों में होती है। अब लोगों के सामने यह प्रश्न आया कि उसे रूपसाम्य सम्भव कैसे हुआ। इससे भी कठिन दूसरा प्रश्न यह सामने आया कि इन सम्यताओं की स्पष्ट भूमि में इन अनेक भाषाओं के बीच इतना अन्तर ही कैसे सम्भव हो सका। सभी विद्वान पहले ही प्रश्न का तर्क संगत समाधान न कर पाये थे कि दूसरा प्रश्न भी सामने आ गया। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अनेक विद्वानों ने हाथ पांव मारा, जमीन आसमान के कुलावे मिलाये और कितनी ही तर्कहीन सारहीन एवम् संगतिहीन बातें कही सुनी गयीं। इन तमाम कठिनाइयों का समाधान तब तक नहीं मिल सका, जब तक कि विद्वानों ने अपनी अध्ययन सूची में संस्कृत को सम्मिलित नहीं किया। इधर संस्कृत का अध्ययन आरम्भ किया गया और उधर अनेक भाषा स्त्रन्धी उलझने सुलझने लगीं। सभी प्रश्नों पर प्रकाश पड़ने लगा और उस प्रकाश में विद्वानों को अपने-अपने प्रश्नों का तर्कसंगत, सारमय एवम् संगतिपूर्ण उत्तर मिलने लगा। अभी तक ये सभी भाषाएँ विभिन्न परिवार की समझी जाती थीं, एक भाषा दूसरी भाषा के लिए विदेशी जानी मानी जाती थी, परन्तु संस्कृत के पदापरण होते ही उनका वैभिन्न्य एवम् विदेशीपन जाता रहा और वे सभी भाषाएँ स्पष्ट रूप से एक ही परिवार की विभिन्न देशों में व्याही हुई कन्याओं के समान सिद्ध हो गयीं। उनका विदेशीपन जाता रहा और जैसे नैहर में आई लड़कियाँ अपने ससुराल की विचित्रताओं का त्याग कर पितृगृह में समान अधिकार से प्रतिष्ठित होती हैं, वैसे ही सभी भाषाएँ अपने-अपने उचित स्थान पर समासीन हो गयीं; अवश्य ही संस्कृत ने सर्वाग्रजा का स्थान ग्रहण किया। बड़ी बहन को कितनी ही ऐसी बातों का पता था, जिनका नवश्यामात्र भी छोटी बहनें नहीं बता पायीं थी। उन बातों को या तो वे जानती ही नहीं थीं या भूल गयी थीं। दूसरी भाषाओं ने हमें कुछ भी नहीं दिया, ऐसा समझना भी सत्य की उपेक्षा हो होगी। संस्कृतेतर भाषाओं ने सामूहिक रूप से मानवीय अस्तित्व के जिस अध्याय को जन्म दिया, वह अलग-अलग यहूदी, ग्रीक, लैटिन तथा गिक्सन अध्यायों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था।

जिस प्रक्रिया के द्वारा इतिहास के उस प्राचीन अध्याय को प्रस्तुत किया गया, यह अति साधारण प्रक्रिया थी। ऐसे शब्दों को चुन लिया जाता है जो आर्य परिवार, जिन सातों भाषाओं में समान रूप एवम् समान अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं शब्दों में हमारे वास्तविक पूर्व-पुरुषों के विचारों का सारा इतिहास छिपा पड़ा है जहाँ सर्वप्रकारेण वास्तविक एवम् विश्वसनीय है।

यह इतिहास उस समय के बारे में बताता है, जब आर्य लोग केवल आर्य थे अर्थात् उनका विभाजन नहीं हुआ था। तब वे न तो हिन्दू थे, और न पारसी या ग्रीक या केल्ट या स्लावनिक ही। ऐसा भी हुआ है कि कुछ भाषाओं में कुछ शब्द गायब हो गये हैं, परन्तु फिर भी यदि कोई शब्द छः, पाँच, चार तीन या दो भाषाओं में भी प्राप्त होता है और यदि यह प्रमाणित नहीं हो पाता कि यह शब्द साम्य किम्वदुर्वाच परवर्ती सम्बन्ध के कारण उत्पन्न हुआ है तो हम निस्सन्देह यह परिणाम निकाल सकते हैं कि यह शब्द आर्यों में उस समय व्यवहृत होता था जब वे समवेत रूप से रहते थे तथा जब वे अलग-अलग देशों में बसने के लिये रवाना नहीं हुये थे। यदि हम अग्नि शब्द को लें तो देखेंगे कि संस्कृत भाषा का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में 'इग्निस' हो गया है और अग्नि के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, हम सरलता से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रविभाजित आर्यों को अग्नि का ज्ञान था, भले ही इस अर्थ में यह प्रमाण अन्य पाँच भाषाओं में न हो। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि इस बात का कहीं से कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि अन्य पाँच भाषाओं में अपेक्षा ग्रीक भाषा का सम्पर्क संस्कृत भाषा के साथ अधिक वाद तक रहा हो। यह भी कहने की स्थिति में नहीं है कि लैटिन भाषा ने इस शब्द को संस्कृत से लिया है और यह आदान विभक्तिकरण की प्रक्रिया के बाद हुआ है। लिथुआनिया की भाषा में अग्नि के लिये 'अग्निस' तथा स्काटलैंड की भाषा में 'इंगिल' शब्द प्रयुक्त हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सम्भवतया स्लावनिक एवम् द्यूटनिक भाषाओं में भी आग के अर्थ में 'अग्नि' को ही लोग प्रयोग में लाते थे यद्यपि कालान्तर में ये भाषाओं में आग के लिये दूसरे-दूसरे शब्द प्रयोग में आने लगे। संसार की वस्तुओं का विनाश-शील वस्तुओं की तरह शब्द भी जन्म लेते रहते हैं, बाल, युवा, वृद्ध होकर मरण को भी प्राप्त होते रहते हैं और यह बता पाना कोई आसान काम नहीं है। अमुक भूमि में अमुक शब्द क्यों जीवित बचा रहा जब कि वही शब्द दूसरी भूमि में शताब्दियों पहले ही मर गया। अग्नि शब्द अपने रूप में संस्कृत एवम् लैटिन भाषाओं में जीवित है। परन्तु शेष पाँच भाषाओं में वृद्ध एवम् क्षीण होकर मृत्यु को मसुण में समा गया है सम्भव है कि कालान्तर में उच्चारण के कारण लोगों ने इसका व्यवहार बन्द कर दिया हो।

कल्पना कीजिये कि हम यह जानना चाहते हैं कि अपने विभाजन के पूर्व आर्य लोग चूहे को जानते थे या नहीं। इस प्रकार की ज्ञान प्राप्ति के लिये हमें विभिन्न भाषाओं के कोष देखने पड़ेंगे। इस प्रयत्न का परिणाम यह होगा कि हम संस्कृत मूलक शब्द ग्रीक भाषा में मूस लैटिन में मस प्राचीन स्लावनिक में माइस तथा प्रा

हम भारत से क्या सीखें ?

५३

ग्रीक भाषा में मुस शब्द पावेंगे और इस अनुसन्धान का परिणाम निश्चय रूप से यही होगा कि अति सुदूर भूतकाल में, जिसे हम भारतीय काल निर्धारण प्रणाली द्वारा ही माप सकते हैं जब समूची आर्य जाति अविभक्त रूप से एक ही स्थान पर रहती थी, उस समय भी चूहा नामक जीव को मूषक शब्द से जानते थे और मूषक कहने से तत्समान किसी अन्य जीव का भ्रम हो जाने की आशंका तनिक भी नहीं थी।

इसी प्रकार यदि हम यह जानना चाहें चूहे के जन्मजात शत्रु बिल्ली को उस काल के आर्य जानते थे या नहीं, तो नहीं कह देना न्याय संगत ही होगा। संस्कृत में बिल्ली को मार्जार तथा विडाल कहते हैं। बिल्ली को ग्रीक भाषा में गेली तथा लैटिन भाषा में मस्टेला तथा फेलिस कहते हैं, परन्तु ये इन दोनों शब्द पालतू बिल्ली के अर्थ में नहीं आते वरन् एक प्रकार के नेवले के अर्थ में आते हैं। बिल्ली के लिये ग्रीक भाषा में कट्टा शब्द आता है और लैटिन में कैटस और शेष चार भाषाओं के मार्जारार्थक शब्द इसी कैटस के रूपान्तर मात्र हैं। हम जानते हैं कि कैट नाम का जानवर योरप में मिश्र से लाया गया है जहाँ पर इसे प्रातार्वियों से पाला तथा पूजा जाता था और चूँकि योरप में इस जानवर का आगमन ईसा की चौथी शताब्दी में हुआ, इसीलिये हम कह सकते हैं कि विभाजित होने के पूर्ववर्ती काल में आर्य लोग बिल्ली नामक प्राणी को नहीं जानते थे।

इसी साधारण-सी प्रक्रिया के आधार पर विभाजन के पूर्ववर्ती आर्यों की सम्यक्ता की स्थिति का कमोवेश सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है और किया भी गया है। जिस प्रकार पच्चीकारी के काम में विभिन्न रंगों के पत्थरों को एकत्रित करके सौन्दर्य की सृष्टि की जाती है, उसी प्रकार विभिन्न शब्दों को चुनकर उनके द्वारा उनके प्रयोग करने वाले लोगों का इतिहास प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि अन्यान्य साधनों पर हम चाहें, जितना प्रयास करें परन्तु प्राचीन आर्यों की स्थिति का दिग्दर्शन कराने में जो सफलता हमें इन शब्दों के आधार पर मिली है, इसकी तुलना में अन्य साधनों द्वारा प्राप्त चित्र नगण्य सा-ही है।

इतना ही नहीं, भारत, यूनान, इटली तथा जर्मनी में फैले हुये विभिन्न शब्दों को खोज-खाज कर आर्यों की जिस आदि भाषा को प्रस्तुत किया गया है वह विचारों की एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम है। जीवन की उस सुदूर अतीत काल सीमा को निर्धारित करने में तिथि सम्बन्धी वाधाओं से प्रायः लोग घबरा जाते हैं। यदि हम देखते हैं कि ईसा के पूर्व की पन्द्रहवीं शताब्दी में ही संस्कृत भाषा ने साहित्यिक भाषा का स्वरूप प्राप्त कर लिया था और उस समय उसमें तथा ग्रीक भाषा में कोई साम्य नहीं दिखाई पड़ता तो इन दोनों भाषाओं के मूल श्रोत को खोजने के लिए अग्रे कितना पीछे जाया जाय। यदि काल प्रवाह की उल्टी दिशा में चल कर हम उस

समय को सीमा नें पहुंच जायें, जहां ग्रीक और संस्कृत एक ही आर्य भाषा में समाहित हो जाती हैं तो हम देखेंगे कि वह मूलभाषा भी उस पाषाण के समान हो गयी जो सदियों से वर्षा की झाड़ियों एवम् वायु के थपेड़ों को सहते-सहते एक दम चिकु हो गया है। उस भाषा में हमें 'अस्मि' शब्द मिलता है, जो संस्कृत में आज भी उस रूप में तथा ग्रीक भाषा में एस्मि रूप में पाया जाता है। संस्कृत के अस्मि का अर्थ होता है "मैं हूँ" यदि हम यह जानना चाहें कि संस्कृतेतर अन्य भाषाओं में 'अस्मि' के अर्थ देने वाले कौन से शब्द या शब्द समूह आते हैं तो हमें पूर्ण निराशा होती है, क्योंकि इन भाषाओं में 'अस्मि' के समानार्थी जो शब्द समूह बनते हैं उनके अर्थ वास्तव में होता है "मैं खड़ा होता हूँ," "मैं रहता हूँ," या "मैं उत्पन्न होता हूँ।" केवल दो एक भाषाओं ही ऐसी हैं जिनमें 'अस्मि' के वास्तविक समानार्थी शब्द मिलते हैं। हम लोगों को 'अस्मि या मैं हूँ' कहना सर्वथा स्वाभाविक प्रतीत होता है, परन्तु किसी भी कलात्मक कृति में इतना मानव प्रयत्न नहीं लगा है जितना इस छोटे से शब्द 'अस्मि' में लगा है और वे सभी प्रयत्न आर्यों की आदि भाषाओं में त्यों में छिपे पड़े हैं। इस 'अस्मि' शब्द को मान्यता प्राप्त होने के पहले न जाने कितने शब्द बनाए गए, उन्हें परखा गया और उन्हें अपने मतलब का न पाकर छोड़ दिया गया, परन्तु "मैं हूँ" का अर्थ देने वाला कोई भी अकेला शब्द न बनाया जा सका। अन्त में 'अस्मि' शब्द को इस योग्य समझा गया कि इसे मान्यता दी जाय। कालान्तर में भी इस शब्द को अपदस्थ करने के प्रयत्न किए गए पर वे सभी व्यर्थ हुए और तब से यह यौगिक शब्द निर्वाच रूप से अपना स्थान बनाये हुए है। अस्मि एक शब्द नहीं है। इसमें अस् धातु है, जिसका अर्थ है अस्तित्व में होना। यही धातु के पुरुष एवम् काल के अनुसार वर्तमान काल लट् लकार में उत्तम पुरुष एवम् वचन में 'अस्मि' हो जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार की किसी अन्य भाषा में उसकी जोड़ का शब्द नहीं है। प्रारम्भ में अस् धातु स्वांस लेने के अर्थ में ग्रहण की जाती थी। इससे असु शब्द बनता था, जिसको स्वांस, आत्म, जीवन इत्यादि के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता था। अस् को मुंह के अर्थ में ग्रहण किया जाता था और इसी का रूपान्तर है लैटिन का ओस या ओमिस शब्द जो मुख के अर्थ में ग्रहण किया जाता था। धीरे-धीरे अस् के स्वांस लेने के अर्थ में ह्रास होने लगा और लोग इसे अस्तित्व के अर्थ में ग्रहण करने लगे। बिना संस्कृत का अध्ययन किए हुए आप नहीं समझ सकेंगे कि शून्य के आविष्कार के समान अस् धातु के अर्थ परिवर्तन ने भारतीयों की विचार धारा में कितना महत्वपूर्ण किया है। जिस प्रकार शून्य का आविष्कार करके भारतीय विद्वानों ने गणित के क्षेत्र में महान् कान्ति ला दिया, उसी प्रकार अस् धातु का अर्थान्तर करके भारतीयों ने

हम भारत से क्या सीखें ?

११

विचार जगत में महान् कार्य किया। कौन कह सकता है कि अस् का अर्थ परिवर्तन में कितना समय लगा। हम यह भी मानने को बाध्य हैं कि अस् धातु आयों की है न कि सेमिटिक जातियों या तूरानियों की। इस धातु की ऐतिहासिक विशेषता है; और यह कृति है हमारे विचारों को हमारे पूर्व पुरुषों की और यह कृति प्रतिनिधित्व करती है उस कड़ी का जो हम को, हमारे विचारों को हमारे पूर्वजों एवम् उनके विचारों से जोड़ती है। यह हमें संयोजित करती है उन लोगों से जिन्होंने हमारे लिए वाणी-विलास को जन्म दिया; शब्दों की योजना की और हमारे सामने एक सुनियोजित विचारधारा प्रस्तुत की। उन्होंने जो कुछ सोचा, समझा, कहा और किया उन सब का सुफल आज हमारे बौद्धिक विलास की वात बन गया है, भले ही हमारे उनके समय में हजारों ही नहीं लाखों वर्षों का व्यवधान क्यों न हो।

मैं इसी को इतिहास कहता हूँ। यही सच्चे अर्थों में इतिहास है भी। इतिहास शब्द का अर्थ भी यही निर्देशित करता है और इसी प्रकार का इतिहास ही जानने योग्य है। कौन राजा कब हुआ, उसने कितनों का राज्य हड़प लिया, कितने निरपराधों की हत्या का कारण बना, या किस राष्ट्र ने कितनी बेईमानी (राजनीति) से किस राष्ट्र का सर्वस्व हरण कर लिया इन सब बातों के संग्रहीत वर्णनों को इतिहास की संज्ञा ही नहीं दी जा सकती। कम से कम मैं तो इसे इतिहास नहीं मान सकता। हम एक विचारपूर्ण युग में जन्मे हैं। हम लोगों के सौभाग्य से लोग इतिहास की इस वास्तविक धारा को जानने मानने लगे हैं और हमारे ही नहीं कितने ही देश के नव-युवक इस प्रकार कार्यप्रणाली में लग जाने को तत्पर हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने प्राचीनता की इस निधि का अनुसन्धान कार्य हाथ में लिया तो आपको निश्च शोध करने के अवसरों की कमी न होगी। मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब आजकल के लोग भी पूछ बैठते हैं कि संस्कृत का अध्ययन क्यों।

मानव प्रकृति ही इस प्रकार की है कि हम सब कुछ देखने और मानने के आदी हो जाते हैं। जिन दृश्यों ने हमारे अति प्राचीनकाल के पूर्वजों को आश्चर्याभिभूत कर दिया होगा, वे हमारे लिए साधारण जान पड़ते हैं। जिन नयी बातों ने हमारे पूर्वजों की प्राचीन मान्यताओं एवम् कल्पनाओं को छिन्न-भिन्न करके नई मान्यताओं

*श्री अरविन्द का कहना है कि अति प्राचीनकाल में संस्कृत ही हमारी भाषा थी जो अति भव्य है, सर्वाधिक सम्पूर्णा है तथा साहित्यिक कृतियों की रचना के लिए उन सभी भाषाओं में सर्वाधिक उपयुक्त है जिनकी रचना किसी भी देश के मानव मस्तिष्क ने किया है, श्री अरविन्द लिखित 'द फाउण्डेशन्स ऑफ इण्डियन कल्चर' देखें

को स्थापित करने पर विवश कर दिया होगा वे आज हमारे लिए अति सामान्य गयी हैं। कल्पना कीजिए कि मानव जीवन में जब सर्वप्रथम भूचाल आया होगा उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा। आकाश में उगे बहुरंगी इन्द्रधनुष को देखकर उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा। आजकल का प्रत्येक छात्र जानता है कि अंग्रेजी भाषा या तो आर्यों की भाषा है या इंडो-यूरोपियनों की। हम जानते हैं कि ट्यूटनिक, इटैलियन, ग्रीक, केल्टिक, स्लावनिक, फारसी तथा भारतीय भाषायें सभी एक भाषा वृक्ष की शाखायें हैं, जिसे हम सभी लोगों के पूर्वजों ने आरोपित किया था सींच कर बढ़ा दिया था। उसी वृक्ष की इन समनोदक शाखाओं ने मिल कर भाषा के इन्डो यूरोपियन परिवार का सङ्गठन किया है। आप उस समय के लोगों की मानसिक स्थिति की कल्पना करने का प्रयत्न कीजिये जब इस तथ्य को प्रकाश किया गया होगा।

आज यह बात भाषा विज्ञान के प्रथम पाठ में सिखलाई जाती है, परन्तु केवल पचास वर्षों पूर्व (आज से प्रायः एक सौ चालीस वर्षों पूर्व) इस तथ्य ने हमारे बौद्धिक संसार में एक महती क्रान्ति को जन्म दिया था और हमारे समक्ष एक नये सिद्धि की स्थापना कर दिया था। इस तथ्य पर प्रकाश पड़ने के पूर्व का प्रत्येक भाषा भाषी अन्य भाषा भाषियों को एक विदेशी की दृष्टि से देखता था, परन्तु इस तथ्य ने सभी लोगों को भ्रातृत्व के एक अभूतपूर्व सूत्र में आवृद्ध कर दिया। इस तथ्य ने कितने हठ रक्तपिपासुओं को सुसंस्कृत दशा में ला दिया, इसकी कल्पना ही बड़ी सुखद है जिनको असम्भव समझ कर धृणा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती थी, आज उन्हें को अपने ही परिवार का सदस्य जान कर गले लगा लेने की इच्छा होती है। एक भाषा के बोलने वालों में बन्धुत्व की भावना जितनी प्रबल होती है, उतनी एक ही भाषा का दूध पीने वालों में नहीं। हम देख चुके हैं कि संस्कृत भाषा वही है जो ग्रीक, लैटिन तथा आंग्ल सैक्सन भाषायें हैं। इस प्रकार के भाषा बन्धुत्व की भावना का जन्म ही नहीं सम्भव था, यदि भारतीय भाषा एवम् साहित्य का अध्ययन न किया गया होता। विश्वबन्धुत्व का जो उपदेश हमें इस भाषा से मिला है, वह अन्यत्र कभी भी नहीं मिल सकता था। यद्यपि संस्कृत से हमें अन्य कोई उपलब्धि के सहारे उस उपादेयता सर्वाधिक ही रहती।

जिस समय इस प्रकार के भाषा बन्धुत्व का तथ्य विद्वानों के सामने आया, उन्होंने इस प्रकार की बातें कहीं जो मनोरञ्जक तो थीं हीं, उपदेशपूर्ण भी थीं। इस प्रतिक्रिया में यूरोप के अनेक विद्वान् दार्शनिकों ने विभिन्न बातें कहीं। वे यह मानने को किसी भी प्रकार प्रस्तुत नहीं थे कि एथेंस तथा रोम के निवासियों एवम् भारत

कृष्ण वर्ण वाले निवासियों के बीच किसी भी प्रकार बन्धुत्व को भावना भी स्थापित
 हो जा सकती थी। इस तथ्य को सुनकर वे लोग इतना आश्चर्याभिभूत हो उठे थे
 कि उन्हें यह बात सर्वथा अविश्वसनीय ही जान पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ कि यह
 तथ्य उन लोगों की पारस्परिक मान्यता के विपरीत जा पड़ा था। वे इस प्रकार की
 बन्धुत्व भावना को अपने लिए सर्वथा तिरस्करणीय मानते थे। मुझे उस समय की
 मृति है। उस समय मैं लिपजिग में एक छात्र था और अभी मैंने संस्कृत का पढ़ना
 प्रारम्भ ही किया था। उस समय संस्कृत के प्रति हमारे समादरणीय अध्यापकों की
 प्रशंसा देखने की चीज थी। मजा यह है कि इस प्रकार की संस्कृत विरोधी भावना
 शिकार होने वालों में इरमैन, हांफ्ट, वेस्टरमैन, तथा स्टालवाय जैसे लोग भी थे।
 मेरा विचार है कि संस्कृत, ज़िद, ग्रीक, लैटिन तथा गोथिक भाषाओं का तुलनात्मक
 आ्यकरण प्रकाशित करने पर प्रोफेसर बाय को जितने उपहास का पात्र बनना पड़ा, वह
 गद्वितीय है। सभी विद्वान उनके विरोधी हो गये थे। यदि कहीं कोई भी छोटी से
 के छोटी भूल भी दिखाई पड़ गयी तो ऐसे भी लोगों ने उनके खिलाफ आवाज बुलन्द
 दिकिया, जिनको विद्वत्ता इतनी सामान्य थी कि उन्हें ये त्रुटियाँ कोष के सहारे ज्ञात हुईं।
 गिल्गाल्ड स्टेवर्ट ने हिन्दुओं एवम् स्काटलैंडवासियों के बीच की बन्धुत्व भावना को
 मानने के स्थान पर यह मानना अधिक श्रेयस्कर समझा कि तीन हजार वर्षों के
 सदीर्घकाल में रचा गया समूचा संस्कृत साहित्य एवम् संस्कृत भाषा भी भारत के धूर्त
 ने हुरोहितों अर्थात् ब्राह्मणों का वाग्जालमात्र है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा
 कि अकेले भारत का साहित्य यूनान अथवा रोम के साहित्य से कहीं विशाल है और
 इतने विशाल साहित्य को केवल इसलिए वाग्जालमात्र करार दे दिया गया था कि
 ऐसा न करने पर यह स्वीकार करना पड़ रहा था कि भारतीय और यूरोपीय लोग
 एक ही वृक्ष की दो शाखायें हैं। इस प्रकार के अवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले
 लोग हमारे यहाँ भी थे, परन्तु बात कुछ ऐसी ही है। नवीन खोज को मानने के लिए
 विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और यदि उस खोज का परिणाम पार-
 स्परिक विश्वासों के विपरीत हुआ तो यूरोप वाले उसको सहज में मानने वाले नहीं।
 आप जानते हैं कि योरप वाले अपने विश्वासों के मामले में कितने कट्टर* होते हैं।

*भारतीयों का जीवन कभी अकेला नहीं रहा। संकुचित वृत्ति वाले समालोचक
 कुछ भी कह सकते हैं, परन्तु मान्य विचारों को स्वीकार करने में भारतीयों का
 मुकाबला संसार की कोई भी जाति नहीं कर सकती। विचारों के आदान-प्रदान में
 वे सदैव आगे रहे हैं, यही उनको महानता थी। चारु चन्द्रदत्त (द कल्चर ऑफ
 इण्डिया पृष्ठ २२)।

अपनी इसी कट्टरता * के कारण हमने ईसा को मार डाला; सुकरात को मार डाला; जेलीलियों को भी करीब-करीब मार ही डाला। छोटे-मोटे असंख्य लोग हमारे कट्टरता के शिकार हो चुके हैं। मुझे वह दिन याद है। तब मैं लिपजिग के विद्यालय में पढ़ता था। आप जानते हैं कि लिपजिग का भी विद्यालय अपनी प्राचीनता के उतना ही प्रख्यात है, जितना अपने अध्यापकों एवम् छात्रों के लिये। लैवनिज विद्यालय के छात्र रह चुके हैं। उस दिन बड़ी गर्मी पड़ रही थी। कोई गम्भीर करने की स्थिति में हम लोग नहीं थे। तीसरे पहर डा० ली ने पढ़ाने के बतियाया कि एक ऐसी भाषा थी, जो भारतीय में बोली जाती थी और ग्रीक तथा अन्य भाषाओं से ही नहीं, वरन् जर्मन तथा रूसी भाषाओं से भी उसका बड़ा साम्य पहले हमने समझा कि मास्टर साहब मजाक कर रहे हैं; परन्तु जब हमने क्या की ओर देखा तो हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। उस पर संस्कृत, ग्रीक तथा अन्य भाषाओं के समान अंक, सर्वनाम तथा क्रियाएँ समानान्तर रेखाओं तथा स्तम्भों लिखी हुई थीं। हम लोगों के समक्ष एक ऐसा महान् तथ्य उद्घाटित किया गया, जो हमारी प्रचलित विचारधारा के शत-प्रतिशत विपरीत था, परन्तु जिसके प्रभाव ऐसे अकाट्य थे कि उनके सामने सर झुकाने के सिवा कोई चारा नहीं था। आप और हव्वा सम्बन्धी विचारों के साथ बैकुण्ठ के विचार, बाबुल के मीनार सम्बन्धी विचार, होमर तथा विरजिल सम्बन्धी विचार एक साथ ही दिमाग में चक्कर लगने लगे। एक बार वे सब के सब जैसे एक में ही घुलमिल गये। अन्त में अपने ही दिमाग ने उन सब विचारों को अलग-अलग करके उन्हें एक सुनियोजित शृङ्खला में व्यवस्थित किया और इतिहास के एक जाग्रत परिच्छेद की सृष्टि हमारे मानस में अपने सम्पूर्ण प्रकार के साथ के साथ उद्भासित हो उठी।

शायद अब आप लोग इस बात को स्पष्ट रूप में समझ गये होंगे कि प्राचीन उदारतापूर्ण एवम् ऐतिहासिकतापूर्ण शिक्षा प्रणाली में भारत सम्बन्धी ज्ञान की

भारतीयों में इस प्रकार की कट्टरता के दर्शन शायद ही कभी होते हैं। प्रचलित विश्वास की विरोधी भावनाओं को भी उन्होंने आदरपूर्वक ग्रहण किया। इतिहास के उस क्रम में भी भारतीयों की ग्राहकता का पूर्ण परिचय मिलता है। विदेशी शासन के अन्तर्गत होने से उनकी ग्राहक शक्ति क्षीण हो चली थी। "वास्यमिदम् सर्वम् यत्किञ्च जगत्याम् जगत्, तेन त्यक्तेन भुजीयाः मा गुह्यं धिक्नुवन्" का उपदेश करने वालों ने चार्वाक के "यावज्जीवेत् सुखम् जीवेत् कृत्वा पिवेत् अणम् भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः" को भी सुना था और चाणक्य को ऋषियों में स्थान दिया था।

हम भारत से क्या सीखें ?

५६

वस्था अत्यावश्यक क्यों है। ज्यों-ज्यों हम भारत से परिचित होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों हम लोगों का अर्थात् हम यूरोप निवासियों का दृष्टिकोण विस्तृत होता जा रहा है। भारत के प्रति हमारी प्राचीन मान्यताओं एवम् मनोवृत्तियों में सुधार हो रहा है और हम लोग इस बात को जानने मानने लगे हैं कि हम वह नहीं हैं जो अपने को समझते आ रहे हैं। हम लोग उससे सर्वथा भिन्न प्रकार के लोग हैं। कल्पना जिये कि किसी प्रकार के दैवदुर्विपाक से हमारे अमेरिकन बन्धु यह भूल जायें कि इंग्लैंड वालों के ही वंशज हैं। दो-तीन हजार वर्ष बीत जाने पर उन्हें एक ऐसी भाषा का पता लगता है ऐसे विचार उस समय में चल पड़ते हैं जिनके मूल का पता पाने के लिये कोई अनुसन्धानकर्ता इतिहास पथ पर कालप्रवाह की उल्टी दिशा में बढ़ कर ऐसे समय में जा पहुँचता है, जहाँ उसकी गति अवरोध हो जाती है तथा उसे पड़ता है कि इसी समय में ये विचार तथा यह भाषा सीधे आसमान से टपक गये हैं। उसके समय का सारा समाज ही पथभ्रान्त हो उठता है, उनके कितने ही प्रश्नों का उत्तर असम्भव हो जाता है तथा कितनी ही समस्याएँ उलझी ही रह जाती हैं। अचानक अनुसन्धानकर्ता को पता चलता है कि जहाँ जाकर, उसका खोजपथ रुक गया था, उसके आसपास ही सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेजी नाम की एक भाषा थी, उससे ही उनकी भाषा निकली थी तथा जिसके विचारों को आधार बनाकर ही उनकी विचारधारा आगे को प्रवाहमान हुई थी। इस नवीन खोज से सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सभी उलझनें सुलझ जाती हैं। ऐसी दशा में उस समाज के लोगों के सामने प्रति क्या भाव होंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। यदि आपकी कल्पना तत्प्रबल है तो आप उस समाज के हमारे प्रति आभार का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का कार्य संस्कृत भाषा में अनुसन्धान करने से पूर्ण हुआ है। विद्वान् ऐतिहासिक चेतना में इसने एक सर्वथा नवीन अनुच्छेद को जन्म दिया है। हमें अपने शैशव का स्मरण हो आया है, वह शैशव जो अनेक ज्ञात अज्ञात प्रेरणों से विस्मृत के गर्भ में विलीन हो चुका था।

आज से सहस्रों वर्ष पूर्व हम चाहे जो कुछ रहे हों, परन्तु इतना तो स्पष्ट ही कि उस समय न तो हम अंग्रेज ही थे और न सैक्सन, ग्रीक या हिन्दू ही, फिर भी सभी जातियों के बीजाणु हममें वर्तमान थे। आप कह सकते हैं कि इस उस समय विचित्र स्थिति में थे और हमारी जाति भी विचित्र ही थी, यद्यपि उसका नाम कह सकने में हम असमर्थ हैं। इतना सब होते हुये भी हम थे अवश्य, हमारे पूर्वजों की स्थिति असंदिग्ध है, उन पूर्वजों की जिनकी सन्तान होने में हमें गर्व की अनुभूति है या होनी चाहिये। वे हमारे नार्मन, सैक्सन, केल्ट या इनके ही समान अन्य

पूर्वजों से अधिक गौरवास्पद थे ।

हमको यह समझकर सन्तोष न कर लेना चाहिये कि संस्कृत तथा आर्य भाषाओं के अध्ययन से हमारी उपलब्धि इतनी ही है । इससे हमें इनसे गौरवपूर्ण बातें मिली हैं । इसने मानव के प्रति हमारे दृष्टिकोण को अधिक किया है, तथा हजारों ऐसे लोगों को गले लगाने योग्य सिद्ध कर दिया है जिन्होंने आज तक विदेशी तथा कितनों को ही जंगली समझ कर तिरस्करणीय मानते आये थे । आज हम इन सभी लोगों को स्वपरिवार में सम्मिलित मानते हैं । इतना नहीं, इस प्रकार के अध्ययन ने हमारे प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डाल कर जैसा वास्तविक बना दिया है, उतना वास्तविक वह हमें कभी भी नहीं लगता था ।

हमारा कुछ ऐसा स्वभाव ही बन गया है कि हम जाते तो हैं निरन्तर भी की ओर परन्तु हमारा भूतकाल हमें अनवरत रूप से आकर्षित करता रहता कदाचित् प्रकृति का विधान ही कुछ ऐसा है कि हम प्यार तो करते रहते हैं अतीत को और विवश रहते हैं आगे बढ़ते रहने को । हम अपनी दैनिक जीवन में जब भी कोई ऐसी वस्तु पा जाते हैं, जिसकी प्राचीनता सिद्ध रहती है तो हमें आश्चर्य प्रसन्नता से चमक उठती हैं । एक छुद्रतम एवम् अति साधारण वस्तु का यह बढ़ जाता है, यदि लोग यह जान जायें कि यह वस्तु प्राचीन काल से सम्बन्धित उसकी प्राचीनता जितनी ही अधिक होगी उसका महत्व भी उतना ही अधिक होगा । हम उसको प्रेम से ग्रहण करते हैं; उसे अपने मित्रों को दिखाते हैं और यदि हमें हृष्टा तो उसके प्रदर्शन एवम् उसकी सुरक्षा के लिये राजप्रासादों से भी भवन-भवनों का निर्माण करते हैं । कितनी ही यूनानी मूर्तियों के लिये, मिश्री स्फिन्क्स के लिये या बेविलोनियन साँड़ों के लिये हमने प्रदर्शनार्थ एवम् सुरक्षार्थ भवन (अजायबघर) बनाये हैं, जो किसी भी राजप्रासाद से होड़ कर सकते हैं । हमने प्राचीन वस्तुओं की रक्षा का उतना ही प्रयत्न किया है जितना प्रयत्न हम बड़े से बड़े कोषों की रक्षा करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा होना भी चाहिये, किन्तु क्या आप सब जानते हैं कि इन राजप्रासादों से भी भवनों की अपेक्षा और भी अधिक दृढ़ अजायबघर हम सबके पास हैं, हम कह सकते हैं कि ये अजायबघर सर्वाधिक मूल्यवान् आश्चर्यपूर्ण हैं । उनकी दृढ़ता के आगे न तो यूनान की मूर्तियाँ ही कुछ हैं और बेविलोनिया के साँड़ ही । आपके मन में कुतूहल तो होगा कि मैं किन नवीन अजायबघरों की बात कर रहा हूँ । यदि आप थोड़ी भी गम्भीरता से स्वयम् अपनी आकांक्षायन करें तो आपको तुरन्त ही पता चल जायगा कि स्वयम् आपकी ही एक बड़े अजायबघर के ही समान असंख्य वस्तुओं एवम् विचारों के इतिहास अपने में सुरक्षित किये हुए है । जिस समय हम अपनी अंगरेजी भाषा के फाय

गदर, हार्ट या टियर, बन, दू, थ्री, हियर तथा देअर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम ऐसे सिक्कों का प्रयोग करते हैं जो उस समय भी प्रचलन में थे जब यूनान की सृष्टियाँ, मिश्र के स्फिक्स तथा बेविलोन के सांडों का विचार भी लोगों के मन में नहीं आया था। आपको यह ज्ञानकर परमाश्चर्य होगा कि इनमें का प्रत्येक शब्द प्राचीनता का अद्भुत संग्रहालय है। जिस प्रकार आप संग्रहालय की विभिन्न वस्तुओं को देखने मात्र से उनके बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, उसी प्रकार इन शब्दों को मात्र बोलने, सुनने अथवा पढ़ने से आप उनमें निहित अर्थों, विचारों एवम् सम्पराग्र्यों का ज्ञान नहीं पा सकते। उनके लिये आवश्यकता इस बात की है कि आप उन शब्दों के क्रमागत रूप को खोजते हुए उनके मूल तक पहुँच पाने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार प्राचीनकाल के सिक्कों को पूर्वापर के क्रम में सजा कर उनका अध्ययन करके इतिहास की छिन्न कड़ियों को नियोजित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इन शब्दों को भी पूर्वापर क्रम में शृंखलाबद्ध करके उनका अध्ययन करके कितनी ही अभूतपूर्व बातों का पता लगाया जा सकता है। उसके लिये आवश्यकता इसकी है खोजपूरा अध्ययन करने की और अपने अध्ययन को शृंखलाबद्ध रूप में रखने की। आप विश्वास रखें, इन शब्दों ने आपके सामने न जाने कितनी कहानियाँ कही हैं, जो अब प्राचीन कहानियों की श्रेणी में आ चुकी हैं, परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं हो सकता कि इनकी कहानियों की शक्ति अब भी वैसी है और ये कहानियाँ प्रत्येक वार नवीन हो हो सकती हैं, यदि कोई भी अध्यवसाय पूर्वक इन कहानियों को जानने का कष्ट-पूर्ण प्रयत्न करे। संसार में कितनी ही ऐसी वस्तुएँ हैं जो अपने में अनेक अज्ञात रहस्यों को छिपाये रहने पर भी केवल इसलिये लोगों को आकर्षित नहीं कर पातीं कि वे एकदम साधारण वस्तुएँ हैं और निरन्तर हमारी दृष्टि के सम्मुख रहती हैं। मानों उनका सर्व सुलभ होना ही उन्हें अनाकर्षक बनाये रखता है। थोड़ा विचार करके देखें तो इन शब्दों की भी यही स्थिति है। उनकी साधारणता ही उन्हें लोगों के अध्ययन क्षेत्र से दूर रखती। यदि, आप यह सोच लेते हैं कि इस क्षेत्र में इतना कुछ किया जा चुका है कि अब आपके लिये कुछ भी करने को नहीं रह गया है, तो आप भूल करतें हैं। यह सत्य है कि भाषा पर पर्याप्त अध्ययन हो चुका है, परन्तु यह भी सत्य है कि अब भी इसका अधिकांश क्षेत्र अनुसन्धानकारियों की प्रतीक्षा व्यग्रता से कर रहा है। किसी कलात्मक वस्तु का परिचय देते हुए जिस प्रकार आप उसके एक एक अंग को अलग करके उसका विवरण देते हैं, उसी प्रकार यदि एक शब्द के (चाहे वह कितना ही सामान्य क्यों न हो) अंग, प्रत्यंग को अलग करके देखने का एवम इस प्रकार अतीत में प्रवेश करके उसके

मूल रूप और मूल-स्थान से परिचित होने का प्रयत्न किया जाय तो हमारे सामने जिस भव्य नाटक का पर्दा उठेगा, उसके दृश्य एवम् अभिनय से ही न केवल सन्तोष प्राप्त होगा बल्कि जाने वाली सन्तानों के लिये भी आगे बढ़ने का पथ प्रशस्त उठेगा। आप सोच कर देखें कि इन भवनों, स्मारकों एवम् कलात्मक चित्रों निर्माण मनुष्य के हाथों ने किया है परन्तु इन शब्दों का निर्माण मनुष्य के मस्तिष्क ने किया है और इसीलिये वे अधिक सारगर्भित हैं। अरेबियन नाइट्स की कहानी आपको चमत्कृत कर देती है, परन्तु इन शब्दों की कहानियाँ अनेकानेक ऐसे चमत्कारों से पूर्ण है जो हजारों वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुए थे और आज भी उन चमत्कारों की धारणियों की त्यों प्रवाहित हो रही है। अब यह आपके मन पर निर्भर करता है कि आप उसमें तैरने वाले विभिन्न जल जन्तुओं का भी परिचय जानना चाहते हैं या केवल उस धारा को ही देख कर सन्तोष करके बैठ रहते हैं।

हम लोगों का कुछ ऐसा स्वभाव ही बन गया है कि हम अतीत के प्रेमी होते हैं। हम प्राचीनों के विषय में लिखना भी पसन्द करते हैं और उसके विषय में बोलना भी परन्तु इस समय हमें अपने मुख्य विषय से अलग नहीं होना है। किसी प्रकार की लम्बी प्रस्तावना देकर मैं आप लोगों को यह बता देने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जिसे हम उदार शिक्षा-व्यवस्था या ऐतिहासिक शिक्षा-व्यवस्था कहते हैं वह भाषा विज्ञान के सम्यक् अध्ययन के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और भाषा विज्ञान का किसी भी प्रकार का अध्ययन संस्कृत भाषा के अध्ययन के बिना अपूर्ण ही रहेगा। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होगी तभी हम फ़ास निवासियों के इस कथन को समझ पावेंगे कि 'पूर्व की खोज करो', 'सच्चे पूर्व की खोज करो' और संसार के इतिहास में उसे उचित स्थान दो। उपरोक्त प्रकार के अध्ययन से हम जान सकेंगे कि हम कहाँ से चले हैं, किन-किन मार्गों पर चलकर हम यहाँ पहुँचे हैं और हमें किस ओर जाना है।

यह निर्णीत हो चुका है कि हम सभी पूर्व से ही आये हैं। इतना ही नहीं हमारे जीवन की जितनी भी प्रमुख एवम् महत्वपूर्ण बातें हैं, सब की सब हमें पूर्व से ही मिली हैं। ऐसी स्थिति में जब भी हम पूर्व की ओर जायें तभी हमें यह सोचना चाहिये कि हम अपने प्राचीन घर की ओर जा रहे हैं भले ही हमने पूर्व विषयक अध्ययन किया हो या नहीं। किसी भी व्यक्ति को उदार शिक्षा मिली होगी, जिस किसी ने भी शिक्षा के ऐतिहासिक क्रम को समझा होगा, वह पूर्व को अपना घर ही मानेगा। पूर्व को जाते हुए उसके मन में उसी प्रकार की सुखद अनुभूतियाँ आवेगी जैसी अनुभूतियाँ उसे अपने घर की ओर अग्रसर होते समय आती हैं। यदि वह समुचित शिक्षा पाये हुए है तो ज्यों-ज्यों वह पूर्व की ओर बढ़ता हुआ चलेगा, त्यों-त्यों उसे ऐसी वस्तुएँ, ऐसी

हम भारत से क्या सीखें ?

६३

स्थितियाँ मिलेंगी, जिनसे उसका पूर्व परिचय रह चुका होगा। वह जो कुछ भी देखेगा, उसे यही मालूम होगा, जैसे वह इन्हें पहले कहीं देख चुका है। उसकी अनुभूति बिल्कुल उसी प्रकार की होगी जैसे कोई बालक कुछ दिन ननिहाल में रह कर अपनी जन्मभूमि की ओर लौटते हुए मार्ग की प्रत्येक वस्तु को परिचित पाता है और उसका रोम-रोम एक अकथनीय आनन्द से भर उठता है। प्रायः ऐसा होता है कि जब यहाँ के लोग भारत के लिये प्रस्थान करते हैं तो उनका दिल बैठने लगता है और ज्यों-ज्यों वे भारत के समीप होते जाते हैं त्यों-त्यों यह दिल बैठने का भाव प्रबल से प्रबलतर होता जाता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है ? ऐसा इसलिये होता है कि आपने भारत के ऋण को समझा नहीं है, ऐसा इसलिए होता है कि अपने अध्ययन द्वारा आपने भारत से परिचय नहीं प्राप्त किया है। इसीलिये आपको ऐसी अनुभूति होती है, जैसे आप किसी पूर्ण अपरिचित देश में जा रहे हों। मेरी हादिक अभिलाषा है कि अगले वर्ष जब आप भारतीय तट को दूर से देखें और जब आप भारतीय तट पर पहला कदम रखें तो आपके मन में भी ऐसी ही विचारधारा चले जैसी धारा सर विलियम जोन्स के मन में आज से एक शताब्दी पूर्व उठी थी, जब इंग्लैंड से चलकर एक लम्बी जलयात्रा के बाद उनका जहाज भारत के समीप पहुंचा और उन्होंने अपने दूरस्थ जहाज पर से ही पूर्व क्षितिज के अन्त में भारतीय तट को अस्पष्ट से स्पष्ट होते हुये देखा था। उस समय कुछ ऐसे प्रबुद्ध नवयुवक भारत की ओर गये थे जो स्वप्नों का जाल बुनने में लज्जा का कोई कारण नहीं देखते थे। वे भारत को स्वप्नों का देश समझकर ही वहाँ जाते थे और वहाँ की स्थितियों, वहाँ के दृश्यों को देख-देख कर मानों उसके स्वप्न साकार हो उठते थे। वे कल्पना के संसार में सानन्द भ्रमण करने लगते थे और इस प्रकार उनके मन को, प्राण को एक अकथनीय आनन्द मिलता था। सर विलियम जोन्स ने भी कुछ स्वप्न देखे थे, वे भी कल्पना के पंखों का रसास्वादन कर चुके थे और उनके मन व प्राण जिस सुखानुभूति से अनुप्राणित हो गये थे, उसे उन्हीं के शब्दों में निरूपित किया।

“जब मैं अगस्त सन् १७८३ में उस भारत की यात्रा पर था जिसे देखने की मुझे चिर दिनों से प्रबल आकांक्षा थी तो एक संध्यकाल को नित्य की तरह सांध्य सूर्य देखते हुए हमने पर्याप्त दूर से पूर्वी क्षितिज से भारतीय तट को धीरे-धीरे उभड़ते हुए देखा। भारत हमारे सामने था, फारस हमारे वामपार्श्व में था और हमने से अरब सागर की सुखद शीतल हवा हमारे मुँह पर लग रही थी। यह स्थिति अपनी आह्लादपूर्ण थी और मेरे लिए इतनी नवीन थी कि उसके प्रभाव से मस्तिष्क

का तुच्छासितुच्छ कोना भी कल्पना कुमारी के तूपुररव से मुखरित हो उठा। अन्त में मुख्य निरर्ता तब सुकुमारी अगणित स्वप्नों के वैभव की सृष्टि-सी करने लगे। मने पूर्व के बारे में पढ़ा था, उसके घटना पूर्ण इतिहास का भी अध्ययन किया। उसकी आख्यायिकाओं को भी मनोरंजक एवम् ज्ञानवद्धक पाया था, परन्तु भारत स्वप्नों के देश भारत को, सुखद स्मृतियों से पूर्ण भारत को स्थूल रूप में अपने सामकर मानस ने जिस प्रकार की विचार धारा को जन्म दिया वैसी धारा तो पूर्व कभी भी इस मस्तिष्क में नहीं उठी थी। एशिया के विभिन्न विस्तृत देश विश्व के चिर-पोषक रहे हैं, उन्होंने सुखिपूर्ण एवम् लाभप्रद कलाओं को जन्म दिया। इन देशों में अनेक गौरवपूर्ण घटनाएँ घटित हुई हैं, इन्होंने एक से एक प्रतिभाओं जन्म दिया है और इन देशों में धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवम् सभ्यताओं का अन्त नहीं रहा है और नहीं इनके निवासियों में रचना का एवम् वर्ण साम्य रहा है। ऐसे वैभिन्यपूर्ण देशों से घिरे हुए भारत का तो कहना क्या है। उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि अभी ज्ञान क्षेत्र का कितना बड़ा भाग पड़ा है, जिस पर पांव रखने की किसी भी अनुसंधानकर्ता को आवश्यकता नहीं पड़ी। उसी समय मैंने अनुभव किया कि मानव को सुख समृद्धि देने वाली कि ही ठोस सुविधायें किसी शोधक की प्रतीक्षा में चिर दिनों से आतुर हैं।”

भारत को अभी न जाने विलियम जॉस जैसे कितने ही स्वप्नदर्शियों आवश्यकता है। उस समय सर विलियम की अवस्था केवल सैंतीस वर्ष की थी समुद्र में संतरित जलयान के डेक पर खड़े होकर सागर में डूबते हुए सूर्य को देख रहे थे और इस प्रकार पश्चिम में दृष्टि डालने से उसके मन में इंग्लैंड की स्मृतियाँ भी उमड़ रही थीं। परन्तु सामने उनकी आशाओं का संसार भारत के एक साथ ही फारस के सम्राटों के गौरवपूर्ण कार्यों का भी स्मरण कर रहे थे। अरब सागर की सुखद शीतल एवम् प्राणदायिनी वायु द्वारा मानों वे अरब रससिक्त काव्यों का आस्वादन कर रहे थे। सर विलियम जॉस जैसे अधिकारी स्वप्नदर्शक ही अपने स्वप्नों को साकार रूप देने की शक्ति रखते हैं और वे ही जानते कि अपनी कल्पनाओं को किस प्रकार तथ्यों का जामा पहनाया जा सकता है।

जो दत्त आज से सौ वर्ष पूर्व जैसी थी वही बात आज भी वैसी ही है, तब में और अब में एक सौ लम्बे वर्षों का अन्तर पड़ गया है। पूर्व के प्रसंग में मैं पड़े प्रसंख्य रत्न शोधकों एवम् स्वप्नदर्शकों की प्रतीक्षा में आतुर हूँ। अब भारत कल्पनाओं का देश बना हुआ है, अब भी भारत में महत्वपूर्ण लोकोप

हम भारत से क्या सीखें ?

६५

कार्य किये जा सकते हैं। आवश्यकता है उन्हें देखने वालों की और देख कर करने वालों की। यह सत्य है कि भारतीय इतिहास तथा साहित्य में अनेक शोध किये जा चुके हैं और वे महत्वपूर्ण भी हैं; परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं होता कि युव और शोध करने को कुछ रहा ही नहीं। ये यूनान के छोटे-मोटे राज्य नहीं हैं जिनके फिलिप द्वारा जीत लिये जाने के बाद उसके पुत्र सिकन्दर द्वारा विजय किये जाने के लिये देश ही नहीं बचेंगे। यि सिंध और गंगा के मैदान अपने तटों में इतने अधिक रहस्य संजोये रखे हैं कि किसी भी शोध प्रेमी युवक को किसी भी समय तृप्ति होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।



द्वितीय भाषण

हिन्दुओं का चरित्*

अपने प्रथम भाषण में मैंने इस बात का प्रयत्न किया था कि आप लोग मन से यह भावना हट जाय कि 'भारत में जो कुछ है वह अजनबी हैं और वह इंग्लैण्ड के बौद्धिक जीवन से एकदम भिन्न है'। प्रायः हमारे देश के जिन लोगों बीस या पच्चीस वर्ष के लिए भारत जाना होता है, वे लोग यह समझ लेते हैं कि वर्षों के लिये उन्हें एक ऐसे देश में निर्वासित कर दिया गया है, जहाँ के लोग, का समाज, जिनकी भाषा, सभ्यता, संस्कृति एवम् नैतिक स्तर केवल अपने से ही नहीं प्रत्युत पर्याप्त निम्न कोटि का है। इन लोगों को पूर्व में जितने दिन पड़ता है, उतने दिनों तक के लिए वे यह समझ बैठते हैं कि उन्हें जीवन के उन उच्चादशों से वंचित कर दिया गया है, जो उन्हें अपने देश में प्राप्त हैं। किन्तु ऐसी है नहीं, ऐसी होनी भी नहीं चाहिये। यदि हम यह जान लें और जागृत मान भी लें कि जीवन के जिन उच्चादशों का बल हमें अपने देश में प्राप्त है, तो लिए भारत में भी पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र है। इस प्रकार के क्षेत्र की सुविधा केवल ही देश में हो ऐसी बात नहीं है, यदि हम चाहें तो भारत तथा पूर्व के अन्य देशों भी हमको ये सारी सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं।

आज हम एक दूसरे प्रकार की पक्षपात पूर्ण भावना पर विचार करेंगे। पहली भावना से भी अधिक गलत ढङ्ग से सोचने को बाध्य करती है। इस भावना से केवल भारतीयों का ही नहीं हमारा भी अहित हो रहा है। हमारी यही भावना हमारे और हिन्दुओं के बीच में अभेद्य दीवाल बन कर खड़ी है और आज किसी ने भी इस बाधा को हटाने का प्रयत्न नहीं किया है। इसी दूषित भावना कारण हिन्दुओं तथा उनके शासकों में सहचर्य की भावना का जन्म ही नहीं हो रहा है और आज भी वे दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण अजनबी बने हुए हैं।

* स्मरण रखना चाहिए कि मैक्समूलर ने हिन्दू शब्द का प्रयोग भारतीय अर्थ में किया है।

हिन्दुओं का चरित्र

६७

अपनी इसी दूषित भावना के कारण हम अपने भारत प्रवास को निर्वासन ही संज्ञा देते हैं, नैतिक निर्वासन की संज्ञा, क्योंकि हमने मान लिया है कि हिन्दू लोग तुलनात्मक रूप में हम से निम्नस्तर के हैं; उनकी नैतिकता हमसे सर्वथा भिन्न है और उनमें 'सत्य' के लिये कोई आदर भावना नहीं है, जब कि हम अंगरेज लोग सत्य को सर्वोच्च आदरणीय मानते हैं और वही हमारे जन-जीवन की आधार शिला है। हम अपने सत्य प्रेम के ही बल पर उन्नत हैं और केवल उसी के लिए हम जीवित हैं।

मेरा विचार है कि यदि किसी भी युवक के मन में यह बात पूर्ण रूप से बैठ जाय कि बीस या पच्चीस वर्षों तक उसे ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ेगा जो ऐसे लोगों पर शासन करना पड़ेगा जो अत्यधिक हीन मनोवृत्ति के तो हैं ही, के साथ ही उनमें सत्य के लिए कोई भी आदर भावना नहीं है, तो वह युवक अवश्य ही निराशा, निरुत्साहित हो उठेगा। जीवन के प्रति उसकी सारी आस्था उसी समय समाप्त हो जायेगी, जिस समय उसे निश्चित हो जायगा कि अगले बीस-पच्चीस वर्षों तक उसे ऐसे लोगों के सम्पर्क में रहना पड़ेगा, जिनका न तो किसी प्रकार आदर ही किया जा सकता है और जिनके प्रति प्रेम प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता; जो देशी (नेटिव) + हैं। वैसे भारतीयों के प्रति घृणासूचक शब्दों की अंगरेजी शब्द कोष में कमी नहीं है और भी हम नेटिव शब्द को ही पर्याप्त मान लेते हैं। ऐसे युवकों की निराशा की दृष्टि को हम कैसे समझ सकते हैं, जिसे शुरू से लेकर अब तक यही पढ़ाया गया हो रहा है। भारतीय उजड़ रहे हैं, गंवार होते हैं, वे आत्मसम्मान के मान्य सिद्धान्तों की भी अवहेलना करते हैं। वे न तो सत्य प्रेमी ही होते हैं और न सत् साहसी ही। उनका चरित्र ऐसा होता है कि उनके साथ किसी प्रकार की सहानुभूति तक नहीं दिखायी जानी चाहिये, मित्रता स्थापित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीयों के प्रति ऐसी दूषित भावना लेकर जाने वाले हमारे देश के नवयुवक यदि भारत प्रवास को नैतिक निर्वासन मानते हैं तो उनका दोष ही क्या है? उनको अति प्रारम्भ से शिक्षा ही इस प्रकार की दी गयी है कि और वे भारतीयों को नीच, जंगली, बेईमान, असभ्य और अज्ञान-क्या नहीं समझने लगते हैं।

असत्यप्रियता के इस झूठे दोष पर हमारे देश वालों ने; हमारे ग्रंथों ने तथा हमारे शिक्षकों ने इतना कुछ कहा है और इतनी अधिक बार दुहराया है और इसीलिए भारतीयों की असत्य प्रियता (यद्यपि यह दोषारोपण १०० प्रतिशत गलत है।) हमारे चरित्र में इतना बढमूल हो गयी है कि इसको गलत सिद्ध करने का प्रयास ही आज के

+ वैसे नेटिव शब्द का अर्थ तो होता है 'मूल निवासी' परन्तु अंगरेज लोग वे गाली की तरह बर्बर, असभ्य, जंगली आदि अर्थों में लाते थे।

लिए एक असम्भव कार्य का रूप ले चुका है। ऐसा साहसी तो कोई दिखायी पड़ता, जो यह कह सके कि भारतीयों में इन दुर्गुणों को आरोपित करना भ्रम है तथा यह दोषारोपण या तो जान बूझ कर किया गया है या भ्रान्त धारणा का आधार पर।

मेरा विश्वास है कि अपने देशवासियों की इन बढमूल भावनाओं को उलटने का काम मैं ही आरम्भ करूँ तो मुझे निराशा का ही सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रयत्न के लिए मैं भी प्रस्तुत न हो पाता यदि मुझे इस बात का निश्चय पता न होता कि ये सभी दोषारोपण निमूल है। आप विश्वास मानें कि जब जो भी प्रकार के दोष किसी पूरे समाज या राष्ट्र में आरोपित किए जाते हैं तो उनके अवश्य ही या तो कोई दूषित एवम् स्वार्थमय भावना छिपी रहती है या हाँड़ी के एक चावल को देखकर ही पूरी हाँड़ी के चावल की स्थिति समझ ली गयी रहती है। चावल की तरह मनुष्यों के विषय में भी इस प्रकार किसी निश्चित परिणाम पहुँच जाना अवश्य ही भ्रमपूर्ण होगा, भले ही स्वार्थानुकूल होने के कारण हम निवारण का प्रयत्न ही न करें और परिणाम की आशंका को जानते हुए भी मानने वाली पीढ़ियों के लिए अर्थों का त्याग छोड़ जायें। मैं आपको एक बार विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस किसी भी व्यक्ति ने जिस किसी भी कारण से भ्रान्त धारणा को जन्म दिया हो उससे बढ़ कर आंग्ल-भारतीय हितों का विनाश आज तक पैदा हो नहीं हुआ। इस मान्यता ने हमारी अत्यधिक हानि की है, कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। आंग्ल-भारतीय हितों के कट्टर से कट्टर विरोधी ने भी इतने बड़े और इतने अधिक घातक झूठ की सृष्टि न की होगी। भारत में विनाश हितों की जितनी अधिक हानि अकेली इस भ्रान्त मान्यता ने की है, उतनी ही हानि किसी भी अन्य शत्रु ने न किया होगा। आप लोग सोचें कि यदि कोई मनुष्य नवयुवक भारत में नागरिक प्रशासन में या फौजी सेवा में इस भावना के साथ है और यह भावना उसके मनस में अति सुदृढ़ रूपेण बढमूल है कि भारत में उसे जिन लोगों में मिलना पड़ेगा वे सब के सब असत्यवादी हैं, वे स्वभाव से असत्य भाषी हैं और असत्य भाषण उनकी राष्ट्रीय विशेषता हैं, अपने कार्यों में असत्य बोलने में तनिक भी संकुचित नहीं होते, उनकी बातों का कभी भी और कभी भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिये तो आश्चर्य ही क्या है यदि वह हिन्दुओं के एक विचित्र दूषित भावना रखता है। मजे की बात तो यह है कि उसमें वह भी तभी कार्यरत रहती है जबकि उसने अभी किसी हिन्दू को देखा भी नहीं है। इस प्रकार अविश्वासपूर्ण भावना से वह हिन्दुओं के बीच पहुँचता है, क्या हमें उस आश्चर्य करना चाहिये ? ऐसे व्यक्तियों के साथ राजनैतिक या वैयक्तिक सम्पर्क

पर यदि वह अपने में बद्धमूल घृणा की भावना को प्रगट करने से रोक नहीं पाता तो क्या यह कोई आश्चर्य करने का विषय है ? (जिस हृदय में इतनी भयङ्कर घृणा के बीज केवल बोये ही न जा चुके हों वरन् वे अंकुरित, पल्लवित व पुष्पित भी हो चुके हों, उस हृदय को उसके फलों से कैसे वंचित रक्खा जा सकता है ?) दुःख तो इस बात का है कि भारतीय नागरिक प्रशासन एवम् सैनिक सेवा के प्रत्येक कर्मचारी के हृदय में इन भावनाओं के जङ्गल के जङ्गल ही होते हैं, फिर वे भारतीयों के प्रति सहानुभूति निर्भूत बर्ताव करें तो कैसे, उन्हें मनुष्य माने, तो क्यों और उनकी कठिनाइयों पर ध्यान भी दें तो किस कारण से ? आज तो ऐसी स्थिति आ गयी है कि यदि मैं अंगरेजों के की भ्रान्त मान्यता के प्रति सन्देह भी प्रगट करूँ तो उसे भी मेरा असत्य प्रचार कहा जायगा और इस प्रकार के बद्धमूल विश्वास के प्रति सन्देह प्रगट करने के लिए लोग मुझे कभी भी क्षमा न करेंगे ।

हम भारत को थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं । फिर भी जब हमें इस प्रकार की राष्ट्रीय निन्दाओं से काम पड़ता है तो मैं निन्दा की निन्दा किए बिना नहीं रह सकता । मेरा विचार है कि किसी भी समूचे राष्ट्र के लिए इस प्रकार के निन्दात्मक शब्दों को प्रयोग में लाने की विचार प्रणाली को निरुत्साहित किया ही जाना चाहिए । ऐसा यह सोचकर नहीं किया जाना चाहिए कि ये राष्ट्रगत दीवारोपण आत्म-विचक एवम् अनुदार मस्तिष्क को उपज हैं तथा ये अस्वस्थ मस्तिष्क ही इन्हें बल एवम् स्थायित्व प्रदान करते हैं, वरन् इनकी निन्दा इसलिए की जानी चाहिये कि वे किसी भी तर्क पर सही नहीं उतरते और सदैव ही भ्रान्त मान्यताओं पर आधारित होते हैं । थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति यूनान की यात्रा कर रहा है और रास्ते में उसका नव परिचित साथी (जो दुर्भाग्य से यूनानी ही है) उसे ठग लेता है या लुटेरों का एक छोटा सा दल उसे लूट लेता है तो क्या इससे यह परिणाम निकाल लेना भ्रमात्मक न होगा कि सभी यूनानी ठग या बटमारा हैं ? क्या हम को यह मान लेना चाहिए कि सभी यूनानी चाहे वे अतीत काल के रहे हो या वर्तमान काल के, लुटेरे ही हैं ? या हम ये मान लें कि 'बटमारी यूनानी' में सिद्धान्ततः मान्य है ? मान लें कि कलकत्ता, बम्बई या मद्रास का कोई व्यक्ति गोरे जज के सामने लाया जाता है या कचहरियों में कुछ पैसे के बदले झूठी गवाही देने वाले पेशेवर गवाह जज के सामने लाये जाते हैं और वे झूठ बोलकर न्याय को एवम् न्यायाधीश को गुमराह करने का प्रयत्न करते हुए पाये जाते हैं तो आजकल के तर्कप्रिय युग में यह निष्कर्ष निकाल लेना क्या अति अभूत नहीं होगा कि भारत के सभी निवासी झूठे हैं और वे सदा न्याय को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ? आपको एक और बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिये कि उस विशाल देश में एक दो नहीं तीसों

करोड़ आदमी रहते हैं तो एक दो आदमी या सैकड़ों आदमियों या हजारों आदमियों को हो देख सुन कर आप सभी तीस-तीस करोड़ आदमियों को असत्यभाषी को असत्यपोषक मान लेंगे ? यह तो कोई उचित बात नहीं है । यदि इस विशाल देश कुछ लाख व्यक्ति भी अंगरेजी अदालतों के समक्ष चोरी या डकैती या जालसाजी अभियुक्त के रूप में आकर दण्ड से बचने के लिए झूठ का पल्ला पकड़ते हैं तो क्या यह मान लेना चाहिये कि पूरा का पूरा हिन्दू राष्ट्र ही असत्य को सिद्धान्ततः स्वीकार करता है ? आप एक बार फिर कल्पना करें कि एक अंगरेजी जहाज का अंग्रेज नाविक देवात् किसी काले जज के सामने अभियुक्त रूप में लाया जाता है । कल्पना में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जज अभियुक्त के लिए पूर्णतः विदेशी है उसके कानून भिन्न हैं, उसका न्याय क्रम भिन्न है, न्याय पद्धति एवम् भी भिन्न है । क्या आप लोगों को विश्वास है कि उक्त नाविक उक्त विदेशी जज के सामने सत्य, केवल सत्य ही बोलेंगा और सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहेंगे क्या आप यह भी विश्वास कर लेना चाहेंगे कि उक्त नाविक के सभी साथी संगठित रूप में आकर न्यायालय के समक्ष दण्ड-भीति का कुछ विचार किए बिना ही केवल सत्य ही बोलेंगे और सत्य के अतिरिक्त वे और कुछ भी न कहेंगे और अपने चिर विरोधी के साथी को दंड दिलाने में सहायक होंगे ? मेरा अपना तो ऐसा विश्वास है कि उक्त नाविक भी वही कहेगा और उसके अंगरेज साथी भी वही कहेंगे, जिससे अभियुक्त किसी प्रकार से दंडित होने से बच जाय भले ही उनका कथन सत्य हो या सत्य के अतिरिक्त और कुछ । आप भी विश्वास रखें और आपको विश्वास रखना चाहिए कि ऐसा न करना देवत्व मले ही हो पर मानव सुलभ नहीं है । केवल जज के विदेशी होने का प्रभाव भी उसमें बहुत कुछ काम करता है और इस मनोवैज्ञानिक सत्य को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई भी चारा नहीं है ।

निष्कर्ष निकालने के नियमों में एक प्रकार की सामान्यता होती है परन्तु इन नियमों का प्रयोग सभी विषयों के साथ एक सा नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता चाहिये । भारत में एक कहावत है जिसका अर्थ है कि हांडी के एक चावल को परख लेना हांडी के सभी चावलों की परख है । चावलों के लिये यह नियम ठीक है परन्तु इसी नियम के अनुसार मानव समाज की परख करने जाकर हम एक भयानक भूल कर बैठेंगे । मानव मानव है, चावल नहीं । उसके कार्य व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न होते हैं और प्रायः एक ही परिस्थिति में पड़े विभिन्न व्यक्तियों की प्रतिक्रिया भी विभिन्न होती है । ऐसी दशा में सभी मनुष्यों के लिए अलग-अलग विचार करने की आवश्यकता है । एक बार की बात है कि किसी अंगरेज पादरी ने किसी ऐसे फ्रांसीसी बच्चे का अपतिस्मा करना पड़ा, जिसकी नाक कुछ लम्बी थी ।

हिन्दुओं का चरित्र

७१

विश्व वह पादरी स्वदेश लौट कर अपने देश वालों में फ्रांस की चर्चा करने पर प्रायः कह बैठता है कि फ्रांस के बच्चों की नाक बड़ी लम्बी होती है। कदा उस पादरी के देस निष्कर्ष को आप लोग झुट्टिपूर्ण न कहेंगे ? आप सावधान रहें कि कहीं आप भी भारतीयों के चारित्रिक निष्कर्ष को प्राप्त करने में उसी प्रकार की असावधानी तो नहीं चाहें कर रहे हैं।

मुझे तो परेशानी तब होती है जब मैं किसी को पूरी हिन्दू जाति (भारतीय) के लिए किसी सामान्य विशेषण का प्रयोग करते देखता हूँ। मेरे विचार में ऐसा कोई भी विशेषण नहीं है जो भारत ही नहीं किसी भी अन्य देश के सभी निवासियों के लिए सामान्य रूप से व्यवहृत किया जा सके। जब भी मैं किसी को 'भारत के लोग' या 'सभी ब्राह्मण' या 'सभी बौद्ध' जैसे शब्दों से कोई वाक्य शुरू करते सुनता हूँ तो मुझे एक प्रकार की पीड़ा का-सा आभास होता है, जिसे स्वीकार करने में मुझे किसी कोशिश की लज्जा नहीं है। मैं जानता हूँ कि इन शब्दों से प्रारम्भ होने वाले वाक्य आगे जो कुछ भी कहा जायगा वह अवश्य ही गलत होगा, पूर्ण रूप से गलत होगा और गलत के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं होगा। जितना अन्तर एक अंगरेज, एक फ्रांसिसी या एक जर्मन के बीच में है उससे कहीं बड़ा अन्तर भारत के एक अफगान, एक सिख, एक पंजाबी, एक बंगाली तथा एक द्रविड़ के बीच है। इन सभी को मिलाकर एक हिन्दू जाति है। यदि हम सभी भारतीयों के लिये किसी भी एक सन्दासूचक विशेषण का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य यह होता है कि हमने सभी को एक ही लाठी से हाँकने का प्रयत्न किया है। आप ही लोग सोचें कि जिस जाति में इतने अधिक प्रकार के लोग शामिल हों उसकी भली या बुरी विशेषता एक शब्द से कैसे आँकी जा सकती है।

मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के सामने सर जान मालकम द्वारा लिखित कुछ वाक्यों को दुहराऊँ। उन्होंने कहा है कि 'जिन लोगों के पास देखने वाली आँखें बड़ी ही सरलता से देख सकते हैं कि जिन वर्गों को मिलकर हिन्दू जाति बनी है, उनमें अनेक चारित्रिक वैभिन्न्य है। जिस हिन्दू राष्ट्र जाति के लिये हम इस प्रकार के अनादरसूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें इतने अधिक भिन्न प्रकार के लोग हैं कि उन्हें एक ही डंडे से हाँकना अवश्य ही भारी भूल होगी।' सर जान मालकम के अनुसार बंगाल के लोग शारिरिक दृष्टि से कमजोर होते हैं परन्तु उनका मस्तिष्क अत्यधिक विकसित होता है और थोड़ी भीरुता उनमें अवश्य होती है। दक्षिण बंगाल में हिन्दुओं की निम्न जातियों का निवास है परन्तु उनकी भी विशेषतायें उच्च हिन्दुओं की ही तरह है। अपने विवरण को चालू रखते हुए उन्होंने लिखा है कि 'ज्यों ही आप बिहार प्रान्त के जिलों में प्रवेश करते हैं त्यों ही आपको हिन्दू एक जाति के रूप

में दिखायी देने लगते हैं। सामान्यतः उनका कद भी अधिक ऊँचा नहीं होता और ही केवल उनकी शारीरिक बनावट ही सुगठित होती है, बल्कि वे मानसिक रूप से भी बंगालियों से भिन्न होते हैं और उनमें मानवता के अनेक दुर्लभ गुण पाये जाते हैं। साहसी, उदार, मानवतापूर्ण एवम् अतिथि सेवी होते हैं और उनकी सत्य प्रकृति उतनी ही प्रशंसनीय है जितना उनका साहस।”

अपने इस द्वितीय भाषण के क्रम में मैंने जो कुछ कहा है उससे इतना आप समझ ही गये होंगे कि हिमालय से लेकर लंका तक के हिन्दुओं के प्रति हम लोगों के मन में जो एक प्रकार की दुर्भावना बद्धमूल हो गयी है, मैं उसे हटा देने प्रयत्न कर रहा हूँ। यह सत्य है परन्तु मेरे इस प्रकार के प्रयत्न का ऐसा अर्थ लेने की भूल आप लोग न कर बैठें कि मैं भारत का एक आदर्श रूप आप लोगों समक्ष उपस्थित करने जा रहा हूँ, जिसकी सभी कालिमाएँ धो-पोंछ कर साफ कर गयी हों और जिसमें केवल अपरिमित माधुर्य व प्रकाश मात्र ही दिखाया गया है मैं स्वयम् कभी भारत नहीं गया हूँ अतः मैं केवल इतिहास कर्त्ताओं के अधिकार का कर्तव्य मात्र पालन करने का दावा कर सकता हूँ और बिना अधिकार यह है कि किसी भी विषय का विवरण प्रस्तुत करते हुए उसके सम्बन्ध की सभी प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित कर लिया जाय। सूचनाओं को एकत्रित कर लेने के बाद इतिहास लेखकों का कर्तव्य हो जाता है कि ऐतिहासिक समालोचना के नियमों के अनुसार उन्हें कथन के सजा कर पाठकों के हाथों में दें। सुदूर अतीत कालीन हिन्दुओं के चरित्र का विवरण प्रस्तुत करते हुए मैं उसी अधिकार एवम् उसी कर्तव्य का पालन मात्र कर रहा हूँ और इस कार्य के लिए मुझको यूनानी लेखकों एवम् भारतीय विद्वानों की कृतियों का सहारा लेना पड़ेगा। अर्वाचीन भारत के लोगों के चारित्रिक विवरण के लिये हमें अश्वय ही उन विजयिनी जातियों के लेखकों का सहारा लेना पड़ेगा जिन्होंने हिन्दुओं को जीतना अपेक्षाकृत सरल पाया परन्तु उन पर शासन करीब जिन्हें अभूतपूर्व कठिनाइयों की अनुभूति हुई। पिछली सदी के प्रारम्भ से वर्तमान तक का विवरण प्रस्तुत करने के लिए हमें कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा उन महानुभावों का जिन्होंने कुछ वर्षों तक भारत एवम् भारतीयों में प्रशासनाधिकारी या सैन्य अधिकारी के रूप में रहे हैं और वहाँ से लौटने के पश्चात् अपने भारत एवम् भारतीय सम्बन्धी अनुभवों को पुस्तकाकार छपवा कर हम सबको लाभान्वित किया है। कुछ सहारा हमें उन भारतीय मित्रों का भी लेना पड़ेगा जिनकी व्यक्तिगत मित्रता तथा जिनके व्यक्तिगत परिचय का रसास्वादन करने का अवसर मुझे इंग्लैंड, तथा जर्मनी में मिल चुका है।

यहीं पर मुझे इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि चूंकि मैं उन ती

हिन्दुओं का चरित्र

७३

सामने बोल रहा हूँ, जो अति निकट भविष्य में भारत के शासक व प्रशासक होंगे । मैं आप सब से अनुमति मागूंगा कि मुझे उन थोड़े से भारतीय नागरिक एवम् जनक सेवा के विशिष्ट अधिकारियों को उद्धृत करने दें जो लम्बे समय तक भारत रह कर वहाँ का एवम् उनके निवासियों का सूक्ष्म अध्ययन कर चुके हैं और अपने अध्ययनकाल में जिन्होंने न तो अपना विवेक खोया है और न संयम तथा जिनकी चार पद्धति किसी भी पूर्वगामी लेखक के विचारों से दूषित नहीं हुई है । सौभाग्य उन लोगों ने भी इस विषय को हाथ में लिया है जिस पर हम इस समय विचार रहे हैं । अर्थात् उन्होंने भी भारतीयों की सत्य प्रियता या असत्य प्रियता पर अपना विचार प्रगट किया है ।

जब मैं पहले-पहल इंग्लैंड आया तो बहुत से ऐसे लोगों को जानने, उनसे परिचित होने एवम् उनमें से कितनों ही से मित्रता स्थापित करने का सौभाग्य व आनन्द मुझे मिला जो ईस्ट इंडिया कम्पनी की अधीनस्थ भारतीय सेना में भारत आकर तथा वहाँ कुछ वर्षों तक रह कर इस देश में लौटे हैं । उनकी बातों से मुझे यह निश्चय चला कि उन्होंने नेटिव लोगों को समीप से देखा और परखा है । उन लोगों को उनकी उनके शिष्टाचार को तथा उनकी चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन उन लोगों से अधिक गम्भीर रूप में किया है जो अभी केवल पचीस वर्ष पूर्व यहाँ से पास हो कर गये हैं और इतने दिनों में नाम व धन कमाकर अब स्वदेश को लौट रहे हैं । जब जमाना था कि भारत हमसे बहुत दूर था, उस समय किसी भी अंगरेज का भारत जाना प्रकारान्तर से निर्वासन ही माना जाता था, परन्तु आज वैसी दशा नहीं है । लोगों के तेज चलने वाले जहाजों के कारण इंग्लैंड एवम् भारत के बीच की जलयात्रा आँटी और सुविधा पूर्ण हो गयी है । आज की डाक व तार व्यवस्था की उपस्थिति पर भारत हमारे काफी समीप आ गया है । अब हमारे लिए भारत वह भारत नहीं रह गया है जहाँ पर राबिसन क्रूसो को अपने लिये सभी सुविधाओं की व्यवस्था स्वयं बनानी पड़ती थी । अभी पचास वर्ष पूर्व किसी भी अंग्रेज कामिनी को भारत जाने का हिस नहीं होता था, परन्तु अब वे भी भारत प्रवास के आनन्द में भाग बटाने का हिस करने लगे हैं । अब भी हमारे देश के लोग भारत प्रवास को निर्वासन ही समझते हैं परन्तु अब उस निर्वासन का कष्ट स्वयम् उनकी दृष्टि में भी अत्यधिक कम गया है । मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि लोग अब भी एक प्रकार की अज्ञानता के कारण ही भारत जाने को तैयार होते हैं । अभी तक भारत जाने का व लोगों में उत्पन्न नहीं हुआ है और यदि हुआ भी है तो वह अपर्याप्त है । यह कठिनाई है, जिसे दूर तो अवश्य नहीं किया जा सकता परन्तु सफलतापूर्वक का सामना किया जा सकता है और इसका सामना करने में तभी सफलता मिल

सकती है जब भारत में जाने वाले लोगों के उद्देश्य महान् हों, रचियां परिष्कृत एवम् उनका दृष्टिकोण विस्तृत हो ।

मैं स्वर्गीय प्रोफेसर बिल्सन को जानता हूं, जो आक्सफोर्ड में हमारे संस्कृत प्रोफेसर थे । उन्होंने उक्त पद पर काफी दिनों तक रह कर अध्ययन कार्य किया जब कभी वे अपने भारत सम्बन्धी संस्मरण सुनाने लगते थे तो आत्मविभोर हो जाते थे और हमें भी उनकी बातें सुनते-सुनते आत्मविस्मृत हो जाना पड़ता था ।

उन्होंने अपने भारतीय मित्रों, सहकारियों एवम् कर्मचारियों की चाति विशेषता के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसे आप सब के सामने पढ़ने के लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ :—

✓“यह आवश्यक भी था और मुझे पसन्द भी कि मैं भारत में हिन्दुओं के में रहूँ । इस प्रकार मुझे उन्हें इतनी अधिक विभिन्न परिस्थितियों में देखने परखने के अवसर मिले कि किसी भी अंगरेज को उतनी अधिक परिस्थितियों देखने-परखने के अवसर नहीं मिल सकते । कलकत्ता के एकसाल में मुझे नित भारतीय मिस्त्रियों, कारीगरों एवम् अनेक छोटे बड़े कर्मचारियों के व्यक्तिगत सम्पर्क में आना पड़ता था । मैंने जब कभी भी भारतीयों को देखा, उन्हें निरन्तर काँव व हँसमुख देखा । उनके अथक परिश्रम, निरन्तर अध्यवसाय एवम् सदा प्रसन्नता को मैं कभी भी नहीं भूलूँगा । अपने उच्चाधिकारियों का मन्तव्य वे (भाषा साफ़ होते हुए भी) कितनी जल्दी जान लेते थे और जान कर कितनी शीघ्रता तत्परता से वे पालन करते थे कि देख कर आश्चर्य हुये बिना नहीं रहता था । जो भी उनसे कहा जाता था उसे करने को वे प्राणपण से तैयार रहते थे । वे नहीं थे व्यवस्था प्रेमी और आज्ञानुवर्ती थे । यह कहना सत्य नहीं होगा उनमें वेद नहीं थी । अवश्य थी, पर उतनी नहीं, जितनी अन्यदेशों की एकसालों के कर्मचारियों में होती है । ये वेईमानियां नगण्य थीं और बहुत कम थीं और सरलता से हटाया जा सकता था । दूसरे देश की एकसालों में जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था एवम् अपराधनिरोधक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, उस प्रकार की कि आवश्यकता यहाँ नहीं प्रतीत होती थी । उनमें कौशल भी था और श्रम की अदम्य इच्छा भी । प्रशंसा की बात तो यह है कि यह सब कुछ होते हुए भी वे गुलामों की सी भावना का नाम तक नहीं था, जैसे सब कुछ वे स्वेच्छया ही करते थे कि किसी दबाव या भय वश । दास भावना के एकदम विपरीत उनमें स्पष्टवादिता की भावना अधिक प्रबल थी । किन्तु इन सब गुणों का दर्शन तभी होता था जब अपने अफसर में उनका पूर्णविश्वास रहता था और उसके साथ ही यह भी विश्वास हो जाता था कि अनुचित भय की कोई बात नहीं है ।

चरित्र में स्पष्टवादिता एक महान गुण के रूप में विकसित हुई है। एक बार आप उनको आश्वस्त कर दें कि आप उनके हास-परिहास को अन्यथा न समझेंगे, फिर लिखिए उनका सारा गाम्भीर्य हवा हो जायगा और वे अपनी प्रसन्नतापूर्णा वाणी से आपको भी प्रसन्न बना देंगे। प्रशंसा की बात तो यह है कि उनके इस आह्लादपूर्ण हासपरिहास में अशिष्टता या असौजन्य का नाम भी न दिखायी पड़ेगा।”

भारतीय पंडितों की बुराई करने में किसी भी विदेशी ने एक भी पत्थर को फेंकना पलटे नहीं छोड़ा है, परन्तु उन्हीं पंडितों के विषय में प्रोफेसर विल्सन लिखते हैं कि अपने खाली समय में मैं जिस विषय का अध्ययन करता था, उसके कारण मुझे भारतीय विद्वानों के सम्पर्क में आना पड़ा। इन पंडितों में भी मैंने उसी अध्यवसाय, विद्वत् प्रखरता, स्पष्टवादिता एवम् उनकी विद्वता के विरुद्ध चित्तानुरंजकता का दर्शन किया। उनके मुख पर जैसे सदैव ही बालकोचित हास्य खेला करता था। उनकी वाणी में ओज एवम् माधुर्य का अद्भुत सम्मिश्रण होता था। इन भारतीय विशेषकर हिन्दू (यहाँ हिन्दू धर्म वालों से तात्पर्य है) विद्वानों में मैंने अद्भुत सादगी देखी। उनकी सादगी शिशुत्व की सादगी को पहुँची हुई प्रतीत होती थी; जैसे उन्हें जीवन के विषयव्यवहारों एवम् शिष्ट आचारों का कोई विशेष ज्ञान ही न हो। यदाकदा भारतीय विद्वानों में मुझे इस सादगी के अभाव के भी दर्शन हुए, उनमें सम्य सम्राज की-सी भावना भी हमने यत्रतत्र देखा परन्तु शीघ्र ही पता चल गया कि यूरोपियनों के संसर्ग इन्हें शिशुत्व से यौवन में खड़ा कर दिया है। भारतीय विद्वान यूरोपियन चरित्र को समझ भी नहीं पाते और उनसे अस्त भी रहते हैं। भारत में रहने वाले जो एकाध यूरोपीय विद्वान हैं भी; वे इन पंडितों से अलग-अलग रहते हैं। उनका इन भारतीय विद्वानों से कोई भी सम्पर्क नहीं है और परिणामतः दोनों ही एक दूसरे से अनभिज्ञ रहते। केवल यही एक मात्र कारण है कि दोनों (भारतीयों तथा यूरोपियनों) में एक-दूसरे के प्रति अत्यन्त आन्त धारणाएँ बढभूल होती जा रही हैं।”

अन्त में कलकत्ता के उच्चवर्गीय भारतीयों के विषय में लिखते हुए प्रोफेसर विल्सन का कथन है कि—“उन्हें इन भारतीयों में अनुपम शिष्टाचरणा, स्पष्टता एवम् अद्भुत ज्ञान-पिपासा के साथ-साथ अनुभव एवम् सिद्धान्त की अतीव स्वतन्त्रता के दर्शन हुए।” प्रोफेसर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि—“उन्हें भारतीयों में ऐसे नैतिक मिले जो संसार के प्रमुख सम्य देशों के सम्यतम् पुरुषों की श्रेणी में रक्खे जाने योग्य थे।” उन्होंने आगे चल कर लिखा है कि—“उनमें से अनेकों से मेरी मित्रता बढ़ी और मुझे विश्वास है कि उनकी मित्रता का रसास्वादन मैं यावज्जीवन करता आ रहा हूँ।”

मैंने प्रायः प्रोफेसर विल्सन को भारतीयों के विषय में उपरोक्त प्रकार और कभी कभी तो उनसे भी सबल शब्दों में बोलते हुए सुना है। यदि आप प्रकाशित पत्रावली को देखें जो श्री विल्सन एवम् श्री केशव चन्द्र सेन के पिता राजकमल सेन के बीच हुई थी तो आप भी कहेंगे कि भारतीयों के साथ अंग्रेज अद्वैत मैत्री बन्धन में बंध सकते हैं, हाँ आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार मित्रता सम्पादन की भावना पहले अंगरेजों की ही तरफ से होनी चाहिए।

संस्कृत के ही एक अन्य प्रोफेसर श्री हैं जिन पर विश्वविद्यालय को बताना सकता है और जो वर्तमान विषय पर बोलने के लिए मुझसे कहीं बड़े अधिकारी वे भी आपसे इसी प्रकार की बातें कहेंगे और इसमें सन्देह नहीं है कि उन्होंने आपसे ऐसा कहा भी होगा कि यदि मित्रता सम्पादन करने को दृष्टि से हिन्दुओं योग्य व्यक्तियों की खोज की जाय तो उनमें इस योग्य अनेक व्यक्ति मिलेंगे कि मित्रता की जाय और उनका पूर्ण विश्वास भी किया जाय।

एक पुस्तक ऐसी है जिसे पढ़ने की प्रेरणा के लिए मैं भारतीय नागरिक प्रशासन के प्रत्येक ऐसे छात्र को उत्साहित करता रहा हूँ, जिनसे आक्सफोर्ड में शिक्षा का सौभाग्य मुझे मिला है। एक दूसरी भी पुस्तक है जिसे पढ़ने के दुष्परिणाम प्रत्येक छात्र को मैं सावधान करता रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि अधिकांश छात्रों को इसके परिणाम देखने को मिले हैं। जिस पुस्तक को न पढ़ने की प्रेरणा मैं नहीं देता रहा हूँ तथा जो मुझे सर्वाधिक दुष्परिणाम कारिणी प्रतीत हुई है, वह श्री मिल द्वारा लिखित "ब्रिटिश भारत का इतिहास।" इस पुस्तक ने भारत के विषय में अनेक व्यक्तियों के मस्तिष्क में दूषित धारणाएँ उत्पन्न की हैं। विल्सन है श्री विल्सन को, जिनकी कृति ने इस प्रकार की भ्रान्त मान्यताओं को निर्मूल करने में सफलता प्राप्त की है। जिस पुस्तक के पढ़ने की सिफारिश मैं प्रायः नहीं करता रहा हूँ वह है 'कर्नल स्लीमैन के भ्रमण वृत्तान्त' मेरी प्रायः ऐसी इच्छा होती है सर्व साधारण के लिए सुलभ बनाने के विचार इस पुस्तक का एक सस्ता संस्करण प्रकाशित किया जाय। कर्नल स्लीमैन द्वारा लिखित "एक भारतीय अधिका संस्मरण" नामक पुस्तक सन् १८४४ ई० में प्रकाशित हुई थी यद्यपि इसका मूल काल १८३५-३६ ई० है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह पुस्तक भी पठनीय

मुझे यह जानकर दुःख होता है कि मिल द्वारा लिखित पुस्तक "भारत नागरिक प्रशासन" के छात्रों के लिये स्वीकृत पुस्तक है और उसके विषय में भी पूछे जाते हैं, फिर भी मैं इस पुस्तक की प्रायः निन्दा किया करता हूँ और दिखाने के लिये कि मेरे द्वारा की जाने वाली निन्दा निराधार नहीं है मुझे कुछ प्र

• देने होंगे ;—

हिन्दुओं का चरित्र

७७

हिन्दुओं के चरित्र सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करने में श्री मिल ने ड्रवाइस, मार्मी तथा वचनन, टिनेट तथा वार्ड का सहारा लिया है। मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि उपरोक्त लेखक न तो योग्यता सम्पन्न अधिकारी ही थे और न निष्पक्ष ही। मिल ने इन लेखकों द्वारा प्रस्तुत विवरणों में से चुन-चुन कर उन्हीं स्थलों को लिया है, जो भारतीयों के चरित्र को सर्वाधिक कालिमामय रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन लेखकों को भी विवश होकर यत्र-तत्र भारतीयों के विषय में प्रशंसापूर्ण बातें लिखनी पड़ी हैं परन्तु श्री मिल ने उन पद जैसे दृष्टिपात ही नहीं किया है। मिल के लेखानों में उन प्रशंसनीय बातों की चर्चा भी नहीं मिलती। इन लेखकों ने उपहास-मक डङ्ग से भी जो कुछ लिख दिया है, उसको भी श्री मिल ने गम्भीरता का जामा पहनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यदि कहीं साधारण उपहास रूप में किसी के ले लिख दिया कि “ब्राह्मण असत्यता के भण्डार होते हैं” तो उसी तिल को मिल ने ताड़ बना कर हमारे सामने रख दिया। मिल ने हिन्दुओं पर असत्यता का आरोप लगाया ही है, साथ ही उन्हें वादप्रिय (मुकदमेवाजी का शौकीन) भी कहा है। वह लिखता है कि “जब भी हिन्दुओं का साहस असफल होता है तो उनकी प्रतिकार प्रवृत्ति उसे मुकदमेवाजी का रूप दे देती है”। असम्माननीय उद्देश्य से परिचलित होकर मिल ने जो कुछ लिखा है, उसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता था—“जब भी वे अपने किसी शत्रु को पराजित करने में असफल हो जाते हैं तो अंगरेजी अदालतों के न्याय पर उन्हें इतना भरोसा होता है कि वे अवश्य ही न्यायालय की शरण लेते हैं, क्योंकि उनके दिलों में कानून के प्रति जो प्रेम है, वह उन्हें किसी भी प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाही से रोकता है और इस प्रकार उनकी बदला लेने की इच्छा अपूर्ण ही रह जाती है, तब वे न्यायालय की शरण लेते हैं। “डा० राबर्टसन ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है “भारत सम्बन्धी ऐतिहासिक निबन्ध”। उसे पढ़ने से सिद्ध हो जाता है कि ये मुकदमेवाजियाँ हिन्दुओं की सभ्यता की परिचायिका हैं न कि उनके असभ्य होने की। उनकी इस बात का भी खण्डन करके श्री मिल ने लिखा है कि “आयर्लैंड के सर्वाधिक असभ्य लोगों को छोड़कर इस प्रकार की सभ्यता और कहीं भी नहीं पायी जाती”। इसमें आश्चर्य करने योग्य तो कुछ भी नहीं जान पड़ता कि हिन्दुओं में यह मान्यता फैल गई हो कि अंगरेजी न्यायालयों का न्याय भ्रष्टाचार से परे रह कर निष्पक्ष होता है। फिर भी क्या यह सत्य है कि हिन्दुओं में अन्य राष्ट्रों से अपेक्षाकृत अधिक मुकदमेवाजी होती है। सर थामस मुनरो मद्रास के गवर्नर रह चुके हैं और वे रय्यतवाड़ी प्रबन्ध के सबल प्रशंसक रह चुके हैं। उनके लेखों में अनेक बार इस प्रकार के शब्द मिलते हैं—“मुझे अनेक परिस्थितियों में अनेक हिन्दुओं को समीप से देखने का प्रायः अवसर मिला है और मैं दृढ़तापूर्वक कह

सकता हूँ कि वे वादप्रिय नहीं होते' ।

मिल की दुर्भाग्यवशात् हिन्दुओं के प्रति इतनी बढ़ी हुई है कि एक स्थान पर ही दृढ़तापूर्वक उसने अपने पाठकों को विश्वास दिलाया है कि—“कोई भी वाद इच्छामात्र होने पर भी किसी की हत्या सहज हो कर सकता है” । वास्तविकता है कि यदि भारत के लोग मिल द्वारा प्रचलित ढंग के ही होते तो कर्नल बान के अनुसार भारत का समाज इतने अधिक दिनों तक संगठित ही नहीं रह पाता था । मिल ने जब उपरोक्त प्रकार की बातें लेखनीबद्ध की थी तो स्वयम् उन्हें अपनी बातों का महत्व परिलक्षित नहीं हो सका था । उसकी इच्छा थी कि भारतीयों को एक दुर्गुण पुंज के रूप में चित्रित कर दें, परन्तु अपनी भूल से स्वयम् ऐसी बात लिख गया जो उसी के विरुद्ध जा पड़ी । आप लोग ही सोचें यदि एक ब्राह्मण को इतनी स्वतंत्रता है कि वह इच्छामात्र से किसी की हत्या सकता है, तो यह उस वर्ण के लिये कितनी प्रशंसापूर्ण बात है कि इतना अधिकार रहने पर भी ऐसा नहीं सुना गया कि किसी ब्राह्मण ने अपने उस अधिकार का एक बार भी प्रयोग किया हो । तुलनात्मक रीति से यदि देखा जाय तो पावेंगे कि स्वयम् हमारे इंग्लैण्ड में प्रति दस हजार व्यक्ति पर एक व्यक्ति को फाँ दी जाती है और बंगाल में प्रति दस लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति को प्राणदंड दिया जाता है ।

कर्नल स्लीमैन के भ्रमण वृत्तान्तों से हम सब, दुर्भाग्य से उतना परिचित हो सके हैं, जितना हम सब को उनसे होना चाहिये था । इनसे आपको कुछ पता हो जाय, इस उद्देश्य से मैं आप लोगों के समक्ष कुछ उद्धरणों को रखूँगा । कर्नल स्लीमैन ने जो कुछ भी लिखा है, वह पत्रात्मक ढंग पर है और वे सभी पत्र अपने बहन को ही सम्बोधित करके उन्होंने लिखा है । उनके एक पत्र का नमूना देखिये :—
“मेरी प्यारी बहन,

भारतवर्ष में तुम्हारे जो भी देशवासी रहते हैं यदि उनसे पूछा जाय कि देश में प्रवास करते हुए कौन-सी वस्तु उन्हें सर्वाधिक प्रसन्नता प्रदान करती है प्रत्येक दस में से नौ व्यक्ति यही कहेंगे कि वह वस्तु है उन प्रिय बहनों का पत्र । स्वदेश में रहती हुई अपने प्रवासी भाइयों को लिखती रहती हैं.....और प्रकार वे हमें प्रसन्न बने रहने में तो सहायिका होती ही हैं, साथ ही हमें विश्ववन्द्य का पाठ पढ़ाकर उत्तम प्रकार की विश्वनागरिकता की सफल शिक्षा भी देती रहती हैं । मुझे विश्वास है कि यदि हम भारत प्रवासी अंगरेजों को अपनी बहनों के पत्र प्राप्त होते रहें तो न तो हम उत्तम नागरिक हो बन सकें और न अपनी सरकार का उत्तम सेवक ही । बात यह है कि हम भारत स्थित अंगरेज यहाँ या अन्यत्र जब

कोई कार्य करने लगते हैं तो यह भावना सदैव ही हमारे साथ रहती है कि वह कार्य हमारी बहनों द्वारा प्रशंसा प्राप्त होगा या नहीं। इस प्रकार भारत सरकार के कार्यों में वे सर्वदा एक वांछनीय नियंत्रण का कार्य इस प्रकार करती रहती हैं मानों वे अवैतनिक मैजिस्ट्रेट हो। मेरा विचार है कि इन बहनों को इसी दृष्टिकोण से देखना देखना भी चाहिये।”

स्लीमैन के इन थोड़े से शब्दों में भी अंगरेजी का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। स्लीमैन स्वयम् स्वीकार करता है कि वह पत्र लिखने में महान् आलसी है। हो सकता है कि कार्याधिक्य ही इस आलस्य का कारण हो। लम्बे पत्र तो वह यों भी कभी नहीं लिख पाता था फिर भी नर्मदा से चलकर स्वास्थ्य रक्षार्थ की गयी हिमालय तक की लम्बी यात्रा में उसने जो कुछ भी देखा सुना, जो कुछ भी अनुभव उसने प्राप्त किया तथा जिस किसी भी हृदय, व्यवस्था, विचार ने उसे जिस प्रकार प्रभावित किया, उन सभी का परिचय अपनी बहन को लिखे गये अपने पत्रों को लिख पाने का अवसर उसने बलात् ही निकाला। उसने जो कुछ भी लिखा था, प्रारम्भ में उन पत्रों को इसी उद्देश्य से लिखा था कि उसकी बहन तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों को प्रिय एवम् मनोरंजक लगे। फिर भी उसने यह भी साथ ही साथ लिख दिया कि “मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इतना विश्वास अवश्य रखें कि अपने पत्रों में लिखी गयी बातों में मैंने कहीं भी कल्पना का सहारा नहीं लिया है। आप लोगों को लिखे हुये विवरणों, संस्मरणों या वार्तालापों की वास्तविकता को कहीं भी मैंने स्पष्ट नहीं किया है। कहीं-कहीं मैंने अन्य जनों से सुनी हुई बातों को भी लिखा है, पर उनकी भी सत्यता पर मुझे विश्वास है। जो बातें मैंने स्वयम् देखकर या अनुभव करके लिखी हैं, वे तो सत्य हैं ही।”

स्लीमैन ने इन पत्रों को १८४४ ई० में जब प्रकाशित करने की योजना बनायी तो उसने इस बात की लिखित आशा प्रगट की कि “मेरी इस कृति को पढ़कर भारत प्रवासी, भारत और भारतीयों को अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे और तब भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार अधिक सहानुभूतिपूर्ण होगा।”

आप लोगों के मन में यह शंका हो सकती है और आप यह पूछ सकते हैं कि प्रोफ़सर विल्सन जैसे निष्पक्ष लेखक से भी अधिक मैं भारतीय चरित्र के विषय में कर्नल स्लीमैन के मत को अधिक मान्यता क्यों दे रहा हूँ। यदि आप उक्त प्रश्न को पूछें ही तो मेरा उत्तर यही होगा कि विल्सन अधिकांश कलकत्ता में ही रहे और स्लीमैन ने भारत को भारत के गांवों में देखा था। (यहां मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत विषयक किसी भी जिज्ञासा की शान्ति के लिये हमें ही नहीं, प्रत्येक जिज्ञासु को भारत के गांवों में ही जाना चाहिये क्योंकि वास्तविक

भारत के दर्शन हमें गांवों में ही मिलते हैं। कर्नल स्लीमैन ने कई वर्षों तक ऊपर दमन करने को कमिश्नर के रूप में काम किया था। ये ठग लोग पेशेवर हत्यागार जो एक प्रकार की धार्मिकता की आड़ में हत्याएं करके राहगीरों को लूट कर ले जाते थे। प्रारम्भ में इन दलों में प्रायः मुसलमान ही हुआ करते थे परन्तु बाद में कुछ हिन्दू भी इसमें शामिल हो गये थे। फिर भी अधिकांश संख्या मुसलमानों की ही थी।

इन दलों को खोज निकालने के लिये स्लीमैन को देशी आदमियों से सहायता स्थापित करना पड़ा था। यह सम्पर्क परस्पर विश्वासपात्रता की सीमा तक बढ़ जाने से उसे इस बात के अत्यधिक अवसर मिले कि वह देशी लोगों के विषय में जानने, सुने और समझे।

अपने विवरणों में स्लीमैन ने यह बात जोर देकर कहा है कि जो भारतीय ग्राम्य-जीवन को नहीं जानता वह भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वरुण की सुविधा के लिये इन्हें गण कहेंगे। हम जानते हैं कि भारत के गांवों के प्रकार भारतीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे किसी भी अन्य देश में नहीं है। भारतीय राजाओं, महाराजाओं एवम् सम्राटों की बात पढ़ कर हमारा सोचना यद्यपि स्वाभाविक है, पर सत्य नहीं कि भारत में भी प्राच्य देशों के ही प्रकार का राज्यतंत्र था और जिस स्थानीय एवम् प्रांतीय स्वतंत्रता का हम अंगरेजों को अस्मिमान करते हैं, उसका नाम भी भारत में नहीं था। जिन लोगों ने सावधानीपूर्वक भारत के राजनैतिक जन-जीवन के विषय में अध्ययन किया है, उनका भी उपरोक्त स्वाभाविकता के विरुद्ध है।

अति प्राचीन काल से ये गांव ही भारत के शासन की इकाई रहते आये हैं। यह सही है कि भारत ने अनेक आक्रमणकारियों को देखा है। अनेक आक्रमणों एवं आक्रमक जातियों से अनेक बार वह पादाक्रान्त भी हुआ है। लम्बे विदेशी-शासन के दिन भी भारत ने एकाधिक बार देखा है परन्तु गांवों की यह प्रधानता सदैव अक्षुण्ण रही है। गांवों का जन-जीवन इन आक्रमणों एवम् लम्बे विदेशी शासनों की अग्नि परीक्षा में भी बचा ही रह गया है। अधिक से अधिक इतना ही हुआ है कि कभी ये इकाइयाँ किसी विशेष उद्देश्य से होकर समूह रूप में हो गयी हैं या बनाये गये हैं। इस प्रकार के ग्राम-समूहों को भारतीय साहित्य में ग्राम जाल कहा गया है। ये ग्राम जाल भी हस्तान्तरित अधिकारों की भोगते हुए सम्पूर्ण एवम् अधिकारों में बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र ही रहते थे। आप मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति को देखें उसमें आपको ऐसे कर्मचारियों के पदों के नाम मिलेंगे, जो दस, बीस, सौ या सहस्र गांवों का शासन प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त होते थे परन्तु इससे आप यह न समझें

हिन्दुओं का चरित्र

८१

जें कि ये अधिकारी आजकल के राज्यपालों की तरह होते थे। ऐसी बात नहीं थी। वास्तव में ये कर्मचारी प्रायः लगान वसूली के लिये तथा ग्रामीण जनता के शिष्टाचार की देखभाल के लिये ही होते थे। ग्रामों के आन्तरिक शासन में उनका कोई भी हाथ नहीं होता था। बाद में चलकर भी भारतीय साहित्य में अठारहवीं, बयालसी तथा बीसवीं नाम के परगने मिलते हैं, परन्तु वे ग्राम जाल राजनैतिक इकाई न होकर आर्थिक इकाई ही हुआ करते थे। हिन्दुओं के लिये, मेरा मतलब है कि प्रति सौ में ६ हिन्दू के लिए उसका गांव ही उसका संसार होता था, जिसे जनमत कहा जाता और उसका क्षेत्र भी कदाचित् ही एक गांव से बाहर जाता था। २)

कर्नल स्लीमैन ही सर्वप्रथम अंगरेज था जिसने इन गणों को देखा और लोगों का ध्यान भी इधर आकर्षित किया। उसो ने गांवों के उस महत्व को समझा जो देश शासन प्रबन्ध में इन गांवों का होता था। गांवों का यह महत्व अति प्राचीनकाल आज चला आ रहा है। आगे हैनरी माएन के प्रयत्नों से हमारी एतत्सम्बन्धी जानकारी काफी बढ़ी है, फिर भा कर्नल स्लीमैन द्वारा लिखे गये पत्रों की उपयोगिता कुछ अधिक ही है, क्योंकि उनसे हमें एक शिक्षा मिलती है। उसने एक निरीक्षक हैसियत से लिखा है और उस पर किसी भी ऐसे सिद्धान्त का प्रभाव नहीं है जो सामान्य आर्यों के राजनैतिक जीवन के विकास का सम्यक् निरूपण करता हो।

हमने ऊपर की पंक्तियों में जो कुछ कहा है, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि कर्नल स्लीमैन ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने इस बात पर विद्वानों का ध्यान कर्षित किया कि समूचा भारत इन छोटे-छोटे गांवों में ही रहता है। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिये यूनानी सेनापति एल्यूक्स नाइकेटर द्वारा भेजा गया था। उसका समय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी था। मेगस्थनीज ने भी भारत को जैसा कुछ देखा, सुना और समझा था, उसका पूरा-पूरा विवरण लेखबद्ध किया है। उसकी दृष्टि भी इस तथ्य पर पड़ी थी। उसने लिखा है कि प्रायः यहां के लोग अपने बालवच्चों के साथ देहस्तों में ही रहना पसन्द करते हैं और नगरों की ओर जाने की जैसे उनमें कोई इच्छा ही नहीं होती। ब्रह्मभारकस का कहना है कि ये सभी लोग आपसी सहयोग से खेती बारी करते थे। स्लीमैन ने जिस बात की ओर सर्वप्रथम संकेत किया था वह यह है कि भास्तीयों के धर्म में जात गुण उनके निजी गांव से ही सम्बन्धित एवम् मर्यादित होते हैं।

हमारी जाति वाले (अंगरेज) भारत के ग्राम के जीवन के विषय में कुछ भी नहीं जानते या यों कहना चाहिये कि जिन्हें यह सब कुछ जानने का अवसर ही नहीं मिला। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि ज्यों ही कोई अंगरेज अधिकारी भारतीय ग्रामीणों के बीच पहुँचता है, त्यों ही उनके सभी संस्कारगत गुण गायब हो

जाते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि भारतीयों में अनेक ऐसे संस्कारगत गुण जो उनके व्यक्तिगत जीवन, उनकी न्याय व्यवस्था एवम् उनके शिष्टाचरण को मूर्त पूर्ण बनाते हैं, परन्तु अंगरेजों के सम्पर्क-मात्र से उनके ये गुण जैसे उनसे अलग जाते हैं। भारतीयों का चरित्र कुछ इस प्रकार का है कि उन्हें जब भी अपने गाँव समाज से अलग कर दिया जाय तो उनके जैसे सारे बन्धन टूट जाते हैं और जैसे सारे संस्कारगत संयम नियम उनका साथ छोड़ जाते हैं। गाँव की मर्यादा का बंधन टूटते ही वह इस प्रकार का हो जाता है कि थोड़ी ही लालच में पड़ कर वह ऐसे कर सकता है कि गाँव में रह कर वह वैसे काम कर सकने की बात ही नहीं कर सकता। हम आज भी देखते हैं कि एक देश के नागरिक का एक ही काम अपमान समझा जाता है यदि वह अपने देश में किया गया हो और उसे ही महती देश की भी बात कहते हैं, यदि वह दूसरे मुल्क के साथ किया गया हो। संकुचित प्रतीति की देशभक्ति इसे ही कहते हैं। भारतीयों का भी यही हाल है। गाँव में किये पर जो काम अपराध समझा जाता है वही काम यदि एक गाँव का निवासी गाँव में सफलता पूर्वक करे तो उसे सफल आक्रमण या विजय का नाम दिया जाता है। गाँव के शिष्टाचरण के नियम केवल गाँव के लिए ही सीमित रहते हैं दूसरे के लिए नहीं। अन्तर्ग्रामीण सम्बन्ध के लिए प्रायः उसी प्रकार के नियम प्रचलित जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के नियम। उदाहरण के लिये गाँव का सर्वाधिक सम्माननीय व्यक्ति भी अपने गाँव में अतिथि का सा सम्मान नहीं पा सकता, परन्तु गाँव का साधारणतम् व्यक्ति भी अतिथि योग्य सम्मान पाने का अधिकारी माना जाता है।

अब आइये देखें कि इस ग्राम्य चरित्र के विषय में कर्नल स्लीमैन के विचार हैं। इस विषय पर कुछ कहने के पूर्व मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि कर्नल स्लीमैन ठगी के विनाश की योजना में कमिश्नर रूप से कार्य रहे थे अतः उन्हें जन-जीवन के दोनों अर्थात् उज्ज्वल एवम् कृष्ण दोनों पक्षों को के पर्याप्त अवसर मिले होंगे।

स्लीमैन ने अपने लेखों में यह विश्वास दिलाया है कि एक ही गाँव का तक प्रश्न है कोई भी व्यक्ति असत्य भाषण का नाम भी नहीं जानता अर्थात् यदि ही गाँव के किसी भी मामले में उसी गाँव के किसी व्यक्ति को कुछ कहना होगा वह किसी भी दशा में असत्य भाषण नहीं करेगा। स्लीमैन ने कुछ जंगली जातियों का चर्चा करते हुये लिखा है कि गोंड, भील इत्यादि भी किसी बड़ी से बड़ी लालच सामने भी झूठ नहीं बोलते यद्यपि उनके लिये यह त्रिक्कुल स्वाभाविक है कि वे सामान्य स्थिति के मुण्ड के मुण्ड जानवर हांक ले जायें।

हिन्दुओं का चरित्र

८३

इन लोगों के विषय में यह कहा जा सकता है कि अभी वे झूठ बोलने के लामों को इस योग्य भी नहीं मानते कि वे उनका मूल्यांकन करने का प्रयत्न करें। मेरा तो विचार है कि इस प्रकार की आनन्दपूर्णा अज्ञानता से किसी जाति को महत्ता बढ़नी ही चाहिये घटनी नहीं। इस स्थल पर मैं भोलों, गोड़ों या संयालों जैसी अनार्य जातियों के लोगों का मूल्यांकन करना नहीं चाहता। वास्तव में भारत को उन आर्य जातियों की चर्चा कर रहा हूँ जो सम्भ्रकही जाती हैं या कहे जाने योग्य हैं। ऐसे लोगों में यदि कोई ऐसा अवसर उपस्थित हो जाता है कि एक ही गाँव के लोगों के स्वार्थों, अधिकारों एवम् कर्तव्यों में द्वन्द्व आ पड़ता है तो गाँव के सीमित वातावरण में जनमत का ध्यान इतना प्रबल होता है कि बुरे से दुरे व्यक्ति को भी बलात् भाषण करना पड़ता है। अभी भारतीयों में दैव कोप का भय भी काफी बना हुआ है। भारत के प्रायः प्रत्येक गाँव में पीपल का या कोई और पवित्र वृक्ष अवश्य ही होता है और भारतीयों का विश्वास है कि उस पेड़ को डालियों में बैठकर देवगण पत्तों का मर्मर संगीत सुनते हैं। अपराधों के हाथ में उसी पेड़ की एक पत्ती कुचल कर रख दी जाती है और वह देवता से इस बात को प्रार्थना करता है कि यदि वह सत्य के अतिरिक्त कुछ और कहता है तो देवता उसे या उसके प्रियजन को उसी भाँति कुचल दे जैसे उसके हाथ में पत्ती कुचली हुई है। इतनी शय के बाद उसे जो कुछ भी कहना होता है वह कहता है।

हिन्दुओं का ऐसा विश्वास है कि पीपल के पेड़ पर देवताओं का निवास होता है और सेमर पर स्थानीय देवता का निवास होता है। विशेष कर वन्य जातियाँ सेमर के पेड़ को पवित्र मानती हैं। वन्य जातियों के मन में इन स्थानीय देवताओं का अधिक भय होता है क्योंकि उनका विश्वास है कि इन देवताओं का कार्य क्षेत्र चुँकि सीमित होता है अतः वे अधिक योग्यता से उनके कार्यों को देख पाते और दण्ड विधान करते हैं। आगे चलकर स्लीमैन का कथन है कि गाँव की पंचायतों में ग्रामोण जन धर्म से भी एवम् अपने स्वभाव से भी बाधित होकर सत्य ही बोलते हैं और हमारे ऐसे शतशः उदाहरण हैं जहाँ केवल तनिक-सा झूठ बोलकर अपना धन, जन या प्राण बचाये जा सकते थे, फिर भी लोगों ने असत्य का सहारा नहीं लिया। आपके देश का कोई भी न्यायाधीश क्या इस प्रकार की बात कह सकता है ?

चाहे पीपल के पेड़ के नीचे हो या सेमर के, केवल देवताओं का दण्ड विधान ही या स्वयम् अपनी कल्पना ही उन्हें सत्य की ओर प्रेरित करने को पर्याप्त है। वह जानता है कि उसकी गुप्त से गुप्त बात भी ऊपर बैठा हुआ देवता जानता है और यदि उसने स्थायी होकर असत्य भाषण करके लौकिक दण्ड विधान से बच भी

गया तो दैविक दण्ड का भागी तो उसे बनना ही पड़ेगा और यह दैविक दण्ड लौकिक दण्ड से सर्वथा भयंकर ही होता है। यदि कभी किसी भी कारण असत्य भाषण ही गया तो उसकी दैव भय प्रभावित कल्पना उसे क्षण भर भी शान्त नहीं देती। दैविक दण्ड का भय उसे संत्रस्त किये रहता है। यदि उसके बाद स्वयम् या उसके किसी प्रियजन को किसी दुर्घटना का शिकार होने का दुर्योग या पड़ा तो उसे क्षणप्रतिक्षण यही विश्वास रहता है कि दैवेच्छा ने ही उस दुर्घटना को योजन की है। यदि कोई दुर्घटना न भी हुई तो स्वयम् उसकी भयातं कल्पना ही उसे कि न किसी प्रकार की आपत्ति में डकेल देती है। मैं मानता हूँ कि यह सब अन्धविश्वास ही है परन्तु क्या ऐसा अन्धविश्वास प्रशंसनीय नहीं है ? हिन्दुओं की स्मृतियों में बात यह भी कही गयी है कि स्वयम् उसी के (साक्षी देने वाले के) पूर्वज स्वर्ग में रह कर यह देखते रहते हैं कि उनकी सन्तान किस प्रकार साक्षी देती है। यह एक प्रकार का अन्धविश्वास परन्तु प्रशंसनीय अन्धविश्वास है कि प्रत्येक हिन्दू मानता है कि उसके सत्य या असत्य भाषण के फलस्वरूप उनके पित्रों को स्वर्ग नरक में जाना पड़ता है।

कनल स्लीमैन ने अपने विवरण में एक ऐसे वार्तालाप की चर्चा की है जो एक अंगरेज अधिकारी तथा एक हिन्दू न्यायाधिकारी के बीच हुआ था। आप अनुमति दें कि मैं उस वार्तालाप का वह अंश आप लोगों के समक्ष पढ़ूँ जो हिन्दू चरित्र से सम्बन्धित है। उक्त अंगरेज अधिकारी ने उक्त वकील से पूछा था कि—“यदि गंगा जल तथा कुरान को लेकर शपथ लेने की प्रथा को हटाकर भगवान् नाम पर पवित्र शपथ लेने की प्रथा चलायी जाय तो साक्षियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?”

उक्त हिन्दू ने उत्तर दिया “मैं अदालतों में तीस वर्षों तक बकालत कर चुके हूँ और इस बीच मुझे तीन तरह के गवाह मिले हैं। इनमें से दो प्रकार की साक्षियों पर तो इस परिवर्तन का कोई प्रभाव न पड़ेगा, परन्तु तीसरे प्रकार के लोग एकदम नियंत्रण विहीन हो जायेंगे।”

“आप कृपा करके यह भी बता दें कि हमारी अदालतों में उपस्थित होने वाले ये तीनों प्रकार के साक्षी कौन से हैं।”

“श्रीमान् प्रथम तो वे लोग हैं जो सदा सत्य ही कहेंगे चाहे उन्हें कुरान या गंगा जल की या अन्य कोई शपथ दिलायी जाय या नहीं। यहां तक कि उनसे कहने के लिये न भी कहा जाय तो भी वे सत्य ही कहेंगे।”

“क्या आपका ख्याल है कि आपलोगों में इस प्रकार के लोगों की संख्या काफी बड़ी है ?”

हिन्दुओं का चरित्र

८१

“जी हाँ मेरा विचार ऐसा ही है। इस वर्ग में मैंने अनेक ऐसे मनुष्यों को पाया है, जिन्हें कोई भी वस्तु सत्य से नहीं डिगा सकती। उनको पृथ्वी की कोई भी वस्तु या शक्ति सत्यच्युत नहीं कर सकती। आप कुछ भी कर सकते हैं परन्तु न तो डरवाकर और न रिश्वत देकर आप उन्हें असत्य भाषण के लिये मजबूर कर सकते हैं। वे जानबूझकर कहेंगे या किसी भी दशा में झूठ नहीं बोल सकते।”

“दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो थोड़े भी उद्देश्य से झूठ बोल सकते हैं यदि उन्हें शपथ के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाय। शपथ ले लेने के उपरान्त उन्हें दो भय होते हैं। एक तो उन्हें भगवान का डर हो जाता है और दूसरे जनमत का।”

उसने आगे कहा कि “अभी तीन ही दिन पूर्व की बात है कि एक उच्च वर्गीया महिला से मुझे वकालतनामा लेना था, जिसके बल पर शहर की अदालत में चल रहे उसके एक मुकदमें को पैरवी करनी थी। उक्त महिला के एक भाई ने मुझे वकालतनामे पर उसका हस्ताक्षर कराके दे दिया और हस्ताक्षर की वास्तविकता प्रमाणित करने के लिये दो साक्षी मेरे सामने लाये गये। तब मैंने कहा कि ‘तुम लोग जानते हो कि वह महिला पर्दे में रहती है और जब जज आप लोगों से पूछेगा कि क्या लोगों ने उक्त महिला को वकालतनामा देते हुए देखा है तब आप लोग क्या कहेंगे’ उन दोनों साक्षियों ने जवाब दिया कि ‘यदि जज बिना शपथ दिलाये हमसे पूछेगा, तो हम ‘हाँ’ कह देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वकालतनामा पर उस महिला ने ही हस्ताक्षर किया है; परन्तु चूँकि हमने हस्ताक्षर करके आपके हाथ में कागज देते हुए नहीं देखा है अतः शपथ लेने पर हम लोग जज के समक्ष ‘हाँ’ नहीं कह सकेंगे। यदि हम लोगों ने हाथमें कुरान लेकर हाँ कह दिया तो समूचे नगर के लोग उंगली उठाएँगे कि हमने शपथ लेकर झूठ बोला है और हमारे अहितचिंतक सभी लोगों से कह देंगे कि हमने गलत शपथ ली है।”

वह वकील आगे कहने लगा कि “इस वर्ग के मनुष्यों के लिये शपथ का नियंत्रण एक अद्भुत नियंत्रण है।”

“तीसरे वर्ग में वे मनुष्य आते हैं जो थोड़े से भी लाभ के लिये झूठ बोल देंगे चाहे उनके हाथ में कुरान या गंगा जल हो या न हो। कोई भी शक्ति उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकती और ऐसे लोगों पर आपकी इस घोषणा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

“आपकी राय में आपके देश में अधिक संख्या कितने लोगों की है?”

“मेरी राय में द्वितीय वर्ग के लोग अधिक हैं।”

“अर्थात् आपका यह मतलब है कि हमारी अदालतों में जो लोग साक्षी देने आते हैं उनमें अधिकांश ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें शपथ में बांध दिया जाय तो वे

किसी भी दशा में झूठ नहीं बोलेंगे भले ही उन्हें बड़ा से बड़ा प्रलोभन दिया जाय ।

“जी हाँ”

“जिन लोगों को आपने द्वितीय वर्ग में सम्मिलित किया है अर्थात् जो लोग सबल कारण उपस्थित होने पर झूठ बोल देते हैं, क्या हमारी अदालतों में अधिकांश वे ही लोग उपस्थित होते हैं ? क्या आपका ऐसा मत है कि इन लोगों को यदि गंगा जल या कुरान की शपथ में न बाँधा जाय तो अवश्य ही प्रबल कारण या उद्देश्य की उपस्थिति में अवश्य ही झूठ बोलेंगे ?”

“जी हाँ”

“क्या यह सत्य है कि उस वर्ग के लोग अधिकांश जन ग्रामीण ही होते हैं ?”

“जी हाँ”

“क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो लोग गंगा जल अथवा कुरान की शपथ के अभाव में किन्तु प्रबल कारणों के उपस्थित होने पर झूठ बोल देते हैं, यदि उन्हें से उनके गाँव या समाज वालों के सामने प्रश्न पूछा जाय तो वे झूठ बोलने से इनकार कर देंगे ?”

“जी हाँ, मेरा निश्चय ही ऐसा विश्वास है । जो लोग आपकी अदालतों में झूठ बोलने में तनिक भी नहीं हिचकते, उन्हें से यदि उनके गाँव वालों या बड़े बूढ़ों के सामने कुछ पूछा जाय तो वे अवश्य ही झूठ बोलने में लज्जित होंगे ।”

“आपके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि शहर वाले अपने परिचितों के बीच भी झूठ बोल सकते हैं, परन्तु गाँव वाले ऐसा करने में लज्जा का अनुभव करते हैं ?”

“जी हाँ, इस विषय में शहर वालों और गाँव वालों की कोई तुलना ही नहीं हो सकती ।”

“और यह भी सत्य है कि भारतीय आबादी का अधिकांश गावों में रहता है ।”

“मेरा विचार है कि भारतीय जन संख्या में ग्रामीणों की संख्या की तुलना में नगरवासियों की संख्या अत्यल्प है ।”

“तब आपका ऐसा विचार है कि भारतीय जन संख्या में अधिकांश ऐसे ही हैं जिन्हें गंगा जल अथवा कुरान की शपथ दी जाय या नहीं, परन्तु वे बोलेंगे सच ही ।”

“निश्चय ही मेरा ऐसा विश्वास है । वे सदैव सत्य ही कहेंगे, यदि उनसे कोई बात उनके बड़ों या पड़ोसियों के सामने पूँछी जाय या यदि उन्हें ऐसा विश्वास हो जाय कि जो कुछ वे कह रहे हैं उसका पता आज या कल उनके पड़ोसियों के चल जायगा ।”

अपने हृदय की न्याय की सामान्य भावना से प्रेरित होकर ही मैंने उपरोक्त

हिन्दुओं का चरित्र

८७

वार्तालाप को उद्धृत किया है। कर्नल स्लोमैन ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि पड़ोसियों से स्वतंत्र हो जाने पर या दूर हो जाने पर भारतीयों के सत्य भाषण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मेरा मुख्यतया यह विचार है कि मैं आप लोगों के समक्ष भारतीयों की सत्य प्रियता का वही रूप रखें जो पड़ोसियों से उन्मुक्त होने के बाद की परिस्थितियों में प्रदर्शित होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से मैं भारतीय इतिहास की ईसा की एक सहस्राब्दि को अन्य समय से अलग कर देना अधिक न्यायोचित समझता हूँ।

यह सत्य है कि महमूद गजनवी के दो हजार वर्ष पहले तक के समय में बहुत थोड़े से ही विदेशी यात्रियों ने भारत भ्रमण किया था। कुछ थोड़े से ही आलोचकों ने भारत के विषय में कुछ लिखा भी है। इतना सब होने पर भी जब कभी जिस किसी यूनानी, चीनी, फारसी या अरबी विद्वान् ने भारतीयों के राष्ट्रीय-चरित्र पर लेखनी उठायी है तो उसने सदैव ही उनकी सत्य एवम् न्याय-प्रियता पर अवश्य ही कुछ न कुछ लिखा है। सभी प्रकार के लोगों की दृष्टि सर्व प्रथम भारतीयों की सत्य प्रियता और न्याय प्रियता ही पर पड़ी है।

ऐसे लेखकों में केसियस नामक यूनानी वैद्य का नाम सर्वप्रथम हमारी दृष्टि में आता है, जिन्होंने भारत एवम् भारतीयों पर लेखनी उठाया है। क्यूवाक्स का युद्ध ४०४ वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था और उक्त-यूनानी लेखक उक्त युद्ध के समय में जीवित था। उसने फारस के दरबार में भारतीयों के चरित्र के विषय में जो कुछ सुना था, उसी को लेखबद्ध कर दिया है और भारतीयों के विषय में किसी विदेशी द्वारा लिखा गया यह सर्व प्रथम लेख है। उक्त लेखक ने “भारतीयों की न्यायप्रियता” नाम का एक परिच्छेद ही लिखा है।

मेगस्थनीज सिल्यूकस नाइकटेर का राजदूत था और पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) में चन्द्रगुप्त के दरबार में रहता था। उसने लिखा है कि भारतीयों में चोरी की बात तो शायद ही कभी सुनाई पड़ती थी और सदैव ही सत्य एवम् पवित्रता को आदरणीय मानते थे।

एरियन नामक लेखक ईसा की दूसरी शताब्दी में भारतीय गुप्तचरों की चर्चा करते हुए लिखता है कि ‘ये गुप्तचर यत्र-तत्र घूमते रहकर समाचार संग्रह करने रहते हैं और यदि राजा हुआ तो राजा की और यदि प्रजातंत्र हुआ तो उचित अधिकारी के पास इन समाचारों को भेजते रहते हैं। अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन गुप्तचरों ने कभी गलत सूचना दी हो। वास्तविकता यह है कि भारतीयों पर झूठ बोलने का अपराध लगाया ही नहीं जा सकता।’

कालक्रम में चीनी यात्री इन लेखकों के परवर्ती हैं। इन लोगों ने भी स्वयं से भारतीयों की सत्यता एवम् उनके सत्साहस को प्रमाणित किया है। सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री बौद्ध साहित्य के अध्ययन के लिए भारत आया था। आइये, हम भारतीयों के विषय में उसके मत को देखें। वह लिखता कि “यद्यपि भारतीय अत्यन्त सीधे स्वभाव के हैं फिर भी उनके चरित्र में स्पष्टवादिता एवम् ईमानदारी का अदभुत समग्रह है। जहाँतक धन का प्रश्न है वे कभी किसी भी चीज को अन्यायपूर्वक नहीं लेते। न्याय के प्रश्न पर उनकी उदार प्रशंसनीय है। उनके प्रशासन में भी सर्वत्र स्पष्टता दृष्टि गोचर होती है।

भारत के मुस्लिम विजेताओं तथा उनके पोष्य लेखकों ने भी यत्रतत्र भारतीयों के सम्बन्ध में लिखा है। इनमें से एक लेखक इद्रीसी नाम का है जिसने ग्यारहवीं शताब्दी में भूगोल पर एक ग्रंथ लिखा है। यह लेखक भारतीयों की प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों में करता है :—

“प्राकृतिक रूप से भारतीयों का भुकाव न्याय की ओर है और वे किसी कार्य में न्यायच्युत नहीं होते। उनका विश्वास, उनकी ईमानदारी, व स्वाभिमान भक्ति तथा प्रतिज्ञापूर्ति सर्वज्ञात है। भारतीय इन गुणों में इतने आगे हैं और उनकी इस प्रकार भी ख्याति इस ढङ्ग से चारों ओर फैली है कि प्रायः सभी देशों के लोग इस देश में आ आकर एकत्रित होते हैं।”

१३वीं शताब्दी में शम्सुद्दीन अबू अब्दुल्ला नाम का एक लेखक हुआ है। उसने अपने लेख में एक उद्धरण दिया है जो इस प्रकार है : “भारतीयों की जनसंख्या असंख्या है जैसे बालू कण। वे हिंसा और छल कपट से मुक्त हैं और न तो वे जीवकों से डरते हैं न मृत्यु से।”

उसी शताब्दी में हमें मार्कोपोलो भी एक साक्षों के रूप में मिलता है। ऐसा लगता है कि उसने ब्राह्मण शब्द, को (एवराईमान) लिखा है कि यद्यपि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण लोग व्यापारी जाति के नहीं हैं तो भी वे राजाओं द्वारा बड़े-बड़े व्यापारिक कार्यों में लगाये जा सकते थे। विशेषतया जब राज्य पर कोई संकट आ जाता था तभी वे व्यापारिक कार्यों में लगाये जाते थे। ऐसे समय का (संकट काल) विधान सामान्य कालोन् विधान से सर्वथा भिन्न हुआ करता था और ऐसे समय में कितनी ही सामान्य व्यवस्थाओं के विपरीत कार्य भी किये जा सकते थे। मार्कोपोलो का कहना है कि “आप लोगों को जानना चाहिये कि ये ब्राह्मण लोग संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी होते हैं। उनकी सत्यवादिता भी प्रशंसनीय होती है। वे पृथ्वी की किसी भी वस्तु के लिये झूठ नहीं बोल सकते।”

हिन्दुओं का चरित्र

८६

चौदहवीं शताब्दी में फ्रायर जाडेंस की साक्षी भी देखने योग्य है। अपने विवरण के क्रम में ही उसने वर्याय विषय से परे हटकर लिखा है कि 'दक्षिणी और पश्चिमी भारत के लोग सत्यवादी एवम् न्यायप्रिय होते हैं !'

पन्द्रहवीं शताब्दी में कमालुद्दीन अब्दुर्रजाक समरकन्दी (जीवन काल १४१३-१४८२) एक राजदूत के रूप में (सन् १४४०-१४४५ ई०) कालीकट तथा विजयनगर के राजाओं के यहाँ गया था। उसने सभी व्यापारियों को मिलने वाली सामान्य एवम् विशेष सुरक्षा की प्रशंसा की है

सोलहवीं शताब्दी में शाहंशाह अकबर के वजीर अबुलफ़जल ने आईने अकबरी में कहा है कि "हिन्दू लोग धार्मिक, सहनशील, नम्र, प्रसन्नमुख, न्यायप्रिय त्यागी, अपरिग्रही, व्यापारी एवम् व्यवहारकुशल, सत्यनिष्ठ एवम् सत्य प्रशंसक, कृतज्ञ तथा प्रसीम प्रभुभक्त होते हैं तथा उनमें जो सैनिक वृत्ति में हैं उन्हें यह पता भा नहीं है कि युद्ध भूमि से भागना कहते किसे हैं"

वर्तमानकाल में (मैक्समूलर के समय में) मुसलमान लेखक यह मानने को तैयार से दिखते हैं कि हिन्दुओं का हिन्दुओं के साथ जितना सौहार्द एवम् न्यायपूर्ण व्यवहार है उतना मुसलमानों का मुसलमानों के प्रति नहीं।

कनॉल स्लीमैन के ही अनुसार मोर सलामत अली एक सम्माननीय कर्मचारी था, उसने स्वयम् स्वीकार किया है कि "प्रत्येक हिन्दू अपने को इस बात का अधिकारी भी समझता है और इस कार्य में गर्व का अनुभव भी करता है कि वह किसी भी मुसलमान को अपना मित्र बनाले। बल्कि हिन्दू से उसी प्रकार का व्यवहार करने में वह उतने गर्व का अनुभव नहीं करता। मुसलमानों में कुल मिलाकर वह उत्तर फिरकों से कम नहीं हैं। मोर सलामत अली का ही कहना है कि इनमें से किसी भी फिरके में इतनी उदारता नहीं है कि वह पृथ्वी के किसी भी भाग के रहने वाले अपने ही फिरके या शेष इकहत्तर फिरकों में से किसी भा फिरके के किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः विश्वासपात्र मान कर अपना मित्र बनाले। इसके विपरीत हिन्दुओं में इस सम्बन्ध में इतनी उदारता है कि वे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के किसी भी सदस्य को पूर्णतया विश्वासपात्र मानकर उसके मित्र बन सकते हैं।"

इसी प्रकार के उद्धरण अनेकानेक लेखकों एवम् उनके ग्रन्थों से दिये जा सकते हैं। हम शतशः उद्धरणों से यह प्रमाणित कर सकते हैं कि जो भी कर्मचारी फ़ैसल या लेखक हिन्दुओं के सम्पर्क में आया, वही भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र में निहित सत्यनिष्ठा एवम् सत्य प्रियता से ही सर्व प्रथम प्रभावित हुआ और वह प्रभाव निर्विवाद रूप से सर्वथा विस्मय की सीमा तक जा पहुँचा। प्राचीन लेखकों में से किसी

ने भी उन पर असत्य प्रियता का दोष नहीं लगाया है। इस प्रकार की मान्यताएँ हम-
 -दम से निराधार तो हो ही नहीं सकतीं। उपरोक्त मान्यताएँ ऐसी तो हैं नहीं कि
 किसी ने देखा और लिख दिया। (वास्तविकता यह है कि भारतीय चरित्र की ये बातें
 -भूत बातें हैं जो सभी को सर्वत्र दिखायी पड़ी है और सभी को सर्वदा प्रभावित
 किया है। हमारे समय में भी ऐसे अनेक विदेशी हैं जो कहते हैं कि हिन्दू कभी
 -झूठ नहीं बोलते।* तुलना के लिए फ्रांस में पर्यटन करने वाले किसी अंगरेज लेखक
 ले लीजिये तो आप पावेंगे कि उसने फ्रांसीसियों की ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा
 शायद ही कभी प्रशंसा की हो। इसी प्रकार इंग्लैण्ड के विषय में आप किसी
 -फ्रांसीसी लेखक की राय पढ़िए तो उसमें शायद ही कहीं आपके लिए प्रशंसक
 शब्द मिलें।

आप को इस बात पर आश्चर्य होगा कि यदि ये सभी बातें सत्य हैं तो कब
 कारण है कि इंग्लैण्ड में भारतीयों के विरुद्ध इतनी बातें कही जाती हैं। आप
 -ऐसा कोई भी कारण नहीं मिलेगा, जिससे अंगरेज लोग भारतीयों की अनेक बातों
 सहने हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं, किन्तु उनका कभी भी विश्वास नहीं करते
 और नहीं उनसे कभी समानता का व्यवहार करते हैं।

कुछ कारणों पर तो मैं पहले ही प्रकाश डाल चुका हूँ। हमारे देश में भा
 एवम् भारतीयों के विषय में जो भी और जैसा भी जनमत बनता है, उसका आ
 होता है वह मत, जो हमारे देश के लोग कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या अन्य किसी

✓* हिन्दुओं की धर्मनिष्ठा एवम् सत्यता की प्रशंसा करते हुए एक पुर्तगाली लेखक
 ने लिखा है कि "हिन्दू धर्म का आचार-निर्णयकारी प्रभाव इतना विशाल था कि
 केवल उच्चवर्ण के लोग ही नहीं वरन् निम्नतम जाति के लोग भी शास्त्रोपदिष्ट
 की सूक्ष्मतम परम्पराओं का पालन करते हुये जाते थे। रात को लड़ना अथवा
 कर आक्रमण करना वे जानते ही नहीं थे। हिन्दू लोग सच्चे वीर थे, तभी तो
 के प्रति उनमें लेशमात्र भी वैर नहीं रहता था और तभी तो वे युद्ध के बाद एक
 -घाट पर स्नान करते और एक दूसरे को पान सुपारी देते थे।"

"दिये हुये वचन के प्रति समान्यतम् हिन्दू सैनिक के हृदय में इतना आदर
 -कि जब भी किसी युद्धबन्दी को प्रतिज्ञाबद्ध करके छोड़ा जाता था और वह नियत
 की व्यवस्था न कर पाता तो वह नियत समय के भीतर ही पुनः बन्दी बनने के लि
 -आ जाता था। वचन भंग की अपकीर्ति को वे मरण से भी बुरा समझते थे। स
 -निष्ठा के प्रति पूरी सावधानी का अभाव तथा शत्रु की किसी प्रतिकूल परिस्थिति
 -चाभ उठा लेना हिन्दुओं में सर्वथा निन्दनीय समझा जाता था।"

भारत के भारतीयों को देख, सुन या समझ कर स्थिर करते हैं। हम सभी को यह मानना चाहिये कि भारतीय नगरों के निवासियों में भारतीय चरित्र की वास्तविक प्रकृति का शायद ही देखने को मिलती है। भारत एक विशाल देश है। उसकी जनसंख्या उसी अनुपात में बड़ी है और इस जनसंख्या का सर्वाधिक बड़ा भाग गाँवों में ही रहता है। अतः भारतीय चरित्र को समझने के लिए हमें भारत के गाँवों एवम् कस्बों को देखना चाहिये न कि नगरों और उनके निवासियों को। नगरों में रहने वाले लोगों में भी कुछ सम्माननीय परिवार हो सकते हैं, परन्तु उनके घरेलू जीवन के बारे में कुछ जान पाना हमारे देश के लोगों के लिये यदि असंभव नहीं तो दुर्लभ तो अवश्य ही है। यदि किसी प्रकार ऐसे परिवारों की घरेलू बातों का हमें पता भी चला जाय तो हमें चाहिये कि हम उनकी बातों का निर्णय उन्हीं के मानदण्ड के अनुसार करें मगर हम उनके उचितानुचित का विचार करने लगते हैं अपने मानदण्डों के अनुसार। हम सब जानते हैं कि अच्छे बुरे का विचार करने का मानदण्ड सभी देशों में भिन्न-भिन्न जातियों में एक सा नहीं है। देशकाल एवम् स्थिति के अनुसार ये मानदण्ड काल-काल ही बदलते रहते हैं। शिष्टाचार सौजन्य एवम् सभ्यता के भी मानदण्ड विभिन्न होते हैं। एक देश के मानदण्ड से दूसरे देश की सभ्यता, सज्जनता, एवम् शिष्टता का विचार करने से जो भी भ्रान्ति सम्भव हो सकती है, हम इंग्लैण्ड निवासी भारतीयों के विषय में उसी भ्रान्ति के शिकार हैं। जब हम हिन्दुओं की ऐसी बातें सुनते जो हमारे मानदण्ड के सर्वथा विपरीत होती हैं तो हम छी-छी करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हिन्दुओं को जिन मान्यताओं एवम् धारणाओं के कारण हम उन्हें निकृष्ट मानते हैं, उन्हीं में से कितनी ही उनकी उच्चता का प्रमाण देती हैं। अपने अविवेक के फलस्वरूप हम उनके गुणों को भी दुर्गुण के रूप में देखने लगते हैं और इस प्रकार एक ऐसे भ्रान्त पथ पर चल पड़ते हैं जिसका न और मिलता है न छोर। रास्ते के किनारे आवश्यक मोड़ों को छोड़ते हुये केवल आगे ही बढ़ते जाने को हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं।

मुझे भय है कि कहीं आप लोगों को ऐसा न प्रतीत होने लगे कि मैं भारत एवम् भारतीयता की आवश्यकता से अधिक बकालत कर रहा हूँ और भारत के राष्ट्रीय चरित्र के विषय में उचित-मतनिर्माण पथ में अनावश्यक कठिनाइयाँ उपस्थित कर रहा हूँ, इस लिये आप अपनी दृष्टि भारतीय नागरिक-शासन के एक ख्यातनामा अधिकारी माउण्ट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की ओर करें जिन्होंने 'भारत का इतिहास' लिखा है। उनका कहना है कि "भारत में रहने वाले अंगरेजों को इस बात का बहुत ही कम अवसर मिलता है कि वे देशी लोगों के चरित्र के विषय में कोई मत स्थिर कर सकें। इंग्लैण्ड में भी लोग प्रायः अपने वर्ग के लोगों के बाहर की जनता के विषय में कुछ अधिक नहीं जानते। यदि हम

जानते भी हैं तो उसके आधार होते हैं हमारे समाचार-पत्र या कुछ पुस्तकें जो उनका विवरण प्रस्तुत करती हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं कि भारत में ऐसी साहित्य का नितान्त अभाव है। भारत के निवासियों में यदि घुलना-मिलना भी चाहें तो हमारी सामाजिक स्थिति एवम् हमारा धर्म बाधा खड़े हो जाते हैं। ऐसी दशा में हम उनके विषय में कोई मत स्थिर कर ही सकते। भारतीय परिवारों के विषय में हम यदि कुछ जानते भी हैं तो उसका आधार होती हैं वे सूचनाएँ जो हमें समय-समय पर अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दी जाती हैं। भारतीय चरित्र की श्रेष्ठता के किसी भी अंग का इन सूचनाओं में तो समावेश हो ही नहीं सकता।” विभिन्न सम्प्रदायों के जो धार्मिक संगठन भारत में कार्य करते हैं वे भी भारतीय चारित्र्य के उत्तम अंगों की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, सिन्यायाधिकारी, पुलिस मैजिस्ट्रेट, लगान विभाग के अधिकारी या कूटनीतिक विभाग के अधिकारी की तो बात ही क्या है। वे तो उक्त चारित्र्य का अल्पांश को भी नहीं जान पाते। यदि कभी जान भी पाते हैं तो उनको जानकारी उनकी दूषित मनोवृत्ति व वैयक्तिक स्वार्थ से प्रभावित हो जाती है। ऊपर से अपनी जानकारी का निर्णय अपने मानदण्ड से करते हैं। हम प्रायः इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जो व्यक्ति जरा-जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगता है उससे हम किसी भी प्रकार की सहनशीलता एवम् सम्माननीय प्रतिक्रिया को आशा ही नहीं कर सकते या हम सोच लेते हैं कि जो व्यक्ति अपने को असत्य भाषो कहे जाने का अधिकारी बना ले है वह किसी भी बुरे काम या बुराई से परे नहीं हो सकता, और न ही वह किसी भी प्रकार का बुराई से लज्जित हो सकता है। (प्रायः हमारे लेखक देश और काल का विवेक नहीं रखते। वे मराठों और बंगालियों को एक ही डबे से हाँकते हैं और महाभारतकालीन नायकों को बुराईयों की वर्तमान काल के व्यक्तियों के आरोपित करते हैं। यह तर्क दिया जा सकता है और इस तर्क से भारतीयों की प्रशंसा के अनेक प्रमाणों को सारहीन कहा जा सकता है कि—“जो लोग भारतीय के बीच जितने ही अधिक दिनों तक रहे हैं, उनका मत उतना ही सत्य के निकट होगा किन्तु यह तर्क मानव प्रकृति की परिभाषा देता है न कि भारतीय के विषय में स्थिर किये गये मतों की। उससे अधिक मान्य बात तो यह है कि भारत से लौटे हुए अधिकारियों ने जब अधिक सुसम्पन्न और अधिक सुसंस्कृत जातियों के लोगों को देखा परखा तो उन्होंने भारतीयों को ही उत्तम माना।”

हिन्दुओं के विषय में हममें अनेक भ्रान्त एवम् विपरीत धारणाएँ तो बढ़ती ही गयी हैं, परन्तु उससे भी अधिक असाधारण बात यह है कि कुछेक विपरीत प्रचारकों के आधार पर हम उन्हीं विपरीत धारणाओं पर पूर्ण मनोयोग से चलते

हिन्दुओं का चरित्र

६३

ले जा रहे हैं और उन अनेकानेक भारतीय नागरिक प्रशासन के कर्मचारियों, अधिकारियों, राजनीतिज्ञों तथा उच्च अधिकार युक्त लेखकों द्वारा लिखी गयी बातों को भी भुला देते हैं, जिन्होंने उन विपरीत प्रचारकों की प्रत्येक बात का पूर्णतया खण्डन कर दिया है और जिन्होंने बार-बार हिन्दू चरित्र के विपरीत कही गयी बातों को भ्रान्त सिद्ध कर दिया है। इस स्थल पर भी मैं उन लोगों में से कुछेक के ऐसे उद्धरण देना पसन्द करूँगा, जो इन भ्रान्त धारणाओं की निरर्थकता सिद्ध कर देते हैं।

हिन्दुओं का सामान्य विवरण देते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने कहा है कि—“वे सीधे और उपकारक होते हैं, यदि उनके साथ कुछ दयालुता की गयी तो वे उसके प्रति पूर्ण कृतज्ञ होते हैं और यदि उनके साथ कोई कुछ बुराई भी कर देता है तो जिस प्रकार वे लोग उन बुराईयों के प्रति क्षमाभाव प्रदर्शित कर देते हैं, जैसा पृथ्वीतल के किसी भी देश का ज़िन्दा नहीं कर सकता। वे स्वामिभक्त, प्रेमी तथा वैधानिक अधिकारियों के आज्ञापालक होते हैं।”

इसी विषय पर लिखते हुए बिशप हेवर का कहना है कि—“हिन्दू लोग बहादुर, शिष्टाचारी, बुद्धिमान, जिज्ञासु तथा सुधार प्रेमी होते हैं। उनमें गम्भीरता, अथर्वसाय, कर्तव्यनिष्ठा, पितृ प्रेम वात्सल्य, धैर्य ऊँचे पैमाने पर होते हैं। दयालुता का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप उनकी आवश्यकतओं एवं भावनाओं को समझें तो वे बड़े ही प्रभावित होते हैं। उपरोक्त सभी गुणों में वे पृथ्वी के उन सभी मनुष्यों से बड़े हुए हैं, जिन्हें जानने सुनने का अवसर मुझे मेरे सारे जीवन में मिला है।”

एलफिंस्टन का भी ऐसा ही कथन है—“हिन्दुओं में किसी भी वर्ग में ऐसे गिरे हुए लोग नहीं होते, जैसे गिरे हुए लोग हमारे नगरों में होते हैं। भारत के ग्रामीण निरपवाद रूप से सौहार्दपूर्ण होते हैं, अपने परिवार के प्रति प्रेम भाव

* भारतीयों के आचार का विवरण देते हुए चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखता है कि “भारतीयों के प्रति सेवा का कोई भी कार्य कर देने वाला व्यक्ति उनकी कृतज्ञता का सदा विश्वास कर सकता है, परन्तु उनका अपराध करने वाला उनके प्रतिशोध से बच भी नहीं सकता। उनका अपमान करने पर वे अपना कलंक मिटाने के लिये प्राणों की बाजी लगा देते हैं। यदि कोई कष्ट में पड़ा हो और हिन्दुस्तानों से सहायता माँगे तो वे अपने आपको भी भूल कर उसकी सहायता के लिये दौड़ पड़ते हैं। जब वे प्रतिशोध लेना चाहते हैं तो वे विरोधों को सचेत कर देने से चूकते नहीं। युद्ध में भागने वालों का वे पीछा तो करते हैं, परन्तु शरणागत को रक्षा अपना मुख्य धर्म समझते हैं”

रखने वाले होते हैं, अपने पड़ोसियों के प्रति दयालु बने रहना उनकी विशेषता है। सरकार को छोड़ कर शेष सबके प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं। यदि भाग्य ठगों और डाकुओं को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो भी भारत में कुल मिलाकर उतने जुर्म नहीं होते, जितने हमारे छोटे के देश में (इंग्लैण्ड में) होते हैं। ठग तो एक अलग जाति ही है। न्याय से निराश होकर कुछ लोग डाकूदल भी बना लेते हैं। अन्यथा सामान्य रूप से हिन्दू जन नम्र और सज्जन प्रकृति के लोग हैं। वरिष्ठों के प्रति जितनी दया माया भारतीयों में है, उतनी एशिया महादेश के किसी जाति में नहीं है। वे सामूहिक रूप से अनीति एवम् अनाचार ‡ से दूर रहते हैं। उनका यह गुण उनके लिये बड़ा सुविधाजनक होता है। यदि हम उनके शिष्टाचार की उच्चता को समझ सकें तो हमें अपने में कोई ऐसा शिष्टाचार न दिखायी पड़े जिस पर हम गर्व कर सकें।”

आप लोग यह न समझ लें कि एल्फिंस्टन ने भांट की तरह भारतीयों की प्रशंसा ही की है। इसके विपरीत यंत्र-तंत्र उसने भारतीयों की बुराइयों की भी निन्दा भी की है। आगे चल कर उसने लिखा है कि—“इस समय भारतीयों की ईमानदारी की काफी कमी आ गया है परन्तु यह बुराई उन्हीं लोगों तक सीमित है जो हमारी सरकार से सम्बन्धित हैं। भारत में लगान निर्धारण एवम् वसूली जो पद्धति है उसमें विवश होकर किसानों को शक्ति का सामना छल प्रपंच से करना ही पड़ता है।”

सर जान मालकम लिखता है कि “जब कभी भी ऐसा अवसर आया है कि देशी लोगों से कोई बात ठीक-ठीक ढंग से उन्हीं की भाषा में सुपरिचित अधिकारी द्वारा पूछी गयी है तो हमेशा ही यही पता चला है कि भारतीयों ने या तो भय कारण असत्य भाषण किया है या वेसमझो के कारण। मैं यह कहना तो चाहूँगा कि भारतीय प्रजा में अपने समान स्तर के किसी भी देश की प्रजा से बुराई है, परन्तु मुझे पूर्ण निश्चय है कि ये असत्य भाषण का सहारा लेने में कि

‡ हिन्दुओं के विषय में श्री फ़िडल की धारणा भी स्मरणीय है “हिन्दुओं की चरित्र की निष्कपटता तथा उनकी ईमानदारी मुख्य पहचान है। वे कभी भी अपनी युक्त वचन नहीं बोलते।”

इसी विषय में बर्नार्डशा को भी देखें, “भारतीयों की मुखाकृति में जीवन प्रकृतरूप का दर्शन होता होता है। हम तो कृत्रिमता का आवरण ओढ़े हुए हैं। भारतीय मुखरङ्ग को सुकुमार रेखाओं में ही कर्ता के करागुष्ठ की छाप दिखायी पड़ती है।”—अनुवादक

भी जाति से आगे नहीं हैं।”

सर थामस मनरो द्वारा दी गयी साक्षी तो और भी सशक्त है। वे लिखते हैं कि “यदि खेती की उत्तम प्रणाली; उत्पादन का अद्वितीय गुण; सुविधाजनक तथा आरामदेह वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता, पढ़ना, लिखना एवम् प्रारम्भिक गणित सिखाने के लिये गाँव-गाँव में खुली पाठशालाएँ; आपस का सोहाद्रपूर्ण व्यवहार एवम् उदारतापूर्ण अतिथि सत्कार और सबसे बढ़कर नारी जाति का सम्मान, * जिसमें आत्म विश्वास; आदर और नम्रता का सम्मिश्रण हो, इत्यादि गुणों से ही कोई जाति सम्य कही जा सकती है, तो हिन्दू लोग किसी भी यूरोपीय जाति से कम सम्य नहीं हैं। यदि यूरोप और भारत के बीच सम्यता का व्यापारिक रूप से आयात निर्यात होना सम्भव हो तो मुझे विश्वास है कि भारत से यूरोप को बहुत कुछ आयात करना पड़ेगा। यही दशा हमारे देश इंग्लैंड की भी होगी।”

यह सत्य है कि भारतीयों के राष्ट्रागत चरित्र का ज्ञान प्राप्त करने के सीमित अवसर ही मुझे मिल सके हैं। सम्भव है कि जिन भारतीय सज्जनों से मिलने का अवसर मुझे मिल सका है, उन्हें आप विशिष्ट श्रेणी के व्यक्ति मानकर यह कहें कि भारत के सभी लोग इस प्रकार के नहीं होते। यह भी सत्य है कि उन सज्जनों से मेरा जो वार्तालाप हुआ है, उसमें उनके चरित्र का अवांछनीय पक्ष मेरी दृष्टि में न आया हो। परन्तु पिछले बीस वर्षों में अनेक भारतीय छात्रों को देखने परखने के अवसर मुझे मिले हैं और मेरा विश्वास है कि उन अवसरों पर उनके चरित्र की कृष्टियों को भाप सकना मेरे लिये सर्वथा सम्भव रहा है। साहित्यिक आदान-प्रदानों में विशेष कर साहित्यिक विरोधों में अनेक भारतीय विद्वानों एवम् छात्रों से मेरा संसर्ग हुआ है। मैंने उन्हें तब भी परखा है जब वे आपस में हों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और उस समय भी उन्हें परखा है जब उनका मत किसी यूरोपीय विद्वान के

* आज के मिथ्या प्रचारक चाहे जो कह लें परन्तु आज भी भारत की नारियों को जो सम्मान प्राप्त है वह अन्य कहीं भी दुर्लभ है। हमारा आदर्श ही यह रहा है कि—एक चक्रोरथो यद्वदेकपक्षो यथा खगः । नास्तद्वदयोग्यः सर्वं कर्मसु ॥१॥

यदगृहेरमतेनारी, लक्ष्मीस्तदगृहवासिनी । देवताः कोटिगोवत्स, न त्यजन्ति यहीहृत् ॥२॥ गर्ग

जैसे एक चक्र का रथ तथा एक पंखे का पक्षी है वैसे बिना भाषी का पुष्प सभी कार्यों के लिये अयोग्य है ॥१॥

जिस घर में सदगुण सम्पन्ना नारी सुखपूर्वक रहती है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। हे वत्स करोड़ों देवता भी उस घर को नहीं छोड़ सकते ॥२॥

मत के विपरीत जा पड़ा है। इन सभी विरोध वातावरणों में संलग्न भारतीयों देखकर मैं यह कहने को बाध्य हूँ कि केवल एक बार को छोड़कर प्रत्येक भारतीय ने सत्य के प्रति जो समादर प्रदर्शित किया है वह हमारे योरोप अमेरिका में सदा और सर्वत्र नहीं दिखायी पड़ता। उनके तर्कों में शक्ति और असम्भ्यता नहीं? वास्तविकता तो यह है कि मुझे सर्वाधिक आश्चर्य तब हुआ था मैंने देखा कि वे विद्वान भारतीय संस्कृत के उन विद्वानों को देखकर स्वयम् विस्मय विमूढ़ हो उठे जो शास्त्रार्थ काल में असंयत भाषा का व्यवहार करने लगते थे जब कभी उत्तेजित हो उठते थे, क्योंकि उनके विचार से असंयतभाषा न केवल अयोरूप पैत्रिकता का ही लक्षण होती है वरन् अज्ञान का भी। मानव प्रकृति विषय में भारतीयों का ऐसा ही दृष्टिकोण है। वादविवाद में जब भी उनको पाल चल जाता कि उनका पक्ष गलत है तो वे झट अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते थे साथ ही यदि उन्हें भिश्चय रहे कि उनका पक्ष न्यायसंगत है तो वे किसी यूरोपीय या अमेरिकी विरोधी की पर्वाह नहीं करते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर भी किसी भारतीय ने सत्यपक्ष को नहीं छोड़ा, व्यर्थ का वाद विवाद नहीं किया और न कभी असत्य को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। आज हमें भी भी विद्वान हैं, ऐसे भी पुस्तक प्रकाशक हैं जो किसी बात को जानते हैं कि असत्य है, फिर भी केवल दलीलों के बल पर या उसे ही सत्य सिद्ध करके गो सोना फुलाये घूमते हैं। उस क्षेत्र में भी हम भारत से बहुत कुछ आयात कर सकते हैं।

इसी स्थान पर मैं भी इतना जोड़ दूँ कि स्वयम् हमारे ही देश के अनेक व्यापारियों ने मुझसे कहा है कि भारतीय व्यापारियों में व्यापारिक सम्मान की अपत्यधिक ऊँची होती है और शायद ही कभी कोई हुंडी ऐसी हो जिसका भुगतान ईमानदारी के साथ तुरन्त न कर दिया गया हो। उनका कहना है कि जाली हुंडी का वहाँ पर नाम ही नहीं है।

जान बूझ कर मैंने कुछ प्रमाणों को अन्त के लिये छोड़ रक्खा है, क्योंकि भय था कि कहीं आप उन प्रमाणों को शंकास्पद न समझ लें। ये प्रमाण हिन्दुओं के ही हैं। आप उनके पूरे साहित्य को देख जाइये। उसमें सर्वत्र अति जितने भी विवरण मिलेंगे, उन सबमें सत्यनिष्ठा एवम् सत्यप्रेम ही सर्वोपरि दिख पड़ेगे। सत्य के लिये उनके साहित्य में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वही अर्थगर्भित उन्होंने उसे सत् या सत्य कहा है। सत् शब्द असू धातु से बना है जिसके अर्थ 'होना' इस प्रकार सत्य शब्द का अर्थ हुआ 'जो है' अंगरेजी भाषा का सत्य शब्द सत् से सम्बन्धित है। लैटिन भाषा का सेंस शब्द भी उसी सत् से सम्बन्धित है।

हिन्दुओं का चरित्र

६७

हम सभी का ऐसा विश्वास है कि 'सत्य' वही होता है, जिसे अधिकांश जन सत्य कहते हैं या बहुमत को जिससे सत्य होने का विश्वास होता है। इस प्रकार के सत्य को हम सरलता से स्वीकार कर लेते हैं परन्तु ऐसा भी समय आता है जब एक सत्य कहने वाला ऐसे अनेक व्यक्तियों के बीच में पड़ जाता है जिनके मस्तिष्क में भ्रान्त धारणाएँ बद्धमूल रहती हैं। वे अपनी भ्रान्त धारणाओं पर इतना दृढ़ विश्वास बिखते हैं कि वास्तविक सत्य को न केवल स्वीकार ही नहीं करते बल्कि उलट कर सत्य का ही विरोध करने लगते हैं और अन्त में सत्य भाषी के ऊपर ही उनका क्रोध फैल पड़ता है। ऐसे सत्य भाषी चाहे गैलीलियो हो या डार्विन; कार्लेंजो हो या कलिनली, या चाहे अन्य कोई भी हो। जरा उनकी उस समय की प्रसन्नता का अनुमान कोशाइये, जब वे अपने अन्तरतम में किसी वास्तविक सत्य का स्पष्ट अभाव पा लेते हैं। जब वे जान लेते हैं कि 'यही सत्य है' भले ही दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र, पुरोहित या विद्वान् उस सत्य का विरोध करते हों।

नोट :— पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ कुछ उदाहरण देना अप्रासंगिक होगा।

‘शुद्धः पूता भवत यज्ञियासः’ शुद्ध और पवित्र बनो, परोपकारी हो।

(ऋग्वेद ५-५१-१)

‘ऋतस्य पन्थाः’ ‘सत्य का मार्ग सुख से गमन करने योग्य है।’ (ऋग्वेद ८-३१-१३)

‘ऋतस्य पन्थाः न तरन्ति दुष्कृतः’, दुष्कर्मों सत्य मार्ग को पार नहीं कर पाते।

(ऋग्वेद ६-७३-६)

‘यजुर्वेद—‘अहमन्वता, सत्यमुपैमि’, मैं मैं झूठ से बचकर सत्य को धारण करता हूँ।

(१-५)

‘ऋतस्य यथा प्रेत’ सत्य के मार्ग पर चलो।

(७।४५)

‘अथर्ववेद—‘सनोमुचत्वंहसः’, वह हमें पाप से मुक्त करे।

(४।२३।१)

‘मानोदिक्षत कश्चन’, हमसे कोई भी द्वेष न करे।

(१२।१।२४)

‘सथमेवेश्वरो लोके, सत्ये धर्मं सदाश्रुतः’ जगत में सत्य ही ईश्वर है, धर्म सत्य

मूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं यदम् ॥ पर ही आश्रित है। सत्य ही सर्वमूल

मिष्टम् हुतम चैव तप्तानि च तपांसि च है। सत्य से आगे कोई शक्ति नहीं है।

सत्य प्रतिष्ठानास्तामात् सत्य मेव भवेत् दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद

उन सबका आश्रय सत्य ही है अतः

सत्य परायण होना चाहिये।

(श्री वाल्मीकीय रामायण अयोध्या कांड १०६।१३।१४)

फ० न०—१०

संस्कृत साहित्य में सत्य शब्द के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है 'ऋत्' ऐसा प्रतीत होता है कि 'ऋत्' का वास्तविक अर्थ होता है, सीधा, प्रत्यक्ष और सत्य विपरीतार्थक शब्द होता है अर्थात्, जिसका अर्थ होता है 'असत्य या झूठ' ।

वेदों में देवताओं की जो सबसे अधिक प्रशंसा की गयी है, वह यही है कि सत्य हैं,* सत् हैं, सत्यपूर्ण हैं, विश्वसनीय हैं' । इस बात को सभी जानते हैं सभी इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य उन सभी गुणों को ईश्वर में या अपने देवता में आरोपित करता है जो उसकी समझ में सर्वोच्च या सर्वाधिक स्तुत्य होते हैं ।

देवताओं के लिए जो दूसरा शब्द प्रयोग में आता है, वह अद्रुघ, कि शाब्दिक अर्थ होता है 'धोखा न देने वाला । अद्रुघ वाक् का अर्थ होता है वह, जिस वचन कभी भी भंग नहीं होता' । इस प्रकार इन्द्र की स्तुति इन शब्दों में की जाती है कि 'वह हमारे शत्रुओं तक पहुंचे, उन्हें पराजित करे, वह सर्वोपरि है, सत्यभाषी तथा अपने विचारों में सर्वाधिक सशक्त है ।'

इसके विपरीत द्रुघवाक् शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के अर्थ में होता है कपटाचारो होते हैं । वशिष्ठ एक महान वैदिक कवि थे । वे कहते हैं कि 'यदि हम वास्तविक देवों को उपासना की हो, या यदि देवताओं में हमारा विश्वास झूठा हो तभी, हे जातवेदस् ! तुम्हें मुझसे रुष्ट होना चाहिये अन्यथा नहीं । झूठ बोलने का नाश हो ।

जब सत्यम् नपुसक लिंगीय भावाचक्र संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है तब और केवल तभी हम उसके अर्थ में अंगरेजी के दृश्य शब्द का प्रयोग करते हैं । परन्तु संस्कृत भाषा का 'सत्यम्' इससे भी अधिक अर्थ प्रगट करता है । इसका अर्थ होता है 'वह, जो है, जो वास्तव में है' । ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर 'सत्यम्' का प्रयोग है ।

*—'ऋतम् च सत्यम् चाभीधातपसोऽव्यजायत' ऋतसूक्त (१०।१६०) तपस्या से सत्य प्रकट हुआ ।

'सत्यम् बृहद्दत्तमुग्रम् दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीम् धारयन्ति' अर्थात् सत्य बृहत्, तप, उग्र, ब्रह्म और यज्ञ ही पृथ्वी के आधार हैं । पृथ्वीसूक्त (दे० १२ काण्ड)

'कामस्तग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम् यदासीत् । तीवन्धु मसति बिन्दन हृदिप्रतिष्ठा कवयो मनीषा' (ऋग्वेद १०।१२६।४) नासदीयसूक्त सत्य के पूर्व प्रभु ने संकल्प किया । प्राचीन कर्मराशि ही बीजरूप थी । विचार असत् में ही सत् का साक्षात्कार हुआ ।

*अव्याकृत कारण *जगत

हिन्दुओं का चरित्र

६६

का प्रयोग इस भाँति हुआ है कि अंगरेजी 'ट्रुथ' शब्द उस अर्थ को प्रगट करने में प्रयुक्त हो जाता है। ऐसे स्थलों पर 'सत्यम्' का अर्थ वहन करने के लिये 'दि ट्रुथ' का प्रयोग करना चाहिये। यदि हम 'सत्येन उत्तमिता भूमि' का अनुवाद करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 'पृथ्वी सत्य पर ही आधारित है'। मेरा विश्वास है कि प्रत्येक अनुवादक 'सत्यम्' को उपराक्त अर्थ में ही ग्रहण करता है। लुडविग ने वास्तव में ऐसा ही अनुवाद किया भी है। अति प्राचीन काल के प्रारम्भिक कवियों के लिए 'सत्यम्' शब्द का ऐसा सारगर्भित अर्थ ग्रहण करना अवश्य ही सुदुष्कर हुआ होगा। अतः 'सत्येन उत्तमिता भूमिः' कह कर उन्होंने केवल यही प्रगट किया होगा कि जैसा कि हम देखते हैं, यह पृथ्वी रुकी हुई है किसी वास्तविक आधार पर, यद्यपि हम उस वास्तविक आधार को देख नहीं सकते। इसी अदृश्य पर वास्तविक आधार को भागे चल कर उन्होंने 'ऋतु' कहा, 'ब्रह्म' कहा, और कितने ही अन्य नामों से पुकारा।

वास्तविकता यह है कि जहाँ सत्य के लिये इतना सम्मान होगा, वहाँ असत्य से उद्भूत अपराध के प्रति भी लोगों ने अवश्य विचार किया होगा या कम से कम इस प्रकार के अपराध की अनुभूति भी लोगों को अवश्य हुई होगी। इसलिये एक वैदिक ऋषि ने प्रार्थना की है कि 'जल उनको शुद्ध करे और उनके सभी पातकों तथा असत्य को वहाँ ले जाय'।

'हे जल, मुझमें जो भी बुराईयाँ हों, जहाँ कहीं भी हमने किसी को धोखा दिया हो या किसी को अभिशाप हो या किसी को अभिशाप दिया सो या असत्य भाषण किया हो, उन सबको बहा ले जाओ'।

फिर अथर्ववेद ४।१६ में एक वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है कि 'हे देव तुम्हारा पाश उन लोगों को पकड़ ले, जो झूठ बोलते हैं परन्तु उन लोगों को छोड़ दे, जो सत्य भाषी हों।'।

मैं चाहूँगा कि इस स्थल पर प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों से भी कुछ उद्धरण दूँ।
 'जो सत्य बोलता है वह अपनी ही वेदी पर प्रज्वलित अग्नि में मानों घृताहुति देता है। उसका स्वयम् का प्रकाश (ज्ञान) दिनोदिन बढ़ता जाता है और उसका भविष्य सदैव ही वर्तमान से सुन्दर होता है; परन्तु जो असत्य भाषण करता है, वह अपनी वेदी की अग्नि को बुझा देता है, मानो उस पर शीतल जल डाल देता है। उसका स्वयम् का प्रकाश (ज्ञान) दिनोदिन क्षीण होता जाता है और उसका भविष्य सदैव ही वर्तमान की तुलना में असुन्दर होता जाता है। अतः मनुष्य को सदा सत्य ही बोलना चाहिए।

'रसतो मा सद्गमय' का उपदेश इसलिए किया गया है।

प्रागे चल कर फिर कहा है कि 'असत्य भाषण से मनुष्य अपवित्र हो जाता' । फिर कहा गया है 'जैसे किसी गढ़े के द्वार-पार रखी गयी तलवार के धार पर चलने वाला व्यक्ति निरन्तर इस भय से ग्रस्त रहता है कि कहीं वह छिटक कर गढ़े में न गिर पड़े, वैसे ही मनुष्य को सदा सचेष्ट रहना चाहिए कि कहीं वह तलवार च्युत होकर असत्य-पंक में न फँस जाय, क्योंकि असत्य ही पाप है' ।

कालान्तर में हम देखते हैं कि हिन्दुओं का सत्य के प्रति सम्मान एवम् उस सत्यनिष्ठा उस सीमा तक बढ़ गयी है कि अनिच्छा पूर्वक या भावना रहित रूप से सत्य की प्रतिज्ञा भी उनको बाधित करने लगी थी। कठोपनिषद् में एक कथा है कि 'एक ब्राह्मण ने सर्व-हुत् यज्ञ किया। उस यज्ञ का यह विधान है कि इसमें मनुष्य पाँस जो कुछ भी रहता है वह सब दान में दे दिया जाता है। यज्ञ की समाप्ति पर स्वयम् उसके पुत्र ने कहा कि ब्राह्मण ने कुछ रख लिया है अतः उसका यज्ञ पूर्ण न हुआ। पिता ने पुत्र से पूछा कि आखिर कौन सी ऐसी वस्तु शेष रह गयी जिसे दान में नहीं दिया गया। पुत्र ने कहा 'एक तो अभी मैं ही बचा हूँ।' पिता स्तम्भित रह उठा। यद्यपि यज्ञ का संकल्प करते समय पुत्र बलिदान की भावना उसके मन में उठी थी फिर भी पुत्र का बलिदान करने के लिये उसने अपने को बाधित समझा और उसका भी बलिदान दे दिया। बलि के बाद वह पुत्र यमराज के पास पहुँचा। यमराज प्रसन्न होकर उसे तीन वर मांगने को कहा। पुत्र ने एक वरदान में अपना जीवन माँगा, दूसरे में बलिदान के रहस्यों का ज्ञान माँगा तथा तीसरे वरदान में यह माँगा कि उसे यह ज्ञान हो जाय कि मृत्यु के पश्चात् क्या होता है। यमराज ने तीसरा वरदान देने से टालमटोल करना चाहा, परन्तु वे भी तो प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उसके लिये दोनों में मृत्यु और जीवन पर अनेक प्रकार की वार्ताएँ हुईं जिनका संस्कृत के प्राचीन साहित्य में गौरव पूर्ण स्थान है।*

रामायण का समूचा महाकाव्य ही दशरथ की प्रतिज्ञा पर आधारित है जिन्होंने प्राण दे दिया, परन्तु प्रतिज्ञा नहीं तोड़ा। राम को वन भेजने में दशरथ ने मर्यादक पीड़ा हुई थी, परन्तु वचन भङ्ग का दोष उन्होंने अपने ऊपर नहीं ला दिया। दशरथ की मृत्यु के बाद भरत ने भी गद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया। राम को लौटाना चाहा, परन्तु राम भी पिता के वचन को कैसे तोड़ते। इस प्रकार पर राम और जाबालि नामक ब्राह्मण की वार्ता के कुछ अंशों को उद्धृत करते लोभ का मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ।

* शायद लेखक का तात्पर्य नासिकेतोपाख्यान से है।

हिन्दुओं का चरित्र

१०१

“वह ब्राह्मण पुरोहित भी थे और सभासद भी। उन्होंने रघुवंशो कहकर राम को सम्बोधित किया और कहा ‘हे राम आप रघुवंशियों में श्रेष्ठ हैं। आपके मनोभाव सज्जनोचित हैं। आपका चरित्र पवित्र है आप इस प्रकार के व्यर्थ विचारों में क्यों पड़ते हैं? क्या यहाँ कोई किसी का सम्बन्धी या कुटुम्बी है? क्या यहाँ पर कोई किसी का पुत्र, पिता या भाई है? मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला मरता है। अतः यहाँ पर जो कोई किसी को माता, पिता या बन्धु कहता है वह अज्ञानी है, क्योंकि कोई किसी का कुछ नहीं है। अतः आपको अपने पिता का राज्य छोड़ कर इस प्रकार का दुःखपूर्ण जीवन नहीं बिताना चाहिये, जिसमें आपको अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। आप समृद्धिपूर्ण अयोध्या के राजा बने। आपके पिता दशरथ वास्तव में आपके कोई नहीं थे और न आप उनके कोई थे। राजा दशरथ कुछ और थे आप कुछ और हैं। इसलिए आप वही करें, जो करने को आपको कहा जाता है। तत्र निश्चित दिनों को आप अपने पित्रों को तिलोदक दें, परन्तु यह भी जान लें कि सत्र अन्न की बरबादी ही है, क्योंकि मृत मनुष्य कुछ नहीं खा सकता। यदि यहाँ एक मादमी का खाया हुआ वहाँ पर मृत पुरुष के पेट में जाता है तो पर्यटकों के लिए भी उनके घर वालों को आद्वदान दे देना चाहिए, जिससे पर्यटन काल में वे खाने-पीने के कष्ट से मुक्त रहें। ये वेद केवल ग्रंथ मात्र हैं, जो मनुष्यों को त्याग, तपस्या, योग यम दान का उपदेश देते हैं। ये चतुर लोगों द्वारा इसलिए रचे गये हैं कि वे और जीवनों को सन्तानें विना अन्न के ही अपनी अपनी यात्रा पूरी कर सकें। आर्ष वचन कहीं मोक्षार्ण से नहीं आते। आप केवल उसे ही स्वीकार करें, जो तर्कों के प्रकाश में ठीक मान पड़ता हो। आप उसे ही ठीक माने जिसका अनुभव आपकी इन्द्रियाँ कर सकें। कभी कुछ भी अनुभवगम्य नहीं हैं, उसे आप त्याग दें।..... इहलोक ही परलोक है अतः जो कुछ भी मिल सके उसका आनन्द यहीं पर उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये बलास की वस्तुएं प्रत्येक शुद्धात्मा को नहीं मिला करतीं। प्रायः पवित्रात्माओं को अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते हैं तथा पातकी लोग इस लोक में प्रायः सुख-भोग करते सुखवायो पड़ते हैं।”

ये भौतिकवादी मनोभाव विचित्र अवश्य दिखायी पड़ते हैं। उनकी विचित्रता और भी बढ़ जाती है जब ये एक ब्राह्मण के मुख से निकलते हैं। यहाँ पर कवि एक ऐसे सभासद का चित्रण किया है, जिसके पास प्रत्येक बात का एक तर्क होता और जिसकी प्रत्येक बात राजा को प्रसन्न करने के लिए होती है।

उपरोक्त बातों का राम ने जो उत्तर दिया है तनिक उसे भी देखिये। राम ने कहा ‘आपने जो कुछ मेरे लिए कहा है, वह पवित्र भी है और आदरणीय भी परन्तु

वास्तव में वह आपकी बातों के विपरीत ही पड़ता है। जो पातकी जन सनातन नियमों के विपरीत आचरण करता है, * उसे इस लोक में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। (मनुष्य सत् और असत् कार्य ही उसे भला या बुरा; वीर या कायर; पवित्रात्मा या अपवित्रात्मा बनाते हैं) राजनीति में राजा के कार्यों में सत्य † तथा दयालुता ही स्मरणीय बनाते हैं। अतः सत्य ही राजा के कार्यों की कसौटी है। सत्य ही संसार का आधार है। सन्तों ने और देवताओं ने सत्य की स्तुति की है। राजा के लिये सत्य ही सर्वोपयोगी पूजनीय है। जो व्यक्ति इहलोक में सत्य बोलता है उसे सर्वोच्च और शाश्वत पद प्राप्त होता है। असत्यभाषी व्यक्ति से मनुष्य उसी प्रकार दूर हट जाते हैं जैसे साँप से इहलोक की अच्छाइयों में सत्य ही मुख्य तत्व है। सत्य ही प्रत्येक वस्तु का आधार है। सत्य ही संसार का प्रभु है। पवित्रता सत्य पर आधारित रहती है। प्रत्येक पद की आधारशिला सत्य ही है, सत्य से उच्च कुछ भी नहीं है। तब मैं सत्य से परावर्तित न होऊँ और अपने पिता की सत्यता की रक्षा क्यों न करूँ। न तो कोशल न घोड़े से और न अज्ञानता से मैं सत्य के दुर्ग को तोड़ूँगा। मैं अपने पिता की गयी सत्य प्रतिज्ञा का अवश्य ही पालन करूँगा। मैंने वन में इसी भाँति रहने की प्रतिज्ञा अपने पिता के सामने की है, तब फिर मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ कर भरत कहीं हुई बात को कैसे मानूँ ?

महाभारत भारत का दूसरा महाकाव्य है। इस महाकाव्य में अनेक उपालेख हैं, जिनमें सत्य को ही सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और जिनमें तत्कालीन पुरुष दिये हुए वचन के प्रति दास्यभाव सा रखते हुए दिखायी पड़ते हैं। महाभारत में भीष्म की मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी किसी स्त्री पर आघात न करेंगे। वे शिखंडी को स्त्री मानते थे और उसका सामना होने पर वे शस्त्र रख कर मृत्यु को आवाहित कर लेते हैं।

यदि मैं स्मृतिगणों से उद्धरण देना प्रारम्भ करूँ या और भी परवर्ती ग्रन्थों उद्धरण दूँ तो आप देखेंगे कि उन तमाम उद्धरणों में निरपवाद रूप से सत्य की प्रतिष्ठा की गयी होगी।

* 'लक्ष्मीश्चन्द्रादयेयाद्वा हिमवान् वाहिभुम् त्यजेत् । अतीयात् सागरोवेता प्रतिज्ञाप्रहृष्टः पितुः' वाल्मीकि रामायण लक्ष्मी चन्द्रमा को हिमवान्, हिम को छोड़ समुद्र की मर्यादा टूट जाय पर मैं पिता की प्रतिज्ञा भङ्ग न होने दूँगा।

† देखिये वाल्मीकि रामायण 'सत्यं मेवा नृशंसं च राजं वृत्तम सनातनं तस्मात् सत्यात्मकममराज्यम् सत्ये शोकः प्रतिष्ठितः' । हिंसारहित सत्य ही का सनातन धर्म है। राज्य सत्यात्मक है सत्य में ही जगत् प्रतिष्ठित है।

हिन्दुओं का चरित्र

१०३

मैं इस सत्य को दबाना नहीं चाहता कि भारत में ही कुछ परिस्थितियों में असत्यभाषण की अनुमति दी गयी है। स्मृतिकारों ने कितनी ही परिस्थितियों में इसे क्षम्य माना है। इसी प्रकार की व्यवस्था देते हुए गौतम का कथन है कि 'क्रोध के बन्धीभूत जन द्वारा किया गया असत्य भाषण या अत्यधिक आनन्द के उद्वेग में कहा गया असत्य, भय, पीड़ा या दुःखावेग में बोला गया झूठ, वचनों, वृद्धों या भ्रमित मनुष्यों द्वारा कहा गया असत्य वचन, मद्यपों या पागलों का झूठ अपने कर्ता को पतनशील नहीं बनाते। हम यों भी कह सकते हैं कि उपरोक्त परिस्थितियों में असत्य भाषण क्षम्य अपराधों की श्रेणी में रक्खा जाता है।'

यद्यपि अभी उपरोक्त सूची काफी बड़ी है, फिर भी आप देखेंगे कि उस सूची को तैयार करने में पर्याप्त ईमानदारी से काम लिया गया है। महाभारत में अनेक बार इन अपवादों का सहारा लिया गया है। महाभारत में कौशिक का प्रख्यात उपाख्यान है। कौशिक एक सत्यवादी के रूप में प्रख्यात थे, परन्तु एके बार सत्य भाषण के परिणाम स्वरूप ही उन्हें नरकवास करना पड़ा। बात यह हुई कि एक बार कौशिक एक जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ व्यक्ति मिले, जो डाकुओं के भय से भागे आ रहे थे। भागते हुए वे एक और को निकल गये। उनके जाते ही डाकू भी आ पहुंचे और कौशिक से पूछने लगे कि वे व्यक्ति किधर गये। कौशिक ने उन्हें सही मार्ग बता दिया और डाकुओं ने उन सभी को पकड़ कर मार डाला। इस सत्य भाषण के परिणाम स्वरूप उन्हें नरक में बास करना पड़ा।

यह बात सभी जानते हैं कि हिन्दुओं के समूचे जीवन पर पुरोहितों का अधिकार है। उनका समस्त जीवन यज्ञों और बलिदानों में ही बीतता है। इस प्रकार की बातों में हिन्दुओं की दृढ़ आस्था को सभी लोग जानते हैं, फिर भी महाभारत के गायक ने इस प्रकार कहने का सहस्र किया है।

'यदि तराजू के एक पलड़े पर सहस्र अश्वमेध यज्ञ का फल रख कर दूसरे पर केवल सत्य भाषण का फल रख दिया जाय तो सत्य भाषण-फल का पलड़ा सदा ही भारी रहेगा'

* महाभारत शान्ति पर्व में साय की महिमा सुनिये :—

धर्मः सनातनस्सायम्, सायम् ब्रह्म सनातन ।

वेदो यस्योपनिवासायम्, सायस्योप्य निषिद्धमः ॥

दमस्योपनिषन्मोक्षः एतत् सर्वा नृयासनम । साय सनातन धर्मं हि, साय सनातन ब्रह्म है, साय वेदों का रहस्य है, सत्य का रहस्य संयम है और संयम से ही मोक्ष है।

दुष्यन्त का दरबार लगा है। शकुन्तला खड़ी है। राजा ने उसे अपनी मानने एवम् गर्भस्थ शिशु को अपना मानने से इनकार कर दिया है। तनिका अक्सर पर-शकुन्तला की सुनिये। राजा ने उनको प्रार्थना सुनने से इनकार कर दिया है। तब हार कर उसने किससे प्रार्थना की। उसने सर्वोच्च सत्ता से ही प्रार्थना की और वह सर्वोच्च सत्ता क्या थी? वह थी 'आत्मध्वनि', आत्मा की ध्वनि।

शकुन्तला ने कहा, 'हे राजा, यदि आप सोचते हैं कि मैं अकेली हूँ तो भ्रान्तगंत के महापुरुष को नहीं जान पाये हैं। वह आपके प्रत्येक बुरे कार्य को देख परखता है। उसी के दृष्टि-पथ में आप बुरा कार्य कर रहे हैं। दुष्कर्म जानता कि उसके दुष्कर्म को कोई नहीं देखता परन्तु देवता सब कुछ देखते हैं, अन्ततः बसा हुआ पुरातन पुरुष सब कुछ देखता है'।

मेरा विचार है कि इतने उद्धरण पर्याप्त हैं। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ कि मेरी यह इच्छा कदापि नहीं है कि मैं भारत के करोड़ों व्यक्तियों के करोड़ों देवदूतों के रूप में आपके समक्ष चित्रित कर्हूँ, परन्तु मेरी ऐसी इच्छा अस्त हो है कि करोड़ों भारतीयों के ऊपर असत्य भाषण का जो आरोप लगा दिया गया है वह निराधार है, इतना आप अवश्य समझ लें। यह केवल सत्य नहीं है वरन् सत्य के एकदम विपरीत भी है। जहाँ तक १००० ई० के बाद की बात है, वहाँ तक तो मैं ऐसा ही कहूँगा। यदि आप किसी बालक को डरा दें तो वह अवश्य ही भूठ बोलेगा लगेगा। इसी प्रकार यदि आप करोड़ों व्यक्तियों के समूह को भय त्रस्त कर दें तो वह अवश्य ही आपके फन्दों से बचने के लिये असत्य का सहारा लेगा। सत्यता का विलास की भावना है और शायद विलास की सर्वाधिक बड़ी सामग्री है। आप तो विश्वास करें सत्यता सर्वाधिक व्ययशील सामग्री है। भाग्यवान् है वह व्यक्ति, काल्पनिकता से सत्यता का उपभोग करने का अवसर पाता रहे। हमारे जैसे समाज में और इङ्ग्लैण्ड जैसे स्वतंत्र देश में सत्य का ही सहारा लेना बहुत कुछ सरल है। इस समय और इस देश में असत्य का सहारा न लेने से भी हमारा काम चल सकता है, परन्तु ज्यों ज्यों हमारी अवस्था बढ़ती जाती है, त्यों त्यों सत्य भाषण की कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं, त्यों त्यों हम 'केवल सत्य और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं' कहने की कठिनाइयों को समझते जाते हैं। इस सत्य को भी हिन्दु ने हृदयंगम कर लिया था। वे भी जान गये थे कि, सत्य, केवल सत्य, पूर्ण सत्य अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहना कितना कठिन है, किस प्रकार असम्भव सीमा है। सत्य-ब्राह्मण में एक छोटी सी कथा है। मेरे विचार से वह कथा बड़ी ही सारंगभी है और उसमें सत्य की वास्तविक भावना है और सत्य-भाषण कठिनाइयों का उसमें पूर्ण दिग्दर्शन है। अरुण ओपवेशी से उसके परिवार वालों

हिन्दुओं का चरित्र

१०३

ने कहा 'आपकी अवस्था काफी अधिक हो गयी है अतः आप बलि-अग्नि की स्थापना करें, उसने उत्तर दिया 'इस प्रकार तुम लोगों की इच्छा है कि मैं मीन व्रत धारण कर लूं। क्योंकि अग्नि स्थापना करने वालों को सदा सत्य ही बोलना चाहिये और मैं यह भली भांति जानता हूँ कि सत्य केवल सत्य ही है और सत्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहना कितना कठिन है। इससे तो अच्छा है कि मैं मीन व्रत ही धारण कर लूं। 'अग्नि स्थापना का कोई फल नहीं है यदि असत्य* भाषण से न बचा जाय'।

मुझे सन्देह है कि संसार के किसी भी देश के प्राचीन साहित्य में सत्य केवल सत्य और सत्य के अतिरिक्त और अन्य कुछ नहीं कहने की कठिनाइयों को इतनी सुन्दर अभिव्यंजना की गयी है। हमारे भी देश में एक कहावत है, जिसका अर्थ है कि मीन सोना है और भाषण चांदी परन्तु इस कहावत में भी सत्य भाषण की कठिनाइयों की उतनी सुन्दर अभिव्यंजना नहीं है।

मैं यह समझता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों के बाद ही आप लाखों भारतीयों के भाग्य विधाता बनेंगे। अतः मैं चाहता हूँ कि वहां जाने के पूर्व उन सन्तान्त धारणाओं को आपके मस्तिष्क से हटा दें जो निरन्तर बढ़ती रहकर उन्माद-वस्था को पहुंच सकती है। (राष्ट्रीय दुर्भाग्यार्थ सदैव ही पागलपन की ओर ले जाती है) मुझे स्वदेशवासियों में ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो सभी प्रकार से मुझसे उच्च हैं। यदि आप भारत में भी ऐसे व्यक्ति खोजेंगे तो आपको मिलेंगे। यदि आपको उन व्यक्तियों से निराशा हो तो तरक्षण ही आप उज्ज्वल चमड़ी वाले किसी ऐसे स्वदेश-सेवासी का स्मरण करें, जिस पर पहले आप विश्वास कर सकते थे परन्तु अब नहीं कर सकते। अन्तर्राष्ट्रीय निर्णयों में हम सभी गलती कर सकते हैं। अभी पिछले ही सदिनों किसी एक पत्रिका में एक उच्च राजनैतिक व्यक्ति के निम्नलिखित शब्दों को हमने का संयोग मुझे मिला है :—

'हमारा अनुभव ही हमें सिखा सकता है कि, नैतिकता विहीन जाति के लोगों की सर्वाधिक आश्चर्यजनक प्रतीत होती है मानवों की वह जाति, जिसके शब्दों में

*संसार में क्या कभी किसी राजा ने इस प्रकार की धोखा की है जैसे अन्दोल के अश्वपति ने की थी :—

'न में स्तेनो जनपदे, न कदमो न मद्यपः

नाना हिताग्निर्ना, विद्वान न स्वैरो स्वैरिणी कुतः'

मेरे समस्त जनपद में एक भी चोर, कंजूस, शराबी, अग्निहोत्र न करने वाला अविद्वान और व्यभिचारिणी हो ही कैसे सकती है।

पूर्ण विश्वास रक्खा जा सकता है। देशी लोग नैतिकता को छोड़कर किसी बात में हम से पीछे नहीं हैं। हमें चाहिये कि हम उन्हें चारित्रिक हड़ता शिक्षा दें न कि साहित्य और विज्ञान की'।

यदि आप इन भावनाओं के साथ हिन्दुओं के पास जायेंगे तो न तो उन्हें चारित्रिक हड़ता ही सिखा सकेंगे और न विज्ञान या साहित्य ही। वे अपनी स्मृतियों की ओर झुकेंगे, वे अपने ही साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करेंगे और कम से कम एक पाठ तो अवश्य ही सिखा सकेंगे और वह पाठ होगा सत्यता अपने प्रति सत्यता का। इसी को दूसरे शब्दों में हम यों भी कह सकते हैं कि पाठ को पढ़ कर हम स्वयम् अपने को ही उनसे छोटा मानने लगेंगे।

याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है ?

‘यह हमारा धर्म नहीं है, और न ही यह हमारा चमड़ा है जो हमको पवित्र बना देता है। वास्तव में पवित्रता की साधना करनी पड़ती है। अतः किसी किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये जो वह स्वयम् अपने प्रति द्वारा किया जाना पसन्द नहीं करता’—

तनिक मनुस्मृति को भी देखिये, जिसकी इतनी अधिक बुराई मिलने की उसकी शिक्षा पर ध्यान दीजिये: ‘बुरा काम करने वाले समझते हैं कि बुराई को कोई नहीं देखता परन्तु देवताओं से कुछ नहीं छिपा है और सबसे बढ़कर तो हम स्वयम् ही (आत्मा ही) अपने कार्यों को देखते रहते हैं’

‘अहम् ही अहम् का साक्षी है अहम् ही अहम् का शरणस्थल है, अहम् धूणा न करो क्योंकि वही हमारे भले बुरे को देखता रहता है’

‘हे मित्र, यदि तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो तो स्मरण रखो कि सर्वोत्तम मीन विचारक (‘महान् अहम्’) तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारा अन्तर्गत उसका निवास है। वही इस बात को निर्देशित करता है कि कौन भला है और कायं बुरा है’।

‘हे मित्र यदि तुम समूचे जीवन में एक बार भी असत् का आश्रय ग्रहण हो तो जन्म से लेकर असत्-आश्रय-काल तक सभी पुण्य कार्यों का फल नष्ट जाता है’।

इसी विषय में वशिष्ठ को भी देखना प्रासंगिक ही होगा :

‘पवित्रता की साधना करो न कि अपवित्रता की; सत्य बोलो न कि झूठ; दूरदर्शी बनो न कि अन्यथा, सर्वोच्च को ही लक्ष्य बनाओ न कि निम्नतम को।

इसमें सन्देह नहीं कि भारत में नैतिकता की कमी है परन्तु समूचे संसार

हिन्दुओं का चरित्र

१०७

ऐसा देश कहाँ है जहाँ नैतिकता का ही साम्राज्य है ? मेरा विश्वास है कि नैतिकता के आधार पर यदि संसार के सभी देशों का सर्वेक्षण किया जाय तो परिणाम देख कर अनेक सम्य देश के निवासी लज्जा से सर झुका लेंगे । हम-लोगों को यह भी न भूलना चाहिए कि विभिन्न देशों में नैतिकता के विभिन्न आदर्श हैं और उनके मापदण्ड भी विभिन्न हैं । विशेष कर भारत वालों की नैतिकता का आदर्श अन्य सभी देशों से भिन्न है । हमको इस बात पर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि पिता के समय के नैतिक आदर्श पुत्र के समय में उपहासजनक हो जायें । आज का उचित कल अनुचित हो सकता है । अपने देशवासियों का विचार करते समय हम अपने देशवासियों के नैतिक आदर्श को आधार बना सकते हैं, परन्तु अन्य देशवासियों का विचार करते समय हमें उसी देश के आदर्शों को आधार बनाना चाहिए नकि अपने देश के आदर्शों को । (हम चाहे इतिहासकार हों या राजनैतिक व्यक्ति, हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि दयालुता कभी किसी को हानिप्रद नहीं हो सकती । भारत में अंगरेजी साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक बात यही होगी कि हमारे युवक, हमारे देश के लोग भारत में यह समझ कर पहुँचें कि हम नैतिकता विहीन गर्त में जा रहे हैं, या झूठों के घोंसले में जा रहे हैं । मेरा विश्वास है कि 'प्रत्येक मनुष्य झूठा है' ऐसा कहने वाला व्यक्ति अवश्य ही भ्रम पूर्ण रास्ते पर चल रहा होगा । किसी भी देश के सामूहिक या वैयक्तिक जीवन पर इतना बड़ा आघात नहीं करना चाहिये ।)



तृतीय भाषण

संस्कृत साहित्य का मानव पक्ष

अपने प्रथम भाषण में मैंने यह प्रयत्न किया था कि हमारे देश के उन लोगों को भ्रान्त धारणा दूर हो जाय, जो यह समझ बैठे हैं कि भारत आज भी अपरिचित है और आगे भी अपरिचित ही बना रह जायगा या जो यह मान बैठे हैं कि विदेशियों को भारत में लम्बे समय के लिए रहना पड़ेगा वे उस जीवन धारा और विचार धारा से सर्वथा अलग जा पड़ेंगे, जिसकी आधारशिला पर वे इंग्लैण्ड में या किसी अन्य देशों में जीवन यापन कर रहे हैं।

अपने द्वितीय भाषण में मैंने एक दूसरी मान्यता को हटाने का प्रयत्न किया था। हम लोगों ने मान लिया है कि जिन हिन्दुओं के साथ हमारे भारतीय नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के जीवन का स्वर्णकाल बीतेगा, उनकी जाति सर्व प्रकार नैतिकताविहीन है, सत्य के लिए उनके हृदयों में इतना कम सम्मान है, कि वे सर्वदा हमारे लिए विदेशी ही बने रहेंगे और उनके संग किसी प्रकार का सहअस्तित्व या सौहार्द सम्भव ही नहीं है। इसी मान्यता को दूर करने का प्रयत्न मैंने किया था।

आज हम तीसरी भ्रान्त मान्यता को हटाने की दिशा में सोचेंगे। यह तीसरी धारणा यह है कि 'भारत का साहित्य, विशेषतया संस्कृत साहित्य भले ही विद्वान् एवम् पुरातत्व प्रेमियों के लिए रुचिपूर्ण हो, परन्तु हमारे लिए उसमें रुचिपूर्ण सामग्री का पूर्ण अभाव है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमें अन्यत्र से न मिल सके। युवक प्रशासनाधिकारियों के लिये तो वह बहुत ही कम काम की है।' हम सोचने लगे हैं कि यदि हम हिन्दुस्तानी या तामील भाषा में अनेक मनोभावों को प्रगट कर सकते हैं, तो हमारा काम चल जायगा, कितनों का तो ऐसा विचार है कि चूंकि उन्हें आप में सामान्य व्यक्तियों से ही काम पड़ेगा, अतः उन्हें सांसारिक व्यवहार की बातों पर ही ध्यान रखना पड़ेगा और यदि कहीं वे अपने को विद्वान बनाने या शोधात्मक काम में लगा देंगे तो उनकी कठिनाइयाँ बढ़ेंगी ही, घटेंगी नहीं।

मेरा मत इसके विपरीत है। जिस किसी भी युवक को भारत में रहने का लाभप्रद आनन्द उठाना हो, उसे मैं यही राय दूँगा कि वह संस्कृत पढ़े और

संस्कृत साहित्य का मानव प्रश्न

१०६

सरह पड़े। इस पढ़ने से उसका तो भला होगा ही उसके देशवासियों का भी भला होगा।

मैं जानता हूँ कि मेरी राय के जवाब में यह कहा जायगा कि आज के युग में इस साहित्य को पढ़ कर क्या होगा। आप कहेंगे कि संस्कृत मृत भाषा है। आप पूछेंगे कि क्या आज का हिन्दू भी अपने प्राचीन साहित्य को देख कर लज्जित नहीं होता? क्या वे स्वयम् अंगरेजी नहीं पढ़ते और क्या वे अपने प्राचीन कवियों एवम् दार्शनिकों की तुलना में लाक, ह्यूम और मिल का अधिक समादर नहीं करते?

यह सत्य है कि एक प्रकार से विचार करने पर संस्कृत को मृत भाषा कहा जा सकता है। मेरा विश्वास है कि आज से दो हजार वर्ष पहले ही संस्कृत मृत भाषा हो चुकी थी। ५०० वर्ष ईसा पूर्व में ही महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे संस्कृत के बदले जनभाषा में ही उपदेश दें। ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने अपनी आज्ञाओं को शिलाओं और लाटों पर जनपदीय भाषाओं में अंकित कराया था ताकि प्रत्येक प्रान्त के लोग उन्हें पढ़ और समझ सकें। ये शिलालेख उत्तर में काबुल से दक्षिण में मैसूर तक, और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में इंडोस तक फैले हुए थे। ये विभिन्न जनपदीय भाषाएँ संस्कृत से उतनी ही भिन्न थीं, जितनी भिन्न भाषा इटाली (इटली की) भाषा से हैं। अतः ऐसा मानने का पर्याप्त कारण है कि यदि अधिक पहले नहीं तो कम से कम ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी में संस्कृत भाषा का सामान्य जनों द्वारा बोला जाना बन्द हो चुका था।

चुल्ल वग्ग में एक मनोरंजक विवरण दिया गया है, जिसमें महात्मा बुद्ध के छह ब्राह्मण शिष्यों ने उनसे शिकायत की कि सामान्य जन अपनी भाषा में उनके उपदेशों का स्वरूप बिगाड़ देते हैं, शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं करते और समूचा उपदेश विकृत हो जाता है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि क्यों न बुद्ध के उपदेशों को संस्कृत में कर दिया जाय; परन्तु महात्मा बुद्ध ने उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सुविधा दी जानी चाहिये कि वह उनके उपदेशों में अपनी ही भाषा में ग्रहण करे।

ए हार्डी ने 'मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म' नामक ग्रंथ में एक अनुच्छेद का उद्धरण दिया है, जिससे हमको पता चलता है कि जिस समय महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दे रहे थे तो श्रोताओं की संख्या अत्यधिक थी, परन्तु प्रत्येक श्रोता यही समझ रहा था कि समूचा भाषण उसी की जनपदीय भाषा में दिया जा रहा था जब कि वास्तव में यह था कि महात्मा मागधी भाषा में भाषण दे रहे थे।

इन सभी बातों से प्रमाणित होता है कि ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी में ही जन भाषा के रूप में संस्कृत का प्रचलन बन्द हो चुका था।

फिर भी भारत के अतीत और वर्तमान में इतना तारतम्य है कि यद्यपि प्राकृतिक क्रान्तियाँ हुईं, अनेक धार्मिक सुधार हुए और अनेकानेक विदेशियों के आक्रमण हुए, परन्तु आज भी हम कह सकते हैं कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो आज भी विशाल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है।

यद्यपि बौद्ध-धर्मावलम्बी राजाओं ने अपनी आज्ञाओं एवम् उपदेशों को जनपदीय भाषाओं में प्रचारित किया, परन्तु आज दिन भी जनता के अनेक प्रकार के कागजात तथा अधिकारियों के अनेक प्रपत्र संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते हैं। बौद्धों एवम् जैनियों के उपदेशों का संग्रह जनपदीय भाषाओं में ही रखा गया, जो भी भारत का साहित्य उसी संस्कृत में लिखा गया जिसकी व्यवस्था पाणिनि ने की थी। आप कालिदास तथा अन्य तत्कालीन कवियों की कृतियों का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें सामान्य जनो एवम् स्त्रियों के मुख से प्राकृत भाषा में ही कुछ कहलवाया गया है, परन्तु उन कृतियों से विशिष्ट पात्र निरपवाद रूप से संस्कृत ही बोलते हुए चित्रित किए गये हैं। इस बात के ऐतिहासिक महत्व की ओर से हमें नहीं मूँद सकते।

आज जब कि एक शताब्दी से भारत में अंगरेजों का शासन चल रहा है तो इतने ही दिनों से वहाँ अंगरेजी की पढ़ाई हो रही है, मेरा विश्वास है कि आप जिस प्रकार संस्कृत भाषा भारत में बोली और समझी जाती है, उस प्रकार कालीन योरप में लैटिन भाषा कभी भी और कहीं भी बोली और समझी जाती थी।

जब भी किसी भारतीय विद्वान का कोई पत्र मेरे पास आता है तो वह संस्कृत में लिखा गया होता है। जब भी किसी धार्मिक या वैधानिक मामले में किसी प्रकार का विवाद उठ खड़ा होवा है तो पक्ष विपक्ष के लोग संस्कृत में ही अपना मत प्रकाशित कराते हैं। आज भी भारत में कुछ पत्रिकाएँ ऐसी हैं, जो संस्कृत में प्रकाशित होती हैं और उन्हें लोग पढ़ते हैं जो संस्कृत को सभी अन्य देशी भाषाओं से अधिक मानते हैं। बनारस से एक पत्रिका 'पंडित' नाम से प्रकाशित होती है, जिसमें न केवल प्राचीन ग्रंथों का ही समावेश होता है बल्कि इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों में प्रकाशित होने वाले साहित्य पर टीका टिप्पणी भी रहती है और यह समूची पत्रिका संस्कृत में छपती है।

बनारस से ही एक दूसरी पत्रिका 'पुराकामानन्दिनी' नाम की संस्कृत पत्रिका निकलती है जिसमें बहुमूल्य सामग्री रहती है। विद्योदय नामकी कए संस्कृत पत्रिका कलकत्ता से भी निकलती है। इसमें यदा कदा महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित होती है और भी अनेक पत्रिकाएँ होंगी, जिनका मुझे ज्ञान नहीं है।

संस्कृत साहित्य का मानव पक्ष

११६

बम्बई से भी एक क्रमिक मासिक पत्रिका श्री मोरेश्वर कंठे जी निकालते हैं, जिसका नाम है 'षड्दर्शन चिन्तनिका'। 'इस पत्रिका में प्राचीन दार्शनिकों की कृतियाँ प्रकाशित हुआ करती हैं। उन पर टीका टिप्पणी भी प्रकाशित होती है। इस पत्रिका का मराठी और अंगरेजी अनुवाद भी प्रकाशित होता है।

ऋग्वेद भारतीय वाङ्मय की सर्वाधिक प्राचीन कृति है। इसके भी दोहरे संस्करण प्रकाश में आ रहे हैं, एक बम्बई से तथा दूसरा प्रयाग से। पहले में मूल की संस्कृत टीका तथा उसका मराठी एवं अंगरेजी अनुवाद रहता है और दूसरे में संस्कृत में ही मूल का पूरा स्पष्टार्थ दिया रहता है साथ ही हिन्दी में उसकी व्याख्या भी दी हुई रहती है। ये ग्रन्थ पाठकों के चन्दे से प्रकाशित हो रहे हैं और इस प्रकार के चन्दा देने वालों की सूची काफी बड़ी है।

भारत की देशी भाषाओं तथा बंगाली, मराठी या हिन्दी में भी अनेक पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित होती रहती हैं। उनमें भी यत्र-तत्र संस्कृत के लेख निकलते रहते हैं। उदाहरण रूप में बनारस से निकलने वाली 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' तथा कलकत्ता से निकलने वाली 'तत्त्वबोधिनी' के साथ अन्य कई नाम भी लिये जा सकते हैं।

अभी पिछले ही दिन मैंने केशव चन्द्र सेन के दल की पत्रिका 'लिवरल' में एक लेख पढ़ा है जिसमें नदिमा के वेद ज्ञानी ब्रह्माव्रत समाध्यायी तथा बम्बई विश्व-विद्यालय के स्नातकोत्तर विद्वान काशी नाथ त्र्यम्बक तैलंग की भेंट का विवरण प्रकाशित हुआ था। एक व्यक्ति पूर्व का था और दूसरा पश्चिम का, परन्तु दोनों ने प्रति सुविधा पूर्वक संस्कृत में वार्तालाप किया था।

संस्कृत ग्रन्थों की संख्या तो और भी असाधारण है। ये ग्रन्थ देशी मुद्रणालयों से ही प्रकाशित हुए हैं और आज भी होते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रन्थों की माँग अत्यधिक है, क्योंकि जब भी मैंने प्रकाशन तिथि के एक दो वर्ष बाद इन ग्रन्थों को मंगाना चाहा तो पता चला कि उनके संस्करण समाप्त हो गये हैं। भारत में ही इतने अधिक संस्कृत ग्रन्थों का खप जाना यह सिद्ध करता है कि भारत के लिये संस्कृत एक मृत भाषा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैण्ड में ऐंग्लो सेक्सन ग्रन्थों की एवं इटली में लैटिन ग्रन्थों की दशा इस प्रकार की कदापि नहीं है।

इतना ही नहीं, सुनने में तो यह आता है कि अब भी भारत के मन्दिरों में रामायण, महाभारत एवं पुराणों का नियमित पाठ होता रहता है और कोटि-कोटि दर्शनार्थी इनसे लाभ उठाते रहते हैं। गाँवों में भी इन कथावाचकों के चतुर्दिगु श्रोताओं की एक भीड़ सी लग जाती है और कथा अवगुण काल में श्रोता जन रससे

(कि संस्कृत का अप्रकाशित साहित्य ही यूनान और इटली के सम्पूर्ण संयुक्त साहित्य से अधिक है) इसमें संदेह नहीं कि इन सभी में कुछ अति सामान्य ग्रन्थ भी हो सकते हैं, परन्तु हम भी और आप भी जानते हैं कि हमारे ही समय में एक नया दार्शनिक की कृतियों की तुलना कूड़े से की गयी है। जो कुछ मैं आप लोगों को प्रगट करना चाहता हूँ वह यह है कि भारत के तीन चार हजार वर्षों के इतिहास में संस्कृत साहित्य एक प्रशस्त राजपथ की भांति है। यह कहना सत्य के समीप होगा कि संस्कृत साहित्य एक पर्वतीय राजपथ की भांति है। वह मैदान की संघर्षों से सर्वथा निर्लिप्त हो सकता है। यह भी सम्भव है कि जीवन के दैनिक संघर्षों में व्यस्त मैदान के सहस्रों लोगों ने उस पर्वतीय राजपथ का दर्शन नहीं किया हो और इस राजपथ पर इसके दुक्के पर्यटक के हों पग पड़े हों, परन्तु मानव जाति के इतिहास में रुचि रखते हों या जो मानव के मानसिक विकास क्रमों का अध्ययन करनी चाहते हैं, उनके लिये ये एकाकी पर्यटक ही युद्धों के प्रोनिधि के रूप में दिखायी पड़ेंगे। ये एकाकी पर्यटक ही भारत के क्रमिक मानसिक विकास का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते भी हैं। हम लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिये। संसार का वास्तविक इतिहास वास्तव में कुछ लोगों का ही इतिहास होता है।

(और जैसे हम एवरेस्ट की ऊँचाई को नाप कर हिमालय की ऊँचाई का अनुमान लगाते हैं, वैसे ही हमें भारत का अनुमान वैदिक गायकों के माध्यम से ही लगा होगा, उपनिषदों के सन्त ही हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे, वेदान्त और सांख्य दर्शन के प्रचारक ही हमें भारत विषयक ज्ञान देंगे और प्राचीन स्मृतियों के प्रणेता ही माध्यम से ही हमें तत्कालीन भारत का ज्ञान होगा। जो लोग गांवों में जनमे मर वहीं मर गये और जो जीवन के असल स्वप्नों से एक बार भी नहीं चींके, उनका अध्ययन करने से हमें भारतीय इतिहास की स्पष्ट भाँकी कदापि नहीं मिल सकेगी।)

यह सत्य है कि भारत के करोड़ों लोगों के लिये संस्कृत एक मृत भाषा उसका साहित्य भी मृत है बल्कि इससे भी आगे बढ़कर अस्तित्वविहीन साहित्य परन्तु क्या यही बात संसार के सभी साहित्यों विशेषतया प्राचीन संसार के साहित्यों के लिये पूर्णतः सत्य नहीं है ?

उपरोक्त तमाम तथ्यों के प्रकाश में मैं लोगों के इस मत को मान लेने के लिये एकदम तैयार हूँ कि 'संस्कृत साहित्य का अधिकांश भाग कभी भी उस रूप में जीवित या राष्ट्रीय नहीं रहा, जिस रूप में ग्रीस या रोम के साहित्य ने जनता का प्रतिनिधित्व किया था। यह भी सत्य है कि संस्कृत के जिन ग्रन्थों ने विदेशों में ख्याति अर्जित की है, वे सभी उस युग की देन हैं, जिसे विद्या का पुनरुत्थान कह सकते हैं। उन ग्रन्थों के लेखकों ने स्वयम् संस्कृत भाषा सीखी थी और उन

संस्कृत साहित्य का मानव पक्ष

११५

यह समझकर लिखा ही था कि वे विद्वानों के लिये लिख रहे थे न कि जन साधारण के लिये ।

अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिये मुझे बहुत कुछ कहना पड़ेगा ।

ऋग्वेद काल से प्रारम्भ करके दयानन्द द्वारा स्वसम्पादित ऋग्वेद की भूमिका लिखे जाने के समय तक के साहित्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं । यहाँ यह बात भी बता देना समुचित ही होगा कि दयानन्द द्वारा लिखी गयी ऋग्वेद की भूमिका भी कम रुचिपूर्ण नहीं हैं । पहले विभाग में वह साहित्य होगा जो तूरानियों के आक्रमण के पहले का है और दूसरे विभाग में वह साहित्य होगा जो इस आक्रमण के बाद वाले समय में लिखा गया । प्रथम विभाग में वेदों का विशाल साहित्य और प्राचीन साहित्य है और द्वितीय विभाग में शेष सब ।

यदि हम (भारत पर) शकों या सीदियनों या इण्डोसीदियनों के आक्रमण को तूरानियन आक्रमण की संज्ञा दें तो उसका एकमात्र कारण यही होगा कि भारत पर या भारत के प्रशासन पर अधिकार कर लेने वाले फिरकों की राष्ट्रीयता के विषय में कुछ कहकर मैं अपने को बांधना नहीं चाहता । ये अधिकार ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से ईसा की तीसरी शताब्दी तक चलते रहे ।

इन फिरकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है 'यूची' । यूची वह नाम है जो चीन इतिहास ग्रन्थों में इन फिरकों के विषय में लिखा गया है । इन फिरकों के विषय जो कुछ भी ज्ञात हो सका है, वह चीनी इतिहास के माध्यम को ही जाना जा सका । उनका सम्बन्ध दूसरी जातियों से जोड़ने के लिये सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये । कहा गया कि उनका रंग गुलाबी रंग का तथा उज्ज्वल रंग का था और वे घोड़े पीठ से बाण चला सकते थे । चूँकि यूची नाम गोथी नाम से मिलता-जुलता था, रेमूसत ने उनका सम्बन्ध जर्मन के गोथ फिरके से जोड़ा और दूसरे लोगों ने टे जाति के साथ इनको सम्बन्धित किया । गेटे लोग गोथ लोगों के दूो पड़ोसी थे । क कदम और आगे बढ़ कर टाड ने भारत को जाट और राजपूत जातियों को ही से जोड़ा । आशा है कि कालान्तर में इस गुत्थी को सुलझाने वाला प्रकाश-रण अवश्य हो आवेगी और अब तक के लिये हमें इतने से ही संतोष करना पड़ेगा । ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से ईसा की तीसरी शताब्दी तक इन तूरानियों के और भी आपत्ति-जनक शब्द प्रयोग करना चाहें तो यों कहें कि इन उत्तरी जातियों लगातार आक्रमणों ने भारत में एक महान् क्रांति उत्पन्न कर दी । चीन के इतिहास से भारत में इन जातियों की उपस्थिति का पता चलता है और अनेक प्रकार के सिक्कों एवम् शिलालेखों से इन जानकारी को बल भी मिलता है । भारत इतिहास भी इस बात की पर्याप्त जानकारी देता है, परन्तु इन आक्रमणों को भारत में उपस्थिति का सर्वाधिक पुष्ट प्रमाण मेरी राय में वह स्थावत या वह

रिक्तता है जो तत्कालीन संस्कृत ग्रन्थों की रचना धारा को कुछ समय तक के एकदम रोक देती है और यह रिक्तता ईसा पूर्व की प्रथम शती से ईसा की तीसरी शती तक बनी रहती है।

यदि हम भारत की सामाजिक व राजनैतिक दशा पर विचार करें तो आसानी से समझ सकते हैं कि किसी युद्धप्रिय जाति द्वारा आक्रमण किये जाने और आक्रमण के सफल हो जाने पर देश की स्थिति क्या होगी। आक्रान्ता देश किलों पर अधिकार कर लेंगे, पुराने राजाओं को या तो हटा देंगे या अधीन बना लेंगे या उन्हीं को अपना प्रतिनिधि बना लेंगे और तब सारे कार्य पूर्ववत् चलने लगेंगे। लगान दी जाती रहेगी, कर वसूल होते रहेंगे और भारत के अर्थार्थी अधिकांश भारतीयों की जीवनचर्या बिना तनिक भी अशान्ति या असन्तोष अनुभव किये चलती रहेगी। इस सत्ता परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होंगे पुरोहिता की श्रेणी, यदि वे नवीन शासकों से अपना मित्रतापूर्ण सम्बन्ध न बना लेंगे। या का यह पुरोहित वर्ग ही वहाँ का प्रमुख रूपेण शिक्षित वर्ग होता है अतः सम्भावना है कि अपने प्राचीन संरक्षकों के अधिकारच्युत हो जाने से उनके साहित्य रचना-कार्य में विघ्न उपस्थित हो जाय। इसके शताब्दियों पूर्व ही बुद्ध के जन्म चलाये गये धर्म का उदय हो चुका था और कालान्तर में सम्राट् अशोक द्वारा धर्म ग्रहण कर लिये जाने के परिणामस्वरूप ब्राह्मणों की प्रमुखता का अन्त हो चला था। उत्तर के ये विजेतागण चाहे जिस धर्म को मानते रहे हों, परन्तु वैदिक धर्म को तो अवश्य ही नहीं मानते रहे होंगे। ऐसी दशा में उन्होंने बौद्धों को अपना सम्पर्क बढ़ाया होगा। शासन में इसी सम्पर्क के कारण या शकों की प्राप्ति गायियों को बुद्ध के सिद्धान्तों में मिला लेने के कारण ही बौद्धों में महायान का उदय हुआ, जिसे कनिष्क ने एक सभा का आयोजन करके अन्तिम रूप प्रदान किया। हमें स्मरण रखना चाहिये कि कनिष्क भी इन्हीं तूरानी शासकों में से था, जिसने ईसा की प्रथम शताब्दी में उत्तरी भारत पर शासन किया।

ऐसी स्थिति में हम समूचे संस्कृत साहित्य को पूर्वोक्त दो विभागों में बाँट सकते हैं तूरानियन आक्रमण काल के पूर्ववर्ती साहित्य को हम प्राचीन साहित्य और प्राकृत कह सकते हैं और परवर्ती साहित्य को आधुनिक या कृत्रिम।

प्रथम काल में सर्वप्रथम हमारी दृष्टि जाती है वेदों की ओर। वेद शब्द यदि विस्तृत अर्थ लिया जाय तो उसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद अति विशाल परन्तु अति दुर्भाग्य का विषय है कि समय के सामान्य प्रवाह में से अत्रशिष्ट ही हम पा सकते हैं। बौद्धों के त्रिपिटक पाली भाषा में हैं, जिसमें बाद में कुछ जोड़ दिया गया है।

संस्कृत साहित्य का मानव पक्ष

११७

संस्कृत साहित्य के द्वितीय विभाग में उक्त साहित्य के अतिरिक्त सब कुछ आ जाता है। दोनों ही कालों के और भी छोटे विभाग किये जा सकते हैं परन्तु उनसे इस समय हमें कोई प्रयोजन नहीं है।

अब मैं यह स्वीकार कर लेने की स्थिति में हूँ कि द्वितीय काल का अर्थात् आधुनिक संस्कृत साहित्य कभी भी न तो जीवित साहित्य रहा और न राष्ट्रीय। यत्र-तत्र इनमें प्राचीन काल के अवशेष मिल जाते हैं, जिन्हें आधुनिक साहित्यकारों ने साहित्यिक, धार्मिक तथा नैतिक रुचियों के कारण अपना लिया था और जब भी हम उन अवशेषों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनसे भारत का वह अतीत प्रकाशित हो उठता है जो समय के प्रवाह में वेदों से लुप्त हो गया था। उदाहरणार्थ आधुनिक काल के पिगल शास्त्रों में वैदिक काल के छन्द भी पाये जाते हैं और अनेक प्रकार की वैदिक सामग्री भी पायी जाती है। ये सामग्रियाँ कुछ तो गद्यरूप में अर्थात् सूत्रों में थी और कुछ पद्यरूप में अर्थात् गायत्रियों में। रामायण और महाभारत नामक महाकाव्यों ने इतिहासों एवं आख्यानों का स्थान ले लिया है। पौराणिक काल के पुराण बदले हुए रूपों में वैदिक पुराण हैं।

कालान्तर का अधिकांश साहित्य विद्वत्ता एवम् कृत्रिमता पूर्ण है और कहीं भी इस मनोरंजकता का अभाव नहीं है। इनकी मौलिकता भी सन्देह से परे है और इनका मूल्य भी प्राच्य विद्यानुरागी जनों के लिये इसमें रुचिपूर्ण सामग्री भरी पड़ी है साथ इतिहासकारों तथा दार्शनिकों के लिए भी योग्य सामग्री इस राशि में सर्वत्र सुलभ है।

भारत के प्राचीन साहित्य की बात इससे भिन्न है। इस साहित्य में वेदों का साहित्य तथा बौद्धों का धार्मिक साहित्य है। इसी साहित्य में हमें उस अद्वितीय अध्ययन दर्शन होते हैं जिसमें मानव जाति की शिक्षा का सम्पूर्ण रहस्य निहित है। मानव जाति के जो भी सज्जन अपनी भाषा या यों कहें कि अपने विचारों के ऐतिहासिक विकास में रुचि रखते हैं, जो लोग धार्मिक या पौराणिक आख्यानों के प्राथमिक विकास के ज्ञान के प्रति अनुराग रखते हैं; जो लोग नक्षत्र विज्ञान की आधार शिला खोज को अपने अध्ययन का विषय बनाना चाहते हैं; जो लोग संगीत पिगल, व्याकरण, शब्द-रचना-विज्ञान इत्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं; जो लोग मूल दार्शनिक विचारों को पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं या यह जानना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर पारिवारिक जीवन सर्व प्रथम किस रूप में प्रारम्भ हुआ तथा किस प्रकार शनैः शनैः ग्रामीण जीवन या राजनैतिक जीवन विकसित हुए; कि वे धार्मिक आधार पर विकसित हुए हों या पारस्परिक आधार पर या आधुनिक आधार पर; उन्हें चाहिये कि वे वैदिक साहित्य का अध्ययन उसी मनोयोग

से करें जिस मनोयोग से वे ग्रीस, रोम या जर्मनी के साहित्य का अध्ययन करते हैं।

बौद्ध साहित्य से हम जो कुछ सीख सकते हैं, उस पर अभी हमें ध्यान की आवश्यकता नहीं है। मुझसे बार-बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म की सुपरिलक्षित समानता पर मेरे क्या विचार हैं, इससे पता चलता है कि हम देश के लोग बौद्ध धर्म में अधिकाधिक रुचि लेने लगे हैं। मुझे आशा है कि यह अभी और भी बढ़ेगा, बढ़नी भी चाहिये। आपके सामने दिये जाने वाले साहित्य भाषणों में मेरे लिए सम्भव नहीं है कि मैं, तमाम आवश्यक बातों पर प्रकाश डाल सकूँ। मेरी ऐसी इच्छा भी नहीं है। इस भाषण में तो मैं वैदिक साहित्य का सर्वेक्षण मात्र करना चाहता हूँ। मैं यह दिखाने का प्रयत्न अवश्य ही करूँगा कि वैदिक प्रार्थनाओं, ब्राह्मण ग्रंथों, सूत्रों एवम् उपनिषदों से हम क्या सीख सकते हैं।

यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि यूरोप के विद्वानों ने संस्कृत साहित्य का परिचय पाया, उन ग्रंथों के माध्यम से जो द्वितीय काल में प्रकाशित किए गए भगवद्गीता, कालिदास के नाटक जैसे शकुन्तला तथा विक्रमोर्वशीयम्, महाभारत रामायण के कुछ उपख्यान जैसे नलोपाख्यान, हितोपदेश की कहानियाँ, भट्ट शतक इत्यादि वास्तव में कुतूहल वर्द्धक हैं। जब इन प्रकाशनों का योरप में प्रचार हुआ तो यह कहा गया कि ये सभी ग्रंथ अति प्राचीन काल की कृतियाँ हैं भारतीयों इनसे अधिक उच्च साहित्यिक कृतियाँ असम्भव थीं। इन्हीं सब प्रचारों के कारण यह स्वाभाविक ही था कि इन कृतियों की ओर इंग्लैण्ड के सर विलियम जोन्स जर्मनी के हर्डर तथा गोथे का ध्यान आकर्षित होता और वह हुआ भी। उस समय कालिदास का नाम लेना या कालिदास सम्बन्धी बातें करना विद्वानों का फैसला हो गया था। यहाँ तक कि अलेग्जेण्डर वान हम्बोल्ट ने 'कास्मोज' नामक ग्रन्थ लिखा कि "विरजिल एवम् होरेस का महान् समकालीन, जो विक्रमादित्य की सभा का सभासद् था"। उस समय लोगों का यही विचार था कि कालिदास संरक्षक विक्रमादित्य वही सम्राट था; जिसने ५६ वर्ष ईसा पूर्व में विक्रम संवत् चलाया था; परन्तु अब सब कुछ बदल गया है। शिकों को पराजित करने तथा ५६ वर्ष ईसा पूर्व में विक्रमीय संवत् चलाने वाला विक्रमादित्य चाहे को कहा हो, परन्तु वह ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में नहीं हुआ था। अब तत्काल भारतीयों को न तो निरक्षर हो माना जाता है और न उनके काव्य को कला ही कहा जाता है। इसके विपरीत अब हम भारतीय काव्य को उन्हीं मापदण्डों से मापते हैं जिनसे हम फारसी एवम् अरबी, इटली एवम् फ्रांस के काव्यों को मापते हैं और अब हम यह मानने लगे हैं कि कालिदास के ये नाटक हमारे उन नाटकों तक भी उच्च नहीं हैं जो हमारी लाईब्रेरियों में पड़े गर्द खा रहे हैं।

साहित्य के आलोचक अब इन नाटकों को उतना प्राचीन भी नहीं मानते। ईस्वी मन् ५८५-८६ के शिलालेख में कालिदास को एक प्रख्यात कवि माना गया है और उनके नाम को भारवि के साथ लिया गया है। कालिदास को इससे अधिक प्राचीन मानने का कोई कारण मुझे भी नहीं दिखाई पड़ता। अविनीत ने भारवि के किराता-जुनीय के १५ अव्यायों की टीका लिखी है और उसका समय है ४७० ई० के आस पास। यदि यही बात को भी सत्य मान लें तो भी कालिदास तथा भारवि ईसा की पाँचवी या छठीं शताब्दी से पहले के नहीं हो सकते। मनुस्मृति को भी लोग अति प्राचीन काल का मान लेते हैं परन्तु मेरी राय में यह ग्रन्थ भी ईसा की चौथी शती से अधिक प्राचीन काल का नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि मेरी इन बातों को संस्कृत के कितने ही विद्वान बकवास की संज्ञा देंगे, परन्तु मैं तो इन कृतियों को और भी बाद का मानने को तैयार हूँ। हम सभी को प्रत्येक सत्य को मानने के लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये, भले ही वह प्राचीन मान्यताओं के विरुद्ध पड़ता हो। क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण है जिसके बल पर हम यह कह सकें कि जिस छन्दबद्ध रूप में आज की मनुस्मृति प्राप्त है, वह ईसा की तीसरी शती के पूर्व की है? यदि यह बात सत्य है तो हम क्यों न इसे खुलकर कहें, क्यों न इस प्रकार की मान्यता के विरोधियों का विरोध करें और अपने सन्देहों का समाधान पा जाने के कारण क्यों न कृतज्ञता ज्ञापन करें?

यह सत्य है कि मनु अपने समय के सर्वोच्च विधानाधिकारी थे। यह भी सत्य है कि प्राचीन वैधानिक सूत्रों में मनु और मानवम् का नाम बार-बार लिया गया है, परन्तु इससे तो यही सिद्ध होता है कि तूरानियन आक्रमण के बाद का साहित्य उन साहित्यिक अवशेषों से भरा पड़ा है जो समय प्रवाह से बचाये जा सके थे। यदि जस्टोनियन* की विधान संहिता के समान मनु के धर्म शास्त्र का भी अस्तित्व होता तो क्या सम्भव था कि प्राचीन साहित्य में उसका नाम न लिया जाता?

वराहमिहिर† की मृत्यु ५८७ ई० में हुई थी। उन्होंने मनु का नाम अनेक बार लिया है। परन्तु मानव-धर्म-शास्त्र की चर्चा एक बार भी नहीं की है। एक स्थान पर उन्होंने मनु के कुछ श्लोकों को अवश्य उद्धृत किया है, परन्तु वे श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में कहीं भी नहीं मिलते।

मेरा विश्वास है कि ईसा की चौथी, पाँचवीं और छठीं शती का समय ही भारत में विद्या का पुनरुद्धार काल था। शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि भारवि

* कांस्टेण्टिनोपुल का सम्राट् जो रोमन ला का संग्रहकर्ता था।

† प्रसिद्ध हिन्दू नक्षत्र शास्त्री, जिन्होंने बृहद्-बाराही संहिता लिखी है।

और कालिदास इसी समय में थे। (हम यह भी जानते हैं कि छठीं शताब्दी भारतीय साहित्य की ख्याति फारस तक पहुँच चुकी थी और फारस के बादशाह खुसरौ नौशेर्वान (शासन काल ५३१-७६ ई०) ने बारोजी नामक शाही वैद्यक इसलिये भारत भेजा था कि वह पंच-तंत्र की कहानियों को फारसी में अनूदित लावे। भारत के प्रख्यात नवरत्नों का यही समय है और मुझे सन्देह है कि कभी इस योग्य हो सकेंगे कि वैदिक साहित्य और बौद्ध कृतियों के अतिरिक्त संस्कृत में भी कृतियाँ प्राप्त हैं, उन्हें हम इस समय की पूर्ववर्ती सिद्ध कर सकें।

यद्यपि जब इन आधुनिक कृतियों से लोगों का प्रथम परिचय हुआ तो इन प्रति पर्याप्त रुचि जागृत हुई और आज भी इन्हीं के माध्यम में भारतीय साहित्य संसार समादृत होता है, फिर भी गम्भीर विचारकों ने इन कृतियों को सुन्दर मनोरंजन अवश्य माना परन्तु इन्हें इस योग्य नहीं माना कि इनके बल पर भारतीय साहित्य को संसार के साहित्य में स्थान मिल सके या भारतीय साहित्य को ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश या जर्मन साहित्य के समक्ष रक्खा जा सके।

एक समय वास्तव में ऐसा था जब लोग यह सोचने लगे थे कि भारतीय साहित्य के विषय में जो कुछ ज्ञातव्य था सब ज्ञात हो चुका। लोगों का यह सोचना था कि भारतीय में भाषा विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसके बल पर इसको विश्वविद्यालयों में शिक्षा की एक शाखा माना जा सकता है परन्तु उसी समय अर्थात् आज से चालीस वर्ष पूर्व एक नयी बात पैदा हो गयी जिनसे पाश्चात्यों के लिये भारतीयों के साहित्य का स्वरूप ही बदल दिया। इस नयी बात को आन्दोलन रूप में चलाने वाले थे पेरिस के कालेज डी फ्रांस के प्रोफेसर बर्नाफ, जिनकी विद्वता का सम्मान सभी तत्कालीन लोग करते थे। वे विस्तृत दृष्टि कोण के तथा ऐतिहासिक मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सा जीवन भारतीय साहित्य के शोध करने में ही लगा दिया। उनके पिता ने ग्रीक भाषा का व्याकरण लिखा था जो आगे चलकर ही प्रख्यात हुआ। उनका पालन पोषण पिता की ही देख रेख में हुआ था। युवावस्था में वे बैरिस्टर बने और तब उनके मित्रों में गिजाँट, थापर्स, मिनेट तथा विलमेन जैसे ख्यातनामा व्यक्ति थे। उनके समक्ष भविष्य की स्वीणिम आशाएँ थीं और तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही व्यक्ति एक दिन भारतीय साहित्य के प्रति लोगों की मान्यताओं में क्रान्ति उपस्थित कर देगा। (इतिहास के अध्ययन ने उन्हें संस्कृत की ओर झुकाया। उनकी रुचि का विषय था इतिहास, मानव जाति इतिहास, संसार का इतिहास। इतिहास की जिज्ञासा शान्त करने में उन्होंने पल्ला पकड़ा वैदिक एवं बौद्ध साहित्य का। योंही ही अवस्था में उनकी मृत्यु हो गयी अतः वे जो कुछ कर जाना चाहते थे उसका

अर्थांश ही कर पाये, किन्तु वह अर्थांश ही अत्याधिक महत्वपूर्ण था। उनका कार्य उनके शिष्यों के हाथों में चलता रहा और इस बात को आज कोई भी अस्वीकृत नहीं कर सकता कि तब से लेकर अब तक वैदिक साहित्य तथा बौद्ध साहित्य विषयक जितने भी शोध हुए हैं वे सब के सब लार्नाफ के उन लेखकों के ही परिणामस्वरूप हुए हैं जो उन्होंने कालेज डी फ्रांस में अपने शिष्यों के समक्ष दिया था।

आप पूछ सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में ऐसा क्या मिलेगा जो विश्व के अन्य साहित्यों में नहीं मिलता। इस प्रश्न के उत्तर में मेरा कथन है कि संस्कृत साहित्य में हमें वास्तविक आर्य के दर्शन होते हैं। इन आर्यों को हम यूनानी, रोमन, जर्मन, केल्ट तथा स्लाव लोगों के रूपों में देख चुके हैं, परन्तु जिस आर्य का पता हमें संस्कृत साहित्य से मिलता है, उसका व्यक्तित्व इन सबसे निराला है। संस्कृत साहित्य के आर्यों की उत्तर की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अपनी कार्य शक्ति एवं राजनैतिक शक्ति का उपयोग किया और उसे वे उच्चतम सीमा तक ले गये; उनको दक्षिण गामी शाखा ने अपनी विचारशक्ति और ध्यान-शक्ति को कार्यरत किया और वे भी उसे उसके परिणामों की उच्चतम सीमा तक ले गये। हम देखते हैं कि आर्य-फिरकों ने विभिन्न भूमियों पर अधिकार किया। अधिकार करने के लिए लड़े गये युद्धों में युद्धप्रिय देव इन्द्र और मरुत् उनके संचालक थे। कालान्तर में हमें इन्हीं आर्यों को कृष्णवर्ण आदिवासियों तथा आर्यों के नवीन दलों के आक्रमणों से अपने नवनिर्मित गृह की रक्षा करते देखते हैं, किन्तु युद्धों का वह काल शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और जब एक बार ये आर्य अपने द्वारा जीते गये देशों को ही स्वदेश बना लेते हैं तो धीरे-धीरे राजनैतिक तथा यौद्धिक कार्यों पर एक वर्ग विशेष का एकाधिकार हो जाता है। इस एकाधिकार को आप अधिकार की भी संज्ञा दे सकते हैं और कर्तव्य की भी। शेष जन संख्या छोटे-छोटे गांवों में बस सुख शान्ति एवम् सन्तोष पूर्वक खेती बारी, पशुपालन एवम् ध्यान और चिन्तन में लग गयी। अपने गांव के बाहर की घटनाओं एवम् परिस्थितियों से वे इतना कम या बिल्कुल ही नहीं प्रभावित होते थे मानों वह घटना घटी ही नहीं। (प्रकृति ने उन्हें इतना अधिक दिया था और वह भी इतने कम श्रम से प्राप्त हो जाता था कि उनका सारा समय मनन चिन्तन में लगने लगा। बाह्य संसार की उन्हें एकदम से चिन्ता नहीं रह गयी थी अतः उनकी प्रवृत्ति ही अन्तर्मुखी हो गयी। वे बाह्य परिस्थितियों को सुलभाने के स्थान पर आन्तरिक उलझनों को सुलभाने में लगे। भट्टहरि का कथन है कि :—

“प्रत्येक वन में पेड़ों पर फल लड़े हैं जिन्हें प्रत्येक मनुष्य इच्छानुसार तोड़ कर खा सकता है। प्रत्येक स्थान पर तृप्ति का शीतल एवम् मधुर जल पीने के लिए प्राप्य है। सुन्दर लताओं से कोमल शय्या भी बन जाती है। तब भी भ्रमार्थ मनुष्य-

धनिकों के द्वार पर नाना प्रकार के कष्ट सहते हैं ।”

भारतीय आर्यों के इस परम शान्त जीवन-प्रयोग को प्रथम दृष्टि में देखकर हम लोगों के मन में यही भाव उठे कि यह तो मानव की अवनता-वस्था है न उन्नता-वस्था, क्योंकि हम लोगों के विचार से जीवन जैसा होना चाहिये, मानव जीवन उसके एकदम विपरीत था; परन्तु जीवन के प्रति तनिक और उच्च दृष्टि बना लेने से ही हम देखेंगे कि इन दक्षिणगामी आर्यों ने जीवन के अच्छे बुरे विभागों में से अच्छे विभाग को ही चुना था, या यों कहें कि उन्होंने वही चुना था जो उनके लिए अच्छा था, योग्य था, स्पृहणीय था, जब कि उत्तरगामी आर्य अनेक संघर्षों को सहकर जीवन की समस्त सुख-शान्ति व सन्तोष खो बैठे थे ।

हर प्रकार से एवम् हर स्थिति में विचार करने से हमें इस प्रश्न को विचारणीय मानने को बाध्य होना पड़ेगा कि—“जिस प्रकार प्रकृति में एक उत्तर है वही एक दक्षिण, क्या उसी प्रकार के उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध मानव समाज में भी तो नहीं हैं ?” मानव के ये दोनों ही प्रकार के स्वभाव विकास योग्य हैं, इस विकास होना भी चाहिये था और वही हुआ भी । (एक पक्ष है क्रियाशील, संघर्ष-तथा राजनैतिक तथा दूसरा पक्ष है शान्त, चिन्तनशील एवम् दार्शनिक) उत्तरी प्रश्न को सुलझाने के योग्य सामग्री जिस मात्रा में वैदिक साहित्य में पायी जाती है उतनी प्रचुरता से संसार के किसी भी साहित्य में नहीं पायी जाती, उस वैदिक साहित्य में जो स्तुतियों से प्रारम्भ होकर उपनिषदों में समाप्त होता है । इस साहित्य का अध्ययन करते समय मानो हम एक नये संसार में प्रविष्ट होते हैं । यह आवश्यक है कि इस नवोन संसार का प्रत्येक कोना आकर्षक ही हो, विशेष कर हम लोगों के लिए तो हो ही नहीं सकता, परन्तु इसमें एक मोहकता अवश्य है और वह यह कि यह वास्तविक है; इसका विकास नैसर्गिक है और जैसा कि नैसर्गिक रूप से विकसित हर पदार्थ का गुण होता है, वैसा ही इसका भी एक निहित उद्देश्य है और यह हमें एक नया पाठ पढ़ाता है जो पढ़ने योग्य है, सीखने योग्य है । इस प्रकार का यह पाठ हमें अनेक कहीं भी नहीं मिलेगा । हमें न तो इसकी प्रशंसा करनी है और न ही इससे शर्मा करनी है । बस हमें तो इस वैदिक साहित्य का केवल अध्ययन करना है और समझने के लिए यथा सम्भव हर प्रयत्न करना है ।

ऐसे भी हठी विद्वान हो गये हैं, जिन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भारतीय मस्तिष्क का विकास भी अन्य किसी देशीय मस्तिष्क के विकास से उच्च प्रकार का हुआ । इतना ही नहीं, वे हमें बाध्य करते हैं कि हमें अपने दर्शन, एवम् अपनी नैतिकता से ऊँचे प्रकार का धर्म, दर्शन एवम् नैतिकता का आभास के लिए वेदों तथा बौद्ध साहित्य की ओर वापस जाना चाहिये । मैं न तो उन विद्वानों

का नाम लूंगा और न उनके ग्रंथों का ही, परन्तु जब मैं देखता हूँ कि कुछ अन्य विद्वान वैदिक साहित्य की इस प्रकार आलोचना करने लगते हैं, मानों वह १९ वीं शताब्दी का साहित्य हो अथवा मानो वैदिक साहित्य एक ऐसा शत्रु हो जिसका दमन करना अनिवार्य हो और जो हमारी दया का, हमारी सहानुभूति का तनिक भी अधिकारी नहीं है तो मेरा धीरज छूट जाता है। (यह सत्य है कि वेद वाक्य मनोभावों से भरा हुआ है, इसमें की गयी कल्पनाएँ हम लोगों को भी अमानवीय लगती हैं। इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता, परन्तु अमानवीय कल्पनाएँ भी रुचिपूर्ण एवम् शिक्षाप्रद हैं। यदि हम विभिन्न विचार प्रणालियों एवम् विभिन्न प्रकार की भाषाओं पर उदारता पूर्वक विचार करें तो इन कल्पनाओं में सत्य की किरणें दिखायी देंगी और इन किरणों का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि वे अंधेरी-निशा के कृष्ण पट से फूट कर निकलती हैं।

इसी एक बात के कारण भारत के प्राचीन साहित्य या वैदिक साहित्य का महत्व है और इसीलिए न केवल प्राच्यविद्यानुरागियों के लिए ही वरन् प्रत्येक शिक्षित स्त्री-पुरुष को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

कुछ समस्याएँ और भी होती हैं, परन्तु अभी उन पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जीवन के कठिन संघर्षों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें उन पर विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता, परन्तु ये समस्याएँ हमारा पीछा नहीं छोड़तीं। वे बार बार हमारे सामने आया हो करती हैं और जब वे आती हैं तो हमारे समस्त जीवन को इस प्रकार और इस हद तक फिझोड़ देती हैं कि हम उस फिझोड़ को औरों के सगक्ष स्वीकार भी नहीं कर पाते और कभी कभी तो हम स्वयम् अपने से ही उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। यह सत्य है कि सात दिनों के सप्ताह के एक दिन को हमने आराम और चिन्तन के लिये अलग कर दिया है। वास्तव में हमने इस दिन को उस प्रकार के चिन्तन के लिये अलग कर रखा है, जिसे ग्रीक भाषा में 'टा मैजेण्टा' कहते हैं और जिसका अर्थ होता है 'जीवन की सर्वाधिक महान् वस्तुएँ'। यह सत्य है कि इस सातवें दिन को भी हम या तो नियमानुसार चर्च जाने में बिता देते हैं या विचारहीन विश्राम करने में, परन्तु चाहे रविवार हो या अन्य कोई दिन; चाहे युवावस्था हो या वृद्धावस्था ऐसे क्षण हमारे जीवन में अवश्य ही आते हैं भले ही वे कम ही आते हों या बहुत अधिक दिनों के अन्तर से आते हों, पर आते अवश्य हैं, जब जीवन के ये महान् किन्तु साधारण प्रश्न अपनी सम्पूर्णा दृढ़ता के साथ हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि 'हम क्या हैं? पृथ्वी पर के इस जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या हमें-यहाँ तनिक भी आराम नहीं मिलता है? क्या अपने पड़ोसियों की प्रसन्नता का अन्त करके ही हम अपनी प्रसन्नता अर्जित करते

रहेंगे ? और क्या जब हम अपने घर को आप, गैस और विद्युत के सहारे यया संपन्न विलासपूर्ण बना चुके हैं तब भी क्या हम उन हिन्दुओं से अधिक सुखी हो सके हैं ? अपने आधुनिक सज्जा हीन प्रारम्भिक गृहों में सुख शान्ति पूर्वक रहते हैं ?

जैसा कि हमने अभी कहा है कि हमारा जीवन क्रम ही भिन्न है। उत्तर देशों की जलवायु के कारण हमारा जीवन अधिक संघर्षमय है और यह संघर्ष साधारण नहीं है। हमारे जीवन में वृद्धावस्था की अनिश्चित दशा, हमारे उलझे सामाजिक जीवन में सहज दुर्घटनाओं इत्यादि से सुरक्षित रहने के लिये घन संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है और विश्राम तथा चिन्तन के क्षण हमारे लिये बहुत कम रह गये हैं। यह स्थिति उस समय से तो वैसी ही चली आ रही है जब से हम व्युत्पन्न जातियों के इतिहास का पता पाते हैं। रोमनों और यूनानियों की भी यही स्थिति रही है। हमारे यूरोपीय जलवायु में जाड़े की ऋतु अत्यन्त लम्बी भी होती है और इस ऋतु में सर्दी भी कड़ाके की ही पड़ती है। हमारे यहाँ की भूमि भी प्रायः ऐसी है कि उसे जोतना अब सरल नहीं है। हमारे यहाँ के छोटे छोटे राज्यों में स्वार्थों का संघर्ष भी बना ही रहता है अतः सब में आत्म रक्षा की मनोवृत्ति अधिक सुदृढ़ हो गयी है। यदि इस मनोवृत्ति का श्रोत खोजना चाहें तो हम अपनी जाति के मूल में ही जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि (हमारी अच्छाइयों के साथ हमारी बुराइयाँ भी परिस्थितियों की ही देन हैं) हमारे चारित्र्य का सर्वांग चाहे शिक्षा से बना हो या पैत्रिकता के आधार पर बना हो या आवश्यकता के आधार पर बना हो परन्तु उसके निर्माण में इन परिस्थितियों का ही विशेष हाथ रहा है। हम सभी का जीवन यौद्धिक जीवन है अतः हमारे जीवन का सर्वोच्च आदर्श ही यौद्धिक हो उठा है। हम तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि काम करने में हम एक दम अक्षम नहीं हो जाते और यदि हमारी मृत्यु काम करने में ही हो जाती है तो हम गर्व* का अनुभव करते हैं। अपने कठिन श्रम द्वारा हम या हमारे पूर्वजों ने जो कुछ प्राप्त किया है या जो कुछ बनाया है या परिवार, दूकान, फैक्ट्री या राज की स्थापना की है, हम उस पर गर्व करते हैं। हम अपनी सभ्यता पर गर्व करते हैं अपने वैभवपूर्ण नगरों, सुचिक्कण राज पथों, पुलों, जहाजों, रेलपथों, टेलीग्राफ, विद्युत प्रकाश, सिनेमा, मूर्तियाँ, संगीत तथा थियेट्रों पर हम गर्व करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, हम तो यहाँ तक सोचने लगे हैं कि हमने जीवन में इतना कुछ प्राप्त कर लिया है कि हम अब ज

* पाश्चात्यों के लिये 'दु डार्ड इन हारनेस' सर्वाधिक बड़ी प्रशंसा की बात मानी जाती है।

साधनों को किसी प्रकार छोड़ नहीं सकते। दूसरी ओर ब्राह्मणों और बौद्धों ने जो शिक्षा हमें बार बार दी है उसका मुख्य अंश यही है कि 'हमें यहाँ नहीं रहना है, यह जीवन तो एक गाँव से दूसरे गाँव तक की यात्रा मात्र है जो जीव की महान् यात्रा का एक अति तुच्छ अंश है, हिन्दू ग्रन्थों में इस प्रकार हमें यह पढ़ने को मिलता है :-

‘जिस प्रकार एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने वाला यात्री खुले आसमान के नीचे रात्रि बिता कर प्रातःकाल फिर अपनी यात्रा पर चल देता है, इसी प्रकार हमारे माता, पिता, स्त्री और धन हमारे रात्रि कालीन विश्राम हैं। बुद्धिमान मनुष्य इनमें रमते नहीं’।

जीवन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण * को हेय दृष्टि से देखने के स्थान पर यदि हम थोड़ा रुक कर यह विचार करें कि उनका जीवन दर्शन एक दम गलत है और हमारा एक दम सही, तो क्या समुचित न होगा ? हम लोगों ने अपनी कर्मठता को धुन में आनन्द को भी कार्य की ही श्रेणी में सम्मिलित कर लिया है। क्या यह पृथ्वी केवल कार्य का ही क्षेत्र है जो हम नित्य सदा सर्वदा ‘और भी जल्दी और भी जल्दी’ मचाये रहते हैं ? क्या हम उत्तरापथ के आर्य, आनन्द तथा कार्य की थोड़ी सी कम मात्रा से ही सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे ? और थोड़ा सा मनन चिन्तन के लिये समय नहीं निकाल सकते थे ? क्या हम थोड़े से विश्राम काल की व्यवस्था नहीं कर सकते थे ? हमारा जीवन अल्पकालीन है, यह सत्य है, परन्तु हम मक्खियाँ तो नहीं हैं, जो प्रातःकाल जन्म लेती हैं और सायंकाल मर जाती हैं। प्रेरणा के लिये हमारा अतीत है, सुनहरे स्वप्नों के लिये हमारा भविष्य है ऐसी दशा में क्या यह सम्भव नहीं है कि भविष्य की कुछ गुत्थियाँ अतीत की कुंजियों से सुलभ जायें ?

फिर क्यों हम अपना समूचा ध्यान वर्तमान पर ही केन्द्रित किये रहें ? हम

* इस विषय पर श्री भगवान दास जी का मत भी उनको ‘आत्मविज्ञान’ नामक पुस्तक में देखें।

अर्थात् प्राचीन समानवाद की वैज्ञानिकता को लोग मानने लगे हैं क्योंकि वह वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित है वैज्ञानिक समझा जाने वाला वर्तमान साम्यवाद असफल हो रहा है क्योंकि वह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है X X X

यह भौतिक संसार, जिसे हम ‘इदम्’ नाम से पुकारते हैं, किसी विशिष्ट कल्पना के आधार पर है, अतः उस भंती अध्यात्म तत्वों को जानने वाले ही विभिन्न वर्गों के अधिकारों एवम् वर्तव्यों को निरूपित कर सकते हैं मनु को भी देखें ‘न अध्यात्मवित कश्चित्, क्रिया फलमयाश्रुते ।’

अध्यात्म तत्व का अज्ञानी क्रिया फल को प्राप्त नहीं कर सकता। -मनुवादक

धन, शक्ति एवम् स्याति की दौड़ में अहर्निश क्यों लगे रहें ? हम थोड़ा सा विश्राम लेकर उसी के लिये कर्ता को धन्यवाद क्यों न दे लिया करें ?

मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मानवीय शक्ति, शान्ति सहिष्णुता, जन भावना और वैयक्तिक गुण जो यूरोपियन नागरिकों में पाये जाते हैं, वे प्रशंसनीय हैं परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ये गुण मनन स्वभाव के एक पक्ष में हैं। हो सकता है कि यह पक्ष भी महत्वपूर्ण हो और इसी को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाना मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य हो।

हमें यह भी न भूलना चाहिये कि मानवीय प्रवृत्ति का दूसरा भी पक्ष हो सकता है शायद इसी पक्ष को ही सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाना मानव का लक्ष्य हो। सम्भव है कि लम्बो जैव यात्रा में इस जीवन का यही ध्येय हो। इसीलिये हमें इस पक्ष को भी नहीं भुला देना चाहिये। यदि हम पूर्व की ओर विशेष कर भारत की ओर अपनी दृष्टि फेरें, जहाँ का जीवन अधिक संघर्ष पूर्ण नहीं था, जहाँ की जलवायु सम-शीतोष्ण थी, भूमि उपजाऊ थी, जहाँ की वनस्पतियों से इतना भोजन मिल जाता था कि शक्ति और स्वास्थ्य का अभाव नहीं हो पाता था, जहाँ साधारण ओपड़ी या कभी कभी केवल गुफाओं से ही निवास की समस्या हल हो जाती थी, जहाँ के जन-जीवन को लन्दन और पेरिस के जन-जीवन से प्रतिस्पर्धा नहीं करना था, जहाँ का सामाजिक जीवन प्रकृति के नियमों के अनुकूल था, जहाँ के छोटे छोटे गाँवों की सीमाएँ ही जन-जीवन की इकाइयाँ थीं, क्या वहीं यह स्वाभाविक नहीं था या आप यह कह सकते हैं कि क्या वहाँ यही स्पृहणीय नहीं था कि वे लोग मानव स्वभाव के द्वितीय पक्ष को ही समुन्नत करते, जो कर्मठ नहीं था, संघर्षशील नहीं था, प्राप्तिप्रेमी नहीं था ? वल्कि शान्त था, चिन्तनशील था और मननशील था ? यदि सिन्धु प्रदेश में या गंगा प्रदेश में पहुँच कर आपों ने अपने समूचे जीवन की ही शास्वत रविवार या विश्राम दिन समझ लिया, तो क्या हमें इस बात पर आश्चर्य करना चाहिये ? वे जानते थे कि यह जीवन नश्वर है और इसे एक दिन समाप्त होना है यदि इसीलिये उन्होंने निश्चय कर लिया कि जिस जीवन का अन्त होने वाला है, उसके लिये घोर आवश्यकता से अधिक भ्रम क्यों किया जाय तो क्या यह हमारे लिये आश्चर्य का विषय है ? वे राज प्रासादों का निर्माण क्यों करते ? वे अहर्निश श्रमसाधना क्यों करते ? शरीर की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में जो थोड़ा सा श्रम या समय लगा उससे अतिरिक्त समय व श्रम को यदि उन्होंने आन्तरिक चिन्तन में लगाया तो बुरा क्या किया ? उन्होंने अपनी शारीरिक आवश्यकताएँ इतनी घटा कर रक्खीं कि बहुत थोड़े से श्रम और उससे भी थोड़े समय में उनकी पूर्ति हो गयी तो उन्होंने अपना अधिकार समझा (आप उस अधिकार को

संस्कृत साहित्य का मानव पक्ष

१२७

कर्तव्य भी कह सकते हैं) कि वे इस प्रकार में (क्योंकि यह पृथ्वी हमारा प्रवासस्थान है न कि स्थायी निवास) अपने चतुर्दिक का भी अध्ययन करें, अपने से परे हटकर भी सोचें और यह प्रयत्न करें कि जिसे हम उस पृथ्वी का जीवन कहते हैं उसका वास्तविक रहस्य क्या है तथा वास्तविक उद्देश्य क्या है ?

यह सत्य है कि इस प्रकार की जीवन भावना को हम काल्पनिक कह सकते हैं, अवास्तविक कह सकते हैं, अप्रायोगिक कह सकते हैं, परन्तु क्या वे लोग (भारतीय जन) हमारी जीवन-भावना को अदूरदर्शी, भ्रष्ट पूर्ण और अन्त में इसलिए अप्रयोगिक नहीं कह सकते कि हमने जीवन को सुखी बनाने के लिए जीवन को ही बलि कर दिया है जैसे रोगमुक्त होने के लिये कोई आत्म-हत्या ही कर ले* ?

इसमें सन्देह नहीं ये दोनों ही दृष्टिकोण अतिवादी हैं। चाहे पूर्व हो या पश्चिम, इन दृष्टिकोणों को किसी ने निष्ठापूर्वक नहीं अपनाया है। हम निरन्तर कार्यरत ही नहीं रहते, हम विश्राम भी करते हैं, हम भी चिन्तन करते हैं और न ही हिन्दू लोग निरन्तर विश्रामरत ही रहते हैं, निरन्तर 'दा मैजिस्टा' का चिन्तन ही करते रहते हैं; वे भी आवश्यक होने पर वीरता पूर्वक लड़ते हैं और वे हाथ से ही-से कलात्मक उपादान बना डालते हैं कि स्वयम् उनके और क्रेता के भी सन्तोष की भाँसा नहीं रहती। इन कलात्मक उत्पादनों में उनका श्रम तथा उनका समय ही उनकी पूँजी के रूप में होते हैं।

मैं जो कुछ भी आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ वह यह है कि भारतीय आर्य जिन उद्देश्यों की पूर्ति में लगे थे वे अवश्य ही उनकी विपरीत बातों में पिछड़ गये। उनमें बौद्धिक गुण कम हो गये। उत्तर पथ गामी आर्यों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मन लगाया और वे उन गुणों में पिछड़ गये, जिनमें भारतीय आर्य शिखर पर पहुँच सके थे। उत्तरी आर्यों का संघर्ष के बिना काम ही नहीं चल सकता था, परन्तु इससे यह परिणाम निकाल लेना कि भारतीय आर्यों का जीवन ही नष्ट हो गया, ठीक नहीं है। यह सत्य है कि हम उनके दृष्टिकोण को अपने लिए स्पृहणीय नहीं मान सकते, परन्तु भारतीय आर्यों से यह शिक्षा तो ग्रहण ही कर सकते हैं कि जीवन को सुखी बनाने के लिये हम जीवन का ही बलिदान न कर दें।

* गृही सब सोचकर किपलिङ ने कहा है कि :—

“पूर्व-पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है। इन दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। दोनों के बाद त्याग की वृत्ति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है और हिन्दू संस्कृति आर्याणात् सर्वं कामानाम् परित्यागो विदिष्येत (मनु २-६५) कह कह कर प्रारम्भ हो त्याग को स्वीकार करती है।

इतिहास साक्षी हैं कि प्राचीन का सर्वाधिक प्रख्यात विजेता जब एक भारतीय योगी के सामने पहुँचा तो वह आश्चर्य से खड़ा रह गया। उस समय उसे इस बात का अत्यधिक दुःख हुआ कि उसे उस योगी की भाषा का ज्ञान नहीं था अन्यथा उससे प्रत्यक्ष वार्ता कर सकता था, नहीं तो उसे ऐसे दुभाषियों की सहायता करने को बाध्य होना पड़ा जो योगी के भावों का अधिकृत रूप उसके सामने रख पाते थे।

मैं चाहता हूँ कि अब हमारे देश के लोगों के समक्ष ऐसा अवसर न आए। अब संस्कृत का सीखना उतना कठिन नहीं रह गया है। मैं भारतीय नागरिक प्रशासकों के प्रत्येक कर्मचारी को विवश कर देना चाहता हूँ कि यदि वे संस्कृत का आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके भारत एवम् भारतीयों में जायेंगे तो उन्हीं विचित्र लोगों के सामने उन्हें ऐसी शिक्षायें मिलेंगी जिन्हें हम जीवन की अत्यधिक व्यस्तताओं के बीच कर भूल जाते हैं या यदि उन्हें भूल नहीं जाते तो उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

मेरी इच्छा है कि मैं आप के सामने कुछ ऐसी सूक्तियाँ रखूँ, जिन्हें भारतीयों के मुख से प्रायः आप सुनेंगे। दिन भर के कार्यों को समाप्त करके सांयकाल जब गाँव के किसी पेड़ के नीचे एकत्र होते हैं तब उनके मुखों से ऐसी अनेक बातें सुनी मिलती हैं जो उन्हें तो सत्य मालूम देती हैं परन्तु हम लोग उन्हें मात्र सत्यवाक्य कहेंगे।

‘जब हम सभी लोगों को एक साथ ही भूमि के भीतर सोना है तो मूर्ख क्यों एक दूसरे को क्यों चोट पहुँचाते हैं?’

‘मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला उस श्रम के शतांश से ही मोक्ष पा लेता जो मूर्ख लोग धन-प्राप्ति के लिए करते हैं’।

‘गरीब लोगों को धनिकों की तुलना में अधिक सुस्वादु भोजन मिलता क्योंकि श्रमजनित भूख भोजन का स्वाद बढ़ा देती है’।

‘हमारा शरीर पानी का बुल्ला है, हमारा जीवन एक पक्षी के समान है अपने प्रियजनों की मंगति सदा नहीं रहती। हे वत्स तब भी तू क्यों सुषुप्त पड़ा है!’

‘जैसे पानी में प्रवाहित दो तिनके मिलते, कुछ दूर साथ बहते और फिर विलग हो जाते हैं, वही दशा हमारे प्रियजनों की भी है’।

‘परिवार, स्त्री, पुत्र यहाँ तक कि हमारा शरीर भी नश्वर है। वे हमारे ही नहीं, तब हमारा क्या है? केवल नेकी और वदी ही हमारी हैं।’

‘जब तुम यहाँ से चलोगे तो कोई भी संग नहीं जायगा परन्तु तुम्हारे और बुरे कार्य तुम्हारे संग ही जायेंगे, चाहे तुम जहाँ जाओ॥’

‘वेद के अनुसार जीव नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर के नष्ट हो

संस्कृत साहित्य का मानव पक्ष

१२६

पर जीव मुक्त हो जाता है, परन्तु हमारे कार्यों के बन्धन उसे बाँधे ही रहते हैं।

‘जिस प्रकार फटे कपड़ों को उतार कर हम नया वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नवीन धारण कर लेता है। उसका नवीन शरीर उसके पिछले कर्मों का ही परिणाम होता है *।’

‘जीव किसी भी शस्त्र से नहीं मरता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गूना नहीं सकता और हवा उसे सोख भी नहीं सकती-§।’

‘न तो आत्मा को चोट पहुँचती है, न वह जलता है, न भीगता है और न सुखता है, वह अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, अचल है और अनादि †।’

‘वह अभौतिक है, अपरिवर्तन है, ज्ञान से परे है। यदि तुम्हें आत्मा के गुणों का ज्ञान है तो उसके लिये दुःख मत करो ‡।’

‘आत्म ज्ञान से बढ़ कर कोई भी उपलब्धि नहीं है।’

‘प्रत्येक जीवित शरीर में जीव का निवास है, जो पंच महाभूतों में बँधा होता है। वह अमर है, निर्दोष है। उस आत्मा की उपासना करते हैं जो चल शरीरों में भी अचल ही बना रहता है, वे भी अमर हो जाते हैं।’

प्रत्येक कार्य से निर्लिप्त रहकर ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं।

अभी हमें इस विषय पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि ‘आत्मज्ञान’ शब्द का विषय है और वेदान्त वेद का अन्तिम लक्ष्य है। ग्रीस की सर्वोच्च विद्या थी ‘हमारा स्वयम् का ज्ञान’ और भारत का सर्वोच्च ज्ञान था ‘आत्म ज्ञान’।

यदि मुझे एक शब्द में भारतीय चरित्र को विशिष्टता निर्देशित करनी हो तो जिस ढङ्ग से मैंने भारतीय चरित्र का चित्रण किया है, उसके अनुसार मैं ‘सर्वोच्च’ शब्द का प्रयोग करूँगा, परन्तु इस शब्द को मैं उस अर्थ में ग्रहण नहीं करता जिस अर्थ में इसे काण्ट साहब ने प्रयुक्त किया है। इस शब्द को मैं इसी अर्थ में ग्रहण

* वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि शृण्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यत्यानि संयाति नवानि देही ॥

§ नैनम् छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम् दहति पावकः

न चैतन क्लेदयन्त्यायो, न शोषयति मास्तः

† अच्चेद्योयमदाह्योऽयन क्लेद्योऽशोण एव च

नित्यः सर्वगतः स्थानुरचलोऽयम् सनातः ॥

‡ अव्यक्तोऽयम् चिन्त्योऽयमविकार्योऽमुच्यते

तस्मादेवम् विदित्वैनं नानुषोचितुमर्हमि ॥

(गीता अध्याय २।२२, २३, २४, २५)

३५
१२०

हम भारत से क्या सोचें ?

कहा है कि "भारतीय अस्तित्व ने जैसे प्रयोगात्मक ज्ञान से आगे निकल जाते हैं निश्चय का लिया था"। कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जो प्रयोगात्मक ज्ञान से सन्तुष्ट हो जाते हैं। उनका विश्वास उसी ज्ञान में होता है जिनके आधार पर तथ्य सुनिश्चित हैं, पूर्णरूपेण वर्गीकृत हैं और सुपरिचित हैं। यह भी सत्य है प्रयोगात्मक ज्ञान का अनुपात सैद्धान्तिक ज्ञान से बड़ा है और यदि ज्ञान ही है तो इस ज्ञान से हमें शक्ति भी उपलब्ध होती है। जो व्यक्ति प्रयोगिक ज्ञान उपयोग में ला सकता है वह अवश्य शक्ति का भंडार हो सकता है हमारा युग ज्ञान एवम् उत्पन्नित शक्ति के पीछे पागल है। उसे इस ज्ञान का गर्व भी कम है। यदि हम इसी से सन्तुष्ट हो सकते और इसके परे अन्य कुछ की इच्छा न तो हमारा जीवन सुख के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकता। वही हमारी उन्नतावस्था हो सकता है, इसमें सन्देह नहीं हो सकता। परन्तु हम सन्तुष्ट हो तब !

वास्तव में इतनी अधिक या यों कहें कि अधिकतम उपलब्धियों के भी यह निश्चय है कि हम असन्तुष्ट हो रहेंगे; क्योंकि हम बिना इन सबके देखे रह ही नहीं सकते। एक बार जिसने इस 'परे' को देख लिया, उसकी दशा व्यक्ति की सी हो जाती है जो कुछ देर तक सूर्य की ओर घूर कर देख के पश्चात् जिस किसी भी ओर देखता है, उसे सूर्य का ही बिम्ब दिखायी पड़ता है। आप इस परेदर्शी व्यक्ति के सामने सीमित (जो अनन्त न हो) पदार्थों को कीजिये तो वह कहेगा कि 'सीमित तो असम्भव है और बिना अनन्त के सीमित शब्द ही अर्थहीन है।' आप उसके समान मृत्यु की बात कीजिये कहेगा कि यह तो जन्म है। आप उसके सामने काल की बात करेंगे तो वह कि 'काल' तो उस अविनाशी का छाया मात्र है। हमारे लिये हमारी इन्द्रियाँ बाह्य यन्त्र हैं, परन्तु उनके लिये यही इन्द्रियाँ यदि अमित करने वाली नहीं भावना की उड़ान में बाधक अवश्य हैं। हमारे लिये यह पृथ्वी, यह जीवन सब कुछ वास्तविक है, जिसे हम देख, सुन सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारा घर है, ये हमारे कर्तव्य हैं, ये हमारे आनन्द हैं। उसके लिये यह पृथ्वी एक ऐसी वस्तु है जो आज है, पर कभी नहीं भी आगे भी नहीं रहेगी; हमारा जीवन एक अल्पकालीन स्वप्न है; जिससे हमें उजगना है। हम जिन वस्तुओं के अस्तित्व को पूर्ण सुनिश्चित मानते हैं अज्ञान या अज्ञान मूलक मानता है। सारांश यह कि हम इन्द्रियानुभूति के भी नहीं मानते और उनका सब कुछ इन्द्रियानुभूति के परे ही है।

आप एक क्षण को भी यह न समझ लें कि 'परे' के विचारक मात्र

संस्कृत साहित्य का मानव पक्ष

१३१

हैं। वे ऐसे कुछ भी नहीं हैं। यदि हम अपने को ईमानदारों से टुटोलें तो हममें से प्रत्येक देखेगा कि हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब ये सर्वोच्च भावनाएँ हमें भी घेर लेती हैं। भारतीय चरित्र में यह सर्वोच्च भावना जिस ऊँचाई तक पहुँच सकती है, वह अम्यत्र कहीं भी असम्भव है फिर भी कोई व्यक्ति; जाति या राष्ट्र ऐसा नहीं है जो इस 'परे' का आकांक्षी नहीं है। यदि हम थोड़ा गम्भीरता से सोचें तो यह 'परे की आकांक्षा' हमें ही सर्वत्र 'धर्म' के रूप में दिखायी पड़ेगी।

इस स्थल पर यह आवश्यक हो जाता है कि धर्म* और धार्मिक को अलग अलग समझ लें। एक व्यक्ति किसी भी धार्मिक मत को मान सकता है, वह ईसाई मत में परिवर्तित हो सकता है या मुसलमान मत को अपना सकता है या किसी समय वह किसी अन्य धार्मिक मत को ग्रहण कर सकता है, जिस प्रकार वह विभिन्न भाषाओं में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, परन्तु किसी भी आवश्यक मत को मानने के लिये धर्म आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में यदि अधिक नहीं तो एक बार ही क्षितिज के उस पार अर्थात् उस 'परे' की ओर आकृष्ट अवश्य होता है और असौम्य या अनन्त की भावना अवश्य सबको अपने प्रवाह में बहा ले जाती है। इस प्रकार की भावना यदि एक बार भी जाग्रत हो गयी तो जीवन भर बनी हो रह जाती है, कभी भी साथ नहीं छोड़ती। जो व्यक्ति इन्द्रियानुभवगम्य संसार से ही सन्तुष्ट हो जाता है, जिसे इसके सीमित होने का ज्ञान ही नहीं होता तथा इन्द्रियानुभव की सीमित प्रवृत्ति तथा निषेधात्मकता से जिसका मस्तिष्क कभी आनन्दोन्मत्त ही नहीं होता उसके मनस् में धार्मिक भावना का उदय सम्भव ही नहीं है। जब हम यह भली भाँति समझ लेते हैं कि सीमित होना ही मानव के ज्ञान की प्रवृत्ति है, मानव-मस्तिष्क के लिये केवल तभी सम्भव है कि वह सीमित के परे असौम्य की कल्पना कर सके। इस असौम्य को चाहे आप 'परे' कहें, या अदृश्य कहें, या अनन्त कहें या दैवी या स्वर्गीय कहें। आप निश्चय मानिये किसी धार्मिक मत की भावना से पूर्व यह 'परे' की कल्पना आवश्यक है। यह 'धर्म' कैसा होगा, यह निर्धार करता है जाति के चरित्र पर जो इसे स्वरूप प्रदान करती है, चतुर्दिक् फेंकी प्रकृति पर तथा ऐतिहासिक अनुभव पर।

* पाठकों से निवेदन है कि इसके पूर्व एकाध स्थल पर धर्म शब्द आया है जो मत से ही तात्पर्य है। इसके पूर्व मैंने इतनी गम्भीरता से विचार ही नहीं किया था।

धर्म तो हो ही नहीं सकता। आगे भी मत के अर्थ में धर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

—अनुवादक

हम भारत से क्या सीखें ?

हमारे सामने अनेक धार्मिक मतमतान्तर हैं। हम उन मतमतान्तरों की नहीं कर रहे हैं जो बाद में विभिन्न महापुरुषों या पैगम्बरों द्वारा समय समय पर चलाये गये हैं। हमारे सामने वे पुरातन कालीन धार्मिक मत हैं जो आदि कालों पृथ्वी पुत्रों द्वारा चलाये गये थे या स्वयमेव पारम्परिक रूप से चल पड़े थे। हमारे सामने अनेक मत अवश्य हैं, फिर भी हम न तो उनके महत्वपूर्ण विषयों को जानते हैं, न उनके मूल श्रोत को और न ही उनके धीमे विकास के रूप को। हमारे सामने यहूदियों का मत है, जिसके बारे में लोगों का मत है कि वह अपने प्रारम्भ से सम्पूर्ण था। उस धर्म का भी मूल श्रोत और उसका विकास क्रम जान पाना कठिन है। आप यूनानियों एवम् रोमनों के धार्मिक मतों को ले लीजिये या द्यूटन स्लाव तथा केल्टिक जातियों के धार्मिक मतों को ले लीजिये। आप देखेंगे कि मतों के विकास का समय तभी बीत चुका था, जब हम उन्हें जान भी नहीं पाये थे।

अब आइये हम भारत के प्राचीन निवासियों की ओर देखें। उनकी धार्मिक मान्यताएँ ऐसी नहीं थीं कि अन्य मान्यताओं की संगति में चलती रही हों। उन लिये जितनी भी मान्यताएँ थीं, सब की सब केवल धार्मिक और केवल धार्मिक थीं। इस धार्मिकता में केवल प्रार्थनाएँ और उपासनाएँ ही नहीं थीं वरन् जन्म दर्शन, कानून, उनकी नैतिकता और राजनीति भी उसी धार्मिकता * का अविभाज्य अंग बन गयी थीं। शेष जितने भी जोवन सङ्ग्रहों कार्य थे वे सब के सब धार्मिकता के प्रतिरूप थे।

अब प्रश्न होता है कि वह कौन सी शिक्षा है जिसे हम भारत के प्राचीन साहित्य या वेदों से ग्रहण कर सकते हैं ?

यदि आप यूनानियों के देवताओं के बारे में यह जानना चाहें कि वास्तव में वे कुछ भौतिक उपादानों के सिवा अन्य कुछ भी नहीं हैं तो इसके लिये न तो ग्रीक भाषा के हो पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है और न यूनानी धर्म के ही। स्कूल प्रत्येक छात्र जानता है कि जीअस में आकाश तत्व की भावना है, पोसीडान में पानी की भावना है, हेडस में यमलोक की भावना है, एपोलो में सूर्य का परिचय है।

* इस विषय में श्री रमेश चंद दत्त को देखें प्राचीन भारत की सम्प्रदाय इतिहास में उन्होंने लिखा है। "योरप धर्म का आदर्श भगवान की महत्ता, उपदेश, चर्चों में धर्मोपदेश एवम् धार्मिक कार्यों तक ही सीमित है परन्तु हिन्दू धर्म तुच्छाति तुच्छ कार्य भी धर्म से सम्बन्धित है। हमारा 'धर्म' शब्द इतना व्यापक है कि वह निर्जीव पदार्थों के भी धर्म की व्यवस्था देता है यही कारण है कि धर्म-निर्वाणों की भावना को हिन्दू लोग ग्रहण ही नहीं कर पाते।"

संस्कृत साहित्य का मानव पक्ष

१३३

है, मार्टीमस से चन्द्रमा का तथा हेफास्टास से अग्नि का परिचय मिलता है; परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी यदि हम यूनानियों के दृष्टिकोण पर विचार करें तो हमें जोयस में और आकाश तत्त्व में बहुत कुछ अन्तर दिखायी पड़ेगा। इसी प्रकार एपोलो एवम् सूर्य में भी कम अन्तर न दिखायी पड़ेगा। यही स्थिति आर्टीमिस एवम् चन्द्रमा की भी होगी।

अब हमें यह देखना है कि वेदों से हमें क्या मिल सकता है। यदि आप थोड़े मनोयोग के साथ वेद का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि इसमें यत्र तत्र थोड़े से छन्द दार्शनिकता को अनावृत करते हैं। इन छन्दों के इतने अधिक उद्धरण दिये जा चुके हैं और आज भी दिये जा रहे हैं कि लोगों की ऐसी भावना बनती जा रही है कि वेद केवल उपदेशात्मक छन्दों से ही भरे पड़े हैं। यह भी सत्य है कि उससे पौराणिक स्तोत्र भी मिलते हैं और इन स्तोत्रों में सम्बन्धित देवताओं का व्यक्तित्व उसी नाटकीय ढंग से निखार पर आ गया है जैसे होमर के स्तवनों में। फिर भी आप देखेंगे कि वेद में अधिकांश अग्नि, जल, आकाश, सूर्य, तूफान इत्यादि के स्तवन भरे पड़े हैं और इन्हीं प्रार्थनाओं में इन भौतिक उपादानों को जिन सामान्य नामों से अभिहित किया गया है वे ही आगे चल कर सम्बन्धित देवताओं के लिये व्यक्ति चक्र संज्ञा के रूप में व्यवहृत होने लगे हैं। इतना होते हुए भी इन प्रार्थनाओं में तो कहीं अविवेक के दर्शन होते हैं और न ही पौराणिकता के। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वेद में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो अविवेक पूर्ण हो या जो हमारी सहानुभूति को जागृत न करता हो। हम देखते हैं कि हिन्दू ऋषियों ने कहीं प्रार्थनाओं की प्रार्थना को है, ताकि वे रुक जायें, कहीं आकाश की प्रार्थना की है कि पानी बरसे या कहीं सूर्य से चमकने की प्रार्थना की है, परन्तु इन सब में अविवेक कहाँ है? जो भी व्यक्ति मानव तर्क के क्रमिक विकास का अध्ययन कर चुका है या कर रहा है, उसे इन प्रार्थनाओं को देखकर तनिक भी आश्चर्य न होगा। आप यह जानते हैं, आपको यह जानना चाहिये कि सुदूर अतीत में वय एवम् अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के भी तर्क उसी प्रकार के होते थे जैसे आज हमारे बच्चों के होते हैं। वह काल भी मानव जाति के बचपन का ही काल था। तब उनकी तर्क शक्ति उतनी विकसित नहीं हुई थी, जितनी आजकल के लोगों की होती है। बच्चों का मस्तिष्क प्रायः भौतिक पदार्थों के गुणों को ही पदार्थ मान बैठता है। चन्द्रमा और चन्द्रिका को अलग करके देखने की न तो उन्हें आवश्यकता ही है और न वे इतना अधिक विचार ही कर सकते हैं। बच्चों को इस तर्क शक्ति को आप लोग विभिन्न नामों से भले ही पुकारते हों, पर जानते इसे सब हैं। हम सभी जानते हैं कि गुण और पदार्थ; कारण तथा परिणाम; कार्य एवम् कर्ता को अलग अलग देखने की

प्रवृत्ति शिशु प्रवृत्ति ही है और यह प्रवृत्ति हममें आपमें सभी में पायी जाती है। एक शिशु किसी कुर्सी से टकराकर गिर जाने के बाद जब उस कुर्सी को ही मारो खगता है तो हम इसी प्रवृत्ति का दर्शन करते हैं। इसी प्रवृत्ति के बराबरी होकर बच्चे गा उठते हैं 'रेन, रेन, गो टु स्पेन' इस छोटी पंक्ति में हमको आपको को मानन्द न मिले यह सम्भव है, परन्तु बच्चों के लिये यही गीत परमानन्द दायक है। इस गीत का कुछ विशेष अर्थ न भी हो तो भी यह अविवेक पूर्ण इसलिये नहीं है कि यह स्वाभाविक है। कम से कम उस समय के लिये तो इस प्रकार के गीत अनिवार्य हो हैं जब मानव मस्तिष्क अविकसित था या शिशु काल में था।

प्राचीन धर्म के विकास में वेद का समय इस प्रकार का था। इस समय में जो कुछ भी देखा, सुना, कहा या गाया जाता था, वह सब स्वयम् सिद्ध या मानवीय-मस्तिष्क के इस प्रकार के शिशुकाल का परिचय जैसा हमें वेद में मिलता है, विशेषकर जैसा हमें ऋग्वेद में मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। मानव मस्तिष्क के क्रमिक विकास के इतिहास का यही एक अध्याय ऐसा है जो भारतीय साहित्य में और केवल भारतीय साहित्य में ही सुरक्षित है जब कि हम उसे व्यर्थ हो यूनानी या रोमन या अन्य किसी साहित्य में खोजते फिरते हैं।

जो लोग अपने को नृत्व शास्त्र (मानव शरीर रचना विज्ञान) का छात्र मानते हैं वे लोग इस बात को मानते हैं कि आदिम मानव या प्रागैतिहासिक कालीन मानव का अध्ययन करने के लिये आवश्यक है कि एशिया, अफ्रीका, पालीनेशिया तथा अमेरिका के कुछ भागों में पाए जाने वाले आदिवासियों का अध्ययन किया जाय। यह विचार ठीक भी है और एतद् विषयक जानकारी हमें वेट्ज, टेनर, सुबाक इत्यादि विद्वानों की कृतियों में संग्रहीत रूप में मिलती है, परन्तु आइये, तनिक ईमानदारी से काम लें और यह स्वीकार करें कि जिन साधनों के द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन मानव का विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे सब विद्वत्मान नहीं हैं।

इतना ही नहीं, हम आदिवासियों के विषय में उसी काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो उनके जातीय इतिहास का अन्तिम अध्याय है। आज वे हैं, हम उसी का तो अध्ययन कर सकते हैं। क्या हमें उनकी पूर्व स्थिति का तनिक भी ज्ञान प्राप्त है? हम भी और आप भी जानते मानते हैं कि इतिहास से हमें बात का पता चलना चाहिये कि हम आज जो कुछ हैं और सभ्यता व संस्कृति यात्रा में वहाँ कहीं भी हैं, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं, बीच में हमें कौन सी सुविधा मिल चुकी है, किन सुविधाओं से हम वंचित रहे हैं तथा किन कठिनाइयों ने हमारी प्रगति को पग पग पर बाधित किया है। इन बातों की जानकारी हमें उन आदिवासियों

जीवन का अध्ययन करने से नहीं मिल सकती। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें उनकी भाषा के क्रमिक विकास का अध्ययन करना होगा। भाषा का अध्ययन करने में हमें उन जातियों के सुदूर अतीत का ज्ञान उसी सीमा तक प्राप्त हो सकेगा जिस सीमा तक होमर हमें यूनानियों के विषय में बताता है। क्षेद की संस्कृति का अध्ययन भी उसी प्रकार हमें अतीत कालीन हिन्दू-जन-जीवन का परिचय दे सकता है। भाषा का अध्ययन ही हमें यह बताता है कि ये अविकसित मूर्तिपूजक, उनकी उलझी हुई पौराणिक व्यवस्थाएँ, उनकी अस्वाभाविक परम्पराएँ, उनकी समझ में न आने वाली विचित्रताएँ एवम् बर्बरताएँ आज या कल की नहीं हैं, उनका भी एक इतिहास है और आज वे जहाँ हैं, पहाँ तक पहुँचने में उन्होंने सहस्राब्दियों की यात्रा की है। यदि हम उनकी सृष्टि न समझ बैठें तो हमें मानना पड़ेगा कि वे उतने ही प्राचीन हैं जितने हिन्दू, ग्रीक या रोमन। हम यह तो मान सकते हैं कि विकास क्रम में उनकी प्रगति धीमी रही है। इतना भी माना जा सकता है कि कुछ वर्षों, दशाब्दियों या शताब्दियों तक उनकी प्रगति रुद्ध ही रही हो। हम यह भी मान सकते हैं कि आज वे आदिम जातियाँ उसी स्थिति में हैं, जिसमें हिन्दू लोग ३००० वर्ष पूर्व थे, परन्तु यह सब अनुमान ही है और यदि उनको भाषाओं का अध्ययन किया जाय तो उपरोक्त सभी मान्यताओं के विरुद्ध सोचने का वाध्य होना पड़ता है। सम्भव है कि उनकी प्रगति में अत्यधिक कठिनाइयाँ आ गई हों। यह भी हो सकता है कि एक बार पूर्ण विकास तक पहुँच कर वे जातियाँ फिर बर्बरता की ओर लौट गई हों और इस प्रकार उनकी जिस स्थिति को हम प्रारम्भिक माने बैठे हैं शायद वह मध्य कालीन हो। यह भी हो सकता है कि कुछ विवेक और ज्ञानपूर्ण मान्यताएँ या परम्पराएँ ही पथ भ्रष्ट होकर उन्हें इस अवस्था में पहुँचा दिये हों, और हम उनको आज भलीभाँति ग्रहण ही न कर पाते हों। आप किसी अविकसित आदिम जाति को ले लीजिए जो आपकी समझ में विकास पथ पर एक पग भी नहीं बढ़ी है। गम्भीरतापूर्वक उनके उन नियमों का अध्ययन कीजिये, जिनके सहारे उनके विवाहादि होते हैं। आप देखेंगे, ये नियम इतने अधिक उलझे हुए हैं कि इनकी उलझनों समझ से परे हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन नियमों में उनका अविवेक, अन्धविश्वास, मिथ्याभिमान और उनका अज्ञान अपनी उच्चतम सीमा तक पहुँच गये हैं और वे हमारे लिए, हमारी समझ के लिए एकदम अगम्य हो गये हैं परन्तु गम्भीरतापूर्वक और बिना ऊँचे हुए यदि हम देखने लगे और अन्त तक देखते रह जायँ तो हमें अनेक अविवेकों में विवेक की भी झलक दिखायी पड़ेगी। हम देखेंगे कि किस प्रकार ज्ञान ही बढ़ते-बढ़ते (या यों कहें कि घटते-घटते) अज्ञान बन गया है, आचार ही शिष्टाचार बन गये हैं और यहाँ शिष्टाचार बढ़ते-बढ़ते स्वांग की सीमा तक जा पहुँचे हैं। ऐसी स्थिति में क्या

१३६

हम भारत से क्या सीखें ?

हम केवल इसीलिये उन प्रादिम जातियों के वर्तमान जीवन को ही आदिमकालीन जीवन मान लें कि हम उनके अतिसुदूर अतीत का उत्खनन करके उसे अनावृत्त न कर सकते ?

मैं यह नहीं चाहता कि मेरी बातों को या मुझे कोई गलत समझ लें। भारत के प्राचीन साहित्य के पक्ष में यह दावा नहीं करना चाहता और न करता हूँ कि कोई उसे जंगली जातियों की कथाओं, परम्पराओं और उनके गीतों से अधिक महत्व दे। जिसे हम प्रकृति की स्थिति कहते हैं, उसमें रहने वालों के गीतों परम्पराएँ एवम् उनकी कथाओं का जो महत्व है, वही महत्व मैं प्राचीन भारतीय साहित्य को भी देना चाहता हूँ। मानव विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र के लिए दोनों ही समान उपयोगी हैं। मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि यदि कोई आदि कालीन मानव जाति के अध्ययन में रुचि रखता है तो उसे वेद का सहारा लेना चाहिये। इस साहित्य के सहारे हम मानव जाति की उस स्थिति तक पहुँच सकते हैं, जहाँ से वह समझ आने योग्य होती है। आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब मैं आदि कालीन या आरम्भिक मानव की बात करता हूँ तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि एकदम से उस दिन की बात कह रहा हूँ जिस दिन मनुष्य चौपाया से दोपाया बना। बार-बार मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या यह विश्वास कर लें कि ज्यों ही मनुष्य हाथों का सहारा छोड़ कर केवल पैरों के सहारे चलने लगा, त्यों ही उसके मुख से वैदिक ऋचाएँ निःसृत होने लगीं ? मैं तो ऐसा कभी नहीं कहता। आप जानते हैं कि किसी जङ्गली पेड़ को काट दिया जाय तो उसके अन्दर अन्दर एक के बाद दूसरे छल्ले ही छल्ले निकलेंगे जितना प्राचीन वह वृक्ष होगा। उसी प्रकार के छल्ले (जीव स्थिति) हमें वेद की प्रत्येक ऋचा में या यों कहना चाहिये कि वेद के हर एक शब्द में बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगे।

जैसे मैं पहले कह चुका हूँ वैसे ही एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैं (हम यह मान लें कि वैदिक ऋचाएँ ईसा पूर्व १५०० से लेकर १००० वर्षों तक रची गयीं तो हमें यह सोच कर विस्मय विमूढ़ हो जाना पड़ेगा कि इतने प्राचीन काल में भी भारतीय मस्तिष्क ने किस प्रकार उन विचारों को ग्रहण कर लिया जो हमें आज की उन्नीसवीं शती में भी आधुनिक प्रतीत होते हैं। यदि हमारे पास इस बात का कोई भी प्रमाण होता कि वेद की रचना ईसा पूर्व १००० वर्ष के बाद अर्थात् बौद्ध मत के प्रचलित होने के ५०० वर्षों पूर्व के बाद में हुई तो मैं वेद के रचना काल सम्बन्धी सभी मान्यताओं का त्याग कर देता। मैं यह नहीं कहता कि आगे भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा। सम्भव है कि हम आगे चल कर यह सिद्ध कर सकें कि वेद इतने प्राचीन नहीं हैं जितना उन्हें हम आज मानते हैं, परन्तु आज तो संस्कृत का प्रत्येक

संस्कृत साहित्य का मानव पक्ष

१३७

विद्वान् इस बात को मानने के लिए बाध्य है कि किसी भी प्रकार वैदिक साहित्य बीड़-
मत के उदय के ५०० वर्षों पूर्व के बाद का सिद्ध ही नहीं किया जा सकता ।

तब फिर हम क्या करें ? ऐसी स्थिति में हमें अपने मान्यताओं को अपरिवर्तित
रूप में ही रखना होगा और तब भी यदि हम देखते हैं कि ३००० वर्षों पूर्व मानव
साहित्य ने इतना विकास कर लिया था कि वह उन विचारों को ग्रहण कर ले
सकता था जो आज १९ वीं शताब्दी में भी हमें निश्चित रूप से आधुनिक जान पड़ते
हैं तो हमें उन धारणाओं को बदल देना पड़ेगा जो हमने उन वर्वर, आदिम मानवों
के विषय में बना रक्खा है; साथ ही हमें यह बात भी याद रखनी होगी कि कभी-कभी
ऐसा भी होता है कि जो बात बड़े-बूढ़ों को नहीं सूझती वही छोटे बच्चों को सूझ
जाती है और यही बात विभिन्न काल के मानवों के लिए भी सत्य हो सकती है ।

इन तमाम बातों के प्रकाश में मेरा यह कहना है कि यदि किसी को मानव
साहित्य का अध्ययन करना हो; या आप चाहें तो यों कह सकते हैं कि किसी को आर्य
जीवन के विषय में अध्ययन करना हो तो उसके लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन ही
अर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्ययन होगा । संसार का कोई भी साहित्य इस क्षेत्र में वैदिक
साहित्य का मुकाबला नहीं कर सकता । मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि किसी को
आर्य अपने में रुचि हो, अपने पूर्वजों, अपने इतिहास या स्वजाति के बौद्धिक विकास क्रम में
रुचि हो तो उसके लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है । इस विषय का
यदि हम सम्यक् ज्ञान अन्यत्र कहीं मिल ही नहीं सकता । मैं यह भी कह देना चाहता हूँ
कि यदि कोई यह जानना चाहे कि उदार शिक्षा के मौलिक तत्व कौन-कौन से हैं तो
उसे वैदिक साहित्य से इतना कुछ प्राप्त हो सकता है कि उतना न तो वेविलोन या
ग्रीस के बादशाहों के समय का इतिहास ही बता सकता है और न इसराइल तथा
यूना के बादशाहों के कारनामे ही बता सकते हैं ।

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि लोग इन तथ्यों को बड़ी ही उदासीनता
से या यों कहें कि बड़ी ही अनिच्छापूर्वक स्वीकार करते हैं । उससे भी अधिक आश्चर्य
तब होता है जब मैं देखता हूँ कि नृतत्वशास्त्र के विद्यार्थी भी इसी उदासीनता से
आपसी गीत हैं । मुझे ऐसा लगता है कि इस चमत्कारपूर्ण साहित्य का अध्ययन करने के
बदले वे अपनी अधिकांश शक्ति उन बहानों की खोज में लगा देते हैं, जिनसे यह
सिद्ध किया जा सके कि वैदिक साहित्य का अध्ययन आवश्यक नहीं है । हम लोगों
को ऐसा नहीं मान लेना चाहिये कि चूंकि योरप की अधिकांश भाषाओं में ऋग्वेद
अनुवादित हो चुका है अतः अब उसमें अध्ययन करने योग्य कुछ भी नहीं रह गया
है । बात ऐसी नहीं है बरन् इसके विल्कुल विपरीत है । ये सभी अनुवाद परीक्षा-
रूप से किये गये हैं । यद्यपि पिछले तीस वर्षों में मैंने स्वयम् अधिकांश ऋचाओं

२३८

हम भारत से क्या सीखें !

को मनुदित किया है फिर भी अपने विचार में मैंने यही प्रयत्न किया है कि ऋग्वेद-
 को उन ऋचाओं का अर्थ क्या होना चाहिये ! सम्भव है कि 'वास्तविक अर्थ' का
 है' इस पर मेरा विचार गया हो न हो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि
 केवल १२ ऋचाओं के अनुवाद के लिये ही मुझे एक बड़ा सा ग्रन्थ लिखना पड़ा।
 अभी हम वैदिक साहित्य के ऊपरी सतह पर हैं और इतने को ही देखकर हमारा
 आलोचक यह कहने लगे हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो
 आदिम मानव की स्थिति से परिचित करा सके। बड़ी-बड़ी दलीलें देकर लोग
 साहित्य की व्यर्थता सिद्ध करना चाह रहे हैं। यदि आदिम मानव से वे उस व्यक्तित्व
 का अर्थ लगाते हैं जो सर्व प्रथम इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब वे एक ऐसे
 की खोज में रत हैं जो उन्हें कभी भी नहीं मिलेगी, भले उनके हाथ आदिम
 हवा के बीच का पत्र व्यवहार (यदि वह कभी हुआ हो) ही क्यों न लग जाय।
 आदिम से हमें केवल उन मनुष्यों का अर्थ ग्रहण करना चाहिये जिनके विषय में कुछ
 जान सकने की सम्भावना हो। यदि हम इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करते हैं तो
 एतद्विषयक अध्याय के लिये ऋग्वेद के शब्दों और ऋचाओं से अधिक उपयोग
 नहीं कुछ भी नहीं है।



चतुर्थ भाषण

क्या वैदिक संस्कृति निषेधात्मक थी

यह सत्य हो सकता है कि वाद-प्रतिवाद से लाभ की अपेक्षा हानि की ही भावना अधिक होती है, आलोचनाएँ और प्रत्यालोचनाएँ कुपयगामिनी प्रतिभाओं को जन्म देती हैं, व्यक्ति मिथ्या प्रशंसाओं के चक्कर में अर्थ का अनर्थ कर डालता और प्रत्येक वाद-प्रतिवाद के पश्चात् प्रायः यही प्रतीत होता है मानों हमारे चारों ओर का अन्धकार कुछ हल्का होने के स्थान पर कुछ अधिक सघन हो गया हो। लोगों का कहना है और यह कहना सही भी है कि यदि आज किसी सुचतुर वकील को यह सिद्ध करने को आवश्यकता आ पड़े कि गैलीलियो के सिद्धान्त के विपरीत हमारी पृथ्वी ही समूची सृष्टि का केन्द्र है (गैलीलियो के पूर्व मत मान्य था) तो उसे कौन का अभाव नहीं होगा और यह भी पूर्ण सम्भव है कि हमारे इंग्लैण्ड के गोयाधीश तथा जूरी लोग उस वकील के पक्ष में निर्णय भी दे दें। मैं इस बात से अकार नहीं करता कि सत्य में स्वयं एक ऐसी शक्ति है कि बार-बार असत्य के अपस हारने पर भी वह अन्त में तमाम विरोधों के ऊपर उठकर असत्य पर विजयी हो जाता है। गैलीलियो का सिद्धान्त ही हमारी इस स्वीकृति का प्रमाण है। आप लोग जानते हैं कि इस समय संसार के अधिकांश लोग गैलीलियो के सिद्धान्त को मानते हैं परन्तु यदि उस सिद्धान्त के सही होने का प्रमाण आप माँगे तो उन अधिकांश लोगों में से अधिकांश जन ऐसे ही होंगे जो एक भी प्रमाण न दे सकेंगे। यह भी मानने को तैयार हूँ कि इस संसार में जितने भी अच्छे कार्यकर्त्ता, शोध या सर्वोत्तम कार्यों के कर्त्ता हो गये हैं, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, प्रसार एवम् प्रचार में महान् योगदान दिया है तथा जिन्होंने सत्य प्राप्ति के साधनों को समुन्नत किया है, उन्होंने न तो कभी परम्पराओं की परवाह की और न लोकापवाद या लोकमत को चिन्ता। वाद-प्रतिवाद के प्रति पूर्ण उदासीन रहकर, दाईं ओर से मिलने वाली प्रशंसा एवम् विपरीत दिशा से आने वाले निन्दा जाल का तनिक भी ध्यान न करते गये वे सत्य-प्राप्ति-मार्ग पर सीधे चलते चले गये हैं। यह सब कुछ सत्य है, पूर्ण सत्य फिर भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ पड़ी हैं कि अपने समूचे एक भाषण में यही

प्रयत्न करना चाहूँगा कि आप लोगों के मस्तिष्क से उन अनेक आपत्तियों एवम् प्रतिवादों को हटा दें जो वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में किये जाते रहे हैं और आज भी किये जा रहे हैं। मैंने भारत के प्राचीन साहित्य के प्रति जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं उन पर प्रतिवादों एवम् प्रतिवादकर्ताओं की संख्या न तो कम ही है और न प्रतिवादकर्ता नगण्य ही हैं। वैदिक साहित्य की जिस विशेषता तथा उसके ऐतिहासिक महत्व का मैंने प्रतिपादन किया है, उन पर अनेक आपत्तियाँ अनेक गण्यमान्य विद्वानों द्वारा उठायी गयी हैं और मेरा मत है कि यदि इन आपत्तियों का निवारण नहीं किया गया तो सत्य को अनावृत करना कठिन हो जायगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वैदिक साहित्य के अति प्राचीन होने पर भी उस पर किसी द्वारा प्रस्तुत किया गया दृष्टिकोण नया है। उस दृष्टिकोण पर योग्य विचार एवम् निष्कर्षों की संख्या अल्प है। इस विषय में गलतियाँ भी सामने आती हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बड़ों की गलतियाँ भी हमारे मार्गदर्शन की सहायक रहती हैं। कहा तो यहाँ तक जा सकता है कि सत्य प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले का भटक जाना अनिवार्य ही है और यही भटक जाना सत्य-प्राप्ति में सहायक होता है। कुछ आलोचनाएँ तो इतनी सारहीन होती हैं कि उनकी उपेक्षा ही श्रेयस्क होती है, क्योंकि ये आलोचनाएँ केवल आलोचना के लिये की गयी होती हैं और अन्तिम क्षण हमें सत्य को विपरीत दिशा में ले जाने वाली होती हैं। यदि ये आलोचना निम्न वृत्ति के न हों तो हमारा सीमागम्य ही समझा जाना चाहिये। कुछ कठिनाईएँ और आपत्तियाँ स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आती हैं। कुछ आपत्तियाँ ऐसी होती हैं कि उन पर ध्यान न देना अश्रेयस्कर भी होता है और जिन्हें हटा देने या सत्य के सुदृढ़ दुर्ग तक जा पहुँचना साध्य हो जाता है। भारतीय साहित्य के विषय में विचार करते समय उपरोक्त बातें जितनी पूर्णता से हमारे सामने आती हैं उतनी किसी अन्य विषय पर विचार करने में नहीं आतीं। आपत्तियों पर विचार करते उनका निवारण करने के लिये आवश्यक है कि पहले पूर्व पक्ष पर विचार कर विचार जाय अर्थात् यह जाँच लिया जाय कि वे आपत्तियाँ कौन हैं तथा कैसी हैं। उन पर सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उत्तर पक्ष की बात को भी सुनिश्चित रूप से लेना चाहिये अर्थात् आपत्तियों को निमूल सिद्ध करने वालों की बातों पर विचार करना चाहिये। ऐसे समय में हर सम्भव आपत्ति का स्वागत करना चाहिये, उनका पूर्व पक्ष पर तरह देख लेना चाहिये और उत्तर पक्ष की ओर ध्यान देना चाहिये। हाँ इतना अवश्य जान लेना चाहिए कि कहीं ये आपत्तियाँ एकदम निराधार ही तो नहीं हैं। मनगढ़न्त तो नहीं हैं, नगण्य एवम् इसीलिये अविचारणीय तो नहीं हैं। इन पक्षों पर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष पर पूर्ण विचार करके तब पक्ष या विपक्ष में निर्णय

क्या वैदिक सस्कृति निषेधात्मक थी ?

१५१

देना चाहिये । इस प्रकार के निर्णय का जो परिणाम होता है उसे ही सिद्धान्त कह सकते हैं ।

इसलिए मेरा विचार है कि मैं पहले कुछ ऐसे सिद्धान्त स्थिर कर लूँ जिनके बिना यह असम्भव है कि आप वैदिक साहित्य की ऐतिहासिक महत्ता को समझ सकें तथा यह जान सकें कि हम लोगों के लिए उन प्राचीन ऋषियों द्वारा गाये गये गीतों का क्या महत्व है जो हमसे समय के विचार से भी और स्थान के विचार से भी इतनी अधिक दूरी पर हैं । इन सिद्धान्तों को स्थिर कर लेने के पश्चात् ही हम वेद के पृष्ठ उलटने योग्य हो सकेंगे, वैदिक ऋचाओं के महत्व को समझ सकेंगे तथा प्राचीन भारत के निवासियों के धर्म तथा दर्शन का महत्व आंक सकेंगे ।

(१) पहली बात तो शुद्ध रूप से पारिभाषिक या परिचयात्मक है अर्थात् हमें यह मान लेना है कि अतीत काल का भी और आज का भी हिन्दू पूर्णतया हमारी स्वयम् सहायभूति का पात्र है । वह हमारे विश्वास का भी-पात्र है । उन पर जो यह दोष हमारे देशवासियों ने लगाया है कि उनमें सत्य प्रियता के प्रति कोई समादर नहीं है वह पूर्ण रूप से निराधार है ।

(२) दूसरी बात यह है कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिये कि भारत को केवल कुतूहलजनक मान कर ही हमें उसे केवल प्राच्य विद्यानुरागियों के ही हाथों में सौंप देना है । इसके विपरीत प्राचीन भारतीयों की भाषा अर्थात् संस्कृत के विचार से भी और प्राचीन साहित्यिक प्रपत्रों अर्थात् वेद के विचार से भी हमें भारत का महत्व स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि ये दोनों ही हमें जो कुछ सोख दे सकते हैं वह कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकती । यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारी स्वयम् की भाषा का मूल श्रोत कहाँ है, हमारी सामान्य धारणाओं का प्रारम्भ कहाँ से और क्यों कर हुआ तथा सम्यता में विशेषतया आर्य-सम्यता में जो कुछ भी समाविष्ट हो सकता है उनका प्राकृतिक बीज कहाँ है तो हमें वैदिक भाषा एवम् साहित्य का ही प्रश्न्य लेना पड़ेगा । आर्य सम्यता को हमें विशाल रूप में ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि हिन्दू, पश्चिम, यूनानी, रोमन, स्लाव, केल्ट तथा ट्यूटन जातियाँ सभी उसी आर्य जाति से सम्बन्धित हैं । संसार की जितनी भी गण्यमान्य सम्यताएँ हैं सभी आर्य सम्यता की ही हैं । यह सत्य है कि बिना भूतत्व विज्ञान को जाने हुए भी व्यक्ति कुशल हलवाहा हो सकता है । उसका काम इन बातों को जाने बिना भी चल जाता है कि भूमि की जिस तह पर वह खड़ा है उसमें मिट्टी के कौन कौन से तत्व हैं तथा उसके नीचे की तह कौन सी तथा किस प्रकार की है । उसे यह जानने की भी उत्तनी आवश्यकता नहीं है कि मिट्टी में वे कौन पदार्थ हैं जो उसकी कृषि को तथा अन्त में उसे भी पोषण प्रदान करते हैं । यह भी सत्य है कि प्रत्येक उत्तम तथा उपयोगी नागरिक के लिए

भी यह अत्यावश्यक नहीं है कि वह इतिहासज्ञ ही हो उसे यह जानने की भी उतनी शक्ति नहीं है कि जिस संसार में वह रहता है उसे यह वर्तमान रूप कैसे प्राप्त मानव को आधुनिक स्थिति तक पहुँचने के लिए किन-किन स्थितियों से गुजरना पड़ा है, उसकी भाषा, उसके धर्म तथा उसके जीवन-दर्शन में किन और कैसे मंजिलें पार किया है और किस प्रकार इन सबका संकलित रूप इस योग्य हो सका है वह उसे आज सर्वोत्तम मानसिक एवम् बौद्धिक पोषण दे रहा है ।

प्रत्येक जाति, समाज या समूह में एक वर्ग शिष्टों या यों कहें कि विद्वानों का होता है, जिन्हें इस बात का आवश्यक ज्ञान होता है या होना चाहिए कि समाज को क्या है, जिस पर वे निर्भर कर सकते हैं या जिनका सहारा ले सकते हैं उनमें सर्वोत्तम क्या है ? यह बात न केवल नार्मनों, रोमनों के लिए ही सत्य है बल्कि संसार की सभी सभ्यतायुक्त जातियों के लिये भी सत्य है । हमारे वे उपकारक पूर्वज भी इसके अपवाद नहीं थे जिन्होंने हमारे लिये अपने खून को पसीने में बदल कर इस संसार को इस रूप में कर दिया कि हमारे लिये आज इसमें नाना प्रकार सुखोपभोग प्राप्त हैं । आप लोग विश्वास रखें कि यदि हमारे पूर्वजों ने परिश्रम किया होता तो हमारा आज का जीवन कदापि इतना सुविधापूर्ण नहीं होता । हमारे वे पूर्वज ही सारी आर्य जाति के पूर्वज थे, उन्होंने हमारे लिये प्राथमिक शब्द रचवाये, हमारे विचारों को काव्य रूप में अभिव्यंजित किया, हमारे लिये आचार संहिता एवम् विधि संहिता बनाया, हमारे देवताओं को जन्म दिया (कल्पना की) तथा हमें जो परम देव हैं उसके प्रति भी हमारा ध्यान आकर्षित किया ।

इस वर्ग में जाने का अधिकार उन सभी को है, जो इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, जिनकी जिज्ञासा अपने अतीत में है, जिनमें विचारों के क्रमिक विकास का ज्ञान की प्यास हो, और जो पूर्वगामिनी बौद्धिक प्रतिभाओं के प्रति हार्दिक सम्मान रखते हों । वास्तव में उपरोक्त सभी गुण इतिहासकार के हैं, सच्चे इतिहासकारों के हैं, जो अतीत को श्लोक के प्रेमो हैं, उस अतीत के जो बीत तो गया है परन्तु नहीं गया है ।

तीसरी बात मैंने आपको यह समझाने का प्रयत्न किया है कि किन कारणों से न केवल प्राच्य विद्यानुरागियों वरन् प्रत्येक शिक्षित युवक एवम् युवती को वेदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिये । यदि हम यह जानना चाहें कि हम आज जो कुछ हैं वह कैसे बने तो हमें वेदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिये । मैंने आपको उस अनिवार्य अन्तर, उसके तथा तज्जनित परिणामों को भी आपके सामने रखा है । मैंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ मानवीय विशेषताएँ ऐसी थीं जिनसे भारत के निवासी यूरोपियों की तुलना में पीछे रह गये परन्तु साथ ही साथ

क्या वैदिक संस्कृति निषेधात्मक थी ?

१४३

तोनों को यह भी समझा दिया कि कुछ विशेषताएँ ऐसी भी थीं जिनमें भारतीय धर्म यूरोपियनों की तुलना में इतने आगे निकल गये थे कि यूरोपियनों को अनिवार्य रूप से भारत की गुस्ता स्वीकार करनी पड़ी। यह भी सत्य है कि हम भारतीयों ने उन गुणों को सीखने के स्थान पर उन गुणों को ही पलायनवादी तथा कायरतापूर्ण कहने लगे हैं।

चौथी बात, मुझे यह भय हुआ कि कहीं आप प्राचीन भारतीयों की बुद्धिमत्ता का स्तर आवश्यकता से अधिक ऊँचा न समझ बैठें, इसलिये मैंने अपना कर्तव्य समझा कि आपको समझा दूँ कि मैंने 'आदिम' शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया है, वह उस अर्थ से बिल्कुल भिन्न है जिसमें नृतत्वशास्त्री 'आदिम' शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया कि 'आदिम भाषा' से मेरा तात्पर्य उस प्रथम मानक के मुख से निकली हुई भाषा से नहीं है जो अपने अंडे की दीवारों को तोड़कर अभी बाहर निकला हो और विस्मय-विभ्रम दृष्टि से अपने चारों ओर के विचित्र संसार का निरीक्षण कर रहा हो। हम वेद को आदिम इसीलिये मानते हैं कि कोई भी साहित्यिक कृति ऐसी नहीं है जो इसकी पूर्ववर्तिनी हो। वेद में जैसी भाषा पायी जाती है, उसमें जिस प्रकार की पौराणिक कथाएँ हैं, जैसा जीवन दर्शाता है और जैसी धर्म का दर्शन होता है; उनसे जो दृश्यावली दृष्टिगत होती है, वहाँ में तो उसकी दूरी को कोई नाप नहीं सका। वेद में शिशु सुलभ विचार प्रणाली है, स्वाभाविकता है, सामान्यता है। यह सत्य है परन्तु यह भी सत्य है कि वेद में ऐसी भावनाओं का भी प्रकाशन हुआ है जो हम यूरोपियनों का भी उन्नीसवीं शती में आधुनिक प्रतीत होती है और मजा यह है कि उससे अधिक प्राचीन साहित्यिक कृति का हमें नाम भी सुनने को नहीं मिला। मानव विचार धारा के इतिहास के विषय में जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ हमें वेद ने दिया है वह वेदों की खोज के पूर्व हमारी कल्पना से भी परे है।

इतना सब कुछ कह लेने के बाद भी हमारा मार्ग बाधा रहित नहीं हो सका है। वेद को ऐतिहासिक आधार मानने के विषय में भी आपत्तियाँ प्रगट की गयी हैं। उनमें से कुछ आपत्तियाँ तो महत्वपूर्ण और इसीलिये विचारणीय भी हैं; और यदा कदा मैंने भी उन आपत्तियों से सहमति प्रगट किया है। कुछ अन्य आपत्तियाँ भी हैं जो हमें कुछ न कुछ सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। उन पर विचार करने से हमें उस आधार को भी जाँचने का अवसर मिलेगा, जिस पर हम आज खड़े हैं।

वेद को ऐतिहासिक आधार मानने में पहली आपत्ति यह उठायी गयी है कि वेद में राष्ट्रीयता नहीं है और यह भारत के सभी निवासियों के विचारों का

प्रकाशन नहीं करता। यह तो उन थोड़े से लोगों के विचारों का प्रकाशन मात्र जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि वेदों में सभी ब्राह्मणों के विचारों का प्रकाशन हुआ है। इसके विपरीत वेद तो केवल उन थोड़े से ब्राह्मणों की वाणी है जो पुरोहिती का व्यवसाय करते थे।

कोई आपत्ति अयुक्ति संगत मांग के आधार पर नहीं उठायी जानी चाहिये। जिन लोगों का यह कहना है कि वैदिक ऋचाएँ सम्पूर्ण भारत के जन-जीवन प्रतिनिधित्व नहीं करतीं या उस रूप में नहीं करतीं जिस रूप में (स्वयम् लोगों के अनुसार) वाइबिल यहूदियों का प्रतिनिधित्व करती है या होमर यूनानियों का प्रतिनिधि है, क्या उन लोगों ने सोचा है कि वे किस बात की अपेक्षा करते हैं उनकी इस बात से इनकार नहीं करता, कर भी नहीं सकता कि वेदों में ऋषियों की वाणी है सम्पूर्ण हिन्दू जाति के अनुपात में उनकी संख्या नगण्य ही परन्तु क्या यही बात ओल्ड टेस्टामेंट तथा होमर के काव्य के विषय में सत्य है ? क्या एक सच्चा इतिहासकार इसी प्रकार की आपत्ति उपरोक्त कृतियों के विषय में प्रगट नहीं कर सकता ?

इसमें सन्देह नहीं है कि जब 'सैक्रेड केनन' के रूप में ओल्ड टेस्टामेंट संकलन किया गया तो अधिकांश यहूदियों को उनका ज्ञान था, परन्तु जब प्राद्विम यहूदियों की स्थिति की बात करते हैं, जब वे मेसोपोटामिया या मिश्र रहते थे, तो हम देखते हैं कि उस समय के यहूदियों को उन ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था या बहुत कम ज्ञान था। ओल्ड टेस्टामेंट से यहूदियों के तत्कालीन जीवन का कोई परिचय नहीं मिलता। हमें इस बात का कोई पता नहीं लगता कि उनकी स्थानीय विशेषताएँ क्या थीं, तथा उनमें सामाजिक विभाजन कैसे थे। यही होमर की भी है और वैदिक ऋचाओं की भी। यह पूर्ण सत्य है कि जब हम यूनान के इतिहास का अध्ययन करने चलते हैं तो हम इस आशा से तो कदापि अध्ययन नहीं होते कि हमें उस क्षेत्र में यूनान निवासियों को या यों कहें कि समूचे यूनान के राष्ट्र के बौद्धिक, सामाजिक तथा घासिक जीवन का पूरा-पूरा चित्र मिलेगा। तो आँकियों पर सन्तुष्ट रहना पड़ता है और उसी की आशा से हम अध्ययनरत भी रहते हैं। हम किसी भी राष्ट्र को पूरी जनता के बौद्धिक जीवन को स्थिति ठीक ठीक जानकारी मध्य युग में भी नहीं पाते थे, आधुनिक युग में नहीं पाते फिर प्राचीन युग की तो बात ही क्या है। हम कुछ राजाओं, उससे भी कम सेनापतियों और उससे भी कम कुछ मंत्रियों के ही बारे में तो जानते हैं। राष्ट्र इतने ही तो नहीं बनता। उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं और सभी वर्गों की कौन कहे, जो वर्ग के अलग अलग व्यक्ति का बौद्धिक स्तर तथा बौद्धिक जीवन भिन्न होता है।

क्या वैदिक संस्कृति निपेधात्मक थी ?

१४५

उनके बारे में तो हम जो कुछ जानते हैं वह कुछ नहीं से थोड़ा ही अधिक है। उपरोक्त राजाओं, सेनानायकों तथा मंत्रियों के भी बारे में हम जो कुछ जानते हैं, वह समूचे राष्ट्र का दृष्टिकोण न होकर तत्कालीन लेखकों का ही दृष्टिकोण तो होता है और ये लेखक उंगलियों पर ही गिने जाने की संख्या में तो होते हैं। जिन लेखकों की कृतियाँ हमें किसी काल के इतिहास से परिचित कराती हैं वे जनसंख्या में शायद १० लाख व्यक्ति के पीछे एक के अनुपात में भी नहीं होंगे। मेरी उपरोक्त बात के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि लेखकों की संख्या छोटी होने से क्या, पढ़ने वालों की संख्या तो बड़ी होती थी परन्तु मैं यह दिखाने का प्रयत्न करूँगा कि यह बात भी नहीं थी। मेरा विश्वास है कि यदि मैं अपने ही समय के पाठकों की संख्या का आपके सामने वर्णन करूँ तो आप आश्चर्य करेंगे। विद्वान् काल में तो कुछ सुविधा प्राप्त वर्ग ही ऐसे थे जिनके जन पढ़ लिख सकते थे। एक सम्भावना थी कि जब कभी कोई व्यक्तिगत, सामूहिक व्रत, त्योहार या यज्ञ सम्पन्न होते थे तो इन धर्म ग्रन्थों के सुनने का अवसर प्रायः बड़ी संख्या के लोगों को मिला करता था। कालान्तर में थियेटर भी इस कार्य को सम्पादित करने लगे, परन्तु पाठक से जो तात्पर्य ग्रहण किया जाता है उसके अनुसार पाठकों की संख्या इतनी ही बढ़ी होती है। वास्तव में 'पढ़ने वालों' की संख्या में वृद्धि तो वर्तमान युग में देन है।

आधुनिक काल में पढ़ने वाले जितने अधिक हैं और पढ़ने की परम्परा जितने पैमाने पर चल रही है वैसे तो भूतकाल में कभी भी नहीं हुआ परन्तु आज भी पुस्तक प्रकाशकों के विक्रय लेख को आप देखें तो आपको अत्यधिक आश्चर्य होगा। आप देखेंगे कि जिन पुस्तकों के विषय में आप समझते होंगे कि इन्हें प्रायः जो ने पढ़ा होगा, उनकी भी विक्री बहुत कम हुई है। आप मैकाले द्वारा लिखित 'लेपड का इतिहास' ले लें या 'डाविन की ओरोजिन आफ स्पेसिज' को देख लें आप देखेंगे कि इन पुस्तकों की भी बहुत ही कम प्रतियाँ (जन संख्या की तुलना में) बिकी हैं। आपको पता चलेगा कि सवा तीन करोड़ की आबादी में बिकी हुई पुस्तकों की संख्या दस लाख से भी कम है। पिछले दिनों जिस ग्रन्थ की विक्री सबसे अधिक हुई है, वह है न्यू टेस्टामेंट का संशोधित संस्करण, परन्तु आप देखेंगे आठ लाख अंग्रेजी भाषियों में चालीस लाख से अधिक प्रतियाँ नहीं बिक सकी हैं। यद्यपि सामयिक पुस्तकों को भारी सफलता से बेचा जा है परन्तु उस पुस्तक के लेखक तथा लेखक को पूर्ण सन्तोष प्राप्त हो जाता है जिनका तीन या चार हजार प्रतियों का संस्करण समय से ही बिक जाता है। यह स्थिति हमारे देश की है जहाँ पढ़ने का वाहुल्य है, किन्तु यदि आप दूसरे देशों की स्थिति पर ध्यान देंगे तो

फा० न० १३

आपका भावचर्य और भी बढ़ जायगा। आप रूस को ही ले लें तो आपको भी ऐसे ग्रन्थ का नाम लेना कठिन हो जायगा जो वास्तविक रूप में राष्ट्र प्रतिनिधित्व करता हो या जिसे उस देश के बहुसंख्यक लोग जानते भर हों, पढ़ने बात तो दूर की है।

आप चाहे यूनान को ले लें या इटली को, पश्चिम को ले लें या बेविलोन किन्तु आपको होमर का काव्य ही एकमात्र ऐसा होगा, जिसे कुछ हजार लोग जानते हैं। इससे अधिक आप किसी अन्य ग्रन्थ का नाम ही नहीं ले सकते। हम यूनान तथा रोमनों को शिक्षित एवं शिक्षा प्रिय जाति कहते हैं। निस्संदेह वे थीं भी, यूनानी तथा रोमन को आप जिस अर्थ में ग्रहण कर रहे हैं वह वास्तविक यूनानी रोमन से बहुत भिन्न है। जिन्हें हम सब लोग यूनानी या रोमन मानते हैं और वे लोग तो केवल एथेन्स या रोमन के नागरिक हैं परन्तु केवल एथेन्स या रोमन से ही तो यूनान और रोम देश नहीं बना। ये तो नगर मात्र हैं परन्तु इन नागरिकों के प्रतिरिक्त शेष यूनानियों और रोमनों के विषय में हम जानते ही क्या और कि हैं ? इन नगरों में भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत थोड़ी होगी जो प्लाटो की बातों को या होरेस की कृति जानते या समझ सकते हों। ऐसी कृतियों की रचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इतिहास क्या है ? अतीत की स्मृति ही तो है, सदा थोड़े से लोगों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता रहा है। एक ही काल के कौन-कौनसे व्यक्ति अनजाने अनदेखे और अनसुने आते और चले जाते हैं। केवल थोड़े से ही ऐसे होते हैं जिन्हें बाणों का वरदान मिला होता है और वे अपने विचारों मनोभावनाओं एवम् आदेशों को स्वकालीन अथवा विगत घटनाओं के घावों परोकर सुन्दर सुसज्जित काव्य के रूप में प्रस्तुत करके अमर हो जाते हैं। बाद में वे अपनी कृति के रूप में जीवित ही रहते हैं और वे ही हमारे अतीत के सत्य में प्रत्यक्ष साक्षी हैं।

अब यदि हम उतने प्राचीनकाल की बात करें जिसका प्रतिनिधित्व हम करता है तो हमें उस असंगठित भारत की कल्पना करनी होगी, जिस रूप में आज से तीन सहस्र वर्षों पूर्व था। कल्पना कीजिये कि एक व्यक्ति हिमालय पर्वतों को दूर से ही देखता है और उसके मन में यह विश्वास जम जाता है कि हिमालय पहाड़ वर्षों से ठके हुए कुछ उच्चशिक्षितों के प्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वही हिन्दू वैदिक साहित्य की भी है। दूर से देखने वालों को ये वैदिक ऋचाएँ उन्हीं हिन्दू शिक्षितों की भाँति दिखायी पड़ती हैं और लोग एक भ्रमपूर्ण धारणा बना बैठते। ऐतिहासिक क्षितिज के उस पार के भारत को देखने का कोई प्रयत्न ही नहीं करता जब हम कहते हैं कि ये ऋचाएँ हिन्दू धर्म, हिन्दू विचार एवम् हिन्दू परम्पराओं

क्या वैदिक संस्कृति निषेधात्मक थी ?

१४७

निषिद्धत्व करती हैं तो हम तीन हजार वर्ष पहले के भारत के उन थोड़े से ही लोगों की बात करते हैं जिनके मुख के रूप में वैदिक गायकों ने इनकी रचना की। हम आज के भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने भारत की उन करोड़ों जनता का चित्र होता है जो उस विशाल प्रायद्वीप में बसी हुई है, जो हिमालय से हमारी अन्तरीप तक तथा सिंध और गंगा की बाहों के बीच विस्तृत है। आप कह लें यह क्षेत्र प्रायः उतना ही विशाल है जितना हमारा यूरोप। वेद कालीन भारतीय अभिनेताओं ने रंगमंच पर अभिनय किया है वह सिंध की घाटी तथा सिंध है जिसे ऋषियों ने सप्त सेंधव के नाम से अभिहित किया है। गंगा जल-संचित प्रदेश शायद ही उन लोगों को ज्ञात था। दक्षिण के प्रदेश को तो खोज ही नहीं हो पायी थी।

जब हम कहते हैं कि वैदिक ऋचाएँ उन थोड़े से जाग्रत एवम् उदबुद्ध ऋषियों की रचनाएँ हैं न कि समूचे राष्ट्र के लोगों की, तो इसका क्या अर्थ होता। यह सत्य है कि वैदिक ऋषि पुरोहित थे, हम चाहें तो ऐसा कह सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके मंत्रों में सर्वत्र धर्म, पीराणिकता तथा अनिकता का बाहुल्य दिखायी पड़ता है, उनमें यज्ञ यज्ञादिक के विषय में भी बहुत कुछ है परन्तु एक बार उस अतीत की ओर दृष्टि डाल कर विचार करेंगे तो आप निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि ये पुरोहित परिवार के ही बड़े-बड़े लोग थे। ऐसी स्थिति उन्हें परिवार की ओर से या गाँव ग्रथवा समाज की ओर से बोलने का पूरा-पूरा अधिकार था। आप वशिष्ट को पुरोहित कह लीजिये, परन्तु कृपया यह कल्पना आप न कर लीजिये कि वशिष्ट उसी प्रकार से पादरी थे जैसे हमारे पादरी क्राइमल मैनिंग *।

वेदों को ऐतिहासिकता के विरुद्ध जितने भी तर्क दिये गये हैं, उनमें से अधिकांश परिकल्पनात्मक हैं फिर भी उन पर पूर्ण उदारता से विचार कर लेने के लिये हम उस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं उनका भाषा पूर्ण उनके छन्द अम साध्य हैं, उनमें देवताओं एवम् मनुष्यों के वर्णन हैं, यज्ञों एवम् वेदों के वर्णन उनमें प्रकृति के विभिन्न अंगों एवम् दृश्यों के वर्णन हैं, सामाजिक परिवर्तनों की भी बातें हैं, कर्त्तव्य और आनन्द की भी प्रेरणायें हैं, दार्शनिक एवम् नैतिक विचार लड़ियाँ हैं। इतने अधिक विषयों पर उस सुदूरस्थ भारत को स्पष्ट

* क्राइमल मैनिंग (१८०८-६२) पहले अंग्लिकन चर्च के प्रधान अधिकारी बाद में वे रोमन कैथोलिक चर्च में सम्मिलित हो गये। राजनीति में तो वे प्रसिद्ध तथा नैयामिक रूप में भी उनकी ख्याति कम न थी।

जब हमारे कर्ण कुहरों में प्रवेश करती है जहाँ से इसके पूर्व की कोई भी चीज नहीं सुनयी पड़ी थी, तो इस रहस्य एवम् आश्चर्य पूर्ण उपलब्धि पर अत्यन्त प्रसन्न होने के बदले हम उसकी आलोचनाएँ करने लगते हैं कि इन ऋचाओं में क्या रक्खा है, ये न तो अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, न अपने समय का मन्त्र से बढ़कर बात तो यह है कि इनसे आदि-मानव की सम्यक्ता का तो परिचय नहीं मिलता। इनमें न तो पत्थर पूजकों का विवरण है, न सापुआ जैसे लोगों और न बुशमेन का। इन आलोचकों का कहना है कि इसमें तो, उन्हीं लोगों का परिचय है कि जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनसे हम सहानुभूति कर सकते हैं। मानव बुद्धि की ऐतिहासिक प्रगति की दृष्टि से प्राचीन यहूदियों एवम् यूनानियों के अधिक पीछे नहीं हैं।

मैं एक बार फिर दुहरा दूँ कि यदि आप 'आदिम' शब्द का अर्थ उन लोगों से लगाते हों जो उसी समय से पृथ्वी पर रहने लगे हों जब इस पृथ्वी का वर्णित समाप्त होकर पृथ्वी रहने के योग्य हुई, तो वैदिक ऋषि अवश्य ही आदिम नहीं हैं। यदि हम 'आदिम' से उन लोगों को समझते हों जिन्हें न तो अग्नि का पता था, अन्न-पदार्थ, पत्थरों के हथियारों से काम लेते थे, कच्चा मांस खाते थे, तब भी वैदिक गायकों को आदिम नहीं कह सकते। यदि 'आदिम' शब्द को उन लोगों के लिए ग्रहण किया जाय जो भूमि को जोतना बोना नहीं जानते थे, जिनके निवास सुनिश्चित नहीं होते थे, जिनमें न तो राजा होता था और न जिनमें यज्ञोत्सवों की विधान या साथ ही जिनमें विधि विधान भी किसी प्रकार का नहीं था तब हम वैदिक वक्ताओं को आदिम नहीं कह सकेंगे। हाँ यदि हम लोग आदिम का अर्थ उन लोगों से लगाएँ जो किसी भी प्रकार साहित्यिक अवशेष छोड़ जाने वाले सर्वप्रथम थे, जिन्होंने इस बात का प्रमाण अपनी साहित्यिक कृतियों में सुरक्षित छोड़ा है कि वे कभी इस पृथ्वी पर रहते थे तब और केवल तब हम कह सकते हैं कि वे वैदिक ऋषि आदिम थे, वैदिक भाषा आदिम थी, वैदिक धर्म आदिम था और इसी को मिलाकर वे ऐसी किसी भी भाषा, धर्म एवम् काव्य से पुराने थे जिनका पता अब तक हमें लग सका है।

वैदिक साहित्य को ऐतिहासिक महत्त्व देने में जब कोई आपत्ति नहीं मिल सकती तो भी अकारण आलोचकों ने एक महती और अन्तिम आपत्ति उठायी। वे लोगों ने बल देकर कहना प्रारम्भ किया कि वैदिक काव्य यदि सम्पूर्ण रूपेण विदेशी नहीं है तो उस पर विदेशी प्रभाव और विशेषकर सेमेटिक प्रभाव तो अवश्य ही है। संस्कृत के विद्वानों ने वेद के अनेक आकर्षक तत्वों का वर्णन किया है। उन्हीं अनुसार वेद का सर्वाधिक आकर्षक तत्व यह है कि यह केवल धार्मिक विचारों

क्या वैदिक संस्कृति निषेधात्मक थी ?

१४६

अति प्राचीन स्थिति से ही हमें परिचित नहीं कराता वरन् वैदिक धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने अपने सम्पूर्ण विकास काल में कोई भी बाह्य प्रभाव नहीं ग्रहण किया तथा संसार के सभी धर्मों को तुलना में वह सर्वाधिक शतान्तरियों तक निर्वाध रूप से चलता रहा है। जहाँ तक प्रथम तत्व का प्रश्न है हम जानते हैं कि यही पता लगाना अति कष्टसाध्य है कि रोम के प्राचीन धर्म में कितने तत्व इटैलियन हैं तथा कितने यूनानी, यूट्रास्कन और फोनीशियन प्रभावों की तो बात ही छोड़ दीजिये। हम यह भी जानते हैं कि यदि हम ग्रीक धर्म पर विचार करना प्रारम्भ करें तो यह निश्चय करना कठिन हो जायगा कि उसमें कितना उनका स्वयम् घर का है और कितना मिश्र, फोनीशिया तथा सीरिया से आया है। उस धर्म में अनेक देशों के विचारों को किरणें स्पष्ट दिखायी पड़ती हैं। हिब्रू लोगों के धर्म में भी वेबीलोनियन तथा फोनीशियन प्रभाव स्पष्ट हैं और कालान्तर में उसमें पर्शियन प्रभाव भी स्पष्ट स्पष्ट परिलक्षित होने लगता है। समय की गति के साथ हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों अनेक देशों के विचारों का सम्मिश्रण होता जाता है और त्यों त्यों हमारे लिये यह निर्णय करना कठिन होता जाता है कि संसार की सम्मिलित बौद्धिक प्रगति में किस देश ने कितना योग दिया है। केवल भारत में ही, विशेषकर वैदिक भारत में ही हमें इस विशेषता के दर्शन होते हैं कि वहाँ का धार्मिक पोषा वहीं की भूमि में उगा है और उसने अपना समस्त पोषण वहीं की पृथ्वी एवम् वहीं की वायु से लिया है। चूँकि वैदिक धर्म बाह्य प्रभावों से एक दम वंचित रहा या यों कहना अधिक उपयुक्त होगा कि चूँकि वह बाह्य प्रभावों से पूर्ण रक्षित एवम् अछूता रहा अतः वह ऐसी सुशिक्षाओं से भरा पुरा है जैसी धर्म के छात्रों को अन्यत्र कहीं से भी नहीं मिल सकती।

अब देखना यह है कि वेद के आलचकों को इसके विरुद्ध क्या कहना है। जका कहना है कि वैदिक ऋचाओं में वेबिलोनियन प्रभाव अति स्पष्ट है। इस बात को निराधार सिद्ध करने के लिए हमें कुछ विस्तार में जाना पड़ेगा। क्योंकि देखने में यद्यपि यह आपत्ति छोटी है परन्तु इसके परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

ऋग्वेद में एक ऋचा है जिसका अनुवाद इस प्रकार है :—हे इन्द्र तुम मुझे एक उज्ज्वल रत्न दो, एक गऊ दो, आभूषण दो और साथ में ही एक सोने का मन दो।”

यह सोने का ‘मन’ क्या है ? यह शब्द वेद में अकेला फिर कभी नहीं प्रयुक्त हुआ है। वेद के विद्वानों ने इसे लैटिन मिना से सम्बद्ध किया है, ग्रीक भाषा का ‘मिना’ तथा फोनीशियन भाषा का ‘मानाह’ भी इसी के समान है। ये एक प्रकार

के बांट हैं जो बृटिश म्यूजियम में रखे जाने के लिए बेविलोनिया तथा निनेवेह लाये गये हैं।

यदि विद्वानों द्वारा जोड़े गये उपरोक्त सम्बन्ध को मान लिया जाय तो यह बात पूर्णतः सिद्ध हो जायगी कि उस समय से भारत में तथा बेविलोन में व्यापारिक सम्बन्ध थे, यद्यपि इसको मान लेने के बाद भी वैदिक साहित्य एक विचार पर सेमेटिक प्रभाव नहीं सिद्ध होता। परन्तु ऐसा व्यापारिक सम्बन्ध होने की बात तो कभी प्रमाणित नहीं हुई। जिस ऋचा का अनुवाद ऊपर की पंक्तियों में दिया गया है उसमें 'मन' शब्द को अर्थसंगति समझ पाना कठिन है, साथ ही ऋके में यह शब्द एक ही बार प्रयुक्त भी हुआ है। मेरा विचार है कि इस स्थान पर 'मन हिरण्य' का अर्थ होना चाहिये 'सोने का भुजबन्ध।' यह मान लेना ऐतिहासिक आलोचना सिद्धान्त के एकदम अप्रतिकूल होगा कि भारतीयों ने एक शब्द और भी एक बार ही प्रयोग करने के लिए बेविलोन की व्यापारिक भाषा से लिया। पुरे संस्कृत साहित्य में 'मन' शब्द का प्रयोग फिर से नहीं हुआ है। पुरे संस्कृत साहित्य में किसी अन्य बेविलोनियन बांट का नाम नहीं आया और यह भी सम्भव नहीं प्रतीत होता कि मांगने वाले ने गाय, घोड़ा के साथ एक विदेशी बांट के बराबर सोना भी मांगा जो प्रायः साठ गिनी के बराबर होता है।

परन्तु केवल इतने ही कर्ज की बात थोड़े ही कही गयी है। भारतीयों ने बेविलोनिया वालों से और भी कुछ लिया है ऐसा आलोचकों का मत है। लोगों का कहना है कि चन्द्र राशिमाला के भारत में सत्ताईस नक्षत्र माने जाते हैं। सत्ताईस नक्षत्रों में यह राशि-माला भारतीयों ने यूनान बेविलोन से लिया * है। अब आप लोग देखें कि बेविलोन की राशि माला सूर्य पर आधारित थी। अत्यधिक शोध किए गये हैं, क्यूने

* इस विषय में कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मत विचारणीय हैं।

'हिन्दुओं का क्रांति मंडल जान पड़ता है इन्हीं का है। अरब वालों ने इसे भारत से लिया—' कोल ब्रुक ने सन् १८०७ में स्थिर किया कि हिन्दू नक्षत्र और अरब मंजिल (नक्षत्र) चीन से लिए गये हैं' प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान बिस्ट ने सन् १८६० ई. में लिखा है कि, 'चीन की सिद्ध प्रणाली (नक्षत्र प्रणाली) चीन की ही है'—जर्मन विद्वान् लाकेन।

'अरब मंजिल अरबों ने भारत से लिया' प्रोफेसर वेबर ने १८६०, ६१ में प्रमाणित किया।

'हिन्दू लोग इस प्रकृति के नहीं थे कि आकाश की वे सब बातें देखते और राशि चक्र स्थिर करते—' अमेरिका के प्रोफेसर क्लिटने।

मार्गों में कितनी ही अन्य वस्तुओं का पता लगा परन्तु बेबिलोन में चन्द्र राशि वाला बेबिलोनियन मन वालों में भी प्रचलित थी, तो भी यह मानने का कोई कारण नहीं दिखायी पड़ता कि आकाश को २७ भागों में बांटने की सामान्य बात को भारतीयों ने बेबिलोन से लिया। यह बात सभी जानते मानते हैं कि वैदिक यज्ञ यज्ञादिक पूर्व की अपेक्षा पर ही अधिक निर्भर करते हैं। एक वैदिक ऋषि का ही कथन है कि उसने चन्द्रमा की नियुक्ति ऋतु निर्णय के लिये की, सूर्य उसको अस्त होते देखता है। वेदों की ही एक ऋचा में सूर्य और चन्द्रमा को सम्बोधित किया गया है 'वे अपनी शक्ति से चलते हैं, एक दूसरे के बाद चलते हैं (या पूर्व से पश्चिम को चलते हैं)। चलते हुये शिशुओं के समान वे यज्ञ के चतुर्दिक् घूमते हैं। एक तो सदैव ही संसारों को देखा करता है और दूसरा बार बार जन्म लेकर ऋतुओं का निर्धारण करता है। 'जब वह जन्म लेता है तो प्रतिदिन नवीन सा दिखायी पड़ता है। दिन की रचना सा देता हुआ वह ऊषा के पूर्व ही चल देता है। अपने आगमन से वह देवताओं का यज्ञ भाग निर्धारित करता है। चन्द्रमा लम्बी आयु का देने वाला है।'

इससे यह पता चलता है कि हिन्दुओं के मतानुसार चन्द्रमा ही ऋतुओं का निर्धारक है वह देवताओं के यज्ञ भाग का निर्धारक है। वास्तविक बात यह है कि प्राचीन काल के हिन्दुओं के मस्तिष्क में यज्ञों का एवम् ऋतुओं का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध बन गया था कि उन्होंने यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ऋत्विज (ऋतुओं के अनुसार यज्ञ कराने वाला) भी कहना प्रारम्भ कर दिया और यह नाम पुरोहित के सामान्य नामों में से हो गया।

वेद में ऐसे यज्ञों का विधान है जो नित्य प्रातः और सायम् किए जाते हैं जैसे विमहायज्ञ या अग्निहोत्र। इनके अतिरिक्त ऐसे भी यज्ञों का विधान है जो शुक्ल पक्ष में द्वितीया तथा पूर्णिमा को किये जाते हैं। फिर ऋतुओं के अनुसार किए जाने वाले यज्ञों का विधान है। प्रत्येक ऋतु में चार महीने होते हैं। अर्द्धवार्षिक यज्ञों का विधान है जो दोनों संक्रान्तियों (कर्क और मकर) पर होते हैं। उनमें और भी कितने प्रकार के यज्ञों का विधान है जिनमें से कुछ ऋतु (२ मास की) में होते हैं जब जो गेहूँ के पकने का समय है और कुछ शरद ऋतु में होते हैं जब चावल के पकने का समय होता है।

आप तनिक विचार करें। हिन्दू लोगों के सर्वथा नवीन समाज की रचना प्रारम्भ हो रही थी। उनकी समझ में विभिन्न देवता ही विभिन्न ऋतुओं के रक्षक थे। प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ में रक्षक देवता के लिए यज्ञ करने का विधान बनाया गया। यही देवता शान्ति और कानून के रक्षक भी माने जाते थे। कहने का तात्पर्य

यह है कि हिन्दुओं ने ऋतु व्यवस्था को ही एक प्रकार से सामाजिक संगठन का आधार बनाया था परन्तु उनकी इस व्यवस्था को देखकर कभी कभी तो यह कह पाना कठिन हो जाता है कि इन नात्ता प्रकार के यज्ञों के विधान में देव पूजा का उद्देश्य प्रमुख था या वार्षिक प्रज्ञाग निर्माण करने का ।

आप लोग जानते हैं कि चन्द्रमा के भ्रमण मार्ग को सत्ताईस भागों में बाँट नक्षत्रों की कल्पना की गयी है । ऐसी दशा में दिन, पक्ष, मास तथा ऋतुओं को जानने का सर्वाधिक सरल उपाय यही तो था कि प्रतिदिन चन्द्रमा के उदय स्थान को ही स्थान मान लिया जाय और उसे एक नक्षत्र की संज्ञा दे दी जाय । यही तो स्वाभाविक था । अब आप पूछना चाहेंगे कि उन लोगों ने सूर्य भ्रमण पथ का सहारा क्यों नहीं लिया ? बात यह है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक तो हम सूर्य के अतिरिक्त किसी तारा या तारक पुंज को देख नहीं पाते तो स्थान निर्धारण कैसे सम्भव होता ? उदात्त निरीक्षक के लिये यह निश्चित कर पाना तो असम्भव ही था कि किस दिन आकाश के किस स्थान में सूर्योदय या सूर्यास्त हुआ । चन्द्रोदय चूँकि रात में होता है अतः उस स्थान निर्धारित करना अपेक्षा कृत सरल है क्योंकि चन्द्रोदय जहाँ भी होगा वहाँ उसके आस पास कोई तारा अवश्य ही मिल जायगा । ऐसी दशा में पूरे भ्रमण पथ को घड़ी का डायल चन्द्रमा को घड़ी की सुई और उन सत्ताईस नक्षत्रों को अंक मान लें तो हमारा काम चल जाता है । इतनी कल्पना से ही हमारे दिन, पक्ष, मास, ऋतु सभी को निर्धारण हो जाता है । चन्द्रोदय तक के दिनों की गणना करना जो प्रारम्भिक जनों के लिए भी कठिन जान पड़ा होगा । उन्हें इतना ही तो करना था कि वे आकाश मंडल में सत्ताईस स्थान नियत कर लें और वहीं के समोपस्थ तारे को भी वही पत्थर मान लें । फिर जिस किसी भी ग्रह नक्षत्र की गति का निर्धारण हो, उसकी गति को इन्हीं चिह्नों से निर्धारण कर लें । यदि एक मकान के चतुर्दिक् एक बड़ा वृत्त बना कर उसके सत्ताईस समभाग करके प्रत्येक विभाजक बिन्दु पर एक खम्भा गाड़ दिया जाय तो यह आदिम वैदिक निरीक्षण शाला का सुन्दर नमूना हो जायगा । इसके मस्बोत उन्हें इतना ही देखना शेष रह गया कि किसी विशेष दिन को चन्द्रमा (बाद में सूर्य का हिसाब भी उसी ढङ्ग से लगाया जाने लगा) किन दो खम्भों के बीच अस्त हुआ इसमें इतने ही नियंत्रण की आवश्यकता है कि निरीक्षक अपना स्थान न बदलें ।

यदि हम यह जानना चाहें कि अति प्रारम्भिक काल में हमारी दिन, मास, ऋतु गणना किसी प्रकार प्रारम्भ हुई थी तो हमारी नक्षत्र शास्त्र की उपरोक्त कल्पना अत्यधिक अपूर्ण न होगी । वास्तविकता यह है कि तत्कालीन विद्वानों ने हमें अत्यधिक आशा नहीं करना चाहिए । आज का एक सामान्य चरवाहा भी सूर्य

क्या वैदिक संस्कृति निषेधात्मक थी ?

१५३

चन्द्रमा, सितारों एवम् ऋतुओं के विषय में जानता है, उससे अधिक तत्कालीन विद्वान् शायद ही जानते रहे होंगे। वे लोग उन्हीं तथ्यों का निरीक्षण करते थे, जो उनके लिए अत्यावश्यक थे। अतः किसी अनावश्यक आकाशीय तत्व के निरीक्षण की भाषा उनसे नहीं की जानी चाहिये।

यदि भारत में ही रहकर हम चन्द्रमा के उदय एवम् अस्त होने वाले स्थानों की समीपस्थ तारे की सहायता से निश्चित कर सकते थे, चन्द्रमा के समस्त पथ को इस प्रकार सत्ताईस भागों में बाँट सकते थे, और प्रत्येक स्थान का नामकरण भी कर सकते थे या दूसरी तरफ यदि चन्द्रमा को सत्ताईस भागों में बाँटे बिना वैदिक ग्रन्थों का विधान ही नहीं किया जा सकता था तो यह परिकल्पना तो एकदम अज्ञान-पूर्ण होगी कि इस सामान्य से कार्य के लिये भारतीय ऋषि बेबिलोनिया में गये, वहाँ की भाषा से उनका परिचय भी नहीं था, जहाँ से उनका व्यापारिक सम्बन्ध भी नहीं था। वहाँ जाकर उन्होंने बेबिलोनिया के नक्षत्रशास्त्र को सीखा; सीख कर आये तब भारत में उसका प्रचार हुआ और तब भारतीय ग्रन्थों का विधान किया गया और उसके पश्चात् उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की। हमको यह कभी भी न भूलना चाहिये कि जो बात एक देश में स्वाभाविक है वही बात दूसरे देश में भी स्वाभाविक हो सकती है। ऐसी दशा में जब तक कोई विश्वासनीय प्रमाण न मिले तब तक हम ऐसा क्यों मान बैठें कि भारत का वेद कालीन नक्षत्रशास्त्र विदेश से आया था या विदेश से प्रभावित था।

इस विषय के जितने भी अनुरागी हैं वे जानते हैं कि अरबों में अट्ठाईस गिल्लों (नक्षत्र) होती हैं। ऐसी दशा में ऐसा न मानने का कोई कारण नहीं मिलता कि जिस तथ्य को हजरत मुहम्मद देख सकते थे, उसे भारतीय भी देख सकते थे। मैं यह स्वीकार करता हूँ और मि० कॉलब्रुक का भी यही मत है कि अरब वालों ने गिल्लों (नक्षत्रों) का निर्धारण भारत से ही लिया।

चीनियों ने भी चन्द्रभ्रमण पथ में स्थान-निर्धारण किया था। पहले उनके स्थानों की संख्या चौबीस थी और कालान्तर में यही संख्या बढ़ाकर अट्ठाईस कर दिया गया। इस स्थान पर भी हमें बियाट लासेन तथा कुछ दूसरे विद्वानों की हानि में ही मिलाकर ऐसा नहीं मान लेना चाहिये कि भारतीयों ने चीन में जाकर इस विधान को सीखा। चीन वालों ने २४ से शुरू किया था और २८ तक पहुँचे। हिन्दुओं ने सत्ताईस से शुरू किया और अट्ठाईस तक पहुँचे। चीनियों के अट्ठाईस नक्षत्रों में से कुछ ही ऐसे हैं, जिनका साम्य भारतीय नक्षत्रों से है। यदि कोई विदेशी वैज्ञानिक नक्षत्रों को अपनी प्रणाली में अपनायी जाती है तो खण्ड रूप में नहीं वरन् सम्पूर्ण रूप में अपनायी जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय एवम् चीनियों के बीच आज से तीन हजार वर्षों पूर्व

आवागमन भी नहीं था। तब उन्होंने चीनियों की प्रणाली को कैसे अपनाया। जैसा साहित्य में ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के पूर्व भारत का नाम भी नहीं आया है। परवर्ती संस्कृत साहित्य में आया हुआ चिनास शब्द यदि चीनियों के ही लिये आया हो (जो विवादास्पद है) तो भी यह एक महत्वपूर्ण एवम् इसीलिए विचारणीय तथ्य है कि वैदिक साहित्य में यह शब्द एक बार भी नहीं प्रत्युक्त हुआ।

जब यह बात स्वीकार की जा चुकी कि ईसा पूर्व से एक हजार पूर्व तक भारतीयों एवम् चीनियों में आवागमन नहीं था तो आलोचकों ने एक और पक्ष बदला। उन्होंने कहा कि यह विद्या चीन से सीधे भारत में नहीं आयी। वहाँ के ग्यारह सौ वर्ष ईसा पूर्व में वह पश्चिम एशिया में पहुंची और या तो सेमेटिक जातियों ने इसे अपने में प्रचलित किया या ईरानियों ने। आलोचकों का यह भी कहना है कि इन नवीन जाति के लोगों ने इस प्रणाली को एक नवीन रूप दिया, जिसमें निरीक्षण के नियमों में पहले से कम वैज्ञानिक थे। चन्द्रमा के उदय एवम् अस्त के स्थान के समीप में उन्होंने तारों का निर्धारण करने के स्थान पर तारकपुञ्जों का निर्धारण किया। कई मामलों में तो उन्होंने उन स्थानों के निर्धारण में भी परिवर्तन कर दिया ताकि वे लोग इन्हीं के सहारे क्रान्तिवृत्तीय ग्रहपथ भी निर्धारित कर सकें। इसी सिलसिले में हिन्दुओं ने इसे ग्रहण किया। उन्हीं लोगों का यह भी कहना है कि भारतीयों को ग्रहों एवम् उनके पथों का ज्ञान चूँकि पहिले से था अतः उक्त प्रणाली को सुधार कर हिन्दुओं ने उसे पूर्णतः अपना बना लिया और तभी से इसे अरबों ने सीखा। मैं उन नक्षत्र शास्त्रियों के प्रति पूर्ण सम्मान प्रगट करता हूँ जिन्होंने उपरोक्त मत प्रगट किया है, फिर भी मैं कहूँगा कि यह सब कुछ काल्पनिक है, पूर्ण काल्पनिक और काल्पनिक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस मत का समर्थन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। श्री कोलब्रुक ने कहा है कि 'भारतीयों ने समय की गणना करने के लिए उस प्रारम्भिक काल में भी आवश्यक नक्षत्र शास्त्र की कल्पना कर लिया था।' उनके इस मत से असहमत होने का कोई भी आधार कहीं भी नहीं मिलता। उन्होंने ही आगे कहा कि 'हिन्दुओं का समय चक्र (वह धार्मिक रहा हो या सामाजिक) अधिकांश में सूर्य और चन्द्रमा पर आधारित था, उन्होंने इन तेजोमय पिण्डों का पूर्ण निरीक्षण किया था और इस निरीक्षण में उन्हें इतनी सफलता मिली थी कि चन्द्रमा के भ्रमणपथ का जितना सही निर्धारण उन्होंने किया वैसा यूनायटेड लोग कभी भी नहीं कर सके। उन्होंने समूचे क्रान्ति वृत्त को सत्ताईस और अठ्ठाईस भागों में विभक्त किया था और यही उनका एक दिन था। उनके इसी विभाजन के अरब वालों ने ग्रहण किया।

वैदिक साहित्य में दी गयी जलप्लावन की कथा के कारण भी बहुत से लोग

क्या वैदिक संस्कृति निषेधात्मक थी ?

१५५

का कहना है कि वैदिक साहित्य पर बेविलोन का या सेमेटिक प्रभाव स्पष्ट है। हम लोग संक्षेप में इस धारणा पर भी विचार करेंगे।

आप सभी लोग जानते हैं कि संसार की जितनी भी जातियाँ हैं सभी में जल-प्लावन की कथा किसी न किसी रूप में प्रचलित है। ऐसी कल्पना तो हम नहीं कर सकते कि यह कथा एक जाति ने किसी दूसरे जाति से ग्रहण की होगी, परन्तु सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि वैदिक ऋचाओं में न तो किसी सार्वदेशिक जलप्लावन की, न ही किसी स्थानीय जलप्लावन की, यद्यपि परवर्ती साहित्य में यह कथा अनेक बार अनेक उद्देश्यों से आती है। पुराणों में तो इस कथा को पूरा महत्व दिया गया है और यह कथा भारतीयों के धार्मिक विश्वास का एक मात्र मुख्य अंग बन गयी है।

विष्णु के अवतारों की संख्या दस है। उसमें से तीन अवतार हैं मच्छ, कच्छ और वाराह के। इन तीनों ही अवतारों में भगवान विष्णु के जलप्लावन से मानव जाति की रक्षा की है।

ऐसी स्थिति में यह परिणाम निकाला जा सकता है कि जलप्लावन की कथा हिन्दुओं ने कहीं बाहर से ली है।

जब वैदिक साहित्य का ज्ञान अधिकांश लोगों को हो गया था उसके बाद बर्षात् ब्राह्मण ग्रंथों के लिखे जाने के समय यह कथा भारत में आयी। ब्राह्मण ग्रंथों में न केवल मनु और मत्स्य की कथा है वरन् कच्छप और वाराहावतार की भी कथाएँ हैं। इनसे एक बात तो साफ प्रगट हो जाती है कि भारतीयों ने इन कथाओं को तो बाहर से नहीं ही लिया। मैं आप लोगों के समक्ष जलप्लावन की कथा के कुछ विशिष्ट अंश रखूँगा। यह कथा सतपथ ब्राह्मण में दो गयी है। इन अंशों के प्रकाश में आप स्वयम् निर्णय कर सकते हैं कि सतपथ ब्राह्मण की कथा में तथा जेनेसिस* में दो गयी कथा में कितना और क्या साम्य है। इसी से आप इस धारणा के भी सत्यापन का निर्णय कर सकेंगे कि हिन्दुओं ने जलप्लावन की कथा को सेमेटिक पड़ोसियों से सीखा।

सतपथ ब्राह्मण में (१,८,१) यह कथा इस प्रकार दो गयी है :—

१—‘जैसी कि हिन्दुओं में आज भी प्रथा है, मनु के हाथ धोने के लिये पानी लाया गया।

‘हाथ धोते समय उनके हाथ में एक मछली आ गयी।’

२—‘मछली ने मनु से कहा कि ‘आप मुझे रख लें, मैं आपको बचाऊँगी’

‘मनु ने कहा ‘किस विपत्ति से तू मुझे बचाएगी?’

* जेनेसिस— बाइबिल की प्रथम पुस्तक।

मछली ने कहा 'शोध ही बाढ़ आने वाली है, उसमें सभी प्राणी नष्ट हो जायेंगे मैं उस विपत्ति से आपकी रक्षा करूँगी।'

'मनु ने कहा 'मैं तुम्हें कैसे रक्खूँ ?'

३—'मछली ने कहा 'जब तक हम छोटी रहती हैं, हमारे विनाश को अधिक सम्भावना रहती है क्योंकि बड़ी मछलियाँ ही छोटी मछलियों को खा जाती हैं। अतः आप मुझे एक घड़े में रख दें। जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो आप एक गढ़े में पानी भर कर मुझे डाल दें। जब मैं और भी बड़ी हो जाऊँ तो आप मुझे समुद्र में डाल दें और तब तक मैं विनाश से बचने योग्य हो जाऊँगी।'

४—'वह मछली ऐसी जाति की थी जो शीघ्र बढ़ती है, अतः वह भी शोध ही बड़ी हो गयी। तब उसने कहा 'अमुक वर्ष में बाढ़ आवेगी। अतः आप एक नौका बना लें और जब नौका बन कर तैयार हो जाय तो आप मेरा ध्यान करें। जब बाढ़ आवे तो आप नौका में बैठ जायें। मैं आपकी रक्षा करूँगी।'

५—'मनु ने मछली को रक्षित रक्खा। नौका बना कर उन्होंने मछली का ध्यान किया। जब बाढ़ आयी तो वे नौका में बैठ गये। उसी समय मछली तैरती हुई वहाँ आयी। मनु ने नौका की रस्सी उसकी पूँछ से बाँध दी और वह उत्तर के पर्वतों की ओर चल पड़ी।'

६—'मछली ने कहा', मैंने आपको बचा दिया है। आप नौका को पेड़ से बाँध दें। आप पानी से सम्बन्ध बनाए रहें। जब पानी घटने लगे तो आप भी उसी के सहारे नीचे उतरते जायें। मनु ने वैसा ही किया। इस प्रकार तमाम प्राणियों में अकेले मनु ही शेष रह गये।

७—'जब मनु भगवान की प्रार्थना करते हुए इतस्ततः भ्रमण करने लगे। अकेलापन मिटाने के लिए उनके मन में संतान की इच्छा जागृत हुई। अतः उन्होंने पाक-यज्ञ करना आरम्भ किया। उन्होंने पानी में ही दुग्ध, दधि एवम् घी डालना प्रारम्भ किया। एक वर्ष बाद उसमें से एक स्त्री निकली। उसके वदन से पानी टपक रहा था और उसके चरणों में घी जम गया। मित्र और वरुण उस स्त्री से मिलने आये।

८—उन्होंने उस स्त्री से कहा, "तुम कौन हो?"

उसने कहा, "मैं मनु पुत्री हूँ।"

उन्होंने ने कहा, "तुम ऐसा कहो कि तुम हम लोगों की हो"

उसने कहा, "जिसने मुझे उत्पन्न किया है मैं उसी की हूँ"

तब उन्होंने उसे अपनी बहन बनाना चाहा। इस पर वह कुछ-कुछ राजी हुई, परन्तु फिर वह मनु के पास चली गई।

क्या वैदिक संस्कृति निषेधात्मक थी ?

१५७

६—मनु ने उससे कहा, “तू कौन है ?”

उसने कहा, “मैं आपकी पुत्री हूँ”

मनु ने कहा, तुम मेरी पुत्री कैसे हुई ?”

उसने उत्तर दिया, “आपने जो बलि पानी में डाली थी, उसी से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं यज्ञ-निःसृत स्वर्गीय प्रसाद हूँ। यदि आप मेरे साथ यज्ञ करें तो आपको बहुत से पशु और अनेक संततियाँ मिलेंगी। आप मुझसे जो भी माँगेंगे, वही पावेंगे”। मनु ने उसके साथ यज्ञ सम्पादन किया।

१०—‘मनु उसके साथ भ्रमण करते रहे। वे संतति की कामना से भ्रम भी करते जाते थे और प्रार्थना भी। उस स्त्री से जो संतति हुई वह मानव कहलायी। मनु ने उससे जो भी माँगा पाया। वह इड़ा थी। इड़ा को प्रसन्न रखकर जो मनुष्य यज्ञ करता है उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं।’

निस्सन्देह यह विवरण जलप्लावन का ही है और इस कथा से मनु का कार्य कुछ वैसा ही है जैसा ओल्डटेस्टामेंट के नोवा का, परन्तु यदि आप इनमें असमानताएँ देख रहे हैं तो असमानताओं का भी तो विचार करें। आप इन असमानताओं का क्या अर्थ लगावेंगे। यदि यह कथा हिन्दुओं ने सेमेटिक पड़ोसियों से लिया हो इतना तो स्पष्ट ही है कि उन लोगों ने ओल्डटेस्टामेंट से नहीं लिया, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये असमानताएँ क्यों होतीं। यह हो सकता है कि सेमेटिक जातियों के किसी और साधन से यह कथा ली गयी हो क्योंकि इसे अप्रमाणित करने का कोई साधन नहीं मिलता। यदि इस प्रकार का आदान सही भी होता तो यही एक ऐसा विवरण है जो संस्कृत ने सेमेटिक जातियों से लिया, परन्तु क्या इसीलिये समूचे साहित्य का महत्व कम कर देना ठीक होगा।

कच्छप और वाराहावतार की कथा का सम्बन्ध भी वैदिक साहित्य से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि तैत्तिरीय संहिता में लिखा है कि :—

‘पहले पृथ्वी पर पानी ही पानी था। कहीं किसी ठोस वस्तु का नाम तक न था। समस्त जीवों के स्वामी प्रजापति ने वायुरूप से संचरण किया। उन्होंने इस पृथ्वी को देखा और स्वयम् वाराह का रूप धारण कर उसे जल के ऊपर उठाया। समस्त भौतिक सृष्टियों की रचना करने वाले विश्वकर्मा के रूप में उन्होंने पृथ्वी को साफ किया। फिर चारों ओर भूमि ही भूमि दिखाई पड़ने लगी, जो अपने दीर्घ अस्तार के लिये पृथ्वी के नाम से पुकारी जाने लगी।’

सतपथ ब्राह्मण में भी कच्छपावतार की कथा की ओर संकेत करते हुए इस प्रकार लिखा है :—

‘कच्छप रूप धारण कर प्रजापति सब जीवों को पृथ्वी पर लाये, अर्थात्

उन्होंने इन सब की रचना की। इसीलिए उन्हें कर्म ही कहा जा सकता है। वे वास्तव में आदित्य थे।'

'कठोपनिषद् में भी एक वाक्य ('पानी ने सबका विनाश कर दिया था, केवल मनु रह गये थे') इस प्रकार का आया है, जिसका सम्बन्ध जलप्लावन से जोड़ा जा सकता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जल-प्लावन के बाद देवी सहायता से पृथ्वी पर पुनः सृष्टि होने की बात हिन्दुओं को ज्ञात थी और इसी ज्ञान को विष्णु के अवतारों से सम्बन्धित करके नयी कथाएँ गढ़ ली गयीं।

जब हम एक ही जलप्लावन के अनेक विवरणों का विश्लेषण करते हैं जो पृथ्वी की विभिन्न जातियों में विभिन्न रूप से प्रस्तुत किये गये थे तो हमें सरलता से यह बात ज्ञात हो जाती है कि ये विवरण किसी एक ही ऐतिहासिक घटना के नहीं हैं। हमें तो प्रतीत होती है कि मानों ये विवरण उन बाढ़ों के हैं कि प्रति वर्ष वर्षाकाल में उत्पात मचाया करती हैं।

यदि यह अनुमान सत्य हो तो हम सरलता से कह सकते हैं कि चूँकि बाढ़ें सभी देशों के लिए स्वाभाविक हैं, इसलिये विवरण में न्यूनाधिक समानता भी स्वाभाविक नहीं है। यदि यह सिद्ध भी कर दिया जाय कि जिस रूप में जलप्लावन की कथा भारतीयों में प्रचलित है वह विदेशी है तो भी उसका प्रभाव परवर्ती साहित्य पर हो पड़ेगा न कि ऋग्वेद की ऋचाओं पर।

भारत पर बेबिलोन का प्रभाव दिखाने के लिये और भी बातें कही गयी हैं परन्तु वे तो और भी आधारहीन हैं। हम देखते हैं कि जिस समय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उतने प्राचीन काल में भारत का सम्बन्ध न तो चीन से था और न पश्चिम, पार्थिया या बैक्ट्रिया से ही। मुझे तो इसी बात पर आश्चर्य होता है कि वेदों पर यहूदियों के प्रभाव की चर्चा क्यों नहीं की गयी, जब कि यहूदियों का आना जाना बराबर अफगानिस्तान तक होता रहता था।

प्राचीन भारतीय साहित्य पर विदेशी प्रभाव सिद्ध करने के लिये जितने तर्क दिये जा चुके हैं उन सब को कंसीटो पर कस लेने के पश्चात् अब हम इस स्थिति में आ गये हैं कि हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का बाह्य प्रभाव वैदिक भाषा साहित्य, धर्म या यज्ञ पर नहीं है। वह जिस किसी भी रूप में हमारे सामने है, उसका उसी रूप और उसी देश में विकास हुआ है जो उत्तर में अगम्य पर्वत श्रेणियों से, पश्चिम में सिंध तथा रेगिस्तान से, दक्षिण में अराब सागर से एवम् पूर्व में गंगा से पूर्णरूपेण रक्षित था। हमारे सामने एक ऐसा काव्य है जो वहीं जन्मा और वहीं विकसित हुआ। हिन्दू धर्म की भी यही स्थिति है। जो कुछ तत्कालीन मानव

क्या वैदिक संस्कृति निषेधात्मे थी ?

१५६

प्रतिष्ठा कर सका वह ज्यों का त्यों हमारे सामने है। इससे हमें पता चलता है कि विश्व की शेष जनसंख्या से सर्वथा अलग अलग रह कर तथा नाना प्रकार की पुविधाओं एवम् सौन्दर्यपूर्ण दृश्यों के बीच रह कर मानव जीवन का कैसा स्वर्गीय विकास हो सकता था। भारत अनुपम था, स्वर्गीय था और भारतीय ऋषियों ने उस अनुपम एवम् स्वर्गीय को सामान्य एवम् नारकीय * नहीं बनाया।



* इसी विषय पर लिखते हुए स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र दत्त ने अपने हिस्ट्री आफ सिविलिजेशन इन ऐनशिफ्ट इन्डिया में जो कुछ लिखा है, उसका अनुवाद इस प्रकार है 'जो बातें सुन्दर और आश्चर्य की थीं उन्हीं को भारतीय 'भार्यों ने धर्म का रूप माना। इसी काल के ऋषियों ने वे सूक्त बनाए जो ऋग्वेद नाम से जाना गया। विश्व की किसी जाति के साहित्य में ऐसा मनोहर या शिक्षाप्रद एवम्, अपूर्ण ग्रन्थ दूसरा नहीं है। ... इस ग्रन्थ से मनुष्य जाति के दार्शनिक इतिहास जानने वालों को मालूम होता है कि धार्मिक विश्वास और विचार कैसे पैदा हुए। ... उससे जाना जाता है कि मन सृष्टि देवता की ओर कैसे जाता है। ... वे विचारने लगे कि ये सब स्वर्गीय दृश्य सिर्फ उसी एक के काम हैं जो मन, वाणी से प्रगम है भगोचर है—' आर्य लोग और उनका साहित्य —अनुवादक

पाँचवाँ भाषण

वैदिक धर्म

यद्यपि ज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है जिस पर वैदिक साहित्य ने नया प्रकाश नहीं डाला हो और जिस पर उसने सर्वथा नवीन दृष्टिकोण न उपस्थापित किया हो, फिर भी धर्म एवम् पौराणिकता के सम्बन्ध में उसने जो प्रकाश दिया है उसके महत्व, उसकी नवीनता एवम् उसकी समृद्धि की तो उपमा ही नहीं है। इस भाषणमाला के शेष भाषणों में मैं इसी विषय को अपनाऊँगा। मैं ऐसा कुछ इसलिये कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के उस प्राचीन साहित्य में मेरी सर्वाधिक रुचि है जिसमें धर्म के मौलिक तत्वों की खोज की जा सकती है और कुछ इसलिये कर रहा हूँ कि मेरा विश्वास है कि हिन्दुओं के गम्भीरतम विश्वासों या यों कहिए कि सुदृढ़तम धार्मिक विश्वासों को पूरी तरह समझ पाने का एकमात्र साधन है वेद। इसी के प्रकाश में आधुनिक-हिन्दू-जन-जीवन भी समझा और समझाया जा सकता है। यह सत्य है कि आधुनिक ब्राह्मण धर्म के विषय में जो जानकारी तत्कालीन साहित्य से होगी वह अत्रान्त नहीं होगी, क्योंकि तब हमें यह असम्भव कल्पना करने पड़ेगी कि पिछले तीन हजार वर्षों में भारत और भारतीय पूरी तरह अपरिवर्तित रहे (ऐसा तो सोचा ही नहीं जा सकता, सोचा ही नहीं जाना चाहिये कि तीन हजार वर्षों के बीच भारतीय लोग समय प्रवाह से प्रभावित ही नहीं हुए। ऐसी सोचना सत्य से ज़तना हीन है जितनी दूर प्राचीन संस्कृत से आधुनिक बंगला भाषा है। बंगला एवम् संस्कृत का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि बंगला भाषा के तत्वों को समझने के लिये संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान अनिवार्य होगा। ठीक उसी प्रकार भारतीयों के इतिहास, धर्म, दर्शन कानून इत्यादि को समझने के लिये यह अनिवार्य है कि उनका अध्ययन वेद से प्रारम्भ किया जाय। बिना वेद के आधार के हिन्दू धर्म का पूर्ण ज्ञान असम्भव है।)

मुझे आज भी याद है कि कई वर्षों पूर्व जब मैंने ऋग्वेद के मूल की अपनी टिप्पणियों सहित प्रकाशित करना शुरू किया तो कुछ ऐसे भी विद्वान थे (जिनके

पूर्णतया निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता) जिन्होंने ने कहना प्रारम्भ किया कि वेद एक व्यर्थ का साहित्य है, स्वयम् भारत में भी इसे पढ़ने वाला तथा जानने वाला कोई नहीं है भले ही ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में वह गण्यमान्य हो और किसी भी मिशनरी या व्यक्ति के लिये इस विचार से वेद का अध्ययन व्यर्थ है कि वह इसके द्वारा भारतीय मस्तिष्क को प्रभावित करने की योग्यता प्राप्त कर सकेगा। लोगों का कहना था कि यदि पढ़ना ही है तो संस्कृत का परवर्ती साहित्य पढ़ना चाहिये जैसे मनुस्मृति, महाकाव्य और पुराण। लोगों का मत था कि अंगरेजों को वेद का अध्ययन जर्मनीवासियों के लिये ही छोड़ देना चाहिये। आज की कौन कहे यदि तीस वर्षों पूर्व भी ऐसी बातें कही गयी होती तो भी उनका मूल्य न होता क्योंकि चाहे मनुका धर्म शास्त्र हो या महाभारत, या कोई पुराण, उन सभी में वेदों की चर्चा हुई है और उन सभी ने मुक्त कंठ से वेद को सर्वोच्च धार्मिक ग्रन्थ माना है। मनु ने स्वयम् कहा है 'जो ब्राह्मण, वेद ज्ञान नहीं रखता वह अग्नि पर रखो हुई घास के समान जल जाता है, जो द्विज (ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य) वेद का अध्ययन नहीं करता तो वह और उसकी आने वाली सन्तान शूद्र जाति में हो जाते हैं।'

योरप में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर कीमत पर वेद का विरोध करते हैं। उनके ब्राह्मण-विरोध की तो सोमा ही नहीं है। विद्वेष में अन्धे होकर वे कहते हैं कि भारतीय विचारों का इतिहास जानने के लिये वेद की कोई उपयोगिता नहीं है। और भी आगे बढ़कर उनका कहना है कि ब्राह्मण ने अपने सिवा सबके लिये वेदाध्ययन निषिद्ध कर रखा है। जानने वाले जानते हैं कि ब्राह्मण न केवल दूसरों द्वारा वेद के अध्ययन के विरोधी ही नहीं हैं वरन् उसके विपरीत वे सभी को वेदाध्ययन के लिये उत्साहित करते हैं। यद्यपि उनका यह प्रयत्न अधिकांश व्यर्थ ही जाता है फिर भी यह उनकी हार्दिक अभिलाषा रहती है कि लोग उनके पवित्र साहित्य को पढ़ें और उसमें रुचि लें। निस्सन्देह शूद्रों के लिये वेदाध्ययन अवश्य ही निषिद्ध था। पिछले अनुच्छेद में दिया गया मनु का उद्धरण ही यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि वेद न पढ़ने वालों को दंडभागी होना पड़ता था। विशेषकर क्षत्रियों और वैश्यों के लिये तो दंड व्यवस्था भी थी।

आधुनिक काल में भी ब्राह्मण जाति वेदों के अध्ययन में रुचि रखती है। मैंने तो अपनी टिप्पणियों सहित ऋग्वेद का संस्करण निकाला है, उसका ब्राह्मणों में खूब स्वागत हुआ है। जिस उमंग के साथ वे वेद के अध्ययन में लगे हैं और जिस विवेक और अदो से वे आज भी इस प्रयत्न में रत हैं कि वेद में निहित ज्ञान का उचित उपयोग होना चाहिये, उसको मैं प्रशंसा करता हूँ। मेरा तो ऐसा विचार है कि आज भी यदि कोई भारतीय विद्वान् वेद का अध्ययन नहीं करता तो उसकी प्रतिष्ठा

उसी हिब्रू विद्वान की सी होगी जो ओल्ड टेस्टामेंट से अपरिचित है ।

अब मैं आपके समक्ष वैदिक धर्म एवम् साहित्य की कुछ विशेषताएँ रखूँगा । वे थोड़ी हो सकती हैं और ये एक हजार सत्रह ‡ ऋचाएँ यद्यपि योजनाबद्ध रूप से नहीं रक्खी गयी हैं अतः मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि इनके सहारे आप उस स्वर्गीय दृश्य का पूर्ण अनुमान कर सकेंगे जिसमें रह कर भारतीय विद्वानों ने इनकी रचना की थी ।

यदि आप हमसे पूछ बैठें कि वैदिक धर्म एक देववादी है या बहुदेववादी तो इसका उत्तर दे सकना मेरे लिये कम कठिन नहीं होगा । एक देववाद का जो अर्थ लगाया जाता है, उस अर्थ में तो वैदिक धर्म एक देववादी नहीं है यद्यपि अनेक ऋचाएँ ऐसी हैं जिनमें एक देववाद की बात जितना बल देकर कही गयी है उतना बल देकर तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी नहीं कही गयी है । न्यूटेस्टामेंट एवम् कुरान की भी यही स्थिति है । एक वैदिक ऋषि का कथन है कि 'वह एक है, सन्त जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं जैसे अग्नि, यम, मातरिश्वन ।'

एक दूसरे ऋषि का कथन है 'बुद्धिमान अपने चुने हुए शब्दों से उसी की अभिव्यंजना करते हैं जो एकमेव है ।'

फिर हमें उस एकमात्र देव के लिये एक शब्द मिलता है 'हिरण्यगर्भ', चाहे इस शब्द का मूल जो कुछ भी हो । इस हिरण्यगर्भ के विषय में ऋषि का कथन है 'सृष्टि के अति प्रारम्भ काल में हिरण्यगर्भ ही प्रगट हुआ, वह तत्कालीन समस्त सृष्टि का स्वामी था । वहीं उसने पृथ्वी और आकाश को धारण किया । तब वह परमात्मा कौन है जिसे हम हयिष्य दें † ।' ऋषि के अनुसार वह हिरण्यगर्भ सभी भूतों का अकेला स्वामी है । इस प्रकार का सबल विश्वास न तो कुरान में ही है और न ओल्ड टेस्टामेंट में ही ।

यह सत्य है कि इस प्रकार की ऋचाएँ कम हैं और ऐसी ऋचाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है जिनमें अनेक देवों देवताओं की स्तुति की गयी है । कहीं-कहीं इन देवताओं की संख्या तैंतीस कही गयी है जिनमें ग्यारह देवता आकाश के, ग्यारह पृथ्वी के तथा ग्यारह जल के हैं—उस जल के जो बादलों में रहता है न कि पृथ्वी पर । इन तैंतीस देवताओं की पत्नियाँ भी हैं यद्यपि उन सभी का नामकरण नहीं हुआ है ।

‡ इन्हीं ऋचाओं के समूह को ऋग्वेद संहिता कहते हैं ।

—अनुवादक

† 'हिरण्यगर्भः समवर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीम्याभुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विभेम । पुरुष सूक्त ।

वैदिक धर्म

१६३

ऐसी बात नहीं है कि तैंतीस की संख्या में वेद के सभी देवता आ गये हों क्योंकि कुछ महत्व पूर्ण देवता जैसे अग्नि, सोम, मरुत्, अश्विन, ऊषा, सूर्य इत्यादि की गणना अलग से की गयी है। उसी प्रकार गणना करते करते एक ऋषि ने तीन हजार तीन सौ उन्तालीस देवताओं की गणना की है।

यदि एक देववाद या बहुदेववाद में निर्णय करना हो तो प्रथम दृष्टि में तो यही प्रतीत होगा कि वैदिक धर्म बहुदेववाद है, परन्तु बहुदेववाद से हम जो अर्थ लगाते हैं, उस अर्थ में यह शब्द वैदिक धर्म का विशेषण नहीं बन सकता। वास्तव में बहुदेववाद की विचार धारा हमने ग्रहण किया है रोम और यूनान से। हम ममभते हैं कि बहुदेव में देवताओं का एक संगठित रूप होता है, जिनमें प्रत्येक की शक्तिमाला दूसरे से भिन्न होती है और वे सब के सब उस परमेश्वर के सहायक हैं, जिसे वे जीअस या जुपिटर कहते हैं। वेदों का बहुदेववाद इससे भिन्न है। वह न केवल यूनानियों या रोम से भिन्न है वरन् वह पालिनेशियन, अमेरिकन तथा अफ्रीकन भावनाओं से भी भिन्न है और यह भिन्नता उसी प्रकार की है जैसे स्वशासनधिकार प्राप्त ग्रामों का स्वराजतंत्रीय शासन से भिन्न होता है। यदि हम गणतंत्रीय सिद्धान्त तथा राजतंत्र के विकास क्रम को देखें तो हम सहज ही जान जायेंगे कि इन तंत्रों का विकास कार्य ग्राम समूहों से ही आरम्भ हुआ है। यूनान में तो यह बात बड़ी ही स्पष्ट है कि जीअस जो जिस समय से परमेश्वर माना जाने लगा, उसके पूर्व वहाँ कुलीनतंत्र के समान ही अनेक देवताओं की गणना होती थी। यदि हम ट्यूटन जाति वालों का भी अध्ययन करें तो भी हम यही देखेंगे कि वहाँ भी पहले अनेक देवताओं की समानशक्ति पर लोगों का समान विश्वास था और फिर सर्व शक्ति सम्पन्न परमात्मा की कल्पना की गयी। कुलीन तंत्र के बाद राजतंत्र का उदय हो। वेद में भी विभिन्न देवों को परमात्मा मान कर विभिन्न सम्प्रदाय वाले पूजते हैं परन्तु उनकी प्रार्थनाओं, स्तवनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे एक ही देव की प्रार्थनाएँ हैं जो अलग अलग नामों से की गयी हैं। यदि वे अलग भी प्रतीत हों तो भी वे सब के सब एक ही पंक्ति में खड़े नै योग्य प्रतीत होंगे। उनमें न तो कोई प्रथम प्रतीत होगा और न कोई अन्तिम। कभी इस प्रकार की बात हुई भी तो कोई छोटे से छोटा देवता भी ऐसा होगा कभी न कभी प्रथम रहा हो। ऐसा हुआ है कि जिस ऋषि की श्रद्धा जिस देव हुई उसी की स्तुति में उसने उसे अनादि अनन्त, निर्गुण इत्यादि कहा। ऐसी स्तुति में भारत के बहुदेववाद को अन्य देशों के बहुदेववाद के अर्थ में नहीं लेना चाहिये। भारतीय बहुदेववाद को स्पष्ट करने की कोशिश मैंने ऊपर की पंक्तियों में की है। भारत का एक देववाद या एकेश्वरवाद इस प्रकार समझा जा सकता है कि कि हिन्दू मानता तो अनेक देवों को है परन्तु प्रत्येक वर्ग सम्प्रदाय का एक न एक

देवता ऐसा अवश्य होता है जिसमें सर्वशक्तिशाली परमात्मा के सभी-गुण आरोपित होते हैं। अर्थात् हम भारत के एकेस्वरवाद को हेनोथिज्म (बिना अन्य देवों के अविश्वास किये ही एक देवता को परमपिता परमेश्वर मानना) का नाम दे सकते हैं। मेरा विचार है कि वह शब्द भारतीय एकेस्वरवाद की पूर्ण अभिव्यंजना करता है, यह सत्य है कि इस प्रकार के शोध कार्यों में हमें नाम के पीछे हैरान नहीं होना चाहिये परन्तु शब्दों के अर्थ देश काल के अनुसार चूँकि बदलते रहते हैं इसलिये हमें इतनी विवेचना करनी पड़ी। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार के अर्थान्तर अनिवार्य होते हैं परन्तु कितनी ही बार इन अर्थान्तरों के कारण मूल्य बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उदाहरण के लिये वेद में ही एक ऋचा सिध की प्रार्थना में कही गयी है साथ ही उसमें गिरे वाली नदियों की भी प्रार्थना की गयी है। मैं इसका अर्थ आपके सामने रखूँगा, क्योंकि इससे वैदिक कालीन भूगोल पर उपयोगी प्रकाश पड़ता है। इससे हमें उस समूचे देश का ज्ञान होता है जिसमें निवास करते हुए वैदिक ऋषियों का ध्यान उस सर्वोच्च सत्ता की ओर रखा था। भारतीय ऋषियों ने इन नदियों को देवता का स्वरूप दिया है। यूरोपियन अनुवादकों ने भी इन्हें देवता ही मान कर इसका अनुवाद किया है, परन्तु इस अनुवाद को पढ़ते समय हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देवता यूनानियों के नदियों के देवता से सर्वथा भिन्न हैं।

जो बात इन नदियों के विषय में सत्य है वही बात उन सभी तत्वों के विषय में सही है, जिनकी पूजा भारतीय लोग करते हैं। जो इंद्रियों से अनुभव में आता है, जिसकी कल्पना की जा सकती है और जो कुछ भी समझ में आने योग्य है भारतीयों ने उन सबकी उपासना की है। वे सब वस्तुएँ हैं, दृश्य हैं, कारण हैं। इन वस्तुओं, कारणों, एवम् दृश्यों ने वैदिक ऋषियों के मानस को उद्वेलित किया और उन्होंने इनकी प्रशंसा में ऋचाओं की रचना कर डाली। एक भारतीय धर्म तत्त्ववेत्ता का है कथन है कि देवी और देवता से हमारा अर्थ काव्य विषयों से है और ऋषि का अर्थ है वैदिक कवि।

वास्तव में वैदिक देवों को समझने के लिए वैदिक प्रणाली ही एक मात्र प्रणाली है। किसी अन्य प्रणाली से उसका स्पष्टीकरण सम्भव ही नहीं है। उसका एक मात्र कारण यही है कि वैदिक ऋचाएँ मानस से सीधी निकली हैं, उसमें कुछ सौंख्य विचार नहीं है। इनकी रचना न तो सुनियोजित ढङ्ग से हुई है और न ही उनका स्पष्टीकरण किसी भी सुनियोजित ढङ्ग से हो सकता है। ४००० वर्ष ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण लेखक हुए हैं, उन्हीं का अनुसरण करके हम वेदों का कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे वेदाध्यायियों के विषय में बताया है जो पृथ्वी पर केवल तीन देवताओं की ही गणना करते थे, यथा वायु और इन्द्र

ऋषियों के देवता हैं और हवा में जिनका निवास है तथा सूर्य जिसका स्थान आकाश में है। उनका कहना है कि कालान्तर में इन्हीं तीनों देवों को अनेक-अनेक नामों से पुकारा गया। ये नाम या तो उन देवों के महात्म्य के कारण पड़े या उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की विविधता के कारण। जिस प्रकार एक ही पुरोहित कभी प्राचार्य होता है, कभी ब्रह्मा; कभी ऋत्विज कभी गुरु।

वैदिक देवताओं को समझने के उपरोक्त दृष्टिकोण अनेकों दृष्टिकोणों में एक है। यद्यपि यह दृष्टिकोण अत्यधिक संकुचित है फिर भी इसमें कुछ न कुछ सत्य का संशय है। यास्क नामक विद्वान् के मतानुसार भी वैदिक देवताओं का एक प्रकार का उपयोगी विभाजन हो सकता है और वह किया भी गया है। यास्क के अनुसार ये देवता तीन प्रकार के हैं। (१) पृथ्वी के देव या भौतिक (२) वायु में रहने वाले (३) आकाश में रहने वाले। यदि वैदिक ऋषियों ने प्रकृति के माध्यम से उस जगन्निघन्ता को सीलाओं के कारण रूप से उसके शक्ति प्रकाशन के तीन केन्द्रों अर्थात् पृथ्वी वायु आकाश की कल्पना की तो हमें उनकी कल्पना शक्ति की प्रशंसा करनी पड़ेगी। यदि ज्ञान की आदिम स्थिति में वैदिक ऋषियों ने इतना चिन्तन कर लिया था कि वह परम पिता अपनी शक्तियों का प्रदर्शन पृथ्वी वायु और आकाश को केन्द्र बना कर करता है तो वे प्रशंसा के पात्र हैं।

इतना कह चुकने पर भी यास्क को प्रतीत हुआ कि उसका तीन केन्द्रों वाला नियम शायद वैदिक देवों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए काफी नहीं है, उसलिये उसने आगे चल कर कहा है कि 'यह भी हो सकता है कि, ये सब देवता अस्पष्टतया एक या दूसरे से अलग हों क्योंकि जो प्रार्थनाएँ की गयी हैं वे उनका अलग-अलग किस्म का विवरण देती हैं और उनके नाम भी अलग-अलग हैं।' यह बात भी उचित प्रतीत होती है। प्रकृति ने जिन-जिन रूपों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उन रूपों का अलग-अलग नाम रख लिया गया है और उन ऋषियों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि यद्यपि ये नाम केवल नाम मात्र हैं और जिसके ये नाम हैं वह एक है और केवल एक है, परन्तु इन नामों की पूजा करने वाले साधारण जनों का विश्वास और ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा नहीं था कि वे इस बहुतत्त्व में एकत्व की बात सोच सकें। अतएव वे बहुदेववाद का ही सहारा लेते थे। वैदिक धर्म के धार्मिक विचारों की यही विचित्र स्थिति थी और इसी विचित्रता का अध्ययन हम वेद में कर सकते हैं कि उसी एक परमेश्वर की इतने अधिक रूपों में कल्पना की गयी थी और कितनी ही बार ऐसा भी हुआ है कि एक ही प्रकार के कामों को कर्ता के रूप में कई देवताओं का नाम लिया गया है। परन्तु न तो उनकी अलग व्यवस्था ही है जिससे वे एक दूसरे से भिन्न किए जा सकें और न उन सबको सामूहिक रूप से उस परमेश्वर का सहायक ही माना

गया था ।

इस प्रकार वैदिक देवताओं का तीन भागों में विभाजन मान कर हम पहले पृथ्वीवासी देवताओं का विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

उन पर और कुछ कहने के पूर्व हम उन दो उपादानों पर विचार करेंगे, जिनकी पूजा वैदिक ऋषियों ने सर्वप्रथम प्रारम्भ किया था । उनकी दृष्टि एवम् चिन्ता सर्वप्रथम जिन भौतिक उपादानों पर पड़ी वे थे धरती और आकाश, आकाश और धरती । इस युग को उन्होंने स्वर्गीय दम्पत्ति के रूप में लिया* । केवल भारत के ही नहीं अपितु संसार के सभी बर्बर, अर्द्धसभ्य, या सभ्य जातियों की दृष्टि इस युग पर गयी है, उन्होंने उस पर विचार किया है, उसका रूप स्थिर किया है और कवियों ने उन पर कविताएँ की हैं । उनकी स्पष्ट कल्पनाएँ संसार की सभ्य जातियों में मिलती हैं । यह एक आश्चर्य की बात है कि पहले धरती और आकाश की अलग-अलग कल्पना की गयी और फिर बाद में उनको युग्म अर्थात् रूप में कल्पित करके कहा गया कि ये दोनों ही समूचे ब्रह्मांड को घेरे हुए हैं । इस बात की कल्पना में भावात्मकता अत्यधिक है और प्रत्यक्ष नहीं के बराबर । वर्षा, अग्नि, चपला तथा सूर्य की कल्पना भी भाव रूप ही है प्रत्यक्ष नहीं किन्तु धरती और आकाश की युग्म रूप में कल्पना करना तो विस्मयजनक है ।

धरती और आकाश का जैसा वर्णन वेद में किया गया है, उससे हमें वस्तु स्थिति को स्पष्टतया समझने में सहायता मिलेगी । इसी से हमें भारतीय पौराणिक गाथाओं एवम् अन्य जातियों की धार्मिक गाथाओं का अन्तर भी समझ में आ सकता है, परन्तु इसको समझाना अवश्य ही कठिन होगा । हमारे एक मित्र हैं रेवरेंड विलियम वाय-टगिल जो पालीनेशिया द्वीप समूह के अन्तर्गत मांजोइया नामक टापू में काफी अधिक दिनों तक धर्म प्रचारक के रूप में कार्य कर चुके हैं । उन्होंने पिछले वर्षों एक पुस्तक प्रकाशित की है । मैं उसी पुस्तक के कुछ अंशों को आपके समक्ष रखूंगा, परन्तु उसके पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहूंगा कि पालीनेशिया द्वीप समूह एक वेदी के रूप में चौथाई गोलाई को घेरे हुए है किन्तु उन सभी की भाषा एक है । धर्म एक है, तथा उनकी गायत्रि परम्पराएँ भी एक हैं । उस पुस्तक का नाम है 'मिथ्स ऐंड सांक्स आफ साउथ पैसिफिक' और यह धर्म एवम् पौराणिकता में रुचि रखने वालों के लिए परमोपयोगी है । मि० गिल ने जो कथा लिखी है वह इस प्रकार है :

'आकाश ठोम नीले पत्थरों का बना है । एक समय ऐसा भी था जब आकाश पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ था । और वह टीव (एक छः फुट तक की ऊँचाई का वृक्ष

* 'सृजनात्मा पृथ्वी तत्पिता द्यौः—ऋग्वेद

की चौड़ी पतियों को अपना आधार बनाये हुए था। आकाश और धरती के बीच बहुत कम अन्तर था, इतना कम कि धरती के निवासी संश्रुत थे। अवेकी नामक स्थान का रहने वाला 'रु' कुछ समय के लिये इस धरती पर आया। उसने धरती-वासियों के सीमित निवास स्थान को देखा। उसे बड़ी दया आयी। अतः उसने इस बात का प्रयत्न किया कि वह आकाश को थोड़ा और ऊँचे उठा दे। इस कार्य के लिए उसने विभिन्न वृक्षों से बड़े बड़े खूँटे तैयार किये और रंगी मोतिया (स्थान विशेष) के पासपास उनको गाड़ दिया। यही स्थान उस द्वीप का केन्द्र था और इसीलिये धरती का भी केन्द्र था। यह एक बड़ा प्रयास था, क्योंकि इसने धरती वासियों को सोचा हुआ हो सकने योग्य स्थान दिया और अब वे बिना किसी असुविधा के इतस्ततः चल फिर सकते थे। इसीलिए रु का नाम 'आकाशधार' रखा गया। इसीलिए टेका नामक ऋषि ने लिखा [सन् १७६४] 'ओ रु, आकाश को बल पूर्वक ऊपर हटा दो।'

“और अन्तरिक्ष को निर्विघ्न कर दो।”

‘एक दिन जब वह वृद्ध पुरुष अपने कार्य में रत था कि उसका पुत्र मोई आ गया और उसने घृणापूर्वक पूछा कि वह क्या कर रहा था। रु ने कहा “तुमको ओटे बच्चों की बात नहीं करनी चाहिये, जाओ अपना काम करो नहीं तो मैं तुम्हें भी उठाकर आकाश में ही फेंक दूंगा।”

लड़का क्रोध में बोला “तो कर के देख लो।”

रु अपनी बात का धनी था। उसने मोई को पकड़ लिया। मोई का कद भी बड़ा न था। उसे उठाकर रु ने अत्यधिक ऊँचाई तक उछाल दिया। गिरते समय मोई एक पक्षी में रूपान्तरित हो गया। और वह धीरे धीरे ही धरती पर उतरा और उसे तनिक भी चोट न लगी। अब उसे बदला लेने की धुन लग गयी। वह अपने वास्तविक रूप में आ गया परन्तु अब उसका आकार प्रकार असाधारण रूप से बड़ा हो गया था। वह दौड़ता हुआ अपने पिता के पास पहुँचा और चिल्लाया।

“ओ रु, तुमने आकाश को उठा रखा है।

अब तुम भी तनिक ऊपर जाओ”

‘उसने अपना सर पिता के दोनों पैरों के बीच में डाल दिया और उसे अपने कंधे पर ले लिया। अपनी दानवीय शक्ति से मोई ने आकाश सहित रु को उठा लिया और दूर बहुत दूर फेंक दिया। वह दूरी इतनी अधिक थी कि नीला आकाश फिर धरती के पास नहीं लौट सका परन्तु बेचारे रु के हाथ, पाँव और कन्धे चूँकि सितारों में उलझ गये थे अतः वह भी वापस न आ सका। उसने छूटने के अत्यधिक प्रयत्न किये पर सब बेकार हो गये। रु का शरीर आकाश में ही रह गया और

उसकी टांगें लटकती ही रह गयीं। इस प्रकार रु का अन्त हुआ। उसका शरीर वहीं टगे टगे जल गया। एक एक करके उसकी हड्डियां गिरती रहीं और पहाड़ों पर मैदानों में और समुद्र के किनारों पर जमा होती रहीं।

वास्तविकता यह है कि जिन्हें ये देशवासी रु की हड्डियां कहते हैं वे ज्वालामुखियों के लावे से बनी छिद्रमय चट्टानें हैं। यही कथा यत्र तत्र किंचित रूपान्तरों के साथ उन सभी टापुओं में प्रचलित है। अब यह देखना है कि क्या यह कथा अपने जन्म काल से ही एकदम मूर्खतापूर्ण बकवास है या जिस समय यह कथा गढ़ी गयी उस समय इसका कोई तात्पर्य था। मेरा विश्वास है कि अज्ञान ही ज्ञान का जनक है हाँ, दुःख यही है कि इन वच्चों में अधिकांश मोर्ई की तरह निकलते हैं जो अपने को अपने पिताओं से कहीं अधिक बुद्धिमान समझ बैठते हैं और यदा कदा वे अपने पिता को अप्रदक्ष्य कर पाने में भी सफल हो जाते हैं।

प्राचीन पौराणिक गाथाओं की यह विशेषता रही है कि उनमें प्रति वर्ष या प्रति दिन घटित होने वाली भौतिक घटनाओं को एक विशेष घटना का रूप देकर उसे किसी देवता या राजा के नाम से सम्बद्ध कर एक कथा रूप दे दिया गया है और वे नित्य प्रति की घटनाएँ एक विशेष महत्व धारण कर लेती हैं। जब ये हर रोज घटित होने वाली घटनाएँ 'एक बार की बात है' से प्रारम्भ की जाती हैं तो उनका रूप ऐतिहासिक सा हो उठता है। हम जानते हैं कि दिन और रात का दैनिक संघर्ष शीत एवम् वसन्त का वार्षिक संघर्ष तथा कृष्ण एवम् शुक्ल पक्ष का मासिक संघर्ष अनादिकाल से चलता आ रहा है अनन्त काल तक चलता रहेगा। ऐतिहासिक उठा-पटक की घटनाओं से इन प्राकृतिक घटनाओं में विभिन्न कथाओं की सृष्टि हुई है जो अपने समकालीन साहित्य की अक्षय निधि बन गयी हैं। द्राय के वीर की कथा भी इसी प्रकार की कथा है। इन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐतिहासिक घटनाओं की कमी तो थी नहीं। यदि कभी कभी भी जान पड़ी तो काल्पनिक गाथाओं की रचना करके काम चलाया गया। आज भी हमारे बीच बहुत बहुत अच्छी कहानियाँ प्रचलित हैं जो अनेक बार विभिन्न ऐतिहासिक ख्याति प्राप्ति व्यक्तियों के नाम से सम्बद्ध होकर कही एवम् सुनी जाती हैं। एक ही कथानक को विभिन्न कालों एवम् परिस्थितियों में विभिन्न नामों के साथ जोड़ा गया है और जोड़े जाने का क्रम आज भी बन्द नहीं हुआ। हम वचपन से ही ऐसी कहानियाँ सुनते सुनते आ रहे हैं। प्राचीन काल में सूर्य को देवता माना जाता था क्योंकि वह अंधेरे का नाशक था। शीत का नाशक और समस्त चर अन्नर का जीवन दाता था। अतः जितने भी साहस या लोकोपकार के कार्य थे वे सब सूर्य के नाम से

सम्बन्धित कर दिये गये। कालान्तर में यही कहानियां विभिन्न ऐतिहासिक पुरुषों को कभी कभी काल्पनिक पुरुषों के भी नाम से सम्बद्ध कर दी गयीं। स्थानीय बहादुर पुरुष भी इस प्रयत्न से अछूते न रहे।

हमें इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि प्रति वर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ों के समय उनके द्वारा होने वाली अपरिमित हानियों को ही अतिशयोक्ति में रंगकर जल-लावन की कथा बनी है। प्रत्येक संख्या को पृथ्वी और आकाश अंधेरे में डूब कर एकाकार हो जाते हैं और प्रत्येक प्रातः सूर्य का प्रकाश उस तमिस्रा को दूर करता है और मानो धरती और आकाश स्पष्ट रूप से अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी घटना को समझाने के लिये रू और मोई की कथा गढ़ी गयी है। रात के अन्धकार में धरती और आकाश एकाकार हैं मानों वे दोनों एकाकार ही नहीं हैं बल्कि एक ही है या यों कहें कि आकाश ने धरती को ढक लिया है। इसके बाद ऊषा अलग आता है, रात को तमिस्रा में छिपी हुई वस्तुएँ दृष्टिपथ में आने लगती हैं और कुछ सोमा तक धरती और आकाश अलग अलग दिखाई पड़ने लग जाते हैं। यही प्रकाश है। इसके पश्चात् मोई का आगमन होता है, जिसका आकार छोटा है केवल एक अंगुल की तरह। यही प्रातःकालीन सूर्य है। वह धीरे धीरे क्षितिज से अपनी किरणों को फैलाता है यही उसका रू द्वारा फेंका जाना है यह प्रकाश पहले ऊपर पहुँचता है फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर कर अंधेरे को सम्पूर्ण रूप से दूर कर देता है। यही सूर्य द्वारा मोई का फेंका जाना और बिना चोट खाये हुए गिरना है। सूर्य तेज चमकता मानो वह दैत्य कर्मी हो गया है और ऊषाकाल का पता ही नहीं लगता कि वह कब उतर गया। यही मोई द्वारा रू का फेंका जाना है, जिससे धरती और आकाश अलग हो गये, और तब दिन भर सूर्य धरती और आकाश को अलग किये रहता है यही मानो प्रसन्न बदन मोई का भ्रमण है।

अब लावे की चट्टानों को रू की हड्डियों का समूह क्यों कहा गया है, यही समझ नहीं आता और यह बात तब तक समझ में नहीं आवेगी जब तक हम उस द्वीप समूह की भाषा में अपनी गति पूर्ण नहीं कर लेते। सम्भव है कि यह कोई दूसरी भाषा रही हो और बाद में उसे रू और मोई की कथा के साथ जोड़ दिया गया हो। अब मैं चाहूँगा कि मैं आपके समक्ष मावरी गाथा का कुछ शंश रक्खूँ। इस गाथा को अंगरेजी में अनूदित करके न्यायाधीश मैनिंग ने प्रकाशित कराया है।

‘यह कथा न्यूजोलेण्डवासियों के उत्पत्ति की है :

‘आकाश हमारे ऊपर है, धरती हमारे नीचे है, इन्हीं दोनों ने मिलकर समस्त पदार्थों को उत्पन्न किया और करते हैं’।

‘पहले धरती और आकाश एक में मिले हुए थे। तब चारों ओर सन्तुलन था।’

‘और तब के लोग (आकाश और धरती के पुत्र) इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि प्रकाश और तम को, दिन और रात को अलग-अलग समझ सकें।’

‘इसलिए रांगी (आकाश) तथा पैपा (धरती) के पुत्रों ने आपस में सलाह किया और निश्चय किया कि ‘आओ, हम लोग ऐसा प्रयत्न करें कि या तो यह धरती और आकाश नष्ट हो जायें या अलग-अलग हो जायें।’

तब युद्ध के देवता तुमातुएंग ने कहा ‘आओ हम दोनों को ही नष्ट कर दें।’

तब तेन-माहुता (जङ्गलों के देवता) ने कहा, ‘ऐसा नहीं, आओ हम लोग उनको अलग-अलग कर दें। इनमें से एक को ऊपर कर दें जो हमारे लिये सदैव उपरि चित रहें और दूसरे को नीचे रख कर अपना पोषक बनावें।’

तब देवताओं में से चार देवताओं ने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की परन्तु वे नाकाम रहे और पांचवां देवता तेन सफल हुआ।

‘जब धरती और आकाश अलग-अलग हो गए तो बड़े जोर की आंधियाँ उठनी लगीं। कथाकार कहता है कि वायु के देवता तौहिरी मातिया ने क्रुद्ध होकर तूफान चला दिया। इसके बाद दिन का प्रकाश तो हुआ पर जैसे सर्वत्र कुहासा छाया हुआ था आकाश से बूँदें टपक रही थीं जैसे वह भीग गया हो। इधर आंधी भी जोरों से चल रही थी। सब देवता युद्धरत थे, जिनमें केवल ‘तू’ नाम का देवता बचा। यही युद्ध का देवता था। उसने आंधी के देवता को छोड़ कर सभी को मार डाला। आगे चल कर और भी युद्ध हुए, जिनके कारण धरती का अधिकांश भाग पानी में डूब गया और एक छोटा सा भाग सूखा रह गया। इसके बाद प्रकाश की मात्रा बढ़ने लगी। धरती और आकाश के बीच दिये हुए जीव भी बढ़ने लगे। इसके बाद तब तक जीव संख्या बढ़ती चली गयी जब तक मोई योत्तिकी इस संसार में मृत्यु को नहीं लाया।

‘बाद के दिनों में आकाश धरती अर्थात् अपनी स्त्री से बहुत दूरी पर रहने लगा है परन्तु धरती का प्यार आहों और उसांसों के रूप में आकाश तक पहुँचा करता है और अपनी स्त्री के प्रेममय संदेश की पाकर आकाश के नेत्रों से आंसू टपक-टपक कर धरती के भिगो बेंते हैं। इन्हीं बूँदों को हम ओस के रूप में देखते हैं।’

यह है मामोरो की सृष्टि गाथा।

अब आइये वेद की ओर चलें। इन्हीं आख्यायिकाओं को प्राचीन आर्य कविों की भाषा में देखिये। वैदिक ऋचाओं में धरती और आकाश को अलग किए जाने की चर्चा कई बार हुई है और सदैव ही इस कार्य के कर्त्ता के रूप में किसी न किसी

ता की कल्पना की गयी है। आप ऋग्वेद के १.६७।३ में देखें तो यह काम आगे है, जिसने पृथ्वी को धारण कर आकाश को थाम रखा है। १०.८६।४ में यही इन्द्र ने किया है, ६.१०१।१५ में इस कार्य का कर्त्ता सोम है, और ३.३१।१२ इस कार्य के कर्त्ता के रूप में कुछ अन्य देवों का नाम लिया गया है।

ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा गया है; 'घरती और आकाश पहले सम्मिलित क्रम थे। बाद में वे अलग-अलग हुये। जब तक ये दोनों सम्मिलित थे तब तक वर्षा नहीं होती थी और न सूर्य ही चमकता था और पाँचों जातियाँ (पंच तन्त्र) एक दूसरे में नहीं खाते थे। फिर देवों ने इनका सम्मेलन कराया और उनका आपस में छेद कर दिया।

उपरोक्त अनुच्छेद में दिया गया विवरण भी साधारण रूपान्तर के बाद जोरो जेनेसिस का ही संक्षिप्त रूप है। आधार दोनों का एक है परिणाम भी दोनों एक है। दोनों में घरती और आकाश को मिला हुआ कहा गया है, बाद में दोनों अलग हुए या किये गये, उनके अलग होने पर प्रकृति में चतुर्दिक् युद्ध होने लगा। इसमें दोनों इकट्ठे हुए और उनका व्याह हुआ।

जो लोग ग्रीक तथा रोमन साहित्य से परिचित हैं उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि घरती और आकाश के विवाह बन्धन में बंधने की यह बात तथा ऐसी ही कितनी और कथाएँ उन दोनों के साहित्य में हैं। ग्रीक एवम् रोमन साहित्य के वर्णनों में एक विशेषता यह दिखायी पड़ती है कि उनमें बसन्त ऋतु में घरती और आकाश के सम्बन्ध की प्रेमपूर्ण एवम् शिशिर में दोनों के सम्बन्धों की उदासीनता का प्रावल्य दिखाया गया है। आप चाहे जिस किसी भी साहित्य में आप इस बात को अवश्य पावेंगे कि प्रकाश के अभाव से संतुष्ट होकर ही घरती और आकाश को अलग-अलग करने की आवश्यकता का अनुभव कराया गया है। ग्रीक रात्रि के घनान्धकार में ही घरती और आकाश एकाकार हो उठते हैं और अकाल उदय होते सूर्य के द्वारा अन्धकार का नाश होता है और घरती और आकाश अलग अलग दिखायी पड़ने लगते हैं।

होमर के काव्य में भी पृथ्वी को 'देवों की माँ, और आकाश की पत्नी' कहकर उल्लेखित किया गया है। आकाश या आकाश तत्त्व को पिता कहा गया है। उनके अलग होने का वर्णन भी किया गया है। होमर का कहना है कि :

वह शक्तिमती घरती है। वह ईश्वर ही सब देव मानव का पिता है। आकाश से निकले हुए जल की बूंदों से गर्भवती होकर जीवों को जन्म देती है, खाद्य पदार्थों का विविध पशुओं को पैदा करती है और इसीलिये यदि उसे सब की माता माना

गया है तो अनुचित नहीं किया गया है, * ।

इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह बात प्रमाणतः सिद्ध है कि यूरोपिडस ने यह सिद्धान्त अपने गुरु दार्शनिक एनेक्सेगोरस से नाया था हैलिकारनेसस का डायोनिशस कहता है कि यूरोपिडस प्रायः एनेक्से गोरस के भाषण को सुनने जाया करता था । उस दार्शनिक ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि पहले पहल सभी चीजें सभी चीजों में मिली जुली हुई थीं और बाद में वे सब अलग-अलग हो गयीं । अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में यूरोपिडस सुकरात को संगति में आ गया था और फलतः वह एनेक्सोगोरस के सिद्धान्त में शंका करने लग गया था । अतः उसने अपने सिद्धान्त प्रतिपादित करवाया । मेलानिप ने स्वयम् कहा है कि कथा मेरी (मेरे द्वारा कही गयी) नहीं है । इसे मेरी माँ ने बताया था कि धरती और आकाश एक में ही मिले हुए थे, परन्तु जब वे एक दूसरे से अलग हो गये, तो उनमें प्रजनन शक्ति आयी और उन्होंने समस्त पेड़ों, चिड़ियों, पशुओं द्वारा घोषित मछलियों एवम् गानव को जन्म दिया ।

इस प्रकार भी हम मूलरूप में धरती और आकाश को मिला हुआ और बाद में अलग-अलग होने की बात ही पाते हैं । यह बात न्यूनाधिक समान रूप में यूनान, रोम भारत तथा पालोनेशियन द्वीप समूहों में पाते हैं ।

अब आइये यह देखें कि वैदिक ऋषि ने धरती और आकाश को किस प्रकार सम्बोधित किया है । वे दोनों ऐसे युग्मरूप में सम्बोधित किये गये हैं, जिनमें भावरूपेण और शरीर के विचार से स्पष्ट दो हैं । कुछ ऋचाएँ ऐसी भी हैं जिनमें अकेली पृथ्वी को ही सम्बोधित किया गया है । इन ऋचाओं में धरती को दयालु बिना कांटे का कहा गया जिस पर निवास किया जा सकता है परन्तु कुछ ऋचाएँ ऐसी भी हैं; जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक समय द्यौस ही सर्वोच्च था । जब द्यौस को धरती के साथ संयुक्त रूप में सम्बोधित किया गया है तो उन्हें 'दयावापृथिव्यौ' कहा गया है जिसका अर्थ होता है 'आकाश और धरती', धरती को विस्तृत है ।

यदि हम ऋषियों की सूक्तियों का परोक्षण करें तो हमें पता लगता है कि उनमें से कितने में ही पृथ्वी और आकाश को भौतिक स्थिति के रूप में स्वीकार किया गया है । इस प्रकार उन्हें 'उरु' कहा गया है जिसका अर्थ होता है विस्तृत । उरुव्याघस कहा गया है, विस्तारपूर्वक फैलायी गयी; दूरान्त कहा गया है, अर्थात्

* ऋग्वेद को देखें 'तन्नोव्वातोभयो भुव्वातुभयेजन् तन्नमाता पृथ्वी तत्पिता द्यौः'

जिसके छोर दूर-दूर पर हैं, गम्भीर अर्थात् गहरी; घृतवत्, मधुदुध, पयस्वत् तथा धूरिरेतस् कहा गया है ।

कुछ दूसरे प्रकार के सूक्त भी हैं जिनमें पृथ्वी आकाश, में कुछ अमानवीय गुराँों को आरोपित किया गया है जैसे अक्षत्, अजर, अमर, अद्रुह, प्राचेतस्, पिता माता, देवधुत्र (देवता जिनके धुत्र हों) ऋतवृष तथा ऋतावत् अर्थात् सत्यवर्द्धक एवम् रक्षक या शास्वत् नियमों का रक्षक ।

इसी स्थल पर आप देख सकेंगे कि वेद सचिपूर्ण क्यों हैं । वेद से ही हमें इस बात का पता चलता है कि किस प्रकार भौतिक जगत् की प्रार्थना, उपासना एवम् चिन्तना करते-करते मनुष्य आध्यात्मिक जगत् में धीरे-धीरे पहुँच गया; इंद्रियानुभूति के परे जो कुछ भी कल्पनीय था, वहाँ तक पहुँच गया, मानव सम्बन्धी कल्पनाओं से आत्मा सम्बन्धी कल्पनाओं तक जा पहुँचा । धरती, आकाश दृश्य हैं अतः पाश्चात्य तार्किक भावना के अनुसार वे सीमित तथा दृश्य हैं परन्तु भारतीय ऋषि हमसे अधिक ईमानदार थे । वे भी धरती आकाश को देख सकते थे परन्तु चूँकि उनकी सीमाओं को वे देख नहीं पा सके (हम भी कहाँ देख पाये थे) अतः उन्होंने इसे अनन्त कहा । उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ भी वे देख रहे थे वह तो धरती आकाश का एक छुद्रांश था, जो कुछ वे नहीं देख पा रहे थे उसकी तुलना में यह देखा जा सकने वाला अंश सागर की असंख्य कणिकाओं में एक कणिका से भी कम था । अतः उन्होंने इस युग्म को (धरती आकाश को) उस दृष्टि से नहीं देखा जिस दृष्टि से वे किसी पाषाण, वृक्ष या कुत्ते, गाय को देखते थे । उन्होंने चाहा पृथिव्या को उसके अनन्त रूप में ही देखा जिसका सम्पूर्ण रूप न तो दृष्टि-गम्य था और न ही अनुभव गम्य था । उनकी दृष्टि में, अनुभव में वह कल्पनातीत रूप से महत्वपूर्ण था, इतना समर्थ था कि वरदानों की झड़ी भी लगा सकता था और उनका विनाश भी कर सकता था । इस धरती और आकाश के बीच जहाँ कुछ भी उन्होंने पाया उसी को अपना समझा, वही उनका साम्राज्य था । उन्होंने सब कुछ को अपना माना और इसीलिये इस सब कुछ को उन्होंने गले लगाया । उन्हें ऐसी भी प्रतीति हुई जैसे इस सब कुछ की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है । आसमात् देवगण, सूर्य, उषा, अग्नि, वायु, वर्षा सब कुछ को धरती आकाश की देन कहा है । इस प्रकार धरती और आकाश समस्त जगत् के माता पिता बने ।

ऐसी स्थिति में हम पूछ सकते हैं कि 'तो क्या ये धरती और आकाश देव थे ? यदि हाँ तो किस रूप में ? क्या उसी रूप में वे देव थे जिस रूप में हमारे देव हैं ? नहीं, उस रूप में वे देव कैसे हो सकते थे ? हमारा ईश्वर तो बहुत्व से परे है ।

तो क्या वे देव उस रूप में थे, जिस रूप में यूनानियों के देव होते हैं ? नहीं, यह बात भी नहीं है। यूनानियों के देवों का उद्भव हुआ है यूनानियों की प्रतिभा के रूप में जो वैदिक भावना से एक दम भिन्न है। हमको यह कदापि नहीं भूलना चाहिये कि जिनको हम अपनी पौराणिक कथाओं में देवता कहते हैं वे तात्त्विक देव नहीं थे, न तो उनका चेतन रूप था, न उनका कोई व्यक्तित्व था और न ही हम उनके बारे में कोई निश्चित बात पहले से भविष्यवाणी के रूप में बता सकते थे। देव शब्द का अनुवाद करने के लिये हम 'गाड्स' शब्द का प्रयोग करते हैं परन्तु हमें समझ लेना चाहिये कि हमारा गाड्स शब्द संज्ञा है जब कि वैदिक ऋषि के लिये देव शब्द विशेषण था जो धरती और आकाश के गुण प्रदर्शित करता था, सूर्य और तारों के गुण प्रदर्शित करता था, उषा और सागर के गुण प्रदर्शित करता था। इस देव (मूल द्यु) शब्द का अर्थ होता है ज्योतिर्मय। उस प्रारम्भिक काल में उसी पदार्थ में देवत्व का आरोपण किया गया था जो ज्योतिर्मय था या ज्योतिर्मयता के गुण थे। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय देवों की कल्पना जब की गयी तो उसके स्वरूप व व्यक्तित्व पूर्व निर्धारित नहीं थे। यूनानियों के देवों का गुण, स्वरूप व व्यक्तित्व यूनानियों की प्रतिभा से निर्धारित हुए थे। भारतीय देव कल्पना में अनुभूति का मुख्य स्थान था। उन्होंने धरती, आकाश, सूर्य, अग्नि को देखा और तब उनकी कल्पना की।

हमें यह भी नहीं मान लेना चाहिये कि जब एक बार घावापृथिव्यों को प्रमत्त पद देकर, माता पिता मानकर, रक्षक मानकर भारतियों ने उन्हें देव मान लिया तो उनके मन में यही और इतनी ही भावना सदा सर्वदा के लिये बद्धमूल हो गयी। यह बात नहीं है। सत्यता तो इससे बहुत दूर है। जब भारतीय ऋषि ने अनुभव किया और माना कि धरती और आकाश के अतिरिक्त और भी देव हैं तो उनके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठा कि 'तब इन सब को बनाया किसने ?' इस प्रश्न को वैदिक ऋषि ने बिना किसी हिचकिचाहट के विचारणीय समझा। इस स्थिति तक पहुँच कर उन्होंने अपनी धरती और आकाश की परिकल्पना भी बदल डाला और अब वे उड़े कर्ता न मान कर कार्य मानने लगे, उसे प्रकृति कहने लगे उसे ब्रह्मांड कहने लगे।

यहाँ हम एक ऋचा का अनुवाद देते हैं।

'समस्त देवों में वह देव सर्वाधिक कुशल था, जिसने इन दो ज्योतिर्मय पिंडों मर्यादु धरती और आकाश को बनाया और तमाम वस्तुओं को प्रसन्नता प्रदान की।

उसने अपनी बुद्धिमानता से पृथ्वी और आकाश को मान लिया और उन्हें सुनिश्चित आधारों पर आधारित किया।'

अग्ने चल कर वह फिर कहता है।

'वह बड़ा ही कार्य-कुशल था जिसने धरती और आकाश बनाया। उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण यही है कि उसने सुनियोजित रूप में और सुनियोजित ढंग से इनको अन्तरिक्ष में स्थापित किया।'

'उस समय में इन्द्र को ही सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना जाता था, अतः कल्पना की गयी कि धरती और आकाश का सृष्टा भी वही है। भारतीयों ने भी इन्द्र की कल्पना प्रायः उसी रूप में किया था, जिस रूप में हमारा जुपिटर है। लिखा गया है कि उसने आकाश को उसी प्रकार फैलाया जैसे हम एक चमड़े को चंदोवे की तरह तान देते हैं। उसने इन्हें अपने हाथों पर धारण किया। उसने ही पृथ्वी और आकाश को थाम रक्खा है और अपने उपासकों को वरदान रूप में वह पृथ्वी और आकाश का अंश देते रहता है। थोड़े ही समय बाद इन्द्र को धरती आकाश का सर्जन भी मान लिया जाता है परन्तु ऋषि को तुरन्त ही ख्याल आ जाता है कि थोड़ा ही धावापृथिव्या तो सब के माता-पिता माने जा चुके हैं और विशेषकर इन्द्र के भी तो भी वे एक क्षण को संकुचित न हुए और कहने लगे कि 'कोई भी पूर्ववर्ती कवि तुम्हारी सम्पूर्ण महत्ता को नहीं जान पाया है, क्योंकि यह तुम्हीं हो जिसने अपने माता-पिता को भी एक साथ ही युग्म रूप में अपने शरीर से ही उत्पन्न किया है'।

यह एक बड़ा कदम है। एक देवता; जिसने अपने ही माता-पिता को स्वयम् अपने ही शरीर से उत्पन्न किया है, उसके लिए फिर असम्भव ही क्या रह गया? एक दूसरे ऋषि ने भी इन्द्र को सर्वोच्च देव माना है, और कहा है कि धरती आकाश का संयुक्त रूप इन्द्र का अर्द्धांश ही है। वही बात फिर कही गयी है 'स्वर्गीय आकाश इन्द्र के सम्मुख झुका, अपने सम्पूर्ण विस्तार से युक्त पृथ्वी झुकी,' या 'हे! इन्द्र तेरे नैमव-शाली जन्म के समय आकाश काँप गया, तेरे क्रोध के भय से पृथ्वी भी काँप गयी'।

इस प्रकार यदि हम एक दृष्टिकोण से देखें तो धरती आकाश सर्वोच्च देव हैं, वे ही चर अचर के सर्जक हैं अतः वे ही इन्द्र सहित सभी देवों के सर्जक हैं।

दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर हम पाते हैं कि जिस समय में जिस देवता को सर्वोच्च माना गया उस समय के गायकों ने उसी देव को धरती आकाश का सर्जक माना। अतः यह आवश्यक था कि वह धरती आकाश से बड़ा भी माना जाता और इस प्रकार वच्चा माता पिता से भी बड़ा बन गया। इसे यों कह सकते हैं कि वह अपने

माता-पिता का भी माता-पिता बन गया। इन्द्र ही ऐसा देव था जिसे घरती आकाश का सर्जक माना गया। एक ऋचा में सोम और पूषन को सृष्टि कर्ता कहा गया। यद्यपि सोम और पूषन देवों की उच्चतम श्रेणी में शायद ही कभी आमाये। एक अन्य ऋचा में हिरण्यगर्भ ही इस घरती आकाश के रचयिता हैं। एक और ऋचा में यह पद धातु को दिया गया है, जिसे विश्वकर्मा की संज्ञा दी गयी है। इसी प्रकार मित्र, सवितृ (दोनों सूर्य के ही नाम हैं) तथा एकाग्रस्थल पर वरुण को भी सर्जक माना गया है।

आप लोग यह देखने का प्रयत्न करें कि वैदिक ऋषियों ने कितनी स्वतन्त्रतापूर्वक इन देवों की कल्पना की है और किस प्रकार देवताओं के समूह में कभी एक को और कभी दूसरे को बड़ा माना है। वैदिक धर्म की यह विचित्रता अनुपमेय है। यूनानियों एवम् यहुदियों के धर्मों में पाये जाने वाले एकेश्वरवाद या बहुदेववाद इस प्रकार के नहीं हैं। भारतीय धर्म के अध्ययन से ही ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति कभी पाश्चात्य धर्मों में भी रही होगी। इस दृष्टि से विचार करने पर वेद का अध्ययन केवल व्यर्थ नहीं प्रतीत होता वरन् वह हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है।

यह सत्य हो सकता है कि वेद के काव्य में हमारे अर्थानुसार सौंदर्य नहीं है और न ही उसमें गम्भीरता है परन्तु इसमें शिक्षण की आर्द्रता है, इसमें भी कोई सन्देह नहीं है। जब हम देखते हैं कि किस प्रकार अति प्रारम्भ काल में घरती आकाश को सर्वोच्च देव मान लेने के पश्चात् भी परवर्ती ऋषियों ने उसी युग को कर्ता के स्थान पर किया, सर्जन के स्थान पर सृष्टि मान लिया तो हमारे समझ में यह बात सुरन्त ही आ जाती है कि देवता किस प्रकार बनाये जाते हैं किस पार्श्व या पृष्ठ भूमि में फेंक दिए जाते हैं और किस प्रकार उनका देवभाव भी तिरोहित हो जाता है। यह एक ऐसी बात है जो अन्य किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। यहीं और केवल यहीं हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार इन देवों के झुरमुट में से भी हमारी दृष्टि उस 'परे' की ओर स्वाभाविक रूप से ही खिंच जाती है और मानव को ज्ञान-परिधि में आने योग्य बनाने के लिए उस 'परे' को कितने ही नामों से किस प्रकार पुकारा जाता है। एक समय ऐसा भी आ गया कि वैदिक ऋषियों ने स्पष्टतया समझ लिया कि संज्ञाओं एवम् विशेषण की सहायता से उस 'परे' को नहीं समझा समझाया जा सकता तो उन्होंने मानव हृदय की चिन्तनशील प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिये रूप-रेख-गुण जाति एवम् संज्ञा विहीन परमेश्वर की कल्पना की। निरवलम्ब परन्तु पिपासु मानव मन अमित न हो जाय, इसीलिये निराकार, निर्लेप, निरंजन की कल्पना हुई।

वैदिक धर्म

१७७

यह बड़ा ही कठिन है कि इन देवों की कल्पना को किसी भी व्यवस्था की सहायता लेकर समझा जाय और इसका एक मात्र कारण यही है कि वेद की ऋचाएँ आत्मा की ध्वनि हैं जिसके निःसृत होने के पूर्व कोई योजना नहीं बनायी गयी थी।

अब मैं आप लोगों के सामने वेद मंत्रों का अनुवाद रखना चाहूँगा, जिनकी पूर्वा में पहले कर चुका हूँ अर्थात् जो नदियों को सम्बोधित करके रचे गये हैं। यदि हम नदियों को भी देवों की श्रेणी में ले आवें तो हम उन्हें पार्थिव देव कह सकते हैं, परन्तु वेद मंत्रों का अनुवाद मैं आपके सामने इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि इनसे वैदिक धर्म के देव प्रणाली पर कोई नया प्रकाश पड़ेगा बल्कि इसलिये रख रहा हूँ कि हमारी अस्पष्ट धारणाओं को स्पष्टता मिल जाय जो हमने वैदिक ऋषियों एवम् उनके शैवोलिक वातावरण के विषय में बना रक्खा है। हम देखेंगे कि इन ऋचाओं में जिन नदियों की प्रार्थनाएँ हैं वे वास्तविक रूप में पंजाब की नदियाँ हैं। इनके रूप व इनके नाम काल्पनिक नहीं हैं और इन ऋचाओं का गायक जितने बड़े क्षेत्र से परिचित प्रतीत होता है उतने विस्तृत क्षेत्र के ज्ञान के परिचय की आशा हम एक ग्रामीण कवि से नहीं कर सकते।

१—‘हे नदियों, कवि तुम्हारे महान् ऐश्वर्य की घोषणा करे। तुम लोग विवस्वत* के देश में बहती हो। इन नदियों की तीन प्रणालियाँ हैं और इनके प्रत्येक प्रणाली में सात सात नदियाँ हैं परन्तु सिन्धु की शक्ति व महिमा तीनों में सबसे बड़ी है।

२—‘हे सिन्धु! जब तुम उर्वर भूमि की ओर दौड़ी तो वरुण ने घरती को रोद कर तुम्हारा पथ प्रशस्त किया। भूमि पर तुम्हारा मार्ग विस्तृत है। तुम्हारा जल सर्वाधिक द्युतिमान है।

३—‘तुम्हारा घोरनाद घरती से आकाश तक पहुँचता है। तुम अपनी असौम्य शक्ति का प्रकाश वैभवपूर्ण रीति से करती हो। जब तुम विकराल वृषभ की भाँति घरती हुई चलती हो तो प्रतीत होता है कि बादल जोर से गरज रहा हो।’

४—‘सभी नदियाँ तुम्हारी ओर ऐसे वेग से दौड़ती हैं जैसे संध्या काल में

* हिन्दू काल गणना के अनुसार यह वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है। वैवस्वत काल विवस्वत का ही अयेसवाचक रूप है। प्रत्येक धार्मिक कार्य के प्रारम्भ में हमारे रोहित लोग इस मन्वन्तर का नाम लेते यथा: ‘ओ३म विष्णोर्विष्णोर्विष्णो अद्य श्री पुराण पुरुषोत्तम्याय श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे विंशति कलियुगे प्रथम चरणे इत्यादि’।

—अनुवादक

सबत्सा गो अपने बछड़े को दूध पिलाने को रंभाती हुई दौड़ती है। युद्ध के सेनानी के समान तुम अपने दायें और बाएँ पक्ष को संभालती हुई आगे बढ़ती हो।

५—‘हे गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शतद्रु और परुष्णी मेरी इस प्रशंसा को अपने में यथाभाग विभक्त कर लो। हे असिकनी से मिलने वाली नदी, हे वितस्ता, हे भार्जीकिया, मरुद्वधा, हे सुषोमा मेरी बात सुनो।’

६—‘हे सिन्धु तुम पहले तृष्ठात्मा फिर सुसुतु, रसा और श्रुती से मिल कर बहती हो। तुम कुभा को गोमती (गोमल)- हेमतनु और क्रुमु (कुरंम) का जल लेकर आगे बढ़ती हो।’

७—‘प्रबल सिन्धु श्वेत रूप से चमकती हुई आगे बढ़ती हैं। यह विशाल है और भयङ्कर वेग से बहती है। वह सभी नदियों से वेगवती है। वह अश्व सी प्रबल और प्रौढ़ा सी सुन्दरी है।’

८—‘सिन्धु शाश्वत युवती है। उसके पास रथ, घोड़े, गाय बैल हैं। उसके पास सुन्दर वस्त्र, सोना, ऊन, और चोर की बहुतायत है। वह पुष्प-मञ्जिता है।’

९—‘सिन्धु के सुखगामी रथ में सुन्दर घोड़े जोते जाते हैं। वह हमारे लिए विजयदात्री हो। उसका रथ विशाल और सालगामी है, अजेय है, दृढ़ है और महिमा भय है।’

आप कहेंगे कि इस ऋचा में तो तनिक भी काव्यगत सौन्दर्य नहीं है। यह है कि हमारे यहाँ की काव्य गत सौन्दर्य-भावना का अर्थ ही दूसरा है। फिर यदि आप देखेंगे तो पता चल जायगा कि उपरोक्त पंक्तियों से ऋषि का तात्पर्य क्या है और उनमें कुछ सशक्त भावनाओं की ही अभिव्यक्ति की गयी है।

आप अपने ही देश के आधुनिक किसान को ले लीजिये जो टेम्स नदी के किनारे किसी गाँव में रहता हो और तब आप उस किसान की अवश्य ही प्रशंसा करेंगे यदि वह कहता है ‘टेम्स नदी एक सेनानी की भाँति आगे बढ़ती है और अपनी सहायक नदियों को सेना की भाँति चलाती हुई जैसे युद्ध स्थल की ओर जाती हो। आप जानें हैं कि इंग्लैण्ड में यात्रा करना सुगम है और इसलिए इस छोटे से देश की नदियों पर गृह दृष्टि डाल सकना एक सरल कार्य है परन्तु आप लोग सोचें कि आज से तीन हजार वर्षों पूर्व आवागमन के साधनों के पूर्ण अभाव में यही कार्य कितना कठिन था और

शतद्रु—सतलज, परुष्णी—रावी, असिकनी—चिनाब, वितस्ता—भेलार, भार्जीकिया—व्यास, सुषोमा—सिन्धु। ये ऋचाएँ ऋग्वेद के दसवें मंडल की पचहत्तवीं सूक्त की हैं।

तो भी भारत के उस प्रदेश में जो तब भी पर्याप्त विस्तृत था। वह ऋषि एक साथ ही तीन प्रणालियों की बात करता है जैसे वे तीन सेनाएँ हों। एक प्रणाली में उत्तर पश्चिम की नदियाँ, दूसरी में दक्षिणपूर्व की नदियाँ और तीसरी में गङ्गा, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। आप भारत के चित्र को देखें कि किस प्रकार कवि ने एक व्यवस्थित रूप से इन नदियों का भौगोलिक वर्णन किया है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि उस ऋषि के पास कोई चित्र नहीं था। चित्र तब बनते ही कहाँ थे। इस त्रिकोणमितीय पर्यवेक्षण के लिए सामने की ऊँची पर्वत श्रृणियाँ थीं और साधन के रूप में केवल उसकी भेदक दृष्टि से उसके पास थी। इस दृष्टि से देखने पर हम अपने ही मन में भी उसे कवि कह सकते हैं।

इस सूक्त में एक बात और भी विचारणीय है और वह है कवियों के नाम शक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। इससे पता चलता है कि आर्य लोग सभ्य-जीवन मार्ग पर काफी दूर आगे चल चुके थे। इसी बात को हम यों भी कह सकते हैं कि आर्यों ने उत्तरी भारत के जिस क्षेत्र को अधिकृत किया था उसका पूर्णतया संगठित सर्वेक्षण कर चुके थे। उन्होंने इन नदियों का नाम अपने या अपने फिरकों के नाम पर रखवा। जो फिरका जहाँ बसा, उसी दिन का नाम अपने फिरके के नाम से रखवा। यह सत्य है कि एक-एक नदियों के कई-कई नाम हैं परन्तु उसके भी कारण हैं। आप किसी वस्तु को जिस दृष्टिकोण से देखेंगे, उसी के अनुरूप गुण आप उस वस्तु में पावेंगे। इस प्रकार यदि एक ही नदी को एक ही समय के विभिन्न विद्वान वेगवती, उर्वरिका, कपिलिनी को उपमा का सहारा लेकर तोर अश्व, गौ; पिता माता रक्षिका या पर्वत पुत्री कहें तो हमें आश्चर्य क्यों करना चाहिये ? हम सभी जानते हैं कि एक ही नदी के विभिन्न भागों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम होते हैं। जब विभिन्न क्षेत्रों वाले लोगों का आपस में मेल-जोल बढ़ता है तब इस बात की आवश्यकता होती है कि सभी वस्तुओं के सर्व सम्मत नाम रखे जायें। उपरोक्त सूक्त बनने के पूर्व ही नामकरण का यह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, यही बात मैं आप लोगों पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

एक विचारोत्तेजक तथ्य और भी है और वह विचारणीय भी है। ईसा के आधे हैं। इसके बाद सिकन्दर के आक्रमण काल में जो यूनानी वहाँ गये थे, वे यद्यपि तो उस देश की भाषा ही जानते थे और न वर्णमाला। उन लोगों के मुख से भी हमने भारतीय नदियों के नाम सुने और बिना किसी विशेष कठिनाई के हम उनकी ठीक ठीक पहचान गये। क्या यह कम प्रशंसनीय है ?

भारतीय नदियों के नाम में भारतीय नगरों के नाम से अधिक स्थायित्व है, जिसे हम आज देहली कहते हैं वह कभी दिल्ली था, शाहजहानाबाद और कभी इन्द्रप्रस्थ। आज का अयोध्या कल का अवध है परन्तु कभी इसका नाम साकेत था इसे सब भूल से गये हैं। पाटलिपुत्र को यूनानियों ने पालिमबोत्रा कहा है और आज हम उसे पटना कहते हैं।

भारतीय नदियों के नाम का तारतम्य देख कर मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ था और मैंने सोचा था कि इसमें अवश्य ही कोई त्रुटि है, कोई भूल है। यदि हम सिन्धु और गंगा का प्राचीन नाम ज्यों का त्यों पाते हैं तो हमें कम आश्चर्य होता है। सिन्ध नदी का नाम प्राचीन व्यापारियों को भी ज्ञात था। हम जानते हैं कि अफगान लोग अपने को पुस्तू कहते हैं और इसीलिए उनको भाषा पस्तो कहलाती है। स्काई लावस इसी पस्तो के देश से चला था और वह नौका द्वारा सिन्ध के मुहाने तक गया यह बात डेरियस हिस्टेयस के समय की है जिसका समय ईसा पूर्व ५२१-४८६ है।

उसके पूर्व भी भारतीयों को सिन्ध के नाम से जाना जाता था क्योंकि तब सिन्ध ही भारत की सीमा थी। पड़ोसी जातियों के लोग ईरानी भाषा बोलते थे। जिनमें 'स' को 'ह' बोला जाता है। इस प्रकार सिन्धु का हिन्धु हो गया। स्वरों को पूर्व 'ह' (एच) को लुप्त करने की परम्परा प्रारम्भ काल में थी और आज भी है। इस प्रकार हिन्धु का इन्दु हो गया। हमारी भाषा में 'द' नहीं है इसलिए इन्दु का 'इड' हो गया और इस प्रकार बदलते बदलते सिन्धु इंडस में तथा उसके तीरे रहने वाले लोगों को यूनानी लोग इण्डोई कहने लगे। आप लोग यह न भूल जायें कि यूनानियों ने भारतीयों का परिचय फारसी लोगों के माध्यम से पाया था।

शायद प्राचीन काल में सिन्धु शब्द विभाजक के अर्थ में प्रयुक्त होता था। उस समय इसका अर्थ रक्षक भी होता रहा होगा। प्रारम्भ में सिन्धु शब्द पुल्लिंग था और बाद में स्त्रीलिंग हो गया। इस चौड़ी प्रशस्त एवम् गहरी नदी का इससे अधिक सार्थक नाम रक्खा भी नहीं जा सकता था। यह नदी अपने क्षेत्र के शान्त निवासियों को दो अक्षर से रक्षण प्रदान करती थी एक तो लड़ाकू जातियों के आक्रमण से और दूसरे जंगली जानवरों के आक्रमण से। जिस क्षेत्र में वैदिक कालीन भाषा रहते थे उसे संहसिन्धव के नाम से जाना जाता था। सिन्ध उस समय में नदी के अर्थ में जाति वाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता था और एक नदी विशेष के अर्थ में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी। कालान्तर में इसका जाति वाचक रूप का प्रचलन तो बन्द हो गया किन्तु इसका व्यक्ति वाची प्रयोग आज भी ज्यों का त्यों है।

*देखे मनेस्ती, आवर इत्यादि।

ऋग्वेद में ही कुछ ऐसे विवरण हैं जिनमें सिन्धु का अर्थ समुद्र के रूप में लेना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि हम तत्कालीन भौगोलिक स्थिति एवम् ज्ञान की सीमा को दृष्टि में रखें तो इस अर्थ भेद का कारण हमारी समझ में आ जायगा। सिन्ध में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ हम उसे तैर कर पार कर सकते हैं परन्तु ऐसे भी स्थल हैं जहाँ खड़ा होने पर नदी का दूसरा किनारा दृष्टि पथ नहीं आता। सम्भव है ऐसे स्थानों पर ही सिन्ध को देख कर तत्कालीन लोगों ने उसे समुद्र के अर्थ में ले लिया हो। हम जानते हैं कि सिन्धु और नदी का सम्बन्ध साधारण नहीं है। प्रत्येक नदी सिन्धु में सर्रापा पाती है और सिन्ध ही प्रत्येक नदी को ग्रहण करता है।

भारत को दो बड़ी नदियाँ सिन्ध और गंगा के अतिरिक्त अन्य कितनी ही छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। जैसे संस्कृत में गंगा अर्थ होता है 'आगे जाओ, आगे जाओ।' इन छोटी नदियों के जो नाम हमें यूनानियों से मिले हैं वे आज भी उसी रूप में पाये जाते हैं।

भारत की जमुना नदी को टोलमी ने जयमोना कहा है, प्लिनी ने उसे जोमेमस कहा है और एरियन ने इसे थोड़ा अपभ्रष्ट करके जोवेरस कहा है।

शत्रुद्रि को बाद में शत्रुद्र कहने लगे, जिसका अर्थ होता है 'सौ धाराओं में बहने वाली'। इसे टोलमी ने जडारडस या जराड्रास कहा है, प्लिनी के अनुसार यह जाड्रास है, मेगास्थनीज ने भी इसे जाडाईस के ही नाम से जाना है। वेद में विपाशा के साथ मिलकर यह नदी पंजाब की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। वेदों के अनुसार इसके तट पर अनेक युद्ध हुए हैं और मेरे विचार से यह युद्ध क्षेत्र वही है जहाँ द्यूगफ ने सन् १८४६ ई० में सिक्खों का सामना किया था। विपास, जो बाद में विपाश कहलाने लगी; सतलज में उत्तर पश्चिम से अक्रर मिली है और यही से सिकन्दर ससैन्य वापस लौटा था। यूनानियों ने इस नदी को हाईफोसिस कहा, प्लिनी के अनुसार यह हाईपैसिस है, जो वैदिक विपास का ही समीपस्थ शब्द है। आज कल इसका नाम व्यास या बेजाह है।

पश्चिम में इसके बाद वैदिक पुरा है, जो इरावती के नाम से अधिक प्रख्यात है। स्ट्रेबो इसे ह्यारोटिस कहता है एरियन इसे यूनानी रूप देकर हाईड्रा ओटस कहता है। यही आजकल की रावी है। यह वही नदी है जिसे पार करने का प्रयत्न उस राजाओं ने किया था जब वे सुदास के अधीनस्थ त्रिस्तुभों के ऊपर आक्रमण करने की इच्छा रखते थे। ऋग्वेद के अनुसार (७ वाँ मंडल १८ वाँ सूक्त ८ वीं ऋचाएँ) इन राजाओं का प्रयत्न असफल हुआ था और वे वहीं नष्ट हो गए थे।

१८२

हम भारत से क्या सीखें ?

इसके बाद हम असिकनी पर आते हैं 'कृष्णोवर्ण' इस नदी का एक दूसरा भी नाम है चन्द्रभागा जिसका अर्थ है चन्द्रमा की किरणें। यूनानी इसे साण्डी फोगस कहते थे। भाष्यवश यूनानी शब्द का अर्थ होता है 'सिकन्दर का हत्यारा'। डेसीकियस का कहना है कि इसी कारण सिकन्दर ने इसका नाम बदल दिया और इसे अक्रेसिवस कह कर पुकारा, जिसका अर्थ होता है 'निरोग करने वाली'। वेद से हमें इस बात का पता अवश्य लगता है परन्तु डेसीकियस ऐसा नहीं कहता कि इस नदी का वैदिक नाम उस समय में असिकनी था। यही नदी आजकल की चिनाव है।

इसके बाद वैदिक वितस्ता का नम्बर आता है जो पंजाब की अन्तिम नदी है। यूनानियों ने इसे हाइडेस्पस कहा है। लौटते समय सिकन्दर ने इसी नदी तट पर आकर अपने सैन्य के एक भाग को सिंध के मार्ग से भेजकर स्वयम् स्थल मार्ग से बेबिलोन की ओर चला था। यही आज कल की बेहात या मेलम है।

अभी अन्य वैदिक नदियों को भी पहचाना जा सकता है। कुमा को यूनानियों ने कोफेन कहा, जो आजकल की काबुल नदी है। जिन नदियों का विवरण हमने ऊपर दिया है केवल उसी के बल पर वेदों की ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाती है। मान लीजिये कि समूचा वैदिक साहित्य एक जाल है या यही मान लीजिये कि यह सिकन्दर के आक्रमण के बाद का संकलन है। ऐसी स्थिति में इन नामों के इतिहास को आप क्या कहेंगे ? नामों के इस तारतम्य का आप क्या कारण देंगे ? ये नाम ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में अपना विशेष अर्थ प्रगट करते हैं। वे यूनानियों द्वारा अपभ्रष्ट रूप से भी मिलते जुलते हैं, यूनानी संस्कृत नहीं जानते थे अतः उनके द्वारा इस प्रकार की अपभ्रष्टता स्वाभाविक थी। तब आप वेदों को एक जाल की संज्ञा दे ही कैसे सकते हैं ?

इस सूक्त की उद्धृत करने के दो कारण थे। पहली बात तो यह है कि यह सूक्त हमारा परिचय उस भौगोलिक क्षेत्र से कराता है, जिसमें इन वैदिक ऋषियों का निवास था और जो उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, पश्चिम में सिंध नदी एवम् सुलेमान पर्वत, दक्षिण में सिंध अथवा सागर से और पूर्व में गंगा जमुना की चोटियों से सीमित था। इसके बाहर का संसार आवागमन के योग्य होते हुए भी वैदिक आर्यों को ज्ञात नहीं था। दूसरा कारण यह था कि यह सूक्त वैदिक कालीन आर्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। जिन नदियों को जिन रूपों में आज देखते हैं, उन नदियों को उन्हीं रूपों में सिकन्दर ने भी देखा था और उन्हीं नदियों के उन्हीं रूपों का विवरण वेद भी देता है। ऐतिहासिक तारतम्य इसी को कहते हैं और ये ही जीवित प्रमाण हैं वेदों की ऐतिहासिकता के। यही तारतम्य बताता है कि

वैदिक धर्म

१८३

जिन वैदिक आर्यों के गीत आज भी इस विचित्र रूप से इस आश्चर्य की रीति से सुरक्षित हैं, वे काल्पनिक प्राणी नहीं थे, कभी उनका अस्तित्व था, उन्हें फिरके थे। उनके फिरके थे। उनके पुरोहित थे जो देव सेवक होते थे, उनके पशुओं के झुण्ड इन्हीं नदियों की घाटी में यत्र तत्र बिखरे रहते थे, जिनकी सुरक्षा के लिये बाड़े बने हुए थे। उनका जीवन संक्षिप्त था, शान्ति पूर्ण था। वे दूसरे के स्वत्वों का अपहरण नहीं करते थे। वे उन्हीं प्रदेशों में रह कर शरत् शिशिर हेमन्त वसन्त इत्यादि का सुख उठाते थे और प्रतिदिन उदय और अस्त होने वाला सूर्य उनके विचारों को ऊँचा उठा कर, उसे उनके खेतों और चरागाहों से ले जाकर पूर्व के देश की ओर ले जाता था, जहाँ से वे आये थे * या पश्चिम की ओर ले जाता था, जिधर वे तेजी से बढ़ रहे थे। उनका धर्म था यद्यपि वह अति सामान्य (उलझनों से दूर) था, जिससे पूर्ण व्यवस्था के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वे महसूस करते थे कि इस दुनिया के बारे में कुछ है। उन्होंने इस परे' का नामकरण करने का प्रयत्न किया था और भाव वाची धर्म को जातिवाची धर्म में परिवर्तित करना चाहा था। परमेश्वर शब्द का जो अर्थ हम समझते हैं, उस अर्थ के परमेश्वर का नामकरण जिन्होंने नहीं किया था। देवताओं के लिये एक के बाद एक अनेक नामों की कल्पना की गयी थी, जिससे लोग देव भावना को समझ सकें और इसके लिये भौतिक उपादानों को उन्होंने देवों का प्रतीक मान लिया था, यद्यपि हमारी ही तरह वे भी इन शक्तियों का पूर्ण रहस्य नहीं समझ पाये थे।



* मैक्समुलर के अनुसार आर्यों का विश्वास था सूर्य, चन्द्र और तारों की तरह वे भी पूर्व से ही आये थे और पश्चिम को ही उन्हें जाना था। — अनुवादक

छठाँ भाषण

वैदिक देवता

प्रकृति का एक अन्य महत्वपूर्ण मूल पदार्थ था अग्नि जिसे यूनानी भाषा में इग्निस कहते हैं। प्रार्थना में वेद में पार्थिव देवताओं में अग्नि को भी महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया है। वेद में अग्नि को जो ऋचाएँ कही गयी हैं या अग्नि के जो स्तवन गाए गये हैं, उससे यह बात बड़ी ही सुगमता से स्पष्ट हो जाती है कि मानव इतिहास का एक ऐसा भी युग था जब न केवल जीवन के आवश्यक विलास बल्कि स्वयम् जीवन ही आग के बिना असम्भव था। जो आग को उत्पन्न करना नहीं जानता था उसका जीवन जैसे जीवन ही नहीं था। हम आग से इतना अधिक परिचित हो गये हैं और आग हमारे लिये इतनी सामान्य सी वस्तु हो गयी है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि आग के बिना हमारा जीवन कैसा हो जायगा, परन्तु आप तनिक सोचें कि आदिम मानव ने आग की कल्पना कैसे की, उसे उत्पन्न करना कैसे सीखा, और उसे नियंत्रित रूप में कैसे रक्खा। वैदिक ऋषियों का कहना है कि आग पहले पहल आकाश से आयी और तब उसका रूप चपला (बादलों में चमकने वाली बिजली) का था, परन्तु वह तुरन्त ही विलीन हो गयी और तब मातरिस्वन (जो किसी सीमा तक प्रमोथियस का समरूप था) उसे फिर आकाश से ले आये और भृगुवंशीय लोगों को उसे रक्षित रखने का उपाय बतलाया। दूसरी ऋचाओं में कहा गया है कि दो लकड़ी के टुकड़ों को आपस में रगड़ कर आग उत्पन्न की जाती थी। यहीं पर एक विचित्र तथ्य यह प्रगट होता है कि रगड़े जाने वाले लकड़ी के टुकड़ों को प्रमथ कहते थे। प्रमथ एक ऐसा शब्द है जो, ग्रीक भाषा के प्रमोथियस के अत्यधिक समीप है। जो कुछ भी हो अर्थात् चाहे अग्नि को अग्निकुण्ड में सुरक्षित रक्खा जाता रहा हो या आवश्यकतानुसार उत्पन्न कर लिया जाता रहा हो, यह बात सत्य है कि सभ्यता की दौड़ में अग्नि के ज्ञान का होना एक बड़ा कदम था। इसके पूर्व अपक्व पदार्थ ही खाए जाते रहे होंगे। अब भुन कर या पकाकर खाने की परम्परा चली। अब तक प्रकाश के अभाव में के-

वैदिक देवता

१८५

अग्नि में कोई काम नहीं कर पाते होंगे, अग्नि की सहायता से प्रकाश पाकर अब के रात्रिकाल में भी कार्यरत होने लगे होंगे। शीतकाल में उन्हें शीत से भी रक्षा मिलने लगी होगी। यदि इन्हीं कारणों से अग्नि को सर्वाधिक उपयोगी तत्त्व मानकर उसकी प्रार्थना में इतने अधिक मंत्र कहे गये तो आश्चर्य क्या है? उनके विचार-अग्नि ही एक ऐसे देव थे जो अपने निवासस्थल आकाश को छोड़ कर पृथ्वी पर आने लगे थे। वे मानव के मित्र और देवों के सन्देशवाहक थे, मानवों और देवों के मित्र थे और आर्यों के बीच अमर थे। कहा गया है कि वह आर्यों की बस्तियों की रक्षा करते और कृष्णवर्णीय शत्रुओं को भयभीत कर के उन्हें आर्यों पर आक्रमण करने से रोकते हैं।

शीघ्र ही अग्नि को प्रकाश और गर्मी की विशेषता के रूप में माना जाने लगा और तब अग्नि को कल्पना केवल चूल्हों और यज्ञकुंडों तक सीमित न रह गयी। वैदिक ऋषि उसे उषा में, सूर्य में और सूर्य से परे की सृष्टि में भी उसका दर्शन करने लगे। धीरे-धीरे वे फलों और फसलों के पकने में तथा मानव शरीर की गर्मी बनाये रखने में भी उपयोगी मानने लगे। एक प्रकार से अग्नि को ही जीवनदाता मानकर ऋषियों ने उन्हें अग्निदेव को ही प्राधान्य देना प्रारम्भ कर दिया। ऐसी भावना में उनके लिये यह कहना स्वाभाविक ही था कि अग्नि ने ही आकाश को उत्पन्न किया क्योंकि अग्नि का एक गुण था प्रकाश। प्रकाश के अभाव में घरती और आकाश को अलग करके देखना सम्भव नहीं था। इसके थोड़ा और आगे बढ़ कर एक ऋषि ने घोषणा की कि 'अग्नि ही अपने प्रकाश के भरोसे आकाश को उत्पन्न उठाए है और उसे घरती से अलग किये हुए है। अन्त में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अग्नि ने ही घरती और आकाश को जन्म दिया और इस पृथ्वी को जो कुछ भी है, चलता है, उड़ता है या स्थिर है उन सबके जनक अग्नि ही हैं।

इस स्थल पर भी हमें उसी प्रक्रिया के दर्शन होते हैं। इस प्रक्रिया का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं: मानव मस्तिष्क किसी एक घटना या घटनाचक्र को देखकर चमत्कृत हुआ जैसे उसने एक पेड़ पर गिरी हुई बिजली को देखा, जिसने पेड़ को क्षत विक्षत कर डाला था या दावाग्नि ने समूचे बन को जला डाला था या पेड़ों की रगड़ से पैदा हुई अग्नि की एक चिनगारी ने समूचे बन का विनाश कर डाला था। यह चिनगारी किसी गाड़ी के पहिये और घुरे की रगड़ से भी पैदा हो सकती है। मानव को इस प्रकार की क्रिया पर आश्चर्य होता है और यह आश्चर्य तब भी कम होता जब वह इस तथ्य तथा उसके कारण को समझ लेता है, बाद में वह भी समझ लेता है कि दो पदार्थों की रगड़ से गर्मी और अन्त में अग्नि पैदा हो जाती है।

है लेकिन उसका प्रारम्भिक आश्चर्य बना हो रह जाता है। वह अग्नि के प्रभाव को देखता है, उसको उत्पत्ति के कारण का भी अनुमान कर लेता है, परन्तु उसे जमीनी अग्नि की बात करनी होती है तो वह अग्नि को स्वतंत्र सत्ता न मानकर उसे किसी सत्ता का प्रतिनिधि मानकर उसका वर्णन करता है। यह बात दूसरी है कि उसने अग्नि को उस प्रकार की प्रतिनिधि नहीं माना जैसे कोई आदमी किसी आदमी का प्रतिनिधि होता है। अग्नि के प्रतिनिधित्व को उसने अमानवीय अर्थात् दैविक रूप में ही लिया। इस प्रकार अग्नि के विषय में उसको धारणा बढ़ने लगी और ज्यों ज्यों अग्नि का साधारणीकरण होता गया त्यों त्यों उसकी उच्चता तथा दैविकता बढ़ती गयी और त्यों त्यों लोगों की ज्ञान परिधि के बाहर की बात होती गयी। बिना अग्नि के न तो गर्मी सम्भव थी न प्रकाश और गर्मी तथा प्रकाश के अभाव में जीवन ही असम्भव था। ऐसी स्थिति में अग्नि को जीवन दाता एवम् ज्ञाता माना जाने लगा तो आश्चर्य क्या था ? उसे न केवल मानव जीवन-दाता ही माना गया वरन् पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सबके जीवन दाता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हुई और जब एक बार जीवन दाता देवता के रूप में अग्नि की प्रतिष्ठा हो गयी और अग्नि देव की उस रूप में प्रार्थना होने लगे तो बढ़ते बढ़ते एक दिन अग्नि को ही सर्वोच्च देव मान लेने में एक ही कदम की आवश्यकतया थी। इस प्रकार एक भौतिक पदार्थ अग्नि अपने गुण व अपनी विशेषता के कारण देव और फिर सर्वोच्च देव बन बैठा।

अब हम थोड़ा और आगे बढ़ कर इस पर विचार करेंगे कि वैदिक ऋषि वायु में या बादलों में किस प्रकार की शक्ति की खोज या कल्पना कर सकता था। हमें यह भी देखना है कि बादलों में चमकती हुई बिजली को देखकर, उसकी गर्जना को सुनकर या बादलों द्वारा फैलाए गये अंधेरे को देखकर उसको यह प्रतीति तो अवश्य हुई होगी कि वह अकेला नहीं है, तब उसके मन में कैसे विचार उत्पन्न हुए। अनेक दार्शनिकों का कहना है कि धर्म की उत्पत्ति भय से या आतंक से हुई है और यदि बादलों की गरज या चपला की चमक को प्राचीनों ने न देखा होता तो शायद ही वह किसी देवता में विश्वास करता। यह मान्यता यदि सत्य हो तो भी हमें इसे अतिरंजन ही मानना पड़ेगा। यह दृष्टिकोण पूर्णतः सत्य तो हो ही नहीं सकता। यह सत्य है कि मानव को भयाक्रान्त करने में बादलों में चमकने वाली व आकाश से गिरने वाली निजली का बड़ा हाथ रहा होगा और इसके ही कारण मानव को अपनी निर्बलता और पराधीनता की अनुभूति हुई। वेद में ही इन्द्र द्वारा कहलवाया गया है कि 'जब मैं वज्रप्रहार करता हूँ तभी मानवों का विश्वास मुझमें होता है, अन्यथा नहीं' फिर भी दार्शनिकों की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि केवल भय

अतः से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म विश्वास की भावना है और मानव यह विश्वास हुआ प्रकृतिगत नियम और बुद्धिमत्ता को देखकर विशेषतया नियम-क होने वाली दैनिक, पालिक, मासिक एवम् वार्षिक घटनाओं के कारण जैसे द्रमा की नियमित गति, सूर्योदय तथा सूर्यास्त, ऋतुओं का क्रम इत्यादि। वीरे-ऋषियों ने प्रत्येक घटना में कार्य कारण की व्यवस्था दी और अन्त में तमामों के कारणों में एक सर्वोच्च कारण की खोज की, इस कारण को चाहे हम उस नाम से पुकारें।

इसमें सन्देह नहीं है कि इन घटनाओं के कार्य कारण पर विचार करने से वैदिक देवों की सृष्टि सम्भव हो सकी है और वैदिक ऋषियों द्वारा प्रणीत ऋचाओं में इन देवों को विशिष्ट स्थान मिला है। यदि हमसे पूछा जाय कि वैदिक ऋचाओं में प्रमुखतम देव कौन हैं तो वैदिक ऋचाओं के प्रकाश में हम कहेंगे कि यह देव इन्द्र को मिलना चाहिये, उस इन्द्र को जो नीले आकाश का देवता है, प्रतीक जीयस है, बादलों को समूह में लाने वाला है, आकाश में वज्रपात करने वाला है, वर्षा करने वाला है, अंधेरे को दूर करने वाला है, प्रकाश को लाने वाला है, सभी वस्तुओं को ताजगी देने वाला है, शक्ति एवम् जीवन दाता है और समस्त सार का एक मात्र स्वामी है। उपरोक्त वर्णन इन्द्र का है। वेद में इन्द्र का वर्णन हमसे भी बढ़ कर है। एकाधिक ऋषियों ने इन्द्र को सर्वोच्च पद प्रदान किया है।*

* इस विषय में डा० देवराज का भी मत देखिये : “ऋग्वेद का सर्वाधिक हत्वपूर्ण देवता इन्द्र है” वह शक्तिमान है उसने दस्यु, वृत्र तथा अहि का हनन किया है। वज्र उसका अमोघ अस्त्र है, जिसका निर्माण स्रष्टा ने लोहे से किया और वज्र छोड़ता है तो धरती और आकाश काँप जाते हैं। वृत्र अथवा अहि का पथ करके वह बरसने के लिए जल को युक्त कर देता है। जिसके नियंत्रण में घोड़े, गौएँ, ग्राम और रथ है जो उषा एवम् सूर्य का सृष्टा है, जो जलों का नेता है, हे मनुष्यों वह इन्द्र है, जिसकी सहायता के बिना कोई विजयी नहीं हो सकता, युद्ध के समय सब जिसकी सहायता के लिये पुकारते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली है, जो सबल को भी चलायमान कर देता है, हे मनुष्यों वह इन्द्र है। इन्द्र के लिये जो होमरस निचोड़ते हैं उसे वह भयंकर इन्द्र ऐश्वर्य प्रदान करता है। हे इन्द्र हम तुम्हें सदैव प्रिय रहें और बलवान पुत्रों के साथ सदैव तुम्हारी स्तुति करते रहें।’

ऋग्वेद २, २२७७ और २, १२, ६,

ऋग्वेद २, १२, १५ भारतीय संस्कृत पृष्ठ ३

वैदिक कालीन भारतीय ग्रामों के समूहों में इन्द्र की सर्वाधिक प्रशंसा की गयी है और इन्द्र इस प्रकार की प्रार्थनाओं के अधिकारी भी हैं। इन्द्र की तुलना में अन्य देवता सर्वथा असमर्थ और निर्बल से प्रतीत होते हैं। आकाश जिसे छीस कहा जाता था, इन्द्र की उपस्थिति में पृष्ठभूमि में चला गया सा प्रतीत होता है। एक बार सभी देवों के किंवदन्ती स्वयं इन्द्र के भी जनक के रूप में आकाश की प्रतिष्ठा की गयी थी, परन्तु कालान्तर में वह भी इन्द्र के समक्ष झुकता हुआ दिखाया गया है। इसे यों कहना भी उपयुक्त होगा कि पिता को पुत्र के सामने झुकता हुआ और पुत्र के आगमन पर माता घरती को काँपती हुई प्रस्तुत किया गया है, परन्तु जिस प्रकार जीयस या जुपिटर के समक्ष यूनान के सभी देवता स्थायी रूप से अधोनात् स्वीकार किये हुए दिखाये गये हैं ऐसा हिन्दुओं ने कभी भी नहीं किया, वेद में ही ऐसे ऋषियों की ऋचाएँ हैं जो इन्द्र के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करते।

इन्द्र के समक्ष ही और युद्धों तथा अन्य कार्यों में इन्द्र से सम्बन्धित और कितनी ही बार इन्द्र के व्यक्तित्व में एकाकार करके वायु या बात देव की कल्पना की गयी है जो हवा का रूप है। आँधियों के देवता मरुत् को उनसे भी भयंकर रूप में अभिव्यंजित किया गया है।

वायु का विवरण देते हुए एक ऋषि का कथन है कि 'वह कहाँ पैदा हुआ? वह कहाँ से उद्भूत हुआ? वही देवों का जीवन है, वही संसार का बीज है। वह स्वेच्छाचारी है, उसकी ध्वनि सुनी जा सकती है परन्तु उसे देखा नहीं जा सकता।'।

मरुत् बात से अधिक भयंकर है। स्पष्ट है कि मरुत् उन अन्धड़ों के देव हैं जो भारत में प्रायः उठा करते हैं। उसके आने पर हवा गर्द से भर जाती है और आकाश बादलों से ढँक जाता है, पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, उसकी शाखाएँ झुकती हैं, उनके तने टूट जाते हैं, जब पृथ्वी चलायमान सी होकर पहाड़ों को भी चलायमान सा कर देती है और नदियों के घरातल पर फेन दिखायी देने लगती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न करता हुआ सोने का शिरस्त्राण धारण किये हुए तथा कन्धों पर चकनेदार चर्म धारण किये हुए, हाथ में स्वर्ण की माला लिये हुए, अपनी कुल्हड़ी को हिलाते अग्निवाणों की वर्षा करते हुए और बादलों की गरज व बिजली की चमक के रूप में अपने कोड़े को फटकारते हुए मरुत् देव को आता हुआ प्रस्तुत किया गया है। वे इन्द्र के साथी हैं, उन्हीं के समान हैं और द्यौस के पुत्र हैं। कहीं-कहीं उन्हें रुद्रपुत्र भी कहा गया है, रुद्र को युद्ध करता हुआ माना गया है और उनकी स्तुति में अनेक ऋचाएँ कही गयी हैं। कुछ ऋचाओं में रुद्र को रक्षक एवम् धावों को पूरने वाला कहा गया है, जो भारत वालों के लिये एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि हफ्तों

वैदिक देवता

१८६

महीनों की कड़ों गर्मी के बाद जब इन अंधड़ों के साथ बादलों की गरज चमक सहित वर्षा होती है तो मानों सभी जीवों को या स्वयं पृथ्वी को ही नवजीवन मिल जाता है, पेड़ पौधों और जीवों में ताजगी आ जाती है और प्रकृति उत्फुल्ल हो उठती है।

धरती और आकाश के बीच में भी कुछ देवों की कल्पना की गयी है जैसे अर्जुन तथा रिभस् ये कर्मठ हैं। उनका रूप और कार्य भी नाटकीय हैं और कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे परवर्ती महाकाव्यों के नायकों के रूप में इन्हीं को चित्रित किया गया है। युद्धों में प्रायः इन देवों की स्तुति की जाती थी, क्योंकि युद्ध करते हुए देवताओं के रूप में उनकी कल्पना ही की गयी थी। युद्धों में इन्द्र को ही ता पद दिया गया है, वह आर्यों का रक्षक है, भारत के कृष्ण वर्ण आदिवासियों का विनाशक है। एक ऋषि का कथन है कि 'उसने पचास सहस्र कृष्ण वासियों को प्रलग फेंक दिया और उनके गढ़ों को घूलिसात् कर दिया है।' यह एक विचित्रता है कि इन्द्र की स्तुति में शत्रुओं से जाति को सुरक्षित रखने के लिये उसी प्रकार की बातें कही गयी हैं, जैसे यहूदियों ने जेहोवा की स्तुति में कहा है। एक ऋचा में कहा गया है कि जब त्रित्सु-जन के राजा सुदास को दस राजाओं ने बुरी तरह दबा दिया तो नदी में आयी हुई बाढ़ को घटाकर इन्द्र ने सुदास को सुरक्षा प्रदान की थी।

एक दूसरी ऋचा में कहा गया है 'तूने तुविंति के लिये बाढ़ को नियंत्रित कर दिया और तुम्हारी आज्ञा मान कर बाढ़ घट गयी और तूने ही नदियों को पारगम्य किया है।' इसे आप बाइबिल (७८, १३) से मिलायें। 'उसने समुद्रों को विभाजित किया और उन्हें आर-गार जाने योग्य किया। उसने पानी को दूहकी भाँति खड़ा होने को बाध्य कर किया।'।

वेद में कुछ विवरण ऐसे भी हैं जो वेद के छात्रों को जोशुआ के युद्ध की याद दिला देते हैं जिसमें सूर्य, चन्द्र तब तक के लिये स्थिर हो गये थे जब तक लोगों ने शत्रुओं से बदला नहीं ले लिया था। वेद में लिखा गया है कि 'इन्द्र ने दिन को बढ़ा दिया और सूर्य ने मध्याह्न में ही अपने रथ के घोड़ों को रथ से उन्मुक्त कर दिया।'।

इन्द्र की स्तुति में कुछ ऋचाएँ ऐसी भी हैं जिनमें यह बात बिल्कुल भुला दी गयी सी ज्ञात होती है कि इन्द्र का आकाश से या आंधियों से कोई सम्बन्ध है। वे एक दमसे आध्यात्मिक देव के रूप में दिखाये गये हैं जो सभी संसारों के मालिक हैं, सब कुछ देखते सुनते हैं इतना ही नहीं, वे मानवों में सर्वोच्च विचारों को

प्रेरित करते हैं। कोई भी उनका समकक्ष नहीं है, कोई भी उनसे बड़ा नहीं है।

इन्द्र का नाम केवल भारत में ही पाया जाता है। हमारे ऐसा कहने का एक कारण है। यह निश्चित है कि अति प्राचीनकाल में आर्य किसी एक ही स्थान पर रहते थे। वह स्थान चाहे जहाँ भी रहा हो। धीरे-धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ी और साथ ही असुविधा भी। फलतः उनकी कई शाखाएँ हो गयीं। उत्तरगामी और दक्षिणगामी आर्यों की चर्चा पहले हो चुकी है। शाखाओं में बँटने को इस घटना को हम विभाजन की संज्ञा दे सकते हैं। आर्यों की विभिन्न शाखाओं में दो प्रकार के देवताओं के नाम पाये जाते हैं। जिन देवताओं का नामकरण या जिन देवताओं की कल्पना विभाजन के पूर्व ही हो गयी थी वे आर्यों की प्रत्येक शाखा में पाये जाते हैं, भले ही देश कालानुसार उनके नामों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया हो। विभाजन के बाद जिन देवताओं की कल्पना किसी शाखा में की गयी, उनका नाम केवल उसी शाखा में मिलता है। चूँकि इन्द्र का नाम आर्यों की केवल भारतीय शाखा में ही मिलता है अतः यह परिणाम निकालना अनुचित न होगा कि इन्द्र की कल्पना वैदिक ऋषियों ने भारत में पहुँच कर की। और यदि इन्द्र की कल्पना विभाजन के पूर्व की होती तो आर्यों की अन्य शाखाओं में भी उसका कोई न कोई नाम अवश्य पाया जाता। वैदिक देवों में कुछ देव ऐसे भी हैं, जिनकी कल्पना विभाजन के पूर्व हो चुकी हो गयी रही होगी, क्योंकि किसी न किसी रूप में वे सभी शाखाओं में पाये जाते हैं, यद्यपि देश काल की विभिन्नता ने उनके नामों कायी और विशेषताओं में अन्तर उत्पन्न कर दिया है। उदाहरण स्वरूप द्यौस् को हम जीअस या जुपिटर के रूप में, उषस् को सप्रोस के रूप में, सूर्य को हेलियोस के रूप में, अग्नि को अग्निस के रूप में पहचान सकते हैं। वरुण ही यूरेनस है, वाक ही वाक्स है और मरुत्स में इटैलियनों के युद्ध देवता मार्स को ध्याया स्पष्ट है। इन स्पष्ट सम्बन्धों के अतिरिक्त कुछ स्पष्ट सम्बन्धों की भी शोष की गयी है। हरमस तथा सारमेय, डायनोसिस तथा द्युनिस, प्रामोथियस तथा प्रमन्य का सम्बन्ध इसी प्रकार का है। भारतीय पवन को हम ग्रीक के मान के रूप में देख पाते हैं।

द्यौस् का देवता इन्द्र जो ऋषियों का भी देवता है, वर्पा करता है, आर्यों की पश्चिमोत्तर की शाखाओं में नहीं पाया जाता, यद्यपि उस शाखा में भी एकाध देवता ऐसे हैं जो इन्द्र द्वारा किये जाने वाले कार्यों में से कुछ को पूरा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं। वेदों में भी कुछ देव ऐसे हैं जो इन्द्र के कामों में से कुछ को करते हुए दिखाए गये हैं और पर्जन्य उनमें से एक है। पर्जन्य शब्द विभाजन के पूर्व का प्रतीत होता है क्योंकि कम से कम दो आर्य भाषाओं में इस शब्द का परिवर्तन

परन्तु परिचित रूप मिलता है। जर्मनी में एवम् बाल्टिक सागर के तट पर बसने वाली शाखाओं में पर्जन्य का समान रूप मिलता है।

वेद में कभी कभी पर्जन्य का विवरण इस प्रकार दिया गया है कि उससे द्यौस का भ्रम हो जाना स्वाभाविक होता है। अथर्ववेद कहता है 'भूमि हमारी माता है। मैं उसका पुत्र हूँ। पर्जन्य हमारा पिता है, वह हमारी सहायता करे।' एक अन्य स्थल पर धरती को आकाश की पत्नी न कह कर पर्जन्य की पत्नी कहा गया है।

प्रश्न होता है कि आखिर यह पर्जन्य कौन है या क्या है? इस विषय में ध्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि पर्जन्य द्यौस का ही पर्याय। कुछ उसे इन्द्र का पर्याय मानते हैं जो कालान्तर में द्यौस का उत्तराधिकारी हुआ। वह आकाश का भी देवता हो सकता है बादलों का भी और वर्षा का भी।

मुझे तो ऐसा लगता है कि आकाश, बादल या वर्षा के इस देवता की अभि-योजना इस प्रकार की गयी है कि यदि इसका अनुवाद करना हो तो वैदिक व्याकरण के कुछ नियमों को तोड़ कर ही हम ऐसा कर सकते हैं। निस्सन्देह यह सत्य है कि जब भी कभी हम अपने सुदूर के पूर्वजों की बात करें तो हमें अपने तत्सम्बन्धी विचारों को अपने ही ढंग से प्रगट करना चाहिए, परन्तु हमें यह बात कदापि न भूल जाना चाहिये कि प्राचीनकाल के शब्दों का वास्तविक अर्थ बताने में आधुनिक कालीन कोषों से कम ही सहायता मिल सकती है। हमें तो यह देखना होगा कि किसी शब्द को वे लोग किस अर्थ में ग्रहण करते थे। आज के बने कोष तो किसी शब्द का वही अर्थ देंगे जो आज कल प्रचलित है। वर्तमान शब्द कोष के अनुसार देव माने देवता, पर्जन्य माने बादल होता है यह ठीक है मगर अब इसी ढंग से 'पर्जन्यस्य देवः' का अर्थ लगाइये तो इसका अर्थ होगा बादल के देवता। अब संस्कृत भाषा की परम्परा को लीजिये जिसके अनुसार इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता। वैदिक संस्कृत में चाहे वह आकाश का देव हो या पृथ्वी का या वर्षा या बादलों का, परन्तु उसमें 'देव' शब्द पृष्ठी की विभक्ति के बाद कभी नहीं लगता। देव शब्द का अर्थ तो उसी शब्द में निहित रहता है। धीरे-धीरे उसी मूल शब्द में हम देव की धारणा भी बना लेते हैं। हम कहीं भी 'आकाशस्य देवः, पवनस्य देवः' ऐसा लिखा हुआ नहीं पा सकते। आकाश का अर्थ ही हो जाता है देवता रूपी आकाश या आकाश का देवता। ऐसी स्थिति में 'पर्जन्यस्य देवः' का क्यों प्रयोग हुआ और यदि हुआ तो उसका अर्थ

* माता भूमिः तस्याहम् पुत्रः

क्या होगा। बात यह है कि प्राचीन भाषाओं में कितने ही शब्दों के अर्थ निश्चित रूप से एक ही नहीं रहते थे, और वक्ता के बोलने के उद्देश्यानुसार ही उन शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाता था और भाषा का यह लचोलापन देवताओं के नामों के प्रासम्बन्ध में भी लागू होता है। ऐसे भी सन्दर्भ हैं जिनमें पर्जन्य शब्द बादल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और ऐसे भी मन्त्र हैं जिसमें इसी शब्द का प्रयोग वर्षा के अर्थ में किया गया है। कुछ ऋचाएँ ऐसी भी हैं जिनमें पर्जन्य को वही स्थान दिया गया जो दूसरी ऋचाओं में द्यौस को या इन्द्र को दिया गया जो वायुमण्डल के कर्मठ देव हैं। वैज्ञानिक ढंग से विचार करने वाले पौराणिकों को यह असंगति एकदम से अवैज्ञानिक प्रतीत होगी, परन्तु इसे हम सुधार तो सकते नहीं। मेरी समझ में तो ऐसा आता है जैसे प्राचीनों का विचार, उसकी भाषा एकदम से अवैज्ञानिक ही रही हो और अवैज्ञानिकता ही उनकी प्रवृत्ति भी है और विशेषता भी। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य यही होना चाहिये कि क्या होना चाहिये के चक्कर में न पड़कर वेद का जो भी रूप हमारे सामने है हम उसी का पूर्ण अध्ययन करें। यह शिकायत करते-करते कुछ लाभ नहीं होने का है कि हमारे पूर्वज ठीक उम्मी तर्क सम्मत रूप से नहीं सोचते थे या नहीं सोच पाते थे, जिस रूप में हम सोचते या सोच पाते हैं।

वैदिक सूक्तों में ऐसे भी अंश हैं जिनमें पर्जन्य को जगन्नियन्ता तक कहा गया है। द्यौस के समान उसे पिता भी कहा गया। एक ऋषि का कहना है कि 'वह देव रूप में सारे संसार का शासक है, सभी जीव उसी में निवास करते हैं, वह समस्त चर-अचर की आत्मा है'।

वास्तविकता यह है कि पर्जन्य के विषय में जो कुछ कहा गया है वह उसे सर्वोच्च देव बनाने के लिये पर्याप्त है, फिर भी दूसरे कई सूक्तों में उसे एक देव मात्र कहा गया है, जिसको कृपा से इस भूतल पर वर्षा होती है और वह मित्र और वरुण के नियंत्रण में कार्य करता है, जिन्हें इस अवस्था में सर्वोच्च देव कहा गया है जो अरतो और आकाश का सर्वाधिक सशक्त शासक है।

कुछ दूसरे मंत्रों में उसके किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व का चित्रण नहीं किया गया है और इस शब्द को मात्र बादल के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है।

एक सूक्त में कहा गया है कि 'दिन में भी पानी के भरे बादल पृथ्वी पर अंधेरे की मृष्टि कर देते हैं और पृथ्वी को शीतलता प्रदान कर देते हैं'। इस मंत्र में बादल के अर्थ में पर्जन्य का प्रयोग है और प्रयोग जातिवाची है न कि व्यक्तिवाची क्योंकि भागे चलकर हमें इसका बहुवचन रूप देखने को मिलता है जो इतस्ततः भ्रमण किया करते हैं।

वैदिक देवतां

१६३

जिस समय देवापि अपने भाई की ओर से प्रार्थना करता है तो वह कहता है कि 'हे मेरी स्तुतियों के देवता, तुम चाहे मित्र हो या वरुण या पूषण, हमारे यज्ञ में भावो। चाहे तुम आदित्यों के संग हो या वसुओं के या मरुतों के पर्जन्य को शान्तनु के लिये बरसने की आज्ञा दो'।

फिर 'हे पर्जन्य, तुम चलो'।

कई स्थानों में हम पर्जन्य को बादल के अर्थ में भी ग्रहण कर सकते हैं और वर्षा के रूप में भी क्योंकि जो वर्षा के लिये प्रार्थना करता है, वह प्रकारान्तर से बादल के लिये भी प्रार्थना करता है। वर्षा से जो लाभ हो सकते हैं वही लाभ बादल भी हैं। एक विचित्र ऋचा तो मण्डूक को सम्बोधित की गयी है जो वर्षा के प्रारम्भ में पृथ्वी से निकल कर क्रीडारत हो जाते हैं और अपनी ध्वनि से दिग् दिगन्त गुंजायमान कर देते हैं। कवि इन मण्डूकों की उपमा वेदपाठी विप्रों से देता है यद्यपि यह उपमा कुछ विचित्र सी लगती है क्योंकि वह ऋषि भी विप्र ही रहा होगा। कहा गया है कि पर्जन्य ही मण्डूकों को उनका स्वर पुनः उन्हें प्रदान करता है। इस ऋचा में आए पर्जन्य को हम वर्षा के अर्थ में ही ग्रहण कर सकते हैं या अधिक से अधिक बादल तक जा सकते हैं।

पर्जन्य को सम्बोधित की गयी स्तुति का अनुवाद मैं आप लोगों के समक्ष लाऊंगा, जिसमें पर्जन्य की कल्पना देव रूप में की गयी है, या यों कहें कि उसकी कल्पना उसी सीमा तक देव रूप में की गयी है, मानव जाति के मानसिक विकास की तत्कालीन स्थिति में जो सीमा सम्भव थी।

१—'इन गीतों से उस प्रबल देव की स्तुति करो, पर्जन्य की प्रशंसा करो, मानपूर्वक उसका पूजन करो, क्योंकि वह गर्जते हुए वृषभ के समान है, बूंदों को पृथ्वी पर वितरित करके पौधों में बीजमय फल प्रदान करता है।

२—'वह पेड़ों को छिन्न कर देता है, दुरात्माओं को मार देता है; उसके प्रबल अस्त्र के सम्मुख समूचा संसार कांपता है। शक्तिशाली के सामने जाने का आहस निरपराधियों को भी नहीं होता फिर अपराधी जन उसके सम्मुख कैसे आवेंगे जब कि सभी जानते हैं कि पर्जन्य दुष्कर्मियों का संहारक है।

३—'अपने घोड़ों को ताज से मारते हुए एक सारथी के समान वह अपनी वर्षा की बूंदों को सन्देशवाहक के रूप में पृथ्वी पर भेजता है। जब पर्जन्य आकाश से वर्षा जल से भर देता है तो अति दूर से सिंह की गर्जना सुनायी देने लगती है।

४—'वायु चलती है, बिजली चमकती है, पौधे बढ़ने लगते हैं, आकाश से

फ० न० १८

बूंदें गिरने लगती हैं। संसार के लिये खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जब पर्जन्य अपने बीज को सौभाग्यशालिनी धरती में आरोपित करता है।

५—‘हे पर्जन्य, तुम्हारे कार्यों के समक्ष पृथ्वी नतमस्तक हो जाती है, तुम्हारे तो समक्ष छुरों वाले जानवर तितर-बितर हो जाते हैं, पौधे नाना प्रकार के आकारों के ग्रहण करने लगते हैं, तू हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर।’

६—‘हे मरुत्, हमें स्वर्गीय वर्षा प्रदान करो, सबल अश्वों की धारा सो बहा दो और अपने गम्भीर गर्जन के साथ तुम आओ, वर्षा करते हुए आओ, क्योंकि हे पर्जन्य तुम जीवित दैव हो, तुम हम सबके पिता हो।’

७—‘तुम गरजो, चपला चमकाओ, हमें सफलता दो, अपने जल पूर्ण रथ पर हमारे चतुर्दिक् भ्रमण करो। जब तुम्हारा जल पात्र पानी से पूर्ण हो जाय तो उसका मुँह खोल दो और ऊँचे व नीचे स्थलों को समभाव कर दो।’

८—‘हे पर्जन्य जब गर्जन तर्जन करके तू दुष्कर्मियों का विनाश करता है, तब प्रत्येक को प्रसन्नता प्राप्त होती है। पृथ्वी के सभी जीव जन्तु प्रसन्न हो जाते हैं।’

९—‘अपने बड़े जल पात्र का मुँह नीचे कर दो और पानी को स्वतंत्रतपूर्वक हमारी ओर आने दो। पृथ्वी और आकाश को भिगोकर स्वस्थ बना दो और गावों के लिये सूखी ऋतु की भी व्यवस्था करो।’

१०—‘तुम काफी वर्षा कर चुके हो, अब रुको। मरुस्थल भी पारगम्य हो गये हैं, भोजन से युक्त पौधे भी बढ़ चुके हैं और मानवों द्वारा की गयी तुम्हारी प्रशंसा-तुम्हें प्राप्त हो चुकी है।’

यह एक वैदिक सूक्त है। इसी सूक्त से हमें यह भी पता चल जाता है कि वैदिक सूक्त अन्ततः हैं क्या। उनमें न तो काव्य-बैभव है और न हमारे द्वारा ग्रहण किये जाने वाले अर्थ में काव्यगत-सौन्दर्य, फिर भी आप किसी ग्राम की पूरी किसान संख्या को ले लीजिये और देखिये कि यद्यपि उनका भी जीवन पूरी तरह वर्षा पर ही निर्भर रहता है, फिर भी उनमें से कितने ऐसे हैं जो पर्जन्य की इस प्रकार की स्तुति रच सकते हैं, साथ ही यह भी मत भूलें कि ये रचनाएँ कम से कम तीन सहस्र वर्ष पूर्व की हैं। आप लोग यदि ध्यान देंगे तो आपको इनमें काव्य गत विवरण भी कम नहीं मिलेगा। जिस किसी ने उष्ण कटिबंधीय देशों में वज्रपात के साथ काले बादलों द्वारा की गयी वर्षा को देखा है वही इन वाक्यों के वास्तविक अर्थ को ग्रहण कर सकेगा कि ‘हवा चलती है, चपला चमकती हुई दौड़ती है, पौधे निकल पड़ते हैं, खुरदार पशु तितर-बितर हो जाते हैं’। उक्त सूक्त में जिन विचारों को प्रगट किया गया है वे वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं। पर्जन्य अपने स्वर्गस्थ कुएं से डोलों में भरकर धरती पर फेंकता है।

यदि आप विचार करें तो इस सूक्त में नैतिक भावना का भी दर्शन हो सकता है। 'जब पानी बरसता है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, वज्रपात होता है तो दुष्कर्मों को मारे ही जाते हैं, निरपराध जन भी भाग खड़े होते हैं'। हम देखते हैं कि के उत्पात न केवल प्रकृति के अस्वाभाविक या यों कहें कि असाधारण प्रकोप हैं वरन् इनमें एक और उच्चतम शक्ति की इच्छा भी व्याप्त है और इसीलिये कविों में विश्वास है कि ये सब उत्पात केवल दुष्कर्मियों का ही नाश करते हैं किन्तु डरना सबको चाहिये और सब डरते भी हैं क्योंकि सम्पूर्ण रूप से निरपराध होना शायद सम्भव है।

इतना कहने के बाद यदि हम पूछें कि 'पर्जन्य कौन है या क्या है ? तो का यही उत्तर होगा कि प्रारम्भ में पर्जन्य की कल्पना केवल बादल के ही रूप की गयी थी और यह सोचा गया था कि वह जल दाता है, परन्तु ज्यों ही यह बार उत्पन्न हुआ कि वह जल नहीं है वरन् जल का देने वाला है, त्यों ही हमारे मनों से देखे जाने वाले ये बादल किसी उच्चशक्ति के प्रतीक मात्र हो गये अथवा हैं किसी उच्चशक्ति का शरीर मात्र मान लिया और कल्पना की गयी कि वास्तविक शक्ति का निवास इन बादलों से परे कहीं और है। कहाँ है ?' इसका पता नहीं। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि कई मंत्रों में पर्जन्य आकाश के रूप में माना है जिनमें धरती के पर्जन्य को ही धर्मपत्नी कहा गया है। अन्य कितने ही मंत्रों में उसे द्यौस का पुत्र माना गया है और इस बात का विचार नहीं किया गया है कि इस प्रकार तो पर्जन्य की माता ही उसकी पत्नी हो गयी। हम देख चुके हैं कि वैदिक ऋषियों ने इन्द्र को अपने ही पिता का पिता बना दिया और वे तनिक भी न हिचके वे केवल इतना ही कह कर रह गये कि 'वास्तव में यह सबसे बड़ा आश्चर्यमय है'।

कभी ऐसा भी हुआ है कि पर्जन्य उन कार्यों के कर्त्ता रूप में भी प्रस्तुत किया गया है जो अन्य ऋचाओं के अनुसार इन्द्र द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। कभी उसके द्वारा वायु सम्बन्धित कार्य भी कराये गये हैं और कभी वर्षा कारक सीम के स्थान की भूमि उसी के द्वारा करायी गयी है। फिर भी न तो वह द्यौस है, न इन्द्र है, न मरुत और न वायु या सोम है। वह है पर्जन्य ही। उसका व्यक्तित्व निराला है, वह सबसे अग्न है और आर्यों के प्राचीनतम देवों में उसकी गणना है।

यदि यह शब्द 'पर्ज' घातु से बना हो (पर्ज छिड़कने के अर्थ व्यवहृत होता है) तो वास्तव में पर्जन्य का अर्थ होना चाहिये 'सिचाई करने वाला' या 'वर्षा करने वाला'।

जब आर्य-परिवार के सदस्य तितर बितर हुए तो वे बादल के इस नाम को अपने साथ ले गये; चाहे वे समस्त ग्रीकों या केल्टों के पूर्वज रहे हों चाहे थ्यूटनों या स्लाव जाति के। ऐसे ले जाये जाने वाले शब्द कभी कभी तो आर्यों की सभी शाखाओं में पाये जाते हैं या कभी कभी केवल छः, पाँच, चार, तीन या कम से कम दो शाखाओं में तो अवश्य ही पाये जाते हैं। अले ही देश काल स्थिति के अनुसार उन शब्दों में कुछ परिवर्तन आ गया हो। हम जानते हैं कि आर्यों के सात मुख्य उत्तराधिकारी हुए *। हम यह जानते हैं कि आर्यों के ये सदस्य एक बार बिलग होकर फिर कभी एक नहीं हुए। यह अलग-अलग व ऐतिहासिक काल प्रारम्भ होने के काफी पहले हुआ होगा। अतः जो भी समान शब्द न्यूनाधिक समान अर्थों में आर्यों की दो जातियों में भी सुरक्षित रह गये हैं उनके विषय में यह परिणाम निकालना त्रुटिपूर्ण न होगा कि वे शब्द आर्यों में तब भी प्रचलित थे जब वे सब के सब एक साथ ही रहते थे। उन शब्दों को यदि आर्य विचारों की निधि कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।

ग्रीक, लैटिन, केल्टिक या थ्यूटनिक भाषाओं में तो पर्जन्य शब्द की स्पष्ट या अस्पष्ट छाया कहीं भी नहीं मिलती। स्लाव भाषा में भी तब तक इस शब्द की छाया नहीं मिलती जब तक हम उस युग के साहित्य में नहीं पहुँच जाते। स्लाव भाषा की एक उपशाखा बन चुकी थी, जिसे हम लोट्टक कहते हैं। इस भाषा में अर्वाचीन तीन भाषाएँ सम्मिलित थीं जिन्हें हम लिथुआनियन, लोट्टिश और प्राचीन प्रशान भाषा कह सकते हैं। जिस रूप में आज के सामान्य जन द्वारा लिथुआनियन

* पहले पहल आर्यों की दो शाखायें हुईं। एक पश्चिमोत्तर की ओर चली और एक दक्षिण की ओर। पश्चिमोत्तर अर्थात् योरप की ओर जाने वाली शाखा कालांतर में पाँच उपशाखाओं में बँट गयी। इस उपविभाजन का भी समय ज्ञात नहीं है। केल्ट लोग योरप के सुदूर पश्चिम तक चले गये और फ्रांस, बेल्जियम ब्रिटेन और आयरलैंड में बसे। थ्यूटन लोग योरप के उत्तर और मध्यभाग में बसे और वहीं से रोम के पतन के पश्चात् योरप विजय के लिये निकले। स्लाव लोग पूर्वी भाग में बसे अर्थात् उनका निवास स्थान हुआ योरप का पूर्वी एवम् एशिया का पश्चिमी भाग। इलेटिक और ग्रीक जातियाँ योरप के दक्षिण में बसीं। दक्षिणगामी आर्य इंडस तक पहुँच गये। इंडस (सिंध) के आर्यों की भाषा बनी संस्कृत और ऋग्वेद इन्हीं आर्यों की रचना है। देखिये श्री रमेश दत्त लिखित प्राचीन भारत की सभ्यता में 'आर्य और उनका साहित्य नामक' अध्याय।

—अनुवादक

भाषा बोली जाती है उसमें व्याकरण के कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो आदिम कालीन भाषा के नियमों के समान हैं। कुछ अंशों में तो वे संस्कृत के एकदम अनुरूप हैं। अनुरूपता को देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। शेष भाषा शताब्दियों के प्रवाह में घिस मिट गयी है।

इसी लिथुआनियन भाषा में पर्जन्य अभी तक सुरक्षित हैं। वहाँ वह आज भी जीवित है जब कि स्वयम् भारत में वह केवल विद्वानों की वस्तु बनकर जीवित है। सामान्य जन का उससे तनिक भी परिचय नहीं रह गया है। उधर लिथुआनियन में अधिकांश ईसाई हो चुके हैं, परन्तु आज भी वर्षा के लिए उनमें जो प्रार्थनाएँ प्रचलित हैं वे ऋग्वेद के उस सूक्त के ही सदृश हैं, जिनका अनुवाद अभी कुछ पहले आप लोगों के समक्ष रख चुका हूँ। लिथुआनियाँ में वर्षा के देवता को 'पकु'नस' कहते थे और आज भी बादल की गरज के अर्थ में वहाँ वही शब्द प्रयुक्त होता है। प्राचीन प्रशा की भाषा में बादल की गरज को पकु'नस' ही कहते थे और लेट्टिस भाषा में आज भी बादल की गरज को पका'स कहते ही हैं और वही पका'स बादलों की गरज का स्वामी या देवता है।

मेरा विश्वास है कि पहले पहल ग्रिम साहब ने वैदिक पर्जन्य की संगति प्राचीन स्लाव भाषा के पेरुन से बैठाया। यही पेरुन पोलिश भाषा का पायोरन है; बोईसियन भाषा का पेरान है। डोब्रोवस्को नामक सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री ने इन शब्दों का मूल धातु 'पेरु' को माना था जिसका अर्थ होता है 'मैं आघात करता हूँ'। ग्रिम साहब ने सिद्ध किया कि पकु'नस, परका'स और पकु'नास शब्द क्रमशः लिथुआनियन, लेट्टिस तथा ओल्ड प्रशान भाषा में पाये जाते थे और यहाँ तक माल्डेविया के लोग भी अपने थंडर गाड को पोरगोइनि कहने लगे थे।

यद्यपि लिथुआनियाँ के लोगों की भाषा आर्य-परिवार की नहीं है, फिर भी उस भाषा में पड़ोसी जातियों की भाषाओं के अनेक शब्द पाये जाते हैं। इस भाषा में सत्रहवीं सदी में रचित एक प्रार्थना है जिसमें वर्षा के देवता को पिकर या पिकन के नाम से सम्बोधित किया गया है। उस प्रार्थना का अनुवाद मैं आप लोगों को सुनाता हूँ।

'हे प्रिय पिकर, हम तुम्हारे लिये एक बैल की बलि दे रहे हैं जिसके दो सींग और चार फटे हुए खुर हैं। हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं कि हमें हल चलाने एवम् बीज बोने की सुविधा दो, कि हमारा भूसा ताँबे का सा लाल हो और हमारे दाने सुनहरे पीले रंग के हों; सघन वन हों और जंगली वातावरण हो। हम तो हल

चलाने वाले हैं, बीज बोने वाले हैं, हमें तो फलदायक ऋतु चाहिये, मधुर वर्षा चाहिये। हे पवित्र देव, हमारे खेतों को रक्षित रखो ताकि उनमें सुन्दर भूसा, नयनाभिराम बालें तथा सुपुष्ट अन्न उपजे।'

मैं आपके सामने एक बार फिर दुहराता हूँ कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इस आदिम काव्य की अनुचित प्रशंसा करूँ चाहे वह लिथुआनिया की सत्रहवीं शताब्दी की प्रार्थना हो या वैदिक कालीन भारतीय ऋषियों की वाणी हो। यह काम मैं काव्य शास्त्र के आलोचकों के लिये छोड़ता हूँ। मैं आपसे केवल इतना ही पूछने का अभिलाषी हूँ कि क्या उपरोक्त कविता इस बात को स्पष्ट नहीं कर देती कि जिस प्रकार की प्रार्थनाएँ वैदिक कवियों ने सिकन्दर से भी एक सहस्र वर्षों पूर्व की थी ठीक उसी प्रकार की कविता उस देश में सत्रहवीं शताब्दी में रखी गयी थी जो पूर्वी जर्मनी तथा रूस के बीच में पड़ता है? आप यह न भूलें कि लिथुआनिया की यह कविता केवल दो सौ वर्ष पुरानी है। क्या यह तथ्य ज्ञानप्रद नहीं है कि संस्कृत के पर्जन्य शब्द को कितनी ही भाषाओं ने अब तक सुरक्षित रखा है? आप इस बात को भी समझ लें कि लिथुआनिया की भाषा में पकु'नस शब्द मात्र एक संज्ञा है और उसमें से अन्य शब्दों की उत्पत्ति सम्भव नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं विद्वान लोग इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि यह शब्द अपने विभिन्न रूपों में एक ही अर्थ में स्लावनिक भाषा, पोलिश भाषा तथा बोहोमियन भाषा में चिरकाल तक बना रहेगा।

मैं समझता हूँ कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, परन्तु आपको विश्वास करना चाहिये कि जब इस प्रकार के तथ्यों से मेरा साक्षात्कार होता है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मिश्र देश के राजाओं की मृत सुरक्षित देहों की नसों में फिर से रक्त प्रवाह होने लगा हो या जैसे कृष्णपाषाण निर्मित मिश्र देश की मूर्तियों में नवजीवन संचार हो गया हो और वे अपने समय की कहानियाँ कहने लगी हों, उस समय की, जिसे बीते कई सहस्र वर्ष हो चुके हैं। आप उन्हें ममी भी पुकार सकते हैं और मूर्ति भी कह सकते हैं, परन्तु मेरे लिये तो वे सजीव हो उठती हैं। जिसे हम प्राचीन, अति प्राचीन समझ बैठे थे, वे ही सर्वथा नवीन हो उठती हैं और कितनी नवीन वस्तुएँ जैसे हमें प्राचीन सी दिखाई देने लगती हैं। आप केवल पर्जन्य शब्द की ही मोहकता पर विचार करें तो आपको पता चलेगा कि केवल एक शब्द के माध्यम से ही हमारे नेत्रों के समक्ष वे भोपड़ियाँ, वे गुफाएँ साकार हो उठती हैं, जिनमें समस्त आयुं जातियों के पूर्वज, स्वयम् हमारे पूर्वज वर्षा की झड़ी से बचने के लिये सामूहिक रूप से शरण लेते थे। चाहे हम आज बाल्टिक सागर तट पर रहते हों या सिंध नदी तट पर, वे सब के पूर्वज थे। वे सब पर्जन्य की झड़ियों से समान

रूप में त्रस्त घरे थे और तब पर्जन्य की प्रार्थना करने लगते थे कि 'हे पर्जन्य, अब रुक जाओ, तुमने पर्याप्त वर्षा कर दी है, तुमने मरुस्थल को भी गम्य कर दिया है, बीजों को संकुचित एवम् पीधों को पल्लवित कर दिया है तथा मनुष्यों की प्रशंसा के पात्र बन चुके हो। अब हमारी रक्षा करो।'।

अभी हमें तृतीय वर्ग के देवताओं पर विचार करना शेष ही है। अभी तक हमने केवल पार्थिव और वायु मंडलस्थ देवताओं पर ही विचार किया है, परन्तु इस वायुमण्डल से भी परे, दूर, बहुत दूर, जहाँ हमारी इन्द्रियों की गति नहीं है, वहाँ भी कुछ देवताओं का निवास है जो अब तक प्रस्तुत कर्मशील एवम् युद्धशील देवताओं से अधिक गम्भीर, अधिक वरिष्ठ हैं, इन्द्रियातीत हैं और इसलिये इस पृथ्वी और वायु के वर्गों की तुलना में अनेक कार्य और उनकी कार्य विधि अत्यधिक रहस्यपूर्ण हैं।

निस्सन्देह ऐसे देवों में द्यौस का विशिष्ट स्थान है। यह वही द्यौस है जिनकी आसना विभाजन के पूर्व ही से हमारे पूर्वज करते आये हैं और इसीलिए इसके दर्शन में सर्वत्र होते हैं। ग्रीक में यही जीअस है, इटैली में इसी को जुपिटर कहते हैं। तथा द्युटनिक जातियों में इसे तिर या रचू नाम से जाना जाता है। वेदों की संगति में हमने देखा था कि उसकी प्रार्थना द्यावापृथिव्यो अर्थात् धुम्म रूप से की गयी थी। उसने स्वयम् भी अपनी स्तुति की है, वह अन्तर्ध्यानस्थ देवता है और कालान्तर में इन्द्र ने द्यौ के स्थान को ग्रहण किया है।

वरुण नामक एक अन्य देव भी है जो सबको प्यार करता है और सबकी रक्षा करता है। यह नाम वर् धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है 'ढँकना'। यह ग्रीक देवता औरनस के अनुरूप है। हिन्दू मस्तिष्क की सर्वाधिक मोहक रचना है वरुण। हम उह भौतिक स्थिति की कल्पना आज भी कर सकते हैं, जिसने उसे जन्म दिया है। उस विस्तृत, तारक रचित, द्युतिमान नभ की कल्पना अवश्य ही सरल है। वरुण को स्थितियों ने सर्वाधिक परिवर्तनों का आलिंगन किया है। उसका पूर्ण परिवर्तन हो चुका है और आज उसका जो रूप हमारे सामने है वह एक ऐसे देवता का रूप है जो अमर रह कर इस पृथ्वी के समस्त प्राणियों के कुकर्म और सुकर्म देखता रहता है, दुष्कसियों को दण्ड देता रहता है और स्तुतिपूर्वक क्षमा याचना को स्वीकार भी करता रहता है।

वरुण को सम्बोधित करके कहे गये एक सूक्त का अनुवाद मैं आप लोगों को सुनाऊँगा :

'हे वरुण, तुम्हारी सेवा में हम प्रसन्न रहें, क्योंकि हम सदैव तुम्हारा ही चिन्तन करते हैं, और तुम्हारी ही प्रशंसा करते हैं, दिन रात आपको नमस्कार करते

है। जिस प्रकार वेदी की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है उसी प्रकार ब्राह्म मुहूर्त में हम सदैव तुम्हारा ही ध्यान करते हैं।'

'हे वरुण, तुम्हीं हमारे नेता हो, हम तुम्हारी शरण में रहें। तुम्हारे अधीनस्थ एक से एक प्रबल शक्तियाँ हैं और तुम्हारी प्रशंसा दूर-दूर तक फैली हुई है। तुम अदिति के अपराजेय पुत्र हो हमें अपना मित्र बनाओ।'

'शासक आदित्य ने इन नदियों को भेजा है, वरुण के विधानानुसार कार्यरत रहती हैं, वे थकती नहीं, रुकती नहीं, वे चिड़ियों की भाँति मनचाहे स्थलों को जाती हैं।'

'हमसे हमारे पापों को दूर करो और तब हमारी वृद्धि होगी। हे वरुण हम तुम्हारे ही विधान से उत्पन्न हैं। कहीं ऐसा न हो कि मेरे गीतों का ताना बाना तैयार होने के पूर्व ही तागा टूट जाय। कारीगर समय के पहले ही नष्ट न हो जाय।'

'हे वरुण, हमें इस भय से दूर ले चलो, मेरे ऊपर दया करो। जैसे बछड़े के गले से रस्सी छोड़ दी जाती है, वैसे ही हमारे पापों से हमें मुक्त कर दो। तुमसे दूर रह कर तो हम एक निमिष के भी स्वामी नहीं रह जाते।'

'हे वरुण, हम पर आघात मत करो, क्योंकि तुम्हारा अस्त्र तो दुष्कर्मियों के लिए है, हमें प्रकाशहीन स्थल में न ले जावो हमारे शत्रुओं को तितर-बितर कर दो ताकि हम रक्षित रहें।'

'हमने तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाये हैं, गाते हैं और गाते रहेंगे। हे प्रबल वरुण सभी विधान तुम पर वैसे ही स्थित हैं जैसे एक शिला पर।'

'सभी आत्मवृत्त पाप हमसे दूर हो, दूसरे के दुष्कर्मों का दण्ड हमें न मिले। अभी न जाने कितनी बार उषा आवेगी, हम उसे यों ही देखते रहें।'

आप लोगों ने देखा कि इस सूक्त में वरुण को आदित्य कहा गया जो अदिति का अपत्यवाची रूप है। अदिति का अर्थ है अनन्त। दिति अर्थात् सीमित में अ अर्थात् 'नहीं' उपसर्ग लगाकर अदिति बना है जिसका अर्थ होता है, असीम, सम्पूर्ण अनन्त। वेद में जब तब अदिति को भी प्रार्थना की गयी है और उसे 'परे' के अर्थ में ग्रहण किया गया है, अर्थात् जो धरती आकाश के परे है, सूर्य और उषा से परे है। वास्तव में धार्मिक विचारों को उस प्रारम्भिक स्थिति में इस प्रकार की कल्पना अवश्य ही आश्चर्यजनक थी। अदिति से अधिक चर्चा आदित्यों की है जो अदिति के ही पुत्र हैं और जो दृश्य धरती आकाश से परे के देव हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वे अनन्त देव हैं। वरुण उन्हीं में से एक है। दूसरे हैं मित्र और अर्यमन्। ये सभी

संज्ञाएँ भाववाची हैं यद्यपि वे सब संकेत करती हैं आकाश से आते हुए उस सौर प्रकाश की ओर जिसके मूल श्रोतका उन्हें ज्ञान नहीं है।

जब मित्र और वरुण को संयुक्त स्तुति की जाती है तब भी हम अस्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रारम्भ में या मूल में वे दिन और रात्रि के रूप हैं, प्रकाश और तमस् के रूप हैं, परन्तु जब उनका व्यक्तिगत रूप या नाटकीय रूप निखर आता है हम तब दिन और रात, प्रकाश और तम को अश्विन * देवों के रूप में पाते हैं।

अनन्त अर्थात् अदिति के अध्ययन, से भी यह पता लगता है कि प्रारम्भ में उपस् को ही अदिति माना जाता था, † परन्तु ज्यों-ज्यों उपस् के स्वरूप का विकास होता गया त्यों-त्यों हम उसे उषा के रूप में (जो यूनानियों का दण्ड है) प्रातः मूल की सुन्दरी कुमारी दासी का स्वरूप देखने लगते हैं, जिसे अश्विन देव का प्रेम है, सूर्य प्रेम प्राप्त है, परन्तु सूर्य जब भी ऊषा का आलिङ्गन करना चाहता है तो ही ऊषा अन्तर्ध्यान हो जाती है। आप लोग सूर्य के ही स्वरूपों पर ध्यान लिये। उसे कितनी बार वायु, धरती और यहाँ तक कि आकाश का भी स्वरूप माना गया है परन्तु धीरे-धीरे वह आकाश के देवता के रूप में पूजित होने लगा और उसे कहने लगे सूर्य, सावित्री, * पूषण, विष्णु इत्यादि।

* वेद में सरण्यु की कथा इस प्रकार दी गयी है 'वह विवस्वत की स्त्री थी। हाँ से अर्थात् विवस्वत् के पास से निकल कर उसने युग्मज अश्विनो को जना। यही या ग्रीक लोगों में भी कही जाती है। उनका विद्वत्ता है कि इसी प्रकार इहिनस भेदर भी अपने पति को छोड़कर चली गयी थी और तब उसने एरिअन तथा एपोसिना को जना था। ऋग्वेद में १।११।१२ से हमें पता चलता है कि सूर्य उषा के छो-पीछे दौड़ता है जैसे कोई कामातुर पुरुष अपनी प्रेयसी के पीछे दौड़े। इसी तरह यूनानी एपोलो दफने का पीछा करता है और इसी पीछा करने की अवधि में ही उसे अन्तर्ध्यान हो जाती है। सरण्यु अर्थात् उषा।

† इन्द्र शब्द से इन्द्र निकला जिसका अर्थ है वृष्टि होना, धु का अर्थ है पकना परन्तु अदिति के अर्थ में अधिक विचित्रता है। अपरिमित, अमिश्र और अन्तः-अदिति का अपत्यवाचक रूप है आदित्य अर्थात् सूर्य। उषा को सूर्य की स्त्री माना गया था। जर्मनी के प्रख्यात डा० राथ के अनुसार अदिति का अर्थ है मादि और अनिवाय ईश्वरीय प्रकाश।

* आदित्य सूर्य पहले सात थे बाद में मास संख्या के अनुसार बारह हुए। की विशेषता भी अलग-अलग हैं यथा-सूर्य—उगा हुआ प्रकाशित रूप, सवितृ—उदयकालीन सूर्य, पूषण—चरवाहों का सूर्य इत्यादि। —अनुवादक

हमने अब तक जो कुछ कहा है उससे आपको यह पता लगा होगा कि आर्यों की समूची पौराणिक (वेद में आयी हुई) गाथाओं को केवल और भङ्गना तक ही सीमित रखना एक भारी भूल होगी। हम देख सकते हैं कि प्राचीन आर्यों के धार्मिक कोष-संचय में धरती, वायु और आकाश ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। ऐसा होते हुए भी आर्यों की प्राचीन विचार पद्धति में सूर्य का स्थान हमारी आज की विचार प्रणाली में सूर्य को मिल रहा है।

जिसे हम प्रातः कहते हैं, उसी को वैदिक कालीन जन ऊषा या सूर्य कहते थे। जान रस्किन हमारे सबसे बड़े कवियों की श्रेणी में थे, वे प्रकृति के अनन्य पुजारी थे। उनके शब्दों में प्रभात की गम्भीर एवम् सुन्दर कल्पना कहीं नहीं है। प्रभात या ऊषा सम्बन्धी सूक्तों से अधिक वास्तविक एवम् कवितामय सूक्त ऋग्वेद में अन्यत्र नहीं हैं और किसी भी प्राचीन जाति के गीतों में इससे अधिक मनोहारिता नहीं पायी जाती। हम जिसे मध्याह्न कहते हैं, संध्या या रात्रि कहते हैं, वसन्त या शिशिर कहते हैं, जिसे हम वर्ष, काल, जीवन या अविनश्वर कहते हैं, वैदिक ऋषि उन सबको सूर्य के नाम से अभिहित करते थे। आश्चर्य है कि तब भी हम लोग इस बात पर आश्चर्य प्रगट करते हैं कि प्राचीन आर्य साहित्य में सूर्य से सम्बन्धित कथाओं की इतनी अधिक प्रचुरता क्यों है। आइये तनिक अपने समाज की ओर दृष्टिपात करें। हम लोग प्रातःकाल अपने मिलने वालों से जितनी बातें सुप्रभात कहते हैं, उतनी ही बार सौर कथा को सृष्टि करते हैं। जिस कवि ने गायत्रि है कि 'मई का महीना शिशिर को खेतों से निकाल भगाता है, वह सौरगाथा के अतिरिक्त कहता ही क्या ? हमारे पत्रों पत्रिकाओं के जितने ही विशेषांक बड़े दिन में निकाले जाते हैं, उतनी ही बार हम सौरगाथा को दुहराते हैं। जब भी हम 'प्राचीन को बहिष्कृत करके नवीन का स्वागत करते हैं तो सौर गाथा ही गाते हैं। आप सौर गाथाओं से अस्त न हों। जब भी आपको कोई ऐसा शब्द मिले जो प्राचीन पौराणिक गाथाओं में भाषा शास्त्र, ध्वनि शास्त्र के स्पष्ट नियमों के अनुसार ऐसे शब्दों से सम्बन्धित ज्ञान पड़े, जो कभी सूर्य, प्रभात, ऊषा, रात्रि, वसन्त, शिशिर इत्यादि के लिये प्रयुक्त होते रहे हों तो आप वहीं स्वीकार कर लें कि उस शब्द का सामान्य अर्थ चाहे जो हो परन्तु वैदिक गाथाओं में उस शब्द से सम्बन्धित कोई नवीन कोई सौर गाथा अवश्य ही मिल जायगी।

प्रायः ऐसा होता है कि पौराणिक गाथाओं का तुलनात्मक शोध करने वाले इतनी अधिक स्वतंत्रता का उपभोग करने लगते हैं कि उनकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। वे प्रत्येक विवरण को सौरगाथाओं में सम्बन्धित करने का प्रयास करने लगते हैं। मेरा विचार है कि ऐसे लोगों के सामने मेरे कारण सर्वाधिक

वैदिक देवता

२०३

बाधाएं पहुंची हैं, फिर भी जब कभी मेरे सामने ऐसे तर्क आते हैं जो इस नव्य विज्ञान का खण्डन करते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझ से कहा जा रहा हो कि 'इस गोलाद्ध में हम हैं परन्तु दूसरे गोलाद्ध में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है'। ऐसे समय में लोग वैज्ञानिकता को ताक पर रख कर सामान्य अनुभूति का सहारा लेते हैं उनका तर्क तब यह होता है कि 'हमारे ठीक नीचे पृथ्वी का जो दूसका गोलाद्ध है, उस पर कोई रह भी कैसे सकता है ? हम तो ऊपर खड़े हैं, हमारा सर ऊपर है; पाँव नीचे हैं परन्तु विपरीत गोलाद्ध के लोगों के सर हमारी ओर अर्थात् ऊपर और सर नीचे होगा और ऐसीस्थिति में क्या वे गिर जायेंगे ? वे उलटे कैसे लटके रह सकते हैं ? वे गिर क्यों नहीं पड़ेंगे ? इत्यादि । इन तर्कों का जवाब विद्वान यही देगा कि 'जाओ और स्वयम् देख लो । तुलनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन के विपरीत तर्क देने वाले लोगों से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि 'जाओ और देखो अर्थात् भारत में जाकर वेद का अध्ययन करो और मैं विश्वास लाता हूँ कि ऋग्वेद का एक मण्डल समाप्त करते-करते आप सौर गाथाओं को गोलाद्ध कल्पित कहने का साहस खो बैठेंगे' । हमारे देशों में अर्थात् यूनान, इटली और इंग्लैंड प्रभृति देशों में हमें सूर्य का पूर्ण स्वरूप देखने को ही नहीं मिलता । हम जो केवल मौसम की बात करते हैं । इतना ही हम कर भी सकते हैं । हम भूल जाते हैं कि मौसम वार्ता भी एक प्रकार की सौरगाथा ही है । सौर मंडलीय नियमों में से ऋग्वेद का प्रगटीकरण ही तो मौसम है ।

ऋग्वेद के जो भी सूक्त एवम् जो भी स्तुतियाँ आज भी सुरक्षित हैं, उनके आकाश में हमने देखा कि जिन्हें हम देव कहते हैं, द्युतिमान कहते हैं उनकी कितनी बड़ी संख्या की कल्पना की गयी है उन्हें धरती, वायु, आकाश तथा उससे भी परे विभाजित किया गया, मर्यादित किया गया है और प्रसिद्धित किया गया, प्रकृति किसी न किसी कार्य का कर्ता उन्हें बनाया गया, वह कार्य चाहे भूमि गूँघरी हो, या हवा में या आकाश में । जब हम कहते हैं कि 'बादल गरज रहा है' तो वे कहते हैं कि इन्द्र गरज रहा है । हम कहते हैं सवेरा हो, रूहा है तो उनका कहना है कि उषा एक सुन्दर नर्तकी के समान प्रकट हो रही है जो अपने सम्पूर्ण नभ का प्रदर्शन कर रही है । हम कहते हैं अन्धेरा हो रहा है तो वे कहते हैं कि सूर्य ने अपने घोड़ों को विश्राम दे दिया । वास्तव में वैदिक कवीस्वरों के मत से सारी प्रकृति चेतन रूप थी । प्रत्येक स्थान पर देवता उपस्थित रहते थे और देवताओं की उस उपस्थिति में एक प्रकार की नैतिक भावना सर्वत्र व्याप्त रहती थी जो इतनी दृढ़ रहती है अतः वे कोई भी ऐसा काम न कर सकते थे जो मनुष्यों के सामने न कर सकते हों । वरुण की बात करते हुए एक ऋषि का कथन है कि :

‘इन संसारों के एकमात्र स्वामी वरुण हमारे प्रत्येक कार्य’ को इस प्रकार देखते हैं जैसे वे समीप में ही हों। जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है या चलता है या छिपता है या वह सोने के लिये जाता है या जब भी दो आदमी किसी प्रकार की गुप्त वार्ता करते हैं तो प्रत्येक कार्य में वरुण अन्य पुरुष सर्वनाम के समान उपस्थित रहता है। यह पृथ्वी भी वरुण की है। यह आकाश भी उसी का है जिसके भीरु छोर का पता नहीं चलता। धरती और आकाश वरुण की जंघाएँ हैं। वह पानी की एक बूँद में है। हम भले ही आकाश के परे उड़ जायें, परन्तु वरुण की दृष्टि हम पर रहती है, क्योंकि वह राजा है अर्थात् न्यायाधीश है जो हमारे प्रत्येक कार्य को न्याय व्यवस्था करता है। उसके मेदिनै स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चलते हैं, वे सहस्र नेत्रों से इस ओर देखते रहते हैं। राजा वरुण सब कुछ देखता है। धरती और आकाश के बीच में जो कुछ है, जो कुछ होता है या आकाश के परे भी जो कुछ होता है या है, उन सब पर वरुण की दृष्टि रहती है। उसने यह भी गिन लिया है कि मनुष्य कितनी बार पलकें झपकाता है। जिस प्रकार कोई खिलाड़ी अपने मुहरों को स्थापित व ओर चलित करता है, उसी प्रकार वरुण प्रत्येक जीव को स्थापित चलित करता है। वरुण का पाश दुष्कर्मियों को पकड़ ले परन्तु सत्य वक्ताओं को छोड़ दे।’

इस प्रकार के तुलनात्मक विवेचन द्वारा आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वैदिक ऋचाओं में उतना ही सोन्दर्य और कितने ही अर्थों में उतनी ही सत्यता है जितना हमारे बाइबिल में। हम यह जानते हैं कि किसी भी समय इस प्रकार के देवों का अस्तित्व न तो कभी था और न आज है। वे सब के सब कल्पना जनित थे। हम यह भी समझते हैं कि वरुण एक नाम है, केवल नाम, जिनका अर्थ होता है, ‘सब की रक्षा करने वाला’ सब को प्यार करने वाला और यह नाम दिया गया था तारक खचित आकाश को। कालान्तर में एक ऐसे क्रम से इसे आकाश न मान कर, आकाश का देवता न मान कर, उस तारक मण्डित आकाश के परे का देवता माना जाने लगा और उसमें अनेक उच्च मानवीय एवम् दैविक गुणों को आरोपित कर दिया गया।

जो बात वरुण पर लागू होती है वही सभी वैदिक देवताओं पर लागू होती है, वैदिक धर्म भी उस नियम का अपवाद नहीं है, चाहे उन देवताओं की संख्या तीन हो, या तीस या जैसी किसी ऋषि की गणना है, उनकी संख्या ३३३६ हो। वे सब के नाम हैं, केवल जैसे हमारे यहाँ के जुपिटर, एपोलो या मिनर्वा हैं। वास्तव में संसार के सभी धर्म में देवताओं की स्थिति है और ये देवता केवल नाम ही हैं और कुछ नहीं।

वैदिक देवता

२०५

यदि इस प्रकार की बात किसी ने भारत में वैदिक काल में कहा होता या पेरिवलीज, कालीन यूनान में कहा होता तो उसे असत्य प्रचारक या नास्तिक का नाम देकर उससे घृणा प्रकट की गयी होती। भूनान में शुकरात को इसीलिए जहर का प्याला पीना पड़ा था। इतना सब कुछ होते हुए भी वैदिक ऋषि या यदि वे नहीं तो परवर्ती दार्शनिक इस वास्तविकता से अवश्य सुपरिचित थे। वे भी जानते थे कि ये सब नाम मात्र हैं और इनका अस्तित्व केवल कल्पना में है यथार्थ जग में नहीं।

निस्सन्देह, जत्र हम कह रहे हों, कि 'यह केवल नाम है,' तो हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी इस बात की है कि कोई भी नाम केवल नाम ही हो नहीं सकता। मूल रूप में ये नाम साथक थे इनका कुछ न कुछ अर्थ होता था। हाँ, यह बात अवश्य ही होती थी कि प्रायः इन नामों से उतनी अर्थाभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी, जिसके लिये वे गढ़े गये थे और ऐसी अवस्था में वे नाक ही रह गये, केवल नाम और नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं। यही दशा वैदिक देवों के नामों की भी हुई। वे सब के सब 'परे' की अभिव्यंजना करने को रखे गये थे। इन नामों के द्वारा दृश्य के पीछे जो अदृश्य है, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था, असोम के पीछे जो असोम है, प्रवृत्ति के परे जो दैविक है, उसी सर्वान्तर्यामी, सर्व भूताधिवासी, सर्व शक्तिमान को सामान्य जन के लिये बुद्धिगम्य बनाने में एक के बाद एक करके अनेक नामों की कल्पना की गयी थी, परन्तु इससे चूँकि पूरी सफलता नहीं मिली अर्थात् वह इन्द्रितातीत अगोचर सत्ता का स्पष्टीकरण न हो सका अतः वे कल्पनाएँ नाम मात्र ही रह गयी। इन असफलताओं के होते हुए भी ये कल्पना जनित नाम विनष्ट नहीं हुए। बात यह है कि अभिव्यंजनीय की ही अभिव्यंजना हो सकती, जो अभिव्यंजनीय है ही नहीं, जो मन वाणी से अगम है, उसकी अभिव्यंजना में सफलता मिलती भी कैसे? प्राचीन नाम पर्याप्त नहीं हुए, नवीन नामों की कल्पना होती रही। आज भी इस प्रकार का प्रयत्न जारी है और इस प्रकार के प्रयत्न इस पृथ्वी पर तब तक चालू रहेंगे जब तक मनुष्य का अस्तित्व है।

सातवाँ भाषण

वेद और वेदान्त

मैंने अब तक जो कुछ कहा है उसके प्रकाश में यदि आप लोगों में से कुछ ने इस बात का आग्रह किया कि मैं अपने अन्तिम भाषण के कुछ भाग में इस बात पर प्रकाश डालूं कि जब भारत के लोग ५०० वर्ष ईसा पूर्व तक लिखना नहीं जानते थे और यह बात मान्यता प्राप्त कर चुको है कि वैदिक ऋचाओं की रचना का प्रारम्भ १५०० वर्ष ईसा पूर्व में हुआ तो ऐसी स्थिति में वेद इतने दिनों तक अर्थात् एक हजार वर्षों तक सुरक्षित कैसे रहा, तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ और आश्चर्य न होने का कारण यह है कि लोगों के मन में इस प्रकार का प्रश्न उठना स्वाभाविक था। प्राचीन विद्याओं का अध्ययन करने वालों के मन में इस प्रकार का प्रश्न सहज हो उठता है कि ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि कब की है और किन प्रमाणों के आधार पर वेद को इतना प्राचीन कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं अपनी योग्यतानुसार देने का प्रयत्न करूँगा, परन्तु एक बात मैं प्रारम्भ में ही स्वीकार कर लूँ कि ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि ईसा पूर्व १५०० वर्ष की न होकर १५०० ई० की है।

मैं कह चुका हूँ कि वेद की ऋचाओं का रचना काल १५०० वर्ष ईसा पूर्व है और अब मैं कह रहा हूँ कि ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि १५०० ई० की है। इस प्रकार दोनों तिथियों में तीन सहस्र वर्षों का अन्तर है। मैं समझ रहा हूँ कि इस बड़े अन्तर का स्पष्टीकरण करने में सामान्य तर्कों से काम नहीं चलेगा। इसके लिये अत्यधिक युक्तियुक्त प्रमाण देने पड़ेंगे।

परन्तु इसे ही आप सब कुछ न समझ बैठें।

आप लोग जानते हैं जब होमर की कविताओं का समय निर्धारित करने के लिये जादों प्रतिवादों का जंजाल उठा तो जर्मनी के सुप्रख्यात विद्वान फ्रेडरिक आंगस्ट बुल्फ ने विद्वानों के सामने दो प्रेरणात्मक प्रश्न रखे थे :—

(१) यूनानियों का सर्वप्रथम परिचय वर्णमाला से कब हुआ और कब उन्होंने अपने स्मारकों, सिक्कों पर या निजी या जनसाधारण के इकरारनामों पर लिखने में उस वर्णमाला का प्रयोग कब से प्रारम्भ किया ?

(२) यूनानियों ने साहित्यिक लेखों का विचार कब किया और लिखने के लिये उन्होंने किस सामग्रियों का सहारा लिया ?

इन दोनों सवालों से तथा इनके उत्तर में जो कुछ कहा गया, उनसे यूनानी साहित्य के समुन्नत युग पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा। यूनान के इतिहास में अधिकांश बातें स्वतः स्पष्ट हैं और जो बातें ग्रन्थकार में भी थीं उन पर भी काफ़ी प्रकाश पड़ चुका। इस इतिहास में इस तथ्य को पूर्ण स्वीकृति मिल चुकी है कि आयोनियन जाति * वालों ने फोनीशिया वालों से वर्णमाला सीखा। उन लोगों ने अपने अक्षरों को फोनीशियन अक्षर ही कहा, यहां तक कि वर्णमाला शब्द के लिये यूनानियों में जो अल्फाबेट शब्द प्रचलित है वह भी फोनीशीयन ही है। हम इसका अनुमान सरलता से कर सकते हैं कि फोनीशिया वालों ने आयोनियनों को वर्णमाला का ज्ञान कुछ तो इसलिये कराया होगा कि उनके स्वयम् के व्यापार में सुविधा हो अर्थात् उनके साथ व्यापारिक इकरारनामे बगैरह लिखे जा सकें और कुछ इसलिये कराया होगा कि वे लोग भी फोनीशीया वालों द्वारा बनाये गये समुद्री नक्शे को प्रयोग में ला सकें। आप को स्मरण रखना चाहिये कि मध्ययुगीन नाविकों के लिये ये नक्शे कितने उपयोगी होते थे। प्राचीन युग में भी इन नक्शों के बिना समुद्र में दूर तक जाने का साहस कोई कर ही नहीं सकता था। इन नक्शों को पेरिप्लस कहते थे, जिसका अर्थ होता था 'पृथ्वी के चारों ओर नाव या जहाज द्वारा यात्रा करना।' आज हम साहित्य से जो अर्थ लगाते हैं वहां तक पहुँचने में तो बहुत बड़े कदम की आवश्यकता थी। यह बात सर्वविदित है कि जर्मनी के लोग विशेष कर उत्तरी जर्मनी के लोग कब्रों पर स्मारकों पर लिखने के लिये उन संकेतों को काम में लाते थे जिसे हम रन्स प्राचीन ट्यूटनिक जातियों की वर्णमाला के संकेतात्मक अक्षर कहते हैं, परन्तु साहित्यिक कृतियों की तो बात ही और थी। यदि माइलेटस (नगर विशेष) या अन्य राजनैतिक तथा व्यापारिक केन्द्रों में रहने वाले थोड़े से आयोनियन्स लोग लिखना जानते भी थे तो लिखते किस सामग्री से थे या किस वस्तु पर लिखते थे ? उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उस समय में पाठक कहाँ थे ? जब आयोनियन्स ने लिखना शुरू किया तो वे चमड़े के टुकड़ों पर लिखते थे जिन्हें वे लोग डिप्येरा कहते थे। डिप्येरा से चलकर जब उन्होंने भेंड़ बकरियों के सुँखाएँ हुए चमड़े पर लिखना शुरू किया तब भी साहित्यिकों के लिये साहित्य रचना करना कुछ आसान काम न रहा होगा।

* यूनानी जाति की तीन बड़ी शाखाएँ मानी जाती हैं : १—आयोनियन्स,

२—डोरियन्स और ३—एचियन्स।

—अनुवादक

वेद और वेदान्त

२०६

जहां तक हम लोग जान सके हैं आयोनियन्स लोग ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में लिखना जान गये थे और इसके विपरीत चाहे जो कुछ भी कहा जाय हरन्तु बुल्फ का मत आज भी सर्व मान्य है। बुल्फ का मत था कि आयोनियन्स लोगों का साहित्य गद्य लेखन से प्रारम्भ हुआ था।

उस समय में लिखना एक महान् प्रयास के रूप से था और इस महान् प्रयास का प्रयोग महान् कार्यों के ही लिये होता था। अतः सर्व प्रथम हम जिस चर्म लेख का पता पाते हैं वह यामरे को पुस्तकों के रूप में है जिन्हें प्रोजोसिस या पेरियोडोस कहते थे। इस पुस्तक में नगरों और देश में इतस्ततः भ्रमण करने वालों का पथ प्रदर्शित किया गया था। जो ये पुस्तकें नाविकों का पथ प्रदर्शन करने के लिये लिखी गयी थीं, उन्हें पेरिप्लस कहते थे। इन्हीं से सम्बन्धित लेखों में उनकी भी गणना है जो इस बात को सूचना देती थीं कि विभिन्न नगरों की नींव कब और कैसे या किसके द्वारा पड़ी। इस प्रकार की पुस्तकें एशिया माइनर में १वीं तथा ६वीं शताब्दी में पायी जाती थीं और उनके प्रस्तुतकर्ताओं को लोगोप्राफी या लोयोई या लोगोपोयिई कहते थे। इसी प्रकार कविता लिखने वालों को एग्रोडोई कहते थे। इन्हीं लोगों को हम यूनानी इतिहासकारों का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कह सकते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक समझा जाता है और वह इन लिखित सामग्रियों का प्रयोग प्रायः इतिहास से साधन के रूप में करता था। हेरोडोटस का समय ४४३ वर्ष ईसा पूर्व है।

अभी तक हमने जितनी लेखन सम्बन्धी बातें कही हैं वे सब एशिया माइनर की हैं। नगर परिचय पुस्तिकाओं ने धीरे धीरे जीवन परिचय पुस्तकों का दार्शनिक लेखों का स्वरूप लेना प्रारम्भ किया। इन्हीं दार्शनिक लेखों के प्रस्तोता के रूप में एनेक्सिमैण्डर का नाम (३१०-५४७ ई० पू०) हमारे सामने आता है। यह आयोनियन् जाति का था। साथ ही हमें फेरिकिडस (५४० ई० पू०) का पता चलता है जो सिरिया का निवासी था। इन नामों की सहायता से हम इतिहास के प्रकाश पूर्ण क्षेत्र में आ जाते हैं। एनोक्सिमैण्डर एनोक्सिमीनस का गुरु था, एनोक्सिमीनस एनैक्सेगोरस का गुरु था और एनैक्सेगोरस पेरिकलीज का गुरु था। पेरिकलीज के समय तक लेखन कार्य सर्वमान्य रूप से कला बन चुका था। इसी समय से यूनानियों का मिश्र के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध हुआ और मिश्र से यूनानी लोग पेपिरस (कागज का प्रारम्भिक रूप) का आयात करने लगे। इस प्रकार से लेखन का आधार मिल जाने से यूनानी लेखकों की बड़ी ही उत्साहदायिनी प्रेरणा मिली। स्क्रिपस के समय तक आते आते लिखने की भावना का इतना पर्याप्त

२०६

हम भारत से क्या सीखें ?

प्रचार हो गया था कि स्वयम् उसने अपने लेखों में इसकी चर्चा कला के रूप में किया है और यह बात भी निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि सैमोस के रहने वाले पेसिस्ट्रेटस तथा पालोक्रेटस ने ईसा पूर्व ५२५ के आसपास सर्व प्रथम यूनानी पांडुलिपियों का संग्रह किया।

इस प्रकार बुल्फ के दो साधारण प्रश्नों ने यूनानियों के प्राचीन साहित्य के इतिहास को एक क्रम में बांध दिया। कम से कम उसके प्रारम्भ का तो निश्चय ही हो गया।

यदि हम देखते हैं कि केवल दो प्रश्नों के उत्तर मात्र से यूनानी साहित्य का इतिहास क्रम बद्ध हो गया और उसके प्रारम्भकाल का पता चल गया, तो संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने वाले छात्र इन्हीं प्रश्नों पर क्यों न विचार करें ?

१—किस समय में भारतीयों ने वर्णमाला सीखी ?

२—इस वर्णमाला का साहित्यिक उपयोग कब से प्रारम्भ हुआ ?

समझ में नहीं आता कि इन प्रश्नों पर विचार करने का ध्यान लोगों को क्यों नहीं आया। वैदिक साहित्य को लेकर जिस दीर्घ तर्कवाद विवाद का सूत्रपात हुआ था, उसमें बहुत दिनों तक इन प्रश्नों पर सम्यक् विचार संस्कृत साहित्य की काल निर्धारण सम्बन्धी उलझनें ज्यों की त्यों बनी रह गयीं और न तो उसका समय निरूपण हो सम्भव हो सका और न उसका पूर्वापर सम्बन्ध ही।

समयाभाव के कारण यहाँ पर थोड़े से ही तथ्यों को प्रस्तुत कर सकना सम्भव होगा। भारत में कोई भी ऐसा लेख (चाहे वह शिला पर हो या ताम्रपत्र पर) नहीं मिलता जिसे ईसा पूर्व की तीसरी शती के मध्य के समय के पूर्व का माना जा सके। ये लेख भी बौद्ध धर्म से सम्बन्धित हैं जो अशोक महान् के समय में उसी के आदेश से लिखे गये थे। अशोक चन्द्रगुप्त महान् का पोत्री था जो सेल्युकस नाइकेटर का समकालीन था। यह चन्द्रगुप्त का ही दरबार था; जिसमें राजदूत के रूप में मेगस्थनीज रहता था। इसी समय से हमें ऐतिहासिक भूमि पर खड़े होने का अवसर मिलता है। इसके पूर्व का जो कुछ है वह एक ऐसे अन्धकार से आवृत है कि उसमें यत्र तत्र ही एकाध प्रकाश किरणें दिखाई पड़ती हैं जिनसे तत्कालीन भारतीय इतिहास का सम्पूर्ण भाग प्रकाशित नहीं हो पाता। यह बात सर्व मान्य है कि इन शिला लेखों को लिखवाने वाले अशोक का शासन काल ई। पूर्व २७४ से ईसा पूर्व २३७ तक है।

इन लेखों में दो वर्णमालाओं का प्रयोग किया गया है—एक लिपि दाहिने से बाएँ को लिखी गयी है और इसे देखने मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि यह लिपि सेमिटिक वर्णमाला में है और इसे भारतीयों ने आर्मीनियन लिपी से लिया था।

दूसरी वर्णमाला भी सेमिटिक ही है जिसे भारतीयों ने अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर एक स्वतंत्र रूप दे दिया है जो पूर्णतः भारतीय बन गया है। दूसरी लिपि को भारतीयों ने अधिक अपनाया और भारत की तमाम वर्णमालाओं का श्रोत यही वर्णमाला है। इसी सेमिटिक वर्णमाला से कुछ और वर्णमालाएँ भी निकली हैं जिनका प्रचलन भारत में तो नहीं हुआ परन्तु बौद्ध धर्म प्रचारकों के साथ बाहरी देशों में वे प्रचलित हुईं। यह भी सम्भव है कि तामिल वर्णमाला भी उसी सेमिटिक वर्णमाला से निकली हो जिससे भारतीयों की अन्य वर्णमालाएँ ली गयी हैं, चाहे वे दाहिने से बाएँ (उर्दू की तरह) या बाएँ से दाहिने (नागरी की तरह) और लिखी जाती हों।

इस प्रकार हमारे सामने एक तथ्य यह प्रगट हुआ कि ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी के पूर्व भारत में किसी भी काम के लिये किसी भी प्रकार की वर्णमाला का प्रयोग नहीं होता था। यहाँ तक कि इस समय के पूर्व जो स्मारक भी बनाए गये थे, उन पर भी कोई लिखावट नहीं है।

इसी प्रकार एक और तथ्य भी हमारे सामने है और वह यह कि इस समय से काफी पहले से भारत में व्यापार सम्बन्धी लिखा पढ़ी होती थी। जब मेगस्थनीज ने कहा था कि 'भारतीयों को वर्णमाला का ज्ञान नहीं है' तो उसने ठीक ही कहा था। उसने यह भी कहा था कि 'भारतीय विधियों का कोई लिखित रूप नहीं है और न्याय के मामले में स्मरण शक्ति ही मुख्य सहायिका होती है'। अब हम दूसरा पक्ष भी देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि मेगस्थनीज सिल्यूकस का राजदूत था, सिल्यूकस सिकन्दर का सेनापति था। सिकन्दर के एक दूसरे सेनापति का नाम था नियारकस। अपने प्रत्यावर्तन क्रम में सिकन्दर ने अपने सैन्य को दो भागों में बांट दिया था। एक भाग को वह स्वयम् अपने साथ रख कर बेबिलोन तक पहुँचा था और दूसरे भाग ने नियारकस की अध्यक्षता में सिंध नदी के मुहाने से होते हुए जल मार्ग पकड़ा था। पंजाब से सिंध तक पहुँचने की अवधि में नियारकस को भारतीयों को देखने, सुनने एवम् परखने का अवसर भी मिला था और आवश्यकता भी पड़ी थी। यह बात ३२५ वर्ष ईसा पूर्व की है। नियारकस का कहना है कि 'भारतीय लोग भली भाँति जमाई हुई रई के टुकड़ों पर अपने पत्र लिखते थे।' नियारकस का कहना भी असत्य नहीं है। जिन पत्रों की चर्चा नियारकस ने की है वे व्यापारिक अनुबन्धों के रूप में होते थे। ये अनुबन्ध प्रायः फोनीशियनों या मिस्त्र निवासियों या उनके जहाज के साथ भारतीय व्यापारियों द्वारा किये जाते रहे होंगे परन्तु इससे मेगस्थनीज का कथन गलत नहीं सिद्ध होता, क्योंकि इन अनुबन्धों को साहित्य में स्थान नहीं दिया जा सकता। आगे चल कर नियारकस ने स्वयम् ऐसी बात कहा है जिससे मेगस्थनीज का कथन प्रमाणित होता है। वह स्वयम् कहता है कि 'भारतीयों के कानून लिखित नहीं होते थे।' इस समय

में जो यूनानी भारत आये थे उनके अनुसार भारत की सड़कों पर मील के पत्थर लगे हुए थे, उनके पशुओं को विभिन्न चिह्नों से दागा जाता था और उन पर संख्याएँ पड़ी रहती थीं। इन सब बातों के प्रकाश में हमें यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि चन्द्र-बुस मौर्य के पहले से ही भारतीयों को लिखना आता था परन्तु साहित्य के लिये इस ज्ञान के उपभोग का प्रारम्भ नहीं हुआ था। इस प्रकार का प्रयत्न सर्व प्रथम अशोक के समय में ही किया गया।

ऐसी स्थिति में हमें एक आश्चर्यजनक तथ्य पर विचार करना पड़ता है। वह तथ्य यह है कि हमारे सामने इस प्रकार के दो तथ्य आते हैं (और दोनों की मान्यता सिद्ध है) जो प्रथम दृष्टि में ही एक-दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं। एक ओर यह सिद्ध हो चुका है कि ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी के पूर्व भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान हो नहीं था, साथ ही दूसरी ओर यह भी सिद्ध हो चुका है और हमें इस पर विश्वास करने को भी कहा जाता है कि एक हजार वर्ष ईसा पूर्व के और भी पहले न केवल वैदिक ऋचाओं की रचना ही हो चुकी थी वरन् मंत्रों, ब्राह्मण ग्रन्थों, एवम् सूत्रों में उसका विभाजन भी सम्पूर्ण हो गया था। ये दोनों विरोधी बातें हैं और इसीलिए दोनों का सत्य होना असम्भव-सा प्रतीत होता है।

केवल ऋग्वेद की ही विशालता को ही देखिए। दस मण्डल है। प्रत्येक मंडल में विभिन्न देवों के एक या एकाधिक सूक्त हैं। प्रत्येक सूक्त में कम से कम दस ऋचाएँ हैं। इस प्रकार इस विशाल निधि में एक हजार सत्रह (कुछ प्रमाणों के आधार पर १०२८) कविताएँ हैं जिनमें दस सहस्र पाँच सौ अस्सी छन्द हैं और इन छन्दों में एक लाख तिरपन हजार आठ सौ छत्तीस शब्द हैं। इन छन्दों की योजना पूर्णतः परिष्कृत है। ये १५०० वर्ष ईसा पूर्व में रचे गये और १०० ई० में लेख बद्ध किये गये। आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह विशाल भंडार बिना लिखित रूप प्राप्त किये तीन सहस्र वर्षों तक पूर्ण सुरक्षित कैसे रहा? इस प्रश्न का उत्तर सही होते हुए भी उन लोगों को अविश्वासनीय प्रतीत होगा, जिन्होंने भारतीयों के चरित्र के एक विशेष अंग को समझने का प्रयास नहीं किया है।

यदि आपके उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में मैं आपसे कहूँ कि इतना विशाल वैदिक साहित्य तीन सहस्र वर्षों तक केवल भारतीयों की स्मरण शक्ति के सहारे जीवित एवम् पूर्ण सुरक्षित रहा तो कदाचित् आप लोगों का मस्तिष्क इस पर विश्वस्स करने को तैयार न होगा। आप लोग इस बात को सुन कर आश्चर्य चकित हुए बिना नहीं रहेंगे, रह ही नहीं सकते। परन्तु बात एकदम सत्य है और जिसे इसमें किसी भा प्रकार की शंका हो, वह स्वयमेव अपनी शंका का समाधान कर सकता है। आज भी, जब कि वेद की रचना पाँच सहस्र वर्ष (कम से कम) प्राचीन हो चुकी है, यह

वेद और वेदान्त

२१६

स्थिति है कि यदि इस साहित्य की समूची सामग्री नष्ट हो जाय तो भी यह जीवित रहेगा। आज भी भारत में ऐसे श्रोत्रिय ब्राह्मण मिल सकते हैं जिन्हें आदि से अन्त तक साहित्य कंठस्थ है। ये भारतीय विद्वान् प्रारम्भ से ही वेद को कंठस्थ करना प्रारम्भ करते हैं और सो भी गुरु-मुख से सुन कर न कि पुस्तकों के बल पर। मुद्रित संस्करणों को तो वे प्रामाणिक मानते ही नहीं। स्वयम् आद्योपान्त वेद को कंठस्थ करके वे अपने शिष्यों को भी उसी रूप में देते हैं और इस प्रकार की गुरु शिष्य परम्परा से इतना विशाल साहित्य अब तक अक्षुण्ण बना हुआ है। स्वयम् अपने ही निवास पर मुझे ऐसे छात्रों से मिलने का सौभाग्य मिला है जो न केवल समूचे वेद का मौखिक पाठ कर सकते थे वरन् उनका पाठ तन्महित सभी आरोहावरोहों से पूर्ण होता था। उन लोगों ने जब भी मेरे द्वारा सम्पादित संस्करणों को देखा और जहाँ कहीं भी उन्हें अशुद्धि मिली तो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उन अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। मुझे आश्चर्य होता है उनके उस आत्मविश्वास पर, जिसके बल पर वे सहज ही उन त्रुटियों को प्रकाश में ला देते थे जो हमारे संस्करण में यत्र तत्र रह गयी थीं।

अभी मुझे इस विषय पर कुछ और भी कहना है। वैसे तो वेद की पांडुलिपियों में पाठ भेद का स्थान ही बहुत कम है, परन्तु कुछ स्थल ऐसे अवश्य हैं जिन में पाठ भेद है और सहस्रबिंदियों से यह पाठ भेद निरन्तर गुरु शिष्य परम्परा में ज्यों के ज्यों चले आ रहे हैं। हम लोगों की परम्परा दूसरी है। यूनानी तथा लैटिन भाषा में पाठान्तर को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु भारत की गुरु शिष्य परम्परा में ये पाठान्तर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यही कारण है कि मैंने अपने कुछ मित्रों को लिखा है कि वे भारत से इन पाठान्तरों की सूचना मुझे दें और यह सूचना प्रकाशित संस्करण से न लेकर किसी श्रोत्रिय से लें।

इस समय हम तथ्यों की बात कर रहे हैं न कि सिद्धान्तों की। हम उन तथ्यों की बात कर रहे हैं जिनकी प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है। अब भी भारत में विद्वान् हैं जिन्हें न केवल वेद वरन् वेद के अतिरिक्त अन्य साहित्य भी कंठस्थ हैं। वे अब भी समूचे वेद को अक्षरशः ठीक-ठीक लिख सकते हैं। आप मुद्रित संस्करणों से मिलान करके देख सकते हैं कि वे न केवल ठीक-ठीक पाठ ही कर सकते हैं, वरन् उनका एक-एक आरोहावरोह भी ठीक-ठीक उच्चारित होगा।

वास्तविकता यह है कि कंठाग्र करने की यह क्रिया दृढ़ अनुशासन के बीच सम्पन्न होती है। शिक्षा वर्तमान शिक्षा के समान नहीं होती, क्योंकि हमारी आजकल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही बदल गया है। अब हमारे छात्र जीवनयापन की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विद्या पढ़ते हैं। भारतीय छात्रों की तत्कालीन

शिक्षा में जीवन यापन की सुविधा प्राप्त करने का उद्देश्य गौण था न कि प्रमुख। प्रमुख भावना तो होती थी ज्ञान प्राप्ति और प्राप्ति का यह कार्य पवित्र कर्तव्य समझ कर किया जाता था। हमारे एक भारतीय मित्र हैं। वैदिक साहित्य में उनको प्रशंसनीय गीत है। उनका कहना है कि जिस छात्र को ऋग्वेद का छात्र बनना होता है, उसे आठ वर्ष तक निरन्तर गुरु गृह में निवास करना होता है। इसी अवधि में उसे ऋग्वेद के दस मण्डल कंठस्थ करने पड़ते हैं। जब इन दस मण्डलों की सारी ऋचाएँ कंठस्थ हो जाती हैं तो उसे ब्राह्मण ग्रन्थों को पढ़ना पड़ता है। ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रणयन कर उस छात्र को साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है, जिसे अरण्यक कहते हैं। अरण्यक के पश्चात् गृह सूत्रों का अध्ययन होता है और अन्त में उच्चारण, व्याकरण, शब्द विचार, नक्षत्र ताल तथा यज्ञों के आद्योपान्त विवरण पढ़ने पड़ते हैं।

ऋग्वेद के दस मण्डलों की पंक्तियों की संख्या है तीस सहस्र और प्रत्येक पंक्ति में वत्तीस शब्दांश विद्यार्थी को अनध्याय* के दिनों को छोड़कर आठ वर्षों के शेष दिनों में निरन्तर पढ़ना पड़ता है। चान्द्र वर्ष ३६० दिनों का होता है। इस प्रकार उसे आठ वर्षों में दो हजार आठ सौ अस्सी दिन मिलते हैं। इनमें से छुट्टी के (एक दिन प्रति सप्ताह के हिसाब से) ३८४ दिन निकाल दीजिये तो शेष रहे २४९६ दिन। अब इसी संख्या से ३०,००० को विभक्त कर दीजिये। इस तरह औसत १२ पंक्ति प्रतिदिन के हिसाब से उस छात्र को कंठस्थ करना पड़ता है। ध्यान रहे कि इस कंठस्थोत्तरण की क्रिया के साथ उसे पिछले पाठों का भी अभ्यास करते रहना पड़ता है।

यह स्थिति तो आज की है परन्तु मुझे भय है कि यही स्थिति अब और अधिक दिनों तक नहीं बनी रहेगी। इसी भय से मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि चाहे वे पहले से ही भारत में रह रहे हों या निकट भविष्य में नागरिक प्रशासन सेवा के अन्तर्गत भारत में नियुक्त होने वाले हों, वे इस बात का ध्यान अवश्य रखें रहें कि इन सजीव पुस्तकालयों (श्रोत्रिय ब्राह्मणों) से जो कुछ भी सीख सकें सीख लें। मेरा आग्रह रहता है कि वे इस कार्य को अपने पवित्र कर्तव्य के रूप में करें। आप लोग विश्वास रखें कि इन श्रोत्रियों के न रहने पर प्राचीन संस्कृत का अधिकांश महत्वपूर्ण भाग अलभ्य हो जायगा और सदा के लिये लुप्त हो जायगा।

अब आइये, तनिक पीछे घूम कर देखें। अब से प्रायः १००० वर्षों पूर्व इत्सिंग नाम का एक चीनी विद्वान् था। वह बौद्धमतानुयायी था। उसने इस उद्देश्य

* जिसे हम छुट्टी कहते हैं उसे वे लोग अनध्याय कहते थे। उनके मत में सात दिन अध्ययन होता था यथा; अष्टमी गुरु हस्ताव चतुर्दशी, अमावस्या सर्वहस्ता व परिवा पाठ धिवर्जयेत्।

से भारत की यात्रा की थी वहाँ जाकर संस्कृत का अध्ययन करें ताकि वह इस योग्य हो सके, कि बौद्ध धर्म के संस्कृत ग्रन्थों को अपनी भाषा में अनुदित कर सकें। हेनसांग के भारत से लौटने के प्रायः पचीस वर्षों बाद अर्थात् सन् ६७१ में वह चीन से चला और भारत के ताम्रलिति नगर में सन् ६७३ ई० में पहुँचा। वह नालन्दा विश्वविद्यालय में गया। वहाँ रह कर उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और ६६३ ई० में चीन लौटा। सन् ७१३ ई० में उसकी मृत्यु हुई।

चीनी भाषा में इत्सिंग का लिखा हुआ एक ग्रन्थ अब भी प्राप्य है। इस ग्रंथ में उन सभी बातों का विवरण दिया है, जो उसने भारत में देखा, सुना और समझा था। उसने न केवल अपने सह धर्मियों का ही वरन् ब्राह्मणों का भी वर्णन किया है।

बौद्ध भिक्षुओं के विषय में उसका कहना है कि जब वे १५ नियमों का पाठ करना सीख चुकते हैं तो वे मातृचेत के चार सौ पदों को कंठस्थ करते हैं। इसके पश्चात् इसी कवि के एक सौ पचास पदों को कंठाग्र करना पड़ता है। इन समस्त पदों को कंठस्थ कर लेने के पश्चात् वे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन प्रारम्भ करते हैं। इसके साथ ही साथ वे जातकमाला को भी कंठस्थ करते जाते हैं। जातकमाला में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। जिसे इत्सिंग दक्षिणी सागर के टापुओं के नाम से अभिहित करता है, उनके विषय में वह लिखता है कि 'मैं भारत से होता हुआ यहाँ आया। दक्षिणी सागर में दस से भी अधिक टापू हैं। वहाँ के बौद्ध विद्वान जातकमाला का मौखिक पाठ तो कर ही लेते हैं, सामान्य जन भी इस ग्रंथ को आद्योपान्त सुन सकते हैं। अभी जातकमाला का अनुवाद चीनी भाषा में नहीं हुआ है।'

वह लिखता है कि जातकमाला की एक कहानी को गेय पदों में व परिवर्तित करके संगीत बद्ध किया गया था तथा जनसाधारण के समक्ष उसे वाद्यों एवम् नृत्यों की संगति में उपस्थित किया गया था। वास्तव में यह एक कथा थी, जिसमें बौद्धों का रहस्यवाद अपनी पूर्णता को पहुँचा हुआ था।

इसके पश्चात् इत्सिंग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली का वर्णन किया है। वह कहता है कि ६ वर्ष के बच्चे को साधारणतः ४६ अक्षर तथा दस सहस्र संयुक्ताक्षर याद करने पड़ते थे और प्रायः यह कार्य ६ मास में पूरा हो जाता था। यदि किसी मंत्र के एक चरण में ३२ शब्दांश माने जायें तो ६ मास का यह कार्य ३०० पदों के बराबर होता था। यह पाठ प्रतिप्रारम्भ में माहेश्वर द्वारा पढ़ाया हुआ कहा जाता है। आठ साल की अवस्था से विद्यार्थी पाणिनी का व्याकरण पढ़ना शुरू कर देता है। इस व्याकरण का अध्ययन आठ मास में समाप्त होता है। इस व्याकरण में १००० सूत्र हैं।

इसके पश्चात् धातु प्रकरण आरम्भ किया जाता है। इसमें १००० श्लोकों को कंठस्थ करने के समान परिश्रम करना पड़ता था। दस वर्ष की अवस्था से १३ वर्ष की अवस्था तक बालकों को धातु प्रकरण पढ़ना पड़ता है।

जब उनकी अवस्था १५ वर्ष की हो जाती है तो उन्हें व्याकरण के सूत्रों की व्याख्या समझाई जाती है। यह व्याख्या ५ वर्षों में समाप्त होती है। इतना लिख चुकने के बाद इत्सिंग ने अपने देशवासियों को सलाह दी है, जो भारत में विद्याध्ययन करने के उद्देश्य से आना चाहते थे। वह सलाह देता है कि “यदि चीन वासी भारत में विद्याध्ययन के लिये जाएँ तो उन्हें सर्व प्रथम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करना चाहिये और बाद में उन्हें अन्य विषयों का अध्ययन प्रारम्भ करना चाहिये। यदि वे इस क्रम से नहीं चलेंगे तो उनका सारा श्रम व्यर्थ जायगा। भारत में जाकर जो कुछ भी पढ़ा जाय उसे कंठस्थ कर लेना श्रेयस्कर होता है यद्यपि इस कार्य में बड़ी प्रतिभा की आवश्यकता होती है।..... उन्हें दिन-रात श्रम करना पड़ता है। उनका एक श्रण भी नष्ट नहीं होने पाता। उन्हें कनफुशस* के समान वनना पड़ता है जिसने चीन के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवम् पवित्र ग्रंथ को इतनी अधिक बार पढ़ा कि उस ग्रंथ की जिल्द तीन बार उखड़ गयी। इत्सिंग ने प्रसिद्ध चीनी अध्यापक सू-शी का उदाहरण दिया है जो प्रत्येक पुस्तक को १०० बार पढ़ा करता था। इसके बाद उसने एक चीनी कहावत दी है जिसका अनुवाद इस प्रकार होगा :—‘किसी वृक्ष के शरीर पर के बालों की संख्या सहस्रों में गिनी जाती है परन्तु यूनीकान नामक हारेण के एक ही सींग होती है’।

इसके पश्चात् इत्सिंग ने भारतीय विद्यार्थियों के स्मरण शक्ति की प्रशंसा की है। इस प्रशंसा में उसने बौद्धों एवम् वैदिक धर्मानुयायियों में कोई भेद नहीं किया है। उसने तो यहाँ तक लिखा है कि भारत में ऐसे भी छात्र थे जो किसी समूचे ग्रंथ को एक बार पढ़ कर ही कंठस्थ कर लेते थे।

आगे चलकर इत्सिंग ने ब्राह्मणों का वर्णन किया है। वह कहता है कि ‘समूचे भारत में ब्राह्मणों का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। वे अल्प जातियों की संगति में सड़कों पर चलते फिरते नहीं दिखाई पड़ते। वर्णसंकरों के साथ तो उनका कोई मेल जोल ही नहीं होता। वे अपने धर्म ग्रंथों का बड़ा सम्मान करते थे। इन धर्म ग्रंथों को वेद कहते हैं जिसमें एक लाख श्लोक हैं।..... वेद का प्रदान मुख से किया जाता है न कि ग्रंथों द्वारा। वह कागज पर लिखा भी नहीं गया है। प्रायः प्रत्येक पीढ़ी में कुछ ब्राह्मण ऐसे अवश्य होते हैं जिन्हें पूरा वेद कंठस्थ रहता है। मैंने स्वयम् ऐसे व्यक्तियों को देखा है’।

इत्सिंग एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारतीय श्रोत्रियों को स्वयम् देखा है। उसने भारत का भ्रमण ईसा की सातवीं शताब्दी में किया था। उसने भारत में रह कर संस्कृत पढ़ा था और अपने जीवन के बीस बहुमूल्य वर्षों को उसने भारत के विभिन्न मठों में रहकर बिताया था। आप को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इत्सिंग एक दम निष्पक्ष व्यक्ति था। उसके अपने कोई पूर्वास्थिर सिद्धान्त नहीं थे। चूँकि वह चीन से आया था, जहाँ लिखने का पूरा प्रचार था, अतः वह स्वयम् लिखना जानता था। फिर भी वह कहता है कि 'वेद ऋचाएँ, कागज पर नहीं लिखी जातीं बल्कि एक के मुख से दूसरों को दी जाती हैं'।

इस स्थल पर इत्सिंग से मेरा मतैक्य नहीं है। उसने जो कुछ कहा है उससे हमें यह नतीजा न निकाल लेना चाहिये कि उसके समय में भी वेद की लिखित प्रतियाँ नहीं थीं। हम जानते हैं कि इत्सिंग के समय में वेद की लिखित प्रतियाँ थीं। हम जानते हैं कि ईसा की प्रथम शताब्दी में संस्कृत के कई लिखित ग्रंथ चीन में ले जाये गये थे। और वहाँ उनका अनुवाद भी किया गया था। पूरी सम्भावना है कि उस समय वेद की भी लिखित प्रतियाँ रही हों। हाँ, इत्सिंग का कथन इस अर्थ में सही हो सकता है कि वेद की लिखित प्रतियों का प्रयोग छात्रों के लिये निषिद्ध था। वेद का अध्ययन उन्हें गुरु के मुख से सुन कर ही करना पड़ता था और वे गुरु वेद से सम्बन्धित सभी विद्याओं में पारंगत होते थे। तत्कालीन विधि ग्रंथों में वेद की नकल करने वालों के लिये भी दण्ड व्यवस्था दी गयी है और लिखित प्रति से वेदाध्ययन करने वालों के लिये भी। इसी से परिणाम निकलता है कि भारत में उस समय वेद की लिखित प्रतियाँ थीं। चूँकि विधानतः ब्राह्मण ही वेदों के पढ़ाने वाले थे अतः वे इस बात का पूरा प्रयत्न करते थे कि वेद की लिखित प्रतियाँ न तैयार की जायें, क्योंकि लिखित प्रतियों की उपस्थिति में उनके एकाधिकार को धक्का लगने की सम्भावना थी।

इत्सिंग द्वारा प्रस्तुत विवरण को देख चुकने के पश्चात् यदि हम एक सहस्र वर्ष और पीछे की ओर चलें तो हमें उन साक्षियों को मानने में कम हिचकिचाहट होगी जो प्रतिशास्त्रों में दिये गये हैं। इन प्रतिशास्त्रों में उच्चारण के नियम संकलित हैं। यह सिद्ध है कि ये ग्रंथ ईसा पूर्व की पाँचवीं शताब्दी के हैं। इनको देखने से भी यही प्रतीत होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्रों को निरन्तर आठ वर्ष तक गुरु गृह में रहकर वैदिक ऋचाओं को कंठस्थ करना पड़ता था।

उतने प्राचीन काल में भी भारत में शिक्षण कला ने पर्याप्त उन्नति कर लिया था और छात्रों को सुनियोजित ढंग पर ही सब कुछ पढ़ाया जाता था। यह बात निश्चित है कि उस समय के भारतीयों को लेखन सामग्री के रूप में न तो किसी

पुस्तक का पता था, न चमड़े, भोजपत्र, कागज स्याही या लेखनी का ही, क्योंकि तत्कालीन साहित्य में ये शब्द कहीं भी नहीं पाये जाते। जिसे हम लोग साहित्य कहते हैं, इस प्रकार की कोई भी कृति यदि भारत में थी तो वह ग्रंथाकार में नहीं थी। सारा तत्कालीन साहित्य छात्रों एवम् विद्वानों की स्मृति में ही था और वह सदैव एक मुख से दूसरे मुख को ही दिया जाता था।

मुझे इतने अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि हम लोगों की परम्परा ऐसी है कि हम लिखित साहित्य के अतिरिक्त और किसी प्रकार के साहित्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। यदि किसी प्रकार हम स्मृतिगत पद्यात्मक साहित्य की कल्पना कर भी लें तो स्मृति में रहने वाले गद्यात्मक साहित्य की कल्पना करने की बात भी हम सोच नहीं सकते। भारत का अध्ययन करने पर भी हमें उसी प्रकार के तथ्यों का पता लगता है जैसे तथ्य अन्य देशों के अध्ययन से मिलते हैं। अर्थात् हम देखते हैं कि जिस समय तक सभ्यता सूक्ष्म तुच्छाति-तुच्छ साधनों की खोज भी नहीं हो सकी थी, उसके काफी समय तक पूर्व की सभी असभ्य जातियों ने कुछ व्यक्तिगत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली थीं, जिन्हें हम सुविधा प्राप्त लोग एकदम असम्भव ही समझ बैठेंगे। वे लोग लकड़ी को चीर से कर इतनी तेजी से दो टुकड़ों को एक दूसरे पर रगड़ते थे कि उनमें आग पैदा हो निकलती थी। हम आजकल के युग में उस प्रकार से अग्नि उत्पन्न करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस ढङ्ग के परिश्रमों एवम् अध्यवसायी लोगों के लिये कुछ भी असम्भव नहीं होता था। इनकी सहनशीलता और कर्मठता को देखते हुये क्या हम वे वह परिणाम निकाल सकते हैं कि यदि वे वैदिक गीतों को सुरक्षित रखना चाहते तो इस प्रकार का कोई उपाय खोज ही नहीं सकते थे जो उन ऋचाओं को सुरक्षित रख सके, जिनके बारे में उन्हें पूर्ण विश्वास था कि इन्हीं ऋचाओं के कारण उनके यहाँ सूर्य निकलता था, वर्षा होती थी, ऊषा दर्शन देती थी इत्यादि? यदि आप 'विलियम गायटगिल द्वारा लिखित 'हिस्टारिकल स्केचेज ऑफ सैवेज लाइफ इन पाँलोनेशिया' को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि असभ्य जातियाँ भी अपने राजाओं, सरदारों, जनपदों की स्मृति को सुरक्षित बनाये रखने के लिये कितनी चिन्तित रहती थीं। विशेष-तः उन बातों या कार्यों की स्मृति को बनाये रखने की पूरी चेष्टा करती थीं जिन पर किसी कुटुम्ब का महत्व निर्भर करता था या जिनके आधार पर किसी कुटुम्ब या कबीले को किसी प्रकार की विशेष सुविधा या जायदाद मिली रहती थी। और फिर भारत केला ही ऐसा देश नहीं है जहाँ के लोगों ने स्मरण शक्ति के बल पर अपना साहित्य सुरक्षित रखा हो। कैसर द्वारा लिखित विवरणों से पता चलता है कि इइड्स जाति-लोगों ने इतना बड़ा साहित्य स्मरण शक्ति के बल पर सुरक्षित रखा था कि उसे

वालों में भी उस साहित्य को लिपि बद्ध करना निषिद्ध माना गया था । आप देखें कि दोनों ही जातियों की साहित्यिक परम्पराओं में किस प्रकार की समानता पायी जाती है ।

अभी हम लोगों को एक बार फिर तिथियों पर विचार करना पड़ेगा । हमने इस बात को देख लिया कि ईस्वी के समय तक अर्थात् ईसा की सातवीं शताब्दी तक वेदों का अध्ययन और अध्यापन सुन सुना कर ही होता था । हमने यह भी देखा कि प्रतिशास्त्रों के काल में भी अर्थात् ईसा पूर्व की ५ वीं शताब्दी में भी वेदाध्ययन की मौखिक प्रणाली ही प्रचलित थी । ईसा पूर्व की ५वीं शताब्दी में ही बौद्ध धर्म का उदय भी हुआ था । यह निश्चित हो चुका है कि वैदिक धर्म के खंडहरों पर ही बौद्ध धर्म की नींव पड़ी थी और प्राचीन वैदिक धर्म एवम् नवोदित बौद्ध धर्म में मुख्य अन्तर यही था कि ब्राह्मणों ने वेदों को ईश्वर दत्त माना था परन्तु महात्मा बुद्ध ने उसे ईश्वर रचित मानने से इनकार किया । यदि इस अन्तर को छोड़ दिया जाय तो वस्तुतः दोनों धर्मों के मूल सिद्धान्तों में नगण्य सा ही अन्तर रह जाता है ।

ऐसी स्थिति में वैदिक साहित्य के नाम पर जो कुछ भी प्राप्य है, उसकी रचना से लेकर व्यवस्था पूर्ण संकलन या विभाजन तक की सारी प्रक्रिया को ईसा पूर्व की ५वीं शताब्दी तक पूर्ण हो जानी चाहिये । यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि वैदिक साहित्य के तीन स्पष्ट युग हैं, जो एक के बाद एक करके शुरू होते हैं, और प्रथम युग में ही वेद ऋचाओं का व्यवस्थापूर्ण संकलन प्रारम्भ हो गया था तो मेरा विचार है कि आप लोग मुझसे इस बात पर अवश्य सहमत होंगे कि न केवल वेद को प्रति प्राचीन सिद्ध करने की इच्छा से प्रेरित होकर वरन् प्राप्त तथ्यों को आवश्यक सम्मान प्रदान करने के लिये ही मैंने उन वैदिक ऋचाओं का रचना काल ईसापूर्व की पन्द्रहवीं * शताब्दी माना है, जो हमें उन पांडुलिपियों से प्राप्त होती हैं जो ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी में लिखी गयी कही जाती है ।

अभी मुझे एक तथ्य की चर्चा एक बार और करनी है, क्योंकि मेरा विचार है कि इस तथ्य प्रदसम्यक् रूपेण विचार करने से दृढ़तम सन्देह का भी निराकरण हो जायगा ।

* 'हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर' में विटरनिज ने लिखा है कि वैदिक ऋचाओं का रचनाकाल कम से कम ईसा पूर्व २५०० वर्ष है । परवर्ती शोधों ने इस रचना काल को ईसा पूर्व ५००० वर्ष सिद्ध किया है ।

— अनुवादक

अपने इसी भाषा के क्रम में मैंने कहा था कि आरत में सर्वाधिक प्राचीन लेख जो मिलते हैं वे अशोक के लिखवाए हुए हैं, जो चन्द्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और जिसका शासन काल ईसा पूर्व २७४-२३७ है। इन लेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? क्या यह उसी संस्कृत में है, जिसमें वैदिक ऋचाएँ लिखी गयी हैं? यह बात नहीं है। क्या यह उस संस्कृत में है, जिसमें ब्राह्मण ग्रन्थ और सूत्र लिखे गये हैं? निश्चय ही नहीं। ये सब के सब शिला-लेख उन स्थानीय भाषाओं में लिखे गये हैं जो तत्कालीन भारत में बोली जाती थीं और इन स्थानीय भाषाओं तथा व्याकरण-सम्मत भाषा में उतना ही अन्तर है जितना इटैलियन भाषा तथा लैटिन भाषा में है।

इन सब तथ्यों से क्या परिणाम निकलता है? पहली बात तो यह है कि ईसा पूर्व की ३री शताब्दी के पूर्व ही सामान्य जनता में वैदिक संस्कृत का बोला जाना बन्द हो चुका था। दूसरी बात यह है कि उस समय में वैदिक कालीन संस्कृत की परवर्ती संस्कृत भाषा भी जन सामान्य द्वारा नहीं बोली जाती थी। इसी बात को हम प्रकारान्तर से इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय होने के पूर्व ही संस्कृत भाषा जनसाधारण की भाषा नहीं रह गयी थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बौद्ध धर्म के उदय के पूर्व ही संस्कृत भाषा वृद्धावस्था को भी पार कर चुकी थी अर्थात् संस्कृत भाषा की युवावस्था बौद्ध धर्म के उदय के बहुत पहले बीत चुकी थी। महात्मा बुद्ध भी संस्कृत जानते रहे होंगे, फिर भी उन्होंने यही उत्तम समझा कि जिस जन साधारण को लाभ पहुँचाना उनका लक्ष्य था, उसी की भाषा में उसे उपदेश दिया जाय और केवल इसी दृष्टि से उन्होंने अपने शिष्यों को बार-बार चेतावनी दी कि वे जन भाषा को ही सद्धर्म प्रचार का माध्यम बनावें।

और अब, जब कि आप लोगों के समक्ष भारत के विषय में कुछ कहने के लिये मुझे जितना समय दिया गया था, उसकी समाप्ति होने को आ रही है तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसा प्रायः सभी भाषण कर्त्ताओं को प्रतीत होता है कि मुझे जितना कुछ कहना था या जितना कुछ मैं कहना चाहता था, उसका अल्पांश ही कह पाया हूँ। 'हम भारत से क्या सीखें' के क्रम में मैं एक ही विषय लेकर चला था कि धर्म के मूल के विषय में भारत से क्या सीखा जा सकता है, परन्तु वह विषय भी पूरा न हो सका। फिर भी मेरा विचार है कि मैं इतना तो अवश्य कर सका हूँ कि मैंने आपके सामने देवताओं के उदय और विकास के विषय में एक सर्वथा नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किया है और आपकी यह बताने की कोशिश की है कि इस विषय पर वेदों से हम क्या और कितना जान सकते हैं। स्वीकृत सिद्धान्तों के बदले अब हमारे विचार के लिये स्वीकृत तथ्य हैं और इन्हीं तथ्यों की खोज में हम अन्यत्र

रहे थे। हम जानते हैं कि वेदों के देवताओं में तथा जीभस, एयोलन तथा एयेने में अत्यधिक अन्तर है और उस अन्तर को दूर करने के लिये अभी बहुत कुछ कहने को है, फिर हमारी मुख्य समस्या का समाधान हो चुका है और हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि आदिम काल में मनुष्य की किस भावना ने किस विचार क्रम से प्रेरित होकर किस देवता की कल्पना की और किस प्रकार उनकी कल्पना के नवीन से नवीन-तर संस्करण होतے गये।

इस वेद निर्माण की परम्परा का एक ही पक्ष अभी तक हम लोगों ने देखा है। अभी इसके दो पक्ष और हैं, जो इतने ही महत्वपूर्ण हैं तथा जिनके विषय में कुछ कहना अनिवार्य जान पड़ता है।

वास्तव में वेद तीन धर्मों का संगम है। हम यह भी कह सकते हैं कि वेद के मन्दिर में तीन मूर्तियाँ प्रतिष्ठिता हैं, जिनकी प्रतिष्ठा कवियों, गायकों, महापुरुषों एवम् दार्शनिकों ने इस प्रकार की है जैसे वह हमारे ही नेत्रों के सम्मुख हुई हों। इस स्थिति में भी हम कार्य और कर्ता को स्पष्ट देख सकते हैं। इस स्थिति पर विचार करने के लिये न तो हमें कठिन सूत्रों का सहारा लेना है न दुर्बोध यज्ञों का और न परम्पराओं का। हम बड़ी ही स्पष्टता पूर्वक देख सकते हैं कि किस प्रकार सम्यक विवेक का अनुसरण करता हुआ मानव अविवेकता के साम्राज्य में पहुँच जाता है। ॐ अन्य देशों एवम् जातियों के धर्मग्रन्थों की तुलना में वेद की यही विशेषता है कि वह पूर्णतया प्रदर्शित कर देता है कि विवेक ही अविवेक का जन्म दाता है। निस्सन्देह वेद में एवम् वैदिक यज्ञों में बहुत कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आता, जो निराधार प्रतीत होता है फिर भी वैदिक नामों तथा तद्गत भावनाओं का विकास अब भी होता जा रहा है, लौकिकता से अलौकिकता की ओर ले जाने वाली प्रगति अब भी चालू है और व्यक्तिवाद सामान्यवाद की ओर जा रहा है। यही कारण है कि वेदों के विकासशील साहित्य को जब हम अपनी सुविकसित भाषा में अनुदित करने बैठते हैं तो हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं और कभी तो यह कार्य पूर्ण रूपेण असम्भव प्रतीत होता है।

आइये हम 'देव' शब्द पर विचार करें जो देवता शब्द के लिये वेद में प्रयुक्त प्राचीनतम शब्द है। इसी को लैटिन में डीअस कहते हैं। यदि आप देव का

ॐ किसी भारतीय दार्शनिक के इस विचार से मिलान करें : 'सतत् विवेक से अविवेक का एवम् सतत् अविवेक से विवेक का उदय होता है। या 'जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म का द्वार खुलता है 'या' सृष्टि से विनाश और विनाश से सृष्टि का प्रारम्भ होता है।'।

—अनुवादक

अर्थ जानने के लिये शब्द-कोष का सहारा लें तो हमें पता धलेगा कि देव माने देवता । ठीक है, देव शब्द देवता के अर्थ में ग्रहण भी किया जाता है, परन्तु यदि हम देव शब्द को सर्वथा उसी अर्थ में प्रयुक्त करें, जिस अर्थ में अंगरेजी भाषा का 'गॉड' शब्द प्रयोग में लाते हैं तो यह अनुवाद न होकर वैदिक गायकों के विचारों का पूर्ण रूपान्तर हो जायगा । मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि हमारे गॉड शब्द के अर्थ में और वैदिक देव शब्द में पर्याप्त अन्तर है, परन्तु हम तो यह भी कह सकते हैं कि गॉड शब्द के बारे में ग्रीकों एवम् रोमनों की जो भावना है वह भी देव शब्द विषयक वैदिक भावना से एकदम अलग है, क्योंकि जिस समय वैदिक ऋचाओं में देव शब्द प्रयुक्त होना शुरू हुआ तो उसका अर्थ होता था द्युतिमान् । द्युतिमान् के अतिरिक्त देव शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता था । इसीलिये आकाश को, सितारों को, सूर्य को, ऊपा को, दिन, वसन्त ऋतु एवम् नदियाँ एवम् पृथ्वी तक को देव शब्द से अभिहित किया गया है । उस समय देव शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण न होकर सामान्य विशेषता वाचक शब्द था । जब भी इन द्युतिमान् पदार्थों को एक सामान्य नाम से पुकारने की आवश्यकता पड़ी, वैदिक गायकों ने उसे देव नाम से पुकारा । इस साधारणो करण के पूर्ण हो जाने के पश्चात् देव शब्द उन सभी समान विशेषताओं का प्रतीक बना जो धरती, आकाश, दिन, सूर्य, चन्द्र एवम् सितारों में पाये जाते थे । हाँ असमान विशेषताएँ अवश्य ही इस शब्द से अनभिर्व्यंजित रहती थीं ।

इस स्थिति एवम् अर्थ परिवर्तन से आप स्पष्ट देख पावेंगे कि किस प्रकार एक गुण वाचक विशेषण जाति वाचक संज्ञा के रूप में आ गया । द्युतिमान् का अर्थ प्रगट करते करते धीरे धीरे देव शब्द आलौकिक, उदार, सशक्त, अदृश्य, अमर का अर्थ देने लगा और कालान्तर में वह उस अर्थ का द्योतक हो गया जिस को प्रकट करने के लिये यूनानी लोग थिमोई तथा रोमन लोग ही शब्द को प्रयोग में लाते थे ।

इसी प्रकार वेद में एक 'परे' की भी सृष्टि से हुई थी । दृष्टि से परे, वाणी से परे और अन्ततोगत्वा प्रकृति से परे और यह 'परे का विश्वास' हिन्दू धार्मिकता का एक विशेष अंग बन गया । इस 'परे' में देवों, वस्तुओं तथा आदित्यादि का निवास था । निस्सन्देह ये सभी नाम ही थे, उन सौर, आलौकिक एवम् प्रकृतिगत तथा प्रकृतिप्रदत्त शक्तियों के जिनकी कल्पना उस अति प्राचीन काल में मनुष्य का मस्तिष्क कर सका था । विचित्रता तो यह है कि प्रकृति की अवांछनीय अभिव्यक्तियों जैसे रात्रि, सघन काले बादलों शिशिर ऋतु इत्यादि के निवास की कल्पना भी परे में की गयी है । इतना अवश्य था कि वैदिक कल्पनाओं में इतनी व्यवस्था अवश्य थी कि तम-प्रकाश से, शिशिर वसन्त से एवम् काले बादल सूर्य से अन्त में सब पराजित होते

रहेंगे। यह आशावाद यहाँ तक बढ़ा हुआ था कि धीरे धीरे वैदिक ऋषियों का ऐसा विश्वास ही हो गया कि अन्त में सदैव सत्की हो विजय होती* है।

अब हम वेद मन्दिर में प्रतिष्ठित दूसरी मूर्ति की ओर ध्यान देंगे। प्राचीन ऋषियों ने उस द्वितीय 'परे' की भी कल्पना की थी यद्यपि उनकी यह कल्पना सम्पूर्ण रूपेण स्पष्ट एवम् व्यवस्थित नहीं थी। यद्यपि उन्होंने इस का नाम करण भी किया था एवम् तद्गत भावनाएँ उनके मस्तिष्क में स्पष्ट थीं। इस द्वितीय परे को वे लोग 'पितृ लोक' कहते थे।

संसार के प्रायः सभी जातियों में ऐसा विश्वास रहता आया है और आज भी है कि मृत्यु के अनन्तर हमारे माता-पिता तथा अन्य सम्बन्धी किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं, चाहे वह लोक कैसा ही हो। इस प्रकार का विश्वास स्वाभाविक ही है, अस्वाभाविक नहीं। भारत भी इस विषय में अपवाद नहीं रहा। भारतीय ऋषियों ने भी इस लोक की कल्पना की थी और वह लोक इस पृथ्वी से दूर किसी अनिर्धारित स्थान में था। चाहे वह पूर्व में रहा हो, जिधर से सभी देव आते हैं। चाहे वह पश्चिम में रहा हो, जिधर को सभी देव जाते हैं। पश्चिम को भारतीय मनोषियों ने सूर्यास्त स्थल अथवा यम लोक को संज्ञा दी है। इस विचार धारा का उदय उस प्राचीन काल में नहीं हुआ था कि 'जो हैं, उसका विनाश नहीं हो सकता,' परन्तु वे इतना अवश्य सोच चुके थे कि उनके दिवंगत पूर्वज कहीं न कहीं अस्तित्व में हैं, भले ही वे अपनी सन्तानों की दृष्टि से दूर हों। इस प्रकार इस द्वितीय 'परे' की भावना का सूत्रपात हुआ और जैसे एक नवीन धर्म की आयोजना हुई।

वास्तव में दिवंगत व्यक्तियों को सत्ता का अन्त इतने शीघ्र होता भी नहीं। मरने के बाद भी वे किसी न किसी रूप में जीवित अवश्य ही रहते हैं। अपने जीवन काल में जिस सत्ता का उपभोग किये रहते हैं तथा उनकी इच्छाओं का जिस परिमाण में आदर होता रहा है, उसका उपभोग वे मृत्यु के उपरान्त भी करते रहते हैं। प्राचीन धर्मशास्त्रों एवम् विधि शास्त्रों ने भी ऐसी ही व्यवस्था दी है कि दिवंगत अत्माओं की इच्छा ही परिवार के लिये कानून स्वरूप थी, मान्य थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त भी जहाँ कभी परम्परा या विधि के विषयों पर मतभेद या सन्देह उपास्थित हो जाता है तो यह स्वभाविक ही होता है कि इन सन्देहों एवम् मतभेदों

* 'सत्यम् जयति नानृतम्'

'सुगो ऋतस्य पन्थाः',

'यतो धर्मस्ततो जयः इत्यादि

† इसीलिये भारतीय जन विधिग्रन्थों को 'स्मृति' का नाम देते थे—

के समाधान के लिये पूर्वजों की इच्छाओं एवम् सम्मतियों को निर्णय का आधार माना जाय अर्थात् तब भी उनकी इच्छा ही विधि का काम करती रहे ।

इस प्रकार मनु का कथन है कि 'जिस राह तुम्हारे पूर्वज गये हैं; उसी राह पर चलो तो तुम्हारा रास्ता कभी गलत नहीं होगा' ।

इसी प्रकार जहाँ से विभिन्न देवों की सृष्टि हुई थी, वहीं से पितृ, प्रेत, दिवंगत इत्यादि की भी सृष्टि हुई और इतनी उपासनाओं का विधान जितना भारत में उन्नत हुआ, उतना संसार के भी देश में नहीं हुआ । जीवन काल में पिता को जिस सम्मान का अधिकारी समझा था मृत्यु के उपरान्त वह पूरा सम्मान पितृ को दिया गया । धीरे धीरे पितृ शब्द न केवल पिता का अर्थ देने लगा वरन् उससे 'दृष्टि से परे' का भी अर्थ ग्रहण किया जाने लगा । इसी शब्द से उदारता, शक्तिमत्ता, अमरत्व, अलौकिक आदि का अर्थ भी ध्वनित होने लगा और हम स्पष्ट देख पाते हैं कि किस आत्मा के अमरत्व की भावना में माता पिता के प्रति पुत्र का प्यार, पुत्र का सम्मान सजीव हो उठा है । यह सजीवता हमें जिस परिमाण में एवम् जिस स्पष्टता से वैदिक साहित्य में दिखायी पड़ती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है ।

यह एक विचित्र बात है, बल्कि विचित्र से भी अधिक है कि हिन्दुओं के प्राचीन धर्म के इस विशिष्ट एवम् महत्वपूर्ण अंग को विचारकों ने न केवल भुला ही दिया है वरन् कितनी ही बार उन्होंने उसके अस्तित्व के विषय में भी शंकाएँ की हैं । ऐसी स्थिति में मैं अपने को बाध्य मानता हूँ कि आदिम काल से लेकर अवाध गति से आधुनिक काल तक चलो आने वाली भारतीयों की पितरोपासना पर कुछ शब्द कहूँ । मि० हरवर्ट स्पेंसर ने संसार की सभी बर्बर जातियों का धार्मिक भावना में व्याप्त पितरोपासना को उनकी धार्मिकता का या उनके धर्म का मुख्य प्राकृतिक तत्व माना है और इस ओर उन्होंने लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया है, परन्तु उन्होंने बड़ी ही दृढ़तापूर्वक कहा है कि "मैंने इसे देखा है, मैंने वार्ताओं में सुना है और अब मैं उसी तथ्य को मुद्रित रूप में भी देख रहा हूँ कि किसी भी इन्डो यूरोपियन या सेमेटिक जाति वालों ने पितरोपासना को अपना धर्म नहीं माना है" । मैं मि० स्पेंसर के शब्दों में शंका नहीं करता, फिर भी मेरी ऐसी इच्छा अत्रत्य थी कि वे कुछ ऐसे अधिकारी विद्वानों का नाम अवश्य देते जिनके आधार पर उन्होंने उपरोक्त मान्यता स्थिर की है । मुझे यह बात एकदम असम्भव प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति भारत एवम् उसके धर्म विषयक ग्रन्थों को पढ़े और इस प्रकार की मान्यता स्थापित करें । ऋग्वेद में पितरों को सम्बोधित करते हुई अनेक श्रुति हैं । ब्राह्मण एवम् सूत्रग्रन्थों में पितृपूजा का पूरा विधान ही दिया गया है । आप महाकाव्यों को देखिये; पुराणों या स्मृतियों को देखिये सभी पितरों के लिये विशेष यज्ञों की चर्चा से भरे पढ़े

हैं। आप भारतीयों की विवाह व्यवस्था को ले लीजिये, उत्तराधिकार व्यवस्था को ले लीजिये, इन सभी में पितरों के प्रति प्रगाढ़ विश्वास की भावनाएँ मिलेंगी और तब भी हमसे कहा जाता है कि किसी भी इन्डोयूरोपियन या सेमेटिक जाति ने पितरोपासना को धर्म का आधार नहीं माना है।

आप देखेंगे कि फारसवासियों में फ़वशिर की, यूनानियों में थिओई पैट्रोई डेमोनस की तथा रोमनों में लैरेस फेमिलियरस की उपासना जिस उमंग से होती है वैसी उमंग के दर्शन किसी भी अन्य देव की उपासना में नहीं होते। एक स्थान पर मनु ने यहाँ तक कहा है कि ब्राह्मणों द्वारा पितरों को दिया गया कव्य देवताओं को दिये गये कव्य से बढ़ कर हैं।' ऐसी स्थिति में भी हम किस प्रकार यह मान लें कि किसी भी इन्डोयूरोपियन या सेमेटिक जाति ने पितरोपासना को धर्म का अंग नहीं माना है ?

इस प्रकार की बातें होनी नहीं चाहिये क्योंकि ऐसी मान्यताएँ ऐतिहासिक शोध कार्यों का पथ अवरोध कर देती हैं। मेरे विचार से उपरोक्त मान्यता से स्पेंसर का यही तात्पर्य रहा होगा कि 'कुछ विद्वान इस बात से सहमत नहीं होते कि किसी भी इन्डोयूरोपियन सेमेटिक जाति वालों ने पितरोपासना को ही धर्म का एकमात्र आधार माना है। निस्सन्देह इस ढंग से कहने पर यह बात पूर्णतः सत्य है, परन्तु मेरा विश्वास है कि यह भी उतनी ही सत्य है कि संसार का कोई भी धर्म स्पेंसर के इस तात्पर्य का अपवाद नहीं है। इस विषय पर भी ऐन्थ्रोपालोजी के छात्र जितना वेद से पा सकते हैं उतना अन्य किसी भी साधन से नहीं।

वेद में देवों के साथ ही पितरों की भी प्रार्थनाएँ की गयी हैं। देवताओं की तो यदा कदा निन्दा भी की गयी है, परन्तु पितर कभी भी निन्दा के पात्र नहीं हुए। देव लोग कभी पितृ नहीं बन सके और यद्यपि पितृ के साथ यत्र तत्र देव शब्द भी जुटा हुआ मिलता है, फिर भी देवों और पितरों का विलगाव सर्वत्र स्पष्ट है और वे मानव कल्पना की उन दो स्थितियों का स्पष्ट निर्देश करते हैं, जिनके आधार पर लोगों ने किसी भी मानना के पूर्व रूप को उपासना का आधार बनाया है। वेद का एवम् भारतीय धर्म का यह एक ऐसा तत्व है, जिसे कभी भी भुलाना नहीं चाहिये।

ऋग्वेद में एक प्रार्थना है 'ऊपा हमारी रक्षा करें'। केवल इसी ऋचा से स्पष्ट हो जाता है कि देवों और पितरों की स्थिति स्पष्टतः अलग थी, वे उपा से, नदियों से, पर्वतों एवम् देवों से भिन्न थे यद्यपि देवों के साथ ही उनकी भी प्रार्थनाएँ की जाती थीं।

हमें प्रारम्भ में ही उन दो प्रकार की भावनाओं को अलग कर लेना चाहिये जो वैदिक ऋषियों के मन में पितरों के विषय में उदित हुई थीं। पितृगत प्रथम

भावना तो उन पितरों से सम्बन्धित थी जो बहुत दिन पूर्व दिवंगत हो चुके थे, जिनकी स्मृति अब भी स्पष्ट थी और जिनकी इच्छाओं और सम्मतियों का पूर्ण ज्ञान शेष था।

प्रथम वर्ग के पितरों की स्थिति देवों के समक्ष हो चली थी। यह मान लिया गया था कि वे यमलोक में जा चुके थे और वहाँ देवताओं की संगति में निवास कर रहे थे।

यत्र-तत्र यम ‡ की भी इस प्रकार की प्रार्थना की गयी है, जैसे वे भी पितरों में से ही एक हों। ऐसा विश्वास प्रगट किया गया है कि मरने वालों में यमराज ही प्रथम थे और उन्होंने ही सर्व प्रथम मृत्यु-पथ पर अपने चरण रखे थे और पश्चिम में वहाँ तक गये थे जहाँ सूर्य अस्त होता है। इस प्रकार की मान्यता होते हुए भी यम के देवत्व में कहीं से भी कमी नहीं आने पायी है। वह सन्ध्याकाल का देवता है और पितरों का नायक है परन्तु पितर नहीं है और न पितरों में से ही है।

इस पृथ्वी पर निवास करते हुए मानव कितनी ही ऐसी सुविधाओं का उपयोग करता है जो पितरों की देन है, क्योंकि पितरों ने ही प्रथमतः उन सुविधाओं को प्राप्त किया था और उनका सर्वप्रथम उपभोग भी उन्होंने ही किया था। उन्होंने ही सर्व प्रथम यज्ञ किया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम यज्ञजनित लाभों का रसास्वादन किया था। यहाँ तक कि प्रकृति के महान् कार्य जैसे सूर्योदय, दिन का प्रकाश, रात्रि का अन्धकार कभी-कभी उन्हीं के बनाए हुए कहे गये हैं और इस बात के लिये उनकी प्रशंसा की गयी है कि उन्होंने ही प्रातः के अन्वरे पशु-गृह को खोला और गीओं अर्थात् प्रकाशपुंज को बाहर लाये। इस बात के लिये भी उनकी प्रशंसा की गयी है कि उन्होंने ही आकाश की तारों से सजाया जब कि कालान्तर में इस प्रकार की भावना बन गयी कि ये तारे पवित्र दिवंगत आत्माएँ हैं जो स्वर्ग में प्रविष्ट हो गयी हैं। हम जानते हैं कि इसी प्रकार की विचार धारा 'फारसियों, यूनानियों तथा रोमनों में भी पायी जाती थी। वेद में पितरों का सत्य कहा गया है, सुविदत् (बुद्धिमान) कहा गया है, ऋत्विक् कहा गया है, कवि कहल गया है, पथिकृत (नेता) कहा गया है और उन्हें सोम्य (सोमपान के अधिकारी) कह कर उनकी विशिष्टता प्रगट की गयी है। यहाँ यह भी कह देना अप्रासंगिक न होगा कि वैदिक काल में सोम एक प्रकार के मादकद्रव्य को कहते थे, जिसके नारे में लोगों का विश्वास था कि वह अमरत्व प्रदायक है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी मूल भूमि

‡ ऋग्वेद १०।१४ के अनुसार पितरों में यम प्रथम हैं, मृतात्माओं की अवस्था यही करते हैं—मृतों के मार्ग दर्शक हैं।

में आग्नेय को सोम सुविधापूर्वक मिल जाता था परन्तु पंजाब में आकर बस जाने पर वह दुर्लभ हो गया ।

चाहे श्रुगवंश हो या आंगिरस कुल हो या अथर्वण का परिवार, पर पितर सबके थे जिनसे प्रार्थना की जाती थी कि वे घास पर बैठ कर दिया हुआ कव्य स्वीकार करें । ऋग्वेद में ऐसी भी ऋचाएँ हैं जिनसे पितृयज्ञ का वर्णन है ।

नोचे में एक ऐसे सूक्त का अनुवाद दे रहा हूँ, जिसके द्वारा पितरों से प्रार्थना की जाती थी कि वे यज्ञों में आकर भाग लें :—

१ 'हमारे सोम प्रिय पितर जाग्रत हों और देवों की प्रार्थना में हमारी रक्षा करें ।

२—'हमारा यह नमस्कार उन पितरों तक पहुँचें जो दिवंगत हो चुके हैं और अब चाहे वे अंतरिक्ष में रहते हों या प्रसन्न आत्माओं के बीच ।

३—'मैंने सुविदातृ पितरों को निमंत्रित किया है...वे शीघ्र यहां आवें और यहां मेरे समीप बैठ कर मेरे द्वारा प्रस्तुत कव्य को स्वीकार करें ।

४—'हे मेरे पितरों, अपनी समूची सहायता के साथ हमारे पास आओ, हम घास पर बैठे हैं, और हमने तुम्हारे लिये कव्य प्रस्तुत किया है, कृपया इसे स्वीकार करो । अपनी रक्षाशक्ति के साथ आओ और हमें पूर्ण स्वास्थ्य व धन प्रदान करो ।

५—'सोम प्रिय पितरों को घास पर रखे हुए कव्य को स्वीकार करने के लिये निमंत्रित किया है । वे आवें, हमारी बात सुनें, हमें आशीष दें और हमारी रक्षा करें ।

६—'मेरी दाहिनी ओर पतित जानु बैठ कर इस कव्य को स्वीकार करें । हमें चोट न पहुँचावें । यदि हमने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो भी मानव समझ कर क्षमा करो ।

७—'जैव तुम उपा की स्वर्णिम गोद में बैठे हो तो मानवों को धन प्रदान करो । हे पितरों, तुम हमारी सन्तति को अपनी निधि दो और हममें शक्ति उत्पन्न करो ।

८—'मित्रों के साथ मित्रता करने वाले यम हमारे द्वारा दिये गये कव्य को इच्छानुसार सम्राट् करें और हमारे पितरों को भी अपने साथ ले लें । वे वशिष्ठ गोत्रीय पितरों को अपने साथ लें जिन्होंने सोम का आवेष्कार किया था ।

९—'हे अग्नि यहां आओ, उन पितरों के साथ आओ जो यज्ञ वेदी के समीप बैठने के इच्छुक हैं, जिन्हें देवताओं की स्तुति करने में प्यास लग आयी है, जो यज्ञ की विधियों को जानते थे और जिनकी प्रार्थनाओं में शक्ति थी ।

१०—'हे अग्नि उन पितरों के साथ यहां आओ जो यज्ञ वेदी के समीप बैठने के इच्छुक हों, जो सत्यवादी हो, जिन्होंने देवों की स्तुति की हो, जो हमारे कव्य को

वेद और वेदान्त

५५७

खाएँ और इन्द्र तथा अन्य देवों की संगति में हों।

११—‘हे अग्नि द्वारा भस्मीभूत किये गये पितर ! तुम यहाँ आओ, अपने आसन पर बैठो; हमारे द्वारा दिये गये कव्य को खाओ और तब हमें धन और बलिष्ठ संतति दो।

१२—‘हे अग्नि, हे जातवेदस, तुम हमारे कव्य को मधुर बनी कर ले गये हो, तुम उसे यथा भाग सहित पितरों में बाँट दो, जिससे वे अपना-अपना भाग पा जावें। तुम भी हमारे कव्य में भाग लो।

१३—‘जो पितर यहाँ हैं, जो यहाँ नहीं हैं; वे जिनको हम जानते हैं या जिनको हम नहीं जानते, तुम सबको जानते हो। हे जातवेदस तुम इस कव्य को सब में बाँट दो।

१४—‘जिनका दाह संस्कार हुआ हो या जिनका दाह संस्कार न हुआ हो, जो स्वर्ग में रहते हों, हे राजन् तुम ऐसा वर दो कि वे ‘इच्छानुकूल सरोर प्राप्त कर सकें।’

इन आदि पूर्वजों के अतिरिक्त समीप के पूर्वजों के प्रति भी सम्मान प्रग किया गया है। जिस भावना के वशीभूत हो कर पुत्र अपने पिता को प्यार करता है, वही भावना जब और विकसित हो जाती है तो वह अपने पितामह एवम् प्रपितामह को भी प्यार करने लग जाता है। कुछ यज्ञ विधान ऐसे भी हैं जिनमें व्यक्तिगत अनुभूतियों के प्रकाशन के पर्याप्त अवसर थे और इसीलिये उन विधानों में अत्यधिक विभिन्नता के दर्शन होते हैं। इन स्थानीय विभिन्नताओं के होते हुए भी पितरों के प्रति प्रदर्शित किया गया सम्मान सर्वत्र एक सा है।

दिवंगत आत्माओं पर अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए नाना प्रकार के विधान ब्राह्मण ग्रन्थों में, सूत्र में, गृह्यसूत्रों में, समयाचारिक सूत्रों में, स्मृतियों तथा अन्य कितने ही प्रकार के परवर्ती ग्रंथों में दिये गये हैं। इन विधानों में देश, काल स्थिति के अनुसार विभिन्नता तो है ही, इनकी संख्या तथा इनका विस्तार इतना अधिक है कि उसे सूत्र रूप में भी उद्धृत कर सकना यहाँ पर सम्भव नहीं है। क्रियाओं का भी विस्तार कम नहीं है। उनमें इन प्रकार के कार्यों के लिए विशेष दिनों, घण्टों, पक्षों एवम् मासों को निर्देशित किया गया है। अनेक प्रकार की वेदियों की योजना दी गयी है। यज्ञ सम्बन्धी पात्रों [वर्तनों] तथा अन्य आवश्यक साग्नियों की तो कोई सोमा ही नहीं है। इन आवश्यक एवम् अनावश्यक विस्तारों के जाल में इतनी उलझन है कि उन सब को पार करके यह जान सकना अगम्य हो उठा है कि पितृ पूजा के एकदम प्रारम्भ में किस भावना के साथ किस क्रिया की योजना की गयी थी। अनेक यूरोपीय विद्वानों ने हिन्दू धर्म के इस पक्ष पर बहुत कुछ लिखा है। इस विषय पर

सबसे पहले सन् १७६८ ई० में कोलब्रुक ने 'द रिलीजस सेरीमनीज आव दू हिन्दूज' नामक एक निबन्ध संग्रह में लिख कर प्रकाश डाला है। हिन्दू धर्म के इस पक्ष को समझाने के लिये किए गए प्रयत्नों की संख्या कम नहीं है, फिर भी जब हम इस साधारण से प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं कि 'वह कौन से विचार थे, जिनसे ये सत्र बाह्य-विधान निकले, या मानव हृदय की किस पिपासा को सन्तोष देने के लिए इन यज्ञों की इतनी विस्तृत आयोजना की गयी; तो शायद ही हमें कोई ऐसा उत्तर मिल सके जिससे हमारा समाधान हो जाय' या जिससे हम संतुष्ट हो सकें। यह सत्य है कि आज भी भारत के कोने-कोने में मृतकों के श्राद्ध होते हैं, परन्तु हम यह भी जानते हैं कि शास्त्रों में श्राद्ध के जो विधान दिए गए हैं उनमें और आजकल किये जाने वाले श्राद्धों में बहुत कम समता रह गयी है। जिस समय इन शास्त्रों की रचना हुई थी, तब से लेकर आज तक श्राद्ध के सिद्धान्तों एवम् कर्मों में अनेक आवश्यक तथा अन्यथा मोड़ आ चुके हैं। हमारे देश के या अन्य किसी देश के निवासी जब भारतो में जाकर इन श्राद्ध कर्मों को देखते हैं तो उन्हें बरबस ही कहना पड़ता है कि इन कर्मों के पीछे निहित उद्देश्यों को जानने का बस एक यही साधन है कि संस्कृत भाषा का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके सूत्र ग्रन्थों को पढ़ा जाय। आज कल के श्राद्ध कर्मों को देख कर तत्निहित उद्देश्यों को जान सकना असम्भव हो चुका है। इसे सब मानते हैं कि आधुनिक श्राद्ध प्राचीन श्राद्धों की समता में इतने बदल गये हैं कि इनकी लोक पकड़ कर प्राचीनता के गर्भ में प्रवेश पाना यदि असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। इसका पता तो आज भी चल जाता है कि पितरों को दिये जाने वाले पिंड किसी प्रकार बनाए जाते थे; जिन कुशों पर ये पिंड रखे जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिये; प्रत्येक कुश के लम्बाई क्या होनी चाहिये; और वेदी पर रखते समय कुशाग्रों का सिरा किस ओर को होना चाहिए। हमें प्रायः ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं जिनसे हम कुछ भी नहीं सीख सकते, परन्तु विद्वानों को जिन आवश्यक बातों का खोज है या हानो चाहिए, उन पर आधुनिक श्राद्धों में कोई महत्व नहीं दिया जाता, जैसे वे एक दम ही अनावश्यक हों और जैसे उन्हें खोजने के लिये हमें प्राचीन संग्रहालयों में ही जाने की आवश्यकता पड़ेगी।

मेरा विचार है कि थोड़ा सा आवश्यक प्रकाश प्राप्त करने के लिए हमें निम्न लिखित बातों का अन्तर समझ लेना चाहिये :—

१—दैनिक पितृ यज्ञ, जो पंच महायज्ञों में से एक है।

२—मासिक पितृ यज्ञ, जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया एवम् पूर्णिमा को किये जाते हैं।

३—दग्ध-संस्कार जो किसी के मरने पर चिता पर किया जाता है ।

४—ब्रह्मभोज-जो दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए किया जाता है तथा जिसमें दिवंगत आत्मा की स्मृति में सत्पात्रों को भोजन सामग्री तथा अन्य सामान दान में दिए जाते हैं । वास्तव में इस अन्तिम वर्ग को ही श्राद्ध का नाम दिया गया है, परन्तु दूसरे और तीसरे वर्ग की क्रियाओं को भी श्राद्ध के ही नाम से जाना जाता है, इनमें भी श्राद्ध की सी महत्ता मानी गयी है ।

दैनिक पितृ यज्ञ की गणना पंच महायज्ञों में की गयी है । इनके लिए ऐसा नियम है कि प्रत्येक गृहस्थ को इन्हें प्रतिदिन सम्पादित करना चाहिये । गृह्य सूत्रों में इनका वर्णन किया गया है तथा इनके नाम इस प्रकार हैं; देवों के लिए देव यज्ञ, पशुओं के लिए भूत यज्ञ, पितरों के लिए पितृयज्ञ, ब्राह्मणों के लिए अर्थात् वेदाध्यायियों के लिए ब्रह्मयज्ञ और मानवों अर्थात् अतिथियों के लिए मनुष्य यज्ञ ।

मनुस्मृति के तीसरे अध्याय के ७० वें श्लोक में भी यही बात कही गयी है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि दैनिक पितृयज्ञ का विधान अति साधारण सा था । गृहस्थ अपसव्य होकर अर्थात् यज्ञोपवीत को बाएँ कंधे से दाएँ कंधे पर करके 'पित्राय स्वधा' कह कह कर कुछ खाद्य सामग्री दक्षिण की ओर फेंक देता था ।

यदि इस क्रिया को यज्ञ की संज्ञा दी जा सकती है तो इसमें निहित मनोभाव स्पष्ट है । आदिम युग में इन पंच महायज्ञों द्वारा प्रत्येक गृहस्थ की कार्य सारिणी निर्धारित कर दी गयी है । वे उसके नैतिक भोजन से सम्बन्धित थीं । जब उसका भोजन तैयार हो जाता था तो स्वयम् भोजन का स्पर्श करने के पूर्व वह बलि वैश्य-देव के नाम पर थोड़ा सा पक्वान्न अलग कर देता था । इस बलि के अधिकारी हुआ करते थे अग्नि, सोम, विश्वेदेवाः धन्वन्तरी, कूह और अनुमती, प्रजापति, द्यावापृथ्वी तथा स्विष्टकृत् अर्थात् यज्ञवेदी की अग्नि ।

इस प्रकार चारों दिशाओं के देवों को सन्तुष्ट करके गृहस्थ थोड़ा सा पक्वान्न वायु में उछाल देता था, जो पशुओं के लिए हुआ करता था, या कुछ दिशाओं में ग्रहस्थ जीवों जैसे प्रेतादि के लिए । तब बारी आती थी पितरों की । परन्तु ऋतरों को भी बलि देने के पश्चात् भी गृहस्थ भोजन करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता था । उसे अतिथि सत्कार का भी सम्यक् प्रबन्ध करना पड़ता था और तभी वह भोजन कर सकता था ।

जब ये सारी क्रियायें हो चुकती थी और गृहस्थ अपनी नैतिक देव प्रार्थना कर सकता था तब वह अपने चतुर्दिक के संसार सायुज्य प्राप्त कर पाता था और तभी वह सोच पाता था कि इस अविवेकता एवम् स्वार्थ पूर्ण संसार में अपने द्वारा किए कायज, भोज, अवराज नयनज, विहित, अहि और मानस अपराधों से मुक्ति निष्फल प्रयत्न कर

मिल चुकी है। बिना पंच महायज्ञों के किये उसके सभी अपराध उसके ऊपर लदे थे रहते थे।

पंच महायज्ञों में पितृ यज्ञ का प्रमुख स्थान है और इसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। गृह्य तथा समयाचादिक सूत्रों में तथा परवर्ती स्मृतियों में भी किया गया है। श्री राजेन्द्र लाल मित्र ने सूचित किया है कि सनातन धर्म ब्राह्मण आज भी इन पंच महायज्ञों का सम्पादन करते हैं, परन्तु वास्तव में अब देव यज्ञ और पितृयज्ञ ही से सन्तोष कर लिया जाता है और देव प्रार्थना के स्थान पर अब गायत्री-पाठ से काम चला लिया जाता है। पशु यज्ञ और अतिथि यज्ञ तो विशेष अवसरों पर ही होते हैं।

इस पितृयज्ञ* से पिण्डपितृयज्ञ† एकदम दूसरे प्रकार का है। पिण्डपितृयज्ञ का विस्तार उससे अधिक है और उस विस्तार में नवचन्द्रयज्ञ (शुक्लपक्ष की द्वितीया को किया जाने वाला पितृयज्ञ) का स्थान उत्तम है। इस यज्ञ में जिस मानवीय भावना को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया गया है वह समझ में आने योग्य है। प्रकृति की नियमित प्रणाली पर विचार करने का यह एक ढंग है। आकाशस्थ ग्रह और तारे एक नियमित प्रणाली में चालित रहते हैं। धीरे-धीरे इन्हीं को देखते हुए इनके या इन के ऊपर ध्यान का जाना एक स्वाभाविक क्रिया है। उस के ऊपर मानव का विश्वास बढ़ता जा रहा था। यही कारण था कि अपने दैनिक कार्य जाल से कुछ देर के लिए मुक्त होकर मानव उच्च विचारों की ओर अग्रसर हुआ और उसके अन्तर्तम में यह अभिलाषा उठी कि उसकी प्रशंसा के गीत गाकर उससे साक्षात्कार करने का प्रयास किया जाय। इसीलिए उसने स्तुतियाँ कीं, धन्यवाद दिया और बलियों का विधान किया। चन्द्रमा को नित्य-प्रति क्षीण होते देख कर यह स्वाभाविक ही था कि उसे अपने उन पूर्वजों का स्मरण आ जाय जो इसी ढंग से दिन प्रति दिन क्षीण होते-होते अनन्त काल के गर्भ में समा गए थे और जिनके प्रसन्न मुख तब इस पृथ्वी से अदृश्य हो चुके थे। इसीलिये यह नियम बनाया गया कि नवचन्द्र के समय पितृयज्ञ सम्पादित करना चाहिये। इस यज्ञ का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में भी है और श्रौत सूत्रों में भी। दक्षिणाग्नि में एक वेदी तैयार की जाती थी और कव्य रूप में पानी के साथ गोल पिण्ड उस वेदी पर रखे जाते थे और यह बलि विधान पिता, पितामह तथा प्रपितामह तक के लिए होता था। यदि यज्ञकर्ता की स्त्री को पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा हो तो उसे उन पिण्डों में से एक पिण्ड खाने की अनुमति दी जाती थी।

* पितृयज्ञ का ही दूसरा नाम आद्य है। श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छाद्यम्

† 'प्रभावस्या माम् पिण्ड पितृयागः' उसे करने का अधिकार 'केवल' अग्निहोत्री को ही है।

इसी प्रकार के यज्ञ दूसरे अवसरों पर भी किये जाते थे, जिनमें शुक्ल, द्वितीया तथा पूणिमा को किये जाने वाले यज्ञों की ही भाँति क्रियायें होती थीं ।

यह सत्य हो सकता है कि उपरोक्त दोनों प्रकार के यज्ञों एवम् उनके नामों में पर्याप्त समानता थी, उनके उद्देश्य भी समान थे परन्तु उनकी विशेषताएँ अवश्य ही भिन्न थीं । प्रायः विचारक लोग हम दोनों आध्यों को मिला कर एक कर देते हैं । परन्तु ऐसा करने से हम उस सीख से वंचित हो जाते हैं जो हमें पुरातन यज्ञों और अध्ययन से मिल सकती है । मैं भी इन दोनों यज्ञों के अन्तर को पूरी तरह समझा नहीं सकता, हाँ इतना अवश्य कह सकता हूँ कि दैनिक पितृयज्ञ स्वयमेव अर्थात् बिना पुरोहित की सहायता से ही हो जाता था परन्तु मासिक आध में पुरोहित की उपस्थिति अनिवार्य थी और मंत्रोच्चारण की क्रिया यजमान के मुख से न होकर पुरोहित के ही मुख से हुआ करती थी । स्वयम् हिन्दू विद्वानों के अनुसार दैनिक आध गृह्य अर्थात् घरेलू आध है और मासिक आध* और श्रौत आध है, जिसमें वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण अनिवार्य है ।

अब हम तीसरे प्रकार के यज्ञों पर आते हैं, जो वैयक्तिक हैं और गृह्य परन्तु जिन अवसरों पर इन यज्ञों को किया जाता है, उन्हीं के कारण वे उपरोक्त दोनों यज्ञों से अलग हो जाते हैं । इसको मृतक कर्म कहते हैं । एक दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मृतक कर्म से ही पितरोपासना का प्रारम्भ होता है । मृतक कर्म से ही चल कर हम यज्ञों तक पहुँचते हैं और जैसे इस मृतक कर्म से ही हमारे पितृयज्ञों की तैयारी प्रारम्भ होती है क्योंकि आज का मृतक ही कल पितृ कहलाता है । दूसरी दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि जिस समय किसी भी मृतक को पितृ-श्रेणी नहीं हुई थी, तब भी 'पूर्वज' शब्द की भावना का अस्तित्व था और इसी लिए हमने पूर्वजों के लिए किये जाने वाले यज्ञों का वर्णन भी पहले ही कर दिया ।

भारतीयों में प्रचलित मृतक कर्म के विस्तार में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है । इनमें निहित भावनाएँ उसी प्रकार की हैं जैसी यूनानियों, केल्टों या स्लाव जाति वालों की हैं परन्तु इन भावनाओं में इतना साम्य कैसा आ गया, यही आश्चर्य का विषय है ।

वैदिक काल में मुर्दे जलाये भी जाते थे और गाढ़े भी जाते थे और ये दोनों ही कार्य पूरी गम्भीरता के साथ किये जाते थे । कालान्तर में तो इन कार्यों के लिये स्पष्ट

* वास्तव में आध दो प्रकार के होते हैं, १—स्मार्त आध जिसे गृहस्थ स्वयम् कर लेता है और २—श्रौत आध जिसमें श्रुति के वचन कहे जाते हैं । स्मृति से स्मार्त और श्रुति से श्रौत शब्द हैं ।

नियम निर्धारित कर दिए थे। मृतक मनुष्य को जला दिए जाने पर तथा उसके अवशेष को गाड़ देने पर दिवंगत व्यक्ति की क्या स्थिति होती थी, इसके विषय में वैदिक कालीन विचारक एकमत नहीं थे, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले जीवन में उनका फिर पूर्ण विश्वास था। वे यह भी सोचते थे कि ये व्यक्ति जब फिर जन्म लेंगे तो इनका जीवन इसी पृथ्वी पर इसी गाँति चलेगा। उनकी यह भी मान्यता थी कि दिवंगत आत्माओं में देने की शक्ति होती है और वे पृथ्वी वासियों को प्रसन्नता प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। इन्हीं मान्यताओं के कारण पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए उनके स्तवन गाये गए और इसीलिए अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान किया गया। प्रथमतः इन यज्ञों में मानवीय भावनाओं का शुद्ध प्रदर्शन आगे चल कर परम्परा बढ हो गया। और भी आगे चलकर वही नियम परम्परा में परिणित हो गयी।

जिस दिन मृतक का दाह संस्कार किया जाता था, उस दिन उसके सगे सम्बन्धी लोग स्नान करके उसके नाम से अंजली भर पानी* देते हैं। पानी देते समय गोत्र सहित उसका नाम लिया जाता है। सूर्यास्त काल में वे घर लौटते हैं और परम्परा के अनुसार उस दिन घर में भोजन नहीं पकाया जाता और अगले दस दिनों तक कुछ बंधे नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम मृत व्यक्ति के चरित्र से निर्धारित होते हैं। पहले इन दिनों को शोक समय कहते थे, बाद में इसे अशौच दिवस कहने लगे। इन दिनों मृतक के परिवार वाले प्रायः बाहरी संसार से अपना सम्बन्ध बहुत कम देते हैं। जीवन के आनन्ददायक कार्यों से भी उन्हें विरक्ति रखनी पड़ती है।

प्रथम दिन वीत जाने के बाद राख को इकट्ठा करने का काम होता है। यह काम प्रायः कृष्ण पक्ष की ग्यारवीं तेरहवीं या १५ वीं तारीख को किया जाता है। इस कार्य से खाली होकर वे स्नान करते हैं और मृतक का श्राद्ध कर्म करते हैं।

इसी अवसर पर हमें श्राद्ध शब्द के दर्शन होते हैं। यह शब्द अर्थ पूर्ण है। यदि केवल श्राद्ध शब्द के पूरे अर्थ को समझ लिया जाय तो समूची क्रियाओं में निहित भावनाओं को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। इस शब्द के विषय की सर्वाधिक मनोरंजक तथ्य यह है कि न तो श्राद्ध शब्द का दर्शन वेद में मिलता है और न ब्राह्मण ग्रंथों में। अतः यह परिणाम निकाला जा सकता है कि यह शब्द काफी बाद में प्रचलित हुआ। अस्पस्तम्य के धर्मशास्त्र में एक अनुच्छेद ऐसा है जिसमें हम समझ सकते हैं कि श्राद्ध की क्रियाएँ बहुत प्राचीन नहीं हैं।

*—श्राद्ध शब्द का मूल श्रद्धा है। देखिये: श्रद्धया कृतम् इति श्राद्धम् अथवा श्रद्धार्थमिदम् श्राद्धम् या 'श्रद्धाया इदम् श्राद्धम्' .

वेद और वेदान्त

२३३

‘पहले देव और मनुज इस पृथ्वी पर साथ-साथ रहते थे । अपने यज्ञों के सुफल के परिणामि स्वरूप देव लोग वैकुण्ठ वासी हो गये और मानव इसी पृथ्वी पर रह गया । इस पृथ्वी के जो भी मानव उन्हीं देवों के समान यज्ञ करते हैं वे भी मरणो-परान्त देव-सन्निध्य प्राप्त करते हैं । अपनी संतानों के भले के लिए मनु ने इस यज्ञ का विधान किया, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं ।’

श्राद्ध शब्द के कई अर्थ होते हैं । मनु ने इस शब्द का प्रयोग प्रायः पितृयज्ञ के पर्यायवाची के रूप में किया है, परन्तु वास्तव में जिस किसी भी यज्ञ में श्रद्धा पूर्वक दान किया जाय उसी को श्राद्ध* कह सकते हैं । इसमें उचित पात्रों विशेष कर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था । इस दान को ही श्राद्ध की संज्ञा दी गयी थी परन्तु कालान्तर में पूरे यज्ञ को ही श्राद्ध कहने लगे । पंडित नारायण ने आश्वलायन के गृह्य सूत्रों पर जो व्याख्या लिखी है, उसमें इस शब्द पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है । उनके अनुसार ‘पितरों के नाम से ब्राह्मणों को जो कुछ दिया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं’ ।

किसी की मृत्यु के दिन इस प्रकार के दानों की वाढ़ सी आ जाती थी या जब किसी भी दिवंगत व्यक्ति को स्मृति वाह्य रूप से प्रदर्शित की जाती थी, तभी इस प्रकार के दान दिये जाते थे । अतः इस दान देने की प्रक्रिया को ही श्राद्ध कहने लगे और न जाने कितने ही धार्मिक कर्तव्य किसी मृत व्यक्ति के नाम से ही सम्बन्धित होते रहे । आप लोग यह न समझ लें कि श्राद्धोचित कर्तव्य केवल मरण सम्बन्धी कार्यों में ही किए जाते थे; नहीं, वे आनन्द के अवसरों पर भी पूरे किए जाते थे और इन अवसरों पर (विवाहादिक अवसरों पर) समूचे परिवार के नाम से दान दिया जाता था और उस परिवार में पितरों को भी शामिल कर लिया जाता था ।

ऐसी स्थिति में श्राद्ध शब्द को जो लोग केवल संहितालौकिक दान तक ही सीमित समझते हैं वे भूल करते हैं । वास्तव में प्रत्येक कार्य में पितरों के नाम पर दान करना श्राद्ध ही का प्रतीक था परन्तु श्राद्ध की वास्तविक सार्थकता उस दान की परम्परा में है जो पितरों के नाम पर उचित अवसरों पर दिया जाया करता था ।

आगे चल कर श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य ही जैसे गायत्री हो गया और उनके ब्राह्मणध्वजों ने आन्तरिक श्रद्धा का स्थान ग्रहण कर लिया । हमारे यहाँ भी मध्य

* ब्रह्म पुराण में कहा गया है ‘तस्माच्छ्राद्धम् नरोभक्त्यां शा कौरपि यथा विधिः’ कुर्वीत् श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सीरति
 * मार्कण्डेय पुराण में ‘आयुः प्रजाम् धनम् विधाम् पुत्रान् मोक्षम् सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम्, पितरः श्राद्धं तृप्ताः ।

फा० न०—२२०

युग में चर्चों को दान देने की परम्परा में भी निहित श्रद्धा का स्थान ठीक इसी प्रकार ब्राह्मणधर्मियों ने ले लिया था। वास्तविकता यह है कि जिस उद्देश्य को सामने रख कर श्राद्ध का प्रारम्भ किया गया था, उसकी सदाशयता में सन्देह करने का कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है। इसमें दूसरों की भलाई करने का उद्देश्य ही प्रबल नाम था। बात यह है कि परिवार या समाज में किसी की मृत्यु हो जाने पर घोर से घोर सांसारिक व्यक्ति में भी कुछ अंशों में संसार से विराग आ जाता है, अतः इसी को दान करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर माना गया। इसी समय हम यह समझने लग जाते हैं कि 'हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना है, ये स्त्री पुत्रादि भी सदा हमारे नहीं रहेंगे, हमारा जो कुछ अर्जित संचित है, सब यहीं रह जायगा, केवल धर्म ही हमारे संग जायगा।' जिस समय मन में ऐसे विरागात्मक भाव उठ रहे हों उस समय को ही दान का सर्वोत्तम अवसर समझ कर श्राद्ध* को इतना अधिक महत्व दिया गया। ऐसा भी माना जाता था कि किस प्रकार आहुति को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी अग्नि है, उसी प्रकार श्राद्ध में दिए गए दानों का सर्वोत्तम अधिकारी ब्राह्मण हैं। यदि हम इस स्थान पर ब्राह्मण शब्द को पुरोहित के अर्थ में ग्रहण करें तो हम सरलता से समझ सकते हैं कि कालान्तर में श्राद्ध की भावना के विरोध को इतना बल क्यों मिला ! परन्तु आप जान लें कि ब्राह्मण शब्द पुरोहित के अर्थ में ग्रहण करना भी नहीं चाहिये। वैदिक काल में ब्राह्मण लोग एक विशिष्ट वर्ग के प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। प्राचीन भारतीय समाज के वे एक अत्यावश्यक अंग थे और नाम के अनुरूप ही उनका चरित्र भी होता था। वे दूसरों के लिए जीते थे और धनोत्पादक श्रम से अलग रह कर वे अर्हनिष्ठ समाज कल्याण का चिन्तन करते थे। पहले यह एक सामाजिक कर्तव्य था किन्तु कालान्तर में यही उनका धार्मिक कर्तव्य बन गया कि उनके खान-पान का व्यय समाज ही सँभाले। श्राद्धों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि दान का पात्र पूर्णतया अपरिचित हो। न तो दान कर्ता का शत्रु हो न उसका मित्र ही हो। परिवार से सम्बन्धित तो उसे होना ही नहीं चाहिए। आपस्तम्ब का कथन है कि 'श्राद्ध में जो भोजन सम्बन्धियों को खिलाया जाता है वह पित्रों को न मिल कर प्रेतों को मिलता है। वह न तो पितरों को पहुँचता है न देवों

* मत्स्य पुराणानुसार नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये ३ प्रकार के श्राद्ध हैं।

यमस्मृति के अनुसार उपरोक्त तीन में वृद्धि श्राद्ध व पार्वणश्राद्ध जोड़ कर पाँच श्राद्ध हैं। इनके अतिरिक्त सपिण्डन श्राद्ध, गोष्ठो श्राद्ध, शुद्धयर्थ श्राद्ध, कर्मज्ञ श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध और पुष्ट्यर्थ श्राद्ध ये सब बारह प्रकार के श्राद्ध भविष्य पुराण में कहे गये हैं।

वेद और वेदान्त

२३५

को'। जिन व्यक्तियों को आद्ध में दान दिया जाता था या खिलाया जाता था, उन्हें आद्ध मित्रकहते थे।

हम इस बात से इनकार नहीं करते कि आद्धों में अत्याधिक विकृति आ गया है परन्तु हमें यह भी स्वीकार करना चाहिये कि जिन भावनाओं के वशीभूत होकर आद्ध कर्मों के प्रारम्भ किया गया था, वे भावनाएँ निर्दोष थीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें समझा जा सकता है और उनके मूल श्रोत तक पहुँचा जा सकता है।

अब आइये, हम आश्वलायन के गृह्य सूत्रों पर फिर से विचार करें। आपको स्मरण होगा कि इसी ग्रन्थ में हमें आद्ध शब्द का प्रथम दर्शन हुआ था। यह आद्ध तब होता था जब मृतक के भस्मावशेष इकट्ठे किये जाकर गाड़े जा चुके होते थे। इस आद्ध का एकोदिष्ट आद्ध कहते थे। एकोदिष्ट का अर्थ होता है 'वह आद्ध जो एक के ही उद्देश्य से किया गया हो।' एकोदिष्ट आद्ध एक व्यक्ति के लिए ही किया जाता था। न तो इसमें अन्य पितरों को बलि दी जाती थी और न ही अन्य पूर्वजों को। इस आद्ध का उद्देश्य होता था कि मृत व्यक्ति को पितरों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया जाय। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मरणोपरान्त एक वर्ष तक निरन्तर बलि दी जाती रहती थी। यही सामान्य नियम था और शायद मौलिक नियम भी यही था। आपस्तम्ब के आदेशानुसार किसी भी मृत सम्बन्धी के लिए पूरे वर्ष भर प्रति दिन बलि न देकर प्रतिमास बलि दी जा सकती है, परन्तु यह मासिक आद्ध अनिवार्य नहीं है क्योंकि तब वह मृतक व्यक्ति पितरों की श्रेणी में पहुँच चुका होता है और पार्षण* आद्धों से अपना भाग प्राप्त करने की स्थिति में आ चुका होता है।

हम कोल ब्रुक के प्रति इस बात के लिए ऋणी हैं कि उन्होंने ही सर्वप्रथम यूरोप वालों को बताया कि आद्ध क्या है। उनका भी दृष्टिकोण प्रायः वही है, जिसका विवरण मैंने आप लोगों के सामने रखा है। उनका कहना है कि मृतक कर्म में पहली अवस्था में जो भी क्रियाएँ की जाती हैं, उनका उद्देश्य यह होता है कि मृतक की आत्मा को प्रतिष्ठित कर दिया जाय। दूसरी अवस्था में जो क्रियाएँ की जाती हैं, उनका उद्देश्य होता है मृतक को प्रेतयोनि से ऊँचा उठा कर पितर योनि में ले जाना और उनके बीच प्रतिष्ठित करना, क्योंकि हिन्दुओं का विश्वास है कि मरणोपरान्त मृतक की आत्मा प्रेत रूप में उन्हीं स्थानों के आसपास भटकती रहती है, जहाँ इसके भौतिक आधार नष्ट भ्रष्ट रूप में बिखरे रहते हैं और वह तब तक यों ही भटकता रहता है जब तक उसके सगे सम्बन्धी आद्ध क्रियाओं द्वारा उसे पितृयोनि में नहीं पहुँचा-देते। इस कार्य के लिए असौच के दिनों के समाप्त हो जाने के बाद मृतक के

* अमावस्या में या पर्व काल में किए गये आद्ध को पार्षण आद्ध कहते हैं।

नाम पर प्रतिमास एक श्राद्ध के हिसाब से बारह श्राद्ध किये जाते हैं। एक लघु श्राद्ध मरने के तीन पक्ष के नाद किया जाता है। ६ वें मास के अन्त में षष्ठ मसिक श्राद्ध किया जाता है। पूरा वर्ष समाप्त हो जाने पर वार्षिक श्राद्ध तनिक विस्तार के साथ किया जाता है। इसी श्राद्ध को सपिण्डन (पितरों की श्रेणी में मिलाने वाला) श्राद्ध कहते हैं। एकोद्विष्ट श्राद्धों का अन्त सपिण्डन श्राद्ध से होता है और इसके बाद यह मान लिया जाता है कि मृतक पितरों की श्रेणी में प्रतिष्ठित हो गया। इस सपिण्डन श्राद्ध में चार पिंड दिए जाते हैं, एक मृतक के लिए तथा तीन अन्य तीन पितरों के लिए। मृतक के पिंड को तीन भागों में विभक्त करके अन्य तीन पिंडों में मिला दिया जाता है। इस प्रकार मानों मृतक को श्रेणी में मिला देने की क्रिया का अन्त हो जाता है और मृतक प्रेत योनि से निकल कर पितृ योनि में चला जाता है।

एक बार जब श्राद्ध कर्मों का प्रारम्भ हो गया तो उसका प्रचार बड़े जोरों से हुआ। शीघ्र ही पितृ यज्ञों के रूप में मासिक श्राद्ध भी होने लगे। पहले ये श्राद्ध केवल परिवार के मुख्य व्यक्तियों द्वारा ही किये जाते थे परन्तु कालान्तर में ये प्रत्येक गृहस्थ द्वारा किए जाने लगे। द्विजातियों में श्राद्ध कर्मों का प्रचार हो जाने के समय ही शूद्रों में भी इनका प्रचार प्रारम्भ हो गया यद्यपि शूद्रों के श्राद्ध कर्म में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता था। पहले कुछ निर्धारित तिथियों पर ही श्राद्ध कर्म किए जाते थे परन्तु कालान्तर में प्रत्येक अवसर पर किए जाने लगे।

श्राद्ध कल्प में श्राद्धों के विषय में विद्वानों के बीच बड़े लम्बे वाद-विवादों का वर्णन है। इन वाद-विवादों के विस्तार से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार आज हम लोग श्राद्ध की मूल कल्पना के विषय में अमित हैं वैसे ही परवर्ती भारतीय विद्वान् भी अमित हो गए थे। श्राद्ध कल्प की टिप्पणियों एवम् व्याख्याओं से हमारे उसी विचार की पुष्टि होती है।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह परिणाम सरलता से निकाला जा सकता है कि भारतीयों के जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जब कि वे पितरों का स्मरण न करते हों। न केवल नजदीकी वरन् दूर के पितरों का स्मरण करके उनके प्रति सम्मान प्रगट करना अनिवार्य सा था। इस सम्मान प्रदर्शन के दो अंग थे। एक में तो पितरों को ही बलि दी जाती थी और दूसरे में पितरों की स्मृति में सत्पात्रों में अधिकांश ग्राह्य ही होते थे। दान क्रिया में साधारण खाद्य पदार्थों से लेकर सोना चांदी रत्नादि तक का दान किया जाता था। श्राद्ध कर्म करने वालों को या-उनके सहायकों को नाना प्रकार के व्यंजन खिलाये जाते थे। एक विचित्र बात यह है कि यद्यपि परवर्ती काल में मांस खाने का पूर्ण निषेध था। फिर भी जिस समय सूत्र ग्रंथ लिखे गये, उस समय मांस खाने का खूब प्रचार था।

इन सब बातों से प्रगट होता है कि यद्यपि श्राद्धों का समय पितृयज्ञ-काल से

वेद और वेदान्त

२३७

बहुत पीछे का है, तब भी इन आद्यों का सम्बन्ध भारतीय जीवन की अति प्रारम्भिक स्थिति से है। यह सम्भव है कि तब से अब तक के आद्यों में बहुत अन्तर आ गया हो, परन्तु उनकी मूल भावना अब भी ज्यों की त्यों है। आज लोग देवोपासना का उपहास करते दिखायी देते हैं, परन्तु ये उपहास करने वाले लोग भी देवोपासना करते हैं साथ ही उनमें भी आद्व की महत्ता एवम् पवित्रता भी उनके मन में ज्यों की त्यों कायम है। कुछ लोग हमारे चर्चों के कम्यूनियन्स* से इन आद्यों की तुलना करते हैं। भारतीय लोग इन आद्यों के प्रति गम्भीर एवम् पवित्र दृष्टिकोण रखते हैं और वे समझते हैं कि उनके इस पार्थिव जीवन में जो कुछ गम्भीरता तथा उच्चाशा आ पायी है वह सब इन्हीं आद्यों के ही कारण सम्भव हो सकी है। मैं एक कदम और आगे बढ़ कर अपने इस विश्वास को स्पष्टतया प्रगट कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पितरो-पासना का अभाव है वह एक प्रकार से हमारा अभाव है और इसे धर्म की त्रुटि भी मान सकते हैं। संसार के प्रत्येक धर्म में पिता के प्रति पुत्र की श्रद्धा को मान्यता दी गयी है। मातृ प्रेम या वात्सल्य भाव सभी में पाए जाते हैं। मैं मानता हूँ कि इन सब परम्पराओं पर विश्वास करने से उनके अन्धविश्वास पनप उठते हैं फिर भी हमें यह न भूलना चाहिये कि इन्हीं सब में मानवोचित विश्वास की वह धारा प्रवाहित होती है, जिसे नष्ट हो जाने देने से हमारा सामाजिक ढांचा ही गड़-बड़ हो जायगा। अपने प्रारम्भ काल में ईसाइयों में भी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थनाओं की स्वीकृति की गयी थी। दक्षिण के योरप देशों में भी सन्तों और महात्माओं के भजन गये जाते थे। बात ऐसी है कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता को भावना मानव-हृदय की सहज भावना है। इस भावना की संतुष्टि के लिए प्रत्येक मजहब में विधान या या होना चाहिए था। हम उत्तरी योरप के निवासी अपनी हृदय की व्यथा का छुला प्रदर्शन पसन्द नहीं करते परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हमारा हृदय कभी व्यथित ही नहीं होता। हम अपने अन्तर्तम में यह विश्वास करते हैं कि अपनी शान्ति बनाए रखने के लिए प्रार्थनाओं द्वारा हमें दिवंगत आत्माओं को प्रसन्न रखना ही चाहिये। इस भावना की स्थिति को सत्य रूप में ही स्वीकार करना चाहिये। इन आत्माओं को प्रसन्न रखने का सर्वोत्तम ढङ्ग यही होता है कि उनको स्मृति में लोकोपकारक कार्य किए जायें।

प्राचीन वैदिक धर्म में हमें एक तीसरे 'परे' के भी दर्शन होते हैं। देवलोक एवम् पितृलोक से हटकर एक अन्य लोक को भी कल्पना है। यदि हम इस तीसरे 'परे' को यो ही छोड़ दें तो वैदिक धर्म का वह रूप हीन रह जायगा जो आज

* ईसा मसीह की स्मृति में ईसाइयों द्वारा दिया जाने वाला भोज।

हमारे सामने है। इस दुवतीय परे को वेद में सत्यलोक कहा गया है। मेरे विचार से सत्य ऋत् का ही पर्यायवाची है। प्रारम्भ में शायद ऋत् शब्द को 'सीधी रेखा' के अर्थ में ग्रहण किया जाता था। ऋत् शब्द का प्रयोग हमारा राय में उस सीधी रेखा के लिए हुआ है, जिस पर सूर्य चलता है, या उस सीधी रेखा के लिए हुआ है जिस पर चल कर ६ ऋतुएँ क्रम से इस पृथ्वी पर आती जाती रहती हैं, या उस सीधी रेखा के लिए हुआ, जिस पर चल कर प्रकृति अपने सभी कामों को (कुछेक अपवादों को छोड़ कर) नियम पूर्वक करती रहती है। हम इसे ऋत् कहते हैं और जब ऋत् शब्द को इसके सामान्य अर्थों में ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ होता है 'वे नियम जो प्रकृति को परिचालित एवम् नियंत्रित रखते हैं। इसी शब्द को जब हम नैतिकता के लिए प्रयोग में लाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है नैतिकता को नियंत्रित करने वाली विधियाँ' या वे नियम, जिन पर हमारे जीवन की भित्ति स्थिर है। इसे चिरन्तन विधि या शाश्वत नियम या सत्य नियम कह सकते हैं, जो हमारे हृदयों के भीतर भी प्रकाश देता है और बाहर भी; जो हमें सदाचरण की ओर प्रेरित करता है तथा जो हमारे बाह्य तथा अन्तः को पवित्र बनाता है।

इसी प्रकार प्रकृति का दर्शन करते-करते क्षुतिमान् देवों की कल्पना सम्भव हो सकी थी और अन्त में एक सर्व शक्तिमान् परम्ब्रह्म की कल्पना साकार हो उठी थी। अपने माता-पिता के प्रति प्रेम व सम्मान ने हमें पितृ लोक तक पहुँचा दिया था और पितरों को अमरत्व पद प्रदान कर दिया था। अब ऋत् की कल्पना, सीधी रेखा की कल्पना ने, बाह्य एवम् अन्तः संसार में व्याप्त सीधी रेखा की कल्पना ने सर्वोच्च विश्वास का रूप ले लिया, यह विश्वास इस अटल, अचल, अद्वैत नियम में था जो सत्रका जीवन दाता, पोषक, संचालक एवम् नियन्ता है। यह नियम ऐसा था जिसमें हमारा पूर्ण विश्वास हो सकता था। हमारा विश्वास बन गया कि हमारे ही भीतर एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक परिस्थिति, देश व काल में हमसे कह देती है "यही ऋत् है, यही कर्तव्य है यही ठीक है, यही सत्य है," भले ही हमारे संगी, साथी, गुरु जन, वेद धर्म शस्त्रि या स्वयम् देवता भी उसके विरुद्ध मत प्रदर्शन क्यों न करें। हमारे सुपूज्य पितरों के आदेश भी इस आत्मा की आवाज से समझ डोले पड़ जाते हैं।

प्राचीन काल में इन तीनों 'परे' की कल्पना की गयी थी और आज यही तीनों कल्पनाएँ हमें उस प्राचीन काल से परिचित कराती हैं, जब उनका जन्म हुआ था। यदि वैदिक साहित्य सुरक्षित न रहता तो आज उन्नीसवीं शताब्दी में उत्पन्न होकर हम प्राचीनों की विचार धीथी को सँभल न कर पाते, प्राचीनों के धर्म से हम अपरिचित हो रह जाते। वेद में किए गये शोधों ने ही हमें बताया है कि उस प्राचीन के मनीषियों

की मानसिक स्थिति क्या थी, मानसिक स्तर कैसा था, धार्मिक विश्वास कैसे थे और कैसे उन धार्मिक विश्वासों का उद्भव व विकास सम्भव हो सका था। जब संसार के अन्य साहित्यों का अस्तित्व भी नहीं था तभी वैदिक साहित्य ने अपने मण्डार को इतना समृद्ध कर लिया था कि आने वाले लोग थोड़े ही कष्ट व श्रम से इन लोगों से सन्निध्य स्थापित कर सकें जिन्होंने उस आदिम युग में इतनी बड़ी राशि संचित कर दी थी। वेद हमें प्राचीन काल की उस विशाल नगरी से परिचित कराता है जो उस समय बनी थी, जब दूसरे धर्मों के इतिहासों में केवल कूड़े के ढेरों को साफ भी नहीं किया जा सका था कि नवीन कारीगर किसी नवीन नगरी की नींव डाल सकें। वैदिक साहित्य के द्वारा हमारा सुदूरगत वचन स्मृति क्षितिज के ऊपर उभड़ कर हमारे नयनों के समक्ष साकार हो उठा है। अभी केवल तीस-चालीस वर्षों पूर्व तक हमारी यही धारणा बनी हुई थी कि हमारा खोया वचन सदा के लिए खो गया है, पर वेद ने उस धारणा को ही बदल दिया है। आप लोग उस बीते वचन की शिक्षण शक्ति को समझ चुके हैं।

अब मुझे थोड़े से शब्दों में आप लोगों को यह समझा देना है कि किस प्रकार भारत की इस धार्मिकता के विकास में ही दार्शनिकता के बीज छुपे हुए थे। भारत के दर्शन में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह अन्य देशों के समान नहीं है। भारत के दर्शन का एवम् धर्म का चोली दामन का साथ है और दर्शन को धर्म का सहयोगी होना ही चाहिये। भारत का तो दर्शन ही धर्म का रूप ले बैठा है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि भारत प्राचीनतम् दर्शन शास्त्र का प्राचीनतम नाम है वेदान्त अर्थात् वेद का अन्त, वेद का लक्ष्य या वेद का सर्वोच्च उद्देश्य।

एक बार फिर हम यास्क का स्मरण करेंगे। यास्क वही है जो ५वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे और जिन्होंने यह कहा है कि उनके समय के काफ़ी पहले भारतीय इस तत्व तक पहुँच सके थे कि ये तमाम देवी देवता अन्ततः तीन देवों के ही स्वरूप हैं अर्थात् पार्थिव देव, वायवीय देव एवम् आकाशीय देव और इन्हीं की स्तुति विभिन्न नामों से की गयी है। उसी विद्वान् लेखक का कथन है कि देव तो वास्तव में एक ही है। यास्क के अनुसार वह देव न तो स्वामिन् है, न सर्वोच्च देवि है, न सर्जक है, न शासक है और न ही सबका रक्षक है। वह उस देव को 'आत्मन्' नाम से पुकारता है चूँकि वह आत्मन् इतना महान् है कि एक ही नाम से उसके पूर्ण स्वरूप को समझा नहीं जा सकता अतः गायकों ने उसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कर्मों के अनुसार उसके विभिन्न नाम रखे हैं और उन्हीं नामों से उसकी प्रार्थनाएँ की हैं। आगे चल कर यास्क का कथन है कि 'ये ढेर सारे देवता उसी आत्मन् के विभिन्न सदस्य हैं और जिस गायक को जिस सदस्य की जो विशेषता प्रिय होती है, वह उसी सदस्य की

उसी विशेषता का वर्णन एकाधिक विधियों से करता है ।'

यह सत्य है कि उग्रोक्त शब्द एक वेदान्ती दार्शनिक के हैं न कि किसी वैदिक ऋषि के, फिर भी ये दार्शनिक विचार ईसा पूर्व ५ वीं शताब्दी के हैं । सम्भव है कि इससे भी पूर्व के हों । आप यदि प्रयत्न करें तो इस विचार के बीज आपको वैदिक ऋचाओं में भी मिल सकते हैं । मैंने ऐसे सूक्तों के उद्धरण दिए हैं जो मित्र वरुण, अग्नि के बारे में कहे गये हैं और जिनमें उसे मरुतम् कहा गया है अर्थात् 'वह, जो है, अकेला है' और कवि लोग उसी को नागा नामों से पुकार कर उसका यशोगान करते हैं, उसे ही यम, अग्नि मातरिश्वन कहते हैं ।

एक सूक्त में सूर्य की छपमा एक पक्षी से दी गयी है । कहा है कि 'ऋषि लोग उस अकेले पक्षी को विविध नामों से पुकारते हैं और उसका यशोगान करते हैं ।'

ये सभी विवरण पौराणिकता के रङ्ग में रंगे हुए हैं, परन्तु ऐसे भी विवरण मिलते हैं जिनकी प्रकाश किरणें प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक विचार स्पष्ट दिग्दर्शन करा देती हैं । एक ऋषि का कथन है :—

'जब वह सर्व प्रथम पैदा हुआ तो उसे किसने देखा । जब अस्थिहीन ने अस्थि मय का जनन किया तो उसे किसने देखा । तब वायु कहाँ थी, रक्त कहाँ था, तथा संसार की आत्मा कहाँ थी ? इन सब सत्त्वों का ज्ञाता कौन था, जिससे जिज्ञासुओं ने पूछा ?'

इन विवरणों की प्रकाश रेखाएँ भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं फिर भी विवरण का सार स्पष्ट है यद्यपि शब्दावली सकाम नहीं है । वास्तव में अस्थिमय से दृश्य का, स्थूल का तात्पर्य है और अस्थिहीन का अर्थ है अरूप, अदृश्य, सूक्ष्म । 'वायु, रक्त और संसार की आत्मा' उस आत्मन् को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है जो अकल्पनीय, अगाध एवम् असंख्य है ।

वैदिक साहित्य के द्वितीय युग में ब्राह्मण ग्रंथों में या विशेषतया उपनिषदों में या वेदान्त भाग में विचार पूर्णतः स्पष्ट और निश्चयात्मक हो गये हैं । वैदिक ऋचाओं ने जिन धार्मिक विचारों को अंकुरित किया था वे ही इस द्वितीय युग में पल्लवित एवम् पुष्पित हो गए हैं । परिधि पूरी हो चुकती है । पहले 'एक' को स्पष्ट करने के लिए अनेक नामों की कल्पना की गयी थी और अब 'एक' ही इन नामों का स्पष्टकर्ता बन गया । प्राचीन नाम हटाये जाने लगे । प्रजापति, विश्वकर्मन् धातु इत्यादि नामों को अपर्याप्त समझा जाने लगा । उस एक को निर्देशित करने के लिए जिन नामों की कल्पना की गयी वे सर्वोच्च आत्म-चेतना सम्बन्धी होने लगे । यह शब्द है 'आत्मन्' जो हमारे 'ईशो' से कहीं अधिक भावपूर्ण है । आत्मन् शब्द बहुव्यापक है, वह

वेद और वेदान्त

२४१

तमाम पदार्थों का आत्मन्* है, तमाम पौराणिक देवों का शात्मन् हैं; क्योंकि देवों के जिन नामों की कल्पना की गयी थी वे केवल नाम ही नहीं थे, वे अर्थगर्भित थे, किसी का अर्थ समझाने के लिए गढ़े गये थे। अन्ततः आत्मन् ही वह है जो अन्त में सबको धारण देता है, विश्राम देता है, शान्ति देता है, क्योंकि प्रत्येक अपने को ही पाना चाहेगा, अपने सच्चे रूप को ही पाना चाहेगा।

आपको स्मरण होगा कि अपने दूसरे भाषण में मैंने एक बालक का उदाहरण दिया था जिसने अपने को सर्वस्वापेक्ष करतु हुए पिता से हठ किया था कि उसकी भी बलि दे दें, यम के पास जाकर जिसे तीन वरदान मिले थे और तीसरे वरदान के रूप में जिसने यम से प्रश्न किया था 'मरने के बाद व्यक्ति की क्या स्थिति होती है?' यम और उस बालक के बीच जो वार्तालाप हुआ था, उसका वर्णन एक उपनिषद् में किया गया है। उसकी चर्चा वेदान्त में भी हुई है। मैं आपके सामने उस वार्तालाप के कुछ अंशों का अनुवाद रखूंगा।

मृतकों के देवता यम कहते हैं :—

'जो सुख हैं, सुखता में ही निवास करते हैं और अपने को बुद्धिमान समझते हैं तथा ज्ञान के व्यर्थ अहंकार में फूले-फूले फिरते हैं वे बार-बार इधर से उधर (जन्म और मृत्यु के बीच में) चक्कर काटते हैं। जिस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बताता है वैसे ही उनका झूठा ज्ञान उन्हें चक्कर दिया करता है।'

'जिसकी आँखें घन के गर्व से अन्धी हो गयी हैं, उन्हें अपना आगामी जीवन कभी नहीं दिखायी पड़ता। उसकी समझ में यही संसार ही सब कुछ होता है, उसे इस संसार से परे जो संसार है, उसका कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वह बार-बार मेरे शासन में आया करता है।'

'बुद्धिमान आदमी आत्मन् का चिन्तन करके अन्तःस्थ पुराण को पहचान लेता है, दुःख और सुख की भावना को बहुत पीछे छोड़ देता है।

'वह आत्मन् ज्ञाता है, उसका जन्म नहीं होता। न तो कहीं से आता है और न उसका कुछ होता है, वह अनादि से अनन्त तक रहता है। शरीर मर जाता है न कि आत्मन्।'

'वह आत्मन् लघुत्तम से भी लघु और महत्तम से भी महत् है, नह जीवों के

* ईगो का अर्थ होता है आत्मा, परन्तु उससे 'मैं' का अर्थ ध्वनित होता है।

ईगोइज्म उस सिद्धान्त को कहते हैं जिसके मानने वालों का कहना होता है कि 'अपने अस्तित्व के सिवा और किसी के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है'। ईगोइज्म को अहं-वाद या आत्मवाद कह सकते हैं। इसमें अहंकार की बू आती है।

हृदय में निवास करता है। जिसको कामनाएँ नष्ट हो गयी हैं, जिनकी दुःख भावना मिट चुकी है। वह स्रष्टा की कृपा से उस आत्मन् के वैभव को देखता है।'

'वह बैठा रहता है, फिर भी दूर तक उसकी गति है, विश्रामरत रह कर भी वह सर्वत्रगामी है। मेरे सिवा उस आत्मन् को कौन देख सकता है जो आनन्द रूप होते हुए भी आनन्दित नहीं होता।'

'उस आत्मन् की प्राप्ति न वेद से हो सकती है, न ज्ञान और न विद्या से। उस आत्मन् की इच्छा से ही उसको जाना जा सकता है। वह जिसे चुनता है, वही उसे जानता * है। वह जिसे अपना लेता है वही उसे जानता है।'

'जिसने अपनी दुष्टता का त्याग नहीं किया है, जो शान्त नहीं है, जो उसकी धारण में नहीं है, जिसका मनस् स्ववश नहीं है, वह कभी आत्मन् को नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान भी उसे आत्मन्-प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता।'

'कोई भी मर्त्य स्वासीच्छ्वास की क्रिया से नहीं जीवित रहता। हम उसकी इच्छा से जीवित रहते हैं जिसके वश में ये दोनों स्वास हैं।

'अच्छा अब मैं तुमसे उस भेद को कहता हूँ, उस नित्याक्षर को (ब्रह्मन्) कहता हूँ और अब मैं यह बताऊँगा कि मरने के बाद व्यक्ति की क्या गति होती है।'

'कुछ तो फिर जन्म लेते हैं, कुछ संचित कर्मों के अनुसार वृक्ष या पापाण हो जाते हैं। कौन किस योनि में जाता है यह उसके ज्ञान पर निर्भर होता है।'

'किन्तु वह, जो सर्वोच्च पुरुष है, वह तब भी जाग्रत रहता है। जब हम सोते रहते हैं और नित नये दृश्यों का निर्माण किया करता है, उसे ज्योति कहते हैं, उसे ब्रह्मन् कहते हैं, वही अकेला नित्य है। सभी संसार उसी पर आश्रित हैं, कोई उससे अलग नहीं है।' 'यह वही है न?'

जिस प्रकार ज्वलित पदार्थों की भिन्नता से एक ही अग्नि विभिन्न प्रकार की प्रत त होती है, उसी प्रकार वह अकेला आत्मन् अपने द्वारा धारण किए गये विभिन्न शरीरों के कारण विभिन्न आकार का दिखाई देता है परन्तु उसका अस्तित्व उन सब शरीरों से अलग रहता है।'

'इस संसार की आत्मा सूर्य है। जिस प्रकार गन्दी से गन्दी वस्तु पर पड़ने से सूर्य-किरण स्वयम् कभी गन्दी नहीं होती, उसी प्रकार सबके भीतर रहता हुआ भी वह आत्मन् संसार की बुराइयों से दूषित नहीं होता, क्योंकि वह निर्लस रहता है।'

'वह नित्य विचारक जो अनित्य की बात सोचा करता है। वह अकेला है सबकी इच्छा पूर्ति किया करता है। जो बुद्धिमान उसे अपने ही भीतर देखता है वह मोक्षावत जीवन और शास्वत शान्ति प्राप्त करता है।'

* देखिये रामचरित मानस में 'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई'।

वेद और वेदान्त

२४३

‘इस समस्त संसार में जो कुछ दृश्य या अदृश्य है वह ब्रह्मन से विच्छिन्न हुआ उसी का रूप है और उसी की श्वास से जीवित है। वह ब्रह्मन् खिंची तलवार की तरह रक्षक भी है और घातक भी। जो उसे जानते हैं, अमर हो जाते हैं।’

‘वह वाणी से अगम है, मन से अगम है, दृष्टि से अगोचर है। उसका स्वरूप चिन्तन सम्भव नहीं है। उसका चिन्तन वही कर सकता है, जो कहता है ‘वह है’।’

‘जब दृश्य की सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं तब अनित्य भी नित्य होता है और आत्मन् तक पहुँच जाता है।’

‘जब हृदय के समस्त बन्धन टूट जाते हैं, जब इस संसार में प्राणियों को बाँध रखने वाले सभी बन्धनों का अन्त हो जाता है तब ही मर्त्य अमर होता है और यहीं पर हमारे इस उपदेश का अन्त होता है।’

उपरोक्त उपदेश वेदान्त के हैं—वेदान्त अर्थात् वेद का अन्त, वेद का लक्ष्य, वेद का सार। यही वेदान्त प्रचारित धर्म भी है और दर्शन भी। आप चाहे इसे जो कहें, परन्तु इतना तो सत्य ही है कि ईसा पूर्व ५०० वर्ष से अब तक यह इसी प्रकार से चला आ रहा है। प्रायः भारतीयों के पितृ यज्ञों को छोड़ दीजिए, आप उनकी वर्ण व्यवस्था को भी छोड़ दीजिए फिर भी हम कह सकते हैं कि यदि भारतीयों में धर्म की कोई व्यवस्था है तो वह हमें वेदान्त दर्शन में ही दिखायी पड़ती है और प्रशंसनीय बात यह है कि वेदान्त दर्शन के अनेक प्रमुख अंग गंवई गाँव के निरक्षर व्यक्ति भी पूरी तरह समझते हैं। राजाराम मोहन राय ने केवल ५० वर्ष पहले जिस धर्म का पुनरुद्धार प्रारम्भ किया था और जिसके अनुयायियों के समूह को हम आज ब्रह्मसमाज कहते हैं, उसकी आधार शिला उपनिषदों की शिक्षाएँ थीं। ब्रह्म समाज का यह आन्दोलन मेरे सज्जन मित्र श्री केशव चन्द्र सेन के नेतृत्व में चलाया गया था। उपनिषदों पर आधारित होते हुए भी इस आन्दोलन की भावना वेदान्तभावना से ही अनुप्राणित थी। सर्वाधिक प्रशंसनीय यह है कि हिन्दुओं के प्राचीनतम एवम् नवीनतम विचारों में एक तारतम्य है, एक शृङ्खला है जो तीन सहस्र वर्षों की लम्बी अवधि में भी कहीं से टूटी नहीं दिखायी देती, विशृङ्खलित नहीं दिखायी देती।

लागों ने वेद की महत्ता को कम करने के कम प्रयत्न नहीं किये हैं, पर उसका महत्व आज भी वैसा ही है। आज भी धार्मिक, सामाजिक या दार्शनिक विवादों में वेद को ही अन्तिम माना जाता है। मेरा विश्वास है कि जब तक भारत-भारत बना रहेगा तब तक वेदान्त की भावना भी जीवित रहेगी, क्योंकि यह भावना केवल ग्रंथों मन्त्रियों तथा विद्वानों की भावना नहीं रह गयी है, वह सार्वजनिक बन चुकी है, वह हिन्दू के नस-नस में समा चुकी है। मूर्ति पूजक के स्तोत्रों में भी वेदान्त भावना का ही प्राधान्य है। दार्शनिक की वाणी में भी वह भावना उसी प्रकार रमी हुई है

जिस प्रकार एक मिखारो द्वारा कही गयी साधारण कहावतों में ।

इसी लिए मेरा विचार है कि यदि हम उस मूल श्रोत को जानना चाहते हैं जो हमारे चरित्र का निर्माता है, विचारों का प्रेरक एवम् कार्यों का नियन्ता है, जो भारत के निम्नतम वर्गीय व्यक्ति से लेकर उच्चतम वर्गीय व्यक्ति तक को प्रभावित एवम् अधुप्राणित करता है, तो हमें भारतीयों के धर्म से परिचित होना चाहिये जिसकी भित्ति वेद की आधारशिला पर है तथा हमें उस दर्शन से भी परिचित होना चाहिए जो वेदान्त द्वारा प्रतिपादित किया गया है ।

इस आवश्यक महत्ता को कम करना एवम् अनेक यूरोपीय विद्वानों की भांति यह कह देना सरल है कि राजनीति को धर्म और दर्शन से क्या मतलब है । यह सही है कि इस समय भारत में विपरीत स्थिति दिखायी पड़ रही है और यह भी सही है कि यदा-कदा स्वयम् भारतीय जन धार्मिक विषयों से अपनी गहरी उदासीनता का खुल कर ढिंढोरा पीटते देखे जाते हैं, फिर भी भारत में धर्म एवम् दर्शन की एक अपनी शक्ति है जो सदैव अदम्य रही है, है और आगे भी रहेगी । अभी हाल में ही भारत के दो सुप्रसिद्ध भारतीय प्रशासकों ने कुछ विवरण प्रकाशित कराया है । ये दोनों महापुरुष सौराष्ट्र के अन्तर्गत जूनागढ़ तथा भावनगर के गोखले * जी तथा गौरी शंकर † जी हैं । आप उनके द्वारा प्रकाशित साहित्य को पढ़ें और तब देखें कि आज भी भारत में धर्म और दर्शन कितने शक्तिशाली हैं ।

* गोखले जी—गोखले जी एक सुसंस्कृत परिवार में पैदा हुए थे । प्रारम्भ में उन्होंने संस्कृत एवम् फारसी का अध्ययन किया । उनका प्रशासकीय जीवन भी पूर्ण सफल परा परन्तु उन्हें सर्वाधिक आकर्षित किया वेदान्त ने । वेदान्त के प्रारम्भिक अध्ययन ने ही उनकी जीवन दिशा बदल दी और समझ लिया कि भौतिक सुख साधनों से कभी भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता । एक समय राम बाफा नाम के एक संयासी जूनागढ़ में आये । उनका वेदान्त ज्ञान अपूर्व था । गोखले जी इन्हीं के शिष्य हो गए । इसके पश्चात् परमहंस सच्चिदानन्द नामक एक अन्य संयासी से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा । वेदान्त का प्रयाप्त ज्ञान हो जाने के बाद से उनका जीवन ही बदल गया । जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उन्हें वेदान्त ज्ञान ने अचल अटल एवम् निर्भय रखा । उनके ज्ञान एवम् उर्वर्की जीवन पद्धति में अंगरेज अधिकारी भी अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें 'एक आदर्श भारतीय प्रशासक' कह कर उनका सम्मान करते थे ।

† गौरीशङ्कर (उदय शंकर १८०५-१८९१) ने सन् १८२२ में भावनगर राज्य में नौकरो पाये और वे सन् १८४६ में दीवान बना दिए गये । लम्बी अवधि तक सफलतापूर्वक दीवानी करने के बाद सन् १८७९ ई० में उन्होंने सेवा कार्य से मुक्ति ले ली और १८८६ में उन्होंने संन्यास ले लिया । सी० एस० आई० की उपाधि भी ब्रिटिश सरकार से मिली थी ।

वेद और वेदान्त

२४५

मेरा विचार है या यों कहिये कि मेरा विश्वास है कि वेदान्त की महत्ता का पूरा मूल्यांकन अभी तक नहीं हो सका है और इसी लिए मेरा कहना है कि न केवल भारतीय नागरिक प्रशासन के कर्मचारी को ही वरन् दर्शन शास्त्र के प्रत्येक सच्चे विद्यार्थी को वेदान्त का अध्ययन करना ही चाहिये। यह अध्ययन हमारे सामने जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण न प्रस्तुत कर सकता है जो उन सभी दृष्टिकोणों से भिन्न होगा जो दर्शनशास्त्र के इतिहास का अध्ययन करने के क्रम में हमारे सामने आते रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार उपनिषदों ने अनेक वैदिक देवों की पृष्ठभूमि में आत्मन् की, ब्रह्मन् की प्रतिष्ठा की और उस आत्मन् की केवल तीन विशेषताओं की ही चर्चा उन्होंने की। अर्थात् वह सत् है, चित् है, आनन्द है अर्थात् सच्चिदानन्द है। इसके पूर्व उस एक देव की जितनी भी विशेषताएँ कही गयी थीं वे नकारात्मक थीं अर्थात् वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है और वह ऐसा नहीं है जिसका नाम रखा जा सके या जिसकी भावना मूर्त की जा सके। उसे अनाम, अनादि, अन्त, अनाम, निर्गुण, निर्लेप, निरंजन इत्यादि विशेषण दिए गये थे, जो सब के सब नकारात्मक ही थे यहाँ तक कि उसको भालना भी अन्यायी ही थी।

परन्तु वह आत्मन्, वह सर्वोच्च आत्मन्, अर्थात् परमात्मन् की खोज कितने ही नैतिक एवम् बौद्धिक अनुशासनों का परिणाम थी और जो लोग इन अनुशासनों की सीमा में नहीं आ पाते थे उन्हें पूरी छूट थी कि वे उन्हीं देवों की उपासना करते रहें और अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें ही विविध नामों से पुकारें और उन्हीं की प्रार्थना किया करें। जो देव शब्द के वास्तविक अर्थ को समझते थे अर्थात् जिनको यह पता था कि ये सब नाम केवल नाम ही हैं, वे भी अपने अन्तर्तम में यह अनुभव करते थे कि किसी देव की उपासना का अर्थ उसी एक की ही उपासना है। भारत के धर्म के इतिहास की यह एक प्रमुख विशेषता है। आपने गीता का नाम सुना है। उसमें भी वेदान्त के ही सिद्धान्त प्रतिपादित हैं। उसमें भी भगवान ने कहा है 'जो मूर्ति को पूजते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं।'।

वात केवल इतनी नहीं है। जिस प्रकार अग्नि, इन्द्र प्रजापति इत्यादि नामों के ही क्रम में प्राचीन भारतीय ऋषियों ने सर्व व्याप्त आत्मन् का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार उन्होंने शरीर के पदों के परे, मानव मस्तिष्क तथा तर्क के परे अन्तरात्मन की भी खोज कर ली। इस अन्तरात्मन् की प्राप्ति भी नैतिक एवम् बौद्धिक अनुशासनों का परिणाम थी और जो अपने को नहीं बल्कि उससे भी परे अन्तरात्मन् की खोज करना चाहते थे उन्हें इन्द्रियों, मस्तिष्क, तर्क तथा साधारण आत्मानुभूति की सीमाओं को तोड़ कर और भी आगे जाना पड़ा था। इसके पूर्व जिसका वे अर्थ-विक आदर करते थे, जिन्हें वे पूज्य ही नहीं सब कुछ मान बैठे थे, इससे पूर्व जिसे वे

आत्मा समझ बैठे थे, उन सब के मोह को आदर को, मान्यता को परित्यक्त कर सकने के पश्चात् ही वे इस आत्माओं के आत्मा, पुरातन पुरुष, सर्वद्रष्टा को पहचान सके थे जो व्यक्तित्व के परे हैं, अस्तित्व अथवा जीवन से परे हैं ।

एक बार इस बिन्दु तक पहुँच जाने के बाद तो मानों ज्ञान का द्वार ही खुल गया और उषा नित नये स्वरूपों से भाँकने लगी । धीरे-धीरे अंतरात्मन् या प्रत्यात्मन् भी परमात्मन् में ही समाहित हो गया और यह विश्वास किया जाने लगा कि इनमें कोई अन्तर नहीं है । वे वास्तव में एक ही हैं । इस प्रकार धर्म के स्वप्न का एवम् दर्शन के लेख प्रकाश एक मात्र लक्ष्य 'वह' ही हो गया ।

वेदान्त दर्शन में यह आधार भूत सिद्धान्त सम्यक् रूप से प्रतिपादित किया गया है और मेरा विश्वास है कि बर्कले के दार्शनिक सिद्धान्तों को पसन्द करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि उपनिषदों ब्रह्मसूत्रों तथा उनकी व्याख्याओं को पढ़ेगा तो न केवल उसका ज्ञान समृद्ध ही होगा वरन् वह परिष्कृत भी होगा ।

मैं मानता हूँ कि प्राच्य दर्शन की अँधेरी खानों को खोद कर शुद्ध स्वर्ण खण्डों को प्राप्त करने के लिए धैर्य, विवेक और कुछ हद तक आत्मसंयम को आवश्यकता होगी, पर क्या इसीलिए हम उस स्वर्ण को प्राप्त करने का प्रयत्न ही करना बन्द कर देंगे ? थोड़े आलोचकों के लिए यह सरल भी है और उपहासजनक भी । परन्तु जो विद्यार्थी हैं, जिनमें ज्ञान के प्रति प्रेम है तथा जो ईमानदारी से सत्य की खोज करना चाहते हैं और विचित्रताओं में से सत्य को खोज निकालते हैं, वे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते । पिछले कुछ वर्षों में प्राच्य धर्मों एवम् दर्शनों में कुछ महत्वपूर्ण शोध हुए हैं । पूर्वी देशों के पवित्र ग्रंथ हमारे लिए प्राप्य हैं ।

यदि आप यह समझते हों कि मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण अति रंजित है तो मैं आपके समक्ष एक महान् दार्शनिक-आलोचक के कुछ शब्द रखूँगा । उस विद्वान की बही विशेषता थी कि दूसरों के विचारों की व्यर्थ प्रशंसा करना उसके स्वभाव के विपरीत था । इस प्रतिद्ध विद्वान् शापन हावर ने उपनिषदों पर अपना विचार प्रगट करते हुए लिखा है कि :—

‘समूचे संसार में कोई भी अध्ययन इतना लाभजनक और ऊँचा उठाने वाला नहीं है जैसा कि उपनिषदों का अध्ययन । यह मेरे जीवन का संतोष रहा है और यही मेरी मृत्यु का भी संतोष रहेगा ।’

मैंने भाषणों के इस क्रम में पूरा प्रयत्न किया है कि आप को प्राचीन भारत तथा उसके साहित्य का साधारण परिचय मिल जाय और खास तौर से भारत के प्राचीन धर्म का भी साधारण परिचय आप को मिल जाय । मेरे भाषणों का उद्देश्य इतना ही नहीं था कि मैं आपके सामने कुछ नामों एवम् तथ्यों को रख दूँ । इन नामों

वेद और वेदान्त

२४७

एवम् तथ्यों को तो आप अनेक मुश्किल ग्रन्थों में भी पा सकते थे। वास्तव में मेरे भाषणों का यह उद्देश्य था कि मैं आपको बता सकूँ कि मानव जाति के इतिहास के उस प्राचीन अध्याय में हमारी रुचि क्यों होनी चाहिये। मैं चाहता था कि जब आप वेद, उसके धर्म और उसके दर्शन पर कभी विचार करना चाहें तो वे आपको विचित्र एवम् अपरिचित न लगें बल्कि आप यह समझ सकें कि आप एक ऐसा अध्ययन करने जा रहे हैं जो आप ही से सम्बन्धित है, आपके बौद्धिक विकास से सम्बन्धित है, मानों स्वयम् आपके ही वचन से सम्बन्धित है या कम से कम आप की जाति के शिशुत्व से सम्बन्धित है।

मैं यह नहीं कहता कि ऐसे हर व्यक्ति को संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत अवश्य ही सीखना चाहिए। जो यह जानने को इच्छुक हों कि मानव जाति आज जैसी है वैसी बनने के लिए उसे किन स्थितियों से गुजरना पड़ा, आज की भाषा का यह रूप कैसे हो गया, आज के धर्म को यह कैसे प्राप्त हुआ, हमारे आचार हमारी परम्पराएँ तथा हमारे कानून इस रूप को कैसे प्राप्त हुए, या हम स्वयम् कैसे इस स्थिति में पहुँच गये। फिर भी मेरा विश्वास है कि यह न जानना एक दुर्भाग्य ही है कि संस्कृत भाषा के अध्ययन ने या विशेषतया वैदिक साहित्य के अध्ययन ने मानवीय मस्तिष्क के विकास के इतिहास के तमसाच्छन्न अध्याय को किस प्रकार परम लाभदायक ढङ्ग से प्रकाशित कर दिया है। मेरा ऐसा विचार है और ऐसा विश्वास भी कि आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि यह एक प्रकार का अभाव है, जीवन का महान् अभाव है कि जिस मस्तिष्क के बल पर आज हमें इतने अधिक सुख सुविधा के साधन प्राप्त हैं, हम उसी के विकास क्रम को न जानें या जानने का प्रयत्न ही न करें। आज के जीवन में एक व्यक्ति बिना यह जाने भी जीवित रह सकता है कि पृथ्वी क्या है उसकी बनावट कैसी है, वह इस स्थिति में कैसे आयी और सूरज, चाँद सितारों की गति क्या है और कैसी है। यह जाने बिना भी वह जान लेगा कि किस नियम या किसकी इच्छा के अनुसार ये अगणित रवि शशि तारे अनादि काल से निरन्तर नियमित गति से परिचालित हैं, परन्तु मैं आपसे हो पूछता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति के जीवन को जीवन कहने के लिये तैयार है ?



टिप्पणिया

पृष्ठ

२० मार्को पोलो—मार्को पोलो पहला योरोपियन यात्री था जिसने ईसा की १३वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समूचे एशिया महाद्वीप को पार किया था। दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में उसने जो कुछ लिखा है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके भ्रमण-वृत्तान्त का अनुवाद अंगरेजी भाषा में एकाधिक बार किया गया है।

२० एलिफैंटा—बम्बई से ५ मील की दूरी पर कितने ही गुफा मन्दिरों की मालाएँ हैं। ये प्रख्यात मन्दिर भारतीय भवन निर्माण कला के अध्ययन की बहुमूल्य सामग्री हैं। ये मन्दिर एक टापू पर हैं, जिस पर पुर्तगालियों के आगमन काल में पत्थर का एक विशाल हाथी बना हुआ था। इसी लिए उन्होंने इस टापू को एलिफैंटा कहना शुरू कर दिया। वह हाथी अब बम्बई के विक्टोरिया गार्डेंस के अजायब घर में रख दिया गया है। इस टापू का प्राचीन नाम गिरिपुर है तथा कुछ इतिहासकारों का मत है कि पिछले गुप्त राजाओं की राजधानी यहीं थी।

बम्बई शहर के पास ही धारापुरी, (एलिफैंटा) योगेश्वरी, कन्हैरी, भरोल तथा मण्डलेश्वर की गुफाएँ हैं।

२१ सर विलियम जोन्स—(१७४६-१७९४) सन् १७८३ ई० में उसे कलकत्ता में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। वह संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला प्रथम अंग्रेजी विद्वान था। सन् १७८४ ई० में उसने एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना की, एवम् उक्त संस्था का प्रथम अध्यक्ष चुना गया।

२१ थामस कोलब्रुक (१७६१-१८३७)—एक महान गणितज्ञ एवम् नक्षत्रशास्त्री होने के साथ-साथ वह संस्कृत का प्रकाण्ड विद्वान भी था। १८०१ ई० में उसे सदर दीवानी अदालत के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया और चार ही वर्ष पश्चात् वह उक्त अदालत का सदस्य हो गया। सन् १८०७ ई० से १८११ ई० तक वह सुप्रीम कौन्सिल का सदस्य रहा और तत्पश्चात् इंग्लैण्ड लौटने के समय अर्थात् सन् १८१४ ई० के अन्त तक बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का सदस्य रहा। उक्त पदों पर रहने के अतिरिक्त सन् १८०७ से १८१४ ई० तक वह एशियाटिक सोसाइटी आफ बङ्गाल का अध्यक्ष भी रहा। सन् १८२३ ई० में लन्दन में एशिया-

(२४६)

पृष्ठ

टिक सोसाइटी की स्थापना में पर्याप्त सहायता पहुँचाई, और उक्त संस्था का डाइरेक्टर भी हो गया।

२५ हूकर्स (विलियम जैक्सन १७८५-१८६५ ई०) :—वह एक वनस्पति-शास्त्री तथा तथा लन्दन स्थित क्यू बोटेनिकल गार्डन का डाइरेक्टर था।

२५ हैक्केल [सन् १८३४-१९१६ ई०] :—वह एक प्रसिद्ध जर्मन जीव शास्त्री था, जिसने सन् १८८२ ई० में अपनी भारत-यात्रा का विवरण लिखा था। वह प्रथम जीव शास्त्री था जिसने जीवों की विभिन्न श्रेणियों के पारस्परिक सम्बन्ध के वंश वृक्ष की रचना की थी।

२६ डेरिक्स—प्राचीन फारसी मुद्रा, जिस पर फारस के बादशाह दारा की मूर्ति अंकित है।

प्लेटो रचित क्रेटिलस [रचना काल सन् ४११ ई०] :—“चूँकि मैंने अब भी शेर का रूप धारण कर रखा है, अतः मुझे भयकातर नहीं होना चाहिए” सम्भवतः यह अभिव्यक्ति व्याघ्र-चर्म में लपटे गधे की कथा से नहीं बल्कि हरकुलिस से सम्बन्धित है। ‘हितोपदेश’ की एक कथा के अनुसार जब एक व्यक्ति अपने गधे के चारे का कोई प्रबन्ध नहीं कर पाता, और गधा भूख से मरने की स्थिति में आ जाता है। तब उस गधे का स्वामी एक उपाय सोचता है, और गधे के ऊपर शेर की खाल डाल कर उसे हरी फसलों में हाँक देता है। कुछ दिन तक यही क्रम चलता है, परन्तु एक दिन एक रखवाला भूरे वस्त्रों में स्वयम् को छुपाकर व्याघ्र चर्म में छिपे गधे को मारने का प्रयत्न करता है। गधा उस रखवाले को भूरे वस्त्रों के कारण गधे समझ कर प्रेमावेश में आकर लगता है और मारा जाता है।

२६ त्रिपिटक—इसका शाब्दिक अर्थ है, ‘तीन पिटारियाँ, बौद्ध धर्म के समूचे उपदेश तथा विचार प्रणाली को गौतमोत्तर काल में उन्हीं के विद्वान् विष्णु ने जिन ग्रंथों में संग्रहीत किया है, उन्हें बौद्ध-साहित्य में पिटक (पिटारी, के नाम से जाना जाता है। ये पिटक संख्या में तीन हैं, (१) सुत्तपिटक :—इसमें संग्रहीत उपदेश स्वयम् गौतमबुद्ध द्वारा कहे हुए माने जाते हैं, (२) विनयपिटक :—इस पिटक में भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के आचरण व्यवहार से सम्बन्धित सूक्ष्म में सूक्ष्म नियमों एवं विधानों का संग्रह में पृथक-पृथक विषयों पर शास्त्रार्थों का संकलन किया गया है और भिन्न-भिन्न लोकों में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, शारीरिक गुणों, तत्त्वों, एवम् अस्तित्व के कारणों पर विचार किया गया है। संख्या में तीन होने के कारण इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है।

फा० न०—२३

(२५०)

पृष्ठ

- ४७ बाँप [फ्रान्ज]—१७६१-१८६७ ई०—एक जर्मन शब्द शास्त्रज्ञ था जिसने मैक्समूलर द्वारा उल्लिखित ग्रंथ में, सर्व प्रथम, हिन्द यूरोपीय, भाषा-विज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास किया।
- ४८ नडुगल्ड स्टुअर्ट—वह सन् १७८५ से १८१० ई० तक एडिनबर्ग में नैतिक दर्शन (मारल फिलासफी) का प्रोफेसर था।
- ६१ सर जान मालकम—१७६६-१८३३ ई०—ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सैनिक एवम कूटनीतिक सेवाओं में सर जान मालकम ने पर्याप्त ख्याति अर्जित की थी। उसने 'हिस्ट्री ऑफ परशिया' के अतिरिक्त भारतीय ऐतिहासिक विषयों पर भी अनेक ग्रंथों की रचना की है।
- विलसन (होरेस हेमैन) १७८६-१८६० ई०—सन् १८०८ से १८३२ ई० तक वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेवा में नियुक्त रहा, इसी अवधि में १८१६ से १८३२ ई० तक कलकत्ता की टकसाल में परीक्षक के पद पर रहा। पूर्व देशीय भाषाओं का अच्छा ज्ञात होने के साथ-साथ भाषाविद, इतिहासिक रसायन शास्त्री, अभिनेता, संगीतज्ञ, लेखक और मुद्राशास्त्री आदि के रूपों में भी वह कम महान नहीं था। उसकी सर्वाधिक विख्यात एवम लोकप्रिय रचनाएँ निम्न-लिखित हैं :—विलसन द्वारा सम्पादित विष्णु पुराण, ऋग्वेद का अनुवाद और मिल लिखित 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिया का सम्पादन इत्यादि।
- ६५ केशव चन्द्र सेन—१८३८-१८८४ : पाठकों को ज्ञात होगा कि सन् १८२८ ई० में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी; सन् १८६६ ई० में केशवचन्द्र सेन ने एक भिन्न भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चन्द्र सेन ईसाई धर्म की मिशनरियों के घनिष्ठ सम्पर्क में रहे और उन्होंने द्वारा निर्धारित पथों एवम नियमों के आधार पर भारतीय समाज को सुधारने का प्रयत्न किया।
- ६५ संस्कृत के एक अन्य प्रोफेसर—ई० वी० काँवेल (१८२६-१९०३), जिसे सन् १८६७ ई० में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्रथम प्रोफेसर नियुक्त किया गया। सन् १८५६ से १८६४ ई० तक वह कलकत्ता के प्रेसिडेन्सी कालेज में इतिहास और राजनैतिक अर्थनीति का प्रोफेसर रहा। साथ ही १८५८ से १८६४ तक कलकत्ता के संस्कृत-कालेज के प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्य किया। सन् १८६४ ई० में वह भारत से इंग्लैण्ड चला गया।
- ६६ कर्नल स्लीमन—१७८८-१८५६ वह एक ख्याति प्राप्त सैनिक, कूटनीतिज्ञ एवम लेखक था। उसने अवध के संयुक्तीकरण का विरोध किया था।

(२५१)

पृष्ठ

- ६६ मिल (जेम्स)—वह विख्यात ऐतिहासिक ग्रंथ 'हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इण्डिया' का लेखक था जो सन् १८१८ ई० में प्रकाशित हुई थी। वह वेन्थम एवम रिकार्डों का सहयोगी तथा जान स्टुअर्ट मिल का पिता था।
- ६६ डाक्टर रार्बट्सन—(विलियम) १७२१-१७९३ ई० वह स्काटलैण्ड का निवास एक प्रसिद्ध इतिहासकार तथा 'डिसक्विजिशन कन्सर्निंगीद नालेज हिच द ऐन्क्वैन्ट्स हैड आव इण्डिया' नामक ग्रन्थ का लेखक था जो सन् १७९१ ई० में प्रकाशित हुई थी।
- ७० सर हेनरी मेन—१८२२-१८८८—सन् १८६२ से १८६९ तक वह सुप्रीम कौंसिल आव इण्डिया का लीगल मेम्बर रहा, तत्पश्चात् १८७८ ई० में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में न्याय-विधान का प्रोफेसर रहा। उसकी 'ऐन्क्वैन्ट ला' तथा 'बिलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट ऐण्ड वेस्ट' नामक पुस्तकें पर्याप्त विख्यात हैं जो क्रमशः १८६१ और १८७१ में प्रकाशित हुई थीं।
- ७० मेगास्थनीज—एक ग्रीक राज दूत था जो पाटलिपुत्र में चन्द्रगुप्त मौर्य की राज सभा में रहता था (ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी)।
- ७० नियरकस—वह एक ग्रीक एडमिरल था जो मेगास्थनीज से कई वर्ष पूर्व ही प्रसिद्ध यूनानी विजेता सिकन्दर यहाँ के साथ भारत आ गया था।
- ८० माउन्ट स्टुअर्ट एल्फिन्सटन—(१७७९-१८५९)-१८१९ से १८२७ ई० तक बम्बई के गवर्नर के पद पर रहा; उसने दो बार भारत के गवर्नर जनरल के पद को ठुकरा दिया। उसी के सम्मान में बम्बई के एल्फिन्सटन कालेज की स्थापना हुई थी। इतिहास पर उनका विख्यात ग्रन्थ 'हिस्ट्री आव इण्डिया' सन् १८४१ में प्रकाशित हुआ था जिसकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें एक प्रतिभा सम्पन्न इतिहासकार माना जाता है।
- ८२ विशप हेबर—(१७८३-१८२६ , कलकत्ता में विशप था; अपने मिशनरी के कार्यों के दौरान में उसने एकाधिक बार पूरे भारत का भ्रमण किया तथा 'जरनी थुरू इण्डिया' नामक पुस्तक में उक्त यात्राओं के विवरण एवम् सस्मरण लिखे; उसकी मृत्यु त्रिचनापल्ली में हुई।
- ८६ गैलीलियो—गैलीलेई (१५६४-१६४२ ई०) इटली की एक विश्वविख्यात गणितज्ञ एवम् भौतिकशास्त्री था। उसने सर्व प्रथम सूर्य के घूमने से सम्बन्धित पूर्व प्रचलित मत का खण्डन करके प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी ही नक्षत्र मण्डल का केन्द्र है, और केवल इस यथार्थ

(२५२)

पृष्ठ

मत के प्रतिपादन के कारण ही उसे मृत्यु दंड दिया गया। इटली में प्रयोगात्मक विज्ञान की स्थापना उसी ने की थी।

८६ डार्विन—(चार्ल्स) १८०९-१८८२ प्राणियों के क्रमिक विकास के सिद्धान्त से सम्बन्धित उसका क्रान्तिकारी ग्रन्थ 'ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज' सन् १८५९ में प्रकाशित हुआ जिसका प्रारम्भ में धर्माचार्यों द्वारा घोर विरोध किया गया था।

९१ भीष्म—शान्तनु एवम गङ्गा का पुत्र; जिसने महाभारत के युद्ध में पाण्डवों के विरुद्ध कौरवों का पक्ष लिया था; वे अपने ब्रह्मचर्य, बुद्धिमत्ता, शौर्य एवम प्रतिज्ञा पालन के विख्यात थे।

९१ शिखण्डी—महाभारत का एक पात्र जो जन्म से नारों था, परन्तु यक्षों द्वारा उसे पुरुष का रूप प्रदान किया गया था।

९८ दान्ते—१२६५-१३२१; वह यूरोप के विश्वविख्यात कवियों में से एक था 'डिवाइना कमेडिया' उसको इटैलियन भाषा में प्रथम साहित्यिक रचना थी।

१०२ भारतीय साहित्य का पुनरुत्थान युग—मैक्समूलर का मत था कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ही संस्कृत साहित्य निष्क्रिय हो चला था, और यह स्थिति ईसापश्चात् तृतीय शताब्दी तक बनी रही; इसी शताब्दी में संस्कृत साहित्य का पुनर्जागरण हुआ। मैक्समूलर के इस सिद्धान्त को अब मान्यता नहीं दी जाती; अधिकांश विद्वान इससे सहमत हैं कि मैक्समूलर के सिद्धान्त के विपरीत संस्कृत भाषा एवम साहित्य का विकास क्रमिक एवम अबाध था; इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए देखिये मैकडानेल कृत 'संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३२३; कोथ लिखित 'ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर' पृ० ३९; परन्तु वैदिक साहित्य और उत्तरवर्ती शास्त्रीय संस्कृत के बीच जिन अन्तरों का उल्लेख मैक्समूलर ने किया है, उन्हें आज भी मान्यता दी जाती है।

१०२ दयानन्द—दयानन्द सरस्वती, १८२७-१८८३ ई० : आर्य समाज के संस्थापक थे। वे वेदों की मुख्यतः वैदिक मन्त्रों को—देवी अभिव्यक्ति समझते थे और एक सुधारक के रूप में उत्तर-वैदिक काल प्रचलित पाखण्डों एवम अन्धविश्वासों के घोर विरोधी थे।

१०४ कनिष्क—भारत का सर्वाधिक विख्यात कुषाण राजा था। अधिकांश इतिहासकार ईसापश्चात् द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्द्ध को उसका जीवन-काल मानते हैं। वह बौद्ध धर्म के साथ-साथ संस्कृत साहित्य का भी प्रेमी एवम संरक्षक था।

(२५३)

७४

- १०५ इतिहास एवम् आख्यान — ऐसी कथाएँ एवम् ऐसा वृत्तान्त जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर लिखा जाता था ।
- १०५ पुराण — अद्वारह विस्तृत ग्रंथों को शृङ्खला, जिनमें पृथ्वी की सृष्टि एवम् अनेक प्राचीन राजवंशों इत्यादि का विवरण दिया गया है ।
- १०६ कालिदास — महान संस्कृत कवि एवम् नाटककार, ईसा पश्चात् पाँचवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध को उसका जीवनकाल माना जाता है ।
- १०६ हितोपदेश — विभिन्न प्रकार की कथाओं का संग्रह जिनमें पशु-पक्षियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा दी गई है ।
- १०६ भर्तृहरि — संस्कृत का विख्यात कवि एवम् वैयाकरण था जिसकी मृत्यु सन् ६५० ई० में हुई थी । उसने नीति, प्रेम एवम् योग में से प्रत्येक विषय पर सो-सो श्लोकों की रचना की थी ।
- १०६ ए० हम्बोल्ट — १७६९-१८५९ ई० : जर्मनी का एक विख्यात प्रकृतिवादी तथा महान विद्वान था जिसने वानस्पतिक भूगोल के निर्माण एवम् विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था । उसने अपने 'कासमांस' नामक ग्रंथ में विश्व का मौक्तिक विवरण देने का प्रयास किया है ।
- १०७ जस्टिनियन — कुस्तुन्तुनिया का सम्राट (सन् ५२७-५६५ ई०); लिखित एवम् वर्गीकृत रोमन विधान ।
- १०७ बराहमिहिर — एक विख्यात हिन्दू नक्षत्रशास्त्री एवम् 'बृहत् संहिता' का लेखक ।
- १०८ वर्नाफ (यूजीन) १८०१-१८५२ ई० : पेरिस की एन्टीक सोसाइटी का संस्थापक । उसने अनुवाद सहित भागवत का सम्पादन किया एवम् 'सद्धर्म पुण्डरिका' नामक बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था । वह जेम्स आपा का अध्ययन करने वालों एवम् प्राचीन फारसी शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तथा प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक मैक्समूलर का गुरु था ।
- १२२ वाल्ट्स — एक विख्यात जर्मन संग्रहकर्ता जिसका एक महत्वपूर्ण संकलन सन् १८५९ ई० में प्रकाशित हुआ था ।
- १३४ कार्डिनल — मैनिंग एक आंग्लिकन पादरी जो रोमन कैथोलिक चर्च में सम्मिलित हो गया था; वह एक धार्मिक राजनीतिज्ञ एवम् खन्डन प्रिय वक्ता था ।
- १४० लासेन — (क्रिश्चियन) १८००-१८७६ : पूर्वीय भाषाओं का एक जर्मन विद्वान जिसने भारत के प्राचीन वस्तु शिल्प पर एक विस्तृत लेख लिखा है ।
- १४० बन्दिश — पहलवी में लिखा हुआ फारसियों का एक धर्म ग्रंथ; यद्यपि इसकी

(२५४)

पृष्ठ

रचना ईसा पश्चात्, तृतीय शताब्दी में हुई थी, फिर भी इसमें अति प्राचीन सृष्टि के सिद्धान्तों का विवरण मिलता है और इस प्रकार यह 'जेन्द अवेस्ता' का फटक प्रतीत होता है।

१५७ यूरिपिडोज—ईसा पूर्व ४८०-४०६—एक विख्यात ग्रीक नाटककार,

१५७ अनक्सागोरस—एक ग्रीक दार्शनिक (ईसापूर्व ४२८); उसने एथेन्स में दर्शन शास्त्र के प्रथम विद्यालय की स्थापना की; उसके शिष्यों में से पेरिकलीज, यूरिपिडोज एवम साक्रोटोज विश्व विख्यात हैं।

१५७ सुकरात—४६८-३९९ ईसा पूर्व—एथेन्स का एक विख्यात विचारक एवम दार्शनिक जिसके सिद्धान्त उसके दो शिष्यों प्लेटों एवम जेनोफान की रचनाओं में सुरक्षित हैं। उस पर नास्तिकता का आरोप लगा कर एथेन्स के न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया था। कटु सत्यवादिता एवम पाखण्डों की कटु आलोचनाओं के कारण ही वह लोक निन्दा का भागी बना था।

१६५ स्काइलैक्स—एक फारसी सेना नायक जिसने सर्वप्रथम सिन्ध नदी के मुहाने से फारस तक समुद्र यात्रा की थी।

१६६ टालेमी—एक ग्रीक नक्षत्र शास्त्री एवम भूगोल शास्त्री जिसका जन्म ईसा पश्चात् द्वितीय शताब्दी में हुआ था।

१६६ प्लिनी—ईसा पश्चात् द्वितीय तृतीय शताब्दी का एक रोमन लेखक; उसका एक ग्रंथ 'नेचुरल हिस्ट्री' सैंतोस खण्डों में है और साइक्लोपीडिया की कोटि में रक्खा जा सकता है।

१६६ एटियन—एक ग्रीक दार्शनिक एवम इतिहासकार जिसका जन्म ईसा पश्चात् द्वितीय शताब्दी में हुआ था।

१६७ हेसीकियस—एलेग्जेन्डिया का एक ग्रीक दार्शनिक जो ईसा पश्चात् छठवीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। उसने ब्रह्माण्ड के एक वृत्तान्त तथा साहित्यिक इतिहास के कोश की रचना की थी।

१७७ देवापि—एक गौराणिक नायक जिसके प्रयत्नों से उसके छोटे भाई के राज्य में बारह वर्षों के लम्बे सूखे के पश्चात् जलवृष्टि हुई थी; कथा के अनुसार इस सूखे का कारण यह था कि बड़े भाई के स्थान पर छोटा भाई राजा बन बैठा था।

१८९ पेरिक्लियन युग—ग्रीक इतिहास का सर्वाधिक समृद्ध युग ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी; इस युग में एथेन्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति पेरिकलीज था जो

(२५५)

एक महान वक्ता, एवम कुशल राजनीतिज्ञ था, और एथेन्स ग्रीस का सर्वाधिक शक्तिशाली एवम समृद्ध नगर-राज्य था ।

१ आयोनियन—ग्रीक जाति की तीन शाखाओं में से एक; शेष दो शाखाएँ थीं डोरियन एवम एकियन ।

२ हेरोडोटस—ईसा पूर्व ४८४-४२५ : एक ग्रीक इतिहासकार जिसका जन्म हेलीकनेस्सस में हुआ था, उसके द्वारा लिखित 'हिस्ट्रीज' के समस्त खन्ड अत्यन्त रोचक हैं; इन ऐतिहासिक ग्रन्थों का अधिकांश भाग व्यक्तिगत जानकारी वयोवृद्धों द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवम प्राचीन लोक कथाओं पर आधारित है ।

३ अनेग्जिमेण्डर—ईसा पूर्व ६१०-५४७—एक आयोनियन दार्शनिक था; वह थेल्स का शिष्य भी था और मित्र भी, जिसने आयोनियन मत की स्थापना की थी ।

एस्किलस—ईसा पूर्व ५२५-४५६ : ग्रीक भाषा के दुःखान्त नाटकों (ट्रैजेडी) जनक एस्काइलस की गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों एवम विचारकों में की जाती है ।

पीसीस्ट्रेटस एवम् पालीक्रेटीज—क्रमशः एथेन्स और सेमस के प्रजापीडक (टाइरन्ट) शब्द के ग्रीक अर्थ में) ।

सेल्यूकस—विख्यात विजेता सिकन्दर महान का सेनाध्यक्ष; सिकन्दर की मृत्यु एवम उसके साम्राज्य के विखर जाने के पश्चात् उसके द्वारा विजित एशिया में उसे को सेल्यूकस ने अपने अधिकार में ले लिया और सेल्यूसिडे वंश की स्थापना की जिसने ईसा पूर्व ३१२ से ६४ तक सीरिया पर शासन किया ।

अरमोनियन—अरम में बसी हुई सेमिटिक जाति की एक शाखा का वंशानुवर्ती नाम; अरम क्षेत्र दजला एवम फरात नदियों के मुहानों के पास एक दलदली भाग में स्थित था ।

अललिमि—इस स्थान को अब तमलुक कहा जाता है; यह स्थान मिदनापुर नदी में हुगली नदी के मुहाने के पास स्थित है ।

अलन्दा—यह बिहार में एक बौद्ध चैत्य था; इसी से सम्बन्धित इसी नाम का एक विश्वविद्यालय भी था; कुछ ही वर्ष पूर्व इस बौद्ध बिहार के कुछेक भागों को खुदाई की गई थी जिससे बौद्धों की महायान शाखा के इतिहास के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हुईं ।

अतकमाला—यह जन्म सम्बन्धी अनेक कथाओं का संग्रह है; इसका रचयिता यंसुर था जिसका जन्म सम्भवतः ईसा पश्चात् पाँचवीं शताब्दी में हुआ था ।

(२५६)

पृष्ठ

१९८ दक्षिणी सागर के द्वीप—मलय द्वीप समूह ।

१९९ सुइ-शिह—एक प्राचीन चीनी अध्यापक एवम उपदेशक ।

२११ स्मृति—जो श्लोको में लिखे गए थे—उदाहरणार्थ मनुस्मृति, अन्याय स्मृतिकारों की रचनाएँ ।

२१३ राजेन्द्र लाल मित्र—१८२४-१८९१ एक बंगाली विद्वान । वह एशियाटिक सोसाइटी भाव बंगाल का अध्यक्ष भी था ।

२१६ आपस्तम्ब—एक प्रसिद्ध ऋषि और यजुर्वेद के कर्मकाण्डों का ऋषि द्वारा लिखित समस्त सूत्र आज भी उपलब्ध हैं ।

२१६ अश्वलायन—ऋग्वेद की विभिन्न शाखाओं (मतों) में से एक

२२८ गोखले—एक समृद्ध परिवार में उत्पन्न गोखले जो ने युवा एवम संस्कृत भाषाओं का गहन किया । राजनैतिक रंग मंच करने के प्रतिरिक्त वेदान्त में भी विशेष रुचि रखते थे । अंग्रेजी स्वीकार किया है कि वे अकेले राजनीतिज्ञ थे जिन्हें विशुद्ध राजनीति का ज्ञाता माना जा सकता था ।

२३० वर्कले—[जार्ज] सन् १६८४-१७५३ ई० : आयरलैण्ड का महान् कट्टर आदर्शवादी था ।

२३० ब्रह्मसूत्र—इसकी रचना ब्रह्मायन ने की थी; इसका रचना क प्रारम्भ अनुमानतः इसकी रचना ईसा सम्वत् के आरम्भ से पहले अनेक मतों के दार्शनिकों ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं, अपने अपने अर्थ में ढालने का प्रयास किया है । ब्रह्मसूत्र के सर्वाधिकार—हैं शंकर रामानुज, श्रीकण्ठ एवम मध्व ।

२३० पूर्वी देशों के पवित्र ग्रन्थ—यह एक संग्रह है जिसमें ५१ पूर्वी के अनुवाद संग्रहित हैं; इस संग्रह का आयोजन एवम सम्पादन अनेक विद्वानों के सहयोग से किया था ।

